



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

Zen Lyfe

Making Life *Simpler*

थामें **Zen Lyfe** का हाथ,
सरल जीवन की
शुरुआत!!



Robust UI



Secure



Seamless



Instant



Personalised



Trusted



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2025-26

Simpler Banking.
Stronger Relationships.
Sustainable Future.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

पुरस्कार व सम्मान AWARDS & ACCOLADES





अनुक्रमणिका / INDEX

क्र.	विषय सूची	पृष्ठ क्र.	No.	Contents	Page No.
1	निदेशक मंडल	2	1.	Board of Directors	2
2	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन	4	2.	Statement of Managing Director & CEO	232
3	बैंक एक नजर में	10	3.	Bank at a Glance	238
4	मुख्य कार्य निष्पादन संकेतक	26	4.	Key Performance Indicators	254
5	प्रगति एक नज़र में	28	5.	Progress at a Glance	256
6	निदेशकों की रिपोर्ट	29	6.	Directors' Report	257
-	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	30	-	Management Discussion and Analysis	258
-	वर्ष 2025-26 का प्रमुख कार्य निष्पादन	31	-	Performance Highlights 2025-26	259
-	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	33	-	Priority Sector Lending	262
-	अग्रणी बैंक योजना	44	-	Lead Bank Scheme	271
-	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं	44	-	Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	272
-	निगमित सामाजिक दायित्व	63	-	Corporate Social Responsibility	290
-	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	64	-	Implementation of Official Language Policy	291
-	निदेशकों के दायित्व का कथन	68	-	Directors' Responsibility Statement	295
-	निदेशक मंडल में परिवर्तन	69	-	Changes in the Board of Directors	296
-	बीआरएसआर रिपोर्ट	69	-	BRSR Report	296
-	आभार	69	-	Acknowledgements	296
7	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	74	7.	Corporate Governance Report	301
8	वित्तीय विवरण	102	8.	Financial Statements	328
-	तुलनपत्र	103	-	Balance Sheet	329
-	लाभ व हानि लेखा	104	-	Profit & Loss Account	330
-	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	114	-	Significant Accounting Policies	340
-	खातों हेतु टिप्पणियां	121	-	Notes to Accounts	347
-	नकदी प्रवाह का विवरण	175	-	Cash Flow Statement	401
-	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	177	-	Auditors' Report	403
9	बेसल प्रकटन	188	9.	Basel Disclosures	414
10	समेकित वित्तीय विवरण	189	10.	Consolidated Financial Statements	415

निवेशक शिकायतों के लिए कृपया संपर्क करें:

श्री विशाल सेठिया

कंपनी सचिव

निवेशक सेवाएं विभाग 134/1, मॉन्ट क्लेयर,

बाणेर - पाषाण लिंक रोड, पाषाण, पुणे - 411021

ई-मेल : investor_services@bankofmaharashtra.bank.in

फोन: 020-71658139

For Investor Grievances, please contact:

Mr. Vishal Sethia

Company Secretary

Investor Services Department, 134/1, Mont Claire,

Baner Pashan Link Road, Pashan, Pune - 411021

Email: investor_services@bankofmaharashtra.bank.in

Phone: 020-71658139

सांविधिक लेखा परीक्षक / STATUTORY AUDITORS

कृते मेसर्स जी डी आप्टे एंड कं.

For M/s. G D Apte & Co.

एफआरएन 100515 डब्ल्यू

FRN - 100515W

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी

For M/s. Manubhai & Shah LLP

एफआरएन-106041डब्ल्यू/डब्ल्यू100136

FRN - 106041W/ W100136

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

कृते सागर एंड एसोसिएट्स

For M/s. Sagar & Associates

एफआरएन-003510एस

FRN - 003510S

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

कृते मेसर्स एस. सिंघल एंड कंपनी

For M/s. S. Singhal & Co.

एफआरएन-001526सी

FRN - 001526C

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants



निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री निधु सक्सेना
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Shri Nidhu Saxena
Managing Director & CEO



श्री प्रभात किरण
कार्यपालक निदेशक
Shri Prabhat Kiran
Executive Director



श्री सुशांता कुमार मोहंती
कार्यपालक निदेशक
Shri Sushanta Kumar Mohanty
Executive Director



डॉ. अभिजीत फुकन
सरकार नामित निदेशक
Dr. Abhijit Phukon
Government Nominee Director



श्री संजीव प्रकाश
आरबीआई नामित निदेशक
Shri Sanjeev Prakash
RBI Nominee Director



श्री प्रवीण कुमार
शेयरधारक निदेशक
Shri Praveen Kumar
Shareholder Director



श्री प्रसेनजीत फडणवीस
शेयरधारक निदेशक
Shri Prasenjeet Fadnavis
Shareholder Director



सीवीओ, मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक /
CVO, CHIEF GENERAL MANAGERS AND GENERAL MANAGERS



श्री अमित श्रीवास्तव
(सीवीओ)
Shri Amit Srivastava
(CVO)



श्री दिनकर संकपाळ
Shri Dinkar Sankpal



श्री वी. पी. श्रीवास्तव
Shri V. P. Srivastava



सुश्री अपर्णा जोगळेकर
Ms Aparna Joglekar



श्री देवदत्त रोकडे
Shri Devdatta Rokade



श्री ए. एफ. कवाडे
Shri A. F. Kabade



श्री मिलिंद घारड
Shri Milind Gharad



श्री दिवेश दिनकर
Shri Divesh Dinkar



श्री के. राजेश कुमार
Shri K. Rajesh Kumar



श्री दिनेश सुरेश तांबट
Shri Dinesh Suresh
Tambat



श्री मुकेशचंद्र उपाध्याय
Shri Mukeshchandra
Upadhyay



डॉ. जावेद कासिम
मोहनवी
Dr. Javed Qasim
Mohnavi



श्रीमती संतोष दुलड
Mrs. Santosh Dular



श्री गिरीश थोरात
Shri Girish Thorat



श्री शिरीष साळवे
Shri Shirish Salway



श्री कौशल संपत
Shri Kaushal Sampat



श्री विवेक कुमार धवन
Shri Vivek Kumar
Dhawan



श्री सी. बी. सिंह
Shri C. B. Singh



श्री अभिजीत चंदा
Shri Abhijit Chanda



श्री देवेश वर्मा
Shri Devesh Verma



श्री संदीपकुमार चौरसिया
Shri Sandeepkumar
Chaurasia



श्री प्रदीप गुप्ता
Shri Pradeep Gupta



श्री बिछेंद्र मलिक
Shri Bichhendra
Mallik



श्री रामचंद्र रागिरी
Shri Rama Chandra
Ragiri



श्री हरिशंकर वत्स
Shri Hari Shankar
Vats



श्री प्रदीप मिश्रा
Shri Pradeep Mishra



श्री बजरंगी
Shri Bajrangi



श्री विवेक नाचणे
Shri Vivek Nachane



श्री प्रदीप श्रीवास्तव
Shri Pradeep
Srivastava



श्री शुभाशीष रॉय
Shri Subhasish Roy



श्रीमती उमा वेदुला
Mrs. Uma Vedula



निधु सक्सेना

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन :

हमारे लिए यह क्षण रिपोर्टिंग के साथ-साथ आत्मचिंतन का भी है, जहां से हम स्थिरता, अनुशासन और संस्थान की सुदृढ़ता से परिपूर्ण पिछले वर्ष पर नजर डालते हैं। बैंक की प्रगति का जो लेखाजोखा हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, वह केवल वित्तीय परिणामों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह उस अनुशासन, विश्वास और भावी दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारी विकास यात्रा को परिभाषित करता आया है।

बैंक के प्रति आपका अटूट विश्वास इस प्रगति का केंद्रबिन्दु रहा है। इस विश्वास के बल पर हम अपना ध्यान उन मुद्दों पर केंद्रित रख सके, जो वास्तव में जरूरी हैं, जैसे एक मजबूत संस्थान का निर्माण, ग्राहकों के साथ रिश्तों को और गहरा करना और सभी तिमाही-दर-तिमाही सतत मूल्यवर्धन करना। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आपके बैंक की उपलब्धियों को आपके साथ साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य

वर्ष के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था मुख्यतः स्थिर रही, तथापि कुछ अंतर्निहित उतार-चढ़ाव बने रहे। बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रम, व्यापार समीकरणों में परिवर्तन और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भिन्न मौद्रिक नीतियों ने अनिश्चितता बनाए रखी। हालांकि, मुद्रास्फीति में कुछ नरमी के संकेत मिले, फिर भी आपूर्ति पक्ष की रुकावटों और वैश्विक व्यापारिक वस्तुओं की गतिशीलता के प्रति यह संवेदनशील बनी हुई है, जो एक सतर्क और संतुलित नीतिगत दृष्टिकोण की मांग करती है।

इसके विपरीत, भारत की विकास यात्रा ने मजबूती और स्थिरता का प्रदर्शन किया है। मजबूत घरेलू मांग, बेहतर निवेश गतिविधियों और नीतिगत सुधारों के निरंतर समर्थन से, हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अच्छी स्थिति बनाए हुए है। केंद्रीय बजट, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, पूंजीगत व्यय, अवसंरचना विकास, विनिर्माण और रोजगार सृजन पर भी विशेष बल देता है, जो 'विकसित भारत' की परिकल्पना के अनुरूप लंबे समय के विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।

बैंकिंग क्षेत्र ने सुदृढ़ तुलन-पत्र, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और लाभकारी ऋण विस्तार के साथ लचीलेपन का प्रदर्शन जारी रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए नियामक उपाय, जिनमें तरलता, परियोजना वित्तपोषण और जोखिम प्रबंधन से संबंधित कड़े नियम शामिल हैं, प्रणालीगत स्थिरता की सुनिश्चितता के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। इन घटनाक्रमों के लिए सुनियोजित समायोजन की आवश्यकता है, जो इस क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को भी मजबूती प्रदान करते हैं।

कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास के प्रेरक तत्व निहित हैं, जो समावेशी आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, तीव्र गति से डिजिटलीकरण और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएं बैंकिंग के स्वरूप को नया रूप दे रही हैं, जिसमें तीव्र गति, नवाचार और विश्वास कायम रखने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।



आपके बैंक का वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आपके बैंक ने स्थिर और संतुलित प्रदर्शन किया, जो प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुशासित क्रियान्वयन को दर्शाता है। मजबूत जमा आधार और ऋण के प्रति सुनियोजित दृष्टिकोण ने प्रगति सुनिश्चित की। यह प्रदर्शन स्थिरता, लचीलापन और मूल्य सृजन पर हमारे निरंतर ध्यान को रेखांकित करता है।

व्यवसाय

- कुल व्यवसाय 31.03.2025 के ₹5,46,979 करोड़ से 17.47% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2026 को ₹6,42,531 करोड़ हो गया।
- कुल जमा राशियाँ 31.03.2025 के ₹3,07,143 करोड़ से 14.14% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2026 को ₹3,50,564 करोड़ हो गई।
- कासा जमा राशियाँ 31.03.2025 के ₹1,63,657 करोड़ से 12.48% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2026 को ₹1,84,087 करोड़ हो गई।
- सकल अग्रिम 31.03.2025 के ₹2,39,837 करोड़ से 21.74% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2026 को ₹2,91,967 करोड़ हो गए।

लाभप्रदता

- वित्तीय वर्ष 2026 को निवल लाभ 27.17% बढ़कर ₹7,019 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 में यह ₹5,520 करोड़ था।
- वित्तीय वर्ष 2026 में परिचालन लाभ 16.17% बढ़कर ₹10,826 करोड़ हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2025 में ₹9,319 करोड़ था।
- वित्तीय वर्ष 2026 में निवल ब्याज आय (एनआईआई) 17.13% बढ़कर ₹13,664 करोड़ हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2025 में ₹11,666 करोड़ थी।
- वित्तीय वर्ष 2026 में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.90% पर स्थिर रहा।
- शुल्क आधारित आय वित्तीय वर्ष 2026 में 7% बढ़कर ₹1,862 करोड़ हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2025 में ₹1,741 करोड़ थी।

कार्यक्षमता अनुपात

- लागत-आय अनुपात वित्तीय वर्ष 2026 में 37.08% रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2025 में यह 38.37% था।
- परिसंपत्ति पर आय (आरओए) वित्तीय वर्ष 2025 के 1.75% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में 1.86% हो गई।
- इक्विटी पर आय (आरओई) वित्तीय वर्ष 2025 के 22.92% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 में 23.19% हो गई।
- प्रति कर्मचारी कुल कारोबार वित्तीय वर्ष 2025 के ₹37.48 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2026 में बढ़कर ₹41.20 करोड़ हो गया।

आस्ति गुणवत्ता

- सकल अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) 31.03.2025 को 1.74% से घटकर 31.03.2026 को 1.45% रह गई।

- निवल अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) 31.03.2025 को 0.18% से घटकर 31.03.2026 को 0.13% रह गई।
- प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31.03.2025 को 98.26% से बढ़कर 31.03.2026 को 98.59% हो गया।

पूंजी पर्याप्तता

- आपका बैंक अपनी मजबूत पूंजी स्थिति बनाए हुए है। हमारा कुल बेसल III पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 18.36% और कॉमन इक्विटी टियर 1 अनुपात 14.59% पर बना हुआ है।

लाभांश

- मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपके बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निवल लाभ से प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त ₹10 के इक्विटी शेयर पर ₹1.20 का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो बैंक की आगामी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। यह 13.01.2026 को घोषित और वित्तीय वर्ष के दौरान अदा किए गए ₹1.00 प्रति इक्विटी शेयर (10%) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

डिजिटल रूपान्तरण

आपका बैंक निर्बाध सेवाएं प्रदान करने और ग्राहकों और स्टाफ, दोनों के लिए बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को लगातार बढ़ा रहा है। बैंकिंग अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए बैंक, अत्याधुनिक तकनीक का समन्वय कर रहा है और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी कर रहा है, ताकि उच्च कोटि के उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जा सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक द्वारा कार्यान्वित की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने पीएम सूर्यघर योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास ऋण (पीएम आवास योजना), सीधी बिक्री एजेंटों (डीएसए) के लिए व्यावसायिक चैनल इंटरफेस, पूर्व-पात्र निजी ऋण, बैंक में नए जुड़े एमएसएमई के लिए ई-जीएसटी, डिजिटल मुद्रा सावधि ऋण, स्वयं सहायता समूहों के लिए डिजिटल सुविधा, किसानों के लिए डिजिटल किसान तत्काल ऋण जैसी विभिन्न संपूर्ण डिजिटल सुविधाएं लागू की हैं। बैंक ने सभी को निर्बाध डिजिटल ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए आरबीआईएच के प्रमुख एकीकृत ऋण इंटरफेस कार्यक्रम के साथ भी एकीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक की कई नई पेशकश की सुदृढ़ श्रृंखला है, जिसमें डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड एसटीपी और सहायता प्राप्त सुविधाएं, बैंक के 'मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए' डिजिटल व्यवसाय ऋण, डिजिटल आवास ऋण आदि शामिल हैं, जो बैंक की डिजिटल उपस्थिति को और मजबूत करेंगी।
- अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में, बैंक ने डिजी-लीप (डिजिटल लायबिलिटी एक्सप्रेस अकाउंट प्लेटफॉर्म) लागू किया है - यह टैबलेट आधारित देयता (लायबिलिटी) खाता खोलने की सुविधा है, जो शाखाओं में खाता खोलने का एक वैकल्पिक माध्यम है। इसका उद्देश्य सभी नियामक आवश्यकताओं और



- अनुपालनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना, बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करना, बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना और शाखा कर्मचारियों के मैन्युअल कार्य समय को कम करना है। सभी फील्ड कर्मचारियों को खाता खोलने में सहायता के लिए यह सुविधा (एप्लिकेशन) उपलब्ध कराई जाएगी।
- नियामक निर्देशों के अनुपालन के तहत, बैंक ने ट्रेक्स (ट्रेड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस सिस्टम) लागू किया है। यह समाधान, आरबीआई के ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के साथ निर्बाध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह समाधान, मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करता है, सटीकता बढ़ाता है और नियामक रिपोर्टिंग के लिए एक सुरक्षित, केंद्रीकृत तंत्र प्रदान करता है।
- बैंक ने 24.09.2025 को अपना नया मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, ज़ेन लाइफ लॉन्च किया, जिसका उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया। ज़ेन लाइफ एक लाइफस्टाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो एक ही डिजिटल इकोसिस्टम पर रोज़मर्रा की जीवनशैली की ज़रूरतों के साथ मुख्य बैंकिंग सेवाओं को सहजता से एकीकृत करता है। खाता प्रबंधन, भुगतान और निधि हस्तांतरण के अलावा, यह एप्लिकेशन यात्रा, खरीदारी, भोजन और मनोरंजन जैसी चुनिंदा लाइफस्टाइल सेवाएं एक सुसंगत और सहज उपयोगकर्ता अनुभव के साथ ग्राहकों को प्रदान करता है।
- बैंक ने अब तक 120 से अधिक प्रक्रियाओं में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) लागू किया है। इसने परिचालन संबंधी व्यवधानों को समाप्त करने और विभिन्न क्षेत्रों में अधिक चुस्त परिचालन प्रणाली स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। बैंक अपनी परिचालन दक्षता को और बढ़ाने के लिए कई अन्य तयशुदा प्रक्रियाओं में आरपीए लागू करने पर काम कर रहा है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने रिटेल आवास ऋण क्षेत्र में अनर्जक आस्ति (एनपीए) की प्रवृत्तियों, ऋण वसूली पूर्वानुमान और दबावग्रस्त ऋणों का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई-संचालित पूर्वानुमान विश्लेषण को सफलतापूर्वक लागू किया है। इससे बैंक की डिजिटल सेवाओं को ज़बरदस्त बढ़ावा मिला है, साथ ही ऋण वसूली और जोखिम-आधारित निर्णय लेने में नवाचार को बढ़ावा मिला है, जिससे दक्षता और ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ है और यह सब लागत प्रभावी तरीके से संभव हुआ है।
- ग्राहकों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए आपके बैंक के यूपीआई चैनल में आवश्यक सेवाओं को शामिल करते हुए उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। बैंक ने डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) भी लॉन्च की है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारत के डिजिटल रुपए (ई-₹) के रूप में जारी किया है। यह प्रचलित मुद्रा का डिजिटल रूप है, आरबीआई की गारंटी प्राप्त, नकदी करेंसी के सममूल्य, उपयोग व अंतिम निपटान में आसान मुद्रा है। ई-₹ को डिजिटल वॉलेट में संग्रहित किया जाता है और इसका उपयोग भुगतान करने, धन भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
- बैंक ने सभी एटीएम को नवीनतम तकनीक से अपग्रेड करके अपनी बैंकिंग सेवाओं को सुलभ और आधुनिक बनाया है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं से लैस एटीएम और कैश रीसाइक्लर शामिल हैं। सेल्फ-सर्विस पासबुक कियोस्क और मल्टीफंक्शन कियोस्क को कई स्थानों पर रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया है। बैंक ने 280 से अधिक नए एटीएम और कैश रीसाइक्लर स्थापित करके अपने एटीएम नेटवर्क का काफी विस्तार किया है, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- बैंक सर्वोत्तम बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ सार्थक सहयोग की संभावनाओं का पता लगा रहा है। बैंक ने रणनीतिक रूप से 114 से अधिक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों (फिनटेक) को वित्तीय सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के साथ अपने साथ जोड़ा है और विभिन्न तकनीकी पहलों के लिए 16 से अधिक फिनटेक कंपनियों के साथ काम कर रहा है।
- जैसा कि 31.03.2026 तक ₹11,400 करोड़ से अधिक के सफल डिजिटल कारोबार से स्पष्ट है, डिजिटलीकरण के क्षेत्र में बैंक द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों के महत्वपूर्ण परिणाम आ रहे हैं।

ग्राहक केंद्रितता

- ग्राहक केंद्रितता बैंक के रणनीतिक उद्देश्य का मूल आधार बनी हुई है, जो हमारी सेवा नीति और व्यावसायिक निर्णयों दोनों को दिशा प्रदान करती है। वर्ष के दौरान, ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को सुविधाजनक, सुगम और एकरूप बनाने के लिए हमने डिजिटल नवाचार को अपनी सुदृढ़ उपस्थिति के साथ सहजता से एकीकृत करते हुए अपनी फिजीटल पहुँच को और व्यापक किया है।
- 'ग्लोबल एज अकाउंट' के माध्यम से ग्लोबल सेविंग्स सुविधाओं की शुरुआत और GIFT सिटी में हमारी IFSC बैंकिंग यूनिट का सफलतापूर्वक कार्य संचालन हमारे ग्राहकों तक इंटरनेशनल बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाने की दिशा में अहम कदम हैं।
- आपके बैंक ने सिर्फ 8 महीनों में ₹6,142 करोड़ का ग्लोबल बिज़नेस हासिल करके अपने तयशुदा आंतरिक लक्ष्य से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया है।
- साथ ही, वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP), व्हाट्सएप बैंकिंग और सहज डिजिटल इंटरफेस जैसी पहलों ने नए ग्राहकों को जोड़ने और सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है।
- बैंक ने ग्राहक से जुड़ाव और विविधताओं को शामिल करने पर भी फोकस किया है। ज़ेन लाइफ जैसे प्लेटफॉर्म और खेल आधारित शिक्षण पहलों का उद्देश्य वित्तीय जागरूकता और ग्राहक संपर्क को बेहतर बनाना है।
- दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए किए गए समर्पित प्रयासों से यह सुनिश्चित होता है कि बैंकिंग सेवा समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनी रहे।
- इस वर्ष बैंक ने 183 शाखाएँ खोलीं, जिससे अखिल भारतीय स्तर पर इसकी उपस्थिति और मजबूत हुई। आपके बैंक ने प्रोजेक्ट 321 के तहत, एक बाह्य एजेंसी के सहयोग से शाखाएँ खोलने के लिए



उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान की। अब बैंक की शाखाएँ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं।

- बैंक का 9,000 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधियों और 276 ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से संचालित बैंक मित्रों का नेटवर्क, अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवाओं की सुपुर्दगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है।
- इसके अतिरिक्त, बैंक ने कृषि प्रौद्योगिकी, आवास वित्त और मध्यम कॉर्पोरेट शाखाओं सहित विशिष्ट और विशेष सेवाओं की शाखाओं के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। ये शाखाएँ विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए लक्षित और आवश्यकता-आधारित सेवाएं प्रदान करती हैं।
- इन पहलों के माध्यम से, आपका बैंक ग्राहक को हमारी विकास यात्रा के केंद्र में रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य केवल सेवाएं प्रदान करना ही नहीं, बल्कि सार्थक और स्थायी बैंकिंग संबंध स्थापित करना है।

हमारी जनशक्ति

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, हमारे लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, जो अपने समर्पण और नवाचार से संगठन को उत्कृष्टता की ओर ले जा रहे हैं। हमें एक विविध और समावेशी कार्यबल को बढ़ावा देने पर गर्व है, जिसमें 29% महिलाएं शामिल हैं, और अल्पप्रतिनिधित्व वाले समूहों को सशक्त बनाने के लिए लक्षित पहल की गई है।
- खेलों में महिलाओं को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, बैंक की महिला वॉलीबॉल टीम - जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी शामिल हैं - प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में भारत का सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व कर रही है। उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन ने न केवल देश को गौरव दिलाया है, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर बैंक की प्रतिष्ठा को भी निखारा है। इसके अलावा, बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 172 विशेषज्ञ अधिकारियों और कार्यपालकों की भर्ती करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है, जिससे विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाला एक सुसज्जित और दक्ष कार्यबल सुनिश्चित हुआ है।
- बैंक अपनी कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) का व्यापक पुनर्गठन कर रहा है, जिसमें कार्यनिष्पादन मूल्यांकन में पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 15 से अधिक उन्नत उपकरणों का एक समूह शामिल किया गया है। यह परिवर्तन समग्र मानव संसाधन प्रणाली को प्रभावी रूप से मजबूत करेगा और पूरे संगठन में उच्च-कार्यनिष्पादन की संस्कृति को बढ़ावा देगा। 37 वर्ष की औसत कर्मचारी आयु वाले एक युवा और चुस्त संगठन के रूप में, पेशेवर विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नेतृत्व विकास पहलों और उद्योग सहयोगों में परिलक्षित होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारी टीम नवाचार और विशेषज्ञता में अग्रणी बनी रहे।
- अपने जन-केंद्रित दृष्टिकोण को और मजबूत करते हुए, बैंक ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सहायता प्रदान करने के लिए एक तृतीय-पक्ष पेशेवर एजेंसी के साथ साझेदारी करके अपनी

कल्याणकारी पहलों का विस्तार किया है। इन सेवाओं में पूरी तरह से गोपनीय परामर्श सत्र शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारियों को एक सुरक्षित और सहायक परिवेश प्राप्त हो, साथ ही कर्मचारी-केंद्रित लाभों और आपसी जुड़ाव पहलों पर हमारा ध्यान निरंतर बना रहे।

- हम साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो सक्षमता, लगन और साझा सफलता पर आधारित हो, ताकि हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान कर सकें।

पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन (ESG) पद्धतियाँ:

वित्तीय प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए, हम एक सतत और समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। हमारी पहल पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने, अंतिम छोर तक बैंकिंग पहुंच बढ़ाने और हाशिए पर पड़े समुदायों के विकास और कल्याण का समर्थन करने के सचेत प्रयासों को दर्शाती है। व्यवहार्यता केवल एक लक्ष्य नहीं है - यह हमारे हर कार्य में समाहित है।

पर्यावरण संबंधी पहल:

महा ग्रीन पहल के तहत, बैंक प्लास्टिक के उपयोग में कमी, ई-मीटिंग को अपनाने, स्वच्छ गतिशीलता की ओर झुकाव और जलवायु जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के माध्यम से अपने संचालन में व्यवहार्यता को शामिल करना जारी रखे हुए है।

बैंक ने अपने परिसर में सौर पैनल लगाकर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का विस्तार किया है, जिससे 16,28,400 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। इस प्रकार, यह ऊर्जा के बेहतर प्रयोग और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान दे रहा है।

महाबैंक ग्रीन फाइनेंसिंग के माध्यम से, आपका बैंक पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों, हरित आवास और रूफटॉप सोलर परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है, जिससे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार ऋण को बढ़ावा मिल रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026 में 316 टन ई-कचरा पुनर्चक्रण, उत्सर्जन में कमी और वृक्षारोपण पहलों की दिशा में किए गए केंद्रित प्रयास, सतत और जिम्मेदार संचालन के प्रति आपके बैंक की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं।

आपके बैंक ने जलवायु जोखिम को बैंक के जोखिम ढांचे में शामिल करने, सतत वित्त को बढ़ावा देने और जलवायु संबंधी मामलों पर नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित कार्यकारी स्तर की समिति (ग्रीन सेल) भी स्थापित की है।

बैंक संचालन के डिजिटलीकरण और ई-मीटिंग को अधिक अपनाने सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से कागज की खपत को सक्रिय रूप से कम कर रहा है।

आपके बैंक ने अपने ऋण मूल्यांकन ढांचे के अंग स्वरूप उधारकर्ताओं का ESG-आधारित मूल्यांकन शुरू किया है।

आपके बैंक ने विकसित हो रही नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप एक अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक जलवायु जोखिम प्रबंधन रणनीति तैयार की है।



सामाजिक पहल

- आपका बैंक किसानों और वंचित वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर नए उत्पाद विकसित करने का प्रयास करता है। बैंक का कृषि ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2026 तक ₹ 40,212 करोड़ तक पहुंच गया, जो 31.03.2025 की तुलना में 13% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2026 में हमारी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण बही ₹ 1,13,226 करोड़ थी, जो वित्तीय वर्ष 2025 की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाती है। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिया गया ऋण 31.03.2026 तक 12% बढ़कर ₹ 3,512 करोड़ हो गया, जिससे महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है।
- मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक और इसके सहयोगी महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने, क्रांतिकारी जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति मिशन में सक्रिय योगदान देते हुए, 2025-26 में सामूहिक रूप से 9.84 लाख जन धन खाते खोले हैं। यह उपलब्धि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो। ग्राहकों के आधार और मोबाइल नंबरों को अधिकतम रूप से पंजीकृत करने के लिए आपका बैंक विभिन्न माध्यमों से समर्पित प्रयास कर रहा है।
- जन सुरक्षा योजनाओं को सुगम बनाने में आपके बैंक के प्रयास उल्लेखनीय हैं:
 - i. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15.44 लाख नामांकन (एमजीबी सहित),
 - ii. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20.94 लाख नामांकन (एमजीबी सहित), और
 - iii. अटल पेंशन योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.37 लाख नामांकन (एमजीबी सहित) हुए।
- बैंक बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (बीसी) के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है। 31.03.2026 तक (एमजीबी सहित) कुल बीसी की संख्या 12248 है।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने और एक बेहतर एवं न्यायसंगत समाज के निर्माण में योगदान देने की दृष्टि से, आपके बैंक ने सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, खेल एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण, स्वच्छता, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अधिक न्यायसंगत समाज में योगदान देने के अपने दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, आपके बैंक ने महिला सशक्तिकरण, खेल और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण, स्वच्छता और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलें शुरू की हैं।

- अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के तहत, आपके बैंक ने पर्यावरण स्थिरता, सामुदायिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवा सहायता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रभावशाली गतिविधियाँ की हैं। आपके बैंक ने वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने और सार्वजनिक सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सौर पैनल समर्थित स्ट्रीटलाइट्स की स्थापना में सहायता प्रदान की। शिक्षा एवं ज्ञान संवर्धन के क्षेत्र में, बैंक ने पुस्तकालय भवन के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए अरविन्दो ट्रस्ट को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे समुदाय के लिए बेहतर शिक्षण संसाधनों में योगदान मिला। पशु कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, बैंक ने जरूरतमंद पशुओं की पशु चिकित्सा देखभाल और उपचार के लिए हैमी नीडी एनिमल्स होप फाउंडेशन को स्थायी वित्तीय सहायता प्रदान की। नागरिक बुनियादी ढांचे और स्वच्छता पहलों को और मजबूत करने के लिए, बैंक ने प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने हेतु नगर निगम के लिए एक अपशिष्ट संग्रहण वाहन प्रायोजित किया। आपके बैंक ने पुणे मैराथन को प्रायोजित करके स्वास्थ्य, फिटनेस और सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया।
- साथ ही, समाज के कमज़ोर वर्गों को सहायता देने के उद्देश्य से, बैंक ने अनाथ और वंचित बच्चों के लिए ज़रूरी घरेलू सामान खरीदने हेतु 'बालग्राम अनाथालय' को दान दिया। इन पहलों के माध्यम से, बैंक समावेशी विकास और सतत सामुदायिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार दोहराता रहता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहल:

आपका बैंक, बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में निष्पक्ष व्यवहार को प्राथमिकता देता है। हमने भ्रष्टाचार और रिश्तेतखोरी की रोकथाम के लिए जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण के साथ एक मजबूत नीति लागू की है, जो हमारे सभी परिचालनों में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करती है।

- शीर्ष प्रबंधन और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए नैतिक और पारदर्शी अभिशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो बैंक की निष्ठा और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
- 31 मार्च, 2026 को, बैंक की कुल कार्यबल में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी 29% है, जो संगठन में लैंगिक समावेशिता, विविधता और समान अवसरों को बढ़ावा देने के प्रति बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- बैंक ने भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की ग्राहक अधिकार संहिता के अनुपालन में ग्राहक अधिकार नीति लागू की है, जो निष्पक्ष सेवा सुपुर्दगी पर जोर देती है।

हमारे पुरस्कार और सम्मान:

- आपके बैंक को इन एंड ब्रैडस्ट्रीट बीएफएसआई एंड गवर्नमेंट समित 2025 में पब्लिक सेक्टर एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।



- आपके बैंक को प्रतिष्ठित एफई बेस्ट बैंक अवार्ड्स में संस्थागत श्रेणी में पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है।
- आपके बैंक को आर्ट लेजर - कर्मचारी सहभागिता कार्यक्रम की पहल के लिए बीएफएसआई श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड, 2025 से सम्मानित किया गया है।
- आपके बैंक को बिजनेस टुडे बैंकिंग और इकोनॉमी समिट में “बेस्ट मिडसाइज बैंक” का पुरस्कार मिला है।
- बैंक को भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु 33वां आशीर्वाद भाषा सेतु पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है।
- बैंक को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से डे-एनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी-बैंक लिंकेज (2024-25) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2024-25 में, आईबीए द्वारा आयोजित 21वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और प्रशस्ति-पत्र समारोह में आपके बैंक को सभी पाँचों विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है।
- आपके बैंक को दक्षिण भारत के प्रमुख बीएफएसआई कार्यक्रम धनम बीएफएसआई समिट एंड अवार्ड नाइट 2025 में धनम बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

भविष्य की ओर

- जैसे-जैसे हम अपने 91वें वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी यात्रा भी ग्राहक विश्वास की विरासत और निरंतर सुधार के प्रयास से आगे बढ़ रही है। दिसंबर 2025 में ओएफएस को शानदार प्रतिक्रिया मिली, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की हिस्सेदारी में कमी आई, जो निवेशकों और हितधारकों द्वारा आपके बैंक में जताए गए भरोसे का एक जीता जागता प्रमाण है।
- अधिक महत्व का बैंक बनना की हमारी थीम से प्रेरित होकर, आने वाले वर्ष में हमारी डिपॉजिट फ्रैंचाइज़ी को मज़बूत करने पर ज़्यादा

ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 को डिपॉजिट का वर्ष घोषित किया गया है, ताकि रिटेल भागीदारी और लिक्विडिटी की मज़बूती को और बेहतर बनाया जा सके। हम अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो में विवेकपूर्ण संतुलन बनाए रखेंगे, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को और गहरा करेंगे, और शुल्क-आधारित आय के स्रोतों को बढ़ाएंगे। कहीं बेहतर स्मार्ट और सहज बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए हम सतत ईएसजी एजेंडा, सुदृढ़ प्रौद्योगिकी क्षमताओं और एआई-आधारित सोल्यूशंस को अधिक से अधिक अपना रहे हैं, जो सतत और ज़िम्मेदार बिज़नेस मॉडल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

- हम भौगोलिक और व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर सुनियोजित विस्तार करेंगे, इसके लिए हमारे पास आगामी पाँच वर्षों में 1000 नई शाखाएँ जोड़ने का एक स्पष्ट रोडमैप है। साथ ही, हम अपने ‘फिजीटल’ (भौतिक और डिजिटल का मेल) डिलीवरी मॉडल को और भी मज़बूत बनाएँगे। इसके साथ ही, हम मज़बूत अनुपालन, धोखाधड़ी की रोकथाम और जोखिम प्रबंधन के ढाँचों को सुनिश्चित करने के मामले में लगातार सतर्क और सक्रिय रहेंगे।
- जैसे-जैसे हम विकसित भारत और वैश्विक सर्वोत्तम नीतियों के व्यापक दृष्टिकोण के साथ अपने प्रयासों को दिशा दे रहे हैं, हमारा प्रयास अपने ग्राहकों के साथ कदम मिलाकर बढ़ते हुए गहरे संबंध बनाना, अधिक उपयोगी सोल्यूशन प्रस्तुत करना और सभी हितधारकों के लिए भरोसेमंद मूल्य का सृजन करना है।
- हम अपने हितधारकों के निरंतर सहयोग और अटूट विश्वास के प्रति उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम दृढ़ विश्वास के साथ संवृद्धि, अनुशासन और दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर फोकस रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

भवदीय,

निधु सक्सेना

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



बैंक एक नजर में



कुल व्यवसाय
₹ 6,42,531 करोड़
(वर्ष-दर-वर्ष 17.47% की वृद्धि)



ग्राहक
3.06 करोड़



2,785
शाखाएँ



कार्मिक
15,596



आरएएम अग्रिम
62.84%



कासा अनुपात
52.51%



निवल ब्याज मार्जिन
(एनआईएम) 3.90%



निवल एनपीए
0.13%



लागत से
आय अनुपात 37.08%



निवल लाभ
₹ 7,019 करोड़
(वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 27.17%)



आस्तियों पर आय
1.86%



सीआरएआर
18.36%

जन-केंद्रित भविष्य का निर्माण:

प्रतिभा का सशक्तिकरण उत्कृष्टता का संवर्धन



बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने व्यवसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा समर्पित कार्यबल को प्रोत्साहित करने के लिए अपने रणनीतिक परिचालनों में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाई है। बैंक ने अपनी जन-केंद्रित संगठनात्मक नीति का अनुपालन किया है, जो “व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए दक्षता एवं उत्साह का सृजन” के उसके मिशन में परिलक्षित है। वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने विभिन्न पहलें आरंभ कीं तथा प्रगतिशील नीतियाँ लागू कीं, जिनमें कर्मचारी विकास, पारदर्शिता, वैविध्यता, अनुपालन एवं समग्र संगठनात्मक विकास पर विशेष बल दिया गया है।

कार्यबल एवं विविधता

दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बैंक की कुल जनशक्ति 15,596 कर्मचारियों की थी, जिसमें अधिकारी (10,279), लिपिक (3,777) एवं अधीनस्थ कर्मचारी (1,540) सम्मिलित थे। मानव संसाधन रणनीति में लैंगिक समावेशन एक प्रमुख फोकस रहा, जिसमें महिला कर्मियों की भागीदारी 29.23% रही। कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष थी, जो अपेक्षाकृत युवा एवं स्फूर्त कार्यबल को दर्शाती है।

सामाजिक न्याय एवं समानता को बनाए रखने हेतु बैंक ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस), दिव्यांगजन (पीडबल्यूबीडी) तथा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीतियों का सक्रिय रूप से अनुपालन किया। सरकारी निर्देशों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शिकायतों के निवारण हेतु विशेष कक्षों की स्थापना की गई, जिससे वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व एवं कैरियर उन्नति में वृद्धि हुई है।

बैंक ने अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों एवं वेलफेयर संघों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिनमें आरक्षण नीति, पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण तथा संबंधित विषयों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया, ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके एवं भविष्य की जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु तैयार किया जा सके।

“प्रगतिशील मानव संसाधन के माध्यम से क्षमता का सशक्तिकरण”

सतत विकास एवं सफलता की प्राप्ति में मानव पूंजी के महत्व पर बल देते हुए, बैंक ने अपनी प्रशासनिक आधारशिला को सुदृढ़ करने हेतु रणनीतिक मानव संसाधन उपायों को लागू किया है।

वर्ष के दौरान कुछ प्रमुख प्रगतियाँ निम्नलिखित हैं:

- कर्मचारी विवरण एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न आईटी-आधारित प्लेटफार्मों का उपयोग।
- समेकित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का कार्यान्वयन, जिसमें कर्मचारी की सेवा अवधि के प्रारंभ से लेकर सेवानिवृत्ति तक की पूरी प्रक्रिया सम्मिलित हो।
- मानव संसाधन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा तथा उद्योग की श्रेष्ठ प्रथाओं एवं नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार उनका अद्यतन/नवीनीकरण।
- सहयोगात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए टीम नेताओं, यूनियन प्रतिनिधियों तथा अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना।
- अनुशासन, प्रतिबद्धता तथा कर्तव्यनिष्ठा पर बल देने वाली नीतियों का निर्माण, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि हो।
- भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभा अधिग्रहण को अधिकतम करना।



भर्ती एवं कैरियर प्रगति

बैंक द्वारा की गई सूक्ष्म मानव संसाधन योजना के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के दौरान 1,275 अधिकारियों तथा 393 लिपिकों की भर्ती की गई। विशेष रूप से, बैंक ने आंतरिक ऑनलाइन भर्ती प्रणाली अपनाई, जिससे कार्यक्षमता एवं पारदर्शिता में वृद्धि हुई। बैंक अपने महिला वॉलीबॉल टीम के माध्यम से खेल क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दे रहा है, जिसके खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह बैंक की महिला सशक्तिकरण एवं खेलों में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने हेतु पदोन्नति नीतियों को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाया गया तथा कर्मचारियों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर प्रदान किए गए।

प्रशिक्षण एवं विकास:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रशिक्षण एवं विकास “निरंतर अध्ययन—निरंतर प्रगति” के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारी केवल तकनीकी दक्षताओं से ही सुसज्जित न हों, बल्कि उनमें उचित सोच, ग्राहक उन्मुख दृष्टिकोण तथा नेतृत्व क्षमता भी विकसित हो। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हमारा दृष्टिकोण केवल प्रशिक्षण प्रदान करने से आगे बढ़कर क्षमता निर्माण पर केंद्रित रहा, जिसमें निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया:

- भविष्य के लिए आवश्यक कौशलों का विकास
- कर्मचारियों के कल्याण एवं सहभागिता को बढ़ावा देना
- नेतृत्व क्षमता को मजबूत करना
- डिजिटल एवं स्व-गति (स्वयं के अनुसार सीखने) आधारित शिक्षण व्यवस्था को प्रोत्साहित करना

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताएँ:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने क्षमता निर्माण, कर्मचारी सहभागिता तथा समग्र विकास पर विशेष ध्यान देते हुए अपने प्रशिक्षण तंत्र को और मजबूत किया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि यह व्यापारिक प्राथमिकताओं एवं उभरती हुई उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

क की प्रशिक्षण व्यवस्था, जिसमें स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय (एसटीसी), आईटीटीआई तथा अन्य प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं, प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। कक्षा प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा अनुभवात्मक कार्यशालाओं के संतुलित उपयोग से अधिक कर्मचारियों तक प्रशिक्षण पहुँच सका तथा सीखने के परिणामों में सुधार हुआ है।

क. कार्यात्मक एवं तकनीकी प्रशिक्षण

- ऋण मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन तथा कोषागार संचालन
- नियामकीय अनुपालन, आईटीआईएल प्रशिक्षण एवं प्रमाणन तथा लेखा परीक्षा (ऑडिट) की तैयारी।
- डिजिटल बैंकिंग, जनरेटिव एआई (जन एआई) एवं मशीन लर्निंग (एमएल) पर प्रशिक्षण शिविर तथा फिनटेक के प्रति जागरूकता।

ख. व्यवहारिक एवं व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण

- ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता
- संवाद कौशल एवं पारस्परिक संबंधों की प्रभावशीलता
- नेतृत्व के प्रति सजगता तथा प्रबंधकीय प्रभावशीलता पर सत्र

ग. प्रारंभिक (इंडक्शन) एवं भूमिका-आधारित प्रशिक्षण

- नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए सुव्यवस्थित प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- बीडीओ, शाखा प्रमुखों तथा परिचालन कर्मचारियों के लिए उनकी भूमिका के अनुसार प्रशिक्षण

घ. नेतृत्व विकास पहल

- वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास योजना (एलडीपी)
- मूल्यांकन केंद्र आधारित विकासात्मक पहल
- बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से कोचिंग एवं मार्गदर्शन सत्र आयोजित करना

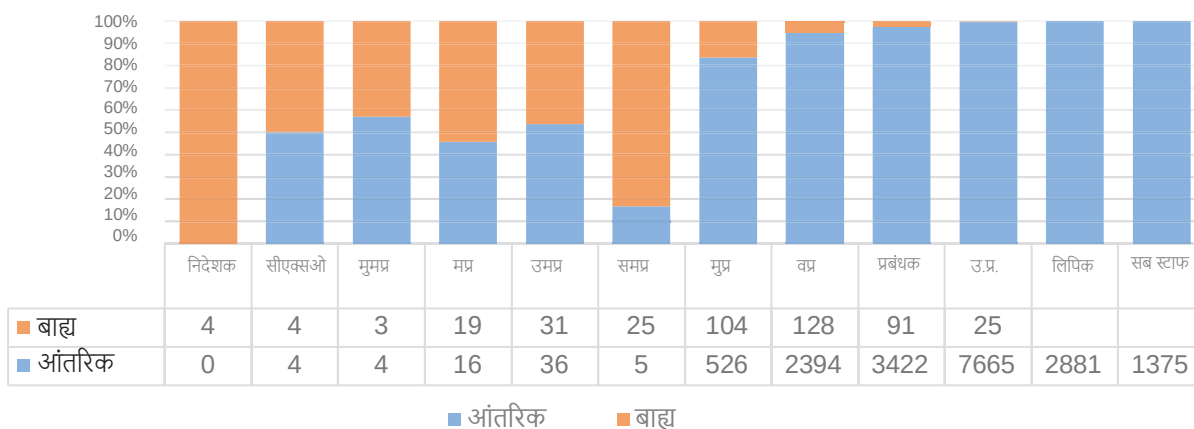
ड. विशेषीकृत एवं विषयगत कार्यक्रम

- दिव्यांग (पीडबल्यूडी) कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
- कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र पर विदेशी प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण-सह-परिचय भ्रमण
- महिला सशक्तीकरण एवं समावेशन से संबंधित पहलें

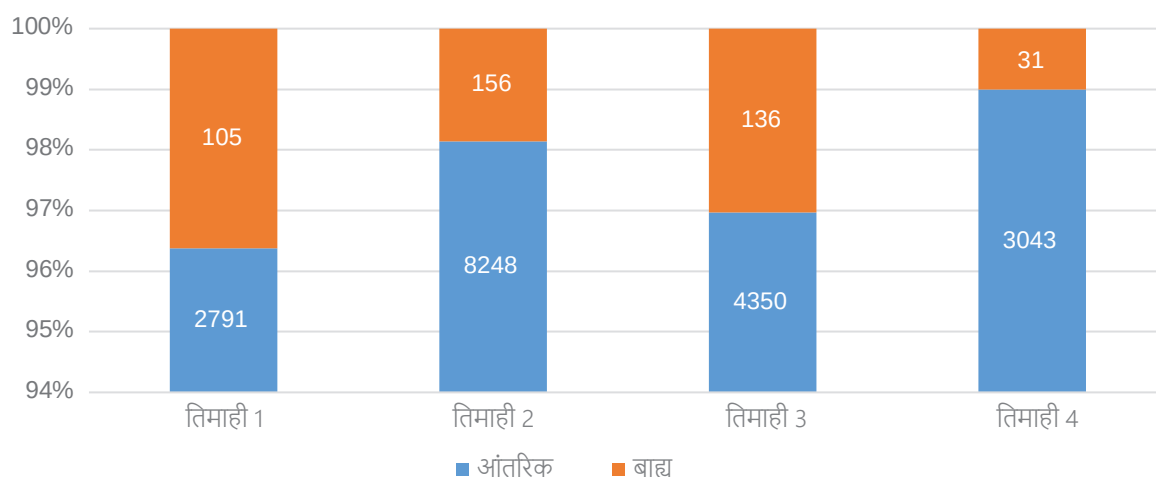


मुख्य मापदंड	मार्च 2025 (वास्तविक)	मार्च 2026 (वास्तविक)
विशिष्ट प्रशिक्षण पहलों की संख्या	11,169	14,551
प्रशिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या	18,754	18,432
विदेश/विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	9
कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंतरिक)	374	214
कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (बाह्य)	118	101
ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंतरिक)	42	18
ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बाह्य)	8	01
आईसीटी के माध्यम से वेबिनार का उपयोग	22	24
आईसीटी के माध्यम से पॉडकास्ट का उपयोग	16	2
अंतर-बैंक प्रशिक्षण	7	1
एलएमएस पर प्रश्नोत्तरी तथा कौशल अंतर विश्लेषण	36+	42

संवर्ग-वार कर्मचारी प्रशिक्षण



तिमाहीवार कर्मचारी प्रशिक्षण





- मानसिक स्वास्थ्य एवं “प्रसव उपरांत के बाद की परेशानी (पोस्टपार्टम ब्लूज़)” पर विशेष वेबेक्स सत्र आयोजित किए गए, जिनसे लगभग 1600 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित हुए।
- निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संशोधित प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम जोड़े गए।
- महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जिनमें कुछ परिस्थितियों में अंतर-क्षेत्रीय तबादले से छूट शामिल है।
- बैंक ने अपनी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए सभी कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सराहना स्वरूप नकद पुरस्कार भी प्रदान किए।

प्रौद्योगिकी एवं नीतियों का विकास

- मानव संसाधन विभाग ने कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आईटी आधारित प्लेटफार्मों का उपयोग किया और समेकित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) लागू की, जिससे कर्मचारियों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। मानव संसाधन नीतियों की नियमित समीक्षा से यह सुनिश्चित किया गया कि वे उद्योग की श्रेष्ठ प्रथाओं एवं नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप हों। हितधारकों के साथ संवाद के माध्यम से समावेशन एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया।
- तकनीक आधारित सीखने के समाधान: कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण में तकनीक का प्रभावी उपयोग किया गया। इसके अंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षक द्वारा सत्र, छोटे शिक्षण मॉड्यूल, पॉडकास्ट, सेमिनार, एचआरएमएस पर ई-लर्निंग मॉड्यूल तथा क्विज प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जो कर्मचारियों में तकनीक आधारित सीखने को बढ़ावा देने की प्रमुख पहलें हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सक्षम एवं उत्साही कार्यबल के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। भर्ती, प्रशिक्षण, विविधता तथा कर्मचारी कल्याण से संबंधित रणनीतिक पहलों के माध्यम से बैंक ने संगठन की निरंतर प्रगति के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार किया है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को सक्षम बनाया है।



साइबर सुदृढ़ता को

मजबूत करना एवं बैंक के डिजिटल भविष्य

को सुरक्षित बनाना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में साइबर सुरक्षा हमारी डिजिटल विकास रणनीति का एक आधारभूत स्तंभ है। जैसे-जैसे बैंक डिजिटल रूप से सक्षम उत्पादों, ग्राहक-केंद्रित प्लेटफॉर्मों तथा रीयल-टाइम बैंकिंग सेवाओं का विस्तार कर रहा है, साइबर सुरक्षा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि ग्राहकों का विश्वास सुरक्षित बना रहे, सेवाओं की निरंतरता बनी रहे तथा बैंक के विस्तारित डिजिटल दायरे की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

बैंक अपनी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करते हुए, निगरानी ढांचे को उन्नत करते हुए तथा उभरते नियामकीय, प्रौद्योगिकीय एवं जीखिम परिदृश्य के अनुरूप अपनी कार्यप्रणालियों का समायोजन करते हुए एक सुरक्षित, सुदृढ़ एवं भविष्य-उन्मुख बैंक के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है।

क) रणनीतिक एवं बहु-स्तरीय सुरक्षा दृष्टिकोण:

बैंक ने तीन प्रमुख स्तंभों में विस्तारित, डिफेंस-इन-डेप्थ एवं ज़ीरो ट्रस्ट सिद्धांतों पर आधारित एक व्यापक साइबर सुरक्षा रणनीति अपनाई है:



1. डिजिटल चैनलों एवं ग्राहक संपर्क बिंदुओं की सुरक्षा:

इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एपीआई-आधारित सेवाओं तथा डिजिटल ऋण इकोसिस्टम में तीव्र वृद्धि के साथ, ग्राहक सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि बना हुआ है।

बैंक निरंतर अनुप्रयोग सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, रीयल-टाइम निगरानी लागू करता है, प्रमाणीकरण तंत्र को मजबूत बनाता है तथा सुरक्षित एवं निर्बाध डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करने हेतु धोखाधड़ी पहचान की उन्नत प्रणालियों को नियोजित करता है।

पहल को और सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए, बैंक ने “कवच – एक साइबर सुदृढ़ता पहल” नामक अभियान प्रारंभ किया है तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ विभिन्न उद्योग-मान्य सुरक्षा सॉल्यूशन्स की खरीद एवं उनका क्रियान्वयन किया है।



2. सुदृढ़ सुशासन एवं अनुपालन का कार्यान्वयन:

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साइबर सुरक्षा निर्देशों, डीपीएससी दिशानिर्देशों, सीईआरटी-आईएन के निर्देशों तथा क्षेत्रीय परामर्शों सहित नियामकीय ढाँचों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करता है।

सक्रिय सुरक्षा आकलन, समय-समय पर साइबर अभ्यास, आंतरिक रेड-टीमिंग गतिविधियाँ, विक्रेता जोखिम प्रबंधन तथा सतत ऑडिट अनुपालन सुनिश्चित करना सुदृढ़ अनुपालन एवं परिचालन अनुशासन को सुनिश्चित करता है।

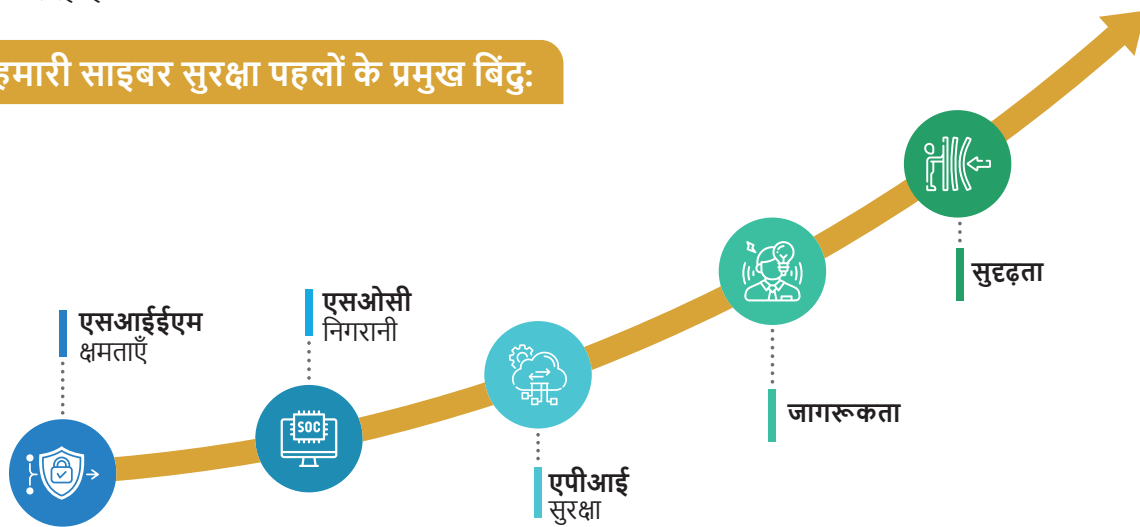
बैंक की सुरक्षा स्थिति को उसके आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन द्वारा और सुदृढ़ किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सूचना सुरक्षा प्रबंधन मानकों के अनुपालन को दर्शाता है, तथा पीसीआई डीएसएस 4.0 प्रमाणन द्वारा, जो सभी भुगतान-संबंधित प्रणालियों में कार्डधारक डेटा के सुरक्षित प्रबंधन एवं संरक्षण को सुनिश्चित करता है।

3. विस्तार योग्य एवं भविष्य हेतु तैयार साइबर सुरक्षा आर्किटेक्चर का निर्माण:

बैंक पारिस्थितिकी जागरूकता एवं सुदृढ़ता को बढ़ाने हेतु आधुनिक सुरक्षा प्लेटफॉर्मों में बैंक स्तर पर निवेश निरंतर जारी है।

बैंक एक सुदृढ़ एवं अनुकूलनशील सुरक्षा वातावरण स्थापित करने हेतु एंडपॉइंट सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, नेटवर्क सेगमेंटेशन को सुदृढ़ कर रहा है, ज़ीरो ट्रस्ट सिद्धांतों को लागू कर रहा है, उन्नत जोखिम संरक्षण उपायों को अपनाता है, सुरक्षित क्लाउड अपनाने को प्रोत्साहित करता है तथा सुरक्षा स्वचालन को विस्तारित कर रहा है।

(ख) हमारी साइबर सुरक्षा पहलों के प्रमुख बिंदु:



जोखिम की पहचान एवं प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करना

- रीयल-टाइम जोखिम निगरानी हेतु एसआईईएम क्षमताएँ
- उन्नत मैलवेयर सुरक्षा एवं व्यवहार विश्लेषण
- 24x7 सुदृढ़ सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) निगरानी
- सक्रिय पहचान एवं रोकथाम हेतु बहु-स्तरीय सुरक्षा समाधान

अनुप्रयोग एवं एपीआई सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

- नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं का अनुपालन
- समय-समय पर अनुप्रयोग सुरक्षा परीक्षण, स्रोत कोड समीक्षा तथा रेड-टीम अभ्यास
- एपीआई सुरक्षा, बॉट संरक्षण तथा डीडीओएस प्रणाली

साइबर सुदृढ़ता को सुदृढ़ करना

- हितधारकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ अवसंरचना
- तत्परता का आकलन हेतु टेबल-टॉप अभ्यास एवं अनुकरणात्मक साइबर अभ्यास
- उन्नत बैकअप रणनीतियाँ, आरटीओ/आरपीओ के साथ समुचित सामंजस्य एवं पुनर्प्राप्ति तत्परता

सुदृढ़ सुशासन एवं अनुपालन

- नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुपालन की समय-समय पर समीक्षा
- वेंडर जोखिम प्रबंधन एवं तृतीय पक्ष सुरक्षा आकलनों का सुदृढ़ीकरण
- प्रबंधन एवं नियामकों को समयबद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
- सुरक्षा-बाय-डिज़ाइन समीक्षा के माध्यम से डिजिटल एवं आईटी परियोजनाओं पर बढ़ी हुई निगरानी

साइबर जागरूकता एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना

- बैंक-व्यापी साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान
- फिशिंग सिमुलेशन एवं टेबल-टॉप अभ्यास के माध्यम से कर्मचारियों के लिए लक्षित प्रशिक्षण
- उभरते धोखाधड़ी के तरीकों का मुकाबला करने हेतु ग्राहक-केंद्रित साइबर सुरक्षा एसएमएस/ईमेल अभियान
- ग्राहकों में बेहतर जागरूकता एवं समझ विकसित करने हेतु सोशल मीडिया मंचों पर वीडियो श्रृंखला



ग) क्षेत्र-व्यापी सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सहयोग:

बैंक क्षेत्रीय संस्थानों एवं राष्ट्रीय साइबर एजेंसियों के साथ निरंतर सक्रिय रूप से सहयोग करता है। आईबी-सीएआरटी, डीएससीआई की सदस्यता तथा उद्योग मंचों में सहभागिता के माध्यम से बैंक क्षेत्र-व्यापी सूचनाओं के आदान-प्रदान, समन्वित साइबर सुरक्षा प्रयासों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के अंगीकरण में योगदान देता है।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

1. आईबी सीएआरटीकी सदस्यता
2. डीएससीआई की सदस्यता
3. उद्योग मंचों में सहभागिता

1. क्षेत्र-व्यापी सूचना साझाकरण
2. समन्वित साइबर सुरक्षा प्रयास
3. वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अंगीकरण

घ) भविष्य हेतु तैयार साइबर रक्षा संरचना का निर्माण

इन पहलों के माध्यम से बैंक सुरक्षित, सुदृढ़ एवं विश्वसनीय डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है तथा बैंक की समग्र साइबर सुदृढ़ता को निरंतर मजबूत करता जा रहा है।



प्रगतिशील अनुपालन रूपरेखा के माध्यम से आंतरिक सुदृढ़ता एवं हितधारकों के विश्वास का निर्माण

बैंक के सुशासन दर्शन तथा दीर्घकालिक सातत्य के लिए एक सुदृढ़ एवं प्रभावी अनुपालन रूपरेखा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षों से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक स्वतंत्र अनुपालन कार्य, सक्रिय जोखिम प्रबंधन तथा नैतिक एवं उत्तरदायी बैंकिंग की संस्कृति के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। इन सिद्धांतों के अनुरूप, बैंक ने एक सुव्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित अनुपालन तंत्र स्थापित किया है, जो निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन को उच्च स्तर के विनियामक अनुपालन एवं आचरण मानकों को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता को बढ़ाने, संगठन में जागरूकता को सुदृढ़ करने तथा व्यवसायिक कार्यकलापों को समयबद्ध मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से सहयोग प्रदान करने पर निरंतर फोकस किया। बैंक के प्रयास इस दिशा में केंद्रित रहे कि अनुपालन को व्यवसायिक प्रक्रियाओं में सहज रूप से समाहित किया जाए तथा बैंक के सभी स्तरों पर साझा उत्तरदायित्व की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए।

प्रमुख पहलें

स्वतंत्र अनुपालन अभिशासन

बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय, पुणे में एक समर्पित अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि अनुपालन संबंधी विषयों पर उद्देश्यपूर्ण रूप से विचार किया जाए तथा रणनीतिक एवं परिचालनात्मक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनका समुचित समन्वय किया जाए।

अनुपालन कार्य व्यवसाय तथा लेखा-परीक्षण कार्यों से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, जिससे यह निष्पक्ष मूल्यांकन एवं परामर्श प्रदान करने में सक्षम होता है। यह शासन संरचना पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करता है।



निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन की सहभागिता

निदेशक मंडल तथा एसीबी (बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति) सक्रियता से अनुपालन कार्य की निगरानी करते हैं। महत्वपूर्ण विषयों, जिनमें प्रमुख अनुपालन संबंधी मामले भी शामिल हैं, को आवधिक रूप से उनके संज्ञान में लाया जाता है। साथ ही प्रारंभ किए गए सुधारात्मक उपायों की जानकारी भी प्रदान की जाती है। इससे तथ्यात्मक एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित होता है तथा मुद्दों के सक्रिय समाधान के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता सुदृढ़ होती है। बैंक द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन के साथ नियमित संवाद एवं सहभागिता भी बनाए रखी जाती है, जिससे उभरते हुए अनुपालन जोखिमों एवं प्रमुख विकासों पर प्रबंधन का समुचित ध्यान सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यवेक्षी एवं विनियामक अनुपालन

बैंक द्वारा पर्यवेक्षी टिप्पणियों एवं विनियामक अपेक्षाओं की समन्वित निगरानी के माध्यम से अनुपालन पर्यवेक्षण को निरंतर सुदृढ़ करना जारी रखा गया। इस बात पर विशेष बल दिया गया कि सुधारात्मक उपाय न केवल लागू किए जाएँ, बल्कि प्रक्रिया सुधार एवं प्रणालीगत सुदृढ़ीकरण के माध्यम से उन्हें दीर्घकाल तक प्रभावी रूप से बनाए रखा जाए। इस दृष्टिकोण से अनुपालन में एकरूपता सुनिश्चित करने में सहायता मिली तथा विनियामक एवं पर्यवेक्षी कार्यों के प्रति बैंक की तत्परता और सुदृढ़ हुई।

अनुपालन कार्य का प्रौद्योगिकी आधारित सुदृढ़ीकरण

बैंक द्वारा अनुपालन कार्य को और प्रभावी बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का सतत उपयोग किया गया। अनुपालन गतिविधियों, विनियामक संप्रेषणों तथा की गई कार्यवाही रिपोर्ट के केंद्रीकृत अनुवर्तन हेतु 'अनुपालन मित्र (Anupalan MITRA)' जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया। डिजिटल मंचों ने पूरे संस्थान के स्तर पर अनुपालन परीक्षण तथा प्रबंधन रिपोर्टिंग को आधार प्रदान किया। प्रौद्योगिकी सक्षमता ने विभिन्न कार्यों में दृश्यता (विजिबिलिटी), ऑडिट ट्रेल तथा समन्वय में सुधार किया।

एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति का निर्माण

यह मानते हुए कि प्रभावी अनुपालन, परिचालन स्तर पर जागरूकता तथा उत्तरदायित्व लेने पर निर्भर है, बैंक ने अनुपालन संस्कृति को सुदृढ़ बनाने हेतु अनेक पहलें कीं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:



अनुपालन संस्कृति और जागरूकता

सशक्त अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने वाले चार प्रमुख कार्य

मासिक अनुपालन न्यूजलेटर्स:

सभी को अनुपालन संबंधी मामलों से अवगत रखने हेतु नियमित अद्यतन।



मासिक अनुपालन प्रश्नोत्तरी:

ज्ञान का परीक्षण करने और अनुपालन जागरूकता को मजबूत करने के लिए तैयार की गई एक आकर्षक मासिक प्रश्नोत्तरी।



आरबीआई दिशानिर्देश/ अधिसूचना सार (हिंदी और अंग्रेजी) में:

प्रमुख आरबीआई दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं का हिंदी और अंग्रेजी में सरल सारांश।



साझा जिम्मेदारी की संस्कृति

सभी स्तरों पर दायित्व (ओनरशिप) और जवाबदेही को बढ़ावा देना।



साथ मिलकर, हम अनुपालन, सत्यनिष्ठा और विश्वास की संस्कृति का निर्माण करते हैं।

इन पहलों से क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारियों के मध्य बेहतर समझ विकसित हुई, सहभागिता को प्रोत्साहन मिला, तथा विनियामक आवश्यकताओं के अधिक सुसंगत कार्यान्वयन में योगदान प्राप्त हुआ।

Capacity Building and Advisory

बैंक विनियामकीय व्याख्या एवं व्यवसायिक इकाइयों के लिए मार्गदर्शन हेतु एक केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में निरंतर कार्य करता रहा। संरचित अध्ययन एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अनुपालन कार्मिकों एवं कार्यपालकों को बैंकिंग विनियमों, कॉरपोरेट प्रशासन, जोखिम प्रबंधन तथा पर्यवेक्षणीय प्रथाओं में हो रहे विकासों से अद्यतन रखने पर विशेष बल दिया गया।

अनुपालन कार्मिकों को समीक्षा एवं परीक्षण कार्य करने हेतु भी सक्षम बनाया गया है, तथा उपयुक्त परिस्थितियों में बाह्य विशेषज्ञता प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इससे सुदृढ़ता एवं उद्देश्यपूर्ति में वृद्धि हुई है, जो बैंक के मार्गदर्शक सिद्धांत 'व्यवसाय प्रथम, अनुपालन सदा' के अनुरूप है।



पूरे बैंक में उत्कृष्ट ऋण निगरानी का अनुपालन

बैंक ने एक व्यापक ऋण निगरानी सिस्टम स्थापित किया है, जिसमें निगरानी, अनुपालन, विश्लेषण तथा वसूली प्रणालियाँ सम्मिलित हैं। यह ढांचा ऋण पोर्टफोलियो की एंड-टू-एंड दृश्यता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्ति गुणवत्ता को सुदृढ़ करना, जोखिम पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाना तथा शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय में एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्मों एवं केंद्रीकृत नियंत्रणों के माध्यम से सक्रिय निगरानी को सक्षम करना है।

निगरानी एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म



डीसीआरआई

अनुपालन एवं प्रलेखन



लेखा परीक्षण पोर्टल



स्वचालित ऋण नोटिंग प्रणाली

वसूली एवं क्षेत्रीय निगरानी



अर्जुन ऐप



एलटीसी



स्वचालित वसूली प्रणाली



फील्ड प्लस ऐप

एआई एवं उन्नत विश्लेषण



एआई आधारित पूर्वानुमानित वसूली मॉडल



इकाई संबंध एवं लेनदेन मैट्रिक्स



रोल फॉरवर्ड एवं रोल बैकवर्ड डैशबोर्ड



वास्तविक समय निगरानी एवं अलर्ट



सुदृढ़ अनुपालन एवं प्रलेखन



स्मार्ट वसूली एवं क्षेत्रीय कार्यकुशलता



डेटा आधारित अंतर्दृष्टि एवं बेहतर निर्णय



निगरानी एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म

- बैंक उन्नत डिजिटल निगरानी उपकरणों का सतत उपयोग कर पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने तथा जोखिमों की प्रारंभिक पहचान को सक्षम करने हेतु प्रयासरत है।
- डीसीआरआई प्लेटफॉर्म रीयल टाइम डैशबोर्ड प्रदान करता है, जिसमें एसएमएस/ई-मेल अलर्ट तथा 24x7 निगरानी क्षमताएँ उपलब्ध हैं। ई-वाहन पोर्टल बैंक चार्ज सत्यापन तथा धोखाधड़ी की रोकथाम में सहायक है।
- इकाई संबंध एवं लेन-देन नेटवर्क डैशबोर्ड निधि प्रवाह के पैटर्न तथा संबंधित पक्षों के जोखिम अनावरण की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।
- एसएमए मूवमेंट डैशबोर्ड परिसंपत्ति गुणवत्ता में रोल-फॉरवर्ड एवं रोलबैक परिवर्तनों की निगरानी करता है, जिससे समयबद्ध हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

अनुपालन एवं दस्तावेज़ीकरण प्रणालियाँ

- सुशासन एवं निगरानी मानकों को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन एवं दस्तावेज़ीकरण प्रणालियाँ लागू की गई हैं।
- ऑडिट पोर्टल वास्तविक समय में अनुपालन ट्रेकिंग एवं लेखा-परीक्षा निगरानी को सक्षम बनाता है, जिससे पर्यवेक्षण तंत्र में सुधार होता है।
- स्वचालित लोन नोटिंग ऋण टिप्पणीकरण प्रणाली प्रस्तावों एवं स्वीकृति के रुझानों की निगरानी में सहायक है, जिससे ऋण प्रक्रियाओं की समरूपता, नियंत्रण तथा उन्नत विश्लेषणात्मक समीक्षा सुनिश्चित होती है।

वसूली एवं क्षेत्रीय निगरानी

बैंक ने प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रीय निगरानी पहल के माध्यम से अपने वसूली ढाँचे को सुदृढ़ किया है:

- अर्जुन एप्लीकेशन दबावग्रस्त आस्तियाँ की जियो-टैग्ड निगरानी को सक्षम बनाता है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर दृश्यता एवं जवाबदेही में वृद्धि होती है।
- ऋण ट्रेकिंग प्रकोष्ठ (एलटीसी) अनुवर्ती कार्यवाही एवं परिसंपत्ति उन्नयन के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर के रूप में कार्य करता है।
- स्वचालित वसूली प्रणाली संबद्ध खातों से उसी दिन वसूली को सुगम बनाती है, जिससे संकलन दक्षता एवं तत्परता क्षमता में सुधार होता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उन्नत विश्लेषण पहल

बैंक पूर्वानुमान आधारित निगरानी एवं वसूली को सुदृढ़ करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उन्नत विश्लेषण को सक्रिय रूप से अपनाया रहा है:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित पूर्वानुमानित कलेक्शन मॉडल सक्रिय हस्तक्षेप हेतु जोखिम वर्गों (P1, P2, P3) की पहचान करते हैं।
- फील्ड प्लस मोबाइल एप्लीकेशन क्षेत्रीय अभिकर्ताओं को निगरानी एवं वसूली प्रयासों में सहायता प्रदान करता है।
- दबावग्रस्त आस्तियाँ से संबंधित स्थल-स्तरीय निरीक्षणों की ट्रेकिंग एवं निगरानी को सक्षम बनाने हेतु 'स्ट्रेस्ड एसेट्स विज़िट पोर्टल' कार्य करता है।



डिजिटल रूपांतरण को गति प्रदान करना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमारा मानना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी से सशक्त बैंकिंग उत्पाद, सेवाएँ एवं प्लेटफॉर्म हमारे ग्राहकों को बैंकिंग की सुविधा में वृद्धि कर सशक्त बनाएंगे, सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक लाभ सृजित करेंगे तथा 'डिजिटल इंडिया' की स्थापना के हमारे साझा उद्देश्य को गति प्रदान करेंगे।

बैंक के डिजिटल रूपांतरण हेतु व्यापक एवं बहुवर्षीय रणनीति में ग्राहक अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए ग्राहक सेवाओं एवं माध्यमों का डिजिटलीकरण, ग्राहकों की तेजी से बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल-प्रथम बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करना, परिचालन कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनुकूलित इन-हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग तथा बैंक के भविष्य के विकास के लिए मजबूत, लचीली, विस्तार योग्य एवं उत्तरदायी प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को विकसित करना शामिल है।



डिजिटल माध्यमों से
सक्षम ग्राहक सेवाएँ
एवं चैनल, उत्कृष्ट
अनुभव प्रदान करने हेतु



ग्राहकों की बदलती
आवश्यकताओं की
पूर्ति हेतु डिजिटल-प्रथम
बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएँ



परिचालन प्रक्रियाओं को
सुव्यवस्थित करने हेतु
विकसित इन-हाउस
डिजिटल प्लेटफॉर्म



भविष्य हेतु तैयार प्रौद्योगिकी,
सूचना एवं डेटा अवसंरचना



हम अपनी डिजिटल रणनीति को सुदृढ़ बनाने हेतु फिनटेक कंपनियों एवं अन्य संगठनों सहित व्यापक वित्तीय सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सहभागिता को निरंतर प्राथमिकता देते हैं तथा इसके लिए विविध भागीदारी नेटवर्क स्थापित करते हैं।

वर्ष भर के दौरान, हमने अपने डिजिटल रूपांतरण एवं प्रौद्योगिकी यात्रा के अगले चरण की शुरुआत की, जो एक भविष्य-उन्मुख बैंक के रूप में स्थापित होने के हमारे प्रयासों को सशक्त बनाएगा। बैंक डिजिटलीकरण को तीव्र करने, निरंतर नवाचार करने तथा उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए प्रगति करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डिजिटल स्वीकृति को सुदृढ़ करना तथा ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग को सशक्त बनाना

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने डिजिटल पहुंच बिंदुओं का विस्तार, ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा बहु-चैनल सेवा प्रदाय को सुदृढ़ करते हुए विभिन्न ग्राहक वर्गों में डिजिटल अपनाने को निरंतर प्रोत्साहित किया। बैंक के डिजिटल पारितंत्र ने ग्राहकों को मोबाइल, इंटरनेट, स्व-सेवा एवं सहायक चैनलों के माध्यम से निर्बाध रूप से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान की, जिससे डिजिटल लेनदेन तथा ग्राहक सहभागिता में सतत वृद्धि हुई। सुविधा में वृद्धि, सेवा प्रदाय में तीव्रता तथा कागजरहित बैंकिंग अनुभव को बढ़ावा देने पर केंद्रित डिजिटल पहले अपनाई गई। वीडियो केवाईसी आधारित ऑनबोर्डिंग, डिजिटल नॉमिनेशन, यूपीआई आधारित भुगतान एवं मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से बैंक ने पहुंच को और बेहतर बनाया, साथ ही 'डिजिटल इंडिया' की व्यापक परिकल्पना को समर्थन प्रदान किया।

हमारे डिजिटल मापदंड*

Rs.11,400 करोड़ डिजिटल माध्यम से संकलित कुल व्यवसाय	36% मोबाइल बैंकिंग लेनदेन में वृद्धि
46,000+ वीडियो केवाईसी के माध्यम से खोले गए बचत खाते	34% यूपीआई लेनदेन में वृद्धि
7,25,000+ डिजिटल चैनलों के माध्यम से पंजीकृत नामांकन	15,800+ प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋणों का डिजिटल माध्यम से वितरण

*सभी संख्याएँ 31.03.2026 की हैं

प्रौद्योगिकी के माध्यम से बैंकिंग में रूपांतरण

बैंक ने नवोन्मेषी उत्पादों की शुरुआत, स्वचालन-आधारित प्रक्रिया सुधार तथा रणनीतिक प्रौद्योगिकी निवेश के माध्यम से अपनी डिजिटल क्षमताओं को निरंतर सुदृढ़ किया। वर्ष के दौरान, कई ग्राहक सेवाओं को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) के माध्यम से डिजिटलीकृत एवं सुव्यवस्थित किया गया, जिससे कार्य निष्पादन में तीव्रता आई, मानवीय हस्तक्षेप में कमी हुई तथा ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ।

बैंक ने उभरती प्रौद्योगिकियों एवं फिनटेक भागीदारी का भी उपयोग करते हुए परिचालन दक्षता में सुधार किया, विस्तार योग्य विकास को समर्थन प्रदान किया तथा ऐसी सुदृढ़ एवं लचीली प्रौद्योगिकी अवसंरचना का निर्माण किया, जो ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है।

शीर्ष स्तर के बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराना एवं उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान करना

- नए मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोग – ज़ेन लाइफ का शुभारंभ
- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का शुभारंभ
- डीजीलीप (डिजिटल लाइएबिलिटी एक्सप्रेस अकाउंट प्लेटफॉर्म) का शुभारंभ
- टीआरआरएसीएस (ट्रेड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस सिस्टम) का क्रियान्वयन
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सेवाओं का उन्नयन
- स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (STP) आधारित ग्राहक सेवाओं का क्रियान्वयन



डिजिटल गोल्ड ऋण	डीएसए प्रक्रिया
पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण	ई-जीएसटी – ईटीबी
पीएम स्वनिधि	ई-ओटीएस
कार्यशील पूंजी का स्वचालित नवीनीकरण	वाहन ऋण – ईटीबी
मुद्रा सीसी / टीएल	केसीसी जनसमर्थ
किसान तत्काल	एमकेसीसी नवीनीकरण
पीएम सूर्यघर	वीकेवाईसी – खाता खोलना
पीएम विश्वकर्मा	ऑनलाइन खाता नामांकन
मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ई-एफडी / आरडी	

प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिचालन कार्यों का सुदृढीकरण एवं डिजिटलीकरण



- उत्पादकता में वृद्धि हेतु 120+ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) प्रक्रियाओं की तैनाती
- नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु 114 फिनटेक भागीदारों का ऑनबोर्डिंग



भविष्य हेतु तैयार अवसंरचना का निर्माण

एटीएम / रिसाइक्लर नेटवर्क का आधुनिकीकरण एवं विस्तार

जैसे-जैसे बैंक एक बड़े और महत्वपूर्ण बैंक बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, डिजिटल रूपान्तरण और भविष्य के अनुरूप बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश इसकी विकास नीति का केंद्र बिन्दु रहेगा।

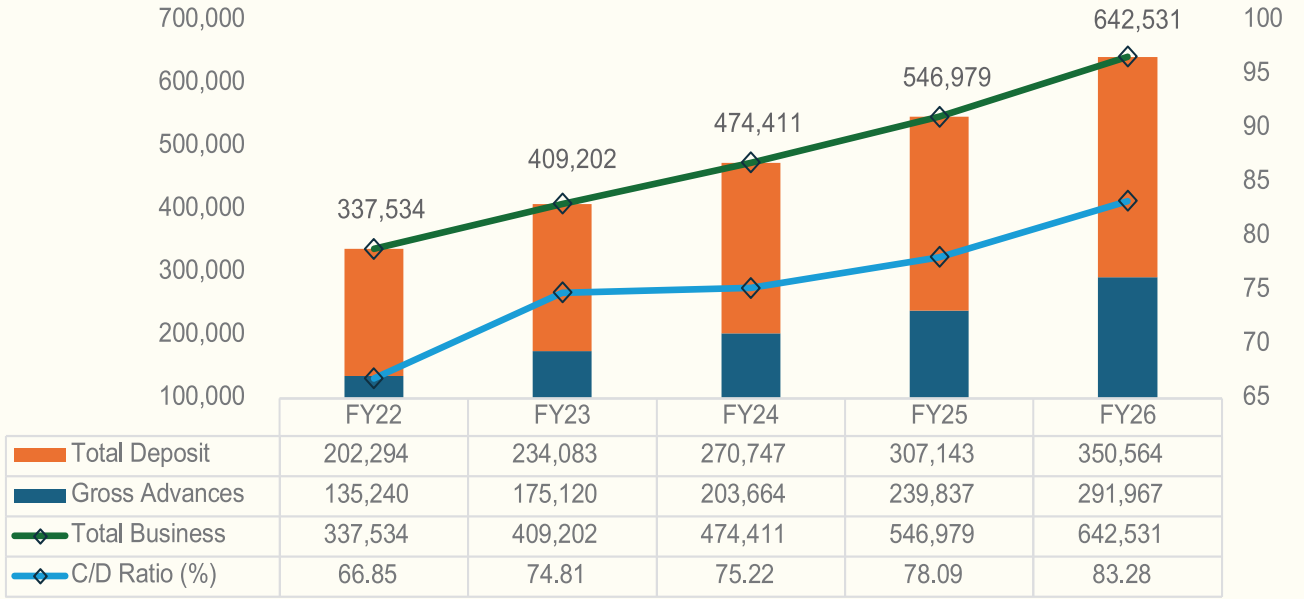
डिजिटल क्षमताओं को सुदृढ़ करके, ग्राहक अनुभव को बढ़ाकर, परिचालन दक्षता में सुधार करके और अपनी प्रौद्योगिकी-सक्षम सुपुर्दगी चैनलों का विस्तार करके, बैंक एक सुदृढ़ और लचीले इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जो ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने और आने वाले वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह अनुकूल व सुस्थापित है।



प्रमुख निष्पादन संकेतक

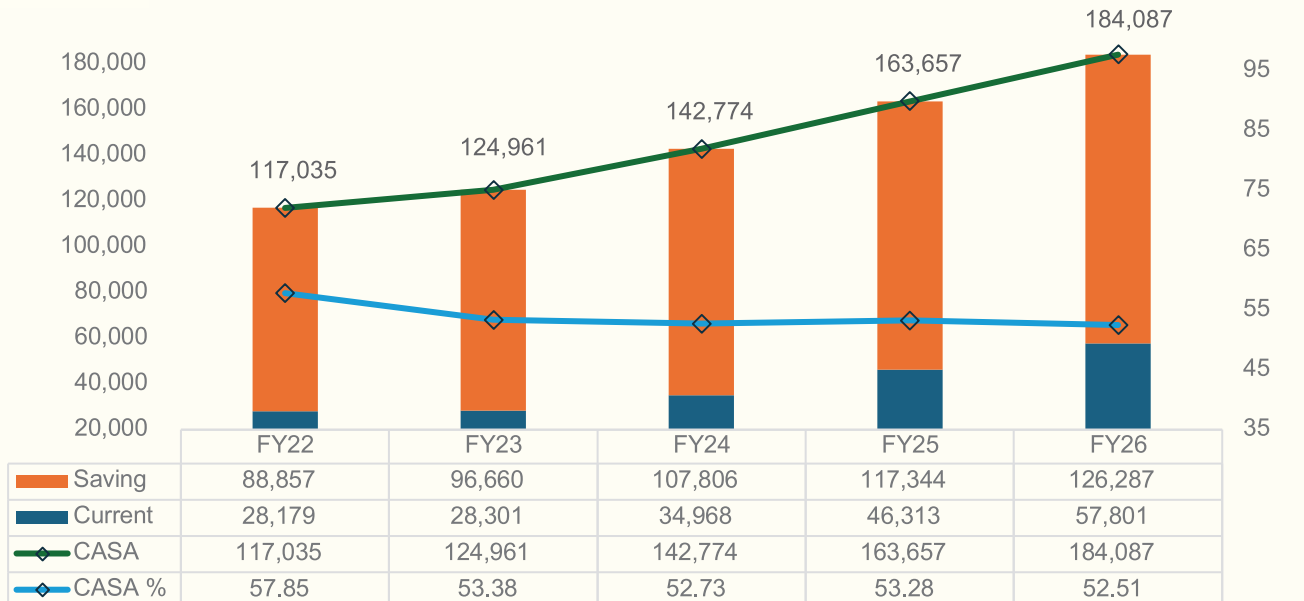
कुल व्यवसाय पिछले पांच वर्षों में

(₹ करोड़ में)



कासा जमाराशि पिछले पांच वर्षों में

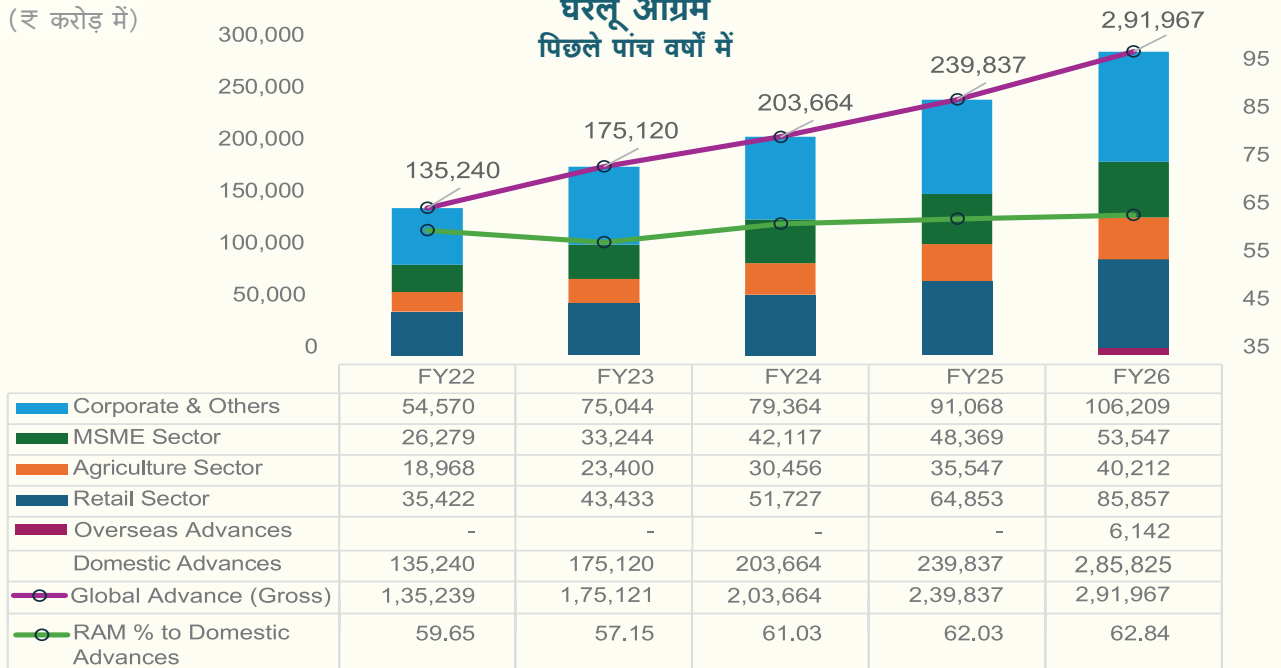
(₹ करोड़ में)



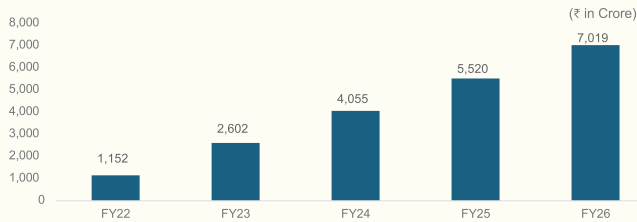


(₹ करोड़ में)

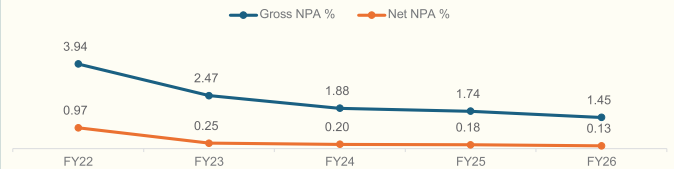
घरेलू अग्रिम पिछले पांच वर्षों में



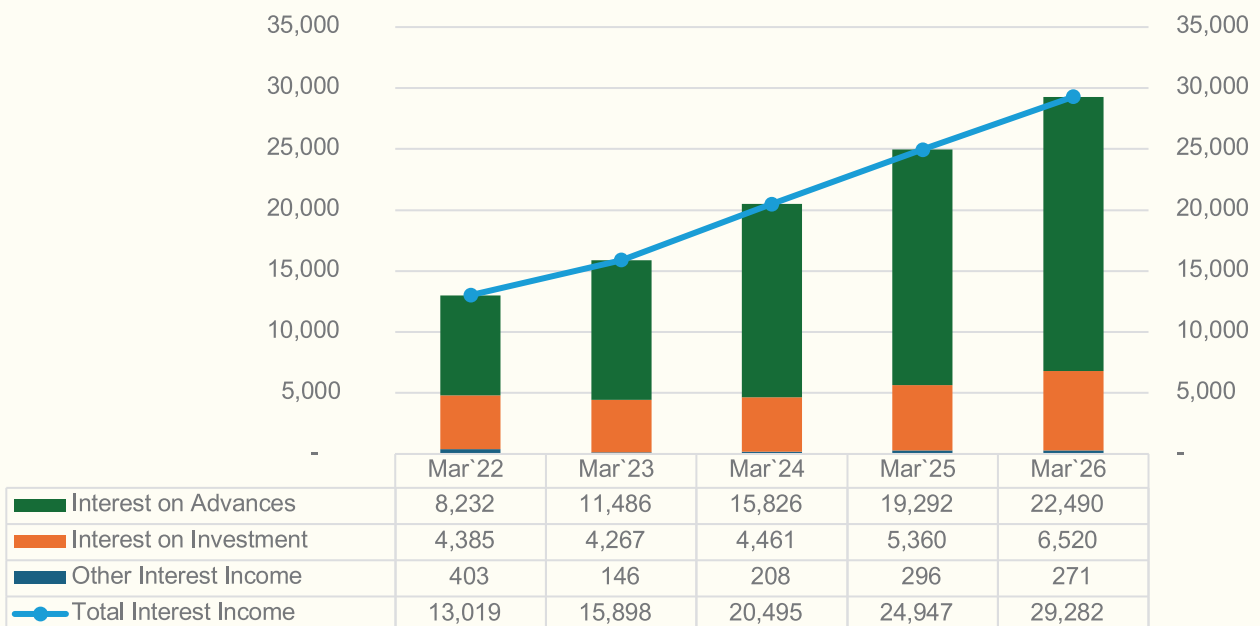
निवल लाभ



सकल एवं निवल एनपीए (%)



ब्याज आय





प्रगति एक नज़र में

(राशि ₹ करोड़ में)

मापदंड	वि.व.22	वि.व.23	वि.व.24	वि.व.25	वि.व.26
प्रदत्त पूँजी	6731	6731	7081	7692	7692
आरक्षितियाँ	7154	8880	12593	20798	25416
कुल जमाराशियाँ	202294	234083	270747	307143	350564
जमा वृद्धि %	16.26	15.71	15.66	13.44	14.14
कासा %	57.85	53.38	52.73	53.28	52.51
सकल अग्रिम	135240	175120	203664	239837	291967
अग्रिम वृद्धि %	25.62	29.49	16.3	17.76	21.74
रिटेल अग्रिम	35422	43433	51727	64853	85857
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	42640	66844	84281	94805	1,12,895
कृषि	18968	23400	30456	35547	40212
एमएसएमई	26279	33244	42117	48369	53547
अल्पसंख्यक वर्ग को अग्रिम	4481	5723	9187	13916	17211
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को अग्रिम	4234	5442	5942	6998	6417
निर्यात ऋण	1385	1715	2168	2374	3273
कुल आय	15672	18179	23493	28402	32823
कुल व्यय	10824	12080	15487	19083	21997
परिचालन लाभ	4848	6099	8005	9319	10826
निवल लाभ	1152	2602	4055	5520	7019
शाखाओं की संख्या	2022	2203	2489	2606	2785
एटीएम की संख्या	2128	2330	1901	2402	2685
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%)					
पूँजी पर्याप्तता अनुपात बेसल III %	16.48	18.14	17.38	20.53	18.36
प्रति शेयर आय (₹ में)	1.72	3.87	5.78	7.48	9.13
बही मूल्य (₹ में)	15.12	18.97	24.26	33.65	39.36
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	26.53	31.53	35.14	37.44	41.07
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाखों में)	9.05	20.05	30.04	37.83	45.01
आस्तियों पर आय %	0.55	1.1	1.5	1.75	1.86
आय से लागत %	44.2	39.14	37.55	38.37	37.08
सकल एनपीए %	3.94	2.47	1.88	1.74	1.45
निवल एनपीए %	0.97	0.25	0.2	0.18	0.13
प्रावधान कवरेज अनुपात %	94.79	98.28	98.34	98.26	98.59
प्राथमिकता ऋण %	40.89	56.77	50.17	46.75	49.50



निदेशकों की रिपोर्ट



निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित तुलन पत्र, लाभ और हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य 2025 -26 : चुनौतियों के बीच सतत विकास

1.1 आर्थिक विकास:

- I. भारतीय अर्थव्यवस्था ने भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति व्यवधान और कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता की विशेषता वाले चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण के बावजूद वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्थिर विकास पथ बनाए रखा।
- II. वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगभग 7.6 प्रतिशत अनुमानित है, जो मजबूत घरेलू मांग, निरंतर सार्वजनिक पूंजी व्यय और निजी निवेश गतिविधि में सुधार से समर्थित है।
- III. आर्थिक गतिविधियाँ वैविध्यपूर्ण बनी रहीं, जिसमें कृषि उत्पादन द्वारा समर्थित स्थिर ग्रामीण माँग और शहरी उपभोग में निरंतर मजबूती शामिल थी।

1.2 मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति पर्यावरण:

- I. मुख्य मुद्रास्फीति 2025-26 के दौरान सहिष्णू सीमा के भीतर बनी रही, जिसमें मुख्य मुद्रास्फीति लगभग 3.7 प्रतिशत और अनुकूल आपूर्ति स्थितियों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई, हालांकि कमोडिटी की कीमतों और मौसम से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण जोखिम बने रहे।
- II. केंद्रीय बजट ने पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे, समावेशी विकास, उत्पादकता और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने जैसी कर्तव्य प्राथमिकताओं पर निरंतर जोर देते हुए समेकन के साथ विकास को संतुलित करते हुए एक विवेकपूर्ण राजकोषीय स्तर बनाए रखा।

1.3 बैंकिंग परिदृश्य:

- I. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने कारोबार में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की। बैंकों का कुल कारोबार रु.283.3 लाख करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 12.8%) तक पहुंच गया। मुख्य क्षेत्रों में ऋण और जमा पोर्टफोलियो में उच्च कोटि की वृद्धि के कारण यह विस्तार हुआ।
- II. बैंकों में बेहतर लागत प्रबंधन और डिजिटल को अपनाने के परिणामस्वरूप आय अनुपात उत्तम बना रहा और परिचालन दक्षता में सुधार हुआ।

1.4 ऋण वृद्धि गतिशीलता:

- I. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल ऋण 31.03.2026 को 127 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें रिटेल, कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के कारण वार्षिक आधार पर 15.7% की वृद्धि दर्ज की गई।
- II. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रिटेल, कृषि और एमएसएमई ऋणों में वार्षिक आधार पर क्रमशः 18.1%, 15.5% और 18.2% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है।

1.5 जमा संग्रहण की चुनौतियाँ:

- I. प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों और तरलता की बदलती गतिशीलता के बीच, वर्ष के दौरान जमा संग्रहण एक प्रमुख केंद्रित क्षेत्र बना रहा।
- II. बैंकों ने ग्राहक जुड़ाव और उत्पाद नवाचार द्वारा समर्थित, ठोस जमा वृद्धि और कासा जुटाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा।

1.6 ब्याज दर रुझान:

- I. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मौद्रिक नीति रुख स्थिर रहा, जिसमें नीतिगत रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रही।
- II. उच्च निधियों की लागत और प्रतिस्पर्धी जमा मूल्य निर्धारण ने पूरे बैंकिंग क्षेत्र में निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव डाला।

1.7 आस्ति गुणवत्ता में सुधार:

- I. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और सकल निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) 31.03.2026 को ऐतिहासिक रूप से निम्नतम स्तर 1.93% पर आ गई हैं। यह सुधार बेहतर वसूली तंत्र, विवेकपूर्ण ऋण मानकों और प्रभावी जोखिम प्रबंधन नीतियों को दर्शाता है।
- II. बेहतर वसूली, कम ऋण स्लिपेज और सुदृढ़ ऋण निगरानी ढांचे के कारण निवल एनपीए 31.03.2026 को घटकर 0.39% रह गए।

1.8 तकनीकी परिवर्तन:

- I. 2025-26 के दौरान डिजिटल बैंकिंग, स्वचालन और विश्लेषण ने परिचालन दक्षता और ग्राहक अनुभव को बढ़ाना जारी रखा। बैंक निर्बाध, एकीकृत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है और उन्नत प्रौद्योगिकियों और साझेदारियों का लाभ उठा रहा है। उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने से बैंकिंग प्रणाली में क्रेडिट निगरानी, धोखाधड़ी का पता लगाने और सेवा वितरण जैसे क्षेत्रों में सुधार हुआ।
- II. **एंड टू एंड डिजिटल यात्राएं**
रिटेल, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में कई डिजिटल यात्राएं



लागू की गई, जिनमें पीएम सूर्यघर, ईडब्ल्यूएस आवास ऋण, पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण, ई-जीएसटी एमएसएमई ऑनबोर्डिंग, डिजिटल मुद्रा, एसएचजी और किसान तत्काल ऋण शामिल हैं।

III. आरबीआईएच के एकीकृत ऋण इंटरफेस के साथ एकीकरण निर्बाध डिजिटल ऋण को सक्षम बनाता है। डिजिटल केसीसी, व्यवसाय ऋण (ईटीबी/एनटीबी), और डिजिटल आवासीय ऋण जैसी आगामी पेशकशें डिजिटल पदचिह्न को और बढ़ाएंगी।

IV. डिजिटल बुनियादी ढांचे में वृद्धि

शाखाओं में डिजिलीप लागू किया गया है जो टैबलेट आधारित खाता खोलने की सुविधा देता है ताकि नियमों का पालन बेहतर हो सके, ग्राहकों का अनुभव बेहतर हो और मैनुअल काम कम हो। इस समाधान का विस्तार अब फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों तक भी किया जा रहा है, ताकि ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया भी तेज हो सके।

V. मोबाइल बैंकिंग परिवर्तन

ज़ेन लाइफ़ मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म बैंकिंग को जीवनशैली सेवाओं के साथ एकीकृत करता है, जो एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव के माध्यम से भुगतान, हस्तांतरण और यात्रा, खरीदारी और भोजन जैसी चुनिंदा सेवाएँ प्रदान करता है।

VI. प्रमुख कार्य बिंदु- भविष्य के लक्ष्य

- क. **सीओई और मानकीकरण स्थापित करें:** निरंतरता, गुणवत्ता और स्केलेबल डिलीवरी को चलाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करें और उद्योग के ढांचे को अपनाएं।
- ख. **एजाइल और उत्तरदायी आईटी वितरण:** निष्पादन में तेजी लाने और व्यावसायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए एजाइल पद्धतियों को शामिल करें।
- ग. **वास्तविक समय, डाटा-आधारित संचालन:** तेजी से निर्णय और परिचालन तेजी का समर्थन करने के लिए लगभग वास्तविक समय डाटा क्षमताओं को सक्षम करें।
- घ. **सुदृढ़ शासन और लचीलापन:** उच्च विश्वसनीयता और निरंतरता के लिए आईएसओ-नेतृत्व वाले शासन और मजबूत घटना प्रबंधन को लागू करें।
- ङ. **एकीकृत परिचालन मॉडल:** दक्षता और निरंतर प्रदर्शन सुधार को चलाने के लिए एक स्तरीय आईटी संरचना (बीए, सीओई, क्यूए, परीक्षण) में बदलाव।

1.9 भारत का आर्थिक और बैंकिंग दृष्टिकोण 2025 -26 और उसके बाद

भारत मजबूत घरेलू मांग, निरंतर सार्वजनिक निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी में सुधार के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 7.6 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थान

निकट अवधि में भारत की वृद्धि 6.5 - 7.0 प्रतिशत की सीमा में अनुमान लगाते हैं, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच इसकी स्थिति को मजबूत करता है।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण, डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन पर सरकार का निरंतर जोर, मध्यम अवधि के विकास का समर्थन करने की उम्मीद है। रोजगार की स्थितियों में सुधार, स्थिर मुद्रास्फीति और पूंजीगत व्यय पर निरंतर ध्यान खपत और निवेश गतिविधि को बनाए रखने की संभावना है।

1.10 सुदृढ़ भविष्य की रूपरेखा

भारत की दीर्घकालिक विकास पथरेखा अनुकूल जनसांख्यिकी, विस्तारित डिजिटल बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के बढ़ते औपचारिकरण द्वारा अच्छी तरह से समर्थित है। विकास भारत विजन के तहत प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें युवा, गरीब, महिलाएँ और अन्नदाता शामिल हैं, समावेशी विकास को मजबूत करने की उम्मीद है, साथ ही एक गतिशील और विकसित आबादी की जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है।

मेक इन इंडिया के माध्यम से विनिर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने पर निरंतर जोर, भारत को वैश्विक आर्थिक गतिविधि के एक प्रमुख चालक और ग्लोबल साउथ के उभरते हुए नेतृत्व के रूप में स्थापित कर रहा है। इसके साथ ही, लाभों की लास्ट-माइल डिलीवरी में सुधार, लक्षित प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन की दिशा में निरंतर प्रयास औपचारिकता में सहायता कर रहे हैं और आर्थिक भागीदारी को बढ़ा रहे हैं।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सतत स्रोतों की ओर परिवर्तन और घरेलू उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना एक विकासशील अर्थव्यवस्था से निकट-विकसित अर्थव्यवस्था में बदलाव का समर्थन कर रहा है।

इस परिवर्तन में बैंकिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें तरलता बफर और तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) को मजबूत करने के लिए जमा जुटाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जबकि ऋण वृद्धि का समर्थन किया जाएगा। मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और उन्नत डिजिटल क्षमताएँ बैंकों को विकसित हो रही ग्राहकों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन का समर्थन करने में सक्षम बनाएंगी।

2

बैंक का प्रदर्शन: प्रमुख मानदंडों पर उल्लेखनीय वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2025 -26)

2.1 बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बेहतर वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया, प्रमुख वित्तीय मापदंडों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की।

- I. **कुल कारोबार 17.47% बढ़ा :** बैंक का कुल व्यवसाय 31 मार्च, 2025 के ₹5,46,979 करोड़ की तुलना में 17.47% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2026 को ₹6,42,531 करोड़ हो गया।



- II. **जमाराशि वृद्धि 14.14%** : कुल जमाराशियां 31 मार्च, 2025 के ₹3,07,143 करोड़ की तुलना में 14.14% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2026 को ₹3,50,564 करोड़ हो गई।
- III. **कासा 12.48% से मजबूत** : कासा जमाराशियां जो कम लागत वाली जमाराशियों की एक प्रमुख संकेतक है, 31 मार्च, 2025 के ₹1,63,657 करोड़ की तुलना में 12.48% की वार्षिक वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2026 को बढ़कर ₹1,84,087 करोड़ रही।
- IV. **ऋण पोर्टफोलियो में 21.74% की वृद्धि** : सकल अग्रिम 31 मार्च, 2025 के ₹2,39,837 करोड़ की तुलना में 21.74% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2026 को ₹2,91,967 करोड़ रहा।
- V. **परिचालन लाभ 16.17% बढ़ा** : परिचालन लाभ 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के ₹9,319 करोड़ की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.17% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2026 को ₹10,826 करोड़ हो गया।
- VI. **निवल लाभ 27.17% बढ़ा** : निवल लाभ 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹5,520 करोड़ की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 27.17% बढ़कर 31 मार्च, 2026 को ₹7,019 करोड़ हो गया।

2.2 वित्तीय अनुपात

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के विभिन्न वित्तीय मानदंड निम्नानुसार हैं:

विवरण	2025-26	2024-25
ईपीएस (रु.)	9.13	7.48
लागत से आय अनुपात (प्रतिशत)	37.08	38.37
आस्तियों पर आय (प्रतिशत)	1.86	1.75
इक्विटी पर आय (प्रतिशत)	23.19	22.92
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	39.36	33.65
प्रति शाखा लाभ (रु. लाख में)	252.04	211.81
प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाख में)	45.01	37.83
प्रति शाखा कारोबार (करोड़ रुपये में)	230.71	209.89
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ रुपये में)	41.20	37.49
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.78	7.92
औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.94	1.10
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)	3.90	4.00
औसत कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.88	2.96
औसत कार्य निधि के प्रतिशत के रूप में कर्मचारी व्यय	0.90	1.09

लाभांश (प्रतिशत)	22.00	15.00
नेटवर्थ (करोड़ में)	30,272.42	25,880.52
सीआरएआर (%)	18.36	20.53
जिसमें से, टियर 1 सीआरएआर (%)	15.41	16.86

2.3 आय, व्यय और लाभप्रदता

वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 28,402 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक की कुल आय बढ़कर ₹ 32,823 करोड़ हो गई।

विस्तृत आय/व्यय घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25	अंतर (%)
ब्याज/अग्रिम/बिल पर छूट	22,490	19,292	16.58
निवेश पर आय	6,520	5,360	21.63
अंतरबैंक ऋण और अन्य ब्याज पर ब्याज	271	296	(8.13)
कुल ब्याज आय	29,282	24,947	17.37
गैर-ब्याज आय	3,541	3,454	2.51
कुल आय	32,823	28,402	15.57
जमा पर ब्याज	13,472	12,295	9.58
उधार और अन्य ब्याज पर ब्याज	2,145	987	117
कर्मचारी व्यय	3,376	3,442	(1.93)
अन्य परिचालन व्यय	3,003	2,358	27.34
कुल गैर-ब्याज व्यय	6,379	5,801	9.97
कुल खर्च	21,997	19,083	15.27
परिचालन लाभ	10,826	9,319	16.17
प्रावधान और आकस्मिकताएँ	3,807	3,799	0.19
निवल लाभ	7,019	5,520	27.17

2.4 न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता दिशानिर्देशों का अनुपालन

- 1 दिसंबर 2025 को, भारत सरकार ने प्रवर्तक के रूप में, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की प्रदत्त पूंजी के 6% का प्रतिनिधित्व करने वाले 46,15,68,297 इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शुरू की और सफलतापूर्वक पूरी की। ओएफएस में बैंक को कोई आय नहीं होने वाले मौजूदा शेयरों की बिक्री शामिल थी।

बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 25% की सेबी की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता का अनुपालन हुआ।



2.5 निवल मूल्य और पूंजी पर्याप्तता अनुपात

- क. निवल मूल्य वृद्धि:** बैंक का निवल मूल्य 31 मार्च, 2025 तक ₹25,880.52 करोड़ से बढ़कर ₹30,272.42 करोड़ हो गई।
- ख. मजबूत पूंजी पर्याप्तता:** 31 मार्च, 2026 तक, पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.36% था, जो बेसल III मानदंडों के तहत 11.50% (पूंजी संरक्षण बफर सहित) की नियामक आवश्यकता से काफी अधिक था। कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) पूंजी अनुपात 14.59% पर मजबूत था।

2.6 लाभांश अनुशंसा

आपके बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर ₹ 1.20 प्रति इक्विटी शेयर (12 %) के लाभांश की अनुशंसा की है। यह दिनांक 13.01.2026 को घोषित और वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹1.00 प्रति इक्विटी शेयर (10%) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

2.7 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

विवरण	31.03.2026 को बकाया	कुल बकाया प्रतिशत	31.03.2025 को बकाया	कुल बकाया प्रतिशत
उद्योग इसमें से	98665	34.52%	79224	33.03%
i. अवसंरचनात्मकता	41337	14.46%	37028	15.44%
ii. रसायन और रासायनिक उत्पाद	3322	1.16%	2100	0.88%
iii. पेट्रोलियम (प्राकृतिक गैस सहित)	3208	1.12%	3998	1.67%
iv. लोहा और स्टील	3298	1.15%	3249	1.35%
v. एनबीएफसी	38350	13.42%	25737	10.73%
vi. इंजीनियरिंग	4135	1.45%	3259	1.36%
vii. निर्माण	852	0.30%	1770	0.74%
viii. अन्य उद्योग	2183	0.76%	2083	0.87%
कृषि	40213	14.07%	35547	14.82%
एमएसएमई	53547	18.73%	48369	20.17%
आवास	49479	17.31%	38346	15.99%
शिक्षा	2992	1.05%	2676	1.12%
निर्यात	3274	1.15%	2145	0.89%
वाणिज्यिक भूसंपदा	7775	2.72%	7367	3.07%
सकल अग्रिम (घरेलू)	285825		239837	

3

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

प्राथमिक क्षेत्र ऋण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता

बैंक समझता है कि एक मजबूत कृषि क्षेत्र और एक हलचल भरा छोटा व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र न्यायसंगत और सतत विकास की रीढ़ है, जैसे एक स्वस्थ शरीर के लिए दो मजबूत पैर। यही कारण है कि हम प्राथमिक

बैंक के सदस्य रजिस्टर में जिनके नाम उल्लिखित होंगे और शुक्रवार, दिनांक 5 जून, 2026 को कारोबार बंद होने के समय पर एन.एस.डी.एल./सी.डी.एस.एल. द्वारा जिनके लाभार्थी स्वामित्व की स्थिति सूचित की जाएगी, उन सदस्यों को अंतिम लाभांश दिया जाएगा।

दिनांक 20 अप्रैल, 2026 को संपन्न निदेशक मण्डल की बैठक में इस अनुशंसा को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही, यह सूचित किया जाता है कि इक्विटी शेयरों पर लाभांश प्राप्त करने हेतु पात्र सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, दिनांक 5 जून, 2026 है। यदि बैंक के शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी जाती है, तो इसका भुगतान वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम, बैंक के सदस्य रजिस्टर में होंगे/डिपॉजिटरीज अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा शुक्रवार, दिनांक 5 जून, 2026 को कारोबार बंद होने के समय तक लाभार्थी स्वामित्व रजिस्टर में दर्ज किए गए होंगे।

क्षेत्र ऋण (पीएसएल) को बहुत गंभीरता से लेते हैं, अनिवार्य लक्ष्य को अच्छे मार्जिन से पार करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, हमने एनबीसी (समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट) का 49.50% का पीएसएल अनुपात प्राप्त किया, यानी ₹ 118374.27 अग्रिम (निवेश सहित)।

3.1 हमारे किसानों को सशक्त बनाना: एक मजबूत नींव का निर्माण

हमारे किसानों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने कृषि को वास्तविक रूप से बढ़ावा देने के लिए



रणनीतियाँ तैयार की हैं:

- I. **मदद का हाथ बढ़ाना:** ₹ 40212.06 करोड़ के कुल बकाया अग्रिम के साथ, हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ₹ 24,401.68 करोड़ के नए ऋण स्वीकृत किए, जो हमारे किसानों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- II. **हमारे किसानों के लिए उज्ज्वल कल का निर्माण:** हम बैंक में अपने कृषि के भविष्य में निवेश करने में दृढ़ विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि आपके बैंक ने निवेश ऋण में 59.31% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹ 16150.96 करोड़ की नई मंजूरी दी गई है। यह पर्याप्त निवेश हमारे किसानों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आधुनिक तकनीकों में निवेश करने के लिए सशक्त बनाता है। ऐसा करके, हमारे किसान लंबे समय में अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होंगे, जिससे उनके और पूरे भारतीय कृषि के लिए एक अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित होगा।
- III. **तरलता को अनलॉक करना:** आपके बैंक के स्वर्ण कृषि ऋण हमारे किसानों के लिए एक गेम-चेंजर रहे हैं। अपने सोने के मूल्य का लाभ उठाकर, हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12388 करोड़ रुपये की नई मंजूरी के साथ 50.08% की भारी वृद्धि देखी है। यह अभिनव योजना बहुत आवश्यक नकदी प्रवाह को अनलॉक करती है, जिससे हमारे किसानों को वित्तीय अंतर को पाटने और रोजमर्रा के खर्चों को कवर करने में मदद मिलती है। यह उनके सोने को सुनहरे अवसरों में बदलने जैसा है।
- IV. **प्रत्येक किसान के साथ खड़े होकर, अनुकूलित ऋण समाधान:** बैंक यह समझता है कि प्रत्येक कृषि क्षेत्र प्रत्येक कृषक की तरह विशिष्ट होता है, इसलिए एक ही तरीका सबके लिए उपयुक्त इस प्रकार का दृष्टिकोण यहाँ काम नहीं करेगा। यही कारण है कि बैंक ने एमकेसीसी समीक्षा/नवीनीकरण के लिए एक सफल अभियान शुरू किया, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 43.28% पूरा हुआ। यह पहल सुनिश्चित करती है कि हमारे किसानों को वह समर्थन मिले जिसके वे हकदार हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से, मौजूदा ऋणों की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक किसान की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित किया जाता है। यह सब हमारे किसानों को पहले रखने और उन्हें सफल होने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है।
- V. **नवाचार को बढ़ावा:** बैंक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास का सक्रिय रूप से समर्थन करता है, जो हमारे कृषि उत्पादों में मूल्य जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम है। महा कृषि समृद्धि योजना के तहत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹ 1440.01 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि स्वीकृत की है, जिससे इन उद्योगों को कृषि मूल्य श्रृंखला में और भी अधिक योगदान करने में मदद मिलेगी।

VI. **डिजिटल पहल के माध्यम से पहुंच को आसान बनाना:** वित्तीय समावेशन बैंक की प्राथमिकता है। बैंक ने केसीसी नवीनीकरण प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिससे हमारे किसानों के लिए ऋण प्राप्त करना सरल हो गया है। बैंक ने 2.00 लाख रुपये महाराष्ट्र राज्य और 1.60 लाख रुपये कर्नाटक राज्य के लिए केसीसी प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए केसीसी जन समर्थ एसटीपी यात्रा को भी ऑनबोर्ड किया है।

VII. **चुनौतियों का सामना करना:** बैंक मानता है कि खेती एक चुनौतीपूर्ण पेशा हो सकता है और सूखे, बाढ़ और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे किसानों के लिए भारी कठिनाई पैदा कर सकती हैं। यही कारण है कि हर परिस्थिति में बैंक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ऐसी आपदाओं के बाद हमारे किसानों को अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद करने के लिए सामयिक राहत उपाय करता है। बैंक एक सुरक्षित भविष्य की ओर उनकी यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

क. माईफ की उपलब्धियां:

- I. **महाबैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एमआरएसईटीआई):** यह संस्थान प्रशिक्षित प्रतिभागियों द्वारा शुरू किए गए नए व्यावसायिक उद्यमों के लिए 75% की निपटान दर और 52% की क्रेडिट लिंकेज दर के साथ स्वरोजगार के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करते हैं। 2025-26 में, 7820 के लक्ष्य के मुकाबले 8360 व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिला और 4345 प्रशिक्षुओं ने अपने व्यवसायों के लिए क्रेडिट लिंकेज हासिल किया।
- II. **वित्तीय समावेशन:** एमआरएसईटीआई सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और बचत खाते खोलने और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में नामांकन की सुविधा प्रदान करके वित्तीय समावेशन और साक्षरता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं।

क्र. सं.	सेक्टर	31.03.2026 को	31.03.2025 को	वृद्धि % (+/-)
1	माइक्रो/एसएचजी वित्त	3516	3250	8.18%
2	कमजोर वर्ग	31474	25354	24.14%
3	एससी/एसटी लाभार्थी	6417	6998	-8.30%
4	ओबीसी लाभार्थी	23827	18762	29.99%
5	अल्पसंख्यक समुदाय	17211	13916	23.67%

3.2 भारत के विकास इंजन को ईंधन देना: एमएसएमई के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) समावेशी विकास को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचानते हुए, बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने और देश की समग्र आर्थिक प्रगति में इसकी भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समग्र दृष्टिकोण लागू किया है।

I. रिकॉर्ड वृद्धि और लक्ष्य से अधिक

निदेशक मंडल ने एमएसएमई खंड पर बैंक के निरंतर बल देने को नोट किया, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2026 तक एमएसएमई अग्रिम में 10.71 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान, एमएसएमई ऋण में वास्तविक रूप से ₹ 5,178 करोड़ की वृद्धि हुई। नतीजतन, 31 मार्च, 2026 को कुल बकाया एमएसएमई अग्रिम ₹ 53,547 करोड़ रहे, जो इस प्राथमिकता वाले क्षेत्र का समर्थन करने और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में बैंक के निरंतर योगदान को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2026 में प्रदर्शन

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक का अटूट समर्थन वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इसके प्रदर्शन में और भी अधिक परिलक्षित होता है। बैंक ने विनियामक और नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप, एमएसई पोर्टफोलियो के भीतर सूक्ष्म उद्यमों पर मजबूत ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। 31 मार्च, 2026 को, कुल एमएसई बकाया में सूक्ष्म उद्यमों की हिस्सेदारी 66 प्रतिशत थी, जो 60 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक थी। यह प्रदर्शन सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रवाह को मजबूत करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

II. मुद्रा: महत्वाकांक्षी उद्यमियों को सशक्त बनाना

बैंक सक्रिय रूप से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) योजना में भाग लेता है, जो विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे छोटे व्यवसायों और गैर-कृषि उद्यमों को महत्वपूर्ण ऋण प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2026 में, बैंक ने पीएमएमवाई के तहत ₹ 6,420.11 करोड़ की स्वीकृति दी, जो ₹ 6,400 करोड़ के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से अधिक है। यह 100.31% उपलब्धि दर लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

III. ऋण स्वीकृति से कहीं अधिक : एक समग्र दृष्टिकोण : एमएसएमई के साथ बैंक का जुड़ाव केवल ऋण उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी कई पहलें शामिल हैं जिनका उद्देश्य उनके समग्र विकास परिवेश को सुदृढ़ बनाना है।

क. एमएसएमई आउटरीच पहल: एमएसएमई खंड के साथ अपने निरंतर जुड़ाव के हिस्से के रूप में, बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर आउटरीच पहलों

की एक श्रृंखला शुरू की। इन पहलों ने बैंक को संभावित उद्यमों के साथ बातचीत करने, उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उपयुक्त वित्तीय समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाया। इन कार्यक्रमों ने एमएसएमई के साथ गहन जुड़ाव को सुगम बनाया और जमीनी स्तर पर बैंक की उपस्थिति को सुदृढ़ किया।

ख. क्लस्टर आधारित ऋण व्यवस्था: बैंक विशिष्ट क्लस्टर के लिए ग्राहक के अनुरूप उत्पाद की पेशकश करके वॉल्यूम व्यवसाय निर्मित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में उद्योग/गतिविधि विशिष्ट उत्पाद विकसित कर रहा है। बैंक ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ग्लास और चूड़ियों का क्लस्टर और सूरत, कोल्हापुर, जयपुर, तिरुपुर, कोयंबटूर और मालेगांव में टैक्सटाइल क्लस्टर लॉन्च किया है।

ग. खंड-विशिष्ट एमएसएमई उत्पाद: विभिन्न एमएसएमई खंडों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण उत्पादों को उनके अनुरूप तैयार किया जा रहा है। हम विभिन्न ग्राहक श्रेणियों जैसे डॉक्टर, सीए, सीएस, आर्किटेक्ट, ठेकेदार, आतिथ्य व्यवसाय में लगे एमएसएमई, परिवहन संचालक आदि को आकर्षक ब्याज दर, विस्तारित ऋण पुनर्भुगतान अवधि, प्रसंस्करण शुल्क और बीजी/एलजी कमीशन आदि में रियायत प्रदान करते हैं।

घ. एमएसएमई क्षमता निर्माण और नेटवर्किंग: बैंक कार्यशालाओं, वेबिनार और परामर्श पहलों के माध्यम से एमएसएमई के बीच वित्तीय साक्षरता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। बैंक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म आयोजित करके एमएसएमई को निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ जोड़ने और उनके विकास में सहायता करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

ङ. महिला और युवा उद्यमियों पर ध्यान: बैंक ने महिला और युवा उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजनाएं शुरू की हैं ताकि उन्हें ऋण की आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके और उनके आर्थिक उत्थान एवं सामाजिक सशक्तिकरण में सहायता प्रदान की जा सके।

च. एमएसएमई स्टार्टअप को सहायता: एमएसएमई स्टार्टअप की शुरुआती चरण की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके सतत व्यावसायिक विकास को सुगम बनाने के लिए विशेष ऋण उत्पाद शुरू किए गए हैं।

छ. डिजिटल और नकदी प्रवाह-आधारित ऋण: प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, बैंक अपने डिजिटल ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। सूक्ष्म इकाइयों को वित्तपोषण, संपाश्विक सुरक्षा पर निर्भरता कम करते हुए, डिजिटल फुटप्रिंट्स के माध्यम से नकदी प्रवाह के आकलन पर आधारित किया जा रहा है।



- ज. सह-उधार साझेदारी:** बैंक सह-उधार ढांचे के अंतर्गत एनबीएफसी, फिनटेक फर्मों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ रणनीतिक सहयोग के माध्यम से अपनी आउटरीच (पहुँच) बढ़ा रहा है।
- झ. हरित वित्तपोषण पहल:** धारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार परियोजनाएं शुरू करने वाले एमएसएमई को रियायती वित्तपोषण प्रदान करता है। एक समर्पित योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और परिचालन लागत को कम करने के लिए कैप्टिव सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना में सहायता करती है। 50 करोड़ रुपये से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के लिए, बैंक ईएसजी स्कोर के आधार पर ब्याज दर में छूट दे रहा है।
- ञ. ऋण गारंटी कवर और पूंजी/ब्याज सब्सिडी:** बैंक विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण गारंटी कवर और पूंजी/ब्याज सब्सिडी तक पहुँच को सुगम बनाता है, जो वित्तीय समावेशन में सहायता प्रदान करता है और एमएसएमई ऑनबोर्डिंग को गति देता है।
- ट. व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरडीएस):** बैंक के ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम परिचालनों को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। गुणवत्तापूर्ण पोर्टफोलियो बनाने के लिए ट्रेड्स ऑनबोर्डिंग और बिडिंग (बोली लगाने) को केंद्रीकृत किया गया है।
- ठ. प्रक्रिया सुधार के लिए विभिन्न आईटी पहल इस प्रकार हैं:**
- जेडईडी पोर्टल (www.zed.msme.gov.in) के माध्यम से सीबीएस में जेडईडी सत्यापन के प्रमाणन का स्वचालन और लाभार्थियों को लागू प्रोत्साहन देना।
 - सीजीटीएमएसई शुल्क का स्वचालित भुगतान। डेबिट रन (निकासी प्रक्रिया) के दौरान पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर सिस्टम स्वचालित रूप से गारंटी शुल्क और वार्षिक गारंटी शुल्क भुगतान को प्रोसेस करता है। यह सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर की गई सुविधा के आधार पर निम्नलिखित खातों को लक्षित करता है:

IV. डिजिटल उत्पाद पहल

डिजिटल परिवर्तन और प्रक्रिया स्वचालन (ऑटोमेशन) पर बैंक के रणनीतिक फोकस के अनुरूप, परिचालन दक्षता बढ़ाने, ग्राहक अनुभव में सुधार करने और एमएसएमई क्षेत्र के लिए भारत सरकार की पहलों का समर्थन करने के लिए वर्ष के दौरान कई एंड-टू-एंड डिजिटल क्रेडिट यात्राएं (जर्नी) कार्यान्वित की गईं। बैंक एमएसएमई के लिए तेज़ और बाधा रहित ऋण पहुँच सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त डिजिटल उत्पाद लॉन्च करने की प्रक्रिया में भी है।

डिजिटल पीएम स्वनिधि: बैंक ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋणों के लिए पूरी तरह से स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) डिजिटल जर्नी को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह पहल न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ स्ट्रीट वेंडरों को तेज़ ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे टर्नअराउंड समय (टीएटी) में सुधार होता है और संस्थागत ऋण तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित होती है।

डिजिटल मुद्रा: ₹10 लाख तक की मुद्रा ऋण सुविधाओं (नकद ऋण/सावधि ऋण) के लिए एक डिजिटल एसटीपी (एसटीपी) जर्नी शुरू की गई है। यह सुविधा मौजूदा ग्राहकों (ईटीबी) के लिए पूरी तरह से डिजिटल मोड के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध है, जबकि नए ग्राहकों (एनटीबी) को एक सहायता प्राप्त डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से ऑनबोर्ड किया जाता है। इस पहल ने टर्नअराउंड समय (टीएटी) को काफी कम कर दिया है और मुद्रा ढांचे के अंतर्गत ऋण वितरण को सुव्यवस्थित किया है।

₹10 लाख तक की एमएसएमई कार्यशील पूंजी सुविधाओं का स्वचालित समीक्षा/नवीकरण: बैंक ने एसटीपी (एसटीपी)-सक्षम प्रणाली के माध्यम से ₹10 लाख तक की मौजूदा एमएसएमई कार्यशील पूंजी सुविधाओं की समीक्षा और नवीकरण के लिए स्वचालन (ऑटोमेशन) की शुरुआत की है। इस पहल के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

- शाखाओं में मैनुअल प्रोसेसिंग और कार्यबल (मैनपावर) की तैनाती में महत्वपूर्ण कमी।
- भौतिक रूप से शाखा आने की आवश्यकता को काफी कम करके, और कई मामलों में इसे समाप्त करके, ग्राहक सुविधा में वृद्धि।

महा ई-जीएसटी योजना: बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों को ₹25 लाख तक की नकद ऋण (कैश क्रेडिट) सुविधाओं की मंजूरी के लिए महा ई-जीएसटी योजना के अंतर्गत एक डिजिटल क्रेडिट यात्रा शुरू की है। ऋण का मूल्यांकन वित्तीय इकोसिस्टम के भीतर उपलब्ध जीएसटी और अन्य डिजिटल फुटप्रिंट्स पर आधारित डाटा-संचालित मॉडल का उपयोग करके किया जाता है, जो त्वरित और विचारित ऋण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

डिजिटल पीएम विश्वकर्मा: बैंक ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पूरी तरह से एसटीपी डिजिटल जर्नी शुरू की है, जिससे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समय पर और बाधा रहित ऋण उपलब्ध कराकर सरकार की इस पहल का कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

V. आगे की राह : एक मजबूत एमएसएमई इकोसिस्टम का निर्माण

एमएसएमई क्षेत्र के प्रति बैंक की अटूट प्रतिबद्धता, मुद्रा, पीएम विश्वकर्मा, स्टैंड अप इंडिया और पीएमईजीपी जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने और उनसे आगे निकलने के इसके केंद्रित प्रयासों में परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त, बैंक सीजीटीएमएसई के अंतर्गत एमएसएमई को सक्रिय रूप से ऋण सहायता



प्रदान कर रहा है और स्टार्ट-अप के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन पहलों से बैंक के एमएसएमई ऋण पोर्टफोलियो के महत्वपूर्ण रूप से मजबूत होने की उम्मीद है, साथ ही यह बड़ी संख्या में उद्यमों को विकसित होने, बने रहने और आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम बनाएगी।

3.3 आम आदमी के सपने पूरे करना: रिटेल ऋण देने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिटेल ऋण बैंक के ऋण पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण विकास चालक (ग्रोथ ड्राइवर) और स्थिर घटक बना रहा। बैंक की रिटेल ऋण रणनीति जोखिम प्रबंधन और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर उचित जोर देने के साथ संतुलित विकास पर आधारित है, जिसमें ग्राहकों के एक विस्तृत वर्ग को **वहनीय और सुलभ ऋण** प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

रिटेल ऋण पोर्टफोलियो की सूक्ष्मता और आय की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान देने के साथ-साथ घर के स्वामित्व, शिक्षा, गतिशीलता और अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसी घरेलू आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, स्वर्ण ऋण और व्यक्तिगत ऋण सहित विविध ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले रिटेल ऋण उत्पादों का एक व्यापक सेट प्रदान करता है, जो विवेकपूर्ण अंडरराइटिंग मानकों और मजबूत निगरानी तंत्र द्वारा समर्थित हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने ब्याज दरों के सख्त माहौल के बावजूद, सुरक्षित ऋण (सिक्योर्ड लेंडिंग) और गुणवत्तापूर्ण वृद्धि पर सचेत जोर देते हुए रिटेल ऋण का नये-तुले ढंग से विस्तार किया। **आवास वित्त रिटेल ऋण पोर्टफोलियो** का मुख्य आधार बना रहा, जो आवासीय घरों की निरंतर मांग और इस क्षेत्र के प्रति बैंक की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

I. रिटेल ऋण का क्षेत्रीय परिनियोजन:

खंड	31.03.2026 तक बकाया	कुल बकाया का प्रतिशत	31.03.2025 तक बकाया	कुल बकाया का प्रतिशत
आवास	49479.39	57.63%	38346.44	59.13%
शिक्षा	2992.37	3.49%	2675.73	4.13%
वाहन	6318.22	7.36%	4062.84	6.26%
अन्य रिटेल	27066.94	31.52%	19767.96	30.48%
कुल रिटेल	85856.92	100%	64852.97	100%

आवास ऋण रिटेल ऋण पोर्टफोलियो में अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए है, जो कुल रिटेल ऋण का लगभग 58% है। आवास और वाहन ऋण में वृद्धि ने समग्र विस्तार का समर्थन किया, जबकि "अन्य रिटेल" ऋणों के हिस्से में सापेक्ष कमी पोर्टफोलियो अनुकूलन और जोखिम संरेखण की सचेत रणनीति को दर्शाती है।

II. योजनावार प्रदर्शन:

क्र.सं.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 26 तक का पोर्टफोलियो	एनपीए %
1	महा सुपर आवास ऋण योजना	आवास ऋण बैंक का हमेशा से एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। बैंक के पास सभी आर्थिक वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न आवास ऋण योजनाएं उपलब्ध हैं। बैंक नए/मौजूदा घर/फ्लैट की खरीद/निर्माण, मौजूदा घर/फ्लैट की मरम्मत/नवीनीकरण/परिवर्तन, प्लॉट की खरीद और उस पर निर्माण के लिए आवास ऋण प्रदान करता है।	49479.39	0.15
2	महा सुपर कार ऋण योजना और महाबैंक वाहन ऋण योजना	बैंक व्यक्तियों (18 वर्ष और उससे अधिक) और गैर-व्यक्तियों के लिए निजी उपयोग (अर्थात् यात्रियों को किराये पर लेने/ढुलाई के लिए नहीं) के लिए नए/सेकेंड हैंड चार पहिया वाहन यानी कार, जीप, मल्टी यूटिलिटी वाहन (एमयूवी), एसयूवी, इलेक्ट्रिक वाहन आदि की खरीद के लिए वाहन ऋण योजनाएं प्रदान करता है।	6318.22	0.14
3	शिक्षा ऋण योजना	बैंक सभी मेधावी और योग्य विद्यार्थियों को भारत और विदेश में उच्च अध्ययन/शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाधारहित शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना और महा स्कॉलर ओवरसीज शिक्षा ऋण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।	2992.37	0.12



क्र.सं.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 26 तक का पोर्टफोलियो	एनपीए %
4	स्व-अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण	बैंक स्व- अधिकृत संपत्ति के बदले ऋण प्रदान करता है जिसमें व्यक्तिगत उधारकर्ता को संपत्ति के बदले ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण का अंतिम उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, यात्रा/भ्रमण व्यय, वाहन या हाई-टेक गैजेट खरीदना, अन्य घरेलू जरूरतें आदि जैसी विभिन्न व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।	2388.87	1.08
5	महाबैंक टॉप अप ऋण योजना	मौजूदा आवास ऋण उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करने के साथ-साथ, टॉप-अप ऋण की अतिरिक्त सुविधा के साथ अन्य बैंकों से मौजूदा आवास ऋणों के अधिग्रहण (टेकओवर) के लिए बैंक "महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना" प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न घरेलू उद्देश्यों जैसे बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, वाहन या हाई-टेक गैजेट खरीदना और अन्य घरेलू आवश्यकताओं आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।	4237.84	0.13
6	महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना (रिटेल)	एक आकर्षक आस्ति के रूप में स्वर्ण ऋण की संभावनाओं का लाभ उठाने और सामान्य उपभोग के साथ-साथ कृषि उपयोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसमें खेती, कृषि भूमि का विकास, कृषि संबद्ध गतिविधियां और विवाह, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आपात स्थिति, व्यावसायिक यात्रा आदि जैसी विविध जरूरतों के लिए व्यक्तिगत व्यय शामिल हैं, बैंक ने महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना के रूप में ऋण उत्पाद पेश किया है।	10219.91	0.11
7	महाबैंक आधार ऋण योजना	हमारे मौजूदा पेंशन खाताधारकों की वैयक्तिक आपात स्थितियों या खर्चों, तीर्थयात्रा, चिकित्सा और घरेलू जरूरतों आदि की पूर्ति के लिए बैंक ने महाबैंक आधार ऋण योजना प्रदान करता है।	799.37	0.28
8	वैयक्तिक ऋण	बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों और व्यापारी वर्ग के ग्राहकों के अन्य व्यक्तिगत व्ययों, चिकित्सा या घरेलू व्यय आदि की पूर्ति के लिए वैयक्तिक ऋण प्रदान करता है।	3741.21	1.47

III. वित्तीय वर्ष 2025-26 पर एक नज़र:

व्यक्तियों और परिवारों को सशक्त बनाने के प्रति बैंक की अटूट प्रतिबद्धता रिटेल पोर्टफोलियो की प्रभावशाली वृद्धि में परिलक्षित होती है, जो **31 मार्च, 2026 तक ₹85,856.92 करोड़** के विशाल स्तर पर पहुंच गई है। इस सफलता को बढ़ावा देने वाली कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार से हैं:

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रमुख पहलों ने रिटेल ऋणों के विस्तार में सहायता की:

- बंधक आधारित ऋणों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग:** आवास ऋण, संपत्ति के बदले ऋण और टॉप-अप ऋण जैसे बंधक-आधारित ऋण उत्पादों के लिए सभी अंचलों में केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेल (सीपीसी) क्रियान्वित किए गए। केंद्रीकृत प्रोसेसिंग तंत्र ने एकसमान ऋण मूल्यांकन की सुविधा प्रदान की, टर्नअराउंड समय में सुधार किया और आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया।

- आवास वित्त शाखाओं का विस्तार:** आवास वित्त की निरंतर मांग को देखते हुए, बैंक ने टियर खख स्थानों सहित **50 प्रमुख केंद्रों पर आवास वित्त शाखाएँ** स्थापित की हैं। इन विशिष्ट शाखाओं ने केंद्रित सोर्सिंग, आवास ऋण प्रस्तावों के त्वरित प्रोसेसिंग और बेहतर ग्राहक सेवा को सक्षम बनाया है।

- केंद्रीय प्रोसेसिंग संरचना का युक्तिकरण:** केंद्रीय प्रोसेसिंग ढांचे को स्पष्ट अधिदेशों द्वारा परिभाषित करके और मजबूत किया गया, जिसके अंतर्गत सीपीसी को मैप की गई शाखाओं से प्राप्त बंधक-आधारित ऋण प्रस्तावों की प्रोसेसिंग के लिए संरेखित किया गया। इस पहल ने रिटेल ऋण परिचालनों में प्रशासन, मानकीकरण और जवाबदेही में सुधार किया।

बैंक ने ग्राहक सुविधा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से रिटेल ऋण प्रक्रियाओं के सरलीकरण और डिजिटलीकरण की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे।



- i. **प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण:** रिटेल ऋण उत्पाद प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर पेश किए गए, जिससे उपयुक्त जोखिम-समायोजित रिटर्न बनाए रखते हुए ग्राहकों के लिए वहनीयता सुनिश्चित हुई।
- ii. **सुव्यवस्थित रिटेल ऋण प्रोसेसिंग:** ऋण प्रबंधन प्रणालियों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से रिटेल ऋण प्रोसेसिंग को और अधिक सुदृढ़ किया गया, जिसमें संपत्ति के बदले ऋण और टॉप-अप ऋण का एकीकरण शामिल है, जिससे बाधारहित प्रोसेसिंग और बेहतर निगरानी सुनिश्चित हुई।
- iii. **डिजिटल ऋण प्रोसेसिंग:** चयनात्मक रिटेल ऋण उत्पादों के लिए डिजिटल ऋण प्रोसेसिंग और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) लागू किए गए, जिसके परिणामस्वरूप दस्तावेजीकरण की आवश्यकताओं में कमी आई और ऋण स्वीकृति में तेजी आई।
- iv. **डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए) पोर्टल:** लीड प्रबंधन और कमीशन सेटलमेंट को सुव्यवस्थित करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों (डीएसए) के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू किया गया। इस पहल ने उत्पादकता बढ़ाने और मैन्युअल प्रक्रियाओं पर परिचालन निर्भरता को कम करने में योगदान दिया।
- v. **रिटेल और सरकारी योजनाओं का डिजिटल सक्षमीकरण:** पीएम सूर्य घर, पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण और डिजिटल कार ऋण जैसी योजनाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए, जिससे सरलतापूर्वक और बाधा रहित ऋण आवेदन और स्वीकृति की सुविधा मिली।
- vi. **एंड-टू-एंड डिजिटल यात्रा की दिशा में प्रगति:** बैंक ने ग्राहकों के संपर्क बिंदुओं (टचपॉइंट्स) और दस्तावेजीकरण को न्यूनतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण और अन्य रिटेल उत्पादों के एंड-टू-एंड डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में काम करना जारी रखा।

पर्यावरणीय स्थिरता को सहयोग

भारत सरकार की पहलों और सतत विकास के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमने निम्नलिखित पर्यावरण अनुकूल रिटेल उत्पाद पेश किए हैं।

- i. **हरित वाहन ऋण:** महा बैंक ग्रीन वाहन ऋण योजना के अंतर्गत, पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ परिवहन समाधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए वित्तपोषण

सहायता प्रदान की गई।

- ii. **हरित आवास ऋण:** बैंक ने महा बैंक ग्रीन आवास ऋण योजना के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल आवास परियोजनाओं का सहयोग किया, जिससे धारणीय जीवन शैली समाधानों में निवेश को सुलभ बनाया गया।
- iii. **पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना:** प्रधानमंत्री सूर्य घर - मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, बैंक ने रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना के लिए वित्तपोषण सहायता प्रदान की, जिससे घरों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करने में सक्षम बनाया गया।

रिटेल ऋण का परिदृश्य - वित्तीय वर्ष 2026-27

भविष्य की ओर देखते हुए, बैंक सुरक्षित ऋण, पोर्टफोलियो सूक्ष्मता और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर जोर देते हुए रिटेल ऋण में नपे-तुले विकास को जारी रखेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रिटेल ऋण रणनीति डिजिटल क्षमताओं को सुदृढ़ करने, प्रक्रिया दक्षता में सुधार करने और विशिष्ट शाखाओं एवं साझेदारियों के माध्यम से पहुँच बढ़ाने पर केंद्रित होगी, साथ ही प्रचलित ब्याज दर परिवेश और नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप बनी रहेगी। बैंक विकास की निरंतरता और रिटेल ऋण पोर्टफोलियो के लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए ऋण मूल्यांकन और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना जारी रखेगा।

4

अंतराल को कम करना: वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता

बैंक इस महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है जो वित्तीय समावेशन व्यक्तियों को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति देने में निभाता है। हम इस राष्ट्रीय एजेंडे के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक भारतीय, चाहे वह किसी भी स्थान या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, उसकी आवश्यक बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो।

क. सभी के लिए बैंकिंग को सुलभ बनाना

वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमने सफलतापूर्वक 8.23 लाख नए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते खोले हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले बैंकिंग सेवाओं से वंचित दस लाख से अधिक व्यक्तियों को बचत खाते, डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सुरक्षा जैसी बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की गई है।

बैंक का वित्तीय समावेशन में प्रदर्शन निम्नानुसार है:

	विवरण	2024-25	2025-26
एफआई योजना	बीसीए द्वारा किए गए लेन-देन की संख्या(लाखों में)	193.20	198.94
	लेन-देन की राशि (करोड़ में)	15479.59	15099.02
पीएमजेडीवाई	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या (लाखों में)	80.61	86.68
	जिनमें से आधार सीड किए गए (लाखों में)	77.30	83.49
	आधार सीडिंग का प्रतिशत	95.89%	96.32%



	जिनमें से मोबाइल सीडिंग (लाखों में)	68.75	74.26
	मोबाइल सीडिंग का प्रतिशत	85.29%	85.67%
	जिनमें से रुपये कार्ड जारी किए गए (लाखों में)	44.92	52.62
	जारी किए गए रुपये कार्ड का प्रतिशत	55.73%	60.71%
	पीएमजेडीवाई खाते में शेष राशि (करोड़ में)	4538.87	5819.75
	प्रति खाता औसत शेष राशि (वास्तविक)	5631.00	6714.00
	पीएमजेडीवाई-ओडी की संख्या (लाखों में)	0.81	0.75
	पीएमजेडीवाई-ओडी राशि (लाखों में)	876.31	1154.40
	पीएमजेडीवाई खाते में शून्य शेष राशि (लाखों में)	4.34	5.53
सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	पीएमजेबीवाई के अंतर्गत संचयी नामांकन (लाख में)	35.98	48.37
	पीएमएसबीवाई के अंतर्गत संचयी नामांकन (लाख में)	70.94	88.57
	एपीवाई के अंतर्गत संचयी नामांकन (लाख में)	9.86	12.42
बीएसबीडी खाते	कुल बीएसबीडी खाते (लाखों में)	94.12	99.19
	बीएसबीडी खाते में बकाया राशि (करोड़ में)	5358.33	6735.25
	प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक)	5693.00	6790.00
	बीसी सेवाओं के लिए दिया गया कमीशन(करोड़ में)	29.92	38.02

5

आस्ति गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

आस्ति गुणवत्ता पर बैंक द्वारा निरंतर ध्यान देने के चलते प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हुए हैं। बैंक ने सकल एनपीए और निवल एनपीए अनुपात, दोनों में महत्वपूर्ण कमी हासिल की है:

- क. **सकल एनपीए में कमी:** 31 मार्च, 2025 के 1.74% से घटकर 31 मार्च, 2026 को 1.45% रह गई।
- ख. **निवल एनपीए में कमी:** 31 मार्च, 2025 के 0.18% से घटकर 31 मार्च, 2026 को 0.13% रह गई।
- ग. **प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर):** 31 मार्च 2026 तक 98.59% की मजबूत उपलब्धि प्राप्त की गई।
- क. **विश्वास की बहाली, मूल्य की वसूली:** बैंक की एनपीए वसूली रणनीति

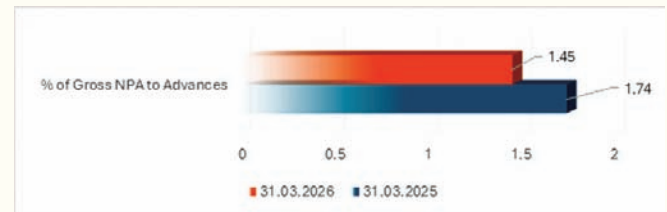
बैंक ने अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन और वसूली के लिए एक व्यापक रणनीति लागू की है:

- I. **समर्पित वसूली दल:** बैंक ने बड़े एनपीए खातों, विशेष रूप से कानूनी कार्यवाही में शामिल खातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी अंचल कार्यालयों में आस्ति वसूली प्रकोष्ठ (एआरसी) और 13 समर्पित आस्ति वसूली शाखाएं (एआरबी) स्थापित की हैं।
- II. **दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन:** प्रधान कार्यालय में एक अलग विभाग चार दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम) शाखाओं की देखरेख करता है। ये शाखाएं ₹5 करोड़ से अधिक शेष राशि वाले अनर्जक आस्ति (एनपीए) खातों की वसूली के प्रयासों को प्राथमिकता देती हैं।

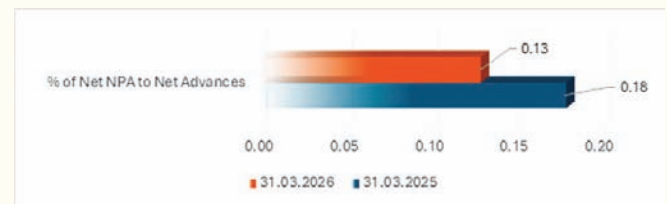
- III. **एआई-संचालित संचार:** दबावग्रस्त खातों वाले ग्राहकों के लिए और हमारे संपर्क केंद्र से आउटबाउंड कॉल हेतु एक एआई-आधारित इंटरैक्टिव वॉयस असिस्टेंट समाधान विकसित किया गया है। यह एआई-संचालित समाधान ग्राहकों के साथ उनकी पसंदीदा भाषा में संवाद करता है, जिससे बेहतर संचार और आपसी समझ को बढ़ावा मिलता है।
- IV. **सक्रिय ऋण ट्रेकिंग:** एक समर्पित ऋण ट्रेकिंग सेल दबावग्रस्त खातों और अतिदेय भुगतान वाले उधारकर्ताओं के साथ दैनिक टेलीफोनिक अनुवर्ती कार्रवाई करता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण समय पर वसूली सुनिश्चित करता है और एनपीए उन्नयन को सुगम बनाता है।
- V. **इरादतन ऋण न चुकाने वालों की पहचान:** प्रधान कार्यालय के अलग-अलग प्रकोष्ठ इरादतन चूककर्ताओं की पहचान करते हैं, जिससे एनपीए उधारकर्ताओं पर खातों के शीघ्र निपटान हेतु दबाव बनता है।
- VI. **सरफेसी/डीआरटी के तहत कार्रवाई:** रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, क्षेत्रीय कार्यालयों को सरफेसी/डीआरटी मामलों में समय पर कार्रवाई और फॉलो-अप सुनिश्चित करने में मदद करता है। डीएफएस के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीआरटी और डीआरएटी के लिए हर अंचल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ताकि डीआरटी के पीठासीन अधिकारी और वसूली अधिकारी के साथ तालमेल बनाए रखकर वसूली प्रक्रिया को तेज़ किया जा सके। इसके अलावा, नोडल अधिकारी को डीएम/सीजेएम के साथ संपर्क बनाए रखने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी जाती है, ताकि फिजिकल पज़ेशन (भौतिक कब्ज़े) के आदेश का जल्द से जल्द पालन सुनिश्चित किया जा सके।

- VII. बैंकनेट:** बैंक ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एक सहज और पारदर्शी मंच प्रदान करने हेतु बैंकनेट के साथ भागीदारी की है। बैंक बैंकनेट पोर्टल पर ई-नीलामी के लिए संपत्तियों को सांकेतिक और भौतिक कब्जे में ले रहा है।
- VIII. माईकेस एप्लीकेशन:** बैंक ने सभी विधि अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के लिए डीआरटी मामलों की दैनिक आधार पर निगरानी और ट्रैकिंग करने हेतु माईकेस एप्लीकेशन शुरू किया है। माईकेस एप्लीकेशन अधिकवक्ताओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी और समीक्षा करने में सहायता करता है। अधिकवक्ताओं को भी मामलों की स्थिति को वास्तविक समय में अपडेट करने के लिए माईकेस एप्लीकेशन का एक्सेस प्रदान किया है।
- IX. एक-मुश्त निपटान योजनाएँ:** बैंक विभिन्न श्रेणियों के पात्र उधारकर्ताओं के लिए ऋण रिजाल्युशन को सुविधाजनक बनाने हेतु सरल और निवारण जैसी निष्पक्ष एवं पारदर्शी एक-मुश्त निपटान (ओटीएस) योजनाएँ प्रदान करता है।
- X. ई-ओटीएस:** बैंक ने उन खातों के लिए एक डिजिटल ओटीएस प्लेटफॉर्म (ई-ओटीएस) शुरू किया है जिनकी स्वीकृत सीमा ₹ 10.00 लाख तक है और बकाया राशि (मूल बकाया) ₹ 10.00 लाख तक है, ताकि निपटान की प्रक्रिया आसान, कुशल और परेशानीमुक्त हो सके।
- XI. ऋण वसूली के प्रयास:** बैंक भेंट, अधिसूचनाओं, कानूनी कार्यवाही, वसूली शिविरों, लोक अदालतों (लोगों की अदालतों), महाबैंक अदालतों (बैंक-विशिष्ट अदालतों) और सरफेसी/डीआरटी अधिनियमों के अंतर्गत समय पर कार्रवाई के माध्यम से ऋण वसूली में सक्रिय रूप से शामिल है। बैंक वसूली में तेजी लाने के लिए वसूली एजेंटों और रिजाल्युशन एजेंटों की सेवाओं का भी लाभ उठा रहा है।
- XII. दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) का उपयोग:** बैंक ने बड़े एनपीए उधारकर्ताओं के खिलाफ आईबीसी के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की है। इसमें उधारकर्ताओं के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला रिजाल्युशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) और गारंटर्स के खिलाफ वैयक्तिक दिवाला रिजाल्युशन प्रक्रिया (पीआईआरपी) शामिल है, जिससे ऋण वसूली के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।
- XIII. रणनीतिक एनपीए बिक्री:** बैंक नियमित रूप से उन एनपीए को बेचने के अवसरों की तलाश करता है जिनकी वसूली मुश्किल होती है; इन्हें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) को बेचा जाता है। यह रणनीति हमारी बैलेंस शीट को परिष्कृत करती है और हमें अपनी मुख्य ऋण देने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है।

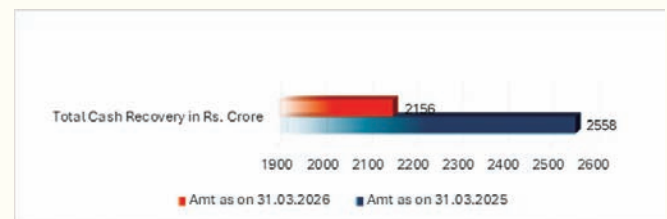
गैर-निष्पादित आस्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:



चित्र 1: वित्तीय वर्ष 2025 और वित्तीय वर्ष 2026 की सकल एनपीए के % की तुलना



चित्र 2: वित्तीय वर्ष 2025 और वित्तीय वर्ष 2026 की निवल एनपीए के % की तुलना



चित्र 3: वित्तीय वर्ष 2025 और वित्तीय वर्ष 2026 की नकद वसूली राशि की तुलना

6

बैंक के विदेशी मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देना

विदेशी मुद्रा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, बैंक पूरे भारत में रणनीतिक रूप से स्थित श्रेणी बी की 51 शाखाओं का एक मजबूत नेटवर्क संचालित करता है। ये शाखाएँ विदेशी मुद्रा से जुड़े समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सुचारू रूप से संपन्न हो पाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की मुख्य विशेषताएं:

I. व्यापारी व्यवसाय विस्तार:

वर्ष के दौरान व्यापारिक कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिससे ₹52,766 करोड़ का कारोबार हुआ। यह वैश्विक व्यापार में लगे व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

II. लाभप्रदता:

विदेशी मुद्रा प्रभाग ने ₹126 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिससे बैंक के समग्र वित्तीय प्रदर्शन को और मजबूती मिली।



(रु. करोड़ में)

7

रणनीतिक निवेश: वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना

बैंक एक अच्छी तरह से विविध निवेश पोर्टफोलियो को बनाए रखता है, जो सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, जबकि रणनीतिक रूप से गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में विस्तार करता है।

7.1 निवेश पोर्टफोलियो का विवरण (31 मार्च 2026 तक):

- I. **सकल निवेश:** ₹1,02,207 करोड़
 - क. **₹86,647 करोड़ (एसएलआर प्रतिभूतियाँ):** ऐसे निवेश जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनिवार्य तरलता आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।
 - ख. **₹15,560 करोड़ (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ):** एसएलआर आवश्यकता से परे किए गए निवेश, जो अधिक लचीलापन और उच्च रिटर्न की संभावना प्रदान करते हैं।
 - ग. **अधिशेष एसएलआर प्रतिभूतियाँ:** ₹29,770 करोड़: यह अधिशेष बैंक की मजबूत तरलता स्थिति को दर्शाता है।
- II. **निवल निवेश:** 31 मार्च 2026 तक ₹1,01,480 करोड़ (प्रावधानों के बाद निवल)
- III. **निवेश पोर्टफोलियो संरचना:**
 - क. **56.13% परिपक्वता तक धारित (एचटीएम):** परिपक्वता तक धारित किये जाने वाले निवेश, जो आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हैं।
 - ख. **43.12% बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) तथा लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य:** ऐसे निवेश जिन्हें अतिरिक्त आय उत्पन्न करने और पोर्टफोलियो जोखिम का प्रबंधन करने के लिए सक्रिय रूप से खरीदा और बेचा जा सकता है।

7.2 वित्तीय प्रदर्शन:

- क. **राजकोषीय लाभ वृद्धि:** ट्रेडिंग लाभ वित्तीय वर्ष 2024-25 में 70.47% की वृद्धि दर्शात हुए ₹283.31 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹483.05 करोड़ हो गया। निवल लाभ ₹202.47 करोड़ दर्ज किया गया है, क्योंकि भारत सरकार की एक राज्य एक आरआरबी योजना के तहत विलय योजना लागू होने के बाद, अपने आरआरबी यानी महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) में किए गए पूंजी निवेश में आई कमी के लिए बैंक द्वारा एक असाधारण मद के रूप में ₹280.59 करोड़ का प्रावधान किया गया, इस योजना के तहत विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी) का महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एमजीबी में विलय कर दिया गया था।
- ख. **निवल ब्याज आय वृद्धि:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के ₹5360.43 करोड़ से 21.63% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹6519.84 करोड़ हो गया, जो बैंक की अपने निवेश पोर्टफोलियो से लगातार रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	परिवर्तन %
ट्रेजरी लाभ	202.47*	283.31	+70.47
निवल ब्याज आय	6519.84	5360.43	+21.63

* एक मद को छोड़कर वर्ष का लाभ 483.05 करोड़ होगा।

8

मर्चेट बैंकिंग

वर्ष के दौरान, बैंक ने जारीकर्ता एवं भुगतान एजेंट (आईपीए) के रूप में अपने ग्राहकों के लिए ₹34,545 करोड़ मूल्य के जारी 38 वाणिज्यिक पत्रों का संचालन किया।

9

उधारी

31 मार्च, 2026 तक बैंक की उधारी ₹35234 करोड़ थी, जिसमें पुनर्वित्त भी शामिल है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को राशि	31.03.2025 को राशि
कुल उधारियां	35234.00	23853.00
जिनमें से एलएएफ के अंतर्गत भारिबैं से उधारियां	0.00	0.00
जिसमें से बाजार उधारियां रेपो	0.00	0.00
जिनमें से टीआरईपीएस उधारियां (जी-सेक)	0.00	0.00
जिनमें से पुनर्वित्त		
नाबार्ड	3525.00	3425.00
एक्जिम बैंक	3400.00	0.00
एनएचबी	0.00	0.00
सिडबी	13001.00	11928.00
मुद्रा	20.00	69.00
जिनमें से बॉण्ड्स और डिबेंचर पूंजी लिखितों के रूप में उधारियां	8431.00	8431.00
भारत से बाहर उधारियां	5671.13	-
अन्य	0.00	0.00



10

डिपॉजिटरी सेवाएं

- I. बैंक सितम्बर 1999 से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) है।
- II. बैंक खाता खोलने, प्रतिभूतिकरण, प्रतिभूतियों को गिरवी रखने/ गिरवी से मुक्त करने, पुनः प्रतिभूतिकरण आदि जैसी डिपॉजिटरी सेवाएँ प्रदान करता रहा है।

31/03/2026 की स्थिति के अनुसार -

खातों की कुल संख्या	सक्रिय खाते	प्रसुप्त/निष्क्रिय
21236	17147	4089

- III. बैंक ने रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के साथ अपने ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में टाई-अप किया है और ऑनलाइन 3-इन-1 खाता खोलने की प्रक्रिया के लिए आदित्य बिरला मनी लिमिटेड को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया में है। ऑनलाइन 3-इन-1 खाता खोलने की सुविधा को मोबाइल बैंकिंग ऐप 'ज़ेनलाइफ' और इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन में एकीकृत किया जाएगा।
- IV. बैंक ने नेट बैंकिंग के माध्यम से एसबीए और यूपीआई की सुविधा शुरू की है, जिसके द्वारा ग्राहक विभिन्न आईपीओ और राइट्स इश्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं साथ ही, उन्हें शाखाओं में जाकर शारीरिक रूप से आवेदन जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

11

बैंकशोरेंस

- I. **व्यापक बीमा प्रस्ताव:** बैंक जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा सहित बैंकशोरेंस उत्पादों के व्यापक चयन के लिए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करता है। हम ग्राहकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विविध प्रकार के बीमा समाधान 8 बीमा कम्पनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से, प्रत्येक खंड में, प्रदान करते हैं।
- II. **डिजिटल अनुभव को बढ़ाना:** निर्बाध डिजिटल यात्रा प्रदान करने के लिए समर्पित, बैंक ने एक प्रमुख फिनटेक कंपनी के साथ मिलकर एक निर्बाध डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म बनाया है। यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को बैंक के डिजिटल चैनलों के माध्यम से बीमा उत्पादों को आसानी से तलाशने, तुलना करने और खरीदने में सक्षम बनाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यनिष्पादन

(रु. करोड़ में)

क्षेत्र	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	कमीशन
जीवन बीमा	29267	171.17	44.41
सामान्य बीमा	352206	62.75	8.82
स्वास्थ्य बीमा	34567	56.51	6.86
कुल	416040	290.42	60.09

12

सरकारी व्यवसाय

12.1 सुविधाजनक डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ

बैंक मेसर्स पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है, जो 1676 शाखाओं के माध्यम से 1,000 शहरों में रिटेल ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है। इन सेवाओं में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह की सहायता शामिल है:

I. **वित्तीय सेवाएं:** नकद निकासी और धन हस्तांतरण।

II. **गैर-वित्तीय सेवाएँ:**

क) **डिलीवरी सेवाएँ:** खाता विवरण, टीडीएस प्रमाणपत्र/ फॉर्म 16

ख) **पिकअप सेवाएँ:** चेक/डीडी, फॉर्म 15जी/15एच, स्थायी निर्देश, चेक बुक मांग पर्ची, चेक के साथ जीएसटी चालान और नामांकन फॉर्म का संग्रह। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी अपने घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

12.2 कुशल कर संग्रह

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, बैंक ने अपनी शाखाओं के माध्यम से 6,57,169 प्रत्यक्ष कर चालान और 6,31,969 अप्रत्यक्ष कर चालान एकत्र किए, जिससे कुल रु. 1.62 करोड़ का कमीशन अर्जित हुआ।

12.3 व्यापक पेंशन सेवाएँ

बैंक पुणे में वरिष्ठ नागरिकों की समर्पित सेवा करते हुए, अपने केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग सेल (सीपीपीसी) के माध्यम से केंद्र सरकार, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए मासिक पेंशन संसाधित करता है और जमा करता है। इस सेवा से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रुपये 7.83 करोड़ का सरकारी व्यवसाय कमीशन उत्पन्न हुआ।

12.4 लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत अनेक खाते खोले:

- I. 1,40,847 नये पीपीएफ खाते खोले गये।



- II. 22,506 नए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) खाते खोले गए।
- III. 11,970 नए सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गये। वर्ष के दौरान बैंक को इन योजनाओं से रु. 8.16 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ।

13

अग्रणी बैंक योजना

13.1 अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी

बैंक सात जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी संभालते हैं: छत्रपति संभाजी नगर, जालना, नासिक, पालघर, पुणे, सतारा और ठाणे। इन जिलों के लीड जिला प्रबंधक अन्य बैंकों और जिला अधिकारियों के साथ मिलकर जिला ऋण योजना (डीसीपी) तैयार करते हैं और उसे लागू करते हैं। ये योजनाएं प्रत्येक जिले के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्षित वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती हैं।

13.2 राज्य स्तरीय समन्वय:

- I. **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजक:** महाराष्ट्र के लिए एसएलबीसी के संयोजक के रूप में, बैंक राज्य भर में वित्तीय पहलों के समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
- II. **राज्य वार्षिक ऋण योजना:** बैंक के मार्गदर्शन में, एसएलबीसी विभिन्न हितधारकों, जिसमें प्रमुख जिला प्रबंधक, सदस्य बैंक, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक शामिल हैं, के परामर्श से वार्षिक ऋण योजना तैयार करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र योजना, जिसका मूल्य ₹8,06,168 करोड़ है, देश में सबसे अधिक ऋण योजनाओं में से एक है, जो महाराष्ट्र में वित्तीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- III. **नियमित समीक्षा और बैठकें:** एसएलबीसी राज्य वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की निगरानी करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऋण देने को प्राथमिकता देने और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए तिमाही बैठकें आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, एसएलबीसी सदस्य बैंकों, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों और आरबीआई और नाबार्ड जैसी केंद्रीय संस्थाओं के बीच संचार और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
- IV. **सरकारी पहलों का समर्थन:** एसएलबीसी सदस्य बैंकों के माध्यम से प्रमुख कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आबादी के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाना है, जिनमें शामिल हैं:

- क. **कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को समर्थन:** पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन तथा पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए केसीसी संतृप्ति जैसी पहल।
- ख. **छोटे उद्यमियों हेतु सहायता:** स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि, स्वनिधि से समृद्धि तथा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्म योजनाओं का कार्यान्वयन।
- ग. **लक्षित हस्तक्षेप:** आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में लक्षित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम (टीएफआईआईपी) को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ समन्वय करना।
- घ. **मिशन उत्कर्ष कार्यक्रम:** देश के 10 नामित आकांक्षी जिलों में से एक नंदुरबार जिले में वित्तीय समावेशन और विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

13.3 वित्तीय समावेशन के माध्यम से सभी के लिए औपचारिक बैंकिंग के द्वार खोलना:

एसएलबीसी संयोजक के रूप में, बैंक ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 31 मार्च, 2026 तक, राज्य में 3.79 करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई खाते खोले जा चुके हैं, जो पहले बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

14

सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थान:

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का समामेलन-

भारत सरकार (जीओआई) के राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 7 अप्रैल 2025 के अनुसार 1 मई 2025 से 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आरआरबी विलय को लागू करने की सूचना दी है। महाराष्ट्र राज्य में, क्रमशः बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का विलय करके एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया है, जिसे "महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक" नाम दिया गया है। इसका प्रधान कार्यालय छत्रपति संभाजीनगर में स्थित है और यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित है।

I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (नई समामेलित इकाई - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक) के कार्यानिष्पादन को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है -

I. प्रदर्शन के प्रमुख बिन्दु

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी), बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जो पूरे महाराष्ट्र में ग्रामीण समुदायों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उनके कार्य निष्पादन पर एक नज़र डालें:



(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्य निष्पादन मापदंड	01/05/2025 तक वास्तविक उपलब्धि	31/03/2026 डीवीपी/एमओयू लक्ष्य	31/03/2026 तक वास्तविक उपलब्धि	% प्राप्त	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
1	कुल व्यवसाय	41955.17	47500.00	46057.19	96.96	9.78
2	कुल जमाराशियां	25944.84	30000.00	28591.21	95.30	10.20
3	कासा जमाराशियां	14059.46	15600.00	16524.70	105.93	17.53
4	कासा जमाराशियां का %	54.19	52.00	57.79	-	-
5	कुल अग्रिम	16010.33	17500.00	17465.98	99.81	9.09
6	प्राथमिक अग्रिम	13768.88	16000.00	14095.49	88.10	2.37
7	सकल एनपीए (%)	7.31	9.36	10.86	-	-
8	निवल एनपीए (%)	3.13	5.34	6.53	-	-
9	परिचालन लाभ	290.32	-	171.89	-	-

विलय के बाद, बैंक ने मज़बूत कासा प्रदर्शन और अग्रिमों तथा कुल कारोबार में लक्ष्य के करीब उपलब्धि के साथ स्थिर वृद्धि प्रदर्शित की है। हालाँकि, गैर-ब्याज आय के स्रोतों को बेहतर बनाने और बड़े खाते में डाले गए खातों से वसूली को मज़बूत करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन पर लगातार ज़ोर देने से परिचालन दक्षता और पहुँच में और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है।

II. शाखा नेटवर्क विस्तार:

- 31 मार्च, 2026 तक, एमजीबी के पास 759 शाखाओं का एक नेटवर्क है, जिसमें 13 क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं और जो महाराष्ट्र के 36 में से 34 जिलों को कवर करता है।
- बेहतर कार्यकुशलता के लिए सभी शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय अब कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के अंतर्गत हैं।

III. वित्तीय प्रदर्शन:

- कुल जमाराशियां ₹25,944.84 करोड़ (1 मई-25) से बढ़कर ₹28,591.21 करोड़ (31 मार्च-26) हो गई, जिससे लक्ष्य का 95.30% हासिल हुआ और 10.20% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।
- अग्रिम बढ़कर ₹17465.98 करोड़ हो गया, जिससे लक्ष्य का 99.81% प्राप्त हुआ और वर्ष-दर-वर्ष में 9.10% की सकारात्मक वृद्धि हुई।
- अग्रिम वृद्धि, आईबीपीसी को रु. 950 करोड़ समायोजित करने के बाद की है। वास्तविक अग्रिम वृद्धि 15.02% है।
- कुल कारोबार ₹ 46058.53 करोड़ रहा, जिसमें 93.65% लक्ष्य प्राप्ति और 9.09% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई।
- कासा जमाराशियां बढ़कर ₹16,524.70 करोड़ हो गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष में 17.53% की बढ़ोतरी हुई।
- कासा कुल जमाराशियां का 57.79% है, जो निर्धारित कासा अनुपात से ऊपर बना हुआ है (उपलब्धि 111.15%)।

IV. सरकारी पहलों का समर्थन:

- एमजीबी, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी सरकारी योजनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, उन्होंने 1,61,821 पीएमजेडीवाई

खाते खोले, जिससे 31 मार्च, 2026 तक कुल खातों की संख्या बढ़कर 40,61,921 हो गई।

- बैंक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एक अहम भूमिका निभाता है, जिसके तहत पीएमजेबीवाई (जीवन बीमा) के अंतर्गत 11.60 लाख, पीएमएसबीवाई (दुर्घटना बीमा) के अंतर्गत 38.26 लाख और एपीवाई (पेंशन योजना) के अंतर्गत 7.23 लाख ग्राहक शामिल हैं।
- एमजीबी, पीएमएमवाई (माइक्रो यूनिट्स मुद्रा योजना) स्कीम को सक्रिय रूप से समर्थन करता है, जिससे छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाया जाता है। साथ ही, पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, पीएमएफएमई, पीएम विश्वकर्मा जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य क्रेडिट योजना का भी समर्थन करता है।

V. प्रौद्योगिकी प्रगति:

सरकारी निर्देशों के अनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रायोजक बैंक के रूप में, एमजीबी को अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में सहायता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक द्वारा की गई पहलें निम्नानुसार हैं -

- नाबार्ड एसओपी के अनुसार, ईवीकेजीबी शाखाओं के लिए फिनेकल से बैंक्स 24 प्लेटफॉर्म पर सीबीएस माइग्रेशन डीएफएस द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- बैंक ने जन सुरक्षा पोर्टल को सफलतापूर्वक एकीकृत और लॉन्च किया है। यह पोर्टल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के डिजिटलीकरण की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें नामांकन से लेकर दावा प्रोसेसिंग और निपटान तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है।
- बैंक ने ऋण आवेदन की स्वचालित प्रक्रिया के लिए ऋण उद्गम प्रणाली (लोटस) शुरू की है। यह स्वीकृति पत्र और मूल्यांकन नोट का कार्यान्वयन स्वचालित रूप से उत्पन्न करता है। लोटस (LOTUS) अब कार ऋण, जीएसटी एमएसएमई योजना, आवास ऋण और



वैयक्तिक ऋण के लिए उपलब्ध है।

4. बैंक ने एसएमए और एनपीए मॉनिटरिंग के लिए समर्पित टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट (स्पेशल मेशन अकाउंट्स एंड एनपीए रिकवरी टूल), जो एसएमए और एनपीए अकाउंट्स की निगरानी के लिए वन स्पोर्ट सॉल्यूशन है। बैंक ने स्मार्ट पोर्टल का मोबाइल वर्जन भी लॉन्च किया है।
5. बैंक ने निर्बाध डिजिटल लेनदेन के लिए भारत ई-कॉमर्स पेमेंट गेटवे को सफलतापूर्वक लागू किया है।
6. बचत खाता खोलने के लिए बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है और ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला आरआरबी बन गया है।
7. बैंक ने खाताधारकों के लिए यूपीआई आधारित स्कैन साउंड बॉक्स सेवा शुरू की है। साउंड बॉक्स सेवा ग्राहकों को ऑडियो संदेशों के माध्यम से अपने खातों के बारे में वास्तविक समय के लेनदेन अपडेट और सूचनाएं प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे बैंकिंग अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो जाती है।
8. बैंक ने एनपीसीआई की मदद से यूपीआई लाइट की सेवाएं शुरू की हैं जिससे छोटे टोकन लेनदेन की सेवाओं में वृद्धि हुई है।
9. बैंक ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार सभी ग्राहकों को यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की हैं, जिससे सुरक्षित और सुविधाजनक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित होती हैं।
10. बैंक एटीएम कार्ड के बजाय आधार पर आधारित यूपीआई आईडी बनाने की प्रक्रिया को लागू करने वाले पहले आरआरबी में से एक है।
11. बैंक ने 10 वर्ष से अधिक अवधि के दावा न किए गए जमा को जमा करने की प्रणाली-जनरेटेड प्रक्रिया को मुख्यालय स्तर पर केंद्रीकृत कर दिया है, तथा बैंक ने प्रणाली के माध्यम से डीईएफ दावों की निगरानी और प्रोसेसिंग हेतु आंतरिक डीईएफ पोर्टल भी विकसित किया है।
12. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित क्रेडिट बैलेंस प्रविष्टियों की समीक्षा की गई है, और 7.08 करोड़ रुपये की राशि को ब्लॉक किए गए क्रेडिट खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है, और लागू मानदंडों के अनुसार दावों का निपटान किया जाएगा।

VI. डोर-स्टेप बैंकिंग:

एमजीबी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को सुविधाजनक डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 2174 बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट (बीसी) के नेटवर्क का लाभ उठाता है।

VII. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मेटको का प्रदर्शन

क. आपकी विरासत की सुरक्षा: महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी (एमईटीसीओ)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी,

मेटको, 80 से अधिक वर्षों से एक विश्वसनीय भागीदार रही है। 1946 में स्थापित, मेटको आपकी संपत्ति के प्रबंधन/वितरण के लिए सेवाओं का एक व्यापक समूह प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी इच्छाओं को पूरा किया जाए।

ख. मेटको की मुख्य सेवाएं :

1. **वसीयत प्रबंधन :** मेटको आपकी वसीयत का मसौदा तैयार करने, सुरक्षित रखने और उसे क्रियान्वित करने पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करता है। वे आपके निष्पादक के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी संपत्ति को आपकी इच्छाओं के अनुसार वितरित किया जाता है, जिसमें संपत्ति की बिक्री या इच्छित लाभार्थियों को हस्तांतरण भी शामिल है।
2. **ट्रस्ट प्रशासन:** मेटको निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के ट्रस्टों की स्थापना और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। एक प्रबंध ट्रस्टी के रूप में, यह ट्रस्ट प्रशासन के सभी पहलुओं का प्रबंधन करता है, जिसमें परिसंपत्ति प्रबंधन, विनियामक अनुपालन और धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति शामिल है।
3. **पावर ऑफ अटॉर्नी:** मेटको आपके नियुक्त पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में कार्य कर सकता है, आपकी ओर से निवेशों और अचल संपत्तियों का प्रबंधन कर सकता है। इन सेवाओं में संपत्ति का किराया, बिक्री और हस्तांतरण शामिल हैं।
4. **संरक्षकता:** न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षकता मामलों में, मेटको कानूनी संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो एक अवयस्क की संपत्ति का प्रबंधन करता है।

ग. मेटको की पहुंच और प्रभाव:

1. पुणे में मुख्यालय वाला मेटको पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर में शाखाओं के माध्यम से काम करता है, जो पूरे महाराष्ट्र में ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, मेटको अपनी चार इकाइयों के माध्यम से 887 से अधिक सार्वजनिक और निजी ट्रस्टों का प्रबंधन किया है।
3. मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, उन्होंने 69 नई वसीयतें जोड़ी हैं, जिससे उनके पास निष्पादन के लिए मौजूद सक्रिय वसीयतों की कुल संख्या 543 हो गई है।
4. वर्तमान में मेटको पावर ऑफ अटॉर्नी समझौतों के माध्यम से 30 सक्रिय पीओए खातों के लिए चल और अचल संपत्तियों का प्रबंधन करता है।
5. कंपनी, अपने 887 ट्रस्टों के प्रबंधन्यासी के रूप में, शिक्षा, चिकित्सा, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, कला और संस्कृति आदि के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करके गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को उत्प्रेरित करती है।



6. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने अपने ट्रस्ट के द्वारा 1259 जरूरतमंद लाभार्थियों को 256 लाख रुपये का दान भी दिया है।

घ. वित्तीय प्रदर्शन:

कंपनी ने वित्तीय प्रथाओं को बनाए रखा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, कंपनी ने 1.32 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज किया है, जो लगातार दूसरे वर्ष 1 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ है।

तकनीक जो सहज डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है।

- iii. **ग्राहक सेवा केंद्र (276 संख्या):** बैंक मित्रों द्वारा संचालित, ये केन्द्र आसानी से सुलभ स्थानों पर आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।
- iv. **गिफ्ट आईबीयू:** भारतीय कंपनियों के वैश्विक व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

ख. रणनीतिक विस्तार: बैंकिंग को आपके और करीब लाना

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के नेटवर्क विस्तार में रणनीतिक पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया:

- i. **नई शाखाएं:** बैंक ने 183 नई शाखाएं खोलकर अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार किया है। जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक समुदायों तक हमारी सेवाओं पहुंच सकेगी। इस वर्ष बैंक ने लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में कवरती में एक शाखा खोली है।
- ii. **उन्नत सीएसपी नेटवर्क:** बैंक रहित स्थानों पर निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 121 नए ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) जोड़े गए।

ग. विशिष्ट शाखाएं: अनुकूलित वित्तीय समाधान

हमारे नेटवर्क में विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शाखाएं शामिल हैं:

- i. विदेशी मुद्रा
- ii. सरकारी व्यवसाय
- iii. ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग
- iv. कॉर्पोरेट वित्त
- v. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
- vi. हाई-टेक कृषि
- vii. मध्यम कॉर्पोरेट
- viii. आवास वित्त
- ix. स्टार्टअप शाखा

15

संसाधन: बैंकिंग आउटलेट, कार्यबल, प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा और उससे आगे

15.1 पहुंच का विस्तार: बैंकिंग आउटलेट, एटीएम और पासबुक कियोस्क

हमारा बैंक लगातार अपने राष्ट्रीय पदचिह्न का विस्तार कर रहा है तथा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। 31 मार्च 2026 तक, हमारा नेटवर्क 3,061 बैंकिंग आउटलेट्स तक बढ़ गया है, जो 31 मार्च 2025 तक 2,761 आउटलेट्स से उल्लेखनीय रूप से वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, बैंक के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर गांधीनगर, गुजरात के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपनी पहली विदेशी शाखा स्थापित करना है। यह वृद्धि देश भर में सुविधाजनक और सुलभ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे समर्पण को रेखांकित करती है।

क. हर जरूरत के लिए विविधतापूर्ण नेटवर्क:

हमारा मजबूत नेटवर्क ग्राहक की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन गया है:

- i. **शाखाएँ (2782 संख्या):** रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से व्यापक बैंकिंग सेवाएं।
- ii. **डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (3 संख्या):** अत्याधुनिक

31.03.2025 की तुलना में 31.03.2026 को प्रकार के अनुसार बैंकिंग आउटलेट शाखाओं वर्गीकरण निम्नानुसार है:

31.03.2026 को बैंकिंग आउटलेट ब्यौरे

बैंकिंग आउटलेट के प्रकार	महानगरीय	शहरी	अर्ध शहरी	ग्रामीण	कुल
शाखा	690	624	829	639	2782
डिजिटल बैंकिंग इकाई	2	1	0	0	3
ग्राहक सेवा केन्द्र	0	0	0	276	276
कुल योग	692	625	829	915	3061

31.03.2025 को बैंकिंग आउटलेट ब्यौरे

बैंकिंग आउटलेट के प्रकार	महानगरीय	शहरी	अर्ध शहरी	ग्रामीण	कुल
शाखा	643	577	770	613	2603
डिजिटल बैंकिंग इकाई	2	1	0	0	3
ग्राहक सेवा केन्द्र	0	0	2	153	155
कुल योग	645	578	772	766	2761



16

रणनीतिक डाटा प्रबंधन: अनुकूलतम और भविष्य हेतु तैयार इको इकोसिस्टम का निर्माण:

डाटा प्रबंधन और अभिशासन बैंकिंग प्रणाली की तंत्रिका प्रणाली है। इस महत्वपूर्ण पहलू को समझते हुए और डाटा संचालित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बैंक को अनुकूलतम और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, बैंक ने रणनीतिक डाटा प्रबंधन वर्टिकल बनाया है। विभाग द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं-

क. डाटा गुणवत्ता पहल

बैंक ने प्रबंधन सूचना प्रणालियों (एमआईएस), विनियामक रिटर्न, ईज मेट्रिक्स, क्रेडिट आसूचना कंपनियों (सीआईसी), ग्राहक वैयक्तिक पहचान आसूचना (पीआईआई) और व्यवसाय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में बेहतर डाटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक उद्यम-व्यापी डाटा गुणवत्ता पोर्टल लागू किया है।

- पोर्टल वर्तमान में डाटा शुद्धिकरण के लिए फ़िल्ड स्टाफ को 174 डाटा गैप रिपोर्ट प्रदर्शित करता है।, जिसमें ईज 8.0 के माध्यम से ट्रिगर की गई 54 रिपोर्टें शामिल हैं।
- 69 डाटा गुणवत्ता रिपोर्टें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जोड़ी गईं, जिसमें चौथी तिमाही में पेश की गई 22 नई रिपोर्टें शामिल हैं, जो डाटा नियंत्रण में निरंतर वृद्धि को दर्शाती हैं।
- डाटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) स्कोर सभी स्थानों पर दैनिक आधार पर स्वतः प्राप्त और प्रकाशित किया जाता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

डाटा सुधार प्रयासों में पूरा लाइफसाइकल शामिल था, जिसमें शामिल हैं:

- डाटा कैप्चर स्तर के नियंत्रणों का कार्यान्वयन करना।
- डाटा मैपिंग और निष्कर्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करना।
- सीबीएस में पुराने डाटा की विसंगतियों को ठीक करना।

ख. डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क

वर्ष के दौरान, बैंक ने डाटा प्रबंधन के गवर्नेंस मेकनिज्म को और मजबूत किया है:

- बोर्ड ने डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, डीक्यूआई फ्रेमवर्क, डीक्यूआई स्कोरिंग पद्धति और संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को मंजूरी दी और उन्हें चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए प्रसारित किया है।
- ईज 8.0 निर्देशों के अनुरूप, उपयोगकर्ता विभागों के समन्वय में, नए डाटा अंतराल के निर्माण को रोकने के लिए, स्रोत प्रणालियों में नियंत्रण सत्यापन किए जा रहे हैं।
- स्वामित्व और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए व्यावसायिक मेट्रिक्स के साथ डीक्यूआई स्कोर को जोड़ दिया गया।

अतिरिक्त:

- डाटा उपयोग और एक्सेस गवर्नेंस को औपचारिक रूप देने के लिए डाटा कैटलॉग और डाटा उपयोग के अधिकारों पर एसओपी जारी किए गए थे।

- डाटा गुणवत्ता और डाटा गवर्नेंस पर फ़िल्ड स्टाफ के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसमें एचआरएमएस के माध्यम से आयोजित एक प्रश्नोत्तरी आधारित जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल था।

ग. केंद्रीय डाटा रिपॉजिटरी - एमआईएस - गंगा

वर्ष के दौरान बैंक के केंद्रीय डाटा रिपॉजिटरी, एमआईएस गंगा को और बेहतर किया गया:

- 24 स्रोत प्रणालियों के साथ इंटरफेस स्थापित किया गया, जो प्रतिदिन डाटा रिफ्रेश करता है।
- यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में 21 डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है, जो व्यवसाय, नियामक और विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं के लिए लगातार, नियंत्रित और स्वचालित डाटा आपूर्ति को सक्षम करता है।

घ. नियामक और एमआईएस रिपोर्टिंग का स्वचालन

अपनी कार्यस्थल स्वचालन और अनुपालन रणनीति के भाग के रूप में:

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 13 अतिरिक्त आरबीआई नियामक रिटर्न को स्वचालित किया, जिससे स्वचालित नियामक रिटर्न की कुल संख्या 58 हो गई।
- 22 अतिरिक्त एमआईएस रिपोर्टें वर्ष के दौरान स्वचालित किया गया है, जिससे स्वचालित एमआईएस रिपोर्टों की कुल संख्या 158 हो गई है।
- वर्तमान में कुल मिलाकर 216 स्वचालित रिपोर्टें उत्पादन में हैं, जो आंतरिक प्रबंधन और नियामक आवश्यकताओं दोनों को पूरा करती हैं, जिससे दक्षता, सटीकता और समयबद्धता में सुधार होता है।

ङ. क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) - डाटा गुणवत्ता में सुधार

बैंक ने क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ साझा किए गए डाटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देना जारी रखा:

- दिनांक 31.03.2026 तक,
 - ✦ सीआईसी उपभोक्ता डाटा स्वीकृति 98.58% थी, साथ ही 98.53% डीक्यूआई थी।
 - ✦ दिनांक 31.03.2025 तक वाणिज्यिक डाटा स्वीकृति 95.88% से बढ़कर 96.27% हो गई है, जबकि डीक्यूआई 78.29% से बढ़कर 90.02% हो गई है।

गुणवत्ता संवर्द्धन में डाटा फ़िल्ड का संवर्द्धन शामिल था जैसे:

- आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है,
- पैन, चेक बाउंस का डाटा, संबंधित पक्ष और कोलैटरल का विवरण,
- वीलफूल डीफाल्टर, सीकेवाईसी और कानूनी संविधान डाटा,
- आरओआई, गारंटर, व्यवसाय, संयुक्त उधारकर्ता, कंपनी पहचान, सह-उधार विवरण, क्रेडिट उत्पाद वर्गीकरण।
- एमएफआई (एसएचजी), गैर वित्त पोषित सुविधाएं और यूएचएफसी का संवर्द्धन।



बेहतर डाटा कैप्चर, मैपिंग और एक्सट्रैक्शन स्तरों पर नियंत्रणों के साथ-साथ पुराने डाटा की सफ़ाई के माध्यम से, उच्च स्वीकृती और डीक्यूआई स्तर प्राप्त करने के लिए भी प्रयास जारी है।

च. सीआईसी नीति और प्रक्रिया संवर्द्धन

बैंक ने वर्ष के दौरान नवीनतम आरबीआई परिपत्रों के अनुसार अपनी सीआईसी नीति और एसओपी को बेहतर करने के लिए संशोधित किया है :

- सीआईसी डाटा प्रस्तुतीकरण प्रक्रियाएँ
- शिकायत निपटान तंत्र
- सीआईसी डाटा गुणवत्ता और अनुपालन में सम्पूर्ण सुधार।

छ. सीआईसी आधारित उत्पाद, प्रारंभिक चेतावनी और धोखाधड़ी की रोकथाम

बैंक ने जोखिम प्रबंधन, व्यावसायिक अंतर्दृष्टि और ग्राहक सुरक्षा के लिए सीआईसी डाटा का लाभ उठाया:

- अन्य बैंकों में बकाया भुगतान न करने वाले ग्राहकों की पहचान करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के रूप में स्वचालित जोखिम अलर्ट लागू किए गए, जिसमें खातों को परिभाषित जोखिम वर्गों में वर्गीकृत किया गया।
- शाखा विस्तार के निर्णयों, लक्ष्य निर्धारण और पिन कोड स्तर पर सहकर्मि तुलना का सहायता के लिए, सीआईसी डाटा पर आधारित बाजार और व्यवसाय अंतर्दृष्टि रिपोर्टें पेश की गईं।
- सक्षम पूछताछ अलर्ट (बीआईजेड ट्रिगर्स) चालू किया गया है, जिसके तहत जब अन्य बैंकों में ऋण संबंधी पूछताछ देखी जाती है, तो उधारकर्ताओं को संबंधित बैंक के लोन ऑफ़र के साथ ऑटोमैटिक एसएमएस और ईमेल संदेश मिलते हैं।
- सीआईसी के माध्यम से उपलब्ध अतिरिक्त संपर्क जानकारी का उपयोग करके रिकवरी और कलेक्शन में सहायता के लिए उधारकर्ता ट्रेकर (स्किप ट्रेसिंग) कार्यक्षमता लागू की गई।
- गोल्ड ऋण, ई-जीएसटी, मुद्रा और पीपीएल उत्पादों के लिए डिजिटल ऋण यात्रा के दौरान धोखाधड़ी की रोकथाम करने वाले प्लेटफॉर्म हंटर को इस्तेमाल किया गया।

ज. ग्राहक जागरूकता और आउटरीच

वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए::

- जब सीआईसी को अतिदेय राशि की सूचना दी जाती है तो ग्राहकों को स्वचालित एसएमएस और ईमेल अलर्ट भेजे जाते हैं।
- बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए गए, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने के महत्व पर जोर दिया गया।

झ. सीआईसी शिकायत निवारण

बैंक ने सीआईसी से संबंधित शिकायतों के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र बनाया है:

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, **7,656 सीआईसी से संबंधित ग्राहक शिकायतों** का समाधान आरबीआई द्वारा निर्धारित 30 दिनों के टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) के भीतर किया गया था।
 - ✦ 55.85% 1 दिनों के भीतर हल किया गया,
 - ✦ 31.38% 2 - 6 दिनों के भीतर,
 - ✦ 10.74% 7 - 14 दिनों के भीतर,
 - ✦ 1.90% 15 - 21 दिनों के भीतर,
 - ✦ 0.13% 22 - 30 दिनों के भीतर,
2. **किसी भी मामले में कोई मुआवजा नहीं दिया गया**, जो समय पर और प्रभावी शिकायत निवारण को दर्शाता है।
3. दिनांक 31.03.2026 तक **48 शिकायतें** प्रक्रियाधीन थीं, जिनमें से सभी को निर्धारित समय सीमा के भीतर हल कर दिया गया था।
4. **पीएसबी हैकथॉन, पुरस्कार और सम्मान**
 - **फिनस्पार्क 2025 हैकथॉन** का सफलतापूर्वक आयोजन पीएसबी हैकथॉन श्रृंखला के तहत किया गया, जिसमें विजेता टीमों ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (जीएफएफ- 2025) में समाधान प्रस्तुत किए।
 - बैंक ने पीएसबी, निजी बैंकों और एनबीएफसी में लगातार तीन वर्षों तक कई श्रेणियों में **सर्वश्रेष्ठ मध्य आकार के बैंक** के लिए अधिकतम संख्या में **पुरस्कार** जीतकर **आईबीए पुरस्कारों** में हैट्रिक हासिल की।
 - बैंक को बैंकिंग प्रदर्शन, आईटी पहलों और ग्राहक केंद्रित सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए कई श्रेणियों में **आईबीईएक्स पुरस्कार** प्रदान किए गए।

निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की गई पहले प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन के प्रति बैंक के निरंतर और समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जिसमें ग्राहक सुविधा, परिचालन लचीलापन, डाटा अखंडता, साइबर सुरक्षा और नियामक अनुपालन पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने न केवल अपने मुख्य बैंकिंग और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया, बल्कि उद्यम डाटा गुणवत्ता, डाटा गवर्नेंस, नियामक रिपोर्टिंग के स्वचालन और बाहरी डाटा पारिस्थितिकी तंत्र के जिम्मेदार उपयोग पर भी महत्वपूर्ण जोर दिया गया है।

डाटा गुणवत्ता प्रबंधन, केंद्रीकृत डाटा रिपॉजिटरी, एमआईएस स्वचालन और क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) एकीकरण में केंद्रित हस्तक्षेपों ने नियामक रिपोर्टिंग, जोखिम प्रबंधन और व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा की सटीकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाया है। सीआईसी डाटा गुणवत्ता, शिकायत निवारण और ग्राहक जागरूकता में सुधार निष्पक्षता, ग्राहक सुरक्षा और पर्यवेक्षी अपेक्षाओं के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को बेहतर रेखांकित करता है।



आईटी विभाग ने स्केलेबल प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, नेटवर्क आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा, स्वचालन, कुशल जनशक्ति और मजबूत शासन ढांचे में निरंतर निवेश के माध्यम से एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार नींव रखी है। ये प्रयास बैंक को व्यापार वृद्धि में सहायता प्रदान करने, उभरती प्रौद्योगिकी और साइबर जोखिमों का सामना करने और आने वाले वर्षों में सुरक्षित, अनुपालन और ग्राहक केंद्रित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार करती हैं।

17

व्यवसाय विकास:

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक वित्त तथा शहरी विकास इकोसिस्टम में एकीकृत बैंकिंग सोल्यूशन प्रदान करके सरकार एवं संस्थागत ग्राहकों के विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। हमारी व्यवसाय विकास पहलों का मुख्य फोकस ग्राहक आधार का विस्तार, सेवा क्षमताओं का संवर्धन तथा सतत राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देना रहा है। बदलती बाज़ार परिस्थितियों के अनुरूप बैंक ने पारंपरिक जमा राशि संग्रहण से आगे बढ़ते हुए परियोजना-आधारित एवं लेन-देन उन्मुख बैंकिंग सेवाओं की दिशा में रणनीतिक परिवर्तन किया।

बैंक ने प्रमुख सरकारी संस्थाओं एवं बुनियादी ढांचा निकायों के साथ अपने जुड़ाव को और गहरा किया तथा भारतकोश (एनटीआरपी) जैसे डिजिटल सरकारी प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकरण को सुदृढ़ किया। ये प्रयास नवाचार, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण तथा पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन (इएसजी) सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर आधारित हैं, जो हितधारकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने तथा एक सतत एवं समावेशी विकास पथ में योगदान करने में सक्षम बनाते हैं।

रणनीतिक भागीदारी:

विशेषकर सरकारी व्यवसाय पर विशेष बल सहित सहभागिता बैंक की विकास रणनीति की कुंजी रही है। वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों तथा ब्यूरोक्रेटिक एवं न्यायिक तंत्र के साथ रणनीतिक साझेदारियाँ स्थापित एवं सुदृढ़ कीं। इन पहलों से उच्च-मूल्य ग्राहक वर्गों तक पहुँच बढ़ी, हमारे सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ तथा अनुकूलित बैंकिंग सोल्यूशन उपलब्ध कराने में सुविधा मिली। इन साझेदारियों से पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्राप्त हुए, जिससे बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत हुई तथा सरकारी एवं संस्थागत परिदृश्य में बैंक एक पसंदीदा बैंकिंग भागीदार के रूप में स्थापित हुआ।



सरकारी साझेदारी एवं मूल्य संवर्धित सेवाएं:

- इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मेगा परियोजना इकोसिस्टम
बैंक ने नई विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं राष्ट्र-निर्माण परियोजनाओं में सहभागिता कर अपने कासा आधार को और मजबूत किया, जिनमें शामिल हैं :

✦ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

✦ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य अंतर-घाटी जल अंतरण के माध्यम से पूर्वी राजस्थान में जल संकट का समाधान करना है। यह परियोजना पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय सतत विकास को प्रोत्साहित करती है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए इस परियोजना को विशेष राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ है।

सरकारी योजनाएं और एस्करो प्रबंधन

बैंक ने प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत धन के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इस प्रकार है :-

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं रोगों से होने वाले नुकसान के विरुद्ध व्यापक फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना तथा सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।

• मौसम आधारित फसल बीमा योजना

यह योजना वर्षा एवं तापमान जैसे प्रतिकूल मौसम मानकों के आधार पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। मौसम संबंधी आँकड़ों के माध्यम से त्वरित दावा निपटान संभव होता है तथा उपज आकलन की जटिलताएँ कम होती हैं।

• मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम लक्षित कल्याणकारी पहलों के माध्यम से आजीविका के अवसरों एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य स्वरोज़गार को प्रोत्साहित कर लाभार्थियों को सशक्त बनाना तथा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है।

मिशन-संचालित और राष्ट्रीय प्राथमिकता परियोजनाएं

नीचे उल्लिखित राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता बैंक की सतत विकास-उन्मुख एवं मिशन-आधारित पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

• राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु प्रमुख कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण, नदी सतह की सफाई तथा सतत इकोसिस्टम पुनर्स्थापन है।



राजस्थान संरक्षित क्षेत्र संरक्षण सोसायटी

राजस्थान संरक्षित क्षेत्र संरक्षण समिति राज्य के संरक्षित वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन की दिशा में कार्य करती है। यह जैव-विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को समर्थन प्रदान करती है।

शहरी स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरण

प्रमुख विकास प्राधिकरणों और शहरी निकायों के साथ बैंकिंग संबंध स्थापित और मजबूत किए गए, जिनमें शामिल हैं:

आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा में नियोजित शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह भूमि उपयोग योजना, आवास विकास और नागरिक सुविधाओं के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करता है।

शहरी सुधार ट्रस्ट (बालोतरा)

शहरी सुधार ट्रस्ट नामित शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे और आवास का विकास करता है। इसका उद्देश्य नियोजित शहरी विस्तार, भूमि विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार करना है।

पोलावरम विकास प्राधिकरण

पोलावरम विकास प्राधिकरण, पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के निष्पादन की देखरेख करता है। यह सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है।

सरकारी मंचों के साथ एकीकरण

- भारतकोश (एनटीआरपी पोर्टल) के साथ एकीकरण ने निर्बाध गैर-कर राजस्व संग्रह को सक्षम किया
- मजबूत डिजिटल लेनदेन प्रवाह और बेहतर फ्लोट प्रबंधन

संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र विकास

- एनएचआई, सीएसआईआर, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों को रणनीतिक रूप से सूचीबद्ध करना
- इन संस्थानों को सेवा देने के लिए क्षेत्रों में सक्षम शाखाएं, पहुंच में सुधार और संबंधों को गहरा करना
- आगामी नेताजी नगर शाखा के माध्यम से केंद्र सरकार के पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थिति का विस्तार, जिसे बहु-मंत्रालय बैंकिंग केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

इन पहलों ने बैंक के संस्थागत पदचिह्न को मजबूत किया है और स्केलेबल व्यवसाय विकास को सुगम बनाया है।

केन्द्रीय सरकार वेतन योजना - सीजी 2025 पहल

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, वित्तीय सेवाएँ विभाग के साथ उचित परामर्श में, बैंक ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ जुड़ाव को गहरा करने और मंत्रालयों और विभागों में बैंक की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए सीजी 2025 पहल की परिकल्पना की और उसे लागू किया।

अनुकूलित योजनाओं के तहत प्रदर्शन और परिणाम

योजना	विवरण	नवीन	परिवर्तन
सीजी -2025	खातों की संख्या	1497	1132
	शेष (रु. करोड़)	3.18	17.89
गवप्राइड	खातों की संख्या	3622	5640
	शेष (रु. करोड़)	13.61	91.82

योजना	विवरण	आवास ऋण	वाहन ऋण	व्यक्तिगत ऋण
एलीट प्लस	खातों की संख्या	293	34	63
	शेष (रु. करोड़)	287.81	5.82	8.22
न्यायिक अधिकारी	खातों की संख्या	339	520	121
	शेष (रु. करोड़)	174.89	62.37	14.07

18

मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) विभाग व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक सक्षम और उत्साही कार्यबल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए क्षमता और जुनून पैदा करना के बैंक के मानव संसाधन मिशन के साथ संरेखित, एचआरएम विभाग नीचे दिए गए प्रमुख कार्यों के लिए जिम्मेदार है:

- प्रतिभा अधिग्रहण और भर्ती
- कर्मचारी विकास और प्रशिक्षण
- कार्य निष्पादन प्रबंधन
- नीति निर्माण और अनुपालन
- कर्मचारी संबंध और कल्याण

मानवबल क्षमता:

31 मार्च 2026 को बैंक का कुल मानवबल 15596 था। कर्मचारियों की श्रेणी का विवरण निम्नानुसार है।

संवर्ग	अधिकारी	लिपिक	सब-स्टाफ	कुल
संख्या	10279	3777	1540	15596

बैंक विभिन्न संवर्गों में स्टाफ सदस्यों की आवश्यकताओं की व्यापक वार्षिक समीक्षा करता है, व्यवसाय वृद्धि, भविष्य की शाखा विस्तार और युक्तिकरण योजनाओं तथा त्यागपत्रों, सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित कमी के मद्देनजर रिक्तियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता है, जिससे एक सुव्यवस्थित और दूरदर्शी मानव संसाधन रणनीति सुनिश्चित होती है।



लैंगिक विविधता (जेंडर डाइवर्सिटी):

जेंडर संवेदनशीलता और समावेशिता के साथ-साथ जेंडर अनुकूल स्थान हमेशा बैंक की मानव संसाधन नीति का आधार रहा है। कुल कार्यबल में से, महिलाओं का प्रतिनिधित्व 29.23% है जो सभी भौगोलिक क्षेत्रों और संगठनात्मक स्तरों में फैला हुआ है।

हमारे बैंक में कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है।

श्रेणी	पुरुष	%	महिला	%	कुल
अधिकारी	7278	70.80	3001	29.20	10279
लिपिक	2396	63.44	1381	36.56	3777
सब-स्टाफ	1364	88.57	176	11.43	1540
कुल	11038	70.77	4558	29.23	15596

आरक्षण प्रकोष्ठ:

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, बैंक अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण सुनिश्चित करता है, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति आरक्षण निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बढ़ा कर दिया जाता है। समानता और समावेशन के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, आरक्षण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने और एससी/एसटी/ओबीसी के कर्मचारियों, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रधान कार्यालय और सभी अंचल कार्यालयों में विशेष प्रकोष्ठ कार्यरत हैं। इसके अलावा, बैंक ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं और प्रत्येक अंचल कार्यालय में समर्पित एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

जाति/संवर्ग	सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	*पीडब्ल्यूबीडी	ईएसएम	कुल
अधिकारी	4665	3014	1562	705	333	269	52	10279
लिपिक	1711	991	624	349	102	118	204	3777
सब-स्टॉफ	492	396	482	170	-	20	91	1540
कुल	6868	4401	2668	1224	435	407	347	15596

* पीडब्ल्यूबीडी:

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक द्वारा आरक्षित श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और उनके करियर की प्रगति में सहायता करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।

बैंक ने एससी/एसटी कर्मचारियों और कल्याण संघों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिसमें आरक्षण नीति, पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण और संबंधित विषयों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना और भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है।

एचआर प्रशासन और नीतियां:

संगठन को निरंतर सफलता की ओर ले जाने में मानव पूंजी का प्रबंधन करना सबसे महत्वपूर्ण और गतिशील कार्यों में से एक है। बैंक के संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता उसके कर्मचारियों के प्रदर्शन और जुड़ाव के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इसे पहचानते हुए, बैंक ने अपनी प्रशासनिक नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से कई मानव संसाधन पहलों को लागू किया है।

वर्ष के दौरान प्रमुख विकासों में शामिल हैं:

- सहयोगात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए टीम लीडर्स, संघ प्रतिनिधियों और अन्य क्षेत्र पदाधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना।
- ऐसी नीतियां बनाना जो अनुशासन, प्रतिबद्धता और कर्तव्य के प्रति समर्पण पर जोर देती हैं, जिससे कर्मचारी उत्पादकता और संगठनात्मक दक्षता में वृद्धि होती है।
- भर्ती प्रक्रिया

अध्ययन और विकास:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट निरंतर विकास के लिए निरंतर सीखने के दर्शन पर आधारित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्मचारी न केवल तकनीकी दक्षताओं से लैस हैं, बल्कि सही मानसिकता, ग्राहक अभिविन्यास और नेतृत्व क्षमताओं से भी सशक्त हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का दृष्टिकोण प्रशिक्षण वितरण से क्षमता निर्माण की ओर बढ़ना रहा है, जो इस पर केंद्रित है:

- भविष्य के लिए तैयार कौशल
- कर्मचारी कल्याण और जुड़ाव
- नेतृत्व पाइपलाइन को मजबूत करना
- डिजिटल और स्व-गति सीखने के पारिस्थितिकी तंत्र

वित्तीय वर्ष 2025-26 में रणनीतिक फोकस क्षेत्र: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने क्षमता निर्माण, कर्मचारी जुड़ाव और समग्र विकास पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ अपने सीखने के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया, जिससे व्यावसायिक प्राथमिकताओं और उभरती उद्योग आवश्यकताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित हुआ।

बैंक के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे, जिसमें स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (एसटीसी), आईटीआई और अन्य केंद्र शामिल हैं, ने प्रभावी प्रशिक्षण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कक्षा सत्रों, आभासी शिक्षा और अनुभवात्मक कार्यशालाओं के संतुलित दृष्टिकोण ने व्यापक पहुंच और बेहतर सीखने के परिणाम सुनिश्चित किए।



क. कार्यात्मक और तकनीकी प्रशिक्षण

- ✦ क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी संचालन।
- ✦ नियामक अनुपालन, आईटीआईएल प्रशिक्षण और प्रमाणन और लेखा परीक्षा तत्परता।
- ✦ डिजिटल बैंकिंग, जेन एआई और एमएल बूट कैंप और फिनटेक जागरूकता।

ख. व्यवहारिक और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग

- ✦ ग्राहक सेवा उत्कृष्टता।
- ✦ संचार और पारस्परिक प्रभावशीलता।
- ✦ नेतृत्व और प्रबंधकीय प्रभावशीलता के प्रति सचेतनता पर सत्र।

ग. प्रेरण और भूमिका-आधारित प्रशिक्षण

- ✦ नए रंगरूटों के लिए संरचित ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम।
- ✦ बीडीओ, शाखा प्रमुखों और परिचालन कर्मचारियों के लिए भूमिका-विशिष्ट प्रशिक्षण।

घ. नेतृत्व विकास पहल

- ✦ वरिष्ठ और मध्य-स्तरीय अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास योजना (एलडीपी)।
- ✦ मूल्यांकन केंद्र आधारित विकास हस्तक्षेप।
- ✦ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से कोचिंग और मार्गदर्शन सत्र।

ङ. विशिष्ट और विषयगत कार्यक्रम

- ✦ दिव्यांग कर्मचारियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ✦ कृषि और एमएसएमई क्षेत्र पर विदेशी प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और एक्सपोजर यात्रा
- ✦ महिला सशक्तिकरण और समावेशिता पहल

प्रमुख पहल और नवाचार:

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कई सुविचारित और प्रभावशाली पहलें देखी गईं:

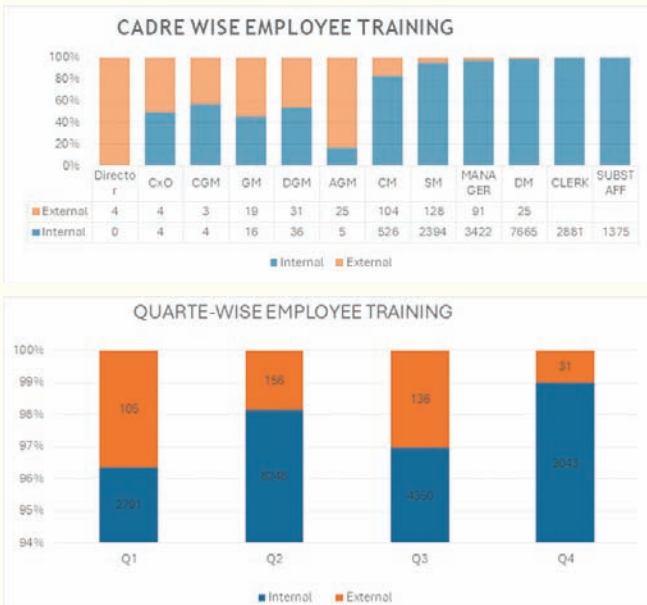
- **कला लेजर** - नवाचार और समग्र जुड़ाव की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, बैंक ने एक अनूठा मंच स्थापित किया है जो कर्मचारियों की रचनात्मक क्षमता को उजागर करता है, नए दृष्टिकोण और समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देता है। इस पहल ने प्रगतिशील मानव संसाधन प्रथाओं में बैंक के नेतृत्व को रेखांकित करते हुए, स्कोच ग्रुप अवार्ड्स में बीएफएसआई श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार के साथ राष्ट्रीय मान्यता अर्जित की है।
- **एचआर जेनी** - एचआर सेवा वितरण को फिर से परिभाषित करते हुए, बैंक ने एक एआई-संचालित आभासी सहायक को संस्थागत रूप दिया है जो तत्काल, सुसंगत और बुद्धिमान कर्मचारी सहायता को सक्षम बनाता है, जिससे पूरे संगठन में पहुंच, निर्णय दक्षता और डिजिटल अपनाने में काफी वृद्धि होती है।
- **इको** - एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में अच्छी तरह से

कल्याण को एम्बेड करते हुए, बैंक ने एक व्यापक कर्मचारी सहायता कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे भावनात्मक लचीलापन, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जिससे कार्यबल स्थिरता और उत्पादकता मजबूत होती है।

- **कर्मयोगी एकीकरण** - राष्ट्रीय शिक्षण पहलों को बैंक के प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में सेवा भाव के साथ प्रमुख प्रभाव के रूप में एम्बेड करना। हमारे बैंक ने फरवरी 2026 तक 15522 में से 9333 कर्मचारियों को कर्मयोगी प्रशिक्षण प्रदान किया है, जो कुल कर्मचारी संख्या का लगभग 60% है।
- **मिश्रित शिक्षण मॉडल** - अधिकतम पहुंच और प्रभावशीलता के लिए कक्षा, आभासी और स्व-गति मॉड्यूल के संयोजन के साथ आपके बैंक के एसटीसी में हमने बेहतर समन्वय और वितरण के साथ सभी केंद्रों के उपयोग को अनुकूलित किया।
- बैंक ने क्षेत्रीय भाषा की समझ और सांकेतिक भाषा जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) पर एक पॉडकास्ट श्रृंखला भी शुरू की है। यह पहल एक अधिक समावेशी, सहानुभूतिपूर्ण और ग्राहक-केंद्रित कार्यस्थल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप कर्मचारी भागीदारी में वृद्धि हुई है, क्षमता स्तर में सुधार हुआ है, और संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मजबूत संरेखण हुआ है। डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्मों को अपनाने में वृद्धि और उच्च जुड़ाव स्तर निरंतर और स्व-संचालित सीखने की संस्कृति की ओर सकारात्मक बदलाव को दर्शाते हैं।

प्रमुख मानदंड	25 मार्च (वास्तविक)	26 मार्च (वास्तविक)
अनूठे शिक्षण उपाय	11,169	14551
प्रशिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या	18754	18432
विदेश में/विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	9
कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंतरिक)	374	214
कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (बाहरी)	118	101
वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंतरिक)	42	18
वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम (बाहरी)	8	01
आईसीटी का उपयोग - वेबिनार	22	24
आईसीटी का उपयोग - पॉडकास्ट	16	2
क्रॉस बैंक ट्रेनिंग	7	1
एलएमएस और कौशल अंतर विश्लेषण पर प्रश्नोत्तरी	36+	42



भविष्य के लिए तैयार लीडरशिप पाइपलाइन बनाने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में, बैंक लगातार कई उच्च-प्रभाव वाले विकासात्मक उपायों को संस्थागत रूप दे रहा है। ओवरसीज ट्रेनिंग एंड स्टडी टूर, डायरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, संरचित कोचिंग एंगेजमेंट, व्यक्तिगत विकास योजना (आईडीपी), लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और व्यापक उच्च प्रदर्शन और उच्च क्षमता आकलन जैसी प्रमुख पहलें हमारी प्रतिभा रणनीति के अभिन्न अंग बनी हुई हैं।

इन्हें मज़बूत उत्तराधिकार नियोजन ढांचों और एक सुव्यवस्थित मेंटरशिप आवंटन कार्यक्रम के ज़रिए और भी सुदृढ़ बनाया जाता है, जिसमें वर्तमान में पूरे संगठन में 5,494 मेंटर और 15,389 मेंटीज शामिल हैं। इसके अलावा, सूचीबद्ध संस्थानों के सहयोग से आयोजित बड़े पैमाने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार क्षमता निर्माण का कार्य किया जाता है। भविष्य में, ये पहलें न केवल एक मुख्य और निरंतर दृष्टिकोण के रूप में जारी रहेंगी, बल्कि डाटा-आधारित अंतर्दृष्टि, उभरती दक्षताओं और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाते हुए, अधिक सटीक और भविष्य-उन्मुख दिशा में विकसित भी होंगी, ताकि संगठन की निरंतर उत्कृष्टता सुनिश्चित की जा सके।

भविष्य को देखते हुए, बैंक का लक्ष्य डाटा-आधारित जानकारी, पर्सनलाइज़्ड लर्निंग तरीकों और उभरती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने एल एंड डी फ्रेमवर्क को और मज़बूत बनाना है। मुख्य क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, कस्टमर अनुभव और इनोवेशन में कौशल बढ़ाना शामिल होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया

जा सके कि कर्मचारी बदलते हुए बैंकिंग परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह सुसज्जित रहें।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सीखने और विकास की यात्रा इस विश्वास से प्रेरित होकर विकसित हो रही है कि लोगों में निवेश करना संगठन के भविष्य को आकार देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है।

भर्ती:

बैंक ने कुछ मापदंडों जैसे कि पलायन, व्यवसायिक स्थिति, न्यूनतम स्टाफिंग पैटर्न आदि के आधार पर मैनपावर प्लानिंग के अनुसार विभिन्न पैमानों में 1850 अधिकारियों और 500 लिपिकों की रिक्ति की पहचान की है, जिनमें से 1275 अधिकारियों (स्केल I - 951, स्केल II - 207, स्केल III - 71, स्केल IV - 24, स्केल V - 15, स्केल VI - 5 और स्केल VII - 2) और 393 लिपिकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इसके अलावा, बैंक पूरी तरह से इन-हाउस, ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तित हो गया है, जो आवेदन प्रबंधन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग कार्मिक चयन (आईबीपीएस) पर निर्भर रहने की पिछली प्रथा से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। आपके बैंक के अपने भर्ती पोर्टल के विकास के साथ, बैंक अब स्वतंत्र रूप से पूरी आवेदन प्रक्रिया को संभालता है, जिससे प्रतिभा अधिग्रहण के दौरान अधिक दक्षता, पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

बैंक ने भारत सरकार/आईबीए दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति योजना की समीक्षा की है, जिसका उद्देश्य मृतक कर्मचारियों के निर्धन परिवार को वित्तीय राहत प्रदान करना है। बैंक ने लिपिक संवर्ग और उप-कर्मचारी संवर्ग में क्रमशः 22 और 24 उम्मीदवारों को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की है।

कैरियर प्रगति (पदोन्नति 2025-26):

पदोन्नति कर्मचारियों के लिए प्रमुख प्रेरक कारकों में से एक है क्योंकि यह उच्च जिम्मेदारियां, मौद्रिक लाभ और स्थिति लाता है। यह पदोन्नति प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अनुमोदित पदोन्नति नीति के आधार पर हर साल की जाती है, जिसे भारत सरकार और अन्य नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया जाता है और बैंक की व्यावसायिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, साथ ही उच्च स्तर पर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। बैंक द्वारा कर्मचारियों के प्रदर्शन और प्रेरणा के लिए पुरस्कृत करने के लिए उनके कैरियर की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं।

जेएमजीएस-I से एमएमजीएस-II	एमएमजीएस-II से एमएमजीएस-III	एमएमजीएस-III से एसएमजीएस-IV	एसएमजीएस-IV से एसएमजीएस-V	एसएमजीएस-V से टीईजीएस-VI तक	टीईजीएस-VI से टीईजीएस-VII तक	टीईजीएस-VII से टीईजीएस-VIII	लिपिक से जेएमजीएस-I	सब-स्टाफ/ लिपिक को पीटीएस
194	199	65	29	10	4	3	102	32



कर्मचारी लाभ और कल्याण गतिविधियों का सुधार:

बैंक ने कर्मचारियों द्वारा बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किए गए प्रयासों को स्वीकार किया है। कर्मचारियों के प्रयासों को पहचानने और उन्हें प्रेरित करने के लिए बैंक द्वारा निम्नलिखित पहल की गई है।

8वें संयुक्त नोट और दख-द्विपक्षीय समझौते के अनुसार परफार्मेंस लिंकड प्रोत्साहन राशि (पीएलआई) का भुगतान: वर्ष 2024-25 के लिए बैंकों के वित्तीय परिणामों के आधार पर, बैंक ने स्केल III तक के सभी कर्मचारियों को 15 दिनों का प्रदर्शन लिंकड प्रोत्साहन दिया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए सभी कर्मचारियों को 3,000 रुपये का भुगतान: वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक के परिवर्तनकारी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए और इस अवसर को मनाने के लिए, बैंक ने बैंक के प्रति उनकी सेवा की सराहना के प्रतीक के रूप में सभी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार, मिठाई, सूखे मेवे आदि की खरीद के लिए 3,000 रुपये का भुगतान किया है।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति: कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और सराहना के प्रतीक के रूप में, बैंक ने अच्छे स्वास्थ्य के रखरखाव (योग/ध्यान/हेल्थ क्लब आदि में शामिल होना) के प्रति विशेष एकमुश्त रूप में प्रति कर्मचारी 5,500 रुपये की प्रतिपूर्ति की घोषणा की।

सेवानिवृत्त लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए प्रतिपूर्ति: बैंक ने एकमुश्त उपाय के रूप में सेवानिवृत्त लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए 2000 रुपये की प्रतिपूर्ति भी की थी।

IV. 9.0 ईज़ डिजिटल अपनाने से आगे बढ़कर एआई-नेतृत्व वाले परिवर्तन, सतत विकास, लचीलापन और संस्थागत उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है - विकसित भारत की दृष्टि के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग सुधारों को संरेखित करता है। ढांचा 16 कार्य बिंदुओं के ईर्द-गिर्द संरचित है, जिन्हें चार रणनीतिक विषयों के तहत समूहीकृत किया गया है।

1. जोखिम और लचीलापन	2. नवाचार
3. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (विकसित भारत)	4. उत्कृष्टता

V. बैंक का प्रदर्शन:

बैंक ने ईज़ 8.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान थीम 1 (जोखिम और लचीलापन) में तीसरा स्थान हासिल किया।

बैंक ने ईज़ 8.0 के अंतर्गत अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है; वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में, बैंक ने अपने आधारभूत स्कोर 26.3 से 154% की बढ़त दर्ज करते हुए 100 में से 66.9 का स्कोर हासिल किया है।

परिणाम का विवरण निम्नानुसार है:

ईज़ 8.0 में बैंक की स्थिति	31/12/2025 की स्थिति
कुल प्राप्त अंक	66.90
12 बैंकों में से बैंक की स्थिति	नौवीं

19

ईज़ पहल

- I. उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज़) वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2018 में शुरू की गई एक प्रमुख सुधार पहल है। कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर दक्षता, पारदर्शिता, शासन और ग्राहक-केंद्रित सेवा वितरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रदर्शन को बढ़ाना है।
- II. नवीनतम चरण, ईज़ राइज़ 9.0, 20 फरवरी 2026 को सचिव, डीएफएस द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग को अधिक डिजिटल रूप से सशक्त, आधुनिक और ग्राहक-प्रथम पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह चरण विकसित भारत 2047 के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पीएसबी विकसित करने पर केंद्रित है।
- III. ईज़ राइज़ 9.0 के प्रमुख उद्देश्य: विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, प्रौद्योगिकी-संचालित, लचीला और ग्राहक-केंद्रित संस्थानों में बदलना।

20

प्रौद्योगिकी पहल:

ग्राहक सहजता, विश्वास और आईटी परिवर्तन को बढ़ाना। वित्तीय वर्ष 2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ग्राहक सुविधा, सेवा विश्वसनीयता, परिचालन लचीलापन और नियामक विश्वास को बढ़ाने पर फोकस करते हुए एक रणनीतिक रूप से संरेखित परिवर्तन एजेंडा को क्रियान्वित किया है। वर्ष के दौरान की गई पहलों ने भविष्य के विकास और अनुपालन के लिए बैंक की तैयारी को मजबूत करते हुए सुरक्षित, सहजता से उपलब्ध ग्राहक अनुकूल बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित की हैं।

1. ग्राहक केंद्रित टेक-बैंकिंग पहल

- कारिक्स बल्क ई-मेल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओमनी चैनल ग्राहक संचार को मजबूत किया गया, जिससे विवरणों और संचार की तेज और विश्वसनीय डिलीवरी सुनिश्चित हुई।
- प्रमुख ग्राहक-फेसिंग एप्लीकेशनों को कॉर्पोरेट वेबसाइट पर स्थानांतरित किया गया, जिसमें एक संशोधित एसपीजीआरएस पोर्टल और डीईएफ पोर्टल का शुभारंभ, पारदर्शिता में सुधार,



शिकायत समाधान और जमाकर्ता जागरूकता शामिल हैं।

- पारदर्शी, ऑडिट योग्य और ग्राहक नियंत्रित डिजिटल संचार को सक्षम करने, डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) फ्रेमवर्क को लागू करने में अग्रसर रहा।
- स्व-निर्मित समाधान के माध्यम से भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के साथ एपीआई एकीकरण को सक्षम करने वाला **पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक** बना, जिससे न्यूनतम विलंब सहित वास्तविक समय धोखाधड़ी प्रतिक्रिया को काफी सशक्त किया।

2. लचीला और स्केलेबल कोर इंफ्रास्ट्रक्चर

- आईबीएम पावर सिस्टम में उन्नत कोर बैंकिंग समाधान, लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के बावजूद दिन के अंत में प्रोसेसिंग समय को 3.5 घंटे से घटाकर 2 घंटे से कम कर दिया गया।
- **नक्षत्र-1 और नक्षत्र-2** कार्यक्रम के अंतर्गत डाटा सेंटर, डीआर और नियर डीआर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया, उच्च उपलब्धता, दोष सहनशीलता और केंद्रीकृत प्रबंधन के साथ एक सॉफ्टवेयर परिभाषित, क्लाउड तैयार निजी बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई।
- प्रति सेकंड 800 से अधिक सीबीएस लेनदेन का समर्थन करने के लिए उन्नत सर्वर, भंडारण और प्रोसेसिंग क्षमता।
- निर्बाध ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करते हुए, बैंक के प्रमुख मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, **ज़ेनलाइफ** के लिए एक मजबूत और लचीला आईटी बुनियादी ढांचा विकसित किया।
- महत्वपूर्ण प्रणालियों की सक्रिय निगरानी और तेजी से सेवा बहाली के लिए 24 X 7 **आईटी कमांड और रेजिलिएंसी ऑपरेशंस सेंटर** की स्थापना की गई।

3. नेटवर्क आधुनिकीकरण

- 2,700 से अधिक शाखाओं और 50 अंचल कार्यालयों को **एसडी-डब्ल्यूएन** में स्थानांतरित किया गया, जिससे उपलब्धता, दृश्यता और समस्या समाधान में सुधार हुआ।
- उच्च गति लिंक के नियोजन और वीएसएटी से आरएफ और लीज्ड लाइनों पर माइग्रेशन के माध्यम से संवर्धित नेटवर्क बैकबोन, विलंबता को कम करना और प्रवाह क्षमता में सुधार करना।

4. सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन

- डीसी और डीआर में अगली पीढ़ी के फ़ायरवॉल के साथ उन्नत परिधि और आंतरिक सुरक्षा बुनियादी ढांचा।
- नए आईबीएम हार्डवेयर और डीआर ऑटोमेशन टूल के कार्यान्वयन के माध्यम से आपदा रिकवरी क्षमताओं को बढ़ाया गया।
- एसएसटी और डीएसटी परीक्षण और सक्रिय निर्देशिका प्रबंधन उपकरण के माध्यम से मानकीकृत पहचान नियंत्रण द्वारा एप्लिकेशन सुरक्षा को मजबूत किया गया।
- सीमा पार व्यापार लेनदेन की अनुपालन निगरानी के लिए आरबीआई द्वारा अनिवार्य आईडीपीएमएस और ईडीपीएमएस का

लाभ उठाते हुए टीआरआरएसीएस प्रणाली का निरंतर संचालन और विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (एफसीएसएस) का कार्यान्वयन शुरू किया गया।

- भुगतान सुरक्षा और वैश्विक मानकों के अनुपालन को मजबूत करते हुए **पीसीआई डीएसएस प्रमाणन** सफलतापूर्वक हासिल किया।

5. स्वचालन, डेवऑप्स और आंतरिक आईटी सक्षमता

- सीआई/सीडी स्वचालन और मानकीकृत रिलीज प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मास्टर क्राफ्ट डेवऑप्स प्लेटफॉर्म को कार्यान्वित किया गया।
- एकीकृत एंडपॉइंट प्रबंधन, पूरे उद्यम में एंडपॉइंट सुरक्षा और अनुपालन को मजबूत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंटीयून लॉन्च किया गया।
- एपीआई एकीकरणों की सुरक्षा, अनुपालन और गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए गूगल अपीजी को एंटरप्राइज़ एपीआई गेटवे के रूप में लागू किया गया।

6. क्षमता निर्माण एवं गवर्नेंस

- एपीआई, मिडलवेयर, डेवसेकऑप्स और क्लाउड जैसे प्रमुख डोमेन में अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके आईटी नेतृत्व और निष्पादन क्षमता को मजबूत किया गया।
- नियमित सीबीएस परियोजना प्रबंधन कार्यालय के अलावा गवर्नेंस और वितरण को बढ़ाने के लिए गिफ्ट आईबीयू संचालन और टीआरआईएस के लिए दो अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन कार्यालय स्थापित किए गए।
- सीबीएस, एलएलएमएस, इन-हाउस डेवलपमेंट इत्यादि जैसी सभी आईटी प्रणालियों के लिए संस्थागत परिवर्तन सलाहकार बोर्ड (सीएबी) आधारित गवर्नेंस, परिवर्तन अनुरोध, जोखिम संरेखण और ऑडिट ट्रेसबिलिटी में सुधार।

7. एंटरप्राइज़ डाटा प्रबंधन, गवर्नेंस और विश्लेषण

विनियामक अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, सूचित निर्णय लेने और ग्राहक सुरक्षा के लिए डाटा को एक महत्वपूर्ण उद्यम संपत्ति के रूप में मान्यता देते हुए, बैंक ने डाटा गुणवत्ता, गवर्नेंस, स्वचालन और क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) एकीकरण को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रित पहल की।

20.1 फिनटेक साझेदारी का उपयोग करना:

I. त्वरित डिजिटल परिवर्तन

बैंक ने रणनीतिक रूप से 114 फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) कंपनियों को सूचीबद्ध किया है और विभिन्न तकनीकी पहलों के विकास के लिए 16+ फिनटेक के साथ काम कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

- उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपनी जारी डिजिटल परिवर्तन पहल के हिस्से के रूप में एक उन्नत मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, **ज़ेन लाइफ** को



सफलतापूर्वक लागू किया। अपग्रेड किए गए एप्लिकेशन में काफी बेहतर उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और उपयोगकर्ता अनुभव (यूआई/यूएक्स) की सुविधा है, जो ग्राहक जुड़ाव और उपयोग को सहज बनाने के लिए आधुनिक रूप में डिज़ाइन किया गया है। ज़ेन लाइफ़ बेहतर नेविगेशन, तेज़ प्रतिक्रिया समय, बढ़ी हुई एप्लिकेशन स्थिरता और उच्च उपलब्धता के माध्यम से एक समृद्ध और निर्बाध ग्राहक यात्रा प्रदान करता है। बैंकिंग सेवाओं की मौजूदा श्रृंखला के अलावा, एप्लिकेशन अब विस्तारित बैंकिंग और जीवनशैली सेवाएं प्रदान करता है जो ग्राहकों को एक एकीकृत मंच के माध्यम से अपनी वित्तीय और गैर-वित्तीय जरूरतों को प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।

बैंक की डिजिटल क्षमताओं को और मजबूत करते हुए, इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन में एक नया उत्पाद ग्लोबल एज अकाउंट मैनेजमेंट लागू किया गया। यह समाधान ग्राहकों को अपने स्पेंड, रिजर्व और ग्रोथ खातों को डिजिटल रूप से कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।

- ii. **नवोन्मेषी यूपीआई समाधान:** बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी यूपीआई पेशकशों में विभिन्न संवर्धन पेश किए। बैंक ने अपने रिटेल ग्राहकों के लिए आरबीआई द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) प्लेटफॉर्म को सक्षम किया है, जिसे डिजिटल रुपया (ई२) के रूप में जाना जाता है। ई२ भारत की राष्ट्रिय मुद्रा का डिजिटल रूप है और इसकी कानूनी स्थिति और मूल्य भौतिक नकदी के समान है। एक सुरक्षित डिजिटल वॉलेट में संग्रहीत, डिजिटल रुपया का उपयोग पी2पी और व्यापारी लेनदेन के लिए किया जा सकता है, जो पारंपरिक बैंकिंग मध्यस्थों पर निर्भरता के बिना निर्बाध डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है और ग्राहकों के लिए वैकल्पिक डिजिटल भुगतान मंच के रूप में कार्य करता है।

20.2 साइबर सुरक्षा

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने सिस्टम, डाटा और हितधारकों की सुरक्षा के लिए अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को सशक्त करने के लिए अपनी सुदृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस प्रतिबद्धता को अधिक जटिल और तेजी से विकसित हो रहे साइबर खतरे के परिदृश्य के विरुद्ध बैंक को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन की गई और कई रणनीतिक पहलों और तकनीकी संवर्धन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था।

साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना: बैंक ने 25 से अधिक उन्नत प्रौद्योगिकियों से युक्त सुरक्षा समाधानों का एक व्यापक समूह का नियोजन किया है। ये समाधान प्रमाणीकरण, खतरे का पता लगाने और नेटवर्क सुरक्षा सहित साइबर सुरक्षा के कई पहलुओं का निराकरण करते हैं, जिससे एक मजबूत रक्षा तंत्र सुनिश्चित होता है।

क. प्रोजेक्ट कवच 2.0: साइबर सुदृढ़ता में एक मील का पत्थर: साइबर सुदृढ़ता पहल के अंतर्गत, बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए प्रोजेक्ट कवच 2.0 को 2025-26 के दौरान कार्यान्वित किया गया था।

- एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिसपॉन्स (ईडीआर): ईडीआर मैलवेयर और रैसमवेयर से एंडपॉइंट की सुरक्षा करता है।
- एंटी-डीडीओएस
- एसएसटी और डीएसटी समाधान
- हमला स्थल प्रबंधन और ब्रांड निगरानी
- धोखे का समाधान (हनीपोट)

इस नींव पर निर्माण करते हुए, बैंक ने अब प्रोजेक्ट कवच 3.0 शुरू किया है, जिसमें अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति और सुदृढ़ता को और अधिक मजबूत करने के लिए उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया है।

ख. वैश्विक मानकों के प्रति प्रतिबद्धता: बैंक को आईएसओ 27001:2022 के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है, जो मेसर्स डेलॉइट के कार्यान्वयन सहयोग के साथ वैश्विक स्तर पर स्वीकृत सूचना सुरक्षा मानकों के साथ संरेखण को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक पीसीआई डीएसएस 4.0 प्रमाणित है, जो इसके वित्तीय लेनदेन प्रोसेसिंग परिवेश की सुरक्षा और अखंडता को मजबूत करता है।

ग. साइबर जागरूकता अभियान: साइबर धोखाधड़ी को रोकने में जागरूकता के महत्व को पहचानते हुए, बैंक ने कर्मचारियों और ग्राहकों को लक्षित करते हुए व्यापक अभियान चलाए हैं:

- फ़िशिंग सिमुलेशन और जागरूकता अभ्यास: फ़िशिंग और सोशल इंजीनियरिंग हमलों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए कर्मचारियों और ग्राहकों को प्रशिक्षित करने के लिए समय-समय पर सिमुलेशन और अभियान चलाए जाते हैं।
- जागरूकता परिपत्र और बहुभाषी संचार: डिजिटल जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में उभरते साइबर धोखाधड़ी के रुझान, घोटाले की रणनीति और निवारक उपायों को उजागर करने के लिए नियमित परिपत्र और बहुभाषी पोस्टर (15 भाषाओं में) जारी किए गए।
- मास मीडिया और सोशल मीडिया आउटरीच: एफएम चैनलों पर प्रसारित बहुभाषी जंगल के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा दिया गया, साथ ही साइबर टिप्स/हैंडआउट्स/फ्लायार्स और सयाने साइबर टिप्स वीडियो और आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से साझा की गई सर्वोत्तम प्रथाओं को भी बढ़ावा दिया गया।
- सक्रिय अलर्ट और विजुअल मैसेजिंग: साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं पर ग्राहकों और कर्मचारियों को समय पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट जारी किए जाते हैं, साथ ही, साइबर जागरूकता पोस्टरों को सभी डीएमएस, एटीएम स्क्रीन और डेस्कटॉप/लैपटॉप वॉलपेपर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
- इंटरएक्टिव प्रशिक्षण और जुड़ाव कार्यक्रम: साइबर



स्वच्छता और सुरक्षा जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र और क्लिज के साथ-साथ ग्राहकों और कर्मचारियों दोनों के लिए बैंक की वेबसाइट पर इंटरएक्टिव क्लिज का आयोजन किया गया।

घ. साइबर सुरक्षा टेबलटॉप अभ्यास: रैसमवेयर और अन्य उन्नत साइबर हमले परिदृश्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों और शीर्ष प्रबंधन के लिए डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) द्वारा एक टेबलटॉप अभ्यास आयोजित किया गया था। अभ्यास में उभरते साइबर खतरों के विरुद्ध संगठनात्मक सतर्कता को मजबूत करने के लिए कार्यकारी स्तर की तैयारी, निर्णयलेने और समन्वित प्रतिक्रिया रणनीतियों पर जोर दिया गया।

ङ. खतरे की खुफिया जानकारी के लिए सहयोगात्मक प्रयास: बैंक नवीनतम कमजोरियों और खतरों के बारे में जानकारी रहने के लिए सीईआरटी-आईएन, एनसीआईआईपीसी, आईडीआरबीटी और डीएससीआई सहित बाहरी एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण मजबूत निवारक उपाय सुनिश्चित करता है।

एक सुरक्षित इको-सिस्टम बनाने के लिए, बैंक ने विक्रेता कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा स्वच्छता पर वेबिनार का आयोजन किया। ये प्रयास साइबर सुरक्षा बनाए रखने में सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करते हैं।

च. उन्नत साइबर सुदृढ़ता: बैंक का श्रेणी ए में वर्गीकरण और साइबर अभ्यास में बेहतर प्रदर्शन इसके संवर्धित सुदृढ़ता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बिटसाइट/सिक्योर स्कोर कार्ड जैसे प्लेटफार्मों पर उच्च स्कोर इसके साइबर सुरक्षा उपायों की मजबूती को उजागर करते हैं।

ये पहले प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अपने हितधारकों की सुरक्षा, स्थायी सुरक्षा अनुपालन प्राप्त करने और एक सुरक्षित परिचालन परिवेश सुनिश्चित करने के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के समर्पण की पुष्टि करती हैं।

से कार्यान्वित किया है।

- भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के सदस्य के रूप में, हमने ग्राहकों और एमएसएमई के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता को अपनाया है, जो नैतिक और निष्पक्ष प्रथाओं के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ख. ग्राहक अधिकारों को कायम रखना:

- दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुरूप, हमने ग्राहकों की समस्याओं का तुरंत और निष्पक्ष रूप से निवारण करने के लिए प्रधान कार्यालय में एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया है।
- हमारे पास जमा, चेक संग्रहण, शिकायत निवारण, मुआवजा, मृत जमाकर्ता के दावे और ग्राहक अधिकार सहित ग्राहक संपर्क के विभिन्न पहलुओं पर दस्तावेजीकृत और बोर्ड-अनुमोदित नीतियां हैं। ये नीतियां बैंक के संवाद में पारदर्शिता और निरंतरता सुनिश्चित करती हैं।

ग. बहु-स्तरीय ग्राहक सेवा संरचना:

- हमने सभी शाखाओं में ग्राहक सेवा समितियों की स्थापना की है, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि ग्राहकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाए। ये समितियां ग्राहकों के मुद्दों की समीक्षा करने और सुधार लागू करने के लिए मासिक बैठक करती हैं।
- ग्राहक सेवा पर एक समर्पित स्थायी समिति प्रधान कार्यालय स्तर के साथ-साथ अंचल स्तर पर ग्राहक सेवा समितियां संचालित होती हैं, जो ग्राहक सेवा मामलों पर निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये समितियां जारी सुधारों की पहचान करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए नियमित रूप से बैठक करती हैं।
- ग्राहक सेवा पर बोर्ड की समिति सेवा की गुणवत्ता, शिकायत निवारण प्रक्रियाओं और समग्र ग्राहक संतुष्टि की निगरानी के लिए त्रैमासिक बैठक आयोजित करती है।

घ. सुव्यवस्थित शिकायत निवारण प्रणाली:

- हमने ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मानक लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) कार्यान्वित की है।
- एसपीजीआरएस में सोशल मीडिया, बैंक की वेबसाइट, शाखाओं, अंचल कार्यालयों, कॉल सेंटर और प्रधान कार्यालय के विभागों सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतें शामिल हैं। यह कर्मचारियों के व्यवहार और क्रेडिट/डेबिट कार्ड संबंधी समस्याओं से लेकर डिजिटल लेनदेन और सामान्य ग्राहक सेवा मामलों तक के मामलों का निवारण करता है।
- हमने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) का उपयोग करके बैंक के सीएमएस (बीओ) पोर्टल, सीपीजीआरएस और इनग्राम को एसपीजीआरएस के साथ एकीकृत किया है। यह स्वचालन हमें शिकायतों को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने, उन्हें एसपीजीआरएस में रिकॉर्ड करने, ग्राहकों और संबंधित शाखाओं/अंचल कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से सूचित करने और निर्धारित समयसीमा के आधार

21

उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता:
बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण

ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देना: उत्कृष्ट सेवा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता

बैंक ऑफ महाराष्ट्र असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने और अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए समर्पित है। बैंक की प्रमुख पहलों की जानकारी निम्नानुसार है:

क. उद्योग जगत की सर्वोत्तम पद्धतियां लागू करना:

- हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उच्चतम ग्राहक सेवा मानकों को पूरा करते हैं, गोडपोरिया, डॉ. एस.एस. तारापोर और दामोदरन जैसी अग्रणी समितियों की सिफारिशों को सक्रिय रूप



पर पुरानी शिकायतों को स्वचालित रूप से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद करता है।

ड. सेवा गुणवत्ता को बढ़ाना:

- सेवा मानकों को और बेहतर बनाने के लिए, हमने बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति में उद्योग विशेषज्ञों को शामिल किया है, ताकि ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और संतुष्टि के स्तर में सुधार करने के लिए सुझाव देने में उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव का लाभ उठाया जा सके।
- बैंक ने सभी डिजिटल चैनलों (आईबी/एमबी/व्हाट्सएप) में शाखाओं में क्यूआर कोड फीडबैक प्रणाली शुरू की है, सेवा की गुणवत्ता, परिवेश, लेनदेन में आसानी, कर्मचारी व्यवहार पर वास्तविक समय में ग्राहक दृष्टिकोण को संग्रहीत करने के लिए कॉल सेंटर के माध्यम से ग्राहक को जारी चेक बुक में क्यूआर कोड मुद्रित किया जाता है। क्यूआर कोड को स्कैन करके, उपयोगकर्ता प्रत्येक विशेषता को रेट करने और टिप्पणियां साझा करने के लिए फीडबैक फॉर्म तक तुरंत पहुंच सकते हैं। फीडबैक से हमें बैंक की सेवा में लगातार सुधार करने और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने में मदद मिलती है।

च. संकल्प की समीक्षा:

समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान के माध्यम से निरंतर सुधार के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और शीर्ष प्रबंधन द्वारा ग्राहक सेवा विभाग में बंद शिकायतों की यादृच्छिक समीक्षा की एक प्रक्रिया लागू की गई है।

छ. पहुंच का विस्तार:

- हमने पुणे में बैंक के इनबाउंड कॉल सेंटर को नया रूप दिया है और ग्राहक सहायता पहुंच बढ़ाने के लिए नोएडा में एक नया इनबाउंड/आउटबाउंड कॉल सेंटर स्थापित किया है।
- बैंक के कॉल सेंटर हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ सात क्षेत्रीय भाषाओं (कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती) में ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं, जिससे शिकायत निवारण के लिए व्यापक संचार पहुंच सुनिश्चित होती है।
- कॉल सेंटर आईवीआरएस के साथ-साथ मैनुअल कॉलिंग के माध्यम से फीडबैक एकत्र किया जाता है।

ज. साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं शिक्षा:

- हम साइबर अपराध की रोकथाम और साइबर स्वच्छता के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में बैंक के ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चलाते हैं।
- हम इन शैक्षिक संदेशों को वितरित करने के लिए विभिन्न संचार चैनलों का उपयोग करते हैं, जिनमें व्हाट्सएप, ईमेल, शाखा डिजिटल साइनेज डिस्प्ले और मासिक साइबर जागरूकता दिवस (साइबर जागरूकता दिवस) कार्यक्रम शामिल हैं।

22

आंतरिक लोकपाल: ग्राहक अधिकारों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र निष्पक्ष और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रक्रियाओं के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, हमने ग्राहकों की शिकायतों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) की स्थापना की है।

क. स्वतंत्र समीक्षा एवं अनुशंसा:

- आईओ उन शिकायतों की समीक्षा करते हैं, जिन्हें बैंक द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, ताकि दोबारा निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ समीक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- इस समीक्षा के आधार पर, आईओ बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये रिपोर्टें शिकायत पैटर्न का विश्लेषण करती हैं और मूल कारणों की पहचान करती हैं।

ख. निरंतर सुधार:

- ग्राहक सेवा समिति प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों में आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने के लिए आईओ की रिपोर्ट और सिफारिशों का उपयोग करती है।
- यह सक्रिय दृष्टिकोण अंतर्निहित मुद्दों का समाधान करने और भविष्य में समान प्रकार की शिकायतों को रोकने में मदद करता है।

ग. नई नियुक्ति:

परिचालन निरंतरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले लोकपाल के कार्यकाल के समापन के बाद 01 नवंबर, 2025 को एक नया आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया।

ग्राहक शिकायत की स्थिति:

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1	वर्ष के आरंभ में ग्राहक शिकायतें	140	64
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	26805	14632
3	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतें	26803	14556
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	142	140



23

केवाईसी-एएमएल-सीएफटी अनुपालन: वित्तीय अखंडता सुनिश्चित करना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र वित्तीय अखंडता को बनाए रखने और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक के दृष्टिकोण में वित्तीय अपराध को कम करने के लिए मजबूत नीतियां, उन्नत प्रौद्योगिकी और सक्रिय उपाय शामिल हैं।

(I) व्यापक केवाईसी-एएमएल-सीएफटी फ्रेमवर्क:

हमने बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक व्यापक अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धन शोधन निवारण (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) नीति लागू की है। यह फ्रेमवर्क नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और वित्तीय अपराध को रोकने के लिए आपके बैंक के प्रयासों की नींव है।

केवाईसी अनुपालन के प्रमुख तत्व

ग्राहक जागरूकता:

- हम अपनी वेबसाइट पर पात्र केवाईसी दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची प्रदान करके, पारदर्शिता और एक्सेस में सहजता को सुनिश्चित करके ग्राहकों को सशक्त बनाते हैं।
- यह पहल केवाईसी प्रक्रिया में ग्राहकों की जानकारीपूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देती है।

कर्मचारी प्रशिक्षण:

- कर्मचारियों को केवाईसी-एएमएल-सीएफटी दिशानिर्देशों की अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए आपके बैंक के समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों पर नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- कर्मचारियों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और बैंक की वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

नई पहल:

- हमने 29 दिसंबर 2025 से आपके बैंक में आरबीआईएच के MuleHunter.ai को लागू किया है, जिसने बैंक के धोखाधड़ी प्रबंधन को एक मैन्युअल, प्रतिक्रियाशील प्रक्रिया से एक स्वचालित और सटीक प्रणाली में बदल दिया है। इससे दक्षता में सुधार हुआ है और सक्रिय रूप से म्यूल् खातों की पहचान करने में मदद मिली है।

(II) एंटरप्राइज़ धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ईएफआरएमएस)

सक्रियता से धोखाधड़ी का पता लगाना

- ईएफआरएमएस कोर बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ईपीएस, आईएमपीएस, एटीएम, ई-कॉमर्स, पीओएस और सीएमएस सहित प्रमुख डिजिटल चैनलों पर निगरानी और निवारक मोड में काम करता है।

- यह प्रणाली आरबीआई की सलाह के अनुसार प्रमुख जोखिम मापदंडों के एक व्यापक सेट का उपयोग करती है। विसंगतियों का पता लगाने और स्वचालित रूप से संदिग्ध लेनदेन को ब्लॉक या चिह्नित करने के लिए इन नियमों को वास्तविक समय में लागू किया गया, जिससे धोखाधड़ी की बेहतर रोकथाम हुई।

(III) इंटरएक्टिव वॉयस रिसपांस सिस्टम (आईवीआरएस)

- रियल-टाइम में वास्तविक ग्राहक लेनदेन को सत्यापित करने के लिए एक स्वचालित आईवीआरएस समाधान लागू किया जा रहा है।
- यह प्रणाली धोखाधड़ी के प्रयासों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाते हुए वैध लेनदेन में व्यवधान को कम करती है।

(IV) आंतरिक खातों में परिचालन जोखिम को कम करने के लिए ऑफ-साइट निगरानी।

- बैंक की ऑफ-साइट मॉनिटरिंग यूनिट (ओएमयू) आंतरिक खातों में संदिग्ध लेनदेन का सक्रिय रूप से पता लगाती है।
- निगरानी और बेहतर दक्षता के लिए सिस्टम में आंतरिक सत्यापन विकसित किए जाते हैं।
- शीघ्र पता लगने पर बैंक को अनियमितताओं का शीघ्रता से निवारण करने, संभावित जोखिमों को कम करने और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने में सहायता मिलती है।

(V) साइबर शिकायत निवारण तंत्र

- एक समर्पित टीम खाते को फ्रीज करने और महत्वपूर्ण सुनहरे घंटे के दौरान विवादित रकम को होल्ड करने जैसे सक्रिय उपायों को लागू करके एनसीआरपी के साथ मैन्युअल रूप से एपीआई एकीकरण के माध्यम से साइबर शिकायतों का निवारण करती है।
- हम अपने खाते में होल्ड/डेबिट फ्रीज के कारण वंचित ग्राहक के मामले में शिकायत समाधान में सक्रिय रूप से सहायता करते हैं।
- पीड़ित के विवादित लेनदेन के विरुद्ध संदिग्ध खाते से होल्ड की सीमा तक धन वापसी का अनुपालन।

(VI) कानून प्रवर्तन एजेंसी अनुपालन

- बैंक के पास एक समर्पित एकल-बिंदु संपर्क है जो विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डाटा प्रस्तुतीकरण को संभालता है, जिससे निर्बाध और कुशल जांच सुनिश्चित होती है।
- हम कानूनी आदेशों के अंतर्गत साइबर पुलिस, सीबीआई, एसएफआईओ, ईडी, सेबी, पीएमएलए और अन्य एजेंसियों को खाता विवरण, केवाईसी दस्तावेज़, आईपी लॉग और सीसीटीवी फुटेज जैसे डिजिटल और भौतिक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं।

24

जोखिमों का प्रबंधन करना और सतत प्रथाओं और ईएसजी पहलों को आगे बढ़ाना:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, हम पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदारी से काम करते हुए बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

24.1 सक्रिय जोखिम प्रबंधन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, हम पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदारी से काम करते हुए बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सक्रिय जोखिम प्रबंधन के रूप में, एकीकृत जोखिम प्रबंधन (आईआरएम) विभाग 22 पिलर-II जोखिमों का भी विश्लेषण कर रहा है, जैसे: एकाग्रता जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, कानूनी जोखिम, आईटी/साइबर सुरक्षा जोखिम, तरलता जोखिम आदि। इन जोखिमों का तिमाही आधार पर विश्लेषण किया जाता है, और परिणामों के आधार पर निवारक कदम उठाए जाते हैं। आईआरएम विभाग बैंक की पूंजी पर्याप्तता और तरलता पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्यों - जैसे मंदी, उच्च मुद्रास्फीति, या बाजार के आघात - का अनुकरण करके दबाव परीक्षण कर रहा है।

24.1.1 जोखिम प्रबंधन: मजबूत और लचीली जोखिम संस्कृति

- I. बैंक का जोखिम प्रबंधन कार्य जोखिमों की पहचान करने, मापन, निगरानी करने और नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित सहन स्तरों में रहें। एक स्वतंत्र एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आईआरएमडी) बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन में, इन गतिविधियों की देखरेख करता है। विभाग का नेतृत्व मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) करते हैं, जो प्रबंध निदेशक और सीईओ और आरएमसी को रिपोर्ट करते हैं। अंचल स्तर पर, जोखिम प्रबंधन की देखरेख अंचल जोखिम अधिकारियों द्वारा की जाती है।
- II. बैंक ने व्यापक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और नीतियां स्थापित की हैं, जैसे:
 - क. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति
 - ख. परिचालन जोखिम प्रबंधन और जोखिम संस्कृति पर नीति
 - ग. आस्ति देयता और बाजार जोखिम प्रबंधन नीति
 - घ. अग्रिमों पर ब्याज दर नीति
 - ङ. ऋण जोखिम प्रबंधन और संपार्श्विक प्रबंधन नीति
 - च. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
 - छ. जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति
 - ज. पर्यावरण-सामाजिक-गवर्नेंस (ईएसजी) नीति
- III. ऋण जोखिम प्रबंधन के संवर्धन के लिए, बैंक ने उधारकर्ता ऋण जोखिम रेटिंग के लिए क्रिसिल बोम आइकॉन मॉडल अपनाया है। स्वचालित सिस्टम विभिन्न विवेकपूर्ण जोखिमों,

कॉर्पोरेट क्रेडिट उपयोग और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं और आउटसोर्स सेवाओं से जुड़े जोखिमों की निगरानी करते हैं।

- IV. बैंक तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर), नेट स्थिर फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर), स्टॉक दृष्टिकोण अनुपात, ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण (आईआरएस), संरचनात्मक तरलता विवरण (एसएलएस) आदि के माध्यम से अपनी तरलता और आस्ति-देयता बेमेल स्थिति की निगरानी करता है। इसके अलावा, बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन और तरलता जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने और स्वचालन के लिए ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एनालिटिकल एप्लिकेशन (ओएफएसए) समाधान के कार्यान्वयन द्वारा समर्थित एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया है।
- V. बैंक का परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा तीन पिलरों और रक्षा की तीन पंक्तियों पर आधारित है। अंतर्निहित/संभावित जोखिमों की पहचान और आकलन करने और उपयुक्त शमन उपाय करने के लिए बैंक की सभी मौजूदा और साथ ही नई नीतियों/उत्पादों की एकीकृत जोखिम प्रबंधन (आईआरएम) विभाग द्वारा जांच की जाती है। अंतर्निहित जोखिम की पहचान करने और नियंत्रणों की प्रभावशीलता को मापने के लिए विभिन्न उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों का जोखिम नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। परिचालन जोखिम की पहचान और निगरानी करने के लिए, बैंक ने अच्छी तरह से परिभाषित प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) तैयार किए हैं। इसके अलावा बैंक ने उत्पादों के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा विकसित की है।
- VI. बैंक ग्राहकों को धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से बचाने और मजबूत धोखाधड़ी रोकथाम ढांचे के कार्यान्वयन के माध्यम से धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के प्रति समर्पित है:
 - i. **एंटरप्राइज़ धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ईएफआरएमएस):** यह अत्याधुनिक प्रणाली वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी और विश्लेषण प्रदान करती है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और रोकथाम करने में मदद मिलती है।
 - ii. **हंटर सॉल्यूशन:** परिष्कृत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा संचालित, यह सॉल्यूशन उन पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करता है जो धोखाधड़ी वाले व्यवहार का संकेत दे सकते हैं, जिससे सक्रिय खतरे का शमन सुनिश्चित होता है।
 - iii. **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) फ़ीड:** उद्योग-व्यापी डाटा और प्रवृत्ति विश्लेषण का उपयोग करके, यह प्रणाली उभरते धोखाधड़ी के खतरों के बारे में समय पर अलर्ट प्रदान करती है, जिससे हमें निवारक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलती है।



इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त फ्रेमवर्क के अंतर्गत धोखाधड़ी की घटनाओं के मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) तथा कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया जाता है, ताकि नियंत्रण संबंधी कमियों की पहचान कर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ तैयार की जा सकें। इन उन्नत साधनों एवं प्रणालियों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक स्तर पर विश्वास बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

- VII. जलवायु जोखिम को एक उभरते हुए जोखिम के रूप में ध्यान में रखते हुए बैंक ने जलवायु जोखिम प्रबंधन हेतु विभिन्न पहलें की हैं, जैसे जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति जारी करना, जीएचजी (स्कोप 1 एवं 2) एमिशन का प्रकटीकरण, शाखाओं की आपदा जोखिम मैपिंग तथा आपदा जोखिम के संदर्भ में बैंक के व्यवसाय का आकलन।

24.1.2 पर्यावरण, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ईएसजी) प्रतिबद्धता:

I. महा ग्रीन पहल: सतत बैंकिंग प्रथाओं में अग्रणी:

महा ग्रीन पहल के अंतर्गत बैंक पर्यावरणीय रूप से सतत प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनर्पुष्टि करता है। यह पहल बैंक की (ईएसजी) नीति/रणनीति का एक प्रमुख आधार है, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने तथा सतत बैंकिंग को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

बैंक के ईएसजी प्रयासों की प्रमुख विशेषताएँ:

- क. ऊर्जा दक्षता:** कंप्यूटर, प्रकाश व्यवस्था, वातानुकूलन तथा अन्य प्रणालियों हेतु ऊर्जा-दक्ष उपकरणों को प्राथमिकता देकर ऊर्जा खपत में कमी लाना।
- ख. हरित ऊर्जा अपनाना:** नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग हेतु स्वामित्व वाले परिसरों में सौर पैनलों की स्थापना।
- ग. कागज के उपयोग में कमी:** डिजिटल परिवर्तन (ई-बैठक) को अपनाकर कागज की खपत को न्यूनतम करना। मुद्रित सामग्री पर निर्भरता कम करने हेतु वर्चुअल बैठकों को प्रोत्साहन देना।
- घ. एकल-उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन:** सभी परिसरों में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध।
- ङ. हरित वित्तपोषण:** पर्यावरण के अनुकूल पहलों का समर्थन करने के लिए नवोन्मेष वित्तीय उत्पादों की शुरुआत जैसे:
 - इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) वित्तपोषण।
 - सौर ऊर्जा परियोजनाएँ।
 - हरित आवास पहल।
 - नवीकरणीय ऊर्जा विकास।
- च. ई-कचरा प्रबंधन:** इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पर्यावरण-अनुकूल निपटान के उपाय अपनाना।
- छ. ईएसजी स्कोरकार्ड:** बैंक ने ईएसजी मानकों के आधार पर उधारकर्ता को एक्सेस करना प्रारंभ किया है।

ज. जलवायु जोखिम प्रबंधन रणनीति: जलवायु जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में बैंक ने अल्पकालिक/मध्यमकालिक/दीर्घकालिक रणनीति विकसित की है।

- II. **हरित सेल पहल:** पर्यावरणीय रूप से सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित एवं प्रबंधित करने हेतु बैंक ने एक समर्पित हरित सेल (कार्यपालक स्तरीय समिति) की स्थापना की है। हरित सेल जलवायु-संबंधित जोखिमों को बैंक के समग्र जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में समाहित करने, सतत वित्त को बढ़ावा देने तथा जलवायु जोखिम संबंधी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का कार्य करता है।

इन पहलों के माध्यम से, बैंक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित करते हुए अपने हितधारकों, पर्यावरण और सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों के लिए एक सुरक्षित, टिकाऊ और समृद्ध भविष्य को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

25

ब्रांड उत्कृष्टता को बढ़ावा देना: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में विपणन एवं जनसंपर्क:

बैंक की दृश्यता बढ़ाने, विश्वास निर्माण करने तथा नए ग्राहकों को आकर्षित करने में विपणन एवं प्रचार-प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के प्रतिस्पर्धी वित्तीय परिदृश्य में प्रभावी विपणन बैंकों को अपने उत्पादों, सेवाओं एवं विशिष्ट मूल्य प्रस्तावों को व्यापक जनसमूह तक पहुँचाने में सहायता करता है। पारंपरिक मीडिया अथवा डिजिटल मंचों के माध्यम से किया गया प्रचार-प्रसार बैंक की पहलों, उपलब्धियों एवं नवाचारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है तथा सकारात्मक सार्वजनिक छवि का निर्माण करता है। यह ग्राहक सहभागिता को सुदृढ़ करता है, ब्रांड निष्ठा को बढ़ावा देता है तथा विभिन्न बैंकिंग समाधानों के संबंध में जनता को शिक्षित कर वित्तीय समावेशन के प्रयासों का समर्थन करता है। हमारा मानना है कि रणनीतिक विपणन और प्रचार व्यवसाय के विस्तार, ग्राहक प्रतिधारण और दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान देते हैं।

क. एकीकृत विपणन के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँच

- **ओमनीचैनल रणनीति:** हम एक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं जो पारंपरिक मीडिया (प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन एवं आउटडोर विज्ञापन) को डिजिटल विपणन एवं सोशल मीडिया विपणन की शक्ति के साथ जोड़ता है, ताकि अधिकतम पहुँच एवं प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके। बैंक के प्रिंट मीडिया अभियान ब्रांड जागरूकता बढ़ाते हैं, जबकि रेडियो एवं टेलीविजन विज्ञापन विशिष्ट क्षेत्रीय दर्शकों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। स्थानीय केबल प्रसारण एवं रणनीतिक आउटडोर विज्ञापन बैंक के संदेश को और अधिक प्रभावी बनाते हैं।
- **डिजिटल जुड़ाव:** ऑनलाइन मंचों के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंचों पर व्यापक स्तर पर डिजिटल विपणन अभियान चलाए जाते हैं। ये अभियान आवास ऋण, वाहन ऋण, स्वर्ण ऋण, सावधि जमा, वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलना तथा



कृषि एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) हेतु ऋण विकल्प जैसे प्रमुख उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हैं। ये डिजिटल पहले न केवल उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाती हैं, बल्कि संभावित ग्राहकों को भी आकर्षित करती हैं जिन्हें शाखाएं व्यावसायिक अवसरों में परिवर्तित कर सकती हैं।

ख. बैंक के ग्राहकों को शिक्षित एवं सशक्त बनाना

- **डिजिटल एडवोकेसी:** बैंक के डिजिटल बैंकिंग समाधानों एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना बैंक के विपणन प्रयासों का एक प्रमुख हिस्सा है। हम सोशल मीडिया का उपयोग महत्वपूर्ण घोषणाओं, त्योहार संबंधी शुभकामनाओं तथा आकर्षक ज्ञानवर्धक श्रृंखलाओं के माध्यम से सूचनात्मक सामग्री साझा करने हेतु करते हैं।
- **साइबर जागरूकता श्रृंखला:** साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वर्ष के दौरान स्वरा से सीखो, स्कैम को पहचानो नामक एक ऑडियो-विजुअल श्रृंखला प्रारंभ की गई। इसमें साइबर सुरक्षा की अवधारणाओं को अत्यंत सरल तरीके से समझाया गया।
- **मिस्टर ज्ञानी एवं मिस सयानी:** बैंक की रचनात्मक शैक्षणिक वीडियो श्रृंखला मिस्टर ज्ञानी का बैंकिंग ज्ञान तथा मिस सयानी के सयाने साइबर टिप्स दर्शकों को बैंकिंग एवं साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।
- हमारी शनिवार की क्विज़ सीरीज़, **क्यूरियस माइंड्स**, बैंकिंग, वित्त और व्यापक उद्योग से संबंधित विचारोत्तेजक प्रश्नों के साथ हमारे दर्शकों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक आकर्षक पहल है। यह न केवल जिज्ञासा उत्पन्न करता है बल्कि सीखने को भी प्रोत्साहित करता है। साथ ही, यह हमारे फॉलोअर्स के साथ सार्थक बातचीत को भी बढ़ावा देता है। ज्ञान और मनोरंजन के मिश्रण से, क्यूरियस माइंड्स वित्तीय जागरूकता बढ़ाने, हमारे ब्रांड को प्रमोट करने और एक अधिक जानकारीपरक व एक दूसरे से जुड़े समुदाय के निर्माण के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करता है।

ग. समकक्षों से आगे बने रहना:

- **सोशल लिसनिंग और मार्केट रिसर्च:** बैंक की रणनीतियों को लगातार बेहतर बनाने के लिए, हम सोशल मीडिया लिसनिंग टूल्स का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। ये टूल्स दर्शकों की सहभागिता, ब्रांड भावना और प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर बहुमूल्य डाटा प्रदान करते हैं, जिससे हमें बैंक के मार्केटिंग प्रयासों को अनुकूलित और बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
- बैंक ने अपनी सुनियोजित सोशल मीडिया रणनीति और आकर्षक कंटेंट के दम पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, X, लिंकडइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब) को मिलाकर कुल 1.15 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स का आधार बनाया है। भारतीय स्टेट बैंक के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाला पहला बैंक है। एसबीआई को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर की संख्या के मामले में बैंक पहले स्थान पर है।

घ. जनता से संपर्क के माध्यम से विश्वास का निर्माण:

सामुदायिक जुड़ाव: हम प्रायोजन, सीएसआर (कॉर्पोरेट) गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये प्रयास न केवल सामाजिक भलाई के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, बल्कि जनता के साथ मजबूत संबंध बनाने और बैंक की सकारात्मक ब्रांड पहचान को सुदृढ़ करने में भी सहायक होते हैं। बैंक ने इस वर्ष कई पहल की हैं, जिनमें प्रमुख हैं अनाथालय को दान, पुस्तकालयों का प्रायोजन, नगर निगम को कचरा वाहन दान, खेलों के लिए दान, मैराथन का प्रायोजन आदि।

ङ. भविष्य की ओर:

बैंक के लिए आगे बढ़ने का मार्ग डिजिटल परिवर्तन को अपनाते हुए व्यक्तिगत ग्राहक जुड़ाव पर मजबूत ध्यान केंद्रित करने में निहित है। उन्नत डाटा एनालिटिक्स का लाभ उठाकर, हम ग्राहकों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, विपणन रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं और विभिन्न लक्षित समूहों के साथ तालमेल बिठाने वाले अभियान शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और व्यक्तिगत ईमेल के माध्यम से डिजिटल चैनलों को मजबूत करने से न केवल ग्राहक संपर्क बढ़ेगा बल्कि एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति भी बनेगी। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक विपणन को नवीन डिजिटल पद्धतियों के साथ एकीकृत करने से ब्रांड विश्वास को मजबूत करने और सतत विकास को गति देने में मदद मिलेगी, जिससे बैंक तेजी से प्रतिस्पर्धी बाजार में एक दूरदर्शी वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित होगा।

26

नागरिक चार्टर

बैंक ने वर्ष 2000-01 से नागरिक चार्टर को अपनाया है, जिसमें ग्राहकों के प्रति बैंक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह चार्टर सभी शाखाओं और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित है।

27

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) - एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो सामाजिक कार्यों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बैंक सक्रिय रूप से उन पहलों में शामिल है जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल और महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय स्थिरता एवं सामुदायिक विकास को बढ़ावा देती हैं। सामाजिक कल्याण के व्यापक लक्ष्यों के साथ अपने सीएसआर प्रयासों को जोड़कर, समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों, ग्रामीण विकास परियोजनाओं या वन्यजीव संरक्षण के माध्यम से एक सामाजिक रूप से जागरूक और संवेदनशील संस्थान के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने समुदायों के कल्याण के लिए समर्पित है।



क. फोकस क्षेत्र:

आपके बैंक की सीएसआर गतिविधियां कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित करती हैं, जिनका उद्देश्य वंचितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है:

- **स्वास्थ्य सेवाएँ:** हम एम्बुलेंस, डायलिसिस मशीन, नेत्र जाँच शिविर और विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके आवश्यक चिकित्सा सेवाओं में सहयोग करते हैं।
- **शिक्षा:** हम वंचित बच्चों के लिए स्कूलों में प्रवेश, छात्रवृत्ति और बुनियादी फ्रेमवर्क के उन्नयन को प्रायोजित करके शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देते हैं।
- **खेल और कौशल विकास:** हम खेल गतिविधियों और कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजन के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाते हैं, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है।
- **महिला सशक्तिकरण:** हम स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, महिला उद्यमियों को सहयोग देने और संसाधनों तक पहुंच को सुगम बनाने वाली पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं। बैंक ने बालिका विद्यालय और अनाथालय के परिचालन व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।
- **स्वच्छता:** हम सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों को प्रायोजित करके और कचरा संग्रहण स्थलों के सौंदर्यीकरण परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छता में सुधार लाने में योगदान करते हैं।
- **पर्यावरण:** हम वृक्षारोपण अभियान और सौर ऊर्जा ग्रिड प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं।

ख. प्रमुख पहल:

- **वित्तीय सहायता:** हमने एम्बुलेंस, चिकित्सा उपकरण स्थापना, इलेक्ट्रिक कार्ट, शैक्षिक छात्रवृत्ति और कौशल विकास कार्यक्रमों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- **महिलाओं का सशक्तिकरण:** हमने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों के प्रायोजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के स्वरोजगार का समर्थन किया है।
- **एमएसएमई सहायता:** हमने विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए डिज़ाइन की गई प्रदर्शनियों और सम्मेलनों को प्रायोजित करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को सुगम बनाया है।

ग. भविष्य की ओर:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंकिंग से इतर सकारात्मक बदलाव लाने में अपनी भूमिका को पहचानते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। समाज के लिए अपना योगदान देने में दृढ़ विश्वास के साथ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामाजिक रूप से जागरूक और संवेदनशील संस्थान के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने समुदायों के कल्याण के लिए समर्पित है।

28

हिंदी को प्रोत्साहित करना: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं:

1.1 हिंदी भाषा के प्रोत्साहन में उत्कृष्टता की ओर:

- I. बैंक को गृह पत्रिका 'महाबैंक प्रगति' के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- II. बैंक को वर्ष के दौरान हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए मुंबई स्थित प्रतिष्ठित संस्थान 'आशीर्वाद' द्वारा "राष्ट्रीयकृत बैंक" की श्रेणी "आशीर्वाद भाषा सेतु पुरस्कार" तथा "आशीर्वाद गौरव पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
- III. अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हमारे बैंक द्वारा संयोजित नराकास मुंबई दक्षिण, पुणे शहर, लातूर और सोलापुर को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया।

1.2 हिंदी की संस्कृति को प्रोत्साहित करना:

- I. अन्य बैंक द्वारा संयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) ने हमारे ठाणे अंचल, चंडीगढ़ अंचल, वाराणसी अंचल, नासिक अंचल एवं कोलकाता अंचल कार्यालयों को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया।
- II. अन्य बैंकों द्वारा संयोजित विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टॉलिक) ने हमारे इंदौर अंचल की (बड़वानी) शाखा, चंडीगढ़ अंचल की (पंचकूला) शाखा और जयपुर अंचल की (जोधपुर मुख्य एवं अजमेर मुख्य) शाखाओं को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया।
- III. बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका 'महाबैंक प्रगति' और ई-पत्रिका 'महाबैंक संवाद सरिता' नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। एक नई पहल के रूप में, बैंक की ई-पत्रिका महाबैंक संवाद सरिता, बैंक के दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लाभार्थ ब्रेल लिपि में भी नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है।
- IV. संसदीय राजभाषा समिति ने वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे प्रधान कार्यालय, गुवाहाटी अंचल कार्यालय, बेंगलूरू अंचल, भोपाल अंचल, ठाणे अंचल, मुंबई उत्तर अंचल, वाराणसी अंचल, पुणे शहर अंचल, अलीगढ़ शाखा (नोएडा अंचल), कोलकाता अंचल, चेन्नै अंचल, पुद्दुचेरी शाखा, एर्नाकुलम अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। समिति ने इन कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की सराहना की। साथ ही इस अवसर पर बैंक की ई-पत्रिका महाबैंक संवाद सरिता के नवीनतम अंक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बैंकिंग का विमोचन भी किया गया।
- V. हमारा बैंक मुंबई, पुणे, सोलापुर, लातूर और जलगांव में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) का संयोजक बैंक है। इन समितियों की बैठकें पूरे वर्ष नियमित रूप से आयोजित की गईं और समितियों की विभिन्न गतिविधियाँ पूरे वर्ष निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं।



1.3 हिंदी की सुगमता को बढ़ावा देना:

- I. वाट्सएप बैंकिंग - वाट्सएप बैंकिंग सुविधा मराठी, तमिल, मलयालम और तेलुगु जैसी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ-साथ द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में भी उपलब्ध है।
- II. बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों द्वारा हर महीने के तीसरे शनिवार को 'हिंदी कार्य दिवस' मनाया जाता है। इस दिन, सभी कर्मचारी अपना अधिकतम कार्य हिंदी में करते हैं।
- III. ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक के नए मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन **जेन लाइफ** का संस्करण हिंदी अंग्रेजी सहित अन्य 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।
- IV. बैंक की वेबसाइट मराठी, हिंदी और अंग्रेजी सहित अन्य 20 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।
- V. सभी कर्मचारियों के उपयोग के लिए बैंक के इंटरनेट पर **ऑनलाइन राजभाषा कोश** की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

29

सुरक्षित बैंकिंग वातावरण का निर्माण: बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहल और उपाय

29.1 बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपके बैंक के ग्राहकों, कर्मचारियों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देता है। इसे प्राप्त करने के लिए, कई प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक सुरक्षा नीति तैयार की गई है:

- I. **बैंक आस्तियों की सुरक्षा:** इसमें एक सुदृढ़ सुरक्षा ढांचा शामिल है। शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, मुद्रा भंडारों, डाटा केंद्रों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैंक ने संपत्ति संरक्षण को मजबूत करने, संस्थागत लचीलेपन को बढ़ाने और गतिशील जोखिम वातावरण में परिचालन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए जोखिम-आधारित पहुंच नियंत्रण और निगरानी तंत्र को संस्थागत रूप दिया है।
- II. **सुरक्षित बैंकिंग वातावरण का निर्माण:** बैंक एक सुरक्षित बैंकिंग वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, सभी बैंकिंग संपर्क बिंदुओं पर समावेशी और स्वागतपूर्ण वातावरण। यह कर्मचारियों, ग्राहकों और आगंतुकों को आत्मविश्वास और भरोसे के साथ बैंकिंग कार्यों में शामिल होने में सक्षम बनाता है, साथ ही सुरक्षा, उत्कृष्ट सेवा और हितधारकों को आश्वस्त करने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।
- III. **आपात स्थितियों के लिए तैयारी:** बैंक आपदा की तैयारी के महत्व को समझता है। अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए, सुरक्षा नीति में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए व्यापक उपाय शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करना, महत्वपूर्ण कार्यों की सुरक्षा करना और कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करना है।

29.2 सक्रिय उपायों के माध्यम से सुरक्षा संवर्धन

बैंक संभावित खतरों के निरंतर विश्लेषण के माध्यम से अपनी सुरक्षा स्थिति का लगातार आकलन और सुदृढ़ीकरण करता है। इन सक्रिय उपायों में शामिल हैं:

- I. **संभावित खतरों की खुफिया जानकारी जुटाना:** बैंक मौजूदा और उभरते अपराधों पर सक्रिय रूप से नजर रखता है। बैंक डकैती और घुसपैठ की रणनीतियों का व्यवस्थित विश्लेषण करता है, रिपोर्ट किए गए सुरक्षा उल्लंघनों का मूल्यांकन करता है और आग लगने की घटनाओं के पैटर्न की जांच करता है। यह निरंतर खतरा खुफिया प्रक्रिया संभावित जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने, निवारक और सुधारात्मक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और उभरते खतरों के खिलाफ तत्परता बनाए रखने में सक्षम बनाती है।
- II. **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** सुरक्षा कर्मियों और अन्य बैंक कर्मचारियों को सुरक्षा स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से व्यवस्थित रूप से सुसज्जित किया जाता है। नियमित और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम परिचालन, आपातकालीन और खतरे की विभिन्न स्थितियों में त्वरित और उचित प्रतिक्रिया देने की तत्परता सुनिश्चित करते हैं।
- III. **आउटसोर्स कैश वैन प्रबंधन:** बैंक ने कैश वैन सेवाओं के लिए एक केंद्रीकृत आउटसोर्सिंग प्रणाली लागू की है। इस केंद्रीकृत फ्रेमवर्क ने एकसमान तैनाती प्रक्रियाओं, मानकीकृत सेवा स्तरों और नकदी लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं के साथ सुव्यवस्थित समन्वय सुनिश्चित करके परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। इस प्रणाली ने शाखा और क्षेत्रीय स्तरों पर कार्यों के दोहराव को समाप्त करके मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग संभव बनाया है, जिससे लागत दक्षता, बेहतर शासन और उन्नत परिचालन नियंत्रण में योगदान मिला है, साथ ही शाखाओं को मुख्य बैंकिंग कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली है।
- IV. **प्राौद्योगिकी आधारित सुरक्षा पहल:** बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत, बैंक के सभी एटीएम में एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली लागू की गई है।
 - क) यह प्रणाली संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने, वास्तविक समय में अलर्ट उत्पन्न करने और त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई को सक्षम करने के लिए उन्नत सेंसर, कैमरे, ध्वनि उपकरण और विश्लेषणात्मक उपकरणों के संयोजन से बनी है।
 - ख) यह नवोन्मेषी निगरानी तंत्र बैंक के एटीएम नेटवर्क की सुरक्षा और संभावित सुरक्षा जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक इस प्रणाली को उन्नत एआई-आधारित सुविधाओं को शामिल करके और भी बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है, जिसका उद्देश्य अवांछित गतिविधियों को पहले से ही रोकना है।
 - ग) इसके अतिरिक्त, बैंक इन उन्नत निगरानी क्षमताओं को अन्य ग्राहक संपर्क बिंदुओं तक विस्तारित करने की प्रक्रिया में है, जिससे इसके संचालन में एक निर्बाध, मजबूत और एकीकृत सुरक्षा ढांचा सुनिश्चित हो सके।



29.3 व्यापक सुरक्षा नीति को लागू करके और शाखा और एटीएम ई-निगरानी जैसे अत्याधुनिक समाधानों को अपनाकर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सभी के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय बैंकिंग अनुभव को बढ़ावा देता है।

30

एक मजबूत अनुपालन संस्कृति का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, अनुपालन विभाग ने संतुलित, जोखिम-आधारित और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए बैंक के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को निरंतर समर्थन प्रदान किया। प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करके, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, जागरूकता बढ़ाकर और साझा जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देकर, विभाग ने हितधारकों के विश्वास को मजबूत करने और सतत व्यावसायिक विकास में योगदान दिया। **‘व्यापार सर्वोपरि, अनुपालन सर्वोपरि’**

यह मानते हुए कि प्रभावी अनुपालन परिचालन स्तर पर जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना पर निर्भर करता है, अनुपालन विभाग ने बैंक भर में अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने के लिए कई पहलें कीं। इनमें शामिल हैं:

- मासिक अनुपालन समाचारपत्रिकाएँ
- मासिक अनुपालन प्रश्नोत्तरी
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के मासिक सारांश का हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वितरण।

इन पहलों से फील्ड स्टाफ के बीच बेहतर समझ विकसित हुई, सहभागिता को प्रोत्साहन मिला और नियामक आवश्यकताओं के अधिक सुसंगत कार्यान्वयन में योगदान मिला।

31

प्रभावी और मजबूत ऋण निगरानी:

क. जियो टैगिंग और अर्जुन एप्लिकेशन

दबावग्रस्त खातों की निगरानी स्ट्रेस एसेट्स विज़िट पोर्टल और अर्जुन मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाती है। एकीकृत जियो टैगिंग तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के क्षेत्रीय दौरे को अनुकूलित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाती है।

ख. ऋण ट्रेकिंग सेल (एलटीसी)

एलटीसी तनावग्रस्त खातों के अनुवर्तन और उन्नयन के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर के रूप में कार्य करता है। प्रतिदिन लगभग 2,500 उधारकर्ताओं से संपर्क किया जाता है। प्राथमिक केंद्र पुणे से संचालित होता है, जिसमें सभी क्षेत्रों में सिस्टम एक्सेस उपलब्ध है। क्षेत्र में तैनात प्रशिक्षु भी अनुवर्तन कॉल में सहयोग करते हैं।

ग. चूक एवं अनुपालन जोखिम सूचकांक (डीसीआरआई)

एक गतिशील एक-पृष्ठीय डीसीआरआई डैशबोर्ड 24x7 सभी उपकरणों पर उपलब्ध है। वरिष्ठ अधिकारियों को दैनिक एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भेजे जाते हैं, जबकि शीर्ष प्रबंधन द्वारा मासिक समीक्षा से अनुपालन और पर्यवेक्षण सुदृढ़ हुआ है।

घ. संस्था संबंध एवं लेन-देन नेटवर्क डैशबोर्ड

यह उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण ग्राहक संबंधों और एनईएफटी,

आरटीजीएस एवं अंतर-बैंक लेन-देन में निधि प्रवाह का समेकित दृश्य प्रदान करता है, जिससे जोखिमपूर्ण पैटर्न, संबंधित-पक्ष एक्सपोजर और संभावित निधि अपसरण की शीघ्र पहचान संभव होती है।

ड. रोल फॉरवर्ड एवं रोल बैकवर्ड एसएमए मूवमेंट डैशबोर्ड

डैशबोर्ड मासिक और त्रैमासिक अवधि में मानक, एसएमए और एनपीए श्रेणियों में परिसंपत्ति गुणवत्ता माईग्रेशन को ट्रैक करता है, जिससे कम मैनुअल प्रयास के साथ प्रारंभिक तनाव और वसूली रुझानों की पहचान में सहायता मिलती है।

च. ऋण वसूली के लिए एआई-सक्षम पूर्वानुमान विश्लेषण

एआई/एमएल-आधारित वसूली प्रबंधन मॉड्यूल, समन्वित क्षेत्रीय तैनाती और फील्ड प्लस मोबाइल ऐप के साथ दबावग्रस्त और नए स्लिप्ड खातों में वसूली में सहयोग करता है। पूर्वानुमान ऋण वसूली मॉडल और पीएसए रिपोर्ट खातों को पी1, पी2 और पी3 जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करती हैं, जिससे लक्षित हस्तक्षेप और वसूली दक्षता में सुधार संभव होता है।

छ. एआई-सक्षम संग्रह एवं फील्ड परिचालन

एआई/एमएल-आधारित संग्रह प्रबंधन मॉड्यूल फीट-ऑन-स्ट्रीट संग्रह एजेंटों की समन्वित तैनाती में सहयोग करता है, जिसके साथ तनावग्रस्त और नव फिसले खातों में वसूली हेतु फील्ड प्लस मोबाइल एप्लिकेशन पूरक है।

32

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग:

बैंक को गिफ्ट सिटी, गुजरात में शाखा (अर्थात आईएफएससी बैंकिंग यूनिट) स्थापित करने हेतु 08 मई 2025 को आईएफएससीए (गिफ्ट सिटी नियामक) से लाइसेंस प्राप्त हुआ है; तथा आईबीयू में परिचालन 12 सितंबर 2025 से प्रारंभ हुआ। चूंकि आईबीयू को अपतटीय शाखा माना जाता है, बैंक अब विदेशी मुद्रा में विभिन्न उत्पाद/सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है, जिसमें ईसीबी, व्यापार वित्त, एफसीटीएल, विदेशी मुद्रा में जमा आदि शामिल हैं।

परिचालन के 6 माह के अंतर्गत अर्थात 31 मार्च 2026 तक, आईबीयू ने 645 मिलियन यूएसडी की कुल आस्तियों का लक्ष प्राप्त कर लिया है।

33

निदेशकों और बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन:

डीएफएस के अनुसार और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस में निरंतर सुधार के उद्देश्य से, बैंक ने व्यक्तिगत निदेशकों, बोर्ड-स्तरीय समितियों और समग्र रूप से बोर्ड के निष्पादन मूल्यांकन के मानदंड निर्धारित करने में सहयोग हेतु एक बाहरी परामर्श फर्म नियुक्त की है। इस साझेदारी से व्यापक निष्पादन मूल्यांकन फ्रेमवर्क का विकास हुआ है। बोर्ड मूल्यांकन फ्रेमवर्क और मानदंडों की समीक्षा एवं अनुमोदन करता है। ये मानदंड प्रासंगिक सेबी विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं, जिसमें सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और सेबी बोर्ड मूल्यांकन मार्गदर्शिका नोट, 2017 शामिल हैं। वर्ष 2025-26 के लिए बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन किया गया है, जिससे बोर्ड की सक्षमता की पुनः



पुष्टि हुई है। इस प्रक्रिया ने निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के बीच मजबूत तालमेल और सहयोग को भी प्रदर्शित किया।

बोर्ड की उप-समितियों का प्रदर्शन मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष रखा जा रहा है और बोर्ड द्वारा इसका वार्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है। गैर-आधिकारिक निदेशकों/शेयरधारक निदेशक का निष्पादन वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

34

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 के अंतर्गत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की पुष्टि करते हुए घोषणा प्रस्तुत की है।

35

बोर्ड और इसकी उप-समितियाँ:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित बोर्ड और इसकी उप-समितियों की संरचना तथा उनमें आयोजित बैठकों का उल्लेख कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया गया है।

36

सचिवीय लेखापरीक्षा:

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए और दिनांक 08 फरवरी, 2019 के सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 के अनुसरण में, बैंक ने मेसर्स जोशी एंड जोशी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़, पुणे को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए बैंक की सचिवीय लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, केवल उन शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर, जिनका चुनाव बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता के अनुसार निदेशक मंडल में किया जाता है। महिला निदेशक सहित निदेशक मंडल में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुरोध पत्र बैंक द्वारा डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल में रिक्तियों का उल्लेख करते हुए निदेशकों की स्थिति डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है।
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के सदस्यों की कुल संख्या के 50% से कम थी।	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, केवल उन शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर, जिनका चुनाव बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता के अनुसार निदेशक मंडल में किया जाता है। बैंक के निदेशक मंडल में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुरोध पत्र डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल में रिक्तियों का उल्लेख करते हुए निदेशकों की स्थिति, डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है।
शेयरधारक निदेशक, जिसे स्वतंत्र निदेशक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के पद पर दिनांक 07 जुलाई 2025 से उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति को दिनांक 27 मार्च 2026 को भर दिया गया। दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, बैंक ने निदेशक मंडल में आवश्यक संख्या में शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति कर दी है।	वित्तीय वर्ष 2025-26 में सृजित आकस्मिक रिक्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक द्वारा एक शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति की गई है।



लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
लेखा परीक्षा समिति का गठन विनियमों के अनुरूप 27 मार्च 2026 तक नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में समिति की न्यूनतम आवश्यक बैठकों का आयोजन नहीं किया गया।	27 मार्च 2026 से प्रभावी नए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के पश्चात समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समिति की बैठक भी आयोजित कर ली गई है।
बैंक के निदेशक मंडल में 20 दिसंबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक अपर्याप्त स्वतंत्र निदेशकों के कारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में न्यूनतम तीन गैर-कार्यपालक निदेशक तथा दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।	दिनांक 28 नवंबर 2025 के आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार एक ही अध्यक्ष को निदेशक मंडल की एक से अधिक उप-समितियों का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकता। अतः बैंक सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करने की स्थिति में नहीं था। बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, केवल उन श्रेयधारक निदेशकों को छोड़कर, जिनका चुनाव बैंक की सार्वजनिक श्रेयधारिता के अनुसार निदेशक मंडल में किया जाता है। बैंक के निदेशक मंडल में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुरोध पत्र डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल में रिक्तियों का उल्लेख करते हुए निदेशकों की स्थिति, डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है।
स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण 20 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं हो सका।	27 मार्च 2026 से प्रभावी नए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के बाद समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है।
हितधारक संबंध समिति का गठन 03 फरवरी 2026 से वित्तीय वर्ष के अंत तक विधिवत नहीं हो सका।	दिनांक 28.11.2025 के आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार एक ही अध्यक्ष को निदेशक मंडल की एक से अधिक उप-समितियों का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकता। अतः बैंक सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुसार हितधारक संबंध समिति का गठन करने की स्थिति में नहीं था। बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, केवल उन श्रेयधारक निदेशकों को छोड़कर, जिनका चुनाव बैंक की सार्वजनिक श्रेयधारिता के अनुसार निदेशक मंडल में किया जाता है। बैंक के निदेशक मंडल में रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों की नियुक्ति संबंधी अनुरोध पत्र डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल में रिक्तियों का उल्लेख करते हुए निदेशकों की स्थिति, डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

37

निदेशकों के दायित्व का कथन:

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक खातों की तैयारी में:

- I. लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही सामग्री विचलन, यदि कोई हो, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- II. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीतियों का पालन किया गया है और निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है, उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और उस अवधि के लाभ-हानि का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत हो;

- III. निदेशकों ने बैंक पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव, बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- IV. निदेशकों ने वार्षिक खाते गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए हैं;
- V. निदेशकों ने सुनिश्चित किया है कि बैंक द्वारा अपनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आरबीआई द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; और
- VI. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।



38

निदेशक मंडल में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- श्री मृत्युंजय महापात्रा को बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में 01.07.2025 से नियुक्त किया गया।
- श्री मृत्युंजय महापात्रा की बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के पद से 07.07.2025 से सेवाएं समाप्त हुई।
- श्री आशीष पाण्डेय की बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के पद से 30.09.2025 से सेवाएं समाप्त हुई।
- श्री प्रभात किरण को बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के रूप में 24.11.2025 से नियुक्त किया गया।
- श्री रोहित ऋषि की बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के पद से 03.02.2026 से सेवाएं समाप्त हुई।
- श्री प्रसेनजीत श्रीकृष्ण फडणवीस को बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में 24.03.2026 से नियुक्त किया गया।

39

लाभांश वितरण नीति:

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के खंड 43ए के अनुसार, बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है जो बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in पर उपलब्ध है।

40

व्यवसाय दायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट:

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, वर्ष 2025-26 की व्यवसाय दायित्व और संवहनीयता रिपोर्ट तैयार की गई है और यह वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है तथा बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in पर उपलब्ध है।

41

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक द्वारा प्राप्त प्रमुख पुरस्कार:

- बैंक को इन एंड ब्रैडस्ट्रीट बीएफएसआई और सरकारी समिट 2025 में पब्लिक सेक्टर एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।
- बैंक को प्रतिष्ठित एफई बेस्ट बैंक अवार्ड्स में संस्थागत श्रेणी में वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र बैंक घोषित किया गया।
- बैंक को बीएसएफआई श्रेणी में 'आर्ट लेजर-एक कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रम' पहल के लिए प्रतिष्ठित स्कोच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।
- बैंक को बिजनेस टुडे बैंकिंग और अर्थव्यवस्था समिट में 'सर्वश्रेष्ठ मध्यम आकार का बैंक' पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- बैंक को भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में 33वाँ आशीर्वाद भाषा सेतु पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ।
- बैंक को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डीएवाई एनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी-बैंक लिकेज (2024-25) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- बैंक को आईबीए द्वारा वर्ष 2024-25 में 21वें वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन, एक्सपो और उद्घरणों में सभी पाँच श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। यह लगातार तीसरी बार है जब बैंक मध्यम आकार के बैंक की श्रेणी में शामिल हुआ।
- बैंक को दक्षिण भारत के प्रमुख बीएफएसआई कार्यक्रम - धनम बीएफएसआई समिट और पुरस्कार आइट 2025 में 'धनम बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर 2025' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

42

आभार:

निदेशक मंडल निवर्तमान निदेशकों द्वारा किए गए योगदान के लिए सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज को उनकी बहुमूल्य सलाह, मार्गदर्शन और सहायता के लिए; ग्राहकों और हितधारकों को उनके संरक्षण के लिए; प्रतिनिधियों और सहयोगियों को उनके सहयोग के लिए और 'महाबैंक परिवार' के सभी कर्मचारियों को बैंक के समग्र विकास में उनकी अप्रतिम प्रतिबद्धता और योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता है।

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

(निधु सक्सेना)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: पुणे
दिनांक: 01.06.2026



फॉर्म नंबर एमआर-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनियां
नियम, 2014 के नियम क्र.9 (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) के अनुसरण में
और सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2019 के परिपत्र परि/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 के अनुसार**

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्रति,
सदस्य,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (इसके पश्चात बैंक कहा गया है) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है।

सचिवीय लेखापरीक्षा 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि में इस प्रकार से की गई कि हमें कॉर्पोरेट आचार/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

बैंक द्वारा रखी गई बैंक की बहियां, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और फाईल की गई विवरणियां व अन्य अभिलेख और बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान निम्नलिखित में उल्लिखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही बैंक के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र इस सीमा तक मौजूद हैं, जिसके आधार पर इसके पश्चात निम्नानुसार रिपोर्टिंग की गई है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और दर्ज की गई विवरणियों व अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, जहां तक लागू हों;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआर') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और विनियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए उप नियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं:-
 - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम, 2015);
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; (इस वर्ष के दौरान लागू नहीं);
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (इस वर्ष के दौरान लागू नहीं);
 - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2021; (इस वर्ष के दौरान लागू नहीं);
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 ; (यथा लागू);
 - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्रिटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009; (वर्ष के दौरान लागू नहीं);
 - (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (वर्ष के दौरान लागू नहीं);
 - (ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994; (वर्ष के दौरान लागू नहीं);



- (ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018;
- (ठ) विशेष रूप से बैंक के लिए लागू अन्य कानून:
- (i) बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पठित (अधिनियम);
 - (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना);
 - (iii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठक) विनियम, 2004;
 - (iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934;
 - (v) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949;
 - (vi) बैंकर बुक साक्ष्य अधिनियम, 1891;
 - (vii) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006;
 - (viii) बैंकिंग कंपनियों (अभिलेखों के संरक्षण की अवधि) नियम, 1985;
 - (ix) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002
 - (x) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005;
 - (xi) दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है ह

- (i) दी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक - लागू नहीं;
- (ii) बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीकरण करार;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ उपर्युक्त उल्लिखित यथा लागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देश, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- क) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कुल सदस्य संख्या के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। अतः निदेशक मंडल की संरचना सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुरूप नहीं थी।
- ख) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।
- ग) स्वतंत्र निदेशक श्रेणी में वर्गीकृत शेयरधारक निदेशक के पद पर 07 जुलाई 2025 से उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति को 27 मार्च 2026 को भरा गया। 31 मार्च 2026 की स्थिति में बैंक ने बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक संख्या में शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति कर दी थी।
- घ) निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण 27 मार्च 2026 तक लेखा परीक्षा समिति का विधिवत गठन नहीं हो सका। नए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के पश्चात समिति का गठन किया गया तथा बैठकें आयोजित की गईं। तथापि, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 के अनुसार आवश्यक न्यूनतम समिति बैठकों का आयोजन वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं हो सका।
- ङ) वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 (3ए) के अनुसार वर्ष के दौरान एनआरसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।
- च) वर्ष के दौरान 27 मार्च 2026 तक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नियमानुसार नहीं था। नए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के पश्चात समिति का गठन किया गया तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व इसकी बैठक आयोजित की गई।
- छ) हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन 03 फरवरी 2026 तक विधिवत था, किन्तु बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि पर समिति का गठन नियमानुसार नहीं रह सका।



हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

उपयुक्त उल्लिखित को छोड़कर, कार्यपालक निदेशकगण, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ बैंक का निदेशक मंडल विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम के लागू प्रावधानों और योजना के अनुसरण में निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन किए गए।

साथ ही, निदेशक मंडल की बैठकों के आयोजन हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट आवश्यकता के अनुसार अग्रिम रूप से भेजे गए जैसा कि सेबी एलओडीआर 2015 के अंतर्गत अपेक्षित है और बैठक में सार्थक सहभागिता हेतु तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मंगाने व प्राप्त करने हेतु समुचित प्रणाली विद्यमान है।

अधिकांश निर्णयों का कार्यान्वयन किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के अंश के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं। बैंक के पास धोखाधड़ी का पता लगाने और निगरानी करने की एक मजबूत प्रणाली विद्यमान है और लागू कानूनों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को इसकी रिपोर्टिंग करने में नियमित रहा है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

बैंक की शाखाओं की संख्या और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानूनों के अनुपालन की लेखापरीक्षा नमूना जांच के आधार पर की गई है।

कृते जोशी एण्ड जोशी

कंपनी सचिव

यूआईएन: पी2009एमएच020200

पीआर.नं. 7912/2026

स्वाक्षरी/-

हर्षल आर जोशी

वरिष्ठ भागीदार

एफसीएस: 9897 सीओपी: 10450

यूडीआईएन: एफ009897एच000405974

दिनांक: 19 मई, 2026

स्थान: पुणे



अनुलग्नक - क

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
लोकमंगल 1501,
शिवाजी नगर, पुणे- 411005

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते जोशी एण्ड जोशी
कंपनी सचिव
यूआईएन: पी2009एमएच020200
पीआर.नं. 7912/2026

स्वाक्षरी/-

हर्षल आर जोशी
वरिष्ठ भागीदार
एफसीएस: 9897 सीओपी: 10450
यूडीआईएन: एफ009897एच000405974

दिनांक: 19 मई, 2026
स्थान: पुणे



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट



वर्ष 2025-26 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस (कॉर्पोरेट अभिशासन) पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों और महत्व को स्वीकार करता है और न केवल वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, बल्कि उसने स्वेच्छा से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सुदृढ़ प्रथाओं का एक सेट तैयार किया है और उनका पालन किया है। बैंक ने हमेशा शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समाज सहित अपने सभी हितधारकों के हितों की सर्वोत्तम सेवा करने के लिए हमेशा भरसक प्रयास किए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दर्शन सभी स्तरों पर प्रदर्शन के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के उच्च मानक प्रदान करना तथा व्यावसायिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, सुदृढ़ व्यावसायिक प्रथाओं और इष्टतम दक्षता के माध्यम से उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। यह बदले में बैंक को शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने और उनके हितों की रक्षा के लिए व्यावसायिक नैतिकता के उच्च स्तर को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

बैंक के इक्विटी शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। बैंक, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत एक 'नया संबंधित बैंक' है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों का उस सीमा तक अनुपालन करता है जहाँ तक वे बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 और इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, निर्देशों आदि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

2

निदेशक मंडल:

2.1 बोर्ड की संरचना बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और समय-समय पर जारी भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है।

बैंक, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन और नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का

अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर।

31 मार्च, 2026 को बैंक के बोर्ड में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संयोजन है। 31 मार्च, 2026 तक निदेशक मंडल में 06 निदेशक शामिल थे, जिनमें से 02 पूर्णकालिक निदेशक और 04 गैर - 02 स्वतंत्र निदेशकों सहित कार्यपालक निदेशक थे, जिनमें 02 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (बोर्ड के अध्यक्ष) और एक कार्यपालक निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की कुल संख्या का 33.33% हैं।

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के अभिशासन पर मास्टर निर्देश, बैंक के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित कौशल, विशेषज्ञता या दक्षताओं को निर्धारित करते हैं:

(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, (viii) सूचना प्रौद्योगिकी (ix) भुगतान और निपटान प्रणालियाँ, (x) मानव संसाधन, (xi) जोखिम प्रबंधन, (xii) व्यवसाय प्रबंधन और कोई भी अन्य मामला जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिजर्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी हो।

बैंक के निदेशक मंडल को उपर्युक्त विशेषज्ञ ज्ञान, कौशल तथा अनुभव है, जिससे सतत व्यवसाय वृद्धि के माध्यम से मूल्य सृजन हेतु सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा।

2.2 बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 7(2) के अनुसार, बैंक के व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। बोर्ड की जिम्मेदारियों में नीतियों का निर्धारण, नई पहल, प्रदर्शन की समीक्षा, बैंक के विनियामक और वैधानिक अनुपालनों का पर्यवेक्षण, विभिन्न पदाधिकारियों को वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना और बैंक के विभिन्न कार्यात्मक अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे वित्तीय स्वीकृतियाँ देना शामिल है। बैंक का निदेशक मंडल बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और समय-समय पर जारी भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कार्य करता है।



31 मार्च, 2026 तक बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम और श्रेणी	विशेषज्ञता का क्षेत्र	31.03.2026 तक धारित इक्विटी शेयरों/ परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	बैंक की उप-समितियों में सदस्यता की संख्या	सूचीबद्ध संस्थाओं (बैंक सहित) की एसीबी/एसआरसी में अध्यक्ष/ सदस्यता की संख्या	बैंक/अन्य कंपनियों में निदेशक पद की नियुक्ति का स्वरूप
1	श्री निधु सक्सेना, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्णकालिक निदेशक)	वित्त, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा और व्यवसाय प्रशासन	शून्य	09	दि न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड: एसीबी- सदस्य	केंद्र सरकार द्वारा 27.03.2024 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त। अन्य कंपनियों में निदेशक पद: दि न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में।
2	श्री प्रभात किरण, कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)	बैंकिंग/वित्त, विपणन, व्यवसाय प्रशासन शून्य	शून्य	10	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा 24.11.2025 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त। अन्य कंपनियों में निदेशक पद: शून्य
3	डॉ. अभिजीत फुकन, सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	प्रशासन (आईईएस), अर्थशास्त्री	शून्य	08	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा 25.10.2023 से सरकार नामित निदेशक के रूप में नामित किए गए। सरकार नामित निदेशक के रूप में अन्य कंपनियों में निदेशक: I. एग्जिम बैंक, II. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), III. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
4	श्री संजीव प्रकाश, आरबीआई नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	बैंकिंग, वित्त	शून्य	05	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसीबी- सदस्य	14.07.2023 से आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त। आरबीआई नामित व्यक्ति के रूप में अन्य कंपनियों में निदेशक पद: भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)
5	श्री प्रवीण कुमार, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	बीमा, प्रशासन	200	09	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसीबी- अध्यक्ष	30.06.2024 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित। अन्य कंपनियों में निदेशक पद: शून्य
6	श्री प्रसेनजीत फडनवीस, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	सूचना प्रौद्योगिकी, सायबर कानून तथा विधिक संबंधी मामले	600	08	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसीबी- सदस्य	24.03.2026 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित। अन्य कंपनियों में निदेशक पद: 1. एसपीपीयू एडुटेक फाउंडेशन

एसीबी अर्थात बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और एसआरसी अर्थात हितधारक संबंध समिति



2.3. वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- श्री मृत्युंजय महापात्र 01.07.2025 से बैंक के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- श्री मृत्युंजय महापात्र 07.07.2025 से निदेशक पद पर नहीं रहे।
- श्री आशीष पांडेय 30.09.2025 से बैंक के कार्यपालक निदेशक पद पर नहीं रहे।
- श्री प्रभात किरण 24.11.2025 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- श्री रोहित ऋषि 03.02.2026 से बैंक के कार्यपालक निदेशक पद पर नहीं रहे।
- श्री प्रसेनजीत फड़नवीस 24.03.2026 से शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।

2.4. निदेशकों का संक्षिप्त विवरण (प्रोफाइल) (31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)

श्री निधु सक्सेना, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ:

श्री निधु सक्सेना आयु 58 वर्ष, दिनांक 27.03.2024 को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शामिल हुए। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर (एमबीए) और वाणिज्य स्नातक है और उनके पास सीएआईआईबी प्रमाणन है। उन्होंने अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से की और बाद में यूको बैंक में चले गए। श्री निधु सक्सेना के पास बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का 28 से अधिक वर्षों का सुदीर्घ अनुभव है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शामिल होने से पहले, वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक रहे। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने सभी प्रमुख बैंकिंग क्षेत्रों में काम किया और शाखा प्रमुख, अंचल प्रमुख और वर्टिकल प्रमुख जैसे कई पदों पर अपनी सेवाएं दीं। यूनियन बैंक में उन्होंने ट्रेजरी, घरेलू व विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, मानव संसाधन, दबावग्रस्त आस्तियां, रिटेल आस्तियां, एमएसएमई, रिटेल देनदारियां, सीआईएसओ, वेल्थ मैनेजमेंट और ऑडिट वर्टिकल का कार्यभार संभाला। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सहयोग के लिए भी वे 'विषय विशेषज्ञ' के रूप में पहचाने जाते हैं। बैंकिंग कैरियर शुरू करने से पहले उनके पास कॉर्पोरेट क्षेत्र में 8 वर्षों का कार्य अनुभव है। इसके अतिरिक्त, वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट के शैक्षणिक परिषद, भारतीय बैंक संघ की प्रबंधन समिति के सदस्य, लेखांकन एवं कराधान पर स्थायी समिति और वार्ता समिति के सदस्य तथा भारतीय उद्योग परिसंघ में बैंकिंग पर राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं।

श्री प्रभात किरण, कार्यपालक निदेशक:

श्री प्रभात किरण भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक अनुभव वाले एक अनुभवी बैंकिंग पेशेवर हैं। वे अर्थशास्त्र में स्नातक हैं तथा व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं। वे प्रमाणित क्रेडिट प्रोफेशनल, भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोशिएट हैं, साथ ही उनके पास सम्मिश्र बीमा प्रमाणन एवं एमएसएमई में प्रमाणपत्र भी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत केनरा बैंक में प्रॉबेशनरी अधिकारी के रूप में की तथा बैंकिंग के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में व्यापक अनुभव अर्जित किया है, जिसमें बड़े कॉर्पोरेट एवं एमएसएमई ऋण, जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन तथा देयता प्रबंधन शामिल हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई शीर्ष पदों का नेतृत्व किया है तथा बड़े कॉर्पोरेट ऋण, मिड कॉर्पोरेट ऋण, एमएसएमई ऋण, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन तथा सहयोगी एवं सहायक कंपनियों के विभिन्न वर्टिकल्स का महाप्रबंधक (जीएम) एवं मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के रूप में नेतृत्व किया है। श्री प्रभात किरण को देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अनुभव है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के लीसेस्टर (लंदन) स्थित शाखा के प्रमुख के रूप में विदेशी नियुक्ति भी सम्मिलित है। उनकी व्यावसायिक विशेषज्ञता बड़े कॉर्पोरेट ऋण, एमएसएमई वित्तपोषण, जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं क्रेडिट, रिटेल एवं कॉर्पोरेट बैंकिंग परिचालन तथा संबंधित क्षेत्रों तक विस्तृत है। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतिष्ठित व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है। उनके राष्ट्रीय प्रशिक्षण में बोर्ड लीडरशिप प्रोग्राम (एमडीआई, गुरुग्राम), परिचालन जोखिम प्रबंधन (एनआईबीएम, पुणे), वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आईटी एवं साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र कार्यक्रम (आईडीआरबीटी), लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (एससीआई), एजीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम (एनआईबीएम) एवं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (एक्सएलआरआई) शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुभव में लंदन स्थित गोल्डस्मिथ्स विश्वविद्यालय में बोर्ड लीडरशिप प्रोग्राम शामिल है। उन्होंने केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है, जहाँ उन्होंने रणनीतिक निगरानी एवं गवर्नेंस में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

डॉ. अभिजीत फुकन, भारत सरकार के नामित निदेशक:

डॉ. अभिजीत फुकन, आयु 51 वर्ष को दिनांक 25.10.2023 से बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे वित्त में पीएच.डी. अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर तथा मानव संसाधन विकास एवं विपणन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं। वे भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस 2004 बैच) के अधिकारी हैं तथा वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग में आर्थिक सलाहकार एवं मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र, प्रबंधन एवं वित्त से संबंधित विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं में अनेक शोध लेख प्रकाशित किए हैं। पेशेवर रूप से उनके पास लोक नीति के क्षेत्र में 23 वर्षों से अधिक का शैक्षणिक, अनुसंधान एवं बहुआयामी गवर्नेंस अनुभव है। वे सतत वित्त, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन



(ईएसजी), कॉरपोरेट गवर्नेंस, नियामकीय एवं अनुपालन, ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र, अवसंरचना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञ ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने वाणिज्य विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, विद्युत मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिनमें राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण के सचिव के रूप में सेवा भी शामिल है। भारत सरकार में अपने सेवा काल के दौरान, उन्होंने आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक सुधारों एवं नीतिगत ढाँचों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक्सिम बैंक, जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), आईएफएससीए के भुगतान विनियामक बोर्ड (पीआरबी) तथा ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण, भारत (ओजीआई) के निदेशक मंडल में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं।

श्री संजीव प्रकाश, आरबीआई नामित निदेशक:

श्री संजीव प्रकाश, आयु 53 वर्ष को दिनांक 14.07.2023 से बैंक के निदेशक मंडल में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने वर्ष 1998 में भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। वे अभियांत्रिकी में स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोशिएट (सीएआईआईबी) एवं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर (एफआरएम) योग्यता धारक हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक में पिछले 28 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, श्री संजीव प्रकाश ने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुंबई स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में कार्य किया है। बैंक में उनके प्रमुख कार्यक्षेत्रों में बैंकों, गैर-बैंकिंग संस्थाओं एवं वित्तीय समूहों का पर्यवेक्षण, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा परियोजना क्रियान्वयन शामिल रहे हैं। श्री संजीव प्रकाश ने उप-गवर्नरों के कार्यकारी सहायक के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें संक्षिप्त अवधि हेतु बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), बेसल, स्विट्ज़रलैंड स्थित फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया, जहाँ उन्होंने वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की पहचान से संबंधित कार्य किया। वर्तमान में, श्री संजीव प्रकाश मुंबई स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में मुद्रा प्रबंधन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। प्रभावी मुद्रा प्रबंधन संचालन हेतु नीतिगत पहल के अंतर्गत वे मुख्य रूप से मुद्रा विनियम की सुविधा प्रदान करने, सिक्कों के वितरण, गंदे/क्षतिग्रस्त नोटों के निष्पादन, करेंसी चेस्ट के सुचारु संचालन तथा जाली नोटों की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं। वे दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 से भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं।

श्री प्रवीण कुमार, शेरधारक निदेशक:

श्री प्रवीण कुमार आयु 62 वर्ष के पास बीमा व बैंकिंग, विपणन, जोखिम प्रबंधन, प्रशासन और मानव संसाधन इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और एलआईसी काइर्स सर्विसेज लिमिटेड की शाखाओं/कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। इससे पहले, उन्होंने एलआईसी काइर्स

सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी और निदेशक का पद संभाला। वे दिनांक 30.06.2024 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में शामिल हुए।

श्री प्रसेनजीत श्रीकृष्ण फड़नवीस, शेरधारक निदेशक:

श्री प्रसेनजीत श्रीकृष्ण फड़नवीस आयु 53 वर्ष, एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास कंप्यूटर विज्ञान और कानून की योग्यताएं हैं और दूरसंचार, बैंकिंग, साइबर कानून, शिक्षा और ग्रामीण विकास में तीन दशकों से अधिक का कार्य अनुभव है। वर्तमान में, वे डॉ. डी. वाई. पाटिल बिजनेस स्कूल, पुणे में कार्यपालक निदेशक - कॉर्पोरेट संबंध के पद पर कार्यरत हैं। वे सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय सहित अग्रणी शिक्षण संस्थानों से भी जुड़े रहे हैं। वे एसपीपीयू एडुटेक फाउंडेशन में निदेशक और स्वरूप इंफ्रा एंड सर्विसेज एलएलपी तथा आयुष ग्लोबल मेडिकेयर एलएलपी में नामित भागीदार भी हैं।

2.5 आचार संहिता:

बैंक के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट <https://bankofmaharashtra.bank.in/policies> पर उपलब्ध है। बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों ने इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

2.6 स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता के संबंध में बोर्ड द्वारा पुष्टि:

सभी स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों के आधार पर, बोर्ड की यह राय है कि सभी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

2.7 स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक आयोजित की है। इस बैठक का उद्देश्य बैंक प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचनाओं की गुणवत्ता, मात्रा और सूचनाओं के समयबद्ध प्रवाह का आकलन करना था, जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों का प्रभावी और उचित रूप से निर्वहन करने हेतु आवश्यक है। बैठक में बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

समिति की वर्ष के दौरान 01 बैठक निम्नानुसार हुई:

30.03.2026

उपर्युक्त के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या के अभाव में, उपर्युक्त मामलों पर अलग से चर्चा करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशकों की एक पृथक बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई:

13.01.2026



2.8 बोर्ड सदस्यों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन:

कार्यपालक निदेशकों के कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन बोर्ड की समिति की अनुपस्थिति में, पूर्णकालिक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों की अनुपस्थिति में बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शेयरधारक निदेशकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन, शेयरधारक निदेशकों की सहमति के बिना वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।

2.9 बैंक के पास अपने निदेशकों के लिए बैंक में उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में परिचय कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए परिचय/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट https://bankofmaharashtra.bank.in/corporate_governance पर उपलब्ध है।

2.10 बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई संबंध नहीं है।

3

वित्तीय वर्ष में आयोजित सामान्य बैठक:

बैंक के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) दिनांक 30 जून, 2025 को बैंक के प्रधान कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशकों ने भाग लिया।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री निधु सक्सेना	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	श्री आशीष पांडेय	कार्यपालक निदेशक
3	श्री रोहित ऋषि	कार्यपालक निदेशक
4	श्री प्रवीण कुमार	शेयरधारक निदेशक

बैंक ने 23 मार्च, 2026 को कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए शेयरधारकों की एक असाधारण सामान्य बैठक भी आयोजित की, जिसमें निम्नलिखित निदेशकों ने भाग लिया:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री निधु सक्सेना	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	श्री प्रभात किरण	कार्यपालक निदेशक
3	श्री प्रवीण कुमार	शेयरधारक निदेशक

4

वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में हुए परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	नाम	परिवर्तन का कारण	परिवर्तन की तिथि
1.	श्रीमती चित्रा दातार	सेवानिवृत्ति	30.04.2025
2.	श्री विशाल सेठिया	कंपनी सचिव के रूप में नियुक्ति	12.05.2025
3.	श्री कौशल विजयकुमार संपत	महाप्रबंधक के रूप में नियुक्ति	12.05.2025
4	श्री दिवेश दिनकर	मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्यकाल पूर्ण	31.05.2025
5.	श्री संकपाल दिनकर बाबूराव	मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति	01.06.2025
6.	श्री विजय प्रकाश जय प्रकाश श्रीवास्तव	मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति	01.06.2025
7.	सुश्री अपर्णा विद्याधर जोगलेकर	मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति	01.06.2025
8.	श्री चंद्रशेखर भोजराज सिंह	महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति	01.06.2025
9.	डॉ अभिजीत मलिन कुमार चंदा	महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति	01.06.2025
10.	श्री विवेक कुमार धवन	महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति	01.06.2025
11.	श्री सुनील धूत	मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्ति	01.06.2025
12.	श्रीमती उमा वेदुला	मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्ति	01.06.2025
13.	श्री देवेश वर्मा	महाप्रबंधक के रूप में नियुक्ति	04.08.2025

5

बोर्ड की बैठकें:

बैंक का बोर्ड अन्य विषयों के अतिरिक्त बैंक की व्यावसायिक नीति और रणनीति पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करता है। बोर्ड अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यावसायिक नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारू और निर्बाध बनाने के लिए बोर्ड ने विभिन्न समितियों/उप-समितियों का गठन किया है।



निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः बैंक के प्रधान कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे में आयोजित की जाती हैं। बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 के खंड 12 के तहत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत अनिवार्य न्यूनतम 04 (चार) बैठकों की तुलना निदेशक मंडल की 16 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं:

25.04.2025	12.05.2025	06.06.2025	26.06.2025
15.07.2025	29.07.2025	03.09.2025	04.09.2025
23.09.2025	14.10.2025	05.12.2025	24.12.2025
13.01.2026	23.02.2026	09.03.2026	27.03.2026

उपर्युक्त बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	अवधि	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में शामिल
श्री निधु सक्सेना	01.04.2025 से 31.03.2026	16	16
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	06	05
श्री आशीष पांडेय	01.04.2025 से 30.09.2025	09	09
श्री रोहित ऋषि	01.04.2025 से 03.02.2026	13	13
डॉ. अभिजीत फुकरे	01.04.2025 से 31.03.2026	16	16
श्री संजीव प्रकाश	01.04.2025 से 31.03.2026	16	16
श्री प्रवीण कुमार	01.04.2025 से 31.03.2026	16	16
श्री प्रसेनजीत फड़नवीस	24.03.2026 से 31.03.2026	01	01

6

बोर्ड की समितियाँ:

बैंक के बोर्ड ने भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न समितियों/उप-समितियों का गठन किया है। बोर्ड ने प्रभावी निर्णय लेने, निगरानी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपनी उप-समितियों को शक्तियाँ आवंटित की हैं। बोर्ड की विभिन्न समितियों का विवरण निम्नानुसार है:

6.1 प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसी) का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- क) ऋण और निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति,
- ख) ऋण, समझौता/बट्टा खाता प्रस्तावों की स्वीकृति,

- ग) परिसर/क्वार्टर और अन्य खरीद से संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन,
- घ) बोर्ड द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 24 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को हुईं:

07.04.2025	25.04.2025	28.05.2025	09.06.2025
19.06.2025	24.06.2025	11.07.2025	29.07.2025
08.08.2025	22.08.2025	03.09.2025	23.09.2025
29.09.2025	14.10.2025	23.10.2025	05.12.2025
15.12.2025	23.12.2025	29.12.2025	27.01.2026
17.02.2026	09.03.2026	16.03.2026	25.03.2026

उपर्युक्त समिति की बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	अवधि	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में शामिल
श्री निधु सक्सेना	01.04.2025 से 31.03.2026	24	24
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	09	09
श्री आशीष पांडेय	01.04.2025 से 30.09.2025	13	13
श्री रोहित ऋषि	01.04.2025 से 03.02.2026	20	19
श्री संजीव प्रकाश	01.04.2025 से 31.03.2026	24	24
श्री प्रवीण कुमार	27.03.2026 से 31.03.2026	11	11

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- i. श्री निधु सक्सेना अध्यक्ष
- ii. श्री प्रभात किरण सदस्य
- iii. श्री संजीव प्रकाश सदस्य
- iv. श्री प्रसेनजीत फड़नवीस सदस्य

6.2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 के अनुसरण में, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन तीन निदेशकों के साथ किया गया है। समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

क. लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) सूचीबद्ध संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं;
- (2) सूचीबद्ध संस्था के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश करना;



- (3) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए उन्हें भुगतान का अनुमोदन करना;
- (4) बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित का संदर्भ हो:
 - (क) निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले;
 - (ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में कोई परिवर्तन और उनके कारण;
 - (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर महत्वपूर्ण लेखांकन प्रविष्टियां;
 - (घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - (च) संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण;
 - (छ) प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत;
- (5) बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;
- (6) प्रबंधन के साथ मिलकर, किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/विनियोजन के विवरण की समीक्षा करना; उन निधियों के विवरण की समीक्षा करना जिनका उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरण-पत्रिका/सूचना में उल्लिखित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया है तथा सार्वजनिक निर्गम या अधिकार निर्गम या अधिमान्य निर्गम या पात्र संस्थागत नियोजन के निर्गम आगमों के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना और इस मामले में आवश्यक कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;
- (7) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता, प्रदर्शन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
- (8) संबंधित पक्षों के साथ सूचीबद्ध संस्था के लेनदेन का अनुमोदन या उसके बाद का कोई संशोधन;
- (9) अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;
- (10) जहाँ भी आवश्यक हो, सूचीबद्ध संस्था के उपक्रमों या संपत्तियों का मूल्यांकन करना।
- (11) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना;
- (12) प्रबंधन के साथ मिलकर, सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
- (13) आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की नियुक्ति और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता,

रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है;

- (14) किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- (15) आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों की किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहाँ भौतिक प्रकृति की संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता की आशंका हो और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना;
- (16) लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले, लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना और साथ ही किसी भी चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना;
- (17) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में भारी चूक के कारणों की जाँच करना;
- (18) व्हिसलब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना;
- (19) उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करना;
- (20) किसी भी अन्य कार्य को करना जैसा कि लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित है;
- (21) सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये या सहायक कंपनी के परिसंपत्ति आकार के 10% से अधिक, जो भी कम हो, के ऋणों और/या अग्रिमों/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना, जिसमें इस प्रावधान के लागू होने की तिथि को विद्यमान ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं;
- (22) सूचीबद्ध संस्था और उसके शेयरधारकों पर विलय, विखंडन, सामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और टिप्पणी करना;

ख. लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

- (1) वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों का प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
- (2) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण की कमियों के पत्र;
- (3) आंतरिक नियंत्रण की कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट; और
- (4) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
- (5) **विचलन विवरण:**
 - (क) विनियम 32(1) के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत किया गया विचलन (विचलनों) का त्रैमासिक विवरण, जिसमें लागू होने पर अनुवीक्षण एजेंसी की रिपोर्ट शामिल हो;



(ख) विनियम 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरण-पत्रिका/सूचना में उल्लिखित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।

बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण, बैंक के पास प्रथम तीन तिमाहियों में लेखापरीक्षा समिति के गठन के लिए निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। इसलिए, बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) अधिनियम, 1970 की धारा 14अ का आधार लिया और उक्त समिति की कार्यसूची को बोर्ड के समक्ष रखा।

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति (की 02 बैठकें हुईं और बैठकों की तिथियाँ निम्नानुसार हैं :

27.03.2026	30.03.2026
------------	------------

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	अवधि	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में शामिल
श्री प्रवीण कुमार	01.04.2025 से 31.03.2026	2	2
श्री संजीव प्रकाश	01.04.2025 से 31.03.2026	2	2
श्री प्रसेनजीत फड़नवीस	24.03.2026 से 31.03.2026	2	2

श्री विशाल सेठिया, कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष
- श्री संजीव प्रकाश सदस्य
- श्री प्रसेनजीत फड़नवीस सदस्य

आमंत्रित सदस्य:

श्री प्रभात किरण

6.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के अनुसार, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति बैंक के विभिन्न जोखिमों, आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए रूपरेखा को शामिल करते हुए एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां और रणनीतियां तैयार करती है तथा जोखिम प्रबंधन नीति आदि के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करती है।

जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाएं, उत्तरदायित्व और शर्तें निम्नानुसार हैं:

- (1) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) सूचीबद्ध संस्था के समक्ष आने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, परिचालनगत, क्षेत्रीय, संधारणीयता (विशेष रूप से ईएसजी संबंधी जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम शामिल हो।

(ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण हेतु प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय।

(ग) व्यावसायिक निरंतरता योजना।

- (2) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उचित पद्धति, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं।
- (3) जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना शामिल है;
- (4) बदलते उद्योग परिवेश और विकसित होती जटिलता पर विचार करने सहित, कम से कम दो वर्ष में एक बार जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना;
- (5) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों के स्वरूप और विषय-वस्तु के बारे में सूचित रखना।
- (6) मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण, बैंक के पास पहली तीन तिमाहियों में जोखिम प्रबंधन समिति गठित करने के लिए पर्याप्त संख्या में निदेशक उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1970 का पैरा 14ए का प्रयोग किया और उक्त समिति के एजेंडों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया है।

वर्ष के दौरान समिति की 01 बैठक निम्नानुसार हुई :

30.03.2026

अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	01	01
श्री प्रवीण कुमार	01.04.2025 से 31.03.2026	01	01
श्री प्रसेनजीत फड़नवीस	24.03.2026 से 31.03.2026	01	01



31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही।

- | | |
|--------------------------|---------|
| i. श्री प्रसेनजीत फडणवीस | अध्यक्ष |
| ii. श्री प्रभात किरण | सदस्य |
| iii. श्री प्रवीण कुमार | सदस्य |

6.4 हितधारक संबंध समिति:

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों/निवारण और अन्य निवेशक संबंधी मामलों की देखरेख के लिए बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 के तहत एक हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 01 बैठक हुई:

23.12.2025

अपने-अपने कार्य अवधि के दौरान समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	01	01
श्री रोहित ऋषि	01.04.2025 से 03.02.2026	01	01
श्री प्रवीण कुमार	01.04.2025 से 31.03.2026	01	01

दिनांक 31.03.2026 तक, सदस्यों की अपेक्षित संख्या की कमी के कारण समिति का गठन नहीं किया जा सका।

वर्ष के दौरान शेयरधारकों के संबंध में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है:

01.04.2025 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	11
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	11
31.03.2026 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

श्री विशाल सेठिया, कंपनी सचिव, को बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंजों के अनुपालन हेतु बैंक का अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है।

6.5 शेयर अंतरण समिति:

हितधारकों की संबंध समिति के अलावा, निदेशक मंडल ने शेयरों के अंतरण, हस्तांतरण और नाम हटाने आदि के आवेदनों को मंजूरी देने/नोट करने के लिए "शेयर अंतरण समिति" का गठन किया है। इस समिति में चार निदेशक सदस्य हैं।

शेयर अंतरण समिति की बैठक इस वर्ष के दौरान नहीं हो सकी, क्योंकि इस संबंध में कोई विशिष्ट एजेंडा नहीं था।

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | |
|---------------------------|---------|
| i. श्री निधु सक्सेना | अध्यक्ष |
| ii. श्री प्रभात किरण | सदस्य |
| iii. श्री प्रवीण कुमार | सदस्य |
| iv. श्री प्रसेनजीत फडणवीस | सदस्य |

6.6 धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति:

इस समिति का गठन आरबीआई, भारत सरकार और सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यह समिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति के निर्धारित हेतु समुचित जाँच की प्रक्रिया पूरी करती है।

वर्ष के दौरान समिति की 01 बैठक निम्नानुसार हुई:

09.03.2026

समिति की उपर्युक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	01	01
डॉ. अभिजीत फुक्न	01.04.2025 से 31.03.2026	01	01
श्री प्रवीण कुमार	01.04.2025 से 31.03.2026	01	01

दिनांक 31.03.2026 को, कोरम न होने के कारण समिति का गठन नहीं किया जा सका।

6.7 निदेशकों की पदोन्नति समिति:

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति की देखरेख के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशकों की एक समिति का गठन किया गया है। यह सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांच की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशकगण भी इस समिति से जुड़े हुए हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं:

05.06.2025	23.09.2025	24.12.2025	09.03.2026
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री निधु सक्सेना	01.04.2025 से 31.03.2026	04	04
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	02	02
श्री आशीष पाण्डेय	01.04.2025 से 30.09.2025	02	02
श्री रोहित ऋषि	01.04.2025 से 03.02.2026	03	02
श्री संजीव प्रकाश	01.04.2025 से 31.03.2026	04	04
डॉ. अभिजीत फुक्न	01.04.2025 से 31.03.2026	04	04



31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | |
|-----------------------|---------|
| i. श्री निधु सक्सेना | अध्यक्ष |
| ii. श्री प्रभात किरण | सदस्य |
| iii. डॉ. अभिजीत फुकन | सदस्य |
| iv. श्री संजीव प्रकाश | सदस्य |

6.8 ग्राहक सेवा समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है। बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुई:

26.06.2025	22.09.2025	23.12.2025	09.03.2026
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री निधु सक्सेना	01.04.2025 से 31.03.2026	04	04
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	02	02
श्री आशीष पाण्डेय	01.04.2025 से 30.09.2025	02	02
श्री रोहित ऋषि	01.04.2025 से 03.02.2026	03	03
श्री प्रवीण कुमार	01.04.2025 से 31.03.2026	01	01

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | |
|---------------------------|---------|
| i. श्री निधु सक्सेना | अध्यक्ष |
| ii. श्री प्रभात किरण | सदस्य |
| iii. श्री प्रवीण कुमार | सदस्य |
| iv. श्री प्रसेनजीत फडणवीस | सदस्य |

आमंत्रित:

- | |
|----------------------|
| क. दो बाहरी विशेषज्ञ |
| ख. आंतरिक लोकपाल |

बैंक ने दि. 09.03.2026 को आयोजित ग्राहक सेवा समिति की बैठक में ग्राहकों को भी आमंत्रित किया, ताकि वे अपनी प्रतिक्रिया दे सकें।

6.9 आईटी रणनीति समिति:

निदेशक मंडल की आईटी रणनीति समिति का गठन आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। समिति की बैठक में 03 बाहरी आईटी विशेषज्ञ ने भी सहभाग लिया। समिति आईटी गवर्नेंस के सभी पहलुओं को देखती है जिसमें उचित आईटी रणनीति का

चयन और सभी रणनीतिक आईटी योजनाओं, साइबर सुरक्षा आदि के कार्यान्वयन की निगरानी करना शामिल है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 06 बैठकें आयोजित हुई:

05.06.2025	30.06.2025	29.07.2025	22.09.2025
05.12.2025	09.03.2026		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री निधु सक्सेना	01.04.2025 से 31.03.2026	06	05
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	02	02
श्री आशीष पाण्डेय	01.04.2025 से 30.09.2025	04	04
श्री रोहित ऋषि	01.04.2025 से 03.02.2026	05	05
डॉ. अभिजीत फुकन	01.04.2025 से 31.03.2026	06	06
श्री प्रवीण कुमार	01.04.2025 से 31.03.2026	06	06

दिनांक 31.03.2026 को, कोरम न होने के कारण समिति का गठन नहीं किया जा सका।

6.10 ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में संशोधन के अनुसरण में 10 फरवरी 2012 को निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया। निदेशक मंडल द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार समिति को रु. 300.00 करोड़ रुपये तक के वैयक्तिक, रु. 600.00 करोड़ तक के समूह एक्सपोजर तथा ऋण समझौते/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों के लिए बोर्ड द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना इस प्रकार है।

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- मुख्य जोखिम अधिकारी
- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/वर्टिकल प्रमुख, वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा
- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/वर्टिकल प्रमुख (कॉर्पोरेट ऋण ₹250 करोड़ से अधिक)
- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/वर्टिकल प्रमुख (कॉर्पोरेट ऋण ₹250 करोड़ तक/एमएसएमई/रिटेल ऋण/कृषि)
- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/वर्टिकल प्रमुख (वसूली एवं विधिक सेवाएं)



वर्ष के दौरान निम्नलिखित दिनांकों को समिति की 27 बैठकें आयोजित हुईं:

क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक
1	07.04.2025	11	11.08.2025	21	31.12.2025
2	24.04.2025	12	30.08.2025	22	23.01.2026
3	17.05.2025	13	10.09.2025	23	07.02.2026
4	31.05.2025	14	23.09.2025	24	21.02.2026
5	09.06.2025	15	18.10.2025	25	13.03.2026
6	27.06.2025	16	01.11.2025	26	18.03.2026
7	11.07.2025	17	27.11.2025	27	25.03.2026
8	22.07.2025	18	08.12.2025		
9	01.08.2025	19	17.12.2025		
10	02.08.2025	20	29.12.2025		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री निधु सक्सेना	01.04.2025 से 31.03.2026	27	27
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	11	11
श्री आशीष पाण्डेय	01.04.2025 से 30.09.2025	14	14
श्री रोहित ऋषि	01.04.2025 से 03.02.2026	22	22

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

- श्री निधु सक्सेना अध्यक्ष
- श्री प्रभात किरण सदस्य

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

- मुख्य जोखिम अधिकारी
- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/वर्टिकल प्रमुख, वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा
- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/वर्टिकल प्रमुख (कॉर्पोरेट ऋण ₹ 250 करोड़ से अधिक)
- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/वर्टिकल प्रमुख (कॉर्पोरेट ऋण ₹ 250 करोड़ तक/एमएसएमई/रिटेल ऋण/कृषि)*
- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/वर्टिकल प्रमुख (वसूली एवं विधिक सेवाएं)*

नोट *: यदि उनका प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा जाता है।

6.11 मानव संसाधन संचालन समिति:

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, चार निदेशकों और 02 बाहरी मानव संसाधन विशेषज्ञों की सदस्यता सहित इस समिति का गठन किया गया है। समिति का गठन मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें आयोजित हुईं:

05.06.2025	22.09.2025	24.12.2025	09.03.2026
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री निधु सक्सेना	01.04.2025 से 31.03.2026	04	04
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	02	02
श्री आशीष पाण्डेय	01.04.2025 से 30.09.2025	02	02
श्री रोहित ऋषि	01.04.2025 से 03.02.2026	03	03
डॉ. अभिजीत फुकन	01.04.2025 से 31.03.2026	04	03

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री निधु सक्सेना अध्यक्ष
 - श्री प्रभात किरण सदस्य
 - डॉ. अभिजीत फुकन सदस्य
- आमंत्रित - दो बाह्य विशेषज्ञ

6.12 एनपीए वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड की समिति:

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह समिति बैंक में एनपीए वसूली की समीक्षा और निगरानी करती है, संग्रहण प्रणाली का पर्यवेक्षण करती है और ऋण तथा अग्रिमों की वसूली करती है और बड़े मूल्य के एनपीए खातों में वसूली के प्रदर्शन की निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

05.06.2025	22.09.2025	24.12.2025	09.03.2026
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री निधु सक्सेना	01.04.2025 से 31.03.2026	04	04
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	02	02
श्री आशीष पाण्डेय	01.04.2025 से 30.09.2025	02	02
श्री रोहित ऋषि	01.04.2025 से 03.02.2026	03	03
डॉ. अभिजीत फुकन	01.04.2025 से 31.03.2026	04	03



31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- i. श्री निधु सक्सेना अध्यक्ष
- ii. श्री प्रभात किरण सदस्य
- iii. डॉ. अभिजीत फुकन सदस्य

6.13 भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा और निगरानी हेतु समिति:

इस समिति का गठन सदस्य के रूप में चार निदेशकों के साथ किया गया है। समिति भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करती है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

05.06.2025	22.09.2025	24.12.2025	09.03.2026
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री प्रभात किरण	24.11.2025 से 31.03.2026	02	02
श्री आशीष पाण्डेय	01.04.2025 से 30.09.2025	02	02
श्री रोहित ऋषि	01.04.2025 से 03.02.2026	03	03
डॉ. अभिजीत फुकन	01.04.2025 से 31.03.2026	04	03
श्री प्रवीण कुमार	01.04.2025 से 31.03.2026	02	02

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- i. श्री प्रभात किरण अध्यक्ष
 - ii. डॉ. अभिजीत फुकन सदस्य
 - iii. श्री प्रवीण कुमार सदस्य
 - iv. श्री प्रसेनजीत श्रीकृष्णा फड़नवीस सदस्य
- आमंत्रित मुख्य महाप्रबंधक/
महाप्रबंधक वित्तीय समावेशन

6.14 इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति:

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया है। समिति इरादतन चूक के मामलों की अवलोकन करती है और बैंक के इरादतन चूककर्ताओं की पहचान और घोषणा करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 01 बैठक आयोजित हुई:

05.06.2025

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री निधु सक्सेना	01.04.2025 से 31.03.2026	01	01
डॉ. अभिजीत फुकन	01.04.2025 से 31.03.2026	01	01
श्री प्रवीण कुमार	04.10.2025 से 31.03.2026	00	00

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- i. श्री निधु सक्सेना अध्यक्ष
- ii. डॉ. अभिजीत फुकन सदस्य
- iii. श्री प्रवीण कुमार सदस्य

6.15 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति:

वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.08.2019 के सम्प्रेषण क्र.एफ.क्र. 9/5/2009-आईआर के अनुसार इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया। समिति बैंक के आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी कार्यपालक निदेशकगण, प्रबंध निदेशक और सीईओ और आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी महाप्रबंधकों के कार्य-निष्पादन की मूल्यांकन प्रक्रिया करती है।

कोरम के अभाव के कारण वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

6.16 अपील और समीक्षा पर विचार करने वाली समिति:

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया है। यह समिति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांच की समीक्षा करती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

31 मार्च, 2026 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- i. डॉ. अभिजीत फुकन अध्यक्ष
- ii. श्री प्रवीण कुमार सदस्य
- iii. श्री प्रसेनजीत श्रीकृष्णा फड़नवीस सदस्य

6.17 नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02.08.2019 के मास्टर परिपत्र तथा भारत सरकार व सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया है। यह समिति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति के निर्धारण की समुचित प्रक्रिया करती है।



नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के कार्य निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना तथा निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना।
2. प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति में उल्लिखित क्षमताएँ होनी चाहिए। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से समिति निम्नलिखित कार्य कर सकती है:
 - क. यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर सकती है;
 - ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले उम्मीदवारों पर विचार कर सकती है; तथा
 - ग. उम्मीदवारों की समयबद्ध प्रतिबद्धताओं पर विचार करें।
3. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना।
4. निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना।
5. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।
6. स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जाए या जारी रखा जाए।
7. वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में हो, की बोर्ड को सिफारिश करना।

कोरम के अभाव के कारण वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, कोरम के अभाव के कारण समिति का गठन नहीं किया जा सका।

6.18 समझौता प्रस्तावों के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

आरबीआई के दिनांक 02.08.2019 के मास्टर परिपत्र और भारत सरकार तथा सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस समिति का गठन सदस्य के रूप में पांच निदेशकों के साथ किया गया है।

वर्ष के दौरान समझौता प्रस्तावों हेतु बोर्ड की विशेष समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

i. श्री निधु सक्सेना	अध्यक्ष
ii. श्री प्रभात किरण	सदस्य
iii. डॉ अभिजीत फुकन	सदस्य
iv. श्री संजीव प्रकाश	सदस्य
v. श्री प्रवीण कुमार	सदस्य
vi. श्री प्रसेनजीत श्रीकृष्ण फडणवीस	सदस्य

6.19 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 का पैरा 14ए:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 के पैरा 14ए के अनुसार, जहाँ कानूनन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए कोई कार्य या कृत्य करना आवश्यक हो, और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम उस रिक्ति के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य या कृत्य स्वयं कर सकता है। तदनुसार, जिन समितियों का गठन कोरम के अभाव के कारण नहीं किया जा सका था, उनकी कार्यसूची) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई।

7

अन्य समितियां:

विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और परिचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरीयों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां भी हैं, जैसे शीर्ष प्रबंधन समिति (टीएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एलसीओ), परिसर समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, ऋण समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति इत्यादि।

8

निदेशकों का पारिश्रमिक:

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के द्वारा बैंक को शासित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है। बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) का भुगतान नामित निदेशकों (नॉमिनी डायरेक्टर्स) के अलावा केवल गैर-कार्यपालक निदेशकों को किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/एमडी एवं सीईओ और दो कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन प्रोत्साहन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।



क) वर्ष 2025-26 के दौरान अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	पारिश्रमिक	कार्यनिष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन	पीएल नकदीकरण	कुल
श्री निधु सक्सेना प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	40.36	24.83	0.00	65.19
श्री प्रभात किरण कार्यपालक निदेशक	14.98	0.00	0.00	14.98
श्री आशीष पाण्डेय कार्यपालक निदेशक	19.55	24.42	0.00	43.97
श्री रोहित ऋषि कार्यपालक निदेशक	46.32	26.69	36.57	109.58

ख) बैठक (सिटिंग) शुल्क:

भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग की दिनांक 18 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार, बोर्ड और इसकी उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशकों (नामित निदेशकों के अलावा) को देय बैठक शुल्क (सिटिंग शुल्क) को निम्नानुसार संशोधित किया गया था:

(क) बोर्ड की बैठक : रु. 40,000/- प्रति बैठक

(ख) समिति की बैठक : रु. 20,000/- प्रति बैठक

(ग) बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता: (क) के अतिरिक्त रु. 10,000/- प्रति बैठक

(घ) समिति की बैठक की अध्यक्षता : (ख) के अतिरिक्त रु. 5,000/- प्रति बैठक

वित्तीय सेवाएं विभाग की दिनांक 28 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार, बैंक के बोर्ड ने अधिसूचना की तिथि से गैर-कार्यपालक निदेशकों (नामित निदेशकों के अलावा) को देय सिटिंग शुल्क को निम्नानुसार संशोधित किया है:

(क) बोर्ड की बैठक : रु. 60,000/- प्रति बैठक

(ख) समिति की बैठक : रु. 30,000/- प्रति बैठक

(ग) बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता: (क) के अतिरिक्त रु. 15,000/- प्रति बैठक

(घ) समिति की बैठक की अध्यक्षता : (ख) के अतिरिक्त रु. 75,00/- प्रति बैठक

इसके अतिरिक्त, वित्तीय सेवाएं विभाग की उपर्युक्त दिनांक 28 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के अनुसरण में, एक निदेशक को देय कुल सिटिंग शुल्क पर 15.00 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को हटा दिया गया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्णकालिक निदेशकों, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सिटिंग शुल्क (बैठक शुल्क) नहीं दिया जाता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए कुल सिटिंग शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (रु.)
01	श्री प्रवीण कुमार	16,12,500.00
02	श्री प्रसेनजीत फड़नवीस	1,95,000.00
	कुल	18,07,500.00

इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति में दो बाहरी विशेषज्ञ हैं और उनमें से प्रत्येक को 05.06.2025, 22.09.2025, 24.12.2025 और 09.03.2026 को आयोजित बैठकों में शामिल होने के लिए 80,000/- रुपये प्रति बैठक के लिए सिटिंग शुल्क का भुगतान किया गया था। इसी प्रकार, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति में दो बाहरी विशेषज्ञ हैं और उनमें से प्रत्येक को 26.06.2025, 22.09.2025, 23.12.2025 और 09.03.2026 को आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए 30,000/- रुपये प्रति बैठक के लिए सिटिंग शुल्क का भुगतान किया गया था।



9

सर्वसाधारण बैठकें:

9.1 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	दिनांक व समय	स्थान/मान्य स्थान	पारित संकल्प
बीसवीं वार्षिक साधारण बैठक	09 जून, 2023 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम के माध्यम से	पुणे स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय	i) वर्ष 2022-23 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। (साधारण संकल्प) ii) बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश की घोषणा (साधारण संकल्प) iii) एफपीओ/राइट इश्यू/क्यूआईपी/अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प) iv) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 15.12.2022 के अधिसूचना संदर्भ eF.No.6/2/2022-बीओ के माध्यम से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के अधीन बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री प्रशांत कुमार गोयल की नियुक्ति 15 दिसंबर, 2022 से की गई (विशेष संकल्प)।
इक्कीसवीं वार्षिक साधारण बैठक	12 जून, 2024 को प्रातः 11.00 बजे वीसी या ओएवीएम के माध्यम से	पुणे स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय	i) वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को अपनाना (साधारण संकल्प) ii) बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश की घोषणा (साधारण संकल्प) iii) एफपीओ/राइट इश्यू/क्यूआईपी/अधिमानी इश्यू आदि के माध्यम से पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प) iv) श्री संजीव प्रकाश को 14.07.2023 से आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना (साधारण संकल्प) v) श्री अभिजीत फुकन को 25.10.2023 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना (साधारण संकल्प) vi) श्री रोहित ऋषि को 01.11.2023 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना (साधारण संकल्प) vii) श्री निधु सक्सेना को 27.03.2024 से प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना (साधारण संकल्प) viii) श्री राकेश कुमार के कार्यकाल की समाप्ति के कारण होने वाली रिक्ति पर बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव कराना (साधारण संकल्प)
बाइसवीं (22वीं) वार्षिक साधारण बैठक	30 जून, 2025 को सुबह 11.00 बजे वीसी या ओएवीएम के माध्यम से	पुणे स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय	i) वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को अपनाना (साधारण संकल्प) ii) बैंक के इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश की घोषणा करना (साधारण संकल्प) iii) एफपीओ/राइट इश्यू/क्यूआईपी/अधिमानी इश्यू के माध्यम से पूंजी जुटाना (साधारण संकल्प) iv) मेसर्स जोशी एंड जोशी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक लगातार 05 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्राप्त करना (साधारण संकल्प) v) केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन करना (साधारण संकल्प)



विवरण	दिनांक व समय	स्थान/मान्य स्थान	पारित संकल्प
असाधारण सामान्य बैठक	23 मार्च, 2026 को सुबह 11:00 बजे वीसी या ओएवीएम के माध्यम से	पुणे स्थित बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय	i) श्री प्रभात किरण को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति देना (साधारण) ii) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन करना (साधारण संकल्प)

9.2 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को बैंक की साधारण बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है।

10

पोस्टल बैलेट :

10.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पोस्टल बैलेट प्रक्रिया नहीं की।

10.2 प्रस्तावित पोस्टल बैलेट के ब्यौरे :

आगामी वार्षिक साधारण बैठक में या उससे पूर्व पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

11

संप्रेषण के साधन:

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक तथा एक स्थानीय दैनिक में मराठी में प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अतिरिक्त बैंक ने वित्तीय परिणाम हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए। वित्तीय परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in पर भी प्रदर्शित किया गया और शेयर बाजारों को प्रस्तुत किया गया। बैंक के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद बैंक, विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों/संवाददाताओं के सम्मेलन, भी आयोजित करता है। बैंक की प्रेस विज्ञप्तियां और प्रस्तुतियाँ भी बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

को समाप्त अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन का दिनांक
	अंग्रेजी संस्करण	मराठी संस्करण	
जून 2025	इकोनॉमिक टाइम्स	सकाळ	16.07.2025
सितंबर 2025	इकोनॉमिक टाइम्स	सकाळ	15.10.2025
दिसंबर 2025	इकोनॉमिक टाइम्स	सकाळ	14.01.2026
मार्च 2026	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	सकाळ	21.04.2026

निवेशकों के साथ संप्रेषण के चैनल :

सभी आवधिक अनुपालन फाइलिंग जैसे कि शेयरधारिता पद्धति, कापोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, कापोरेट घोषणाएं, मीडिया विज्ञप्तियां इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक रूप से बीएसई कापोरेट कम्प्लायन्स एंड लिस्टिंग सेंटर (द 'लिस्टिंग सेंटर') और एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) में प्रसार हेतु दर्ज किए गए।

12

सामान्य शेयरधारक का ब्यौरा:

12.1 तेइसवीं (23 वीं) वार्षिक साधारण बैठक के विवरण:

वित्तीय वर्ष	2025-26
31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित खातों (एकल व समेकित) पर विचार करने हेतु निदेशक मण्डल की बैठक	20 अप्रैल 2026
तेइसवीं वार्षिक साधारण बैठक का दिनांक, समय और स्थान	विडियो कॉन्फरेंस या अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों से दिनांक 30 जून, 2026 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)

12.2 लाभांश का भुगतान और रिकॉर्ड तिथि:

बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर रु.1.00 के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त प्रदत्त शेयर पूंजी पर रु. 1.20 प्रति शेयर (यथा:12%) के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। कंपनी ने अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 5 जून, 2026 निर्धारित की है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक साधारण बैठक में घोषित किया जाता है, का भुगतान 30 दिनों के अंदर उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि पर दिखाई देंगे।



12.3 वित्तीय कैलेंडर 2026-27 (अनंतिम):

निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनंतिम समय
30 जून, 2026	14 अगस्त 2026 को या इससे पूर्व
30 सितंबर, 2026	14 नवंबर 2026 को या इससे पूर्व
31 दिसंबर, 2026	14 फरवरी 2027 को या इससे पूर्व
31 मार्च, 2027 (वार्षिक)	29 मई 2027 को या इससे पूर्व

12.4 स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों के ब्यौरे:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किए गए हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्क्रिप कोड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई): पता : फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001	532525

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पता : एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट क्र. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051	MAHABANK
इंटरनेशनल सिक्युरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर (आईएसआईएन):	INE457A01014

वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को किया गया है।

12.5 प्रति शेयर डाटा :

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
अंकित मूल्य (रु.)	10/-	10/-
ईपीएस (रु.)	9.13	7.48
लाभांश (%)	22%	15%
बही मूल्य (रु.)	39.36	33.65
निवल लाभ के % के रूप में लाभांश पे-आउट	24.20%	20.90%

12.6 बैंक द्वारा समय-समय विभिन्न बॉण्ड (टीयर I और टीयर II पूंजी) तथा इफ्रा बॉण्ड जारी किए गए। 31.03.2026 को बकाया बॉण्ड्स और उनकी क्रेडिट रेटिंग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	सीरीज	प्रकार	आईएसआईएन सं	आबंटन/जारी करने का दिनांक	अवधि (माह में)	राशि (रु. करोड़ में)	कूपन दर (प्रति)	रेटिंग
1	III	बेसल III एटी I (सीरीज -3)	INE457A08134	26.12.2022	सतत	880.00	8.74	एक्यूइट एए (एस) इन्फोमेरिक्स एए (एस)
2	II	बेसल III एटी I (सीरीज -2)	INE457A08118	08.09.2022	सतत	710.00	8.74	एक्यूइट एए (एस) इन्फोमेरिक्स एए (एस)
3	I	बेसल III एटी I (सीरीज -1)	INE457A08100	24.03.2022	सतत	290.00	8.75	एक्यूइट एए (एस) इन्फोमेरिक्स एए (एस)
4	V	बेसल III एटी II (सीरीज -5)	INE457A08126	07.12.2022	120	348.00	8.00	एक्यूइट एए+ (एस) इन्फोमेरिक्स एए+ (एस)
5	IV	बेसल III टीयर II (सीरीज -4)	INE457A08092	21.10.2021	120	1000.00	7.86	केयर एए+ (एस) ब्रिकवर्क एए+ (एस)
6	III	बेसल III टीयर II (सीरीज -3)	INE457A08084	23.03.2021	120	100.00	8.00	एक्यूइट एए+ (एस) ब्रिकवर्क एए+ (एस)
7	II	बेसल III टीयर II (सीरीज -2)	INE457A08076	11.02.2021	120	205.00	8.00	एक्यूइट एए+ (एस) ब्रिकवर्क एए+ (एस)
8	I	बेसल III टीयर II (सीरीज -1)	INE457A08068	14.12.2020	120	200.70	7.75	एक्यूइट एए+ (एस) ब्रिकवर्क एए+ (एस)



9	VIII	बेसल III टीयर II (सीरीज -8)	INE457A08050	06.03.2020	120	600.00	8.70	एक्यूइट एए+ (एस) ब्रिकवर्क एए+ (एस)
10	I	बेसल III टीयर II	INE457A08035	27.06.2016	123	500.00	9.20	केयर एए+ (एस) आईसीआरए एए+ (एस)
11	VI	बेसल III टीयर II (सीरीज -6)	INE457A08142	18.09.2023	120	515	7.98	आईसीआरए एए+ (एस) केयर एए+ (एस)
12	VII	बेसल III टीयर II (सीरीज -7)	INE457A08159	14.12.2023	120	259	7.99	एक्यूइट एए+ (एस) इन्फोमेरिक्स एए+ (एस)
13	I	एलटी इंफ्रा बॉण्ड (सीरीज 1)	INE457A08175	05.08.2024	120	811.00	7.80	एक्यूइट एए+ (एस) केयर एए+ (एस)
14	II	एलटी इंफ्रा बॉण्ड (सीरीज 2)	INE457A08183	18.02.2025	120	1612.00	7.70	केयर एए+ (एस) आईसीआरए एए+ (एस)

12.7 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों एवं शेयरधारकों को सहयोग:

बैंक ने एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को सेबी पंजीकृत श्रेणी I/II मध्यस्थ के रूप में अपना रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है, जो शेयरों/बांडों के हस्तांतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोधों की रिकॉर्डिंग, निवेशकों की शिकायतों के समाधान के साथ-साथ शेयर/बॉण्ड जारी करने से संबंधित अन्य गतिविधियों से जुड़े हैं। निवेशक अपने ट्रांसफर डीड/अनुरोध/शिकायत आरटीए के पास निम्नलिखित पते पर दर्ज करा सकते हैं।

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट :

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,
(इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)
3बी3- तीसरी मंजिल, गुंडेचा ओनक्लेव,
खेरानी रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व),
फोन: 022-28516021-22
वेबसाइट : www.mcsregistrars.com
ईमेल: helpdesknum@mcsregistrars.com
mparase@mcsregistrars.com

बैंक का निवेशक सेवाएं विभाग :

विशाल सेठिया
कंपनी सचिव
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
निवेशक सेवाएं विभाग
134/1, 'मॉन्टक्लेयर', बाणेर - पाषाण लिंक रोड,
पाषाण, पुणे-411021
फोन : 020 71658139
ईमेल: investor_services@bankofmaharashtra.bank.in

निजी तौर पर रखे गए बॉण्डों के लिए बैंक ने निम्नानुसार डिबेंचर ट्रस्टी को भी नियुक्त किया है:

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्व में जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)
पता	जीडीए हाउस, सर्वे नं 94/95, प्लॉट क्र. 85, भुसारी कॉलोनी (राइट) कोथरूड, पुणे - 411038, महाराष्ट्र, भारत
फोन नंबर	020-25280081
फैक्स नंबर	020-25280275
ई-मेल	dt@gdatrustee.com

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.
पता	एक्सिस हाउस, तल मंजिल, वाडिया इंटरनैशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई 400 025, महाराष्ट्र, भारत
फोन नंबर	022-62260054/50
ई-मेल	debenturetrustee@axistrustee.com

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	एसबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड,
पता	चौथी मंजिल, मिस्त्री भवन, 122, दिनशां वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई 400020..
फोन नंबर	022-43025566
ई-मेल	dt@sbicaptrustee.com



डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
पता	यूनिवर्सल इंडियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001
फोन नंबर	022-40807000
ई-मेल	itsl@idbitrustee.com

बैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, पुणे में निवेशक सेवाएं विभाग की भी स्थापना की है। शेयरधारक अपने किसी अनुरोध/शिकायत के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

विशाल सेठिया

कंपनी सचिव

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

निवेशक सेवाएं विभाग

134/1, 'मॉन्टक्लेयर'

बाणेर - पाषाण लिंक रोड, पाषाण, पुणे- 411021

फोन : 020-71658139

ईमेल: investor_services@bankofmaharashtra.bank.in

उपर्युक्त ई-मेल आईडी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधान 6 (2)(डी) के अनुसरण में केवल निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है।

12.8 शेयरधारिता का वितरण :

31.03.2026 को बैंक की शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयर-धारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
1 - 500	777196	86.22	75856873	0.9862
501 - 1000	56974	6.3205	46170981	0.6003
1001 - 2000	31255	3.4673	47658313	0.6196
2001 - 3000	11347	1.2588	29205674	0.3797
3001 - 4000	5973	0.6626	21168540	0.2752
4001 - 5000	4893	0.5428	23261692	0.3024
5001 - 10000	7654	0.8491	57998940	0.7541
10001 - 50000	5148	0.5711	103849610	1.3502
50001 - 100000	485	0.0538	34632390	0.4503
100000 से अधिक	485	0.0537	7251751937	94.28
	901410	100	7691554950	100

12.9 शेयरधारिता का स्वरूप :

दिनांक 31.03.2026 तथा 31.03.2025 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

शेयरधारक की श्रेणी	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण का %
भारत सरकार	5661059630	73.60	6122627927	79.60
भारतीय निवासी व्यक्ति	450267364	5.85	542998267	7.06
बीमा कंपनियां	569602361	7.41	665231578	8.65
बैंक/वित्तीय संस्थान	6187405	0.08	81747908	1.06
वैकल्पिक निवेश निधि	10117863	0.13	4334549	0.06
अनिवासी भारतीय व्यक्ति	19086581	0.25	15554757	0.20
विदेशी संस्थागत निवेशक	426946168	5.55	132896471	1.73
म्यूचुअल फंड/यूटीआई	482043297	6.27	69325325	0.90
निकाय कॉर्पोरेट	33505490	0.43	31613395	0.41
अन्य	32738791	0.43	25224773	0.33
कुल	7691554950	100.00	7691554950	100.00

12.10 शेयरों का डीमैटरलाइजेशन और तरलता:

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डीमैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डीमैटरलाइजेशन के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों यथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौते किए हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कोड INE457A01014 है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपॉजिटरी को भुगतान कर दिया गया है।

31.03.2026 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :-

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या
भौतिक रूप में	40222	4.38	5704487	0.07
डीमैट:				
1. एनएसडीएल	230680	25.10	1723457350	22.41
2. सीडीएसएल*	648325	70.52	5962393113	77.52
उप जोड़	879005	100.00	7685850463	100.00
कुल	919227	100.00	7691554950	100.00

(* भारत सरकार द्वारा धारित 5661059630 इक्विटी शेयरों सहित, जो कुल शेयरधारिता का 73.60% है)



12.11 नामांकन और पैन, केवाईसी, बैंक विवरण प्रस्तुत करने के मानदंड:

सेबी के 3 नवंबर 2021 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडीआरटीएमबी/पी/परि./2021/655 के अधिक्रमण में सेबी ने 16 मार्च 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/परि./2023/37 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अन्य शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।

तदनुसार, यह एक बार फिर से दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण नीचे दिए गए प्रपत्रों में तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	प्रपत्र	उद्देश्य
1	प्रपत्र आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण रजिस्टर/अपडेट करने के लिए
2	प्रपत्र आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए
3	प्रपत्र आईएसआर-3	नामांकन से आउट-आउट के लिए घोषणा पत्र
4	प्रपत्र एसएच-13	नामांकन प्रपत्र
5	प्रपत्र एसएच-14	नामांकन का रद्दीकरण या परिवर्तन (यदि कोई हो)

उपरोक्त सभी फॉर्म आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14 और उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे शीघ्र नीचे दिए गए पते पर बैंक के **आरटीए** को सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म प्रस्तुत करें:

आरटीए का विवरण:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,

(यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

पता: 3बी3 तीसरी मंजिल गुंदेचा ऑनक्लेव,

खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई 400072

दूरभाष: 022-28516021-22

ईमेल: helpdesk@mcsregistrars.com /

mparase@mcsregistrars.com

वेबसाइट: www.mcsregistrars.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों की होल्डिंग

उन शेयरधारकों के संबंध में जो डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और अपने पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन को अपडेट करना चाहते हैं, उनसे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

12.12 शेयरों का डीमैटरलाइजेशन - प्रक्रिया:

जिन शेयरधारकों ने अब भी अपने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने शेयरों को शीघ्र डीमैटरलाइज कर लें और डीमैट फॉर्म में शेयरों में लेन-देन करने की सुविधा का लाभ उठाएं। शेयरधारकों की सुविधा के लिए शेयरों को डीमैटरलाइज करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

- डीमैट खाता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास खोला जा सकता है।
- शेयरधारक अपने डीपी को डीमैटरलाइजेशन अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) मूल शेयर सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करें।
- डीपी डीआरएफ को प्रोसेस करेंगे और डीमैटरलाइजेशन अनुरोध क्रमांक (डीआरएन) निर्मित करेंगे।
- डीपी डीआरएफ तथा मूल शेयर प्रमाणपत्र पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत करेगा जो कि एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड है।
- आरटीए डीआरएफ को प्रोसेस करेगा और डीपी/डिपॉजिटरी के अनुरोध की पुष्टि करेगा अथवा निरस्त करेगा।
- अनुरोध की पुष्टि होने पर शेयरधारक को डीपी के पास रखे अपने डीमैट खाते में शेयरों की समरूपी संख्या प्राप्त होगी।

तथापि, दिनांक 08 जून, 2018 की सेबी अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 के अनुसार आगे संशोधित तथा दिनांक 30 नवंबर, 2018 की अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/49 द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण प्रभावी करने के लिए अनुरोध (प्रतिभूतियों के हस्तांतरण या स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर) 01 अप्रैल, 2019 से प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि जमाकर्ताओं के पास प्रतिभूतियां डीमैटरलाइज्ड रूप में धारित न हों। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के इक्विटी शेयरों को तत्काल रूप से डीमैटरलाइज करने हेतु कार्रवाई करें।

12.13 शेयरों के डीमैटरलाइजेशन के लाभ :

- शेयर प्रमाणपत्र के खोने और कटने-फटने का कोई खतरा नहीं,
- प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका,
- प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण,
- प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई,



- ड) कम लेनदेन लागत,
- च) लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है।

12.14 फोलियो का समेकन:

निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने की लागत को कम करने तथा दोहराव को रोकने के लिए बैंक को सक्षम बनाने हेतु ऐसे सदस्य जिनके पास एक ही नाम के क्रम में एक से अधिक फोलियो हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी धारिताओं को एक ही फोलियो के अंतर्गत समेकित करें। सदस्य समेकित किए जाने वाले फोलियो क्रमांकों के साथ ही मूल शेयर प्रमाणपत्रों की सूचना देते हुए पंजीयक और अंतरण एजेंटों से संपर्क करें।

12.15 शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान :

सेबी द्वारा निर्धारित किए अनुसार, बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास कुल प्रविष्ट पूंजी के समाधान हेतु एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सचिवीय (सेक्रेटेरियल) लेखा परीक्षा करता है। यह लेखा परीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाती है और उसकी रिपोर्ट उन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत की जाती है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। यह लेखा परीक्षा पुष्टि करती है कि कुल सूचीबद्ध पूंजी और प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा डीमैटरलाइजेशन (एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास धारित) रूप में शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है।

12.16 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस) :

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश/ब्याज इत्यादि के भुगतान करने की अनूठी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को सीधे उनके खाते में लाभांश जमा कराने हेतु यह सुविधा लेने का विकल्प प्रदान करता है। हालांकि, शेयरधारक का खाता केंद्रीयकृत/कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

एनईसीएस अधिदेश फॉर्म एजीएम नोटिस के साथ संलग्न है, जिसे उन शेयरधारकों द्वारा पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जा सकता है, जिन्होंने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं। जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर डीमैटरलाइजेशन रूप में धारित किए हुए हैं, वे अपने बैंक खातों के ब्यौरे अद्यतन करने के लिए संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं।

12.17 अदत्त लाभांश :

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है, वे वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा इसके भुगतान हेतु आवश्यक सहायता के लिए आरटीए/बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) की शर्तों

के अनुसार लाभांश की कोई भी राशि जो अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई है और इस प्रकार के अंतरण के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के लिए बिना भुगतान/बिना दावे के खाते में पड़ी है, तो उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन गठित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा।

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व अदत्त/दावा न की गई लाभांश की ऐसी सभी राशियों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया गया है।

अदत्त लाभांश राशि का दावा आईईपीएफ प्राधिकरण से निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ - 5 में विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन (बैंक के पास दर्ज नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) आवश्यक दस्तावेजों सहित बैंक के प्रधान कार्यालय, पुणे को भेजकर किया जा सकता है। दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) निर्धारित आईईपीएफ नियम और आवेदन पत्र आईईपीएफ-5 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in और साथ ही एमसीए की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

12.18 निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को शेयरों का अंतरण

1 अगस्त, 2025 दिनांकित संशोधन के अनुसार, जो कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124 के साथ पठित है, एवं संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) नियम, 2016 (नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसे सभी शेयर हू चाहे वे भौतिक अथवा डिमैट रूप में धारित हों हू जिन पर देय लाभांश लगातार 7 वर्षों या उससे अधिक अवधि तक न तो भुगतान किया गया है और न ही दावा किया गया है, उन्हें आईईपीएफ को अंतरण किया जाना आवश्यक है; बशर्ते कि किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा वैधानिक प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने पर रोक संबंधी कोई विशिष्ट आदेश न हो अथवा ऐसे शेयर डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरवी अथवा बंधक न रखे गए हों।

इस संदर्भ में, बैंक ने 31.03.2026 दिनांकित व्यक्तिगत सूचनाएं ई-मेल तथा/अथवा भौतिक पत्रों के माध्यम से उन पात्र शेयरधारकों को प्रेषित की हैं, जिनके शेयर आईईपीएफ को अंतरण हेतु उत्तरदायी हैं, ताकि वे अपने अप्राप्त लाभांश का दावा बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता अर्थात एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकें।

बैंक ने उन संबंधित शेयरधारकों का पूर्ण विवरण, जिनके शेयर आईईपीएफ डिमैट खाते में अंतरण हेतु देय हैं, अपनी वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in पर भी अपलोड किया है। बैंक ने इस संबंध में 01 अप्रैल, 2026 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी दैनिक), लोकसत्ता (मराठी दैनिक) और जनसत्ता (हिंदी दैनिक) जैसे समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचना प्रस्तुत की है।



यदि उक्त तिथि तक लाभांश का दावा नहीं किया जाता है, तो नियमों के अनुसार बैंक द्वारा बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, ऐसे शेयरधारकों के शेयरों को आईईपीएफ में अंतरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। आईईपीएफ को अंतरण किए गए अप्राम लाभांश राशि एवं शेयरों के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अतः ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अपना दावा अंतिम तिथि अर्थात् **30 जून, 2026** तक अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करें।

13

अन्य प्रकटीकरण :

- 13.1** बैंक के सामान्य व्यवसाय को छोड़कर, बैंक अपने प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंधन, अपनी अनुषंगीय या रिश्तेदारों इत्यादि के साथ किसी ऐसे भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहारों में प्रविष्ट नहीं हुआ है, जो समग्र रूप से बैंक के हितों पर सामान्यतः कोई संभावित विवाद उत्पन्न करे। संबंधित पक्ष संव्यवहारों पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in पर उपलब्ध है। संबंधित पक्ष संव्यवहार इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में खातों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।
- 13.2** पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी मामलों से संबंधित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर लगाया गया दंड जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में दर्शाया गया है, को छोड़कर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी कानून, दिशानिर्देशों और निर्देशों या पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य मामले का अनुपालन न किए जाने हेतु कोई दंड नहीं लगाया गया है।
- 13.3** प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण निदेशक मंडल की रिपोर्ट का एक भाग हैं।
- 13.4 सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणन :**
बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत अपेक्षानुसार 20 अप्रैल, 2026 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रणों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना प्रमाणन दिया है।
- 13.5** बैंक द्वारा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार के संकल्प पर आधारित व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की गई है और वे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध है। यह भी वर्णित है कि कोई भी कर्मचारी उपयुक्त प्राधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

- 13.6** बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in/policies पर उपलब्ध कराया गया है।
- 13.7** बैंक ने अपने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को अपनाया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in/policies पर उपलब्ध कराया गया है।
- 13.8** बैंक ने महत्वपूर्ण सहायक नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.bank.in/policies पर उपलब्ध कराया गया है, तथापि वर्तमान में बैंक की कोई महत्वपूर्ण सहायक नीति नहीं है।
- 13.9** बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई भी परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव: लागू नहीं
- 13.10** कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ:
अनुसूची क्र. 18 - खातों पर टिप्पणियाँ में प्रकटीकरण उपलब्ध कराया गया है।
- 13.11** विनियमन 32 (7 ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार पात्र संस्थानों की नियुक्ति या अधिमानी आवंटन के माध्यम से उगाही गई निधियों के उपयोग का विवरण बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता और अपने व्यवसाय वृद्धि निधि में सुधार हेतु वर्ष 2025-26 के दौरान उगाही गई निधियों का उपयोग किया गया है।
- 13.12** सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र, वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।
- 13.13** सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के परिच्छेद J के उप परिच्छेद (2) से (10) की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की किसी आवश्यकता का अनुपालन न किया जाना : शून्य

13.14 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा:

पुणे स्थित मेसर्स जोशी एंड जोशी कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का सचिवीय लेखापरीक्षा करने हेतु सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। फर्म ने लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में बैंकिंग विनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और एसईबीआई लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत की गई है।

13.15 निदेशक मंडल मूल्यांकन 2025-26 :

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने दिनांक 11 सितम्बर, 2025 के



अपने पत्र सं. ईएफ.नं. 14/1/2025-बीओ.आई के माध्यम से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सूचित किया है कि वे बैंक के निदेशक मंडल तथा उसके निदेशकों का वार्षिक मूल्यांकन, विश्वसनीय बाह्य एजेंसियों (बिग फोर से इतर) की सहायता से कराएं। साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं उसके परिणाम को निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाए तथा उसकी प्रति डीएफएस को प्रस्तुत की जाए। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बैंक के निदेशक मंडल तथा उसके निदेशकों के मूल्यांकन के लिए एक बाह्य एजेंसी को नियुक्त किया है।

13.16 बैंक ने एक कंपनी सचिव से यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है कि बैंक के निदेशक मंडल में से किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

13.17 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऐसा कोई दृष्टांत नहीं हुआ, जिसमें निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की किसी समिति की किसी सिफारिश को नहीं माना हो।

13.18 सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई की उन सभी संस्थाओं को समेकित आधार पर प्रदत्त सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क, जिनमें सांविधिक लेखा परीक्षक शामिल हैं:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क से संबंधित ब्योरे एकल वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 16 में दिए गए हैं।

13.19 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान दायर और निपटाई गई शिकायतों की संख्या तथा 31 मार्च, 2026 को लंबित शिकायतों का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

13.20 अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन का ब्यौरा:

बैंक ने लागू सीमा तक सूचीबद्ध विनियमों की विनियम 46 और विनियम 17 से 27 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है।

बैंक वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, शेरधारक निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन/नियुक्ति भारतीय बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है।

कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 27 (1) के संदर्भ में नीचे निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया है।

क्र.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
क.	निदेशक मंडल एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय के रख-रखाव के लिए पात्र हो सकता है और अपने दायित्वों के निष्पादन हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति भी दे सकता है।	बैंक में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं होने के कारण बैंक के निदेशक मंडल की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है।
ख.	शेरधारक के अधिकार पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेरधारकों को प्रेषित की जाएगी।	बैंक के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को प्रस्तुत किए जाते हैं तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
ग.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरण व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकती है।	बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है।
घ.	अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, निदेशक मंडल की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है।
ङ.	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	महाप्रबंधक (निरीक्षण व लेखा परीक्षा) सीधे निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।



13.21 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल :

हरित पहल के अंतर्गत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्र.17/95/2011 सीएल-वी/परि.क्र.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है। इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने ई-मेल आईडी की बैंक को जानकारी दें/अद्यतित करें, ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/संप्रेषण/दस्तावेज इलेक्ट्रानिक मोड से भेजे जा सकें। दिनांक 30 जून, 2026 को आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से भेजी जा रही है।

13.22 सेबी (एलओडीआर), विनियम 2015 की अनुसूची V के परिच्छेद ड. के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाणपत्र निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का प्रमाणपत्र/घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल ने सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के पालन की पुष्टि की है।

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

दिनांक : 20.04.2026

स्थान : पुणे

(निधु सक्सेना)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट किए अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एतद्वारा बाद में बैंक के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने निम्नलिखित अवलोकनों के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015) के प्रावधानों में निर्धारित किए अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अधिकांश शर्तों का अनुपालन किया है :

- क) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार अपेक्षित संख्या की तुलना में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, बोर्ड सदस्यों की कुल संख्या के 50% से कम थी इसलिए बोर्ड की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुरूप नहीं है;
- ख) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षा के अनुसार बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है;
- ग) स्वतंत्र निदेशक के रूप में वर्गीकृत शेयरधारक निदेशक के त्यागपत्र के कारण 07 जुलाई, 2025 से हुई आकस्मिक रिक्ति को 27 मार्च, 2026 को भर दिया गया। 31 मार्च, 2026 तक बैंक ने बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार बोर्ड में आवश्यक संख्या में शेयरधारक निदेशकों को नियुक्त किया है;
- घ) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण, 27 मार्च, 2026 तक लेखा परीक्षा समिति का विधिवत गठन नहीं किया जा सका। नए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के बाद समिति का गठन किया गया और बैठकें आयोजित की गईं; तथापि, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 की आवश्यकताओं के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की न्यूनतम आवश्यक बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।
- ङ) वर्ष के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन नहीं किया गया; अतः सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 (3ए) की आवश्यकताओं के अनुसार, इस वर्ष एनआरसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।
- च) वर्ष के दौरान, 27 मार्च 2026 तक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया था। नए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के बाद समिति का गठन किया गया और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले बैठक आयोजित की गई।
- छ) हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन 03 फरवरी, 2026 तक विधिवत रूप से किया गया था, तथापि, बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इस समिति का गठन नहीं किया जा सका।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते जोशी एण्ड जोशी,
कंपनी सचिव,
यूआईएन: P2009MH020200
पीआर. क्र. 7912/2026

स्वाक्षरी/-

हर्षल आर जोशी
वरिष्ठ भागीदार
एफसीएस: 9897 सीओपी: 10450
यूडीआईएन: ३००९८९७४०००४०५९०८

दिनांक: 19 मई, 2026
स्थान: पुणे



सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र **विनियम 17(8)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- क. हमने 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:
- i. इन विवरणों में कोई भी गंभीर असत्य कथन शामिल नहीं है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक कथन शामिल नहीं हैं;
 - ii. ये विवरण मिलकर बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं।
- ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन और उसके स्वरूप की विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं और इनको दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है।
- घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को इंगित किया है कि:
- i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और यह कि वित्तीय विवरणों के नोट्स में इनका प्रकटन किया गया है; और
 - iii. हमें ज्ञात धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं जिनके बारे में हम जागरूक हुए और जिसमें बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका वाले प्रबंधन या कर्मचारी, यदि कोई हो, की संलिप्तता के दृष्टांत।

(सुनील धूत)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(निधु सक्सेना)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक: 20.04.2026

स्थान: पुणे



निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V परिच्छेद सी खंड 10(i) के अनुसरण में

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (जिसे इसके बाद सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 कहा जाएगा) की अनुसूची त परिच्छेद सी खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बाद में 'बैंक' के रूप में संदर्भित) जिसका प्रधान कार्यालय लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005 में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों, संबन्धित रजिस्ट्रारों, रिकॉर्डों, फॉर्मों और विवरणियों की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा आवश्यक सत्यापन पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (इसके बाद 'डीआईएन' के रूप में संदर्भित) की स्थिति, जहां भी लागू हो और बैंक व इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रदत्त जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार:

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए निदेशकों में से किसी को भी कंपनियों/सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या निदेशक के रूप में बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन *	नियुक्ति दिनांक
1.	श्री निधु सक्सेना	09691292	27 मार्च 2024
2.	श्री प्रभात किरण	09853949	24 नवंबर 2025
3.	श्री अभिजीत फुकन	लागू नहीं	25 अक्टूबर 2023
4.	श्री संजीव प्रकाश	09528516	14 जुलाई 2023
5.	श्री प्रवीण कुमार	10119480	30 जून 2024
6.	श्री प्रसेनजीत फड़नवीस	08661603	24 मार्च 2026

* बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। अतः, बैंक के बोर्ड के निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए, डीआईएन का उल्लेख उन निदेशकों के लिए किया जाता है जिनके पास कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी डीआईएन है और उन निदेशकों के लिए जिनके पास डीआईएन नहीं है, यहाँ ऊपर 'लागू नहीं' उल्लेख किया गया है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/पद पर बने रहने के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते
जोशी एण्ड जोशी,
कंपनी सचिव,
यूआईएन: P2009MH020200
पीआर नं. 7912/2026

स्वाक्षरी/-

हर्षल आर. जोशी
वरिष्ठ भागीदार
एफसीएस: 9897, सीपी: 10450
यूडीआईएन: F009897H000208535

दिनांक: 27 अप्रैल, 2026

स्थान: पुणे



वित्तीय विवरण



31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन पत्र

(₹ हजार में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
पूंजी एवं दायित्व			
पूंजी	1	7691,55,50	7691,55,50
आरक्षितियाँ और अधिशेष	2	25416,26,09	20797,70,81
जमाराशियां	3	350564,37,39	307142,60,51
उधारियाँ	4	35233,57,55	23852,51,50
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	8456,96,93	9657,77,14
कुल		427362,73,46	369142,15,46
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष	6	26645,30,97	37992,99,37
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	1100,23,61	4201,87,42
निवेश	8	101480,16,72	82004,79,08
अग्रिम	9	288104,30,21	236083,79,53
स्थिर आस्तियां	10	2961,76,73	2915,58,69
अन्य आस्तियां	11	7070,95,22	5943,11,37
कुल		427362,73,46	369142,15,46
आकस्मिक देयताएं	12	43562,19,24	40941,14,23
वसूली हेतु बिल		7193,48,18	6972,38,60
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
खातों पर टिप्पणियां	18		

अनुसूचियां 1 से 18 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

प्रसेनजीत फडणवीस निदेशक	प्रवीण कुमार निदेशक	संजीव प्रकाश निदेशक	डॉ. अभिजीत फुकन निदेशक
सुशांता कुमार मोहंती कार्यपालक निदेशक	प्रभात किरण कार्यपालक निदेशक		निधु सक्सेना प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
नितेश कुमार जैन सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा	केयूर तलाटी सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा		सुनील धूत मुख्य वित्तीय अधिकारी
हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार			
कृते मेसर्स जी डी आप्टे एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन-100515W सीए सी एम दीक्षित भागीदार सदस्यता क्र.: 017532 यूडीआईएन - 26017532CZPHSA4265	कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन-106041W/W100136 सीए वितेश डी गांधी भागीदार सदस्यता क्र.: 110248 यूडीआईएन - 26110248ASJPHX4461	कृते मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन-003510S सीए डी मनोहर भागीदार सदस्यता क्र.: 029644 यूडीआईएन - 26029644IVILKV8957	कृते मेसर्स एस सिंघल एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन-001526C सीए मुकेश कुमार खंडेलवाल भागीदार सदस्यता क्र.: 074661 यूडीआईएन - 26074661FPGZFT2758
स्थान : पुणे 20 अप्रैल, 2026			



31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ व हानि खाता

(₹ हजार में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष)	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	29281,64,24	24947,45,17
अन्य आय	14	3540,88,90	3454,17,31
कुल		32822,53,14	28401,62,48
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	15617,57,67	13281,88,09
परिचालन व्यय	16	6379,13,13	5800,71,49
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		3806,50,53	3799,24,31
कुल		25803,21,33	22881,83,89
लाभ/हानि			
वर्ष के लिए निवल लाभ		7019,31,81	5519,78,59
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ		6228,21,95	3502,10,97
कुल		13247,53,76	9021,89,56
विनियोग			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण		1754,82,95	1379,94,65
पूंजी आरक्षिति को अंतरण		87,79,55	44,99,64
राजस्व आरक्षिति को अंतरण		-	-
विशेष आरक्षिति को अंतरण		-	-
निवेश अस्थिर आरक्षिति को अंतरण		450,00,00	215,00,00
निवेश आरक्षिति को अंतरण		-	-
प्रस्तावित लाभांश (इक्विटी)		1692,14,21	1153,73,32
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया		9262,77,05	6228,21,95
कुल		13247,53,76	9021,89,56
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (रुपये)		9.13	7.48

प्रसेनजीत फडणवीस निदेशक	प्रवीण कुमार निदेशक	संजीव प्रकाश निदेशक	डॉ. अभिजीत फुकन निदेशक
सुशांता कुमार मोहंती कार्यपालक निदेशक	प्रभात किरण कार्यपालक निदेशक	निधु सक्सेना प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	
नितेश कुमार जैन सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा	केयूर तलाटी सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा	सुनील धूत मुख्य वित्तीय अधिकारी	
हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार			
कृते मेसर्स जी डी आप्टे एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन-100515W सीए सी एम दीक्षित भागीदार सदस्यता क्र. : 017532 यूडीआईएन - 26017532CZPHSA4265	कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन-106041W/W100136 सीए वितेश डी गांधी भागीदार सदस्यता क्र. : 110248 यूडीआईएन - 26110248ASJPHX4461	कृते मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन-003510S सीए डी मनोहर भागीदार सदस्यता क्र. : 029644 यूडीआईएन - 26029644IVILKV8957	कृते मेसर्स एस सिंघल एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन-001526C सीए मुकेश कुमार खंडेलवाल भागीदार सदस्यता क्र. : 074661 यूडीआईएन - 26074661FPGZFT2758
स्थान : पुणे 20 अप्रैल, 2026			



1

अनुसूची - 1 पूंजी

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
प्राधिकृत पूंजी				
प्रत्येक रु. 10/- के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,00,00,00,000)		10000,00,00		10000,00,00
जारी व अभिदत्त				
प्रत्येक रु. 10/- के 769,15,54,950 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 769,15,54,950)				
प्रारंभिक शेष	7691,55,50		7081,37,36	
वर्ष के दौरान वृद्धि		7691,55,50	610,18,14	7691,55,50
प्रदत्त पूंजी				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित	5661,05,96		6122,62,79	
प्रत्येक रु. 10/- के 566,10,59,630 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 612,26,27,927)				
ख. जनता एवं अन्य द्वारा धारित	2030,49,54		1568,92,71	
प्रत्येक रु. 10/- के 203,04,95,320 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 156,89,27,023)				
घटाएं : देय आबंटन राशि	-	7691,55,50	-	7691,55,50
		7691,55,50		7691,55,50
कुल		7691,55,50		7691,55,50

2

अनुसूची - 2 आरक्षितियां और अधिशेष

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. सांविधिक आरक्षिति				
प्रारंभिक शेष	4819,29,77		3439,35,12	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1754,82,95	6574,12,72	1379,94,65	4819,29,77
II. पूंजीगत आरक्षिति				
i) प्रारंभिक शेष	764,69,19		719,69,55	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	90,31,15		44,99,64	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	855,00,34	-	764,69,19



(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
III. शेयर प्रीमियम				
i) प्रारंभिक शेष	3867,25,43		977,43,56	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	-		2889,81,87	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	3867,25,43	-	3867,25,43
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां				
क) राजस्व आरक्षिति				
i) प्रारंभिक शेष	2182,91,74		1970,83,80	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	57,68,33		212,07,94	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	2240,60,07	-	2182,91,74
ख) विशेष आरक्षिति				
i) प्रारंभिक शेष	51,26,04		51,26,04	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	51,26,04	-	51,26,04
ग) पुनर्मूल्यन आरक्षिति				
i) प्रारंभिक शेष	1894,25,09		1443,34,12	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	-		1894,25,09	
iii) वर्ष के दौरान कमी (पुनर्मुल्यांकित संपत्तियों पर मूल्यन्हास सहित)	75,17,31	1819,07,78	1443,34,12	1894,25,09
घ) निवेश अस्थिर आरक्षिति खाता				
i) प्रारंभिक शेष	641,10,00		426,10,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	450,00,00		215,00,00	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	1091,10,00	-	641,10,00
ड.) निवेश आरक्षिति खाता				
i) प्रारंभिक शेष	-		62,39,41	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी (राजस्व आरक्षित निधी में अंतरण)	-	-	62,39,41	-
च) एएफएस निवेश आरक्षिति खाता				
i) प्रारंभिक शेष	348,71,60		-	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	-		348,71,60	
iii) वर्ष के दौरान कमी	711,23,08	(3,625,148)	-	348,71,60
छ) विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षिति				
i) प्रारंभिक शेष	-		-	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	17,58,14		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	17,58,14	-	-
V. लाभ/हानि खाते में शेष				
i) प्रारंभिक शेष	6228,21,95		3502,10,97	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	3034,55,10		2726,10,98	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	9262,77,05	-	6228,21,95
कुल		25416,26,09		20797,70,81



3

अनुसूची - 3 जमाराशियां

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
क. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	865,83,80		248,29,05	
ii) अन्यो से	56934,73,09	57800,56,89	46064,63,26	46312,92,31
II. बचत बैंक जमाराशियां		126286,70,40		117344,13,89
III. मीयादी जमाराशियां *				
i) बैंकों से	1147,04,19		391,16,48	
ii) अन्यो से	165330,05,91	166477,10,10	143094,37,83	143485,54,31
कुल (I, II, III)		350564,37,39		307142,60,51
ख. i) भारत में स्थित शाखाओं में जमाराशियां		350564,37,39		307142,60,51
ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमाराशियां		-		-
कुल		350564,37,39		307142,60,51

* इसमें ₹ 10501,73,42 हजार में, की ग्रहणाधिकार चिह्नित जमाराशि शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 10112,46,83 हजार में)

4

अनुसूची - 4 उधारियां

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
ख. भारत में उधारियां				
i) भारतीय रिजर्व बैंक से	-		-	
ii) अन्य बैंकों से	1185,43,75		-	
iii) अन्य वित्तीय संस्थानों एवं एजेंसियों से	19946,30,50		15421,81,50	
iv) डिबेंचर				
v) अन्य उधारियाँ	1880,00,00		1880,00,00	
क) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें (पीडीआई)- टीयर-I बॉण्ड	-		-	
ख) बॉण्ड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें	4127,70,00		4127,70,00	
ग) गौण ऋण बॉण्ड - टीयर II बॉण्ड	2423,00,00	29562,44,25	2423,00,00	23852,51,50
घ) इफ्रा बॉण्ड				
II. भारत के बाहर उधारियां		5671,13,30		-
कुल (I एवं II)	35233,57,55		23852,51,50	
III. उपर्युक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां		-		-



5

अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. देय बिल		952,69,18		663,37,11
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)		-		-
III. उपचित ब्याज		314,69,40		343,05,25
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) :				
क) मानक आस्तियों पर प्रावधान	2152,74,25		2835,08,65	
ख) अन्य देयताएं (प्रावधानों सहित)	5036,84,10	7189,58,35	5816,26,13	8651,34,78
कुल		8456,96,93		9657,77,14

6

अनुसूची - 6 भारतीय रिजर्व बैंक में शेष और नकदी

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं)		1080,42,35		1025,29,08
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष				
i) चालू खातों में	9345,88,62		12492,70,29	
ii) अन्य खातों में	16219,00,00	25564,88,62	24475,00,00	36967,70,29
कुल (I एवं II)		26645,30,97		37992,99,37

7

अनुसूची - 7 बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. भारत में				
i) बैंकों में अधिशेष				
(क) चालू खातों में	4,88,55		2,55,83	
(ख) अन्य जमा खातों में	15,68,56	20,57,11	15,68,56	18,24,39
ii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
(क) बैंकों के पास	-		-	
(ख) अन्य संस्थानों में	-	-	4177,05,63	4177,05,63
कुल (ख)		20,57,11		4195,30,02
II. भारत के बाहर बैंकों में अधिशेष				
(i) चालू खातों में	83,89,75		6,57,40	
(ii) अन्य जमा खातों में	995,76,75		-	
(iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	-	1079,66,50	-	6,57,40
कुल (II)		1079,66,50		6,57,40
कुल जोड़ (I एवं II)		1100,23,61		4201,87,42



8

अनुसूची - 8 निवेश

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
क. I. भारत में निवेश				
क) सरकारी प्रतिभूतियां		94728,18,56		74851,28,30
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां				
ग) शेयर्स		587,11,35		607,21,25
घ) डिबेंचर्स और बॉण्ड		5590,39,94		5588,56,64
ड) सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम		481,30,48		311,43,11
च) अन्य				
i) यूटीआई/म्यूचुअल फंडों के यूनिट	44,14,45		37,51,97	
ii) जमा प्रमाणपत्र			608,77,81	
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र	49,01,94		-	
iv) पीटीसी	-			
v) अन्य	-	93,16,39		646,29,78
कुल		101480,16,72		82004,79,08
II. भारत के बाहर निवेश		-		-
कुल		-		-
कुल जोड़ (I एवं II)		101480,16,72		82004,79,08
ख. अ) भारत में सकल निवेश	102757,31,88		81898,56,92	
जोड़ें/घटाएँ: निवेश पर मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास)	(5,504,797)		443,19,83	
घटाएँ: निवेश पर प्रावधान	726,67,19	101480,16,72	336,97,67	82004,79,08
निवल निवेश		101480,16,72		82004,79,08
आ) भारत के बाहर सकल निवेश	-	-	-	-
कुल (क एवं ख)		101480,16,72		82004,79,08

9

अनुसूची - 9 अग्रिम

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
क. i) भांजित एवं खरीदे गए बिल	4473,42,49		4110,47,48	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	53286,76,00		53744,50,78	
iii) मीयादी ऋण	230344,11,72	288104,30,21	178228,81,27	236083,79,53
कुल (I, II, III)		288104,30,21		236083,79,53
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित)	238359,21,56		197165,37,24	
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित	547,51,02		642,46,23	
iii) अप्रत्याभूत	49197,57,63	288104,30,21	38275,96,06	236083,79,53
कुल (I, II, III)		288104,30,21		236083,79,53



(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
ग. भारत में अग्रिम	i) प्राथमिकता क्षेत्र	109349,46,00		90492,59,70
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	30401,31,10		21940,34,77
	iii) बैंक	1938,22,05		499,98,05
	iv) अन्य	144616,25,45	286305,24,60	123150,87,01
II. भारत से बाहर अग्रिम				236083,79,53
	i) बैंकों से देय	-	-	-
	ii) अन्यो से देय	1799,05,61	-	-
	(क) खरीदे और भांजित बिल	-	-	-
	(ख) सिंडीकेटेड ऋण	805,40,33	-	-
	(ग) अन्य	993,65,28	-	-
		1799,05,61	-	-
कुल (ग. I एवं ग. II)		288104,30,21		236083,79,53

10

अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियां

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. परिसर *				
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	2488,71,60		1951,22,45	
* (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है)				
2. वर्ष के दौरान वृद्धि	45,77		57,11,80	
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि	-		1894,25,09	
	2489,17,37		3902,59,34	
4. वर्ष के दौरान कमी	30,21,96		1413,87,74	
	2458,95,41		2488,71,60	
5. अद्यतन मूल्यहास	445,93,06	2013,02,35	397,08,58	2091,63,02
II. प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य		8,01,21		4,36,05
III. अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर व जड़ वस्तुओं सहित)				
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	2041,43,76		1835,89,73	
2. अवधि के दौरान वृद्धि	417,48,89		467,58,89	
	2458,92,65		2303,48,62	
3. अवधि के दौरान कमी	28,65,92		262,04,86	
	2430,26,73		2041,43,76	
4. अद्यतन मूल्यहास	1489,53,56	940,73,17	1221,84,14	819,59,62
कुल (I, II एवं III)		2961,76,73		2915,58,69

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण।



11

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)		532,58,87		68,56,74
II. उपचित ब्याज		2104,49,76		1618,48,54
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर		1771,42,19		1757,86,63
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप		2,56,70		2,83,04
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां		-		-
VI. अन्य *		2659,87,70		2495,36,42
कुल (I, II, III, IV, V एवं VI)		7070,95,22		5943,11,37

* नोट: अन्य अस्तियों में ₹ 893,23,91 हजारों में का निवल अस्तिगत कर अस्तियों में शामिल है (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 636,79,67 हजार में)

* नोट: इसमें आरआईडीएफ की राशि ₹ 479,30,52 हजार में शामिल है। (पिछले वर्ष ₹ 924,20,74 हजार में)

12

अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		1343,24,82		1356,67,05
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		-		-
III. बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता*		24365,83,14		25776,35,28
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां				
(क) भारत में	13429,40,49		10865,74,83	
(ख) भारत के बाहर	305,56,72	13734,97,21	379,32,81	11245,07,64
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं बाध्यताएं		2935,65,34		1486,82,30
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		1182,48,73		1076,21,96
कुल (I, II, III, IV, V एवं VI)		43562,19,24		40941,14,23

* वायदा विनियम संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं



13

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा		22490,31,12		19291,50,58
II. निवेशों पर ब्याज	6539,04,07		5372,90,17	
घटाएं - निवेशों का परिशोधन	19,19,74	6519,84,33	12,47,34	5360,42,83
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज		218,55,53		202,63,54
IV. अन्य		52,93,26		92,88,22
कुल (I, II, III एवं IV)		29281,64,24		24947,45,17

14

अनुसूची - 14 अन्य आय

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. कमीशन, विनियम और ब्रोकरेज		1861,92,83		1740,56,74
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	471,06,93		234,74,35	
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि	113,69,12	357,37,81	14,72,23	220,02,12
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ	-		-	
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि	280,58,67	(280,58,67)	-	-
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	15,62,66		2,34,13	
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि	13,87,28	1,75,38	1,96,62	,37,51
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	125,67,64		63,29,42	
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि	-	125,67,64	-	63,29,42
VI. भारत/विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों और/या सहायक कंपनियों/इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय		2,53,68		1,71,64
VII. विविध आय *		1472,20,23		1428,19,88
कुल (I, II, III, IV, V, VI एवं VII)		3540,88,90		3454,17,31

* इसमें बट्टे खातों से की गई ₹ 1423,10,48 हजार में की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष - ₹ 1374,88,06 हजार में)



15

अनुसूची - 15 व्यय किया गया ब्याज

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. जमाराशियों पर ब्याज		13472,35,77		12295,05,79
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारियों पर ब्याज		80,95,23		22,52,43
III. अन्य		2064,26,67		964,29,87
कुल (I, II एवं III)		15617,57,67		13281,88,09

16

अनुसूची - 16 परिचालन व्यय

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान		3375,77,23		3442,23,31
II. किराया, कर और बिजली		385,83,60		326,63,73
III. मुद्रण और लेखन सामग्री		33,04,55		36,84,22
IV. विज्ञापन और प्रचार		63,16,73		48,39,45
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (निवल मूल्यहास पुनर्मूल्यन आरिक्षिति को अंतरित)		343,56,48		290,57,12
VI. निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय		39,64		1,23,26
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्ययों सहित)		22,71,04		19,64,09
VIII. विधि प्रभार		82,51,44		81,35,30
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि		55,41,04		50,27,84
X. मरम्मत और रख-रखाव		422,90,26		315,94,78
XI. बीमा		413,31,14		364,18,62
XII. अन्य व्यय		1180,49,98		823,39,77
कुल (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI एवं XII)		6379,13,13		5800,71,49



अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लेखों के साथ संलग्न और उसका भाग)

1

पृष्ठभूमि:

- 1.1 बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा शासित है।
- 1.2 **वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:**
वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अंतर्गत स्थिरता, उपचय और प्रचलित मौलिक लेखांकन मान्यताओं के साथ तैयार किए गए हैं, ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, और सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है। वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- 1.3 **अनुमानों का उपयोग**
वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि के आकलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा आकलन में किसी भी संशोधन की पहचान भावी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।
- 1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- 1.5 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा अंतर को 'लाभ और हानि खाते' में दर्ज किया जाता है।

- 2.2 विदेशी शाखाओं के लेन-देन और शेष राशि को गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक द्वारा इन लेन-देन और शेष राशि का समेकन तिमाही आधार पर किया जाता है। परिसंपत्तियों और देनदारियों (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों, साथ ही आकस्मिक देनदारियों) का समायोजन प्रत्येक तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा घोषित विनिमय दर के समापन पर किया जाता है। विदेशी शाखाओं की आय और व्यय मदों का समायोजन फेडाई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर किया जाता है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 11 विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के उक्त मानक के अनुपालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित तिमाही के अंत में किया जाता है।

परिणामस्वरूप होने वाले विनिमय लाभ/हानि को परिसंपत्तियों/ देनदारियों के निपटान तक एक अलग खाते में, अर्थात् विदेशी मुद्रा अनुवाद आरक्षित निधि में, संचित किया जाता है।

- 2.3 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फाइनेन्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (फिबिल) द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात् पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र के दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक/फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव अन्य आस्तियों और हानि के मामले में इसका प्रभाव अन्य देयताओं को प्रभारित किया गया है।
- 2.4 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।
- 2.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के ऋण एक्सपोजर, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

2

विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

2.1 विदेशी मुद्रा का विनिमय/रूपांतरण :

विदेशी मुद्रा लेन-देनों का रूपांतरण, 'फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (फेडाई) द्वारा प्रकाशित पिछले सप्ताह के औसत समापन दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा संपत्तियों और देनदारियों को फेडाई द्वारा प्रकाशित समापन विनिमय दर पर



3

निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

3.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

- क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) जिसमें ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) की उपश्रेणी शामिल है।

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश उपरोक्त श्रेणी से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखे जाते हैं।

3.2 सभी निवेश भारत में निवेश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्महूए की आवश्यकता के अनुरूप सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- क. सरकारी प्रतिभूतियां
- ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- ग. शेयर्स
- घ. डिबेंचर तथा बॉण्ड
- ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
- च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट इत्यादि)

3.3 प्रारंभिक पहचान:

- i. बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। सभी निवेशों का प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य निरूपण किया जाता है। जब तक तथ्यों और परिस्थितियों यह स्पष्ट न हो कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब अधिग्रहण लागत को उचित मूल्य के रूप में लिया जाता है। एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। एचटीएम से कोई भी बिक्री (5% की सीमा के भीतर) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है।
- ii. उचित मूल्य मापन को निम्नलिखित 3 उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत किया गया है, जो उचित मूल्य मापन के इनपुट की अवलोकनशीलता की डिग्री पर आधारित है।
 - क) स्तर 1 जिसमें वित्तीय साधन के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट समान साधनों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) होते हैं, जिन तक बैंक माप की तिथि पर पहुंच सकता है;

(ख) स्तर 2 - जिसमें वित्तीय साधन के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट होते हैं जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं (जैसे उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रेड आदि);

(ग) स्तर 3 - जिसमें मूल्यांकन अदृश्य इनपुट पर आधारित होता है।

iii. दिन 1 के लाभ/हानि की पहचान:

क. स्तर 1 और स्तर 2 पदानुक्रम की प्रारंभिक पहचान में उत्पन्न होने वाला दिन 1 लाभ/हानि, अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद खखख- 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि (शुद्ध)' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।

ख. स्तर 3 के निवेश से उत्पन्न होने वाला कोई भी प्रथम दिन का नुकसान तत्काल दर्ज किया जाता है।

ग. स्तर 3 निवेशों से प्राप्त प्रथम दिन के लाभ को स्थगित कर दिया जाता है। ऋण लिखतों के मामले में, प्रथम दिन के लाभ को परिपक्वता तिथि (या शाश्वत उपकरणों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है, जबकि गैर-सूचीबद्ध इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को प्रतिभूति के सूचीबद्ध होने या मान्यता रद्द होने तक एक देयता के रूप में अलग रखा जाता है।

iv. बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में खरीद और बिक्री के लेन-देन को दर्ज करने के लिए 'निपटान तिथि' लेखांकन पद्धति का पालन करता है।

v. लागत भारित औसत मूल्यन पद्धति के आधार पर निवेशों का निर्धारण किया जाता है।

vi. खंडित अवधि के लिए ब्याज अवधि/खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री को राजस्व व्यय के रूप में समझा जाएगा।

vii. ब्रोकरेज/प्राप्त प्रोत्साहन/निवेश की खरीद/बिक्री के समय प्रदत्त को निवेश की राशि से काटा/जोड़ा गया है।

3.4 रेपो/रिवर्स रेपो :

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियों/ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।



3.5 निवेशों का वर्गीकरण तथा अनुवर्ती मापन :

क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम):

- 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित की जाती हैं, अर्थात् वित्तीय परिसंपत्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारित किया जाता है। प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तों से नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो निर्दिष्ट तिथि पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई मानदंड) है।
- एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाता है और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य (एमटीएम) पर नहीं बेचा जाता। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई लाभ या हानि अनुसूची 14 अन्य आय के मद खख के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्य है। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से पूंजी आरक्षित खाते में रेखा के नीचे विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार करों को घटाकर विनियोजित की गई राशि को सांविधिक आरक्षित में अंतरित करना आवश्यक है।

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस):

- 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का अधिग्रहण एक उद्देश्य से किया जाता है, जिसे परिपक्वता से पूर्व संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- एएफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एएफएस के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। सभी प्रदर्शनकारी निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि, वर्गीकरण के बावजूद (यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, बॉण्ड और डिबेंचर, आदि) एएफएस के अंतर्गत एकत्रित किया जाता है।
- शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को सीधे एएफएस रिजर्व नामक रिजर्व में क्रेडिट या डेबिट किया जाता है।
- एएफएस श्रेणी में किसी भी लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस -रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व से अंतरित किया जाता है और लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। इक्विटी लिखत के मामले में, ऐसे निवेश की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एएफएस रिजर्व से पूंजी रिजर्व में अंतरित की जाती है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल):

- वे प्रतिभूतियाँ जो एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफटी) नामक उपश्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कोई भी साधन जिसे निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए धारित किया जाता है, उसे 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफटी) साधन के रूप में नामित किया जाता है:
 - क. अल्पकालिक पुनर्विक्रय;
 - ख. अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ अर्जित करना;
 - ग. मध्यस्थता लाभ को सुरक्षित करना; या
 - घ. उपरोक्त (क), (ख) या (ग) को पूरा करने वाले लिखतों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को हेज करना।
 - बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल लेनदेन करता है। शॉर्ट पोजिशन को एचएफटी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से घटा दिया जाता है। एचएफटी पोर्टफोलियो के अंतर्गत अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के साथ शॉर्ट पोजिशन का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है और परिणामस्वरूप प्राप्त एमटीएम लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। शॉर्ट सेल पर लाभ/हानि का निपटान तिथि पर विवरण दिया जाता है।
 - एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में क्रेडिट या डेबिट किया जाता है।
 - एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का, यदि निरंतर आधार पर नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।
 - एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- घ. सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों एवं सहयोगी संस्थाओं (एसएजेवी) में निवेश:
- सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उपक्रमों में किए गए सभी निवेश (अर्थात् ऋण एवं इक्विटी सहित) को अधिग्रहण लागत पर रखा जाएगा।
 - सहायक कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उपक्रमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर प्राप्त किसी भी छूट या प्रीमियम को उस लिखत की शेष अवधि में परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि



को वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13 के मद खख निवेशों पर आय के अंतर्गत अर्जित ब्याज शीर्षक में दर्शाया जाएगा।

ड. उचित मूल्यांकन:

- प्रारंभिक पहचान और पश्चात के मापन के प्रयोजन से, निवेशों का उचित मूल्यांकन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन शेयर-वार किया जाता है।
- सूचीबद्ध निवेशों का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के समापन भाव या भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए)/फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा समय-समय पर घोषित मूल्यों के आधार पर किया जाता है।
- एएफएस और एफवीटीपीएल श्रेणियों में शामिल वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों की श्रेणी में आने वाली गैर-सूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार/उचित मूल्य एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, और गैर-सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बांडों के लिए, एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित प्रतिभूति स्तर मूल्यांकन (एसएलवी) के अनुसार निर्धारित किया जाता है। पास थ्रू सर्टिफिकेट सहित अन्य गैर-सूचीबद्ध स्थिर आय प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, जहां भी परिपक्वता उपज (वाईटीएम) दरों से जुड़ा हो, एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित सरकारी प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों पर मार्क-अप (संबंधित क्रेडिट जोखिम को दर्शाते हुए) के साथ परिकलित किया जाता है।
- ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिस्काउंटेड इंस्ट्रुमेंट्स होने के कारण, इनका मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।
- गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाता है, यदि नवीनतम बैलेंस शीट उपलब्ध हो, या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार रु.1 पर किया जाता है।

उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) की इकाइयों में निवेश को एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इसका मूल्यांकन वीसीएफ द्वारा घोषित शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है। यदि नवीनतम एनएवी लगातार 18 महीनों से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं है, तो आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वीसीएफ की इकाइयों का मूल्यांकन रु.1 पर किया जाता है।

3.6 गैर निष्पादित निवेश:

गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान की जाती है और आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर उन पर मूल्यहास/प्रावधान किया जाता है। हानि के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, बैंक आरबीआई के

दिशानिर्देशों के अतिरिक्त प्रावधान भी करता है। ऐसे गैर-निष्पादित निवेशों पर मूल्यहास/प्रावधान को अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों के मूल्यवृद्धि के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता है। गैर-निष्पादित निवेशों पर ब्याज को प्राप्त होने तक लाभ और हानि खाते में दर्ज नहीं किया जाता है।

3.7 डेरिवेटिव :

ब्याज दर स्वेप :

i. मूल्यांकन :

- हेजिंग स्वेप :** हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वेप, बाजार हेतु चिन्हित नहीं है।
- ट्रेडिंग स्वेप :** ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वेप बाजार हेतु चिन्हित है।

ii. डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन:

- हेजिंग स्वेप :** वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया। व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है।
- ट्रेडिंग स्वेप :** आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

iii. स्वेप निरसन पर लाभ या हानि का लेखांकन

- हेजिंग स्वेप :** निरस्त हुए स्वेप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वेप की शेष संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति/देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।
- ट्रेडिंग स्वेप :** स्वेप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है।

3.8 निवेश अस्थिर रिजर्व:

आरबीआई के मास्टर निर्देश के अनुसार निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) तब तक बनाया जाना चाहिए जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर, निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि को आईएफआर में अंतरण द्वारा एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम 2% न हो जाए। निम्नलिखित में से न्यूनतम को आईएफआर में से अंतरित करें

- वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या
- लगातार आधार पर, वर्ष के लिए निवल लाभ से अनिवार्य विनियोग तब तक घटाएं, जब तक कि आईएफआर की राशि एचएफटी और आईएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत हो जाए।

बैंक को अपने एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के 2% से अधिक आईएफआर से शेष राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है, जिसे किसी भी लेखांकन वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए लाभ/हानि के शेष में जमा किया जा सकता है, जो आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन है।



4

अग्रिम:

4.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते डाले गए, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों और पुनर्भाजन बिलों से निवल हैं।

4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर प्रावधान भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित दर से अधिक किए गए हैं -

अवमानक 20%

संदिग्ध संपत्ति एक से तीन वर्ष प्रतिभूत हिस्से पर 50% बैंक विशिष्ट गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त प्रावधान भी करता है।

4.3 अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को अन्य देयताएं व प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

4.4 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हुई है, तो अधिशेष को बनाए रखा जाएगा और एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाए। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम हो, (अर्थात् बकाया घटाएं प्रावधान धारित) तो घाटे को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है। तथापि अधिशेष उपलब्ध है तो ऐसे घाटे को अधिशेष में अवशोषित किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न घाटे को दो वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाएगा, यदि अधिशेष में अवशोषित नहीं किया गया है।

अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभिक प्राप्ति/या एसआरएस/पीटीसी के मोचन द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होता है। आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन सीमित होगा।

5

स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास:

5.1 पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों के लागत में मूल्यहास/ऋण परिशोधन को घटाकर लेखाबद्ध किया गया है।

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क शामिल हैं। उपयोग

किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों से भविष्य के लाभ या की उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है।

5.2 सभी परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास की विधि सरल रेखा विधि (एसएलएम) है, जो परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर आधारित है। मूल्यहास नीचे दी गई दरों पर किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य एक रुपया लिखा जा सके।

क्र.	आस्ति की श्रेणी	आस्ति की उपयोगिता अवधि	(वर्षों में) मूल्यहास की दर (%)
1	भवन एवं परिसर	60	1.667
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं	10	10
3	इलेक्ट्रिकल टेलीविजन, मोबाइल फोन, होम थियेटर, प्रिंटर, कैमरा	3	33.33
4	विद्युत उपकरण - अन्य	7	14.29
5	कार्यालय मशीनरी	5	20
6	मोटर वाहन	8	12.5
7	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	10	10
8	कंप्यूटर तथा लैपटॉप	3	33.33
9	एटीएम	7	14.29
10	यूपीएस	5	20
11	बीएनए	7	14.29
12	कैश रि-साइकलर	7	14.29

5.3 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यहास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जितना वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किया गया है।

इसी तरह वर्ष के दौरान बेची/हटाई गई आस्ति के संबंध में, मूल्यहास आनुपातिक आधार पर उतने दिनों के लिए लगाया गया है जितना वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किया गया है।

5.4 हर तीन वर्ष में एक बार अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से से निस्तारण मूल्य को घटाकर आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) से मूल्यहास लगाया जाता है।

पट्टा-धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षित को लीज़ अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।



अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर लागत के अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन आरक्षित की राशि, लाभ और हानि खाते में नाम की गई लागत के अतिरिक्त अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से से संबंधित मूल्यहास की सीमा तक पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में अंतरित की जाती है।

- 5.5 पट्टा-धारित परिसर के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, तो उसे एस19 के अनुसार एसएलएम आधार पर पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

6

राजस्व अभिनिर्धारण:

- 6.1 निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबद्ध मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :

- क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज
- ख. कमीशन अर्थात् गारंटियों, साख-पत्रों, सरकारी व्यवसाय, म्यूचुअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड और लॉकर किराए से आय
- ग. खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ. बीमा दावे
- ङ. डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक
- च. ऋण जारी करने/नवीनीकरण शुल्क
- छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय
- ज. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रोसेसिंग शुल्क

- 6.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज को उपचित आधार पर बचत खाते के लिए लागू ब्याज दर पर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज दर, दिनांक 02.07.2021 से जो कम हो, प्रावधान किया गया है।

7

कर्मचारी अनुलाभ:

सुनिश्चित अंशदान योजना : सुनिश्चित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

बैंक 01-04-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो एक सुनिश्चित अंशदान पेंशन योजना है। ऐसे नए कर्मचारी मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। योजना के अनुसार, पात्र कर्मचारी अपने मूल वेतन

और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान करते हैं, साथ ही बैंक भी मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के समान अंशदान करता है। बैंक इन वार्षिक अंशदानों को संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता देता है।

सुनिश्चित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की ग्रेच्युटी, पेंशन तथा विशेषाधिकार अवकाश योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, जो कि एस-15 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित हैं, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देयताओं को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही/वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकिक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता, और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

8

खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

9

आस्तियों का हास

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 28 आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों के हास, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, मूल्यहास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है।

10

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 29- प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधानों को मान्यता देता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसका वर्तमान में दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।



आकस्मिक देयता का प्रकटन तब तक किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न्यूनतम न हो।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो।

11

निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान सहित) और धोखाधड़ी व आकस्मिकताओं/अन्य के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

12

आय पर कर:

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं का मापन उन कर दरों व कर कानूनों का उपयोग कर किया गया है जो तुलन पत्र के दिनांक को अधिनियमित किए गए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं।

आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उनकी प्राप्ति को उचित रूप से निश्चित माना जाता है।

अनवशोषित मूल्यहास या कराधान कानूनों के अंतर्गत आगे लाई गई हानि के मामले में सभी आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

कर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग को ब्याज सहित प्रावधान किया जाता है जब ऐसे मांग को बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है या जब न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है और समान मामले पर अन्य न्यायाधिकरण का कोई अनुकूल निर्णय नहीं होता है और बैंक उच्च न्यायालय के समक्ष जाना नहीं चाहता है या जब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है।

13

प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस - 20) प्रति शेयर अर्जन के अनुरूप की गई है। प्रति शेयर मूल अर्जन अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को विभाजित कर निकाली गई है। अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है।

प्रति शेयर आंशिक आय उस संभावित कमी को दर्शाती है जो प्रति शेयर आय में तब हो सकती है, यदि इक्विटी शेयर जारी करने वाली प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं का वर्ष के दौरान प्रयोग या रूपांतरण किया जाए।

14

नकदी और नकदी समतुल्य:

नकदी और नकदी समतुल्य में आरबीआई के पास नकद और शेष राशि, बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर धन शामिल है।



अनुसूची 18: खातों पर टिप्पणियां

(नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

(31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल खातों के भाग स्वरूप संलग्न)

1

विनियामक पूंजी

क) विनियामक पूंजी का संमिश्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
i)	सीसीबी सहित सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	30605.67	26515.34
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1720.00	1720.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	32325.67	28235.34
iv)	टियर 2 पूंजी	6199.63	6153.31
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	38525.30	34388.65
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	209744.62	167528.19
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	14.59%	15.83%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	15.41%	16.86%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	2.95%	3.67%
x)	जोखिम भारित आस्ति अनुपात हेतु पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	18.36%	20.53%
xi)	लिवरेज अनुपात	7.09%	7.35%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	#73.60%	79.60%
xiii)	वर्ष के दौरान उगाही गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि	-	3500.00
xiv)	वर्ष के दौरान उगाही गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से : - सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयरों की राशि (पीएनसीपीएस) - बेसल III अनुपालक सतत ऋण लिखतें (एटी 1 बॉण्ड)	- - -	- - -
xv)	वर्ष के दौरान उगाही गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से : बेसल III अनुपालक टियर II बॉण्ड	-	1000.00

#1 दिसंबर 2025 को, भारत सरकार ने, प्रमोटर के रूप में, एसईबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक की प्रदत्त पूंजी के 6% का प्रतिनिधित्व करने वाले 46,15,68,297 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव (ओएफएस) शुरू किया और सफलतापूर्वक पूरा किया। इस ओएफएस में केवल मौजूदा शेयरों की बिक्री शामिल थी और बैंक को इससे कोई आय प्राप्त नहीं हुई।

बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सेबी की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता

25% का अनुपालन हुआ।

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने 05 अक्टूबर, 2024 को योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से ₹3500 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटाई है। बैंक ने प्रति शेयर ₹47.36 के प्रीमियम पर ₹10 प्रत्येक के 61,01,81,311 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित बॉण्डों की उगाही की:

श्रृंखला	प्रकार	आईएसआईएन क्र.	जारी करने का दिनांक	अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कूपन दर (% में)	कॉल दिनांक
VII	बेसल III टियर II	INE457A08167	04.07.2024	10 वर्ष	1000.00	7.89	04.07.2029



- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया और निम्नलिखित बॉण्ड का भुगतान किया:

श्रृंखला	प्रकार	आईएसआईएन क्र.	जारी करने का दिनांक	अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कूपन दर (% में)	कॉल दिनांक
I	बेसल III टियर II	INE457A08050	06.03.2020	10 वर्ष	600.00	8.70	06.03.2025

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्ड भी जुटाए हैं:

श्रृंखला	प्रकार	आईएसआईएन क्र.	जारी करने का दिनांक	अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कूपन दर (% में)	कॉल दिनांक
I	इन्फ्रा बॉण्ड	INE457A08175	05.08.2024	10 वर्ष	811.00	7.80	लागू नहीं
II	इन्फ्रा बॉण्ड	INE457A08183	18.02.2025	10 वर्ष	1612.00	7.70	लागू नहीं

ख) आरक्षितियों से आहरण

लेखांकन मानक - 10 'संपत्ति, सयंत्र और उपकरण', के अनुसार स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर वर्ष के लिए ₹45.22 करोड़ (₹ 29.46 करोड़) का मूल्यहास लाभ व हानि खाते को प्रभावित किया गया है। ₹ 45.22 करोड़ (₹ 29.46 करोड़) की समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया गया।

31 मार्च, 2024 तक निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान ₹ 15.04 करोड़ है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व आरक्षिति में अंतरित कर दिया गया है। 31 मार्च, 2024 तक निवेश आरक्षिति खाते (आईआरए) में शेष ₹ 62.39 करोड़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व रिजर्व में अंतरित कर दिया गया है।

2

आस्ति देयता प्रबंधन

क) 31.03.2026 को आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन	2 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिनों से 2 माह	2 माह से 3 माह तक	3 माह से अधिक 6 माह तक	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाराशियां	4256.10	6509.92	5735.72	10667.64	15835.51	13682.31	28571.36	89569.92	101965.88	41279.67	32490.34	350564.37
सकल अग्रिम	1168.01	2035.18	2368.40	4811.50	6262.20	8561.42	18044.17	46720.43	108767.26	33201.07	60026.90	291966.53
सकल निवेश	0.00	112.53	357.39	231.02	360.85	209.32	862.42	2894.03	14069.49	29484.17	53625.63	102206.84
उधारियां	0.00	512.11	0.00	932.94	474.18	948.35	675.66	12575.03	14032.70	2659.61	2423.00	35233.58
विदेशी मुद्रा आस्तियां	380.19	3353.96	69.06	1688.98	1955.73	398.37	3603.27	2111.62	0.00	0.00	0.00	13561.17
विदेशी मुद्रा देयताएं	1271.59	3520.54	21.37	1799.99	1685.90	46.06	3086.86	2211.43	42.72	11.36	0.00	13697.82

क) 31.03.2025 को आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन	2 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिनों से 2 माह	2 माह से 3 माह तक	3 माह से अधिक 6 माह तक	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाराशियां	1195.05	4590.08	3562.81	6419.46	9226.00	10070.60	20031.90	77390.43	73851.90	37280.10	63524.28	307142.61
सकल अग्रिम	636.13	1685.76	1830.31	4810.13	5493.23	8251.32	16139.64	32462.56	56433.12	39971.29	72123.05	239836.54
सकल निवेश	30.00	1862.16	29.97	1122.40	2026.11	2473.29	2169.79	8794.56	15411.91	14660.90	33760.69	82341.77
उधारियां	6.33	0.00	35.93	0.00	42.25	42.25	682.99	7383.49	11462.26	1774.00	2423.00	23852.52
विदेशी मुद्रा आस्तियां	345.02	1282.41	28.97	784.71	1333.06	277.82	3172.33	6410.93	0.00	0.00	0.00	13635.25
विदेशी मुद्रा देयताएं	933.05	1026.74	19.66	983.48	1280.18	29.75	2982.17	6502.16	54.71	3.49	0.00	13815.39

बचत बैंक और चालू जमाराशियों का यह वर्गीकरण निदेशक मंडल/एएलसीओ द्वारा अनुमोदित व्यवहारात्मक पद्धति पर आधारित है।



ख) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

मात्रात्मक प्रकटन :

(राशि ₹ करोड़ में)

		विव 2025-26 जून 2025 तिमाही		विव 2025-26 सितंबर 2025 तिमाही		विव 2025-26 दिसंबर 2025 तिमाही		विव 2025-26 मार्च 2026 तिमाही	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		79648.14		81100.53		81888.77		83543.17
नकद बहिर्वाह									
2	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां, जिसमें से:	167208.45	15861.87	170545.59	16188.53	173345.58	16458.70	177831.41	16885.24
(i)	स्थिर जमाराशियां	17179.56	858.98	17320.60	866.03	17517.21	875.86	17957.93	897.90
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	150028.89	15002.89	153224.99	15322.50	155828.37	15582.84	159873.48	15987.35
3	अनारक्षित थोक निधियन, जिसमें से :	115309.08	52156.54	116400.49	52946.63	117578.99	53131.39	122749.15	55407.36
(i)	परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	115309.08	52156.54	116400.49	52946.63	117578.99	53131.39	122749.15	55407.36
(iii)	अनारक्षित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	प्रतिभूत थोक निधियां	0.00	0.00	1608.20	0.00	4513.58	0.00	6405.61	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से:	58781.28	19710.73	52803.16	13579.84	58476.10	17258.48	54455.81	14922.17
(i)	व्युत्पन्न विगोपन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	15689.39	15689.39	9290.12	9290.12	13494.67	13494.67	11944.70	11944.70
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और अन्य तरलता उत्पाद	43091.89	4021.34	43513.04	4289.72	44981.43	3763.80	42511.12	2977.48
6	अन्य समझौता निधियन बाध्यताएं	2349.95	2349.95	2083.87	2083.87	3154.91	3154.91	2768.61	2768.61
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं	15939.28	535.65	16476.49	547.37	17498.61	576.38	18652.80	611.56
8	कुल नकद बहिर्वाह		90614.73		85346.24		90579.86		90594.95
नकद अंतर्वाह									
9	प्रतिभूत उधारी (उदा. रिवर्स रेपो)	2657.73	0.00	296.34	0.00	334.99	0.00	25.09	0.00
10	पूर्ण निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह	14842.37	11038.84	10869.72	7079.27	9820.30	6352.65	9047.56	5635.69
11	अन्य नकद अंतर्वाह	16246.6	15996.12	9874.94	9609.62	14299.40	13851.18	12582.74	12280.15
12	कुल नकद अंतर्वाह		27034.96		16688.89		20203.83		17915.84
13	कुल एचक्यूएलए		79648.14		81100.53		81888.77		83543.17
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		63579.78		68657.35		70376.03		72679.11
15	तरलता कवरेज अनुपात (%)		125.27%		118.12%		116.36%		114.95%



(राशि ₹ करोड़ में)

		विव 2024-25 जून 2025 तिमाही		विव 2024-25 सितंबर 2025 तिमाही		विव 2024-25 दिसंबर 2025 तिमाही		विव 2024-25 मार्च 2026 तिमाही	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		69760.64		65231.23		66356.14		69804.18
नकद बहिर्वाह									
2	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां, जिसमें से:	166321.39	12668.69	164720.89	13221.28	157639.76	14780.44	160118.43	15041.09
(i)	स्थिर जमाराशियां	79268.95	3963.45	65016.28	3250.81	19670.71	983.54	19415.06	970.75
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	87052.44	8705.24	99704.61	9970.46	137969.05	13796.90	140703.36	14070.34
3	अनारक्षित थोक निधियन, जिसमें से :	90830.17	42403.05	91996.46	42904.39	98084.22	44849.65	100427.38	46241.29
(i)	परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	90830.17	42403.05	91996.46	42904.39	98084.22	44849.65	100427.38	46241.29
(iii)	अनारक्षित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	प्रतिभूत थोक निधियां	351.53	0.00	1169.29	0.00	2508.22	0.00	1442.65	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	71.13	71.13	364.98	364.98	38882.06	6301.11	43474.17	8196.75
(i)	व्युत्पन्न विगोपन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	71.13	71.13	364.98	364.98	11.40	11.40	1437.65	1437.65
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और अन्य तरलता उत्पाद	0.00	0.00	0.00	0.00	38870.65	6289.70	42036.52	6759.10
6	अन्य समझौता निधियन बाध्यताएं	498.37	498.37	734.45	734.45	1723.59	1723.59	2081.89	2081.89
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं	48579.83	5807.62	50700.14	6030.16	16494.34	586.41	14864.60	488.97
8	कुल नकद बहिर्वाह		61448.87		63255.25		68241.20		72049.98
नकद अंतर्वाह									
9	प्रतिभूत उधारी (उदा. रिवर्स रेपो)	5224.24	0.00	290.21	58.20	592.01	0.00	1575.81	0.00
10	पूर्ण निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह	5901.70	3514.57	6922.02	4130.42	9362.17	6186.01	10552.55	6986.83
11	अन्य नकद अंतर्वाह	611.82	402.01	495.88	275.33	1325.90	1101.68	3941.55	3706.84
12	कुल नकद अंतर्वाह		3916.58		4463.95		7287.69		10693.67
13	कुल एचक्यूएलए		69760.74		65231.23		66356.14		69804.18
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		57532.29		58791.31		60953.51		61356.31
15	तरलता कवरेज अनुपात (%)		121.25%		110.95%		108.86%		113.77%



डाटा पिछली तिमाही पर दैनिक अवलोकनों के सामान्य औसतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है (अर्थात औसत की गणना 90 दिनों की अवधि पर की गई है)। सामान्य औसत की गणना पिछली तिमाहियों पर दैनिक अवलोकनों पर की जाती है। अंतर्वाह और बहिर्वाह के भारित मूल्य की गणना देयताओं ऑफ बैलेन्स शीट मदों या संविदात्मक प्राप्यों की विभिन्न श्रेणियों या प्रकारों के बकाया शेष के रूप में की जाती है। एचक्यूएलए के भारित मूल्य की गणना मार्जिन के पश्चात प्रभारित मूल्य के रूप में की जाती है। अंतर्वाह और बहिर्वाह के भारित मूल्य की गणना अंतर्वाह और बहिर्वाह दरों के प्रयोज्य होने के पश्चात मूल्य के रूप में की जाती है। कुल एचक्यूएलए और कुल निवल नकद बहिर्वाह को समयोजित मूल्य के रूप में प्रकट किया जाता है, जहां एचक्यूएलए का समयोजित मूल्य इस फ्रेमवर्क में सूचित किए अनुसार लेवल 2बी और लेवल 2 आस्तियों पर लागू किन्हीं सीमाओं और मार्जिन दोनों को लागू करने के पश्चात कुल एचक्यूएलए का मूल्य है। निवल नकद बहिर्वाह के समयोजित मूल्य की गणना अंतर्वाहों पर सीमा लागू होने के पश्चात की जाती है, यदि लागू हो।

गुणात्मक प्रकटन:

दिनांक 01 जनवरी 2015 से, बैंक ने भा.रि.बैंक के तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देश कार्यान्वित किए हैं।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी बैंक के पास भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है जिसे 30 कैलेंडर दिनों तरलता दबाव परिदृश्य के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहजता से और तत्काल रूप से नकद में परिवर्तित किया जाता है।

एलसीआर की गणना भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) की राशि को दबावग्रस्त 30 कैलेंडर दिनों की अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाग देकर की जाती है।

निवल नकद बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की देयताओं (जमाराशियां, भाररहित और प्रतिभूत धोक उधारियां) साथ ही, अनाहरित प्रतिबद्धताओं और डेरिवेटिव संबंधित एक्सपोजर, 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से अंतर्वाह द्वारा समयोजित पर आरबीआई निर्धारित बहिर्वाह घटकों को लागू कर की जाती है। एलसीआर, एचक्यूएलए और निवल नकद बहिर्वाह का अनुपात है।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च-गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (एचक्यूएलए) का स्टॉक}}{\text{अगले 30 दिनों में कुल निवल नकद बहिर्वाह}} \times 100$$

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर 114.95% है और वार्षिक औसत एलसीआर 118.49% जो 100% की आरबीआई निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

i) एलसीआर के मुख्य संचालक:

बैंक ने समेकित आधार पर, 31 मार्च 2026 को समाप्त तीन महीनों के दौरान, औसतन ₹81545.15 करोड़ का उच्च गुणवत्ता वाला परिसंपत्ति शेष (फैक्टर मल्टीप्लायर-प्रतिशत के बाद) बनाए रखा। एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर से अधिक धारित सरकारी प्रतिभूतियों, एमएसएफ और एलसीआर तरलता सुविधाओं के तहत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर धारित सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संचालित

होता है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के पास रखे गए नकद शेष और अतिरिक्त सीआरआर भी लेवल 1 एचक्यूएलए में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

एचक्यूएलए स्तर 2 में मुख्य रूप से बीबीबी- और उससे ऊपर के कॉर्पोरेट बॉण्ड और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी नहीं किए गए वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं।

ii) समय के साथ परिवर्तन:

मार्च 2025 के अंत तक एलसीआर 113.63% से बढ़कर मार्च 2026 के अंत तक 118.49% हो गया है। इसका मुख्य कारण निवल नकदी बहिर्वाह में वृद्धि की तुलना में एचक्यूएलए में अधिक वृद्धि है। एचक्यूएलए में वृद्धि मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों की उच्च होल्डिंग्स और एनडीटीएल में वृद्धि के परिणामस्वरूप उच्च सांविधिक आरक्षित अनुपात (एसएलआर/सीआरआर) के कारण हुई है।

iii) एचक्यूएलए की संरचना:

एचक्यूएलए में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

	अभारित मूल्य	भारित मूल्य
स्तर 1 आस्तियां	80975.13	80975.13
स्तर 2 ए आस्तियां	669.72	569.26
स्तर 2 बी आस्तियां	1.52	0.76

- स्तर 2 आस्तियां जो स्तर 1 आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में कम हैं, 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के समक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 0.70% है।

iv) निधियन स्रोतों का संकेंद्रण:

एक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष को एक एकल प्रतिपक्ष या संबंधित या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो समग्र रूप से बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक है।

31.03.2026 को ₹19827.83 करोड़ की राशि के साथ 2 महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष जमाराशि हैं, अर्थात कुल देयताओं का 4.57%

31.03.2026 को केवल 1 महत्वपूर्ण उधारी है जिसकी राशि ₹13,001.67 करोड़ है, अर्थात कुल देयताओं का 2.99%

बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ताओं की हिस्सेदारी हमारी कुल जमाराशि का 15.23% है और बैंक की शीर्ष 10 उधारियां कुल उधारियों का 67.71% है।

बैंक की शीर्ष 10 उधारियां कुल उधारियों का 67.71% है।

एक महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को समान लिखतों/उत्पादों के समूह के एकल लिखत/उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कुल मिलाकर बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक है। निधियन लिखतों/उत्पादों के उदाहरण- धोक जमाराशियां, जमा प्रमाणपत्र, दीर्घावधि बॉण्ड आदि। 31 मार्च 2026 तक महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद धोक जमाराशियां, यानी कुल देयताओं का 11.61%, रिटेल



सावधि जमाराशियां अर्थात् कुल देयताओं का 26.51%, मांग जमाराशियां अर्थात् कुल देयताओं का 42.46% थीं।

v) **डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल:**

डेरिवेटिव एक्सपोजर को 30 दिनों के भीतर निवल डेरिवेटिव नकदी प्रवाह के रूप में दिखाया गया है। डेरिवेटिव एक्सपोजर से आगे परिपक्वता होने के कारण अंतर्वाह उत्पन्न हुआ।

vi) **एलसीआर में मुद्रा असंतुलन;**

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जबकि एलसीआर मानक को एक ही मुद्रा पर प्राप्त करना आवश्यक है, संभावित मुद्रा असंतुलन को बेहतर तरीके से निपटान करने के लिए प्रत्येक मुद्रा में एलसीआर की निगरानी करने की आवश्यकता है। तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रूपए में एलसीआर बनाए रख रहा है और इसकी तुलना विनियामक आवश्यकता से की जाती है। इसके अतिरिक्त बैंक का किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्रा* में एक्सपोजर नहीं है, अतः भारतीय रूपए मुद्रा के लिए एलसीआर तैयार किया गया है।

(*एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह होती है जहां कुल देयताओं को मुद्रा राशि में बैंक की कुल देयताओं के 5% या अधिक के रूप में दर्शाया जाता है)।

vii) **समूह की इकाइयों के बीच तरलता प्रबंधन और प्रभाव के केंद्रीकरण की मात्रा का विवरण:**

उद्यम-व्यापी आधार पर बैंक के लिए तरलता प्रबंधन, निदेशक मंडल का दायित्व है। निदेशक मंडल ने अपने दायित्व को बोर्ड की एक समिति को सौंप दिया है जिसे 'बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति' कहा जाता है। समिति विभिन्न प्रकार के जोखिम और तरलता पर इसके प्रभाव के बीच अंतर संबंधों के अवलोकन के लिए उत्तरदायी है।

बैंक की परिसंपत्ति, देयता एवं बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति है जो व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है जिसके अनुसार समूह के भीतर की सभी इकाइयां तरलता और ब्याज दर जोखिम के संदर्भ में कार्य करती हैं।

बैंक द्वारा दैनिक आधार पर एलसीआर की गणना और निगरानी की जाती है और इसे तरलता प्रबंधन के लिए ट्रेजरी/मिड ऑफिस के साथ साझा किया जाता है और निवेश समिति में चर्चा की जाती है।

साथ ही, पिछले माह की तुलना के साथ नवीनतम महीने के लिए एलसीआर मासिक आधार पर एल्को के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य तरलता मापदंडों के साथ एलसीआर की स्थिति को तिमाही आधार पर आरएमसी/निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

viii) **एलसीआर गणना में अंतर्वाह और बहिर्वाह जो एलसीआर कॉमन टेम्पलेट में शामिल नहीं हैं, लेकिन जिन्हें संस्थान अपनी तरलता प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक मानता है, वे निम्नानुसार हैं:**

दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताओं से व्युत्पन्न औसत बहिर्वाह का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अभारित मूल्य	भारित मूल्य
वर्तमान में अनाहरित प्रतिबद्ध ऋण और तरलता सुविधाएं प्रदान की गईं	43524.37	3763.09
रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहक	29642.26	1482.11
गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट्स, सॉवरेन और केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और पीएसई - क्रेडिट सुविधाएं	11413.81	1141.38
गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट्स, सॉवरेन और केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और पीएसई - तरलता सुविधाएं	0.00	0.00
बैंक	627.51	251.00
अन्य वित्तीय संस्थान (प्रतिभूति फर्म, बीमा कंपनियों सहित) - क्रेडिट सुविधाएं	1586.99	634.80
अन्य वित्तीय संस्थान (प्रतिभूति फर्मों, बीमा कंपनियों सहित) - तरलता सुविधाएं	0.00	0.00
अन्य कानूनी इकाई ग्राहक	253.79	253.79
अन्य आकस्मिक निधियन देयताएं	17141.79	567.74
गारंटी, साख पत्र और व्यापार वित्त	14467.47	434.02
प्रत्यावर्तनीय ऋण और तरलता सुविधाएं	1319.23	65.96
अन्य कोई	1355.09	67.75



ग) निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

गुणात्मक प्रकटन :

(राशि ₹ करोड़ में)

31.03.2026 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट

क्र.	विवरण	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता नहीं *	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	>= 1 वर्ष	
	एसएसएफ मद					
1	पूंजी (2+3)	30623.24	0.00	0.00	8520.77	39144.01
2	नियामक पूंजी	30623.24	0.00	0.00	7919.63	38542.87
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	601.14	601.14
4	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6)	94055.10	38268.76	42135.57	17003.17	174890.48
5	स्थिर जमाराशियां	12369.77	2609.88	2496.89	1226.20	17828.91
6	कम स्थिर जमाराशियां	81685.34	35658.87	39638.68	15776.97	157061.58
7	थोक निधियन : (8+9)	90372.82	26618.37	49653.97	16758.02	53339.94
8	परिचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	90372.82	26618.37	49653.97	16758.02	53339.94
10	अन्य देयताएं : (11+12)	1000.49	25919.99	0.00	3935.65	3935.65
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी	1000.49	25919.99	0.00	3935.65	3935.65
13	कुल एसएसएफ (1+4+7+10)					271310.08
	आरएसएफ मद					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)					4468.28
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां	85.89				42.95
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	112.44	77653.11	60211.19	163692.14	188285.86
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण	0.00	16219.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण	0.00	5018.45	3397.27	1647.71	4099.12
19	गैर-वित्तीय कापरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से	0.00	55679.19	56090.39	123487.85	155837.87
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	6239.68	6561.63	25057.98	22688.34
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से :	0.00	736.48	707.56	26248.93	17783.82
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	736.48	707.56	26248.93	17783.82
23	एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं है और एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं है	112.44	0.00	15.97	12307.65	10565.05
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 का योग)	13236.86	25714.02	1353.38	6950.76	21703.91
25	भौतिक व्यवसाय क्रेडिट, स्वर्ण सहित	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां		161.04	0.00	0.00	136.89
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां	13236.86	25552.97	1353.38	6950.76	21567.02
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें		46643.89	0.00	0.00	2174.19
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					216675.18
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					125.22%



(राशि ₹ करोड़ में)

31.12.2025 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट

क्र.	विवरण	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता नहीं *	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	>= 1 वर्ष	
	एएसएफ मद					
1	पूंजी (2+3)	26315.88	0.00	0.00	8511.77	34827.65
2	नियामक पूंजी	26315.88	0.00	0.00	7971.63	34287.51
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	540.14	540.14
4	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6)	88370.33	37094.35	42523.20	16717.00	168751.75
5	स्थिर जमाराशियां	11847.85	2562.88	2502.31	1237.33	17304.72
6	कम स्थिर जमाराशियां	76522.47	34531.48	40020.89	15479.67	151447.03
7	थोक निधियन : (8+9)	71041.63	37760.57	35524.02	14065.32	48942.04
8	परिचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	71041.63	37760.57	35524.02	14065.32	48942.04
10	अन्य देयताएं : (11+12)	1006.69	32741.05	0.00	2246.88	2246.88
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी	1006.69	32741.05	0.00	2246.88	2246.88
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					254768.31
	आरएसएफ मद					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)					4408.69
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां	80.87				40.44
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	137.51	63718.47	54232.95	158449.45	181462.58
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण	0.00	6528.46	6338.18	1683.85	5832.21
19	गैर-वित्तीय कापोरिट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से	0.00	56092.95	47193.69	118186.55	147065.28
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	5848.37	6143.85	25183.03	22365.08
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से :	0.00	747.07	687.40	25340.29	17188.42
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	747.07	687.40	25340.29	17188.42
23	एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं है और एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं है	137.51	0.00	13.67	13238.76	11376.67
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 का योग)	9318.43	30343.34	1106.65	5015.42	15324.49
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां		161.04	0.00	0.00	136.89
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां	9318.43	30182.29	1106.65	5015.42	15187.60
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें		48409.33	0.00	0.00	2280.62
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					203516.81
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					125.18%



(राशि ₹ करोड़ में)

30.09.2025 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट

क्र.	विवरण	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता नहीं *	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	>= 1 वर्ष	
	एएसएफ मद					
1	पूंजी (2+3)	26372.04	0.00	0.00	7669.06	34041.10
2	नियामक पूंजी	26372.04	0.00	0.00	7669.06	34041.10
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6)	87406.19	35793.18	42711.06	15983.34	166141.95
5	स्थिर जमाराशियां	11686.00	2564.43	2534.29	1152.37	17097.86
6	कम स्थिर जमाराशियां	75720.18	33228.76	40176.76	14830.97	149044.10
7	थोक निधियन : (8+9)	68598.69	33127.24	27966.40	16142.96	45196.39
8	परिचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	68598.69	33127.24	27966.40	16142.96	45196.39
10	अन्य देयताएं : (11+12)	1512.92	31850.49	0.00	532.76	532.76
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी	1512.92	31850.49	0.00	532.76	532.76
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					245912.20
	आरएसएफ मद					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)					4036.07
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां	622.35				311.18
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	151.05	21916.92	89054.74	150464.10	170361.99
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण	0.00	7604.28	5230.30	1913.55	5669.34
19	गैर-वित्तीय कापोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से	0.00	11179.16	83230.28	111751.52	137520.13
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	5909.93	5269.22	23366.89	20778.06
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से :	0.00	633.49	565.36	24244.39	16358.28
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	633.49	565.36	24244.39	16358.28
23	एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं है और एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं है	151.05	0.00	28.79	12554.64	10814.24
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 का योग)	7297.80	31911.27	0.00	5055.61	12529.61
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां		161.04	0.00	0.00	136.89
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां	7297.80	31750.23	0.00	5055.61	12392.72
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें		47736.26	0.00	0.00	2247.30
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					191181.71
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					128.63%



(राशि ₹ करोड़ में)

30.06.2025 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट

क्र.	विवरण	शेष परिपक्वता द्वारा अभांरित मूल्य				भांरित मूल्य
		परिपक्वता नहीं *	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	>= 1 वर्ष	
	एसएसएफ मद					
1	पूंजी (2+3)	26702.46	0.00	0.00	7985.37	34687.83
2	नियामक पूंजी	26702.46	0.00	0.00	7585.37	34287.83
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4	रिंतेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6)	85404.78	32948.23	39984.68	18653.69	161973.96
5	स्थिर जमाराशियां	11578.02	2362.72	2386.35	1345.91	16856.65
6	कम स्थिर जमाराशियां	73826.76	30585.51	37598.33	17307.78	145117.31
7	थोक निधियन : (8+9)	67358.75	31062.36	33058.66	15868.22	46919.33
8	परिचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	67358.75	31062.36	33058.66	15868.22	46919.33
10	अन्य देयताएं : (11+12)	1019.15	36095.49	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी	1019.15	36095.49	0.00	0.00	0.00
13	कुल एसएसएफ (1+4+7+10)					243581.12
	आरएसएसएफ मद					
14	कुल एनएसएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)					3929.21
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां	3459.89				1729.95
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	167.24	22824.19	95044.11	137422.99	160975.42
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण	0.00	8600.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण	0.00	8300.88	5745.19	705.40	4823.13
19	गैर-वित्तीय कार्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिंतेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से	0.00	5329.80	88704.70	101625.72	130315.48
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	3286.90	2042.90	15418.16	12686.71
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से :	0.00	593.52	552.99	23636.54	15937.01
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	593.52	552.99	23636.54	15937.01
23	एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एचक्यूएलए के रूप में अर्हक नहीं हैं	167.25	0.00	41.22	11455.33	9899.80
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 का योग)	6229.61	36251.57	0.00	4730.56	13379.81
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां		161.04	0.00	0.00	136.89
27	एनएसएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां	6229.61	36090.53	0.00	4730.56	13242.92
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें		48123.81	0.00	0.00	2281.22
31	कुल आरएसएसएफ (14+15+16+24+30)					182295.60
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					133.62%



(राशि ₹ करोड़ में)

31.03.2025 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट

क्र.	विवरण	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता नहीं *	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	>= 1 वर्ष	
	एएसएफ मद					
1	पूंजी (2+3)	26515.34	0.00	0.00	8273.31	34788.65
2	नियामक पूंजी	26515.34	0.00	0.00	7873.31	34388.65
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6)	87069.28	31208.43	37934.40	0.00	141401.37
5	स्थिर जमाराशियां	11601.81	2231.16	2376.42	0.00	15398.93
6	कम स्थिर जमाराशियां	75467.46	28977.27	35557.98	0.00	126002.44
7	थोक निधियन : (8+9)	0.00	24030.69	35364.90	31615.96	61313.75
8	परिचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	0.00	24030.69	35364.90	31615.96	61313.75
10	अन्य देयताएं : (11+12)	77653.63	1879.03	25196.31	0.00	0.00
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी	77653.63	1879.03	25196.31	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					237503.77
	आरएसएफ मद					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)					3464.17
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां	24.82				12.41
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	179.59	77891.36	48450.35	121761.23	146117.44
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण	0.00	28652.06	0.00	0.00	417.71
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण	0.00	6380.05	5494.57	0.00	3704.29
19	गैर-वित्तीय कापोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से	0.00	42313.84	42410.69	88307.52	117423.66
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	2758.49	2253.50	15862.36	12816.53
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से :	0.00	545.41	541.08	22808.87	15369.01
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	545.41	541.08	22808.87	15369.01
23	एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं है और एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं है	179.59	0.00	4.01	10644.84	9202.77
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 का योग)	1365.37	0.00	0.00	35468.00	28190.84
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां	1365.37	0.00	0.00	35468.00	28190.85
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें		46598.07	0.00	0.00	2228.61
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					180013.47
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					131.94%



(राशि ₹ करोड़ में)

31.12.2024 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट

क्र.	विवरण	शेष परिपक्वता द्वारा अभांरित मूल्य				भांरित मूल्य
		परिपक्वता नहीं *	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	>= 1 वर्ष	
	एसएसएफ मद					
1	पूंजी (2+3)	21927.61	0.00	0.00	8641.30	30568.91
2	नियामक पूंजी	21927.61	0.00	0.00	8241.30	30168.91
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4	रिंतेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6)	90346.07	34073.61	29345.05	19792.64	141799.81
5	स्थिर जमाराशियां	45036.25	12353.25	10841.61	8097.15	64819.55
6	कम स्थिर जमाराशियां	45309.82	21720.36	18503.44	11695.49	76980.26
7	थोक निधियन : (8+9)	47149.76	37261.22	25560.35	5970.16	53283.21
8	परिचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	47149.76	37261.22	25560.35	5970.16	53283.21
10	अन्य देयताएं : (11+12)	639.55	9576.79	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी	639.55	9576.78	0.00	0.00	0.00
13	कुल एसएसएफ (1+4+7+10)					225651.93
	आरएसएसएफ मद					
14	कुल एनएसएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)					3422.89
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां	4.67				2.34
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	60.65	14998.09	12570.68	135886.90	117010.34
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण	0.00	2600	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण	0.00	2179.66	3798.08	0.00	2225.99
19	गैर-वित्तीय कार्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिंतेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से	0.00	10216.63	8346.30	99888.82	88792.97
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	2758.49	2253.50	26969.98	20036.48
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से :	0.00	1.80	8.08	24362.95	15840.86
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	1.80	8.08	24362.95	15840.86
23	एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एचक्यूएलए के रूप में अर्हक नहीं हैं	60.65	0.00	418.22	11635.13	10150.52
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 का योग)	4872.82	0.00	0.00	35468.00	38350.82
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां	4872.82	0.00	0.00	35468.00	38350.82
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें		97073.53	3779.27	0.00	4207.23
31	कुल आरएसएसएफ (14+15+16+24+30)					162993.61
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					138.44%



(राशि ₹ करोड़ में)

30.09.2024 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट

क्र.	विवरण	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता नहीं *	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	>= 1 वर्ष	
	एएसएफ मद					
1	पूंजी (2+3)	18506.34	0.00	0.00	8580.37	27086.71
2	नियामक पूंजी	18506.34	0.00	0.00	8180.37	26686.71
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6)	90632.46	33178.92	27267.50	19887.29	139356.01
5	स्थिर जमाराशियां	45426.78	12129.07	10144.38	8193.53	64315.22
6	कम स्थिर जमाराशियां	45205.68	21049.85	17123.12	11693.76	75040.79
7	थोक निधियन : (8+9)	44970.95	40030.44	18827.31	4753.14	50233.57
8	परिचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	44970.95	40030.44	18827.31	4735.14	50233.57
10	अन्य देयताएं : (11+12)	642.87	9854.62	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी	642.87	9854.62	0.00	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					216676.29
	आरएसएफ मद					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)					3291.25
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां	0.00				0.00
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	65.83	13030.73	12657.14	128869.57	111387.27
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण	0.00	3000.0	0.00	0.00	0.00
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण	0.00	2074.19	2345.72	0.00	1483.99
19	गैर-वित्तीय कापोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से	0.00	7954.52	9812.15	94726.65	85210.74
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	1759.35	2170.21	20951.26	15583.10
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से :	0.00	2.02	3.94	23177.68	15068.47
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	2.02	3.94	23177.68	15068.47
23	एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं है और एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं है	65.83	0.00	495.33	10965.24	9624.07
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 का योग)	5328.24	0.00	0.00	34697.00	38061.23
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां	5328.24	0.00	0.00	34697.0	38061.23
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें		97027.99	3779.27	0.00	4224.87
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					156964.62
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					138.04%



(राशि ₹ करोड़ में)

30.06.2024 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट

क्र.	विवरण	शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता नहीं *	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	>= 1 वर्ष	
	एएसएफ मद					
1	पूंजी (2+3)	18219.96	0.00	0.00	7520.36	25740.32
2	नियामक पूंजी	18219.96	0.00	0.00	7220.36	25440.32
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
4	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6)	89318.23	34296.71	28020.49	15573.45	139855.49
5	स्थिर जमाराशियां	44609.49	12628.91	10433.53	6697.07	64288.33
6	कम स्थिर जमाराशियां	44708.74	21667.80	17586.96	8876.38	75567.15
7	थोक निधियन : (8+9)	43466.39	34516.48	20945.36	3585.62	43255.28
8	परिचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	43466.39	34516.48	20945.36	3585.62	43255.28
10	अन्य देयताएं : (11+12)	789.79	11572.67	0.00	0.00	0.00
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी	789.79	11572.67	0.00	0.00	0.00
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					208851.09
	आरएसएफ मद					
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)					3614.20
15	परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां	16.89				8.44
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	48.37	11028.73	8063.02	126337.19	107845.16
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण	0.00	109.79	0.00	0.00	10.98
18	गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण	0.00	2132.43	1127.33	0.00	883.53
19	गैर-वित्तीय कापोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से	0.00	8784.91	6495.21	93942.13	83436.79
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	1895.57	1401.51	20270.40	14824.30
21	निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से :	0.00	1.60	3.17	21420.53	13925.73
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ	0.00	1.60	3.17	21420.53	13925.73
23	एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एचक्यूएलए के रूप में अर्हक नहीं हैं	48.37	0.00	437.31	10974.53	9588.13
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 का योग)	5142.86	0.00	0.00	32523.20	35568.07
25	भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
28	परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
29	उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां	5142.86	0.00	0.00	32523.20	35568.07
30	ऑफ-बैलेन्स शीट मदें		102062.92	4551.16	42.48	4450.29
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					151486.16
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					137.87%

* 'परिपक्वता रहित' समयावधि में दर्ज मदों की कोई निर्धारित परिपक्वता अवधि नहीं होती है। इनमें शाश्वत परिपक्वता वाली पूंजी, गैर-परिपक्व जमा, अल्पावधि निवेश, मुक्त परिपक्वता निवेश और गैर-एचक्यूएलए इक्विटी शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।



एनएसएफआर के गुणात्मक प्रकटन:

एनएसएफआर पर दिशानिर्देश दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी हैं। तदनुसार, बैंक ने 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर के संबंध में अपना पहला प्रकटीकरण प्रकाशित किया है।

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों और ऑफ-बैलेन्स शीट गतिविधियों की संरचना के संबंध में एक स्थिर वित्तपोषण प्रोफाइल बनाए रखे। एक स्थायी वित्तपोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के नियमित वित्तपोषण स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता स्थिति में गिरावट की संभावना को कम करना है, जिससे उसके विफल होने का जोखिम बढ़ सकता है और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव उत्पन्न हो सकता है। एनएसएफआर, अल्पावधि थोक निधियन पर अधिक निर्भरता को सीमित करती है, सभी ऑन तथा ऑफ-बैलेन्स शीट मदों के बीच निधियन जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को बढ़ावा देती है और निधियन स्थिरता को प्रोत्साहित करती है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि से संबंधित उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। उपलब्ध स्थिर निधियन (एसएफ) को एनएसएफआर द्वारा निर्धारित समय अवधि पर निर्भर होने वाली अपेक्षित देयताओं और पूंजी के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है। बैंक के

आवश्यक स्थिर निधियन की राशि (आवश्यक स्थिर निधियन) (आरएसएफ) तरलता विशेषताओं और बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की शेष परिपक्वताओं और साथ ही इसके ऑफ-बैलेन्स शीट (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है। एनएसएफआर की परिभाषा है

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधि (एसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधि (आरएसएफपी)}} \times 100$$

एनएसएफआर के मुख्य संचालक:

31 मार्च 2026 तक बैंक ने ₹.271310.08 करोड़ का एसएफ बनाए रखा था। एसएफ का 58.19% हिस्सा स्थिर और कम स्थिर गैर-परिपक्वता जमाशायियों और रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमाशायियों से आता है।

आरएसएफ का 38.61% हिस्सा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले और एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले अन्य अप्रतिबंधित अर्जक ऋण, वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋणों को छोड़कर लाइन मद से आता है।

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 125.22% है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता 100% से अधिक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबी) के वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन संबंधी मास्टर दिशा-निर्देश (2025), दिनांक 28.11.2025 के अनुसार, बैंकों ने अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (स्वयं की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहायोगी कंपनियों में निवेश को छोड़कर) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस) और लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उपश्रेणी है।

(राशि ₹ करोड़ में)

i) निवेश पोर्टफोलियो का संक्षिप्त

विवरण	31.03.2026 को						31.03.2025 को							
	एचटीएम		एफएस	एफवीटीपीएल		सहायक कंपनियाँ, सहयोगी कंपनियाँ और जेबी		एचटीएम		एफएस	एफवीटीपीएल		सहायक कंपनियाँ, सहयोगी कंपनियाँ और जेबी	
	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	नै-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	नै-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	57039.34	55999.87	36407.22	1281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	51276.79	51600.01	23574.49	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) शेयरों	0.00	0.00	271.23	112.53	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.47	187.77	178.99	0.00
(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	330.62	332.96	4878.60	274.81	463.83	0.00	0.00	445.11	450.96	4693.04	324.96	432.41	0.00	0.00
(v) सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.90	490.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.44	311.44
(vi) अन्य	0.00	0.00	49.02	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	608.78	0.00	67.52	0.00	0.00
कुल	57369.96	56332.83	41606.07	1668.97	799.95	761.90	490.18	51721.90	52050.97	29116.78	512.73	678.92	311.44	311.44
घटाएं: हानि/स्पीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	^446.09	280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	^336.98	0.00	0.00
निवल	57369.96	56332.83	41606.07	1668.97	353.86	481.31	490.18	51721.90	52050.97	29116.78	512.73	341.94	311.44	311.44
II. भारत के बाहर निवेश														
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं: हानि/स्पीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश (I+II)	57369.96	56332.83	41606.07	1668.97	353.86	481.31	490.18	51721.90	52050.97	29116.78	512.73	341.94	311.44	311.44

^ इसमें सीडीआर/एसडीआर का प्रावधान ₹ 265.47 करोड़ शामिल है (पिछले वर्ष यह ₹313.39 करोड़ था)



iii) एफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त स्तर 3 वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि):

(राशि ₹ करोड़ में)

	विव 2025-26	विव 2024-25
एफएस रिजर्व में मान्यता प्राप्त	-10.46	*65.46
लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त	28.00	23.25

* इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 01.04.2024 को ₹ 45.96 करोड़ का ट्रांजिशन रिजर्व शामिल है।

टिप्पणी : इस प्रकटीकरण में स्तर 3 की आस्तियां शामिल नहीं हैं जहां आस्ति का मूल्यांकन उस आस्ति के लिए एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य है।

iv) एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

		विव 2025-26	विव 2024-25
क	एचटीएम में प्रतिभूतियों का प्रारंभिक मूल्य	51721.91	47374.17
ख	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	9162.29	3520.30
ग	घटाएँ: विनियामक सीमा से छूट प्राप्त स्थितियों के तहत बेची गई प्रतिभूतियों के मूल्यों को वहन करना	6612.97	1193.47
घ	बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (घ=ख-ग)	2549.32	2326.83
ड.	एचटीएम में प्रतिभूतियों के आरंभिक मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियाँ (ड. = घ/क)	4.93%	4.91%
च	लाभ पर बेची गई एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में पूंजी रिजर्व में हस्तांतरित राशि	87.79	45.00

#करों पर विचार करने और सांविधिक रिजर्व में अंतरण के पश्चात

v) निवेश की श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण - बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश की श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण नहीं किया है।

vi) गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के लिए प्रावधानों का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	विव 2025-26	विव 2024-25
i)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन (एनपीआई सहित)		
	क) आरंभिक शेष	336.98	318.75
	ख) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	147.33*	56.69
	ग) घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते*	38.22	38.46
	घ) अंतिम शेष	446.09	336.98
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित का संचलन		
	क) आरंभिक शेष	641.10	426.10
	ख) जोड़े : वर्ष के दौरान अंतरित राशि	450.00	215.00
	ग) घटाएं : आहरण	-	-
	घ) अंतिम शेष	1091.10	641.10
iii)	एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) श्रेणी में निवेश के समापन शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में समापन शेष।	2.48%	2.14%

* प्रतिभूतियों को उनके मूल वहन मूल्य पर पुनर्स्थापित करने के माध्यम से वर्ष के दौरान जोड़ा गया कुल निवल प्रावधान।



vii) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	विव 2025-26	विव 2024-25
क)	प्रारंभिक शेष	24.48	32.34
ख)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	*157.15	90.17
ग)	उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी	0.13	98.03
घ)	अंतिम शेष	181.50	24.48
ड.)	किए गए कुल प्रावधान	^180.62	23.59

* प्रतिभूतियों को उनके मूल वहन मूल्य पर पुनर्स्थापित करके एनपीआई प्रावधान जोड़ा गया।

विविध देयताओं में शामिल एफआईटीएल प्रावधान से संबंधित ₹.0.88 करोड़ की राशि।

ख) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता अवसंरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि		निजी प्लेसमेंट की मात्रा		'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा		'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की मात्रा		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा	
1	2	3		4		5		6		7	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
क	पीएसयू	558.35	592.01	538.32	558.14	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
ख	एफआई	4,198.02	4,237.87	4,179.89	4,221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग	बैंक	251.31	922.30	180.46	790.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ	निजी कॉर्पोरेट्स	689.56	423.96	686.03	418.41	0.88	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
ड.	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम	481.30	311.43	481.30	311.43	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
च	अन्य	573.44	665.93	573.44	665.93	132.05	134.86	132.05	134.86	230.32	266.52
छ	किए गए प्रावधान (मूल्यहास सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	6,751.98	7,153.51	6,639.44	6,965.72	288.69	153.82	132.05	134.86	300.32	366.52



viii) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य एवं बाजार मूल्य के रूप में)

(राशि ₹ करोड़ में)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च, 2026 को बकाया	
		एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
i)	रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां								
	क) सरकारी प्रतिभूतियां								
	(i) रेपो उधारियां (एलएएफ)	2500 (0)	2500 (0)	5000 (0)	5000 (0)	96.75 (0)	96.75 (0)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
	(ii) रेपो उधारियां (मीयादी)	69 (139)	69 (137)	4176 (4948)	4176 (5000)	130.03 (338)	130.03 (342)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
	ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
	ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
ii)	रिवर्स-रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां								
	क) सरकारी प्रतिभूतियाँ रिवर्स रेपो एलएएफ	480 (662)	480 (700)	3822 (1034)	3822 (1000)	44.73 (21)	44.73 (21)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
	ख) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
	ग) कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में रिपोर्ट किए गए हैं।

एलएएफ के अतिरिक्त रेपो संव्यवहार

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च, 2026 को बकाया	
	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
विक्रय की गई प्रतिभूतियां								
i. सरकारी प्रतिभूतियां	200 (300)	200 (301)	10900 (7475)	10899 (7474)	2950 (1010)	2949 (999)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
क्रय की गई प्रतिभूतियां								
i. सरकारी प्रतिभूतियां	75 (87)	95 (88)	18240 (23940)	18240 (24093)	876 (1869)	877 (1888)	शून्य (4180)	शून्य (4177)
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में रिपोर्ट किए गए हैं।



ix) सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) संव्यवहार (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

31.03.2026 को

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान संव्यवहारों की कुल प्रमात्रा	31 मार्च 2026 तक बकाया
जीएसएल संव्यवहार के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-

31.03.2025 को

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान संव्यवहारों की कुल प्रमात्रा	31 मार्च 2025 तक बकाया
जीएसएल संव्यवहार के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-
जीएसएल संव्यवहार के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-

ग) निवेश में तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खातों का संचलन :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2025-26	विव 2024-25
1 अप्रैल को तकनीकी बड़े खाते में डाली गई राशि का प्रारंभिक शेष	375.03	431.75
जोड़ें:- वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट-ऑफ	0.90	0.00
उप- जोड़ (क)	375.93	431.75
घटाएँ: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली/अपग्रेड किए गए खाते (ख)	30.15	56.72
31 मार्च तक का अंतिम शेष (क-ख)	345.78	375.03



घ) तकनीकी अपलिखितों का संचलन (संव्यवहार समायोजन)

(राशि ₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष				पिछले वर्ष			
	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	अन्य	कुल निवेश	शेयर	डिबेंचर और बॉण्ड	अन्य	कुल निवेश
बिक्री हेतु उपलब्ध								
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (गैर-एचएफटी)								
सकल	98.17	114.68	132.93	345.78	98.17	126.12	150.74	375.03
घटाएं: टीडब्ल्यूओ प्रावधान	98.17	114.68	132.93	345.78	98.17	126.12	150.74	375.03
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल टीडब्ल्यूओ निवेश	98.17	114.68	132.93	345.78	98.17	126.12	150.74	375.03
घटाएं- टीडब्ल्यूओ प्रावधान	98.17	114.68	132.93	345.78	98.17	126.12	150.74	375.03
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



4

आस्ति गुणवत्ता

i) अग्रिमों का वर्गीकरण एवं धारित प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	मानक		नैर-निष्पादित						कुल	
	कुल मानक अग्रिम		अवमानक		संदिग्ध		हानि		कुल नैर-निष्पादित अग्रिम	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए										
प्रारंभिक शेष	235652.02	199830.90	1617.19	1181.33	2395.12	2513.09	172.21	138.63	4184.52	3833.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि #									1791.27	1687.86
* घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी *									1729.82	1336.39
* समाप्त शेष	287720.56	235652.02	1672.89	1617.19	2333.33	2395.12	239.75	172.21	4245.97	4184.52
* सकल एनपीए में कमी के कारण:										
i) उन्नयन									57.35	99.59
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)									463.34	441.21
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बढ़ेखाता									1165.46	731.08
iv) उपयुक्त (iii) के अतिरिक्त अन्य बढ़ेखाते									43.67	64.52
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)										
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	2732.53	2355.51	1191.13	910.46	2348.64	2313.69	171.87	137.88	3711.64	3382.03
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान ##									3726.12	2417.32
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधान की वापसी / ऋण बढ़ेखाता									3667.20	2026.61
धारित प्रावधानों का समाप्त शेष	2049.60	2732.53	1310.20	1191.13	2220.87	2348.64	239.49	171.87	3770.56	3711.64
निवल एनपीए										
प्रारंभिक शेष			384.96	208.84	46.48	199.40	0.34	0.75	431.78	408.99



(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	मानक		नैर-निष्पादित						कुल	
	कुल मानक अग्रिम		अवमानक		संदिग्ध		हानि		कुल नैर-निष्पादित अग्रिम	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि										
घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी										
समापन शेष			271.02	384.96	112.46	46.48	0.26	0.34	383.74	431.78
फ्लोटिंग प्रावधान										
प्रारंभिक शेष										
जोड़े: वर्ष के दौरान प्रावधान										
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि										
फ्लोटिंग प्रावधानों का समापन शेष										
तकनीकी बड़े खाते एवं उनसे वसूली										
तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाता खातों का प्रारंभिक शेष									19467.80	19555.53
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते (जिसमें नई स्तिपेज से किए गए बड़े खाते शामिल हैं) \$									3841.82	2877.96
घटाएँ: पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाता किए गए खातों से वर्ष के दौरान की गई वसूली ^									1669.63	2965.69
अंतिम शेष									21639.98	19467.80

₹2672.53 करोड़ (₹ 2169.93 करोड़) के नए स्तिपेज से तकनीकी बड़े खाते डाले गए को छोड़कर।

इसमें मानक से एनपीए में प्रावधान का अंतरण ₹ 1100.00 करोड़ शामिल है।

\$ इसमें ₹2672.53 करोड़ (₹2169.93 करोड़) के नए स्तिपेज से तकनीकी बड़े खाते डाली गई राशि शामिल है।

^ इसमें तकनीकी बड़े खाते डाले गए खातों से ₹1366.32 करोड़ (₹1314.61 करोड़) की वसूली तथा ₹191.10 करोड़ ₹125.82 करोड़) का अपग्रेडेशन शामिल है।



अनुपात (प्रतिशत में)

	विव 2025-26	विव 2024-25
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	1.45%	1.74%
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	0.13%	0.18%
प्रावधान कवरेज अनुपात	91.43%	90.18%
अनुपात (टीडबल्यूओ सहित)	98.59%	98.26%

ii) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	वि.व. 2025-26			वि.व. 2024-25		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में सकल एनपीए से कुल अग्रिमों का %	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में सकल एनपीए से कुल अग्रिमों का %
i)	प्राथमिकता क्षेत्र						
क)	कृषि और सहायक गतिविधियां	40212.06	3103.69	7.72%	35546.76	2950.17	8.30%
ख)	प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	17140.61	151.39	0.88%	14832.00	157.39	1.06%
ग)	सेवाएं	36975.47	671.38	1.82%	33815.07	771.40	2.28%
घ)	वैयक्तिक ऋण	18565.61	25.97	0.14%	9752.41	17.27	0.18%
	उप-जोड़ (i)	112893.75	3952.43	3.50%	93946.24	3896.23	4.15%
ii)	नैर प्राथमिकता क्षेत्र						
क)	कृषि और सहायक गतिविधियां	-	-	-	-	-	-
ख)	उद्योग	39832.44	16.82	0.04%	34719.79	26.71	0.08%
ग)	सेवाएं	71949.03	70.23	0.10%	55847.31	79.68	0.14%
घ)	वैयक्तिक ऋण	67291.31	206.49	0.31%	55323.20	181.90	0.33%
	उप-जोड़ (ii)	179072.78	293.54	0.16%	145890.30	288.29	0.20%
	कुल (i+ii)	291966.53	4245.97	1.45%	239836.54	4184.52	1.74%

उन अग्रिमों का विवरण जिनमें उप-क्षेत्रीय अग्रिम क्षेत्र के कुल अग्रिमों के 10% से अधिक हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	वि.व. 2025-26			वि.व. 2024-25		
	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में सकल एनपीए से कुल अग्रिमों का %	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में सकल एनपीए से कुल अग्रिमों का %
उद्योग क्षेत्र						
मूल धातु और धातु उत्पाद	6787.46	51.68	0.76%	5929.84	31.29	0.53%
अवसंरचना	24320.96	8.31	0.03%	21496.10	3.13	0.01%
सेवा क्षेत्र						
व्यापार	14655.11	100.29	0.68%	13740.36	286.75	2.09%
वित्तीय मध्यस्थता	30488.09	121.33	0.40%	21799.53	92.45	0.42%
वैयक्तिक ऋण						
आवास ऋण	49479.39	73.14	0.15%	38346.44	75.63	0.20%
अन्य रिटेल ऋण	25570.27	142.58	0.56%	18221.28	90.50	0.50%
कृषि और सहायक गतिविधियां						
फसल ऋण	7249.04	1672.18	23.07%	9272.00	1360.50	14.67%
निवेश ऋण	6466.02	578.25	8.94%	7043.83	669.11	10.53%
अनुषंगी गतिविधियां	23156.88	731.02	3.16%	17553.09	799.13	4.55%



iii) विदेशों में आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2025-26	विव 2024-25
कुल आस्तियां (नोस्ट्रो खातों के बकाया शेष सहित)	2084.57	156.86
कुल एनपीए	0.00	0.00
कुल राजस्व	135.69	31.45

iv) पुनर्गठन और समाधान योजना का विवरण

संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान पर आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/165 डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 4/21.04.048/2025-26 दिनांक 28.11.2025 का प्रभाव - संशोधित ढांचा निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि	31 मार्च 2026 को (ख) में से एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों की राशि	आरबीआई के परिपत्र के अंतर्गत कवर किए गए ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक है	(घ) में से 31 मार्च 2026 तक पहले ही किया जा चुका प्रावधान
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	
580.49	-	-	-	-

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि	31 मार्च 2025 को (ख) में से एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों की राशि	आरबीआई के परिपत्र के अंतर्गत कवर किए गए ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक है	(घ) में से 31 मार्च 2025 तक पहले ही किया जा चुका प्रावधान
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	
36.04	-	-	-	-

v) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2025 के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसटीसी.आरईसी.क्र.86/21.04.018/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 के अनुसार बैंकों को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में भिन्नताओं का प्रकटन करना आवश्यक है, जहां निम्नलिखित में से एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- (क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक है और
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत

पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक हैं।

स्पष्टीकरण - रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए से तात्पर्य संदर्भ वर्ष के दौरान वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए सकल एनपीए में हुई वृद्धि से है।

चूंकि भिन्नताएं संदर्भ वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए के 5% की सीमा के भीतर हैं, इसलिए आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में भिन्नता का प्रकटन करना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त स्पष्टीकरण के संदर्भ में, रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए को 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए संदर्भ वर्ष के दौरान खातों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए ₹.1687.86 करोड़ के सकल एनपीए में वृद्धि के रूप में माना गया है।



vi) ऋण जोखिमों के हस्तांतरण पर प्रकटीकरण

- क. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और (वित्तीय वर्ष 2024-25) में कोई भी एसएमए ऋण (विशेष उल्लेख खाता) हस्तांतरित नहीं किया है।
ख. वित्तीय वर्ष 2025-26 और (वित्तीय वर्ष 2024-25) में हस्तांतरित गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को	अन्य अंतरिती को
खातों की संख्या	1 (4)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
अंतरित ऋणों का कुल मूल बकाया	127.66 (599.76)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
अंतरित ऋणों की भारित औसत अधिशेष अवधि	-	लागू नहीं (लागू नहीं)	लागू नहीं (लागू नहीं)
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	0.00 (0.00)	लागू नहीं (लागू नहीं)	लागू नहीं (लागू नहीं)
समग्र प्रतिफल	49.61 (447.97)	लागू नहीं (लागू नहीं)	लागू नहीं (लागू नहीं)
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्राप्त प्रतिफल	शून्य (शून्य)	लागू नहीं (लागू नहीं)	लागू नहीं (लागू नहीं)

- ग. 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिग्रहीत या हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त किए गए, डिफॉल्ट में न होने वाले ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
अधिग्रहीत कुल ऋण राशि	14,600.98	11,254.29
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में)	32.60	32.05
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (महीनों में)	9.16	7.38
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	10.00%	10.00%
मूर्त जमानत कवरेज	12.91%	19.78%

अधिग्रहीत ऋणों का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से संबंधित हैं।

- घ. बैंक ने कोई संकटग्रस्त ऋण अधिग्रहीत नहीं किया है।
ङ. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा 31.03.2026 तक बकाया एसआर को दी गई रिकवरी रेटिंग।

वसूली रेटिंग बैण्ड*	राशि
आरआर1	-
आरआर 2	-
आरआर 3	-
आरआर 4	-
आरआर 5	-
वापस ली गई रेटिंग	-
अनरेटेड	-
कुल	-

* विभिन्न बाह्य एजेंसियों द्वारा दी गई वसूली रेटिंग।



vii) सह-ऋण व्यवस्था (सीएलए) पर प्रकटीकरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2026 तक
1	सीएलए भागीदारों की संख्या	9
2	सीएलए की मात्रा	4324
3	भारित औसत आरओआई	9.44%
4	भुगतान किया गया शुल्क (जीएसटी को छोड़कर)	7.16
5	प्रमुख क्षेत्र	रिटेल और एमएसएमई
6	सीएलए के अंतर्गत ऋणों का कार्यनिष्पादन	संतोषजनक
7	डिफॉल्ट हानि गारंटी का विवरण	डीएलजी को एक भागीदार उपलब्ध कराया गया है, जो 5% से कम है।

viii) धोखाधड़ी वाले खाते

धोखाधड़ी की संख्या और राशि के साथ-साथ उन पर किए गए प्रावधानों का विवरण नीचे दिए गए टेम्पलेट के अनुसार है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
उधार और गैर-उधार संबंधी रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	330	181
डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ियों की संख्या जहां ग्राहकों द्वारा स्वयं साख से समझौता किया गया है और बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है	64	110
कुल धोखाधड़ी के मामले (डिजिटल भुगतान संबंधी मामले सहित)	394	291
उधार और गैर-उधार संबंधी धोखाधड़ियों में शामिल राशि	987.63	891.58
डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ियों में शामिल राशि जहां ग्राहकों द्वारा स्वयं साख से समझौता किया गया है और बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ है	2.37	0.90
कुल शामिल राशि (डिजिटल भुगतान संबंधी धोखाधड़ी सहित)	990.00	892.48
वर्ष के दौरान ऐसी धोखाधड़ी मामलों के लिए किए गए प्रावधान की राशि *	873.99	702.28
वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि	-	-

*बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए धोखाधड़ी के मामलों के लिए 100% प्रावधान यानी ₹ 873.99 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 702.28 करोड़) धारित किया है।

31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹990.00 करोड़ की राशि से जुड़े 394 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं, जिनमें पिछले वर्षों में ऋण धोखाधड़ी के 5 मामले (वित्तीय वर्ष 2018-19 - 1 मामला, वित्तीय वर्ष 2020-21 - 3 मामले, वित्तीय वर्ष 2022-23 - 1 मामला) शामिल हैं, जिन्हें बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में आरबीआई द्वारा ₹ 619.96 करोड़ की धोखाधड़ी के रूप में निष्क्रिय कर दिया गया था, और अब उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इन्हें फिर से धोखाधड़ी घोषित किया गया है।

कुल धोखाधड़ी के मामलों में से, 64 मामले डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से संबंधित थे, जिनमें ₹2.37 करोड़ की राशि शामिल थी, जिसका बैंक को नुकसान हुआ है। इसके अलावा, शेष ₹987.63 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामलों में से ₹38.22 करोड़ की वसूली हो चुकी है। साथ ही, ₹76.20 करोड़ के दो धोखाधड़ी मामलों में, जिनका खाता बही शेष 2022 और 2023 में पहले ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है, इन मामलों में प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। शेष ₹873.21 करोड़ के धोखाधड़ी मामलों में, बैंक ने नुकसान की पूरी राशि, यानी ₹873.21 करोड़ तक का प्रावधान रखा है। धोखाधड़ी के तीन संदिग्ध मामलों में, जहां बैंक को ₹0.78 करोड़ का नुकसान हुआ है, उनके लिए भी पूरा प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, कुल प्रावधान ₹873.99 करोड़ है।



ix) परियोजना वित्तपोषण से संबंधित प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि
1	तिमाही के प्रारंभ में कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के खाते	175	11581.22
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के खाते	59	770.03
3	तिमाही के दौरान कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के डीसीसीओ प्राप्त खाते	46	2347.64
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के खाते (1+2-3)	188	10950.45*
5	'4' में से - वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार, जैसा भी मामला हो, से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	27	2974.33
5.1	'5' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वित की गई है।	3	730.82
5.2	'5' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	24	2243.51
5.3	'5' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है।	0.00	0.00
6	'5' में से - वे खाते जिनके संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार, जैसा भी मामला हो, से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	0.00	0.00
7	'5' में से, वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार, जैसा भी मामला हो, से संबंधित लागत वृद्धि का वित्तपोषण किया गया था।	0.00	0.00
7.1	'7' में से, वे खाते जिनके लिए वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और लगातार नवीनीकृत किया गया था।	0.00	0.00
7.2	'7' में से, वे खाते जिनके लिए एसबीसीएफ पूर्व-स्वीकृत नहीं था या लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया था।	0.00	0.00
8	'4' में से - वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार न करने, जैसा भी मामला हो, से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	0.00	0.00
8.1	'8' में से, वे खाते जिनके लिए समाधान योजना कार्यान्वित की जा चुकी है।	0.00	0.00
8.2	'8' में से, वे खाते जिनके लिए समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	0.00	0.00

* इसमें तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खातों में 2026 की चौथी तिमाही के दौरान रु.946.84 करोड़ का संचलन शामिल है।

उपरोक्त प्रकटन 01.01.2026 से लागू है। अतः 31.03.2025 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़े नहीं दिए गए हैं।



x) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान फ्रेम-वर्क के तहत प्रकटीकरण

आरबीआई के दिनांक 6 अगस्त, 2020 (समाधान ढांचा 1.0) और 5 मई, 2021 (समाधान ढांचा 2.0) के परिपत्र के अनुसार कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त आस्तियों के लिए आरबीआई समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित संकल्प योजना का विवरण 31 मार्च, 2026 तक निम्नानुसार है।

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर 30 सितंबर, 2025 की समाप्ति पर स्थिति (क)	(क) में से समग्र ऋण जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए के रूप में अवनत हुए	(क) में से 31 मार्च, 2026 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते डाली गई राशि	(क) में से 31 मार्च, 2026 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चुकता राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर 31 मार्च, 2026 की समाप्ति पर स्थिति
वैयक्तिक ऋण	1129.93	21.36	16.44	78.31	1032.66
निगमित व्यक्ति*	570.10	0.00	0.00	17.78	559.03
जिसमें से एमएसएमई	19.94	0.00	0.00	0.59	19.14
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	1700.03	21.36	16.44	96.08	1591.69

* दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित अनुसार

बैंक के पास कोविड-19 से संबंधित आकस्मिक प्रावधान के रूप में 31 मार्च 2026 तक ₹.1010 करोड़ का प्रावधान है (पिछले वर्ष 31 मार्च 2025 तक ₹.1200 करोड़ था)। बैंक ने वर्ष के दौरान ₹.190 करोड़ के प्रावधानों को प्रत्यावर्तित कर दिया है।

30 सितंबर, 2025 को:

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर 31 मार्च, 2025 की समाप्ति पर स्थिति (क)	(क) में से समग्र ऋण जो 30 सितंबर, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए के रूप में अवनत हुए	(क) में से 30 सितंबर, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते डाली गई राशि	(क) में से 30 सितंबर, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चुकता राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर 30 सितंबर, 2025 की समाप्ति पर स्थिति
वैयक्तिक ऋण	1249.54	42.95	37.00	172.99	1129.93
निगमित व्यक्ति*	578.82	0.00	0.00	15.96	570.10
जिसमें से एमएसएमई	20.78	0.00	0.00	1.12	19.94
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	1828.36	42.95	37.00	188.95	1700.03

* दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित अनुसार



31 मार्च, 2025 को :

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर 30 सितंबर, 2024 की समाप्ति पर स्थिति (क)	(क) में से समग्र ऋण जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए के रूप में अवनत हुए	(क) में से 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान बड़े खाते डाली गई राशि	(क) में से 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चुकता राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर 31 मार्च, 2025 की समाप्ति पर स्थिति
वैयक्तिक ऋण	1335.03	42.59	36.97	156.46	1249.54
निगमित व्यक्ति*	615.72	0.00	0.00	16.15	578.82
जिसमें से एमएसएमई	21.54	0.00	0.00	1.24	20.78
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	1950.75	42.59	36.97	172.61	1828.36

* दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित अनुसार

30 सितंबर, 2024 को :

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर 31 मार्च, 2024 की समाप्ति पर स्थिति (क)	(क) में से समग्र ऋण जो 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए के रूप में अवनत हुए	(क) में से 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही के दौरान बड़े खाते डाली गई राशि	(क) में से 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चुकता राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर 30 सितंबर, 2024 की समाप्ति पर स्थिति
वैयक्तिक ऋण	1551.04	11.61	94.52	186.39	1335.03
निगमित व्यक्ति*	629.64	0.00	0.00	14.83	615.72
जिसमें से एमएसएमई	22.48	0.00	0.00	1.15	21.54
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	2180.68	11.61	94.52	201.22	1950.75

* दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित अनुसार



5

एक्सपोजर

क) स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) क्षेत्र में एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	31.03.2026	31.03.2025
क)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर	70405.13	57500.06
i	आवासीय बंधक -	62907.41	49121.38
	जिसमें से उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये पर दी गई संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित हैं (प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दर्शाया जाए)	46335.14	33814.29
		16572.27	15,307.09
ii	वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवारिक आवासीय भवन, अधिक किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) एक्सपोजर में गैरनिधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं	7497.72	8378.68
iii	बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर में निवेश-		
	क) आवासीय	शून्य	शून्य
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
ख)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक्सपोजर	3873.04	5030.95
	रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	74278.17	62531.01

*** जोखिम में गैर-निधि-आधारित सीमाएं भी शामिल हैं

ख) पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश	123.48	203.24
ii)	व्यक्तियों को इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	-	-
iii)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	-	-



iv)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को संपाश्वर्क प्रतिभूति माना गया है अर्थात जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	-	-
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	-	-
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर कॉर्पोरेट को मंजूर ऋण	-	-
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	-	-
viii)	शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	-	-
ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	-
x)	उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी एक्सपोजर	75.57	78.15
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	199.05	281.39

ऋण के रणनीतिक पुनर्गठन के एक भाग के रूप में ऋण को इक्विटी में रूपान्तरित करने पर इक्विटी शेयरों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश, जो पूंजी बाजार जोखिम सीमा/विनियामक उच्चतम सीमा/पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतर-समूह जोखिम से मुक्त है, का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026		31.03.2025	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
ऋण को इक्विटी में रूपान्तरण के कारण प्राप्त/आबंटित इक्विटी शेयरों में निवेश, जो पूंजी बाजार जोखिम सीमा/विनियामक अधिकतम सीमा/पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतर-समूह जोखिम से मुक्त हैं।	5	18.46	5	16.35

ग) जोखिम श्रेणीवार देश एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी*	31 मार्च 2026 को एक्सपोजर (निवल)	31 मार्च 2026 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2025 को एक्सपोजर (निवल)	31 मार्च 2025 को धारित प्रावधान
नगण्य	1175.10	-	863.74	-
कम	453.83	-	394.94	-
साधारणतः कम	15.37	-	41.28	-
साधारणतः	24.56	-	146.60	-
साधारणतः उच्च	28.08	-	13.98	-
उच्च	14.43	-	27.68	-
अति उच्च	8.70	-	24.34	-
कुल	1720.07	-	1512.56	-

* जब तक बैंक आंतरिक रेटिंग प्रणालियों की ओर अग्रसर नहीं हो जाते, तब तक बैंक देश के जोखिमों के वर्गीकरण और प्रावधान करने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी) द्वारा अपनाई गई सात-श्रेणी वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करते हैं।



घ) असुरक्षित अग्रिम

अग्रिमों की कुल राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे कि अधिकारों, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है और ऐसे अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य निम्नानुसार है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम	50274.94	39194.95
उपर्युक्त में से, अग्रिमों की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे कि अधिकारों, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया	4238.52	3450.27
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	6220.55	4836.28

ड) फैक्ट्रिंग एक्सपोजर (ट्रेड्स के अंतर्गत)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
दिनांक 30 जुलाई 2015 के डीबीआर संख्या एफएसडी.बीसी.32/24.01.007 / 2015-16 के अनुसार ट्रेड्स एक्सपोजर (पैरा 8)	3605.09	3487.90
कुल	3605.09	3487.90

च) अंतर-समूह एक्सपोजर

बैंक के अंतर-समूह एक्सपोजर का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
1	अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	954.39	1355.21
2	शीर्ष-20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	954.39	1355.21
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर में अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	0.25%	0.50%
4	अंतर-समूह एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण तथा उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	शून्य	शून्य

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
1	इनसे उधारियां (यदि कोई हो)		
	क. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)	शून्य	शून्य
	ख. महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कॉम. प्राइवेट लिमिटेड (मेटको)	शून्य	शून्य
2	इनको उधार (यदि कोई हो)		
	क. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)		
	आज की तिथि तक बकाया एलओसी	0.00 [#]	750.66 [#]
	आईबीपीसी की भागीदारी	954.39	604.55
	ख. महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (मेटको)	शून्य	शून्य



3	इनमें निवेश (यदि कोई हो)		
	क. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)	761.74	311.28
	i. इक्विटी (अधिमान शेयर सहित)	591.64\$	141.17
	ii. बॉण्ड/डिबेंचर	170.11	170.11
	iii कोई अन्य - आवंटन लंबित एमजीबी में निवेश	-	-
	ख. महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (मेटको)	0.15	0.15
	i. इक्विटी (अधिमान शेयर सहित)	0.15	0.15
	ii. बॉण्ड/डिबेंचर	-	-
	iii कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-

* आरबीआई के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे एक्सपोजर नहीं माना जाएगा

31.03.2026 और 31.03.2025 को बकाया

\$ महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के संबंध में, केंद्र सरकार ने दिनांक 07.04.2025 के राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 के माध्यम से विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी) का महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) में विलय अधिसूचित किया, जिसके अंतर्गत बैंक के शेयर के रूप में एमजीबी में रु450.46 करोड़ का निवेश किया गया है।

छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
1	यूएफसीई के कारण किया गए अतिरिक्त प्रावधान	(5.03)	1.43
2	यूएफसीई के कारण धारित वृद्धिशील पूंजी	7.56	49.47

बैंक ने अपने घटकों को दिए गए एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले करेंसी प्रवृत्त ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) को निश्चित करने और एक्सपोजर के मूल्यन के साथ-साथ वृद्धिशील प्रावधानीकरण के द्वारा उसके शमन का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है।

अरक्षित राशि का निर्धारण करने की विधि - बैंक ने आरबीआई परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2025-26/157/डीओआर/सीआरई.आरईसी 76/07-02-001/2025-26 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार अपने ग्राहकों के प्रति अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम की देयता का अनुमान लगाया है।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई):

घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर राशि की गणना करने हेतु रु.10.00 करोड़ एवं अधिक के एक्सपोजर वाले ग्राहकों से आवधिक आधार पर जानकारी मंगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए अगले पांच वर्षों में परिपक्व होनेवाली मदें अथवा नकदी प्रवाह वाली मदों पर ही विचार किया जाता है। इसके अलावा प्रभावी रूप से रक्षित, वित्तीय रूप से रक्षित और/या प्राकृतिक रूप से रक्षित मदों को परस्पर सेट ऑफ किया गया है। (डेरिवेटिव संविदा के माध्यम से वित्तीय रक्षित (अर्थात वायदा संरक्षा) और प्राकृतिक रूप से रक्षित संविदा पर भी विचार किया जा सकता है, जब कंपनी परिचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में से विदेशी करेंसी एक्सपोजर की

जोखिम ऑफ सेट हो गई हो। यूएफसीई का परिकलन करने के उद्देश्य से एक एक्सपोजर को प्राकृतिक रूप से रक्षित माना जाता है यदि उसी लेखांकन वर्ष में ऑफ सेटिंग एक्सपोजर परिपक्व हो रहा हो/या उसके बराबर नकदी प्रवाह हो रहा हो।)

संभावित हानि की मात्रा के अनुमान की पद्धति:

विनिमय दरों में बदलाव के कारण इकाई को होनेवाली हानि की गणना वार्षिक उतार-चढ़ाव पद्धति द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान देखे गए सबसे बड़े वार्षिक उतार-चढ़ाव को विपरीत दिशा में दरों के बदलाव का आधार माना जाता है।

अरक्षित स्थितियों के जोखिम का अनुमान लगाने संबंधी पद्धति तथा तत्संबंधी उपयुक्त प्रावधान

इस प्रकार निकाली गई अनुमानित हानि/ईबीआईडी के आधार पर घटकों की ओर से बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मॉडल के आधार पर समेकित अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का परिकलन किया जाता है। इस प्रकार के एक्सपोजर पर अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

साथ ही, ऐसे घटकों के मूल्यन को भी तदनुसार उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर यूएफसीई को कवर करने हेतु समुचित प्रीमियम सहित पुनर्मूल्यन किया गया है।



ज) सोने और चांदी की संपार्श्विक पर ऋण

i) पात्र स्वर्ण और रजत संपार्श्विक पर दिए गए ऋणों का विवरण -

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	बकाया ऋण		औसत टिकट साइज	औसत एलटीवी अनुपात	सकल एनपीए (%)
	₹ करोड़	कुल ऋण के % के रूप में			
1. वित्तीय वर्ष का आरंभिक शेष (क)+(ख)	15771	-	0.03	69%	0.10%
(क) उपभोग ऋण	6963	44%	0.03	65%	0.05%
जिनमें से एकमुश्त चुकौती ऋण	5661	36%	0.02	64%	0.02%
(ख) आय उत्पन्न करने वाले ऋण	8808	56%	0.03	73%	0.05%
2. वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत और वितरित किए गए नए ऋण (ग)+(घ)	27711	-	0.04	52%	लागू नहीं
(ग) उपभोग ऋण	20458	74%	0.04	51%	लागू नहीं
जिनमें से एकमुश्त चुकौती ऋण	5249	19%	0.03	50%	लागू नहीं
(घ) आय उत्पन्न करने वाले ऋण	7253	26%	0.04	54%	लागू नहीं
3. वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत और वितरित नवीनीकरण	249	-	-	39%	लागू नहीं
4. वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत और वितरित किए गए अतिरिक्त ऋण	-	-	-	-	लागू नहीं
5. वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण (ड)+(च)	20334	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं
(ड) उपभोग ऋण	18061	89%	-	लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से एकमुश्त चुकौती ऋण	3610	18%	-	लागू नहीं	लागू नहीं
(च) आय उत्पन्न करने वाले ऋण	2273	11%	-	लागू नहीं	लागू नहीं
6. वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किए गए गैर-निष्पादित ऋण (छ) + (ज)	487	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं
(छ) उपभोग ऋण	337	69%	-	लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	63	13%	-	लागू नहीं	लागू नहीं
(ज) आय-सृजन ऋण	150	31%	-	लागू नहीं	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाले गए ऋण (झ) + (ञ)	-	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं
(झ) उपभोग ऋण	-	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं
जिनमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	-	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं
(ञ) आय-सृजन ऋण	-	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं
8. वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष (ट) + (ठ)	24265	-	0.04	55%	0.10%
(ट) उपभोग ऋण	10220	42%	0.04	49%	0.05%
जिनमें से बुलेट पुनर्भुगतान ऋण	7298	30%	0.03	50%	0.03%
(ठ) आय-सृजन ऋण	14045	58%	0.04	60%	0.05%

टिप्पणी:

- बैंक समय-समय पर संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- ऋण सुविधाएं) निर्देश, 2025 द्वारा निर्देशित होगा।
- सोने के संपार्श्विक पर ऋणों और चांदी संपार्श्विक पर ऋणों के लिए जानकारी अलग-अलग प्रकट की जा सकती है।
- औसत एलटीवी अनुपात की गणना ऋणों की स्वीकृति के समय उनके एलटीवी के योग और ऐसे ऋणों की संख्या के अनुपात के रूप में की जाती है।
- उपरोक्त बिंदु संख्या 7 - वित्तीय वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाले गए ऋणों में तकनीकी/विवेकपूर्वक बड़े खाते में डाले गए ऋण शामिल नहीं हैं।
- उपरोक्त प्रकटन 01.04.2026 से लागू है। अतः 31.03.2025 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़े नहीं दिए गए हैं।



ii) संपार्श्विक सोने और चांदी और उनकी नीलामी का विवरण

क्र.	विवरण	विवरण
(क)	वित्तीय वर्ष के अंत में अदवाकृत सोना या चांदी का गिरवी रखा गया सामान (ग्राम में)	401
(ख)	उन ऋण खातों की संख्या जिनमें नीलामी आयोजित की गई थी	296
(ग)	(ख) में उल्लिखित ऋण खातों में कुल बकाया राशि (करोड़ में)	5.75
(घ)	वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण भुगतान में चूक के कारण अर्जित सोने या चांदी की गिरवी राशि (ग्राम में)	0
(ङ)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलाम किए गए सोने या चांदी के संपार्श्विक (ग्राम में)	8150
(च)	वित्तीय वर्ष के दौरान नीलामी के माध्यम से प्राप्त की गई वसूली (₹ करोड़ में)	5.75
(छ)	वसूली प्रतिशत:	
(ज)	सोने या चांदी की गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में	100%
(झ)	बकाया ऋण के % के रूप में	100%

टिप्पणी:

- संपार्श्विक का भार और मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- ऋण सुविधाएं) निर्देश, 2025 के अनुसार गणना की जाएगी।
- अदवाकृत सोना या चांदी संपार्श्विक का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-ऋण सुविधाएं) निर्देश, 2025 के अनुसार है।

6

जमा, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा
अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

क) जमाराशियों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	53404.20	45067.36
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	15.23%	14.67%

ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण

अग्रिम की गणना ऋण जोखिम के आधार पर की जाती है। स्वीकृत सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, पर विचार किया गया है। पूर्ण रूप से आहरित अवधि ऋण के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी हिस्से के पुनः आहरण की कोई गुंजाइश नहीं है, बकाया को ऋण जोखिम के रूप में माना गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम राशि	39237.23	32853.40
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	10.89%	10.85%



ग) एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	39500.87	33018.65
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	10.50%	10.36%

घ) एनपीए का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
शीर्ष बीस एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	385.44	432.14
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत.	9.08%	10.33%

7

डेरिवेटिव्स

क) डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	31.03.2026 तक			31.03.2025 तक		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
ब्याज दर डेरिवेटिव						
एमटीएम-आस्तियां	-	-	-	-	-	-
एमटीएम-देयताएँ	-	-	-	-	-	-
लाभ और हानि विभाग में दर्ज निवल लाभ/हानि खाता	-	-	-	-	-	-
विनिमय दर डेरिवेटिव						
एमटीएम-आस्तियां	-	543.24	-	-	123.52	-
एमटीएम-देयताएँ	-	-555.87	-	-	-123.50	-
लाभ और हानि विभाग में दर्ज निवल लाभ/हानि खाता	-	-12.63	-	-	0.02	-
क्रेडिट जोखिम डेरिवेटिव						
एमटीएम-आस्तियां	-	-	-	-	-	-
एमटीएम-देयताएँ	-	-	-	-	-	-
लाभ और हानि विभाग में दर्ज निवल लाभ/हानि खाता	-	-	-	-	-	-
अन्य डेरिवेटिव (निर्दिष्ट करें)						
एमटीएम-आस्तियां	-	-	-	-	-	-
एमटीएम-देयताएँ	-	-	-	-	-	-
लाभ और हानि विभाग में दर्ज निवल लाभ/हानि खाता	-	-	-	-	-	-



ख) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वेप

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2026	31.03.2025
i) स्वेप समझौतों का कल्पित मूल राशि	शून्य	शून्य
ii) प्रतिपक्षों द्वारा समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वेप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वेप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	शून्य	शून्य
v) स्वेप बुक का उचित मूल्य (+) प्राप्त करना/(-) भुगतान करना	शून्य	शून्य

बैंक में आईआरएस/एफआरए के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। व्यक्तिगत एफआरए/आईआरएस/ओआईएस/आईआरएफ/आईआरओ के लिए अधिकतम कल्पित मूल वैल्यू ₹ 200 करोड़ होगी और सभी एफआरए/आईआरएस/ओआईएस/आईआरएफ का कुल बकाया कल्पित मूल वैल्यू ₹ 2000 करोड़ से अधिक नहीं होगा। 31 मार्च 2025 तक बैंक के पास कोई भी बकाया स्वेप नहीं था।

विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
1	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
2	31 मार्च तक एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
3	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया मूल राशि जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य
4	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया है और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य

ग) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

- डेरिवेटिव नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मापन भी शामिल है।
- उक्त की निगरानी के लिए बैंक में प्रतिरक्षण (हेजिंग) व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं।
- तुलनपत्र प्रबंधन हेतु प्रतिरक्षित लेनदेन किए गए हैं। जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है।
- डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। स्वेपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है।
- महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.6 (ii) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बैंक में प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबद्ध करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और वर्तमान एक्सपोजर प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण एक्सपोजर पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं।



मात्रात्मक प्रकटन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वि.व. 2025-26		वि.व. 2024-25	
		करंसी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	करंसी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन राशि)	24365.83	शून्य	25776.35	शून्य
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) के लिए	4507.71	शून्य	3981.59	शून्य
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) के लिए	19858.12	शून्य	21794.76	शून्य
(ii)	बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां*		शून्य		शून्य
	(क) आस्ति (+)	छूट	शून्य	123.52	शून्य
	(ख) देयताएं (-)	12.63	शून्य		शून्य
(iii)	ऋण एक्सपोजर	786.90	शून्य	515.53	शून्य
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)		शून्य		शून्य
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.0253	शून्य	0.0146	शून्य
	(ख) व्यापार डेरिवेटिव पर	0.0025	शून्य	0.0033	शून्य
(v)	वर्ष के दौरान अवलोकित 100*पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम स्तर				
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) पर	अधि: 0.0414 न्यु: 0.0132		अधि: 0.0508 न्यु: 0.0140	
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) पर	अधि: 0.0419 न्यु: 0.0000		अधि: 0.0318 न्यु: 0.0011	

* प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए, जैसा भी मामला हो, निवल स्थिति आस्ति या देयता के अंतर्गत दिखाई जाएगी।

\$ आरबीआई के वर्तमान निर्देशों के अनुसार बैंक डेरिवेटिव उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोजर के मापन पर वर्तमान एक्सपोजर पद्धति को अपना सकता है।

घ) डेरिवेटिव एक्सपोजर पर मानक प्रावधान:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
		ऋण एक्सपोजर*	मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान	ऋण एक्सपोजर*	मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	786.90	3.14	639.05	2.56
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	ऋण चूक स्वेप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	786.90	3.14	639.05	2.56

* ऋण एक्सपोजर की गणना बेसल III के जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है।

ड) ऋण चूक स्वेप (सीडीएस)

वर्ष 2025-26 तथा 2024-25 के दौरान बैंक का कोई ऋण चूक स्वेप (सीडीएस) नहीं है और दिनांक 31 मार्च, 2026 और 31 मार्च, 2025 को यह शून्य है।



8

प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31-03-2026 (सं./राशि)	31-03-2025 (सं./राशि)
1.	निर्माता द्वारा निर्मित संवीक्षा संव्यवहारों के लिए एसपीई धारित आस्तियों की संख्या (बकाया संवीक्षा विगोपनों से संबंधित एसपीवी ही यहां रिपोर्ट किए जाने हैं)	शून्य	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि		
3.	तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर के पास अनुपालन के लिए निर्माता द्वारा धारित विगोपन की कुल राशि		
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन प्रथम हानि अन्य		
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन प्रथम हानि अन्य		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति विगोपन की राशि		
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन		
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य		
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य		
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन		
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य		
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य		
5	संवीक्षा कृत आस्तियों के लिए प्राप्त विक्रय और संवीक्षा के कारण विक्रय पर लाभ/हानि		
6	ऋण संवर्धन, लिक्विडिटी सहयोग, संवीक्षा पश्चात आस्ति सुधार इत्यादि द्वारा प्रदत्त सेवाओं की मात्रा और से मात्रा (बकाया मूल्य)		
7	सुविधा का कार्यनिष्पादन प्रदान किया गया है। कृपया प्रत्येक सुविधा यथा ऋण संवर्धन लिक्विडिटी सहयोग, सुधार एजेंट इत्यादि के लिए अलग से प्रदान करें। प्रदत्त सुविधा के कुल मूल्य के रूप में प्रतिशत का उल्लेख कोष्टक में करें। - चुकता राशि - प्राप्त पुनर्भुगतान - बकाया राशि		
8	विगत में पाए गए संविभाग के औसत चूक दर कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यथा आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से ब्रेक अप प्रदान करें।		
9	समान अंतर्निहित आस्ति पर प्रदत्त अतिरिक्त/टॉप पर ऋण की राशि और संख्या कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यथा आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से ब्रेक अप प्रदान करें।		
10	निवेशक शिकायतें * - प्रत्यक्ष रूप से/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त; - शेष शिकायतें		



9

प्रायोजित ऑफ तुलन पत्र एसपीवी

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	ओवरसीज
शून्य	शून्य

10

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि
(डीईए फंड) को अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
डीईएफ को अंतरित रकम का आरंभिक शेष	1077.33	950.09
जोड़ें - वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित रकम	149.68	152.39
घटाएं - डीईएफ द्वारा दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई रकम	39.98	25.14
डीईएफ को अंतरित रकम का अंतिम शेष	1187.03	*1077.34

जैसा कि ऊपर बताया गया है, डीईए फंड में हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष (*मार्च 2026 और मार्च 2025 के लिए दर्ज किए गए दावे को छोड़कर, जिनकी राशि क्रमशः ₹ 4.55 करोड़ और ₹ 1.12 करोड़ है)। भी अनुसूची 12- आकस्मिक देयताएं- अन्य मदों के अंतर्गत शामिल है जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

11

शिकायतों का प्रकटन

क) लोकपाल के कार्यालयों और ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों पर सारांश जानकारी बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	140	64
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	26805	14632
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	26803	14556
3.1	जिनमें से बैंक द्वारा वापस की गई शिकायतें	629	278
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	142	140
	लोकपाल के कार्यालय की ओर से बैंक को प्राप्त शिकायतें		
5.	लोकपाल के कार्यालय से बैंक को प्राप्त शिकायतों की संख्या	1526	1081
5.1.	5 में से लोकपाल कार्यालय से बैंक के पक्ष में निपटान की गई शिकायतों की संख्या	1003	604
5.2	5 में से लोकपाल कार्यालय से जारी परामर्श मध्यस्थता/समाधान के माध्यम से निपटान की गई शिकायतों की संख्या	523	477
5.3	5 में से बैंक के विरुद्ध लोकपाल कार्यालय द्वारा अवार्ड पारित करने के पश्चात निपटान की गई शिकायतों की संख्या	0	0
6.	निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित न किए गए अवार्ड की संख्या (अपील किए गए निर्णयों को छोड़कर)	0	0

टिप्पणी: विचारणीय शिकायतों से तात्पर्य एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर की गई शिकायतों से है और जो योजना के दायरे में आती हैं।



ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के मुख्य पांच कारण:

शिकायतों का कारण (अर्थात; से संबंधित शिकायत)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 2025-26					
1 ऋण और अग्रिम	8	7527	333.00%	27	0
2 खाता खोलना/खाते के संचालन में कठिनाई	7	5061	221.50%	31	0
3 इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	15	3339	82.35%	20	0
4 एटीएम /डेबिट कार्ड	6	2302	96.08%	16	0
5 बिना सूचना के प्रभार लगाना/ अत्याधिक प्रभार/ फॉरक्लोजर प्रभार	0	205	153.00%	0	0
अन्य	104	8371	1.95%	48	0
कुल	140	26807		142	0
वित्तीय वर्ष 2024-25					
1 इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	4	1831	4%	15	0
2 ऋण और अग्रिम	3	1737	-13%	8	0
3 खाता खोलना/खाते के संचालन में कठिनाई	6	1574	-21%	7	0
4 एटीएम /डेबिट कार्ड	5	1174	6%	6	0
5 वरिष्ठ नागरिकों/ दिव्यांगों हेतु पेन्शन और सुविधाएं	2	105	38%	0	0
अन्य	44	8211	-18%	104	0
कुल	64	14632		140	0

12

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए
दंड का प्रकटन

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	दंड का विवरण/प्रकृति	विव 2025-26	विव 2024-25
1	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत दंड	0.003	0.01
2	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत दंड	0.70	1.32
3	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंस होने के लिए)	-	-

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की ओर से रिवर्स रेपो लेनदेन में कोई चूक नहीं हुई है।



13

पारिश्रमिक का प्रकटन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक	
			वि.व. 2025-26	वि.व. 2024-25
1.	श्री निधु सक्सेना	एम.डी. एवं सीईओ	0.65	0.38
2.	श्री ए. एस. राजीव	एम.डी. एवं सीईओ (22.02.2024 तक)	शून्य	0.24
3.	श्री आशीष पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक (30.09.2025 तक)	0.44	0.63
4.	श्री ए. बी. विजयकुमार	कार्यपालक निदेशक (31.10.2023 तक)	शून्य	0.13
5.	श्री रोहित ऋषि	कार्यपालक निदेशक (03.02.2026 तक)	1.10	0.43
6.	श्री प्रभात किरण	कार्यपालक निदेशक (24.11.2025 से)	0.15	0.00
7.	श्री वी. पी. श्रीवास्तव	मुख्य वित्तीय अधिकारी (31.05.2025 तक)	0.12	0.42
8.	श्री सुनील धूत	मुख्य वित्तीय अधिकारी (31.05.2025 से)	0.28	शून्य
	कुल		2.74	2.23

14

अन्य प्रकटन

क) व्यवसाय अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.78%	7.92%
कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.94%	1.10%
जमाराशियों की लागत	4.52%	4.66%
निवल ब्याज मार्जिन	3.90%	4.00%
कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.88%	2.96%
आस्तियों पर प्रतिफल	1.86%	1.75%
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियां + अग्रिम)		
अंतर-बैंक जमाराशियों को छोड़कर (₹ करोड़ में)	41.07	37.44
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.45	0.38

ख) बैंकएश्योरेन्स व्यवसाय

बैंकएश्योरेन्स और अन्य तृतीय पक्ष (एजेंसी) उत्पादों के अंतर्गत अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज/कमीशन आदि की आय ₹ 60.12 करोड़ (₹ 50.82 करोड़) है। बैंकएश्योरेन्स आय का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	आय का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	44.41	32.52
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	15.68	18.13
3	अन्य बीमा (जैसे कृषि व अन्य) के विक्रय हेतु	0.03	0.11
	कुल	60.12	50.76



ग) विपणन और वितरण

किए गए विपणन और संवितरण कार्यों के (बैंक एश्योरेन्स व्यवसाय को छोड़कर) संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	आय का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	म्युच्युअल फंड विक्रय हेतु	0.07	0.06

घ) प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन

वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के दौरान बेची व खरीदी गई पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	पीएसएलसी की श्रेणी	विक्रय/क्रय	प्रकार	राशि	कमीशन/प्रीमियम
1	पीएसएलसी-कृषि	खरीदी	पीएसएलसी कृषि जनरल	5000.00 (700.00)	63.61 (4.35)

वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बेची गई पीएसएलसी (श्रेणीवार) की मात्रा शून्य है।

इ) लाभ व हानि खाते में व्यय शेष के अंतर्गत प्रदर्शित प्रावधान व आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
1	एनपीए के प्रति प्रावधान	2626.12	2417.32
2	मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान	417.08	1104.54
3	अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	-	-
4	पुनर्गठित निवेश के लिए प्रावधान	-	15.10
5	मानक आस्तियां व अन्य अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.58	0.24
6	अन्य संपत्तियों के लिए प्रावधान - नाममात्र	10.09	18.22
7	धोखाधड़ी के लिए प्रावधान (अग्रिमों को छोड़कर)	24.06	28.87
8	आयकर के लिए प्रावधान (डीटीए के प्रत्यावर्तन सहित)	838.05	202.69
9	अन्य प्रावधान	0.22	3.21
10	आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान	25.43	17.41
	उप जोड़ (क)	3941.63	3807.59
	घटाएं : प्रतिलेखन/समायोजन		
1	टीआईबीडी के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन एफआईटीएल/ब्याज/एसआर टीआईबीडी के लिए प्रावधान	3.08	0.49
2	पुनर्गठित निवेश के लिए प्रावधान को बढ़े खाते में डालना	38.10	-
3	अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान को बढ़े खाते में डालना	3.85	7.86
4	एनपीएलएल के लिए प्रावधान को बढ़े खाते में डालना	90.09	-
	उप जोड़ (ख)	132.12	8.35
	कुल	3806.51	3799.24



च) भारतीय लेखांकन मानक परिवर्तित आईएफआरएस का कार्यान्वयन

1. सलाहकार से जांच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रारूप वित्तीय विवरण (पीएफएस) अर्धवार्षिक (वित्तीय वर्ष 2021-22 से) आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे निदेशक मण्डल द्वारा भी अनुमोदित किया गया है।
2. बैंक ने ओएफएसए समाधान के माध्यम से भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन के लिए एक सलाहकार भी नियुक्त किया है।

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान (जीएसटी सहित)	402.11	346.43
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया (जीएसटी सहित)*	3.33	18.19

* डीआईसीजीसी के निर्देशानुसार अतिरिक्त भुगतान।

ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेन्शन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटन

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में पारिवारिक पेन्शन में वृद्धि के कारण वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार रु. 217.70 करोड़ की अतिरिक्त देयता कार्यान्वित हुई। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त देयता को पूर्ण मान्यता दी और लाभ व हानि खाते को इसे प्रभारित किया।

झ) निगमित को व्यापार ऋण सुविधा के लिए बैंक द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी)।

चालू वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा ₹550.07 करोड़ की राशि के 81 व्यापार ऋण मंजूर किए गए तथा निगमित ग्राहकों को व्यवसाय ऋण के प्रबंध हेतु विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में शाखाओं द्वारा कोई लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी नहीं किए गए।

दिनांक 31 मार्च 2026 तक ₹123.15 करोड़ की राशि के 34 व्यापार ऋण बकाया थे जबकि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹174.18 करोड़ की राशि के 25 व्यापार ऋण बकाया हैं।

ञ) हरित जमा से जुटाए गए धन के उपयोग पर संविभाग-स्तरीय जानकारी

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वि व 2025-26	वि व 2024-25	संचयी*
जुटाई गई कुल हरित जमाराशियां ((क)	67.06	25.17	92.23
हरित जमा निधि का उपयोग**			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा	67.06	4.52	71.58
(2) ऊर्जा दक्षता	-	-	-
(3) स्वच्छ परिवहन	-	-	-
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	-	-	-
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन	-	-	-
(6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण	-	-	-
(7) हरित इमारतें	-	-	-
(8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	-	-	-
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण	-	-	-
आवंटित कुल हरित जमा निधि (ख = 1 से 9 का योग)	67.06	4.52	71.58
आवंटित नहीं की गई ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (ग = क - ख)	0.00	20.65	20.65
हरित जमा आय के अस्थायी आवंटन का विवरण, पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए उनका आवंटन लंबित है	-	-	-

* इसमें तब से संचयी राशि शामिल होगी, जब से आरई द्वारा हरित जमाराशि का प्रस्ताव दिया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक में 1 जून, 2023 से हरित जमा संग्रहण शुरू है, तो 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2026 तक संग्रहीत और आवंटित की गई जमाराशि का विवरण शामिल होगा। इसके अलावा, वर्ष के दौरान संग्रहीत हरित जमा की वास्तविक राशि और ऐसे फंड का उपयोग इस प्रकटीकरण के अंतर्गत दिया जाएगा।

** प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, आरई प्रत्येक उप-क्षेत्र को आवंटित निधि के आधार पर उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आरईएस नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसी उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकता है।



15

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (एस 10):

- एस-10 संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के अनुसरण में स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर वर्ष हेतु रु.45.22 करोड़ (रु.29.46 करोड़) मूल्यहास को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया। रु.45.22 करोड़ (रु.29.46 करोड़) की समतुल्य राशि का पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से राजस्व आरक्षित में अंतरण किया गया।
- बैंकों के कुछ परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। वर्ष के अंत में परिसरों में शामिल ऐसे पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि ₹1864.30 करोड़ (₹ 1443.33 करोड़) है और मूल्यहास घटाने के बाद पुनर्मूल्यांकन की राशि ₹1819.09 करोड़ (₹1413.87 करोड़) है।
कुछ पुनर्मूल्यांकित परिसरों से संबंधित स्वामित्व विलेख, जिनकी लागत ₹9.19 करोड़ (₹9.19 करोड़) है, कुछ लंबे समय से लंबित विवादों/औपचारिकताओं के कारण अभी तक बैंक के पक्ष में निष्पादित/पंजीकृत नहीं किए गए हैं।

- लीज पर दी गई संपत्तियों से संबंधित कुछ मामले लंबित हैं जिनमें आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि बैंक शाखा परिसरों के मकान मालिकों द्वारा लीज विलेखों की समाप्ति के कारण दायर किए गए इन सभी मामलों में बचाव कर रहा है। इनमें से, बैंक अपने दायित्व के रूप में ₹7.97 करोड़ (₹1.05 करोड़) की राशि का लेखा रखता है, जो मूल विलेखों के अनुसार किराए में वृद्धि के कारण है, क्योंकि आधार किराया मकान मालिक को भुगतान किया जाना जारी है। अन्य सभी मामलों में जहां मकान मालिकों ने लाभ का दावा किया है, लाभ की राशि का निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय लाभ की मात्रा को स्पष्ट रूप से निर्धारित न कर दे।
- कार्यप्रगति पर पूंजी में स्थिर आस्तियों (भवन) की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग दिनांक को उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं हैं। कार्य में प्रगति पर पूंजी भवन निर्माण सहित ₹8.01 करोड़ (₹4.25 करोड़) की राशि शामिल है।

16

लेखांकन मानक:

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की सीमा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है:

लेखांकन मानक 3 - नकदी प्रवाह विवरण : बैंक अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसरण में नकद प्रवाह विवरण तैयार करता है।

लेखांकन मानक 5 - अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन : चूंकि आय/व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं, अतः वर्ष को दौरान उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में

प्रभारित/लेखाबद्ध किया है।

लेखांकन मानक 9- राजस्व निर्धारण : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची - 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.2 के अनुसार अतिदेय मीयादी राशि पर देय ब्याज उस ब्याज दर पर वास्तविक आधार पर प्रदान किया जाता है जो दिनांक 02.07.2021 से बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व टीडी पर संविदा ब्याज दर, जो भी कम हो, लागू है।

लेखांकन मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव : वर्ष हेतु विनिमय अंतर के रूप में निवल आय रु.125.68 करोड़ (रु.63.29 करोड़) लाभ और हानि खाते में जमा की गई।

लेखांकन मानक (एस) - 15 (संशोधित 2005) कर्मचारी अनुलाभ

क. सुनिश्चित अंशदान योजनाएं

(राशि ₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2026	31.03.2025
क)	भविष्य निधि	29.80	32.83
ख)	कर्मचारी वेलफेयर निधि में अंशदान वेलफेयर निधि आकस्मिकता	25.00	15.00
ग)	नई पेंशन योजना में अंशदान	158.98	136.50

ख. सुनिश्चित लाभ योजनाएँ:

- पेंशन योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है। यह निधिगत योजना है।
- उपदान योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।
- छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति:** यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचित अवकाश के 255 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है। यह एक निधिगत योजना है।



i. सुनिश्चित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	सुनिश्चित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य	7992.57	7489.74	745.77	621.63	584.17	432.02
2	ब्याज लागत	553.45	480.78	56.85	41.14	44.89	28.77
3	चालू सेवा लागत	252.12	262.96	61.95	49.88	143.65	118.26
4	पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	प्रदत्त लाभ	(759.46)	(797.27)	(46.91)	(66.03)	(27.56)	(41.20)
6	वर्ष हेतु उपचित (लाभ)/हानि	251.57	556.36	22.17	99.15	(43.16)	46.32
7	सुनिश्चित लाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य	8290.25	7992.57	839.83	745.77	701.99	584.17

ii. योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	7988.21	7282.80	725.73	505.01	490.80	374.07
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुर्नअदायगी	580.74	493.77	57.11	35.30	38.63	26.15
3	किया गया अंशदान	349.72	906.61	70.00	240.00	150.00	125.00
4	प्रदत्त लाभ	(759.46)	(797.27)	(46.91)	(66.03)	(27.56)	(41.20)
5	उपचित (लाभ)/हानि	46.70	102.30	4.33	11.45	9.28	6.78
6	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य	8205.91	7988.21	810.26	725.73	661.15	490.80

iii. तुलन पत्र में निर्धारित रकम:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व					
		पेंशन योजनाएं		ग्रेच्युटी योजना		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	सुनिश्चित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	8290.25	7992.57	839.83	745.77	701.99	584.17
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	(8205.91)	(7988.21)	(810.26)	(725.73)	(661.15)	(490.80)
3	निर्धारित निवल देयता	84.34	4.36	29.57	20.04	40.84	93.37
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता	84.34	4.36	29.57	20.04	40.84	93.37



iv. लाभ और हानि लेखा में निर्धारित राशि:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	वर्तमान सेवा लागत	252.12	262.96	61.95	49.88	143.65	118.26
2	ब्याज लागत	553.45	480.78	56.85	41.14	44.89	28.77
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय	(580.74)	(493.77)	(57.11)	(35.30)	(38.63)	(26.15)
4	वर्ष हेतु निवल जीवनांकिक (लाभ)/हानियां	204.87	454.06	17.84	87.70	(52.44)	39.54
5	सेवा पश्चात लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6	निर्धारित व्यय	429.70	704.03	79.53	143.42	97.47	160.42
7	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/(प्रतिलेखित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
8	कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च	429.70	704.03	79.53	143.42	97.47	160.42

v. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	प्रारंभिक निवल देयता	4.36	206.94	20.04	116.62	93.37	57.95
2	निर्धारित व्यय	429.70	704.03	79.53	143.42	97.47	160.42
3	प्रदत्त अंशदान/लाभ	(349.72)	(906.61)	(70.00)	(240.00)	(150.00)	(125.00)
4	समापन निवल देयता	84.34	4.36	29.57	20.04	40.84	93.37

vi. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय	580.74	493.77	57.11	35.30	38.63	26.15
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर जीवनांकिक लाभ (हानि)	46.70	102.30	4.33	11.45	9.28	6.78
3	योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय	627.44	596.07	61.44	46.75	47.91	32.93

vii. मूल जीवनांकिक मान्यताएं (धारित औसतों के रूप में व्यक्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना		छुट्टी नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	छूट की दर	7.27%	6.78%	7.87%	6.99%	7.87%	6.99%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय	7.27%	6.78%	7.87%	6.99%	7.87%	6.99%
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%



ग. अन्य दीर्घावधि लाभ:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई	
		31.03.2026	31.03.2025
1	पुनर्स्थापन भत्ता	-	-
2	छुट्टी किराया रियायत	41.40	27.77
3	रजत जयंती पुरस्कार	-	0.38
	कुल	41.40	28.15

लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग: बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है:

भाग क : व्यवसाय खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यवसाय क्षेत्र विवरण	ट्रेजरी		संस्थागत/थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
राजस्व	6979.46	5877.89	11085.68	9803.30	14552.99	12472.18	204.40	248.25	32822.53	28401.62
परिणाम	1495.88	1356.29	3093.85	2708.00	3164.14	1597.55	103.50	60.64	7857.37	5722.48
अनाबंटित व्यय		-	-							
परिचालन लाभ									10825.82	9319.03
कर आस्थगित करें सहित									838.05	202.69
असाधारण लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ*									7019.32	5519.79
क्षेत्र आस्तियां	120753.58	112037.06	141849.39	126307.60	150320.71	113803.41	11774.39	14599.42	424698.07	366747.48
अनाबंटित आस्तियां									2664.66	2394.67
कुल आस्तियां									427362.73	369142.15
खंड देयताएं	118794.53	110679.11	130054.93	114554.24	134191.91	102744.02	11213.55	11521.79	394254.91	339499.15
अनाबंटित देयताएं									0.00	1153.73
पूंजी और अन्य प्रारक्षितियां									33107.82	28489.26
कुल देयताएं									427362.73	369142.15

* सभी प्रावधानों और आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए निवल लाभ की गणना की जाती है।



वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर आरबीआई का मास्टर निर्देश - रिटेल बैंकिंग को (क) डिजिटल बैंकिंग (आरबीआई परिपत्र या 07 अप्रैल, 2022 को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना में परिभाषित किया गया है) और (ख) अन्य खुदरा बैंकिंग खंड में उप-विभाजित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, खुदरा बैंकिंग खंड के खण्डनुसार परिणाम नीचे दिए गए अनुसार उप-विभाजित किए गए हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	राजस्व खंड		परिणाम खंड		संपत्ति खंड		देयताएं खंड	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
i	डिजिटल बैंकिंग	1.00	0.44	(1.09)	(1.29)	15.04	9.35	19.69	12.90
ii	अन्य रिटेल बैंकिंग	14551.99	12471.74	3165.23	1598.84	150305.67	113794.06	134172.22	102731.12
कुल	रिटेल बैंकिंग	14552.99	12472.18	3164.14	1597.55	150320.71	113803.41	134191.91	102744.02

- क) ट्रेजरी खंड में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली संबंधित आय शामिल हैं।
- ख) संस्थागत/थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कम्पनियों, सांविधिक निकायों और वैयक्तिक को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है।
- ग) रिटेल बैंकिंग खंड में संस्था/संबंधित को विगोपन शामिल है जहां
- i) कुल औसत वार्षिक टर्न ओवर रु.50.00 करोड़ से कम है और
- ii) एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और
- iii) एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम समग्र निवेश रु.7.50 करोड़ तक है।
- घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।
- ङ) ब्याज आय को थोक बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर आवंटित किया जाता है। थोक बैंकिंग के लिए प्राप्त कुल ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले लिया जाता है।
- च) थोक बैंकिंग/रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर सीधे देय नहीं किए गए व्यय का आवंटन किया जाता है। ट्रेजरी परिचालनों के खर्च ट्रेजरी परिचालन से उपलब्ध विवरण के अनुसार हैं
- छ) प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित खंड की संपत्ति के अनुपात में आवंटित किया गया है।

भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

भौगोलिक क्षेत्र	2025-26			2024-25		
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	कुल	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	कुल
राजस्व	32778.90	43.63	32822.53	28401.62	लागू नहीं	28401.62
आस्ति	423799.53	3563.20	427362.73	369142.16	लागू नहीं	369142.16

गिफ्ट आईबीयू केवल वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ही परिचालन में रहा है, इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खंड की रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्ष प्रकटन

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं

संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध

- क) बैंक की अनुषंगी कंपनी : दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
- ख) बैंक की सहायक संस्था : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक - ऊपर बिंदु क्र. 13 में ब्यौरे दिए गए हैं।
- घ) प्रायोजक ट्रस्ट - ग्रामीण व बालक विकास मंडल
- ङ) प्रायोजक ट्रस्ट - महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन
- च) पेंशन के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट - बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी पेंशन फंड



- छ) ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट - बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड
- ज) भविष्य निधि के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट - बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी भविष्य निधि
- झ) अवकाश नकदीकरण के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट - बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी विशेषाधिकार अवकाश नकदीकरण निधि ट्रस्ट

संबद्ध पक्षों से संव्यवहार :

संबद्ध पक्षों के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखा मानक (एस 18) के अनुच्छेद 9 के अनुसार राज्य नियंत्रित उद्यम हैं। एस 18 के पैरा 5 के संदर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में संव्यवहार का खुलासा नहीं किया गया है, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार शामिल हैं।

लेखांकन मानक-19 - लीज

वित्तीय लीज : लीज जिसके अंतर्गत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय लीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या लीज के आरंभ में लीज भुगतान के मूल्य पर, जो भी कम हो, लिया व पूँजीकृत किया गया है।

परिचालन लीज: परिचालन लीज बैंक के विकल्प पर निरस्त किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालन लीज के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त लीज व्यय की राशि ₹300.37 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹252.04 करोड़) है।

लेखांकन मानक-20 - प्रति शेयर अर्जन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
मूल ई.पी.एस.	₹ 9.13	₹ 7.48
अनुकृत ई.पी.एस.	₹ 9.13	₹ 7.48
मूल/अनुकृत ई.पी.एस. की गणना		
क) कर उपरांत निवल लाभ (रु. लाख में)	7019.32	5519.79
ख) ईक्रीटी शेयरों की भारत औसत संख्या (संख्या लाख में)	769.16	737.89
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन (क) विभाजित (ख) द्वारा	₹ 9.13	₹ 7.48
घ) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण :

सहायक कंपनी अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों को मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. के परिणामों में क्रमशः लेखांकन मानक 23 और लेखांकन मानक 21 के अनुपालन में समेकित किया गया है।

लेखांकन मानक 22 - आय पर कर हेतु लेखांकन

क) वर्तमान कर

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने चालू कर के मद में लाभ एवं हानि खाते में रु.855.29 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शून्य) डेबिट किए हैं। चालू कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

ख) आस्थगित कर

बैंक द्वारा की गई समीक्षा और भविष्य में कर योग्य आय की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर, जिसके विरुद्ध संचित हानियों, अशोध एवं संदिग्ध ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभ आदि के प्रावधान के कारण उत्पन्न समय अंतरों का भुगतान किया जा सकता है, बैंक ने एस 22 के अनुपालन में आय पर करों का लेखांकन किया है। तदनुसार, आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं:



(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानियों के कारण *	शून्य	शून्य
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	31.72	26.67
3) एएफएस रिजर्व (एएफएस रिजर्व से निर्मित) के रूप में	121.92	--
4) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है.	752.50	740.31
उप जोड़ (क)	906.14	766.98
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	12.90	12.90
2) एएफएस आरक्षित के कारण (एएफएस आरक्षित से निर्मित)	--	117.28
उप जोड़ (ख)	12.90	130.18
निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)	893.24	636.80

जैसा कि बैंक ने वि.व. 2021-22 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीए के अंतर्गत अनुमत कम कर दर का विकल्प चुना है, आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

लेखांकन मानक 24 - परिचालनों का समापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/परिचालनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा है और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि - 3 वर्ष

परिशोधन दर - 33.33%

परिशोधन पद्धति - लागत पर सरल रेखा पद्धति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	77.42	95.83
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	107.33	44.89
वर्ष के दौरान परिशोधन	61.68	63.30
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	123.07	77.42

लेखांकन मानक - 28 - आस्तियों की हानि :

जब भी कोई घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो आस्तियों की वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है कि किसी संपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। किसी आस्ति की वसूली और उपयोग की जाने वाली आस्ति भविष्य की निवल रियायती नकदी प्रवाह के लिए एक आस्ति की वहन राशि के लिए एक तुलना द्वारा मापा जाता है जो संपत्ति द्वारा उत्पन्न होना अपेक्षित है। यदि इस तरह की संपत्ति को हानि माना जाता है, तो मान्यता प्राप्त होने वाली हानि और उस राशि से मापी जाती है जिसके द्वारा आस्ति की वहन राशि संपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। हालांकि, बैंक के प्रबंधन की राय में, उस वर्ष के दौरान आस्तियों को भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 - आस्तियों का नुकसान लागू होता है।



लेखांकन मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां - वर्ष के अंत तक ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए बैंक के प्रति दावे

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
बकाया शेष (बैंक के विरुद्ध दावे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए)	1343.25	1356.67
धारित प्रावधान	7.01	6.79

17

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के संबंध में, केंद्र सरकार ने दिनांक 07.04.2025 के राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 के माध्यम से विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी) का महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) में विलय अधिसूचित किया। तदनुसार, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (जिसमें 35% हिस्सेदारी है) में 1 मई 2025 से विलय हो गया है।

- इसके अतिरिक्त, वीकेजीबी और एमजीबी के उपरोक्त विलय के कारण, सहयोगी कंपनी में बैंक के निवेश की वहन राशि, जो कि ₹ 380.02 करोड़ है, को निम्नानुसार समायोजित किया गया है:
- बैंक ने अपनी सहयोगी कंपनी का मूल्यांकन किया और तदनुसार वर्ष के दौरान बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में ₹ 280.59 करोड़ का हानि घाटा दर्ज किया गया।

एस-23 'सहयोगी कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन' के अनुसार, ₹ 99.43 करोड़ की शेष राशि को समेकित वित्तीय विवरणों के आरक्षित और अधिशेष में समायोजित किया गया है।

18

बोर्ड ने शेयरधारकों की आवश्यक स्वीकृति के अधीन, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹.1.20 (अर्थात प्रति इक्विटी शेयर ₹.10 के अंकित मूल्य पर 12%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यदि यह अंतिम लाभांश स्वीकृत हो जाता है, तो यह वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किए गए प्रति इक्विटी शेयर ₹.1.00 (10%) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त होगा।

19

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, उन्हें पुनर्वर्गीकृत/पुनर्समूहबद्ध किया गया है।



31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (एकल) का विवरण

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
आय				
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज	29281,64,24		24947,45,17	
एसोसिएट्स में आय/हानि का भाग	3540,88,90	32822,53,14	3454,17,31	28401,62,48
अन्य आय				
घटाएं: व्यय व प्रावधान				
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज	15617,57,67		13281,88,09	
परिचालन व्यय	6379,13,13		5800,71,49	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3806,50,53	25803,21,33	3799,24,31	22881,83,89
व्यय से आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि		7019,31,81		5519,78,59
जोडे: गैर नकदी मर्दे एवं अलग विचारित मर्दे				
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3806,50,53		3799,24,31	
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	343,56,48		290,57,12	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि	-1,75,38		-,37,51	
बॉण्ड, पीसीपीएस व पीडीआई पर ब्याज	684,22,91		581,30,25	
निवेश/विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षिति के उचित मूल्यांकन के कारण आरक्षिति में हुई वृद्धि/कमी	-693,64,94	4138,89,60	468,93,75	5139,67,92
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल)		11158,21,41		10659,46,51
		905,00,00		-
परिचालन से अर्जित नकद लाभ (I)		10253,21,41		10659,46,51
परिचालन देयताओं की वृद्धि/(कमी) :				
जमाराशियां	43421,76,88		36395,43,69	
बॉण्ड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां	11381,06,05		13310,66,00	
अन्य देयताएं व प्रावधान	-4776,57,69		-3301,74,04	
परिचालन देयताओं में कुल वृद्धि	50026,25,24		46404,35,65	
घटाएं : परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी)				
निवेश	19024,91,61		13730,67,10	
अग्रिम	52020,50,69		35843,91,10	
अन्य आस्तियां	222,83,84		-159,48,02	
परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि	71268,26,14		49415,10,18	
परिचालन आस्तियों से परिचालन देयताओं में निवल वृद्धि (II)		-21242,00,90		-3010,74,53
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क) = (I+II)		-10988,79,49		7648,71,98



(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
i) सहयोगी संस्थाओं में निवेश	-450,46,03		-	
ii) निवेश विक्रय कर पूंजी आरक्षित निधि में हस्तांतरित	2,51,60		-	
iii) अचल संपत्तियों का विक्रय	16,13,31		3,55,33	
iv) अचल संपत्तियों का क्रय	-421,59,82		-519,37,21	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (I)		-853,40,94		-515,81,88
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
i) बॉण्ड को जारी/(मोचन) करना	-		2823,00,00	
ii) वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	-1922,88,87		-991,39,23	
iii) बॉण्ड, पीसीपीएस व पीडीआई पर ब्याज	-684,22,91		-581,30,25	
iv) ईक्विटी शेयर्स जारी करना	-		3500,00,00	
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)		-2607,11,78		4750,30,52
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		-14449,32,21		11883,20,63
द्वारा प्रतिनिधित्व -				
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष				
नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष		37992,99,37		21161,33,96
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन		4201,87,42		9150,32,20
उप योग		42194,86,79		30311,66,16
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष				
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष		26645,30,97		37992,99,37
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन		1100,23,61		4201,87,42
उप योग		27745,54,58		42194,86,79
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह		-14449,32,21		11883,20,63

नोट : पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः एकत्रित एवं पुनः वर्गीकृत किया गया है।

प्रसेनजीत फडणवीस निदेशक	प्रवीण कुमार निदेशक	संजीव प्रकाश निदेशक	डॉ. अभिजीत फुकन निदेशक
सुशांता कुमार मोहंती कार्यपालक निदेशक	प्रभात किरण कार्यपालक निदेशक		निधु सक्सेना प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
नितेश कुमार जैन सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा	केयूर तलाटी सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा		सुनील धूत मुख्य वित्तीय अधिकारी
हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार			
कृते मेसर्स जी डी आप्टे एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन-100515W सीए सी एम दीक्षित भागीदार सदस्यता क्र. : 017532 यूडीआईएन - 26017532CZPHSA4265	कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन-106041W/W100136 सीए वितेश डी गांधी भागीदार सदस्यता क्र. : 110248 यूडीआईएन - 26110248ASJPHX4461	कृते मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन-003510S सीए डी मनोहर भागीदार सदस्यता क्र. : 029644 यूडीआईएन - 26029644IVILKV8957	कृते मेसर्स एस सिंघल एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन-001526C सीए मुकेश कुमार खंडेलवाल भागीदार सदस्यता क्र. : 074661 यूडीआईएन - 26074661FPGZFT2758
स्थान : पुणे 20 अप्रैल, 2026			



मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कंपनी सनदी लेखाकार डी-509, नीलकंठ बिजनेस पार्क, नथानी रोड, विद्या विहार पश्चिम, मुंबई - 400086.	मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार चौथी मंजिल, कैपिटल वन, अशोक वाटिका बीआरटीएस स्टॉप के सामने, अंबली बोपल रोड, अहमदाबाद 380058
मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एच. नं. 6-3-244/5 शारदादेवी स्ट्रीट प्रेमनगर, हैदराबाद - 500004	मेसर्स एस. सिंघल एंड कंपनी सनदी लेखाकार एस-4, गोर्धन एन्क्लेव, 4बी, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
भारत के राष्ट्रपति एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्यगण
एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित होता है और
ग. नकदी प्रवाह विवरण उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए
उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत

- हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं, साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ भी शामिल हैं। इनमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित प्रधान कार्यालय, 20 शाखाओं और एक ट्रेजरी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के उस तिथि को समाप्त वर्ष के विवरण और बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 633 शाखाओं (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में स्थित 1 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई सहित) के विवरणियां सम्मिलित हैं।

हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण में 2132 शाखाएं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 21.45%, जमाराशियों में 47.35%, ब्याज आय में 21.80% तथा ब्याज व्यय में 47.65% हिस्सा है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित तथा बैंक के लिए आवश्यक सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप जानकारी प्रदान करता है और:

- तुलन पत्र को उस पर लिखी गई टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर यह एक पूर्ण और उचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरणियां शामिल हैं और इसे उचित रूप से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2026 को बैंक की स्थिति के विषय में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके;
- लाभ व हानि खातों के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

अभिमत का आधार

- हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वर्णन अपनी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से साथ ही भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए एकल वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं से स्वतंत्र हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

मामले का ज़ोर

- हम एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 4(एक्स) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बैंक ने 31 मार्च 2026 तक आकस्मिकता प्रावधान के रूप में ₹ 1010 करोड़ की अतिरिक्त कोविड-19 संबंधित राशि धारित की है।
- हम एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 17 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सहयोगी महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में निवेश के संबंध में, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के साथ समामेलन के परिणामस्वरूप, एकल वित्तीय विवरणों में ₹ 280.59 करोड़ की हानि को मंजूरी दी गई है

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।



प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

5. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और

उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक के आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान (आईआरएसीपी) संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन: (31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न और उसके भाग के रूप में तुलन-पत्र की अनुसूची 9 और अनुसूची 17 के नोट संख्या 4 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां देखें।) 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, अग्रिम बैंक की कुल आस्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग 67.41% हैं। अग्रिमों में खरीदे गए और भुनाए गए बिल, नकद ऋण (कैश क्रेडिट), अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट), मांग पर प्रतिदेय ऋण और सावधि ऋण शामिल हैं। इन्हें आगे सुरक्षा, गारंटी और क्षेत्रों (सेक्टर) के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बैंक, वित्तीय वर्ष के लिए यथा लागू आयनिर्धारण आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों हेतु प्रावधान (आईआरएसीपी) और अग्रिमों हेतु प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों में निहित भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी मास्टर परिपत्रों/निर्देशों के आधार पर अग्रिमों को निष्पादित अग्रिमों (परफॉर्मिंग एडवांस) या अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में वर्गीकृत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश/दिशानिर्देश बैंक द्वारा स्वीकृत सभी ऋण सुविधाओं पर लागू होते हैं और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के उद्देश्य से इनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है। बैंक का आईटी परिवेश जटिल है और इसमें कई स्वतंत्र और एक-दूसरे पर निर्भर आईटी प्रणालियां (कोर बैंकिंग सिस्टम - सीबीएस सहित) शामिल हैं, जिनका उपयोग बैंक के कार्यों में बड़ी मात्रा में लेनदेन के प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए ऐसी आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता है। बैंक अनर्जक आस्तियों की पहचान, उसके आगे के वर्गीकरण, प्रावधान और लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए अपने सीबीएस पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, बैंक ऐसे अग्रिमों के बदले ली गई प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और उनकी प्रवर्तनीयता निर्धारित करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों, जैसे कि स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं, विधि विशेषज्ञों आदि की सेवाएं भी लेता है। अत्यधिक जटिलता को ध्यान में रखते हुए, अग्रिमों के वर्गीकरण, प्रावधान और आरबीआई के आईआरएसीपी दिशानिर्देशों के अनुपालन	बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में दोनों का संयोजन शामिल था आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण, संबंधित प्रक्रियाएं और अग्रिमों के वर्गीकरण तथा आरबीआई के आईआरएसीपी दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में पर्याप्त प्रक्रियाएं (सबस्टैंटिव प्रोसीजर्स)। हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: क. अनर्जक आस्तियों की पहचान, वर्गीकरण और प्रावधान के लिए आईआरएसीपी मानदंडों के अनुपालन हेतु सीबीएस और अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में प्रयुक्त तर्क (लॉजिक) और मान्यताओं की समीक्षा करना। ख. अनर्जक आस्तियों की सिस्टम-आधारित पहचान और वर्गीकरण में आवश्यक मैनुअल हस्तक्षेप के संबंध में जानकारी प्राप्त की, तथा ऐसे मैनुअल हस्तक्षेपों के लिए प्रतिपूरक नियंत्रणों का मूल्यांकन किया, जिसमें उनके प्राधिकरण, समीक्षा और रिपोर्टिंग तंत्र शामिल हैं। ग. अग्रिमों से संबंधित जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) प्राप्त की और उसकी समीक्षा की, तथा अग्रिमों के वर्गीकरण और उनके प्रावधान के संबंध में प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। घ. सीबीएस में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान प्रक्रिया पर आईटी सामान्य नियंत्रणों के परीक्षण के लिए हमारे आंतरिक आईटी विशेषज्ञ को शामिल किया। ङ. सैंपल के आधार पर अतिदेय राशि, देय तिथि के बाद के दिनों की पुनर्गणना की और परीक्षण किया कि क्या खातों को तदनुसार निष्पादित/एसएमए/अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक के बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं के केंद्रीय भंडार (क्रिलक) को दी गई रिपोर्टिंग, अनर्जक आस्तियों की तिथियों (अनर्जक आस्ति खातों के मामले में) का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया कि आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की नीति के अनुसार प्रावधान लागू किए गए हैं। च. कुल अग्रिमों, अनर्जक आस्तियों और दबावग्रस्त पोर्टफोलियो के उतार-चढ़ाव के रुझानों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित कीं।



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.	के लिए प्रबंधन के विवेक, अनुमानों और विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों कारकों के अनुप्रयोग के काफी उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। यदि अग्रिमों के वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में आरबीआई के आईआरएसीपी दिशानिर्देशों का उचित रूप से पालन नहीं किया जाता है, तो महत्वपूर्ण गलत विवरण (मटेरियल मिसस्टेटमेंट) का बड़ा जोखिम बना रहता है। तदनुसार, 'स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के संप्रेषण' संबंधी मानक (एसए 701) के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमने इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे मुख्य लेखा परीक्षा मामले के रूप में अभिनिर्धारित किया है।	छ. नियंत्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण के अस्तित्व और प्रभावशीलता, नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन, शक्तियों के प्रत्यायोजन, नियंत्रक कार्यालयों के निर्देशों, अनुपालन और प्रशासन तंत्र आदि का आकलन करने के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा (कन्करेंट ऑडिट), आंतरिक निरीक्षण, प्रबंधन लेखा परीक्षा, राजस्व लेखा परीक्षा, उत्पाद स्तर पर आईआरएसीपी तर्क की लेखा परीक्षा, विनियामक लेखा परीक्षा आदि की रिपोर्ट परीक्षण के आधार पर प्राप्त की और उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। ज. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं, बड़े अग्रिमों की विशेष निगरानी के लिए एजेंसियों की रिपोर्टों, ऋण/स्टॉक लेखा परीक्षकों, ऋणदाताओं के स्वतंत्र इंजीनियरों आदि द्वारा जारी रिपोर्टों की समीक्षा और अध्ययन सहित संबंधित शाखाओं के समग्र पोर्टफोलियो को कवर करते हुए बड़े, दबावग्रस्त, पुनर्गठित और अन्य अग्रिमों के परीक्षण के माध्यम से सारभूत लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित कीं, तथा शाखा स्तर पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। झ. एसए 600 अन्य लेखा परीक्षकों के कार्य के उपयोग के अनुसार, सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) के साथ संवाद किया ताकि उन्हें आईआरएसीपी दिशानिर्देशों और बैंक द्वारा अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में लागू मानदंडों के अनुपालन का सत्यापन करने की सलाह दी जा सके। सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और उन पर भरोसा किया। ञ. अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में अग्रिमों और अनर्जक आस्तियों के समेकन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की और उसे समझा। सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए नमूना आधार पर समेकन प्रक्रिया की जाँच की। ट. हमारी सारभूत लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में, बैंक द्वारा तैयार किए गए प्रावधानों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, सामूहिक पोर्टफोलियो आधार पर मानक श्रेणी के अंतर्गत अग्रिमों और अनर्जक आस्तियों के संबंध में मामला-दर-मामला आधार पर रिटेल तथा कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो हेतु नमूना आधार पर प्रावधानों की पुनर्गणना की। ठ. लागू लेखांकन मानकों और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की।



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
2.	निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण: (तुलन-पत्र की अनुसूची 8 और एकल वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची 17 के नोट संख्या 3 देखें।) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल है, जिन्हें तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है: परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) जिसमें व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) की उपश्रेणी शामिल है। 31 मार्च, 2026 तक बैंक की कुल आस्तियों में निवेश का हिस्सा 23.75% है और 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष हेतु बैंक की कुल आय में से निवेश पर मिलने वाला ब्याज 19.86% है। यह आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, निवेशों पर आय की मान्यता, एनपीआई की पहचान, आय की संबंधित गैर-मान्यता और उनके विरुद्ध प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित मूल्यांकन श्रेणी के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे फिन्डा (एफआईएमएमडीए)/एफबीआईएल दरों, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरों, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों, म्यूचुअल फंड के एनएवी, एआईएफ, वीसीएफ, प्रतिभूति रसीदों आदि से डाटा/सूचना का संग्रह शामिल है। निवेश मूल्यांकन में शामिल जटिलता और महत्वपूर्ण निर्णय, लेनदेन की मात्रा, निवेश पोर्टफोलियो के आकार और बढ़ते विनियामक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हमारी लेखा परीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, उनके वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और संबंधित प्रावधान पर केंद्रित थी। तदनुसार, इस क्षेत्र को एक मुख्य लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।	आरबीआई परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में वर्गीकरण, मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों, संबंधित प्रक्रिया और मूल प्रक्रियाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण का संयोजन शामिल था। निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: क) हमने निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, आय की मान्यता, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धति और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को समझा और उसकी समीक्षा की; ख) हमने निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले निवेशों के प्रमुख नियमों और शर्तों की समझ प्राप्त करने के लिए, वर्ष के दौरान निष्पादित निवेश समझौतों, टर्म शीट, डील टिकटों और ब्रोकर अनुबंध नोट्स की नमूना आधार पर समीक्षा की है। ग) निवेश के चयनित नमूने के लिए, प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी हेतु उनके अस्तित्व, सत्यता, पूर्णता और आरबीआई के दिशानिर्देशों तथा निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन इस प्रकार किया गया था कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) इसमें शामिल हो सकें। घ) नमूना आधार पर निवेश पोर्टफोलियो का सत्यापन किया और आय, बिक्री पर लाभ/हानि के निर्धारण में विभिन्न मूल विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं कीं और लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में पहचानने में बैंक द्वारा लागू किए गए नियंत्रणों का परीक्षण किया। ङ) हमने नियंत्रणों के डिजाइन और कार्यान्वयन का आकलन किया तथा निवेशों के उचित मूल्य के निर्धारण हेतु विभिन्न स्रोतों से सूचना के संग्रह और एकत्रीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। इसके अतिरिक्त, हमने लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करके गैर-सूचीबद्ध निवेशों के संबंध में, परीक्षण जाँच (टेस्ट चेक) के आधार पर, स्वतंत्र मूल्यांकन प्रक्रियाएं निष्पादित कीं और परिणामों की तुलना प्रबंधन द्वारा निर्धारित मूल्यों के साथ की। च) हमने आरबीआई द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों के संदर्भ में, आय की संबंधित वापसी और प्रावधानों के सृजन सहित, अनर्जक निवेशों की पहचान की प्रक्रिया का आकलन किया है। अनर्जक



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
2.		निवेश वर्गीकरण के लिए आरबीआई के मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के निवेशों का नमूना आधार पर परीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, प्रासंगिक आरबीआई परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार, बनाए रखे जाने वाले आवश्यक प्रावधानों और मूल्यहास की स्वतंत्र पुनर्गणना सहित मूल प्रक्रियाएं निष्पादित कीं। छ) बैंक द्वारा की गई आंतरिक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा आदि की रिपोर्टों की समीक्षा की गई। ज) यह सुनिश्चित किया कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों में नोट्स के माध्यम से पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं।
3.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा : बैंक में जटिल सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन को संसाधित करने और रिकॉर्ड करने के लिए बैंक के दिन-प्रतिदिन के संचालन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परस्पर निर्भर आईटी प्रणालियाँ और अनुप्रयोग शामिल हैं। इसके अलावा बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), ट्रेजरी समाधान, आईआरएसी और अन्य संबद्ध प्रणालियों, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर हैं। स्वचालन के उच्च स्तर, आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता, आईटी प्रणालियों के एक साथ और महत्वपूर्ण उपयोग को ध्यान में रखते हुए, उचित आईटी सामान्य नियंत्रण और अनुप्रयोग नियंत्रण की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी आईटी प्रणालियाँ विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपेक्षित रूप से, पूरी तरह से, सटीक और लगातार डाटा को संसाधित करने में सक्षम हों। इसलिए, आईटी प्रणाली नियंत्रण को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है क्योंकि कोई भी नियंत्रण चूक, सत्यापन विफलता, गलत इनपुट डाटा और डाटा का गलत निष्कर्षण प्रबंधन और नियामकों को गलत रिपोर्टिंग का कारण बन सकता है।	हमारी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: क) हमने अपनी आंतरिक आईएस लेखापरीक्षा टीम को शामिल किया और वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए बैंक के आईटी संबंधित नियंत्रण वातावरण, आईटी अनुप्रयोगों की जानकारी प्राप्त की। ख) इस उद्देश्य के लिए, हमने बैंक द्वारा लागू की गई विभिन्न आईटी नीतियों, प्रोसेस और पद्धति के संबंध में प्रोसेस ओनर्स के साथ चर्चा की। उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, बैकअप और पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं, प्रणाली और साइबर सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रियाओं, कर्तव्यों का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर के समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित इन आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और इस संबंध में प्रासंगिक नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं। ग) आईटी अनुप्रयोगों पर बैंक के आईटी नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। आईटी सामान्य नियंत्रणों और विशेष रूप से तार्किक पहुँच, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के पहलुओं का परीक्षण किया। घ) प्रणाली तक पहुँच के अनुरोधों की उचित समीक्षा और उनके प्राधिकरण का परीक्षण किया गया; एक्सेस अधिकारों की आवधिक समीक्षा हेतु बैंक में उपलब्ध नियंत्रणों का परीक्षण किया; उचित अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए प्रणाली में परिवर्तन के अनुरोधों का निरीक्षण किया। ड) आंतरिक/बाहरी आईएस लेखापरीक्षक, बैंक द्वारा नियुक्त सलाहकारों द्वारा विभिन्न विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा की और उन पर विश्वसनीयता दिखाई तथा आईआरएसी



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
3.		ऑटोमेशन कंट्रोल सहित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की। च) उपर्युक्त के अलावा, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था। छ) नमूना आधार पर, प्रणाली से प्राप्त परिणामों को अन्य सूचना स्रोतों के साथ सत्यापित किया; और डाटा निकालने के लिए उपयोग किए गए तर्क का परीक्षण किया। ज) क्षतिपूर्ति नियंत्रणों या सुधारित नियंत्रणों के संयोजन का परीक्षण किया जैसे कि प्रणाली और अन्य सूचना स्रोतों के बीच मिलान और/या वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जहां आवश्यक हो, निष्पादित की गईं।
4.	प्रावधान और आकस्मिक देयताएं : अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण (अनुसूची 17 की नोट क्र.10 और अनुसूची 18 की नोट क्र.16) के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है।	प्रावधानों और आकस्मिक देयता की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: क) हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है। ख) मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; ग) प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। घ) हमने संभावित बहिर्वाह (आउटफ्लो) और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा की। इन अनिश्चित कर/गैर-कर स्थितियों पर प्रबंधन के रुख का मूल्यांकन करने में कानूनी पूर्ववृत्त और अन्य फैसलों पर विचार किया गया। इसके अलावा हमने ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में संभावित बहिर्वाह के लिए प्रबंधन के विवेक, बैंकिंग स्तर के विचार-विमर्श और अनुमानों तथा बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों की राय पर भरोसा किया है। ङ) महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया। च) तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
4.		छ) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य पर भरोसा और शाखा लेखा परीक्षा/प्रधान कार्यालय में उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी के आधार पर प्रविष्ट की गई सुधारक प्रविष्टियां।

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और अनुबंधों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है (लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसके इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

यदि, इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि से पहले प्राप्त अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस मामले में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण (मटेरियल मिसस्टेटमेंट) है, तो हमारे लिए उस मामले को प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को संप्रेषित करना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारित का उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय एकल विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जो समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों, जहाँ तक लागू हो, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान

और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण हैं, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उक्तानुसार होल्टिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन बैंक को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी जिम्मेदार हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या एकल वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त:

- वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। गलत बयानी का पता



नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों के उपयुक्त हैं। जैसा कि 17 मार्च, 2020 के आरबीआई के पत्र डीओएस.एआरजी संख्या 6270/08.91.001/2019-20 (यथा संशोधित) द्वारा अपेक्षित है, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या बैंक के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और क्या ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता संतोषजनक है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।
- प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि हमारा निष्कर्ष यह होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी एकल लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करना।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों के साथ संवाद करते हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची

और अन्य मामलों के संबंधित हैं।

हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है, जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि ऐसे किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

अन्य मामले

- क. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 633 शाखाओं (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में स्थित 1 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई सहित) के वित्तीय विवरणों/ जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2026 को रु. 102743.26 करोड़ के कुल अग्रिम, रु. 168025.14 करोड़ की कुल जमाराशियां दर्शाती है और जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष को रु. 11816.13 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। ये शाखाएं 31 मार्च, 2026 तक 35.19% अग्रिम, 47.93% जमाराशियां, 44.83% अनर्जक आस्तियों और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए 36.00% राजस्व को कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं को शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, हमारी राय, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- ख. 31 मार्च 2025 को समाप्त पिछले वर्ष के बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी, जिनमें से 2 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा फर्में थीं और उन्होंने 25 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर असंशोधित अभिमत व्यक्त किया था।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं हुई है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार एकल तुलन-पत्र और एकल लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है; उपरोक्त पैराग्राफ 7 से 9 में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों) का अधिग्रहण और



अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

ख. बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और

ग. बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पाई गईं।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व पर दिनांक 17 मार्च, 2020 को आरबीआई द्वारा जारी पत्र क्र. डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 और उसके बाद दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषणों के साथ पठित की अपेक्षाओं के अनुसार, हम उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

क) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

ख) वित्तीय संव्यवहार या मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती हैं।

घ) खातों और इससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ड) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावात्मकता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में दी गई है। हमारी रिपोर्ट, 31 मार्च, 2026 तक एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी राय में, बैंक द्वारा कानूनी रूप से अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं, जिनको हमने भेंट नहीं दी है;

ख) इस रिपोर्ट द्वारा संचलित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता तथा नकद प्रवाह के विवरण संबंधित लेखा बहियों और हमारे द्वारा भेंट नहीं दी गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसरण में हैं।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमें बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका समुचित उपयोग किया गया है; और

घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

कृते मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कंपनी	कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी	कृते मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स	कृते मेसर्स एस. सिंघल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 100515डबल्यू	एफआरएन 106041डबल्यू/डबल्यू100136	एफआरएन 003510ड	एफआरएन 001526सी
सीए सी एम दीक्षित भागीदार	सीए वितेश डी. गांधी भागीदार	सीए डी. मनोहर भागीदार	सीए मुकेश कुमार खंडेलवाल भागीदार
सदस्यता क्र. 017532	सदस्यता क्र. 110248	सदस्यता क्र. 029644	सदस्यता क्र. 074661
यूडीआईएन : 26017532CZPHSA4265	यूडीआईएन : 26110248ASJPHX4461	यूडीआईएन : 26029644IVILKV8957	यूडीआईएन : 26074661FPGZFT2758

स्थान : पुणे

दिनांक: 20 अप्रैल 2026



मेसर्स जी. डी. आपटे एंड कंपनी सनदी लेखाकार डी-509, नीलकंठ बिजनेस पार्क, नथानी रोड, विद्या विहार पश्चिम, मुंबई - 400086.	मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार चौथी मंजिल, कैपिटल वन, अशोक वाटिका बीआरटीएस स्टॉप के सामने, अंबली बोपल रोड, अहमदाबाद 380058
मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एच. नं. 6-3-244/5 शारदादेवी स्ट्रीट प्रेमनगर, हैदराबाद - 500004	मेसर्स एस. सिंघल एंड कंपनी सनदी लेखाकार एस-4, गोर्धन एन्क्लेव, 4बी, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक ए

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 11 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पत्र डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित) (आरबीआई संचार) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट -

हमने 31 मार्च, 2026 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के साथ उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों व त्रुटियों का पता लगाने और रोकथाम, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जारी लेखापरीक्षा पर मानकों (एसए) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त

करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और उसे बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गए हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, जो नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संबंध में हैं, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

- (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, उचित विवरण में, बैंक की आस्तियों के अंतरण और स्थिति को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;



- (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और बैंक की प्राप्ति और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा
- (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण शामिल हैं या हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों में यह जोखिम होता है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की श्रेणी का हास हो सकता है।

अभिमत

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा नीचे 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लिखित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे थे।

अन्य मामले

हमारी उक्त रिपोर्ट, जहां तक यह 236 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कृते मेसर्स जी. डी. आपटे एंड कंपनी	कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी	कृते मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स	कृते मेसर्स एस. सिंघल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 100515डबल्यू	एफआरएन 106041डबल्यू/डबल्यू100136	एफआरएन 003510एस	एफआरएन 001526सी
सीए सी एम दीक्षित भागीदार	सीए वितेश डी. गांधी भागीदार	सीए डी. मनोहर भागीदार	सीए मुकेश कुमार खंडेलवाल भागीदार
सदस्यता क्र. 017532	सदस्यता क्र. 110248	सदस्यता क्र. 029644	सदस्यता क्र. 074661
यूडीआईएन : 26017532CZPHSA4265	यूडीआईएन : 26110248ASJPHX4461	यूडीआईएन : 26029644IVILKV8957	यूडीआईएन : 26074661FPGZFT2758

स्थान : पुणे

दिनांक: 20 अप्रैल 2026



पिलर 3 प्रकटन 31 मार्च 2026

31 मार्च 2026 के बेसल III पिलर प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर प्रकटन खंड के अंतर्गत उपलब्ध किए गए हैं। ब्योरों के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट लिंक को भेट दें -

https://bankofmaharashtra.bank.in/basel_iii_disclosure



समेकित वित्तीय विवरण



31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(₹ हजार में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	7691,55,50	7691,55,50
आरक्षितियां और अधिशेष	2	25533,07,89	21016,42,09
अल्पसंख्यक हित	2क	-	-
जमाराशियां	3	350538,24,16	307120,30,35
उधारियां	4	35233,57,55	23852,51,50
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	8474,93,84	9673,01,21
कुल		427471,38,94	369353,80,65
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	6	26645,31,05	37992,99,50
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	1100,28,90	4201,91,43
निवेश	8	101587,89,76	82215,73,31
अग्रिम	9	288104,30,21	236083,79,53
स्थिर आस्तियां	10	2961,79,21	2915,62,22
अन्य आस्तियां	11	7071,79,81	5943,74,66
कुल		427471,38,94	369353,80,65
आकस्मिक देयताएं	12	43562,24,61	40941,19,60
वसूली हेतु बिल		7193,48,18	6972,38,60
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
खातों पर टिप्पणियां	18		

अनुसूचियां 1 से 18 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं ।

प्रसेनजीत फडणवीस निदेशक	प्रवीण कुमार निदेशक	संजीव प्रकाश निदेशक	डॉ. अभिजीत फुकन निदेशक
सुशांता कुमार मोहंती कार्यपालक निदेशक	प्रभात किरण कार्यपालक निदेशक	निधु सक्सेना प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	
नितेश कुमार जैन सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा	केयूर तलाटी सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा	सुनील धूत मुख्य वित्तीय अधिकारी	
हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार			
कृते मेसर्स जी डी आप्टे एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन-100515W सीए सी एम दीक्षित भागीदार सदस्यता क्र. : 017532 यूडीआईएन - 26017532TKMGFC4849	कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन-106041W/W100136 सीए वितेश डी गांधी भागीदार सदस्यता क्र. : 110248 यूडीआईएन - 26110248EOZMWS6466	कृते मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन-003510S सीए डी मनोहर भागीदार सदस्यता क्र. : 029644 यूडीआईएन - 26029644TTMBCK8027	कृते मेसर्स एस सिंघल एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन-001526C सीए मुकेश कुमार खंडेलवाल भागीदार सदस्यता क्र. : 074661 यूडीआईएन - 26074661DMPLDX2998
स्थान : पुणे 20 अप्रैल, 2026			



31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता

(₹ हजार में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष)	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	29281,74,33	24947,58,06
अन्य आय	14	3541,97,90	3455,02,45
कुल		32823,72,23	28402,60,51
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	15616,14,87	13280,57,51
परिचालन व्यय	16	6379,93,13	5801,49,65
प्रावधान और आकस्मिकताएं		3807,00,72	3799,66,64
कुल		25803,08,72	22881,73,80
लाभ/हानि			
सहायक संस्थाओं में अर्जन/हानि का अंश		(37,790)	20,90,97
अल्पसंख्यक हिंत् की कटौती से पहले वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)		7016,85,61	5541,77,68
घटाएं: अल्पसंख्यक हिंत्		-	-
वर्ष के लिए समूह के कारण निवल समेकित लाभ/(हानि)		7016,85,61	5541,77,68
जोड़ें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)		6377,93,23	3635,32,93
घटाएं: समूह को होने वाली हानि (वीकेजीबी से संबंधित)		(99,43,28)	
कुल		13295,35,56	9177,10,61
III. विनियोग			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण		1754,94,62	1385,44,42
पूंजी आरक्षिति को अंतरण		87,79,55	44,99,64
राजस्व आरक्षिति को अंतरण		-	-
विशेष आरक्षिति को अंतरण		-	-
निवेश अस्थिर आरक्षिति को अंतरण		450,00,00	215,00,00
निवेश आरक्षिति को अंतरण		-	-
प्रस्तावित लाभांश (इक्विटी)		1692,14,21	1153,73,32
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया		9310,47,18	6377,93,23
कुल		13295,35,56	9177,10,61
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाइल्यूटेड) (रूपए)		9.12	7.51

प्रसेनजीत फडणवीस निदेशक	प्रवीण कुमार निदेशक	संजीव प्रकाश निदेशक	डॉ. अभिजीत फुकन निदेशक
सुशांता कुमार मोहंती कार्यपालक निदेशक	प्रभात किरण कार्यपालक निदेशक		निधु सक्सेना प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
नितेश कुमार जैन सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा	केयूर तलाटी सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा		सुनील धूत मुख्य वित्तीय अधिकारी
हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार			
कृते मेसर्स जी डी आउटे एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन-100515W सीए सी एम दीक्षित भागीदार सदस्यता क्र.: 017532 यूडीआईएन - 26017532TKMGFC4849	कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन-106041W/W100136 सीए वितेश डी गांधी भागीदार सदस्यता क्र.: 110248 यूडीआईएन - 26110248EOZMWS6466	कृते मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन-003510S सीए डी मनोहर भागीदार सदस्यता क्र.: 029644 यूडीआईएन - 26029644TTMBCK8027	कृते मेसर्स एस सिंघल एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन-001526C सीए मुकेश कुमार खंडेलवाल भागीदार सदस्यता क्र.: 074661 यूडीआईएन - 26074661DMPLDX2998
स्थान : पुणे 20 अप्रैल, 2026			



1

अनुसूची - 1 पूंजी

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
प्राधिकृत पूंजी प्रत्येक रु. 10/- के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,00,00,00,000)		10000,00,00		10000,00,00
जारी व अभिदत्त प्रत्येक रु. 10/- के 769,15,54,950 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 769,15,54,950)				
प्रारंभिक शेष	7691,55,50		7081,37,36	
वर्ष के दौरान वृद्धि -	-	7691,55,50	610,18,14	7691,55,50
प्रदत्त पूंजी				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 566,10,59,630 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 612,26,27,927)	5661,05,96		6122,62,79	
ख. जनता एवं अन्य द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 156,89,27,023 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 95,87,45,712)	2030,49,54		1568,92,71	
घटाएं : देय आबंटन राशि	-	7691,55,50	-	7691,55,50
कुल		7691,55,50		7691,55,50

2

अनुसूची- 2 आरक्षितियां और अधिशेष

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. सांविधिक आरक्षिति				
प्रारंभिक शेष	4848,70,55		3463,26,13	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1754,94,62	6603,65,17	1385,44,42	4848,70,55
II. पूंजीगत आरक्षिति				
i) प्रारंभिक शेष	764,69,19		719,69,55	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	90,31,15		44,99,64	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	855,00,34	-	764,69,19
III. शेयर प्रीमियम				
i) प्रारंभिक शेष	3867,25,43		977,43,56	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	-	3867,25,43	2889,81,87	3867,25,43



(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां				
क) राजस्व आरक्षित				
i) प्रारंभिक शेष	2222,50,96		2010,43,02	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	57,68,33		212,07,94	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	2280,19,29	-	2222,50,96
ख) विशेष आरक्षित				
i) प्रारंभिक शेष	51,26,04		51,26,04	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	-	51,26,04	-	51,26,04
ग) पुनर्मूल्यन आरक्षित				
i) प्रारंभिक शेष	1894,25,09		1443,34,12	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	-		1923,71,48	
iii) वर्ष के दौरान कमी	75,17,31	1819,07,78	1472,80,51	1894,25,09
घ) निवेश अस्थिर आरक्षित खाता				
i) प्रारंभिक शेष	641,10,00		426,10,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	450,00,00		215,00,00	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	1091,10,00	-	641,10,00
ड.) निवेश आरक्षित खाता				
i) प्रारंभिक शेष	-		62,39,41	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	-	62,39,41	-
च) एएफएस निवेश आरक्षित खाता				
i) प्रारंभिक शेष	3,487,160			
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	-		348,71,60	
iii) वर्ष के दौरान कमी	7,112,308	-362,51,48	-	348,71,60
छ) विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित				
i) प्रारंभिक शेष	-		-	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	17,58,14		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	17,58,14	-	-
V. लाभ/हानि खाते में शेष				
i) प्रारंभिक शेष	6377,93,23		3635,32,93	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि	2932,53,95		2742,60,30	
iii) वर्ष के दौरान कमी	-	9310,47,18	-	6377,93,23
कुल (I, II, III, IV एवं V)		25533,07,89		21016,42,09

2क

अनुसूची- 2 क अल्पसंख्यक हित

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
जिस तिथि को मूल सहायक कंपनी का संबंध अस्तित्व में आया, उस तिथि पर अल्पसंख्यक हित	-		-	
अनुवर्ती वृद्धि/(कमी)	-		-	
बैलेंस शीट की तिथि पर अल्पसंख्यक हित	-	-	-	-
कुल	-		-	



3

अनुसूची - 3 जमाराशियां

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
क. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	865,83,80		248,29,05	
ii) अन्यो से	56932,49,28	57798,33,08	46062,90,43	46311,19,48
II. बचत बैंक जमाराशियां		126285,13,75		117343,61,42
III. मीयादी जमाराशियां *				
i) बैंकों से	1147,04,19		391,16,48	
ii) अन्यो से	165307,73,15	166454,77,34	143074,32,97	143465,49,45
कुल (i, ii एवं iii)		350538,24,16		307120,30,35
ख. i) भारत में स्थित शाखाओं में जमाराशियां		350538,24,16		307120,30,35
ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमाराशियां		-		-
कुल (ख i + ख ii)		350538,24,16		307120,30,35

* इसमें ₹ 10501,73,42 हजार में, की ग्रहणाधिकार चिह्नित जमाराशि शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 10112,46,83 हजार में)

4

अनुसूची - 4 उधारियां

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. भारत में उधारियां				
i) भारतीय रिजर्व बैंक से	-		-	
ii) अन्य बैंकों से	1185,43,75		-	
iii) अन्य वित्तीय संस्थानों एवं एजेंसियों से	19946,30,50		15421,81,50	
iv) डिबेंचर	-		-	
v) अन्य उधारियाँ				
क) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें (पीडीआई) - टीयर-I बॉण्ड	1880,00,00		1880,00,00	
ख) बॉण्ड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें	-		-	
ग) गौण ऋण बॉण्ड - टीयर II बॉण्ड	4127,70,00		4127,70,00	
घ) इफ्रा बॉण्ड	2423,00,00	29562,44,25	2423,00,00	23852,51,50
II. भारत के बाहर उधारियां			5671,13,30	
-				
कुल (I एवं II)		35233,57,55		23852,51,50
III. उपर्युक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां				



5

अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. देय बिल		952,69,18		663,37,11
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)				
क. मूल कंपनी		-		-
ख. अनुषंगी		-		-
III. उपचित ब्याज		314,49,74		342,88,68
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) :				
क) मानक आस्तियों पर प्रावधान	2152,74,25		2835,08,65	
ख) अन्य देयताएं (प्रावधानों सहित)	5055,00,68	7207,74,93	5831,66,77	8666,75,42
कुल (I, II, III, IV)		8474,93,84		9673,01,21

6

अनुसूची - 6 भारतीय रिजर्व बैंक में शेष और नकदी

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं)		1080,42,43		1025,29,21
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष				
i) चालू खातों में	9345,88,62		12492,70,29	
ii) अन्य खातों में	16219,00,00	25564,88,62	24475,00,00	36967,70,29
कुल (I एवं II)		26645,31,05		37992,99,50

7

अनुसूची - 7 बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
ख. भारत में				
i) बैंकों में अधिशेष				
(क) चालू खातों में	4,93,84		2,59,84	
(ख) अन्य जमा खातों में	15,68,56	20,62,40	15,68,56	18,28,40
ii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
(क) बैंकों के पास	-		-	
(ख) अन्य संस्थानों में	-	-	4177,05,63	4177,05,63
कुल (i एवं ii)		20,62,40		4195,34,03
II. भारत के बाहर				
i) बैंकों में अधिशेष				
(क) चालू खातों में	83,89,75		6,57,40	
(ख) अन्य जमा खातों में	995,76,75		-	
(ग) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	-	1079,66,50	-	6,57,40
कुल		1079,66,50		6,57,40
कुल जोड़ (I एवं II)		1100,28,90		4201,91,43



8

अनुसूची - 8 निवेश

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. भारत में निवेश				
क) सरकारी प्रतिभूतियां		94729,46,69		74852,56,43
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-		-
ग) शेयर्स		587,11,35		607,21,25
घ) डिबेंचर्स और बॉण्ड		5590,39,94		5588,56,64
ड) सहायक कंपनियां		587,75,39		521,09,21
च) अन्य				
i) यूटीआई/म्यूचुअल फंडों के यूनिट	44,14,45		37,51,97	
ii) जमा प्रमाणपत्र	-		608,77,81	
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र	49,01,94		-	
iv) पीटीसी	-		-	
v) अन्य	-	93,16,39	-	646,29,78
कुल		101587,89,76		82215,73,31
II. भारत के बाहर निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)		-		-
ii) सहायक कंपनियां		-		-
iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट किया जाए)		-		-
कुल		-		-
कुल जोड़ (I एवं II)		101587,89,76		82215,73,31
III. भारत में निवेश				
i) सकल निवेश मूल्य	102865,04,92		82109,51,15	
ii) जोड़ें/घटाएँ: निवेश पर मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास)	(550,47,97)		443,19,83	
iii) घटाएँ: निवेश पर प्रावधान	726,67,19	101587,89,76	336,97,67	82215,73,31
iv) निवल निवेश (i+ii-iii)		101587,89,76		82215,73,31
निवेशों का विवरण :				
I. सहायक संस्थानों में निवेश		587,75,39		521,09,21
II. अन्य निवेश		101000,14,37		81694,64,10
कुल (I एवं II)		101587,89,76		82215,73,31



9

अनुसूची - 9 अग्रिम

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
क. i) भांजित एवं खरीदे गए बिल	4473,42,49		4110,47,48	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	53286,76,00		53744,50,78	
iii) मीयादी ऋण	230344,11,72		178228,81,27	
		288104,30,21		236083,79,53
कुल (I, II, III)		288104,30,21		236083,79,53
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित)	238359,21,56		197165,37,24	
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित	547,51,02		642,46,23	
iii) अप्रत्याभूत	49197,57,63	288104,30,21	38275,96,06	236083,79,53
कुल (I, II, III)		288104,30,21		236083,79,53
ग. I. भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता क्षेत्र	109349,46,00		90492,59,70	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	30401,31,10		21940,34,77	
iii) बैंक	1938,22,05		499,98,05	
iv) अन्य	144616,25,45	286305,24,60	123150,87,01	236083,79,53
II. भारत से बाहर अग्रिम				
i) बैंकों से देय	-			
ii) अन्यो से देय	1799,05,61			
iii) खरीदे और भांजित बिल	-			
iv) सिंडीकेटेड ऋण	805,40,33			
v) अन्य	993,65,28	1799,05,61		
कुल (ग. I एवं ग. II)		288104,30,21		236083,79,53



10

अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियां

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. परिसर *				
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	2488,71,60		1951,22,45	
* (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है)				
2. वर्ष के दौरान वृद्धि	45,77		57,11,80	
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि	-		1894,25,09	
	2489,17,37		3902,59,34	
4. वर्ष के दौरान कमी	30,21,96		1413,87,74	
	2458,95,41		2488,71,60	
5. अद्यतन मूल्यहास	445,93,06	2013,02,35	397,08,58	2091,63,02
II. प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य		8,01,21		4,36,05
III. अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर व जड़ वस्तुओं सहित)				
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	2041,46,24		1835,93,26	
2. अवधि के दौरान वृद्धि	417,48,89		467,58,89	
	2458,95,13		2303,52,15	
3. अवधि के दौरान कमी	28,65,92		262,04,86	
	2430,29,21		2041,47,29	
4. अद्यतन मूल्यहास	1489,53,56	940,75,65	1221,84,14	819,63,15
कुल (I, II एवं III)		2961,79,21		2915,62,22

* वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण।



11

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)				
क. मूल कंपनी		532,58,87		68,56,74
ख. अनुषंगी कंपनियां		-		-
II. उपचित ब्याज		2104,51,53		1618,50,31
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर		1771,85,45		1758,21,37
IV. लेखन सामग्री और स्टांप		2,56,72		2,83,06
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां		-		-
VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		893,27,93		636,85,02
VII. अन्य *(आरआईडीएफ सहित)		1766,99,31		1858,78,16
कुल (I, II, III, IV, V, VI एवं VII)		7071,79,81		5943,74,66

* नोट : इसमें आरआईडीएफ की राशि ₹ 479,30,52 हजार में शामिल है। (पिछले वर्ष ₹ 924,20,74 हजार में)

12

अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		1343,30,19		1356,72,42
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		-		-
III. बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता *		24365,83,14		25776,35,28
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां				
(क) भारत में	13429,40,49		10865,74,83	
(ख) भारत के बाहर	305,56,72	13734,97,21	379,32,81	11245,07,64
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं बाध्यताएं		2935,65,34		1486,82,30
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		1182,48,73		1076,21,96
कुल (I, II, III, IV, V एवं VI)		43562,24,61		40941,19,60

* वायदा विनियम संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं



13

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा		22490,31,12		19291,50,58
II. निवेशों पर ब्याज	6539,14,16		5373,03,06	
घटाएं - निवेशों का परिशोधन	19,19,74	6519,94,42	12,47,34	5360,55,72
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज		218,55,53		202,63,54
IV. अन्य (आरआईडीएफ सहित)		52,93,26		92,88,22
कुल (I, II, III एवं IV)		29281,74,33		24947,58,06

14

अनुसूची - 14 अन्य आय

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. कमीशन, विनियम और ब्रोकरेज		1861,92,83		1740,56,74
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	471,06,93		234,74,35	
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि	113,69,12	357,37,81	14,72,23	220,02,12
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ	-		-	
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि	(2,805,867)	(2,805,867)	-	-
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	15,62,66		2,34,13	
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि	13,87,28	1,75,38	1,96,62	37,51
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	125,67,64		63,29,42	
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि	-	125,67,64	-	63,29,42
VI. भारत/विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों और/या सहायक कंपनियों/इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय		2,53,68		1,71,64
VII. विविध आय*		1473,29,23		1429,05,02
कुल (I, II, III, IV, V, VI एवं VII)		3541,97,90		3455,02,45

* इसमें बट्टे खातों से की गई ₹ 1423,10,48 हजार में की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 1374,88,06 हजार में)



15

अनुसूची - 15 व्यय किया गया ब्याज

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. जमाराशियों पर ब्याज		13470,92,97		12293,75,21
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारियों पर ब्याज		80,95,23		22,52,43
III. अन्य		2064,26,67		964,29,87
कुल (I, II एवं III)		15616,14,87		13280,57,51

16

अनुसूची - 16 परिचालन व्यय

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)	
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान		3375,18,85		3441,77,35
II. किराया, कर और बिजली		385,71,01		326,51,12
III. मुद्रण और लेखन सामग्री		33,05,82		36,85,39
IV. विज्ञापन और प्रचार		63,16,91		48,39,78
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (निवल मूल्यहास पुनर्मूल्यन आरक्षिति को अंतरित)		343,60,53		290,59,75
VI. निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय		39,64		123,26
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्ययों सहित)		22,72,18		19,65,03
VIII. विधि प्रभार		82,59,71		81,41,44
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि		55,41,48		50,28,83
X. मरम्मत और रख-रखाव		422,90,86		315,95,31
XI. बीमा		413,31,14		364,18,62
XII. अन्य व्यय		1181,85,00		824,63,77
कुल (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI एवं XII)		6379,93,13		5801,49,65



अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ संलग्न और उसका भाग)

1

वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:

1.1 वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अंतर्गत स्थिरता, उपचय और प्रचलित मौलिक लेखांकन मान्यताओं के साथ तैयार किए गए हैं, ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, और सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है। वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि के आकलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा आकलन में किसी भी संशोधन की पहचान भावी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।

1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण और लेखांकन मानक 23- समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं।

1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

1.5 बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2026 के अनुसार बनाए गए हैं।

ख. संबद्ध इकाई : निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार समेकित किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दी महाराष्ट्र एक्सक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (एतद्वारा मेटको के रूप में संदर्भित)	भारत	पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी	100 %

लेखांकन मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन के अनुसार इक्विटी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	स्वामित्व हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहायक उद्यम	35 %

ग. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं :-

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
- आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार मूल के संबंधित मद सहित और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर्समूह शेषों/संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों/देयताओं/आय/व्यय इत्यादि जैसी प्रत्येक मद को लाइन-दर-लाइन आधार पर समूहन किया गया है।
- आईसीएआई द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' लेखांकन मानक 23 के अनुसार 'इक्विटी पद्धति' के अधीन 'सहायक प्रतिष्ठानों' में निवेश हेतु लेखांकन। एसोसिएट में बैंक के निवेश की लागत की अधिकता को वित्तीय विवरणों में साख के रूप में मान्यता दी जाती है।
- सहायक इकाइयों में अपने समूह निवेश के लिए लागत तथा प्रतिष्ठानों के इक्विटी में सामूहिक हिस्से के बीच अंतर साख/पूंजी आरक्षित के अनुसार वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं।
- सहायक प्रतिष्ठान ने कुछ मामलों में समान परिस्थितियों और समान संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धति से अलग पद्धति को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान

2

समेकन के सिद्धांत

क. मूल इकाई : वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं।



के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। तथापि समेकित वित्तीय विवरणों के मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, महत्वहीन हैं।

- vi) जहां कहीं आवश्यक है, वहां सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनः समूहबद्ध किया गया है।

3

विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

3.2 विदेशी शाखाओं के लेन-देन और शेष राशि को गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक द्वारा इन लेन-देन और शेष राशि का समेकन तिमाही आधार पर किया जाता है। परिसंपत्तियों और देनदारियों (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों, साथ ही आकस्मिक देनदारियों) का समायोजन प्रत्येक तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडआई) द्वारा घोषित विनिमय दर के समापन पर किया जाता है। विदेशी शाखाओं की आय और व्यय मदों का समायोजन फेडआई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर किया जाता है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एस) 11 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के उक्त मानक के अनुपालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित तिमाही के अंत में किया जाता है।

परिणामस्वरूप होने वाले विनिमय लाभ/हानि को परिसंपत्तियों/देनदारियों के निपटान तक एक अलग खाते में, अर्थात् विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में, संचित किया जाता है।

3.3 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (फिबिल) - द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात् पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडआई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र के दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/बाजार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक/फेडआई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव अन्य आस्तियों और हानि के मामले में इसका प्रभाव अन्य देयताओं को प्रभावित किया गया है।

3.4 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडआई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

3.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के ऋण एक्सपोजर, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

4

निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

4.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

- क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
 - ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
 - ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) जिसमें ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) की उपश्रेणी शामिल है
- सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश उपरोक्त श्रेणी से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखे जाते हैं।

4.2 सभी निवेश भारत में निवेश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्महए की आवश्यकता के अनुरूप सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- क. सरकारी प्रतिभूतियां
- ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- ग. शेयर्स
- घ. डिबेंचर तथा बॉण्ड
- ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम (एसोसिएट सहित)
- च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट इत्यादि)

4.3 प्रारंभिक अभिनिर्धारण:

i. बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। सभी निवेशों का प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य निरूपण किया जाता है। जब तक तथ्यों और परिस्थितियों यह स्पष्ट न हो कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब अधिग्रहण लागत को उचित मूल्य के रूप में लिया जाता है। एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। एचटीएम से कोई भी बिक्री (5% की सीमा के भीतर) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है।

ii. उचित मूल्य मापन को निम्नलिखित 3 उचित मूल्य पदानुक्रमों में वर्गीकृत किया गया है, जो उचित मूल्य मापन के इनपुट की अवलोकनशीलता की डिग्री पर आधारित है।

(क) **स्तर 1** - जिसमें वित्तीय साधन के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट समान साधनों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) होते हैं, जिन तक बैंक माप की तिथि पर पहुंच सकता है;



(ख) **स्तर 2** - जिसमें वित्तीय साधन के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट होते हैं जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं (जैसे आय वक्र, क्रेडिट स्प्रेड आदि);

(ग) **स्तर 3** - जिसमें मूल्यांकन अदृश्य इनपुट पर आधारित होता है।

iii. दिन 1 के लाभ/हानि की पहचान:

क. स्तर 1 और स्तर 2 पदानुक्रम की प्रारंभिक पहचान में उत्पन्न होने वाला दिन 1 लाभ/हानि, अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत मद III 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि (शुद्ध)' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।

ख. स्तर 3 के निवेश से उत्पन्न होने वाला कोई भी प्रथम दिन का नुकसान तत्काल दर्ज किया जाता है।

ग. स्तर 3 निवेशों से प्राप्त प्रथम दिन के लाभ को स्थगित कर दिया जाता है। ऋण लिखतों के मामले में, प्रथम दिन के लाभ को परिपक्वता तिथि (या शाश्वत उपकरणों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है, जबकि गैर-सूचीबद्ध इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को प्रतिभूति के सूचीबद्ध होने या मान्यता रद्द होने तक एक देयता के रूप में अलग रखा जाता है।

iv. बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में खरीद और बिक्री के लेन-देन को दर्ज करने के लिए 'निपटान तिथि' लेखांकन पद्धति का पालन करता है।

v. लागत भारित औसत मूल्यन पद्धति के आधार पर निवेशों का निर्धारण किया जाता है।

vi. खंडित अवधि के लिए ब्याज अवधि/खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री को राजस्व व्यय के रूप में समझा जाएगा।

vii. ब्रोकरेज/प्राप्त प्रोत्साहन/निवेश की खरीद/बिक्री के समय प्रदत्त को निवेश की राशि से काटा/जोड़ा गया है।

4.4 रेपो/रिवर्स रेपो :

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।

4.5 निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन :

क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम):

- 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित की जाती हैं, अर्थात् वित्तीय परिसंपत्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारित किया जाता है। प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तों से नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो निर्दिष्ट तिथि पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') है।
- एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाता है और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य (एमटीएम) पर नहीं बेचा जाता। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई लाभ या हानि अनुसूची 14 अन्य आय के मद II के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्य है। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से पूंजी आरक्षित खाते में रेखा के नीचे विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार करों को घटाकर विनियोजित की गई राशि को सांविधिक आरक्षित में अंतरित करना आवश्यक है।

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध (एफएस) :

- 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का अधिग्रहण एक उद्देश्य से किया जाता है, जिसे परिपक्वता से पूर्व संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- एफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एफएस के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। सभी अर्जक निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि, वर्गीकरण के बावजूद (यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, बॉण्ड और डिबेंचर, आदि) एफएस के अंतर्गत एकत्रित किया जाता है।
- शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को सीधे एफएस रिजर्व नामक रिजर्व में क्रेडिट या डेबिट किया जाता है।
- एफएस श्रेणी में किसी भी लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस -रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/हानि को एफएस रिजर्व से अंतरित किया जाता है और लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। इक्विटी लिखत के मामले में, ऐसे निवेश की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एफएस रिजर्व से पूंजी रिजर्व में अंतरित की जाती है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल):

- वे प्रतिभूतियाँ जो एचटीएम या एफएस में शामिल



होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफटी) नामक उपश्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कोई भी लिखत जिसे निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए धारित किया जाता है, उसे 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफटी) लिखत के रूप में नामित किया जाता है:

- क. अल्पकालिक पुनर्विक्रय;
 - ख. अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ अर्जित करना;
 - ग. मध्यस्थता लाभ को सुरक्षित करना; या
 - घ. उपरोक्त (क), (ख) या (ग) को पूरा करने वाले लिखतों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का प्रतिरक्षण करना।
- ii. बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल लेनदेन करता है। शॉर्ट पोजीशन को एचएफटी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से घटा दिया जाता है। एचएफटी पोर्टफोलियो के अंतर्गत अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के साथ शॉर्ट पोजीशन का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है और परिणामस्वरूप प्राप्त एमटीएम लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। शॉर्ट सेल पर लाभ/हानि का निपटान तिथि पर विवरण दिया जाता है।
 - iii. एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में क्रेडिट या डेबिट किया जाता है।
 - iv. एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का, यदि निरंतर आधार पर नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।
 - v. एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

घ. उचित मूल्यांकन:

- i. प्रारंभिक पहचान और पश्चात के मापन के प्रयोजन से, निवेशों का उचित मूल्यांकन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन शेयर-वार किया जाता है।
- ii. सूचीबद्ध निवेशों का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के समापन भाव या भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पत्ती संघ (एफआईएमएमडीए)/फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा समय-समय पर घोषित मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

- iii. एफएस और एफवीटीपीएल श्रेणियों में शामिल सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों की श्रेणी में आने वाली गैर-सूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार/उचित मूल्य एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, और गैर-सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बांडों के लिए, एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित प्रतिभूति स्तर मूल्यांकन (एसएलवी) के अनुसार निर्धारित किया जाता है। पास थ्रू सर्टिफिकेट सहित अन्य गैर-सूचीबद्ध स्थिर आय प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, जहां भी परिपक्वता आय (वाईटीएम) दरों से जुड़ी हो, एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित सरकारी प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों पर मार्क-अप (संबंधित क्रेडिट जोखिम को दर्शाते हुए) के साथ परिकलित किया जाता है।
- iv. ट्रेजरी बिल, कमरिशियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होने के कारण, इनका मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।
- v. गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाता है, यदि नवीनतम बैलेंस शीट उपलब्ध हो, या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार रु.1/- पर किया जाता है।

उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) की इकाइयों में निवेश को एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इसका मूल्यांकन वीसीएफ द्वारा घोषित शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है। यदि नवीनतम एनएवी लगातार 18 महीनों से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं है, तो आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वीसीएफ की इकाइयों का मूल्यांकन रु.1/- पर किया जाता है।

4.6 अनर्जक निवेश:

अनर्जक निवेशों की पहचान की जाती है और आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर उन पर मूल्यहास/प्रावधान किया जाता है। हानि के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अतिरिक्त प्रावधान भी करता है। ऐसे अनर्जक निवेशों पर मूल्यहास/प्रावधान को अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों के मूल्यवृद्धि के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता है। गैर-निष्पादित निवेशों पर ब्याज को प्राप्त होने तक लाभ और हानि खाते में दर्ज नहीं किया जाता है।

4.7 डेरिवेटिव :

ब्याज दर स्वेप :

i. मूल्यांकन :

- क. हेजिंग स्वेप : हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वेप, बाजार हेतु चिन्हित नहीं है।
- ख. ट्रेडिंग स्वेप : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वेप बाजार हेतु चिन्हित है।

ii. डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन:

- क. हेजिंग स्वेप : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया। व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर,



यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है।

ख. **ट्रेडिंग स्वैप** : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

iii. **स्वैप निरसन पर लाभ या हानि का लेखांकन**

क. **हेजिंग स्वैप** : निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति/देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

ख. **ट्रेडिंग स्वैप** : स्वैप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है।

4.8 **निवेश अस्थिर आरक्षिति:**

आरबीआई के के मास्टर निर्देश के अनुसार निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) तब तक बनाया जाना चाहिए जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर, निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि को आईएफआर में अंतरण द्वारा एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम 2% न हो जाए।

निम्नलिखित में से न्यूनतम को आईएफआर में से अंतरित करें -

क. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

ख. लगातार आधार पर, वर्ष के लिए निवल लाभ से अनिवार्य विनियोग तब तक घटाएं, जब तक कि आईएफआर की राशि एचएफटी और आईएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत हो जाए।

बैंक को अपने एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के 2% से अधिक आईएफआर से शेष राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है, जिसे किसी भी लेखांकन वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए लाभ/हानि के शेष में जमा किया जा सकता है, जो आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

5

अग्रिम:

5.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते डाले गए, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों और पुनर्भाजन बिलों से निवल हैं।

5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर प्रावधान भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित दर से अधिक किए गए हैं -

अवमानक

20%

संदिग्ध संपत्ति एक से तीन वर्ष - प्रतिभूत हिस्से पर 50%

बैंक विशिष्ट अनर्जक परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त प्रावधान भी करता है।

5.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को अन्य देयताएं व प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5.4 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हुई है, तो अधिशेष को बनाए रखा जाएगा और एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाए। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम हो, (अर्थात् बकाया घटाएं प्रावधान धारित) तो घाटे को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है। तथापि अधिशेष उपलब्ध है तो ऐसे घाटे को अधिशेष में अवशोषित किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न घाटे को दो वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाएगा, यदि अधिशेष में अवशोषित नहीं किया गया है।

अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभिक प्राप्ति/या एसआरएस/पीटीसी के मोचन द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होता है। आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन सीमित होगा।

6

स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास:

6.1 पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों के लागत में मूल्यहास/ऋण परिशोधन को घटाकर लेखाबद्ध किया गया है।

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क शामिल हैं। उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों से भविष्य के लाभ या की उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है।

6.2 सभी परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास की विधि सरल रेखा विधि (एसएलएम) है, जो परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर आधारित है। मूल्यहास नीचे दी गई दरों पर किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य एक रुपया लिखा जा सके।



क्र.	आस्ति की श्रेणी	आस्ति की उपयोगिता अवधि (वर्षों में)	मूल्यहास की दर (%)
1	भवन एवं परिसर	60	1.667
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं	10	10
3	इलेक्ट्रिकल टेलीविजन, मोबाइल फोन, होम थियेटर, प्रिंटर, कैमरा	3	33.33
4	विद्युत उपकरण - अन्य	7	14.29
5	कार्यालय मशीनरी	5	20
6	मोटर वाहन	8	12.5
7	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	10	10
8	कंप्यूटर तथा लैपटॉप	3	33.33
9	एटीएम	7	14.29
10	यूपीएस	5	20
11	बीएनए	7	14.29
12	कैश रि-साइकलर	7	14.29

6.3 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यहास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जितना वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किया गया है।

इसी तरह वर्ष के दौरान बेची/हटाई गई आस्ति के संबंध में, मूल्यहास आनुपातिक आधार पर उतने दिनों के लिए लगाया गया है जितना वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किया गया है।

6.4 हर तीन वर्ष में एक बार अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से से निस्तारण मूल्य को घटाकर आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) से मूल्यहास लगाया जाता है। पट्टा-धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षित को लीज़ अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर लागत के अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन आरक्षित की राशि, लाभ और हानि खाते में नामे की गई लागत के अतिरिक्त अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से से संबंधित मूल्यहास की सीमा तक पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में अंतरित की जाती है।

6.5 पट्टा-धारित परिसर के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, तो उसे एस19 के अनुसार एसएलएम आधार पर पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

6.5 सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यांकन लागत में से संचित मूल्यहास और अनर्जक हानियों को कम करते हुए किया गया है।

इस लागत में आस्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु किए गए सभी व्यय शामिल हैं। बेची गई आस्तियों को स्थिर आस्तियों से घटाकर मूल्यहास को लागू करने के पश्चात लाभ/हानि की गणना की गई। आस्तियों की उपयोगी शेष अवधि के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नए मानक का उपयोग करते हुए हासमान शेष पद्धति से मूल्यहास लगाया गया है।

7

राजस्व अभिनिर्धारण:

7.1 निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबद्ध मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :

- क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज
- ख. गारंटियों, साख-पत्रों, सरकारी व्यवसाय, म्युचुअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड और लॉकर किराए आदि कमीशन से आय
- ग. खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ. बीमा दावे
- ङ. डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक
- च. ऋण जारी करने/नवीनीकरण शुल्क
- छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय
- ज. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रोसेसिंग शुल्क

7.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज को उपचित आधार पर बचत खाते के लिए लागू ब्याज दर पर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज दर, दिनांक 02.07.2021 से जो कम हो, प्रावधान किया गया है।

8

कर्मचारी अनुलाभ:

सुनिश्चित अंशदान योजना : सुनिश्चित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

बैंक 01-04-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो एक सुनिश्चित अंशदान पेंशन योजना है। ऐसे नए कर्मचारी मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। योजना के अनुसार, पात्र कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान करते हैं, साथ ही बैंक भी मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के समान अंशदान करता है। बैंक इन वार्षिक अंशदानों को संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता देता है।

सुनिश्चित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की ग्रेच्युटी, पेंशन तथा विशेषाधिकार अवकाश योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, जो कि एस-15 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित हैं, और भारतीय सनदी



लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। सुनिश्चित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देयताओं को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही/वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकिक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता, और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

9

खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

10

आस्तियों का हास

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 28 आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों के हास, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभावित किया गया है। जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, मूल्यहास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है।

11

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधानों को मान्यता देता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसका वर्तमान में दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देयता का प्रकटन तब तक किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न्यूनतम न हो। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो।

12

निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बढ़े खाते डालना, कराना के लिए प्रावधान (आस्थगित कराना सहित) और

धोखाधड़ी व आकस्मिकताओं/अन्य के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

13

आय पर कर:

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं का मापन उन कर दरों व कर कानूनों का उपयोग कर किया गया है जो तुलन पत्र के दिनांक को अधिनियमित किए गए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं।

आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उनकी प्राप्ति को उचित रूप से निश्चित माना जाता है।

अनवशोषित मूल्यहास या कराना कानूनों के अंतर्गत आगे लाई गई हानि के मामले में सभी आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

कर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग को ब्याज सहित प्रावधान किया जाता है जब ऐसे मांग को बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है या जब न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है और समान मामले पर अन्य न्यायाधिकरण का कोई अनुकूल निर्णय नहीं होता है और बैंक उच्च न्यायालय के समक्ष जाना नहीं चाहता है या जब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है।

14

प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एस - 20) 'प्रति शेयर अर्जन' के अनुरूप की गई है। प्रति शेयर मूल अर्जन अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को विभाजित कर निकाली गई है। अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है।

15

नकदी और नकदी समतुल्य:

नकदी और नकदी समतुल्य में आरबीआई के पास नकद और शेष राशि, बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर धन शामिल है।



अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां

(नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

(31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ संलग्न और उसका भाग)

1

निवेश:

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः परिपक्वता धारित, बिक्री हेतु उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) की उपश्रेणी के साथ लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) इन तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 28 नवम्बर, 2025 (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निर्देश, 2025 के अनुसार अपने निवेशों का मूल्यांकन किया।

बैंक ने चालू वर्ष के लाभ में से निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति (आईएफआर) के लिए ₹450.00 करोड़ (₹215.00 करोड़) का विनियोजन किया है।

2

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

2.1 लेखांकन मानक 3 - नकदी प्रवाह विवरण: बैंक अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए एएस-3 की आवश्यकताओं के अनुरूप नकदी प्रवाह विवरण तैयार करता है।

2.2 लेखांकन मानक 4 - तुलन पत्र तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं: तुलन-पत्र की तिथि के बाद कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई है।

2.3 लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन।

चूंकि पूर्व अवधि की आय/व्यय की मदें महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए उन्हें वर्ष के दौरान संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित/लेखांकित किया गया है।

2.4 लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

अनुच्छेद -17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां - में दी गई लेखांकन नीति संख्या 7.2 के अनुसार, अतिदेय सावधि जमा पर देय ब्याज, बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, 02.07.2021 से जो भी कम हो, पर उपचित आधार पर प्रदान किया गया है।

3

अचल संपत्ति

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लेखा मानक - 10 के अनुसार अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर वर्ष के लिए ₹ 45.22 करोड़ (₹ 29.46 करोड़) के मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है। साथ ही ₹ 45.22 करोड़ (₹ 29.46 करोड़) की समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया गया है।

ii. बैंक के कुछ परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। वर्ष के अंत में परिसरों में शामिल पुनर्मूल्यांकन की कुल राशि ₹1864.30 करोड़ (₹1894.25 करोड़) है और मूल्यहास घटाने के बाद पुनर्मूल्यांकन राशि ₹1819.09 करोड़ (₹1413.87 करोड़) है।

कुछ पुनर्मूल्यांकित परिसरों से संबंधित स्वामित्व विलेख, जिनकी लागत ₹9.19 करोड़ (₹9.19 करोड़) है, कुछ लंबे समय से लंबित विवादों/औपचारिकताओं के कारण अभी तक बैंक के पक्ष में निष्पादित/पंजीकृत नहीं किए गए हैं।

iii. लीज पर दी गई संपत्तियों से संबंधित कुछ मामले लंबित हैं जिनमें आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि बैंक शाखा परिसरों के मकान मालिकों द्वारा लीज विलेखों की समाप्ति के कारण दायर किए गए इन सभी मामलों में बचाव कर रहा है। इनमें से, बैंक अपने दायित्व के रूप में ₹7.97 करोड़ (₹1.05 करोड़) की राशि का लेखा रखता है, जो मूल विलेखों के अनुसार किराए में वृद्धि के कारण है, क्योंकि आधार किराया मकान मालिक को भुगतान किया जाना जारी है। अन्य सभी मामलों में जहां मकान मालिकों ने लाभ का दावा किया है, लाभ की राशि का निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय लाभ की मात्रा को स्पष्ट रूप से निर्धारित न कर दे।

iv. कार्यप्रगति पर पूंजी में स्थिर आस्तियों (भवन) की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग दिनांक को उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं हैं। कार्य में प्रगति पर पूंजी भवन निर्माण सहित ₹8.01 करोड़ (₹4.25 करोड़) की राशि शामिल है।



4

लेखांकन मानक (एस) 15 (संशोधित 2005) - कर्मचारी अनुलाभ (मूल बैंक)

क. सुनिश्चित अंशदान योजनाएं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
क. भविष्य निधि	29.80	32.85
ख. कर्मचारी कल्याण में अंशदान - आकस्मिकता कल्याण निधि	25.00	15.00
ग. नई पेंशन योजना में अंशदान	158.98	136.50

ख. सुनिश्चित अनुलाभ योजनाएँ:

- क) **पेंशन योजना** - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह एक निधिक योजना है।
- ख) **उपदान योजना** - यह सेवानिवृत्ति पश्चात अनुलाभ है और कंपनी के नियमों के अनुसार उपदान और उपदान का भुगतान अधिनियम 1972 (संशोधित) के तहत उपदान में से जो भी अधिक हो, उसके अनुसार देय है। यह निधिक योजना है।
- ग) **छुट्टी नकदीकरण/क्षतिपूरित अनुपस्थितियों** - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर संचित अवकाश की अधिकतम सीमा 255 दिनों के लिए देय है। बैंक की यह निधिक योजना है।

। सुनिश्चित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजनाएँ		उपदान योजनाएँ		छुट्टी का नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	सुनिश्चित लाभ दायित्व का आरंभिक वर्तमान मूल्य	7992.57	7489.74	746.12	622.07	584.35	432.26
2	ब्याज लागत	553.45	480.78	56.85	41.17	44.89	28.78
3	वर्तमान सेवा लागत	252.12	262.96	61.95	49.89	143.65	118.27
4	पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	प्रदत्त लाभ	(759.46)	(797.27)	(47.26)	(66.16)	(27.74)	(41.26)
6	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि	251.57	556.36	22.17	99.15	(43.16)	46.30
7	सुनिश्चित लाभ दायित्व का समापन वर्तमान मूल्य	8290.25	7992.57	839.83	746.12	701.99	584.35

II. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजनाएँ		उपदान योजनाएँ		छुट्टी का नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	7988.21	7282.80	726.18	505.56	490.80	374.07
2	योजना आस्तियों से अपेक्षित आय	580.74	493.77	57.11	35.33	38.63	26.15
3	किया गया अंशदान	349.72	906.61	70.00	240.00	150.00	125.00
4	प्रदत्त लाभ	(759.46)	(797.27)	(47.26)	(66.16)	(27.56)	(41.20)
5	बीमांकिक लाभ/हानि	46.70	102.30	4.33	11.45	9.28	6.78
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	8205.91	7988.21	810.36	726.18	661.15	490.80



III. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	निधित्त सुनिश्चित लाभ दायित्व					
		पेंशन योजनाएँ		उपदान योजनाएँ		छुट्टी का नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	सुनिश्चित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	8290.25	7992.57	839.83	746.12	701.99	584.35
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	(8205.91)	(7988.21)	(810.36)	(726.18)	(661.15)	(490.80)
3	मान्य की गई निवल देयता	84.34	4.36	29.47	19.94	40.84	93.55
4	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अन्य राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	84.34	4.36	29.47	19.94	40.84	93.55

IV. लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजनाएँ		उपदान योजनाएँ		छुट्टी का नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	चालू सेवा लागत	252.12	262.96	61.95	49.89	143.65	118.27
2	ब्याज लागत	553.45	480.78	56.85	41.17	44.89	28.78
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय	(580.74)	(493.77)	(57.11)	(35.33)	(38.63)	(26.15)
4	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि	204.87	454.06	17.84	87.70	(52.44)	39.52
5	पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मान्यता हेतु व्यय	429.70	704.03	79.53	143.43	97.47	160.42
7	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(प्रतिलेखन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय	429.70	704.03	79.53	143.43	97.47	160.42

V. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजनाएँ		उपदान योजनाएँ		छुट्टी का नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	आरंभिक निवल देयता	4.36	206.94	19.94	116.51	93.55	58.19
2	मान्यताप्राप्त व्यय	429.70	704.03	79.53	143.43	97.47	160.42
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान	(349.72)	(906.61)	(70.00)	(240.00)	(150.00)	(125.06)
4	अंतिम निवल देयता	84.34	4.36	29.47	19.94	41.02	93.55



VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजनाएँ		उपदान योजनाएँ		छुट्टी का नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय	580.74	493.77	57.11	35.33	38.63	26.15
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	46.70	102.30	4.33	11.45	9.28	6.78
3	योजना आस्तियों पर वास्तविक आय	627.44	596.07	61.44	46.78	47.91	32.93

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	पेंशन योजनाएँ		उपदान योजनाएँ		छुट्टी का नकदीकरण	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	बढ़ा दर	7.27%	6.78%	7.87%	6.99%	7.87%	6.99%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय	7.27%	6.78%	7.87%	6.99%	7.87%	6.99%
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि अनुलाभ:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त	
		31.03.2026	31.03.2025
1	पुनर्वास भत्ता	0.00	-
2	छुट्टी किराया रियायत	41.40	27.77
3	रजत जयंती पुरस्कार	0.00	0.38
	कुल	41.40	28.15



5

लेखांकन मानक 17- खंड रिपोर्टिंग:

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट योग्य खंडों की पहचान निम्नानुसार की है:

भाग क: व्यवसाय खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	खजाना		निगमित/थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
राजस्व	6979.46	5877.89	11085.68	9803.30	14552.99	12472.18	201.81	270.14	32819.94	28423.51
परिणाम	1495.88	1356.29	3094.47	2708.57	3164.95	1598.27	103.89	81.73	7859.19	5744.86
अनाबंटित खर्च		-	-							
परिचालनगत लाभ									10823.86	9320.53
आस्थगित कर सहित कर									838.55	203.08
सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी	-	-	(3.78)	20.91	-	-	-	-	(3.78)	20.91
असाधारण लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ									7016.86	5541.78
अन्य जानकारी:										
खंड आस्तियां	120753.58	112037.06	141849.39	126307.60	150320.71	113803.41	11882.68	14811.07	424806.36	366959.14
अनाबंटित आस्तियां									2664.66	2394.67
कुल आस्तियां									427471.02	369353.81
खंड देयताएं	118794.53	110679.11	130054.93	114554.24	134191.91	102744.02	11205.40	11514.73	394246.77	339492.10
अनाबंटित देयताएं									0.00	1153.73
पूँजी और अन्य आरक्षितियां									33224.26	28707.98
कुल देयताएं									427471.02	369353.81

* सभी प्रावधानों और आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए निवल लाभ की गणना की गई है।

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई का मास्टर निर्देश - प्रस्तुति और प्रकटीकरण के अनुसार रिटेल बैंकिंग को (क) डिजिटल बैंकिंग (07 अप्रैल, 2022 को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना अथवा आरबीआई परिपत्र में परिभाषित अनुसार) और (ख) अन्य रिटेल बैंकिंग खंड में उप-विभाजित करना आवश्यक है। तदनुसार, रिटेल बैंकिंग खंड के खंडवार परिणाम निम्नानुसार उप-विभाजित किए गए हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	व्यौरा	खंड राजस्व		खंड परिणाम		खंड आस्तियां		खंड देयताएं	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
I	डिजिटल बैंकिंग	1.00	0.44	(1.09)	(1.29)	15.04	9.35	19.69	12.90
II	अन्य रिटेल बैंकिंग	14551.99	12471.74	3164.95	1599.56	150305.67	113794.06	134172.22	102731.12
कुल	रिटेल बैंकिंग	14552.99	12472.18	3163.86	1598.27	150320.71	113803.41	134191.91	102744.02



- क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय को शामिल किया गया है।
- ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं, जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है।
- ग) रिटेल बैंकिंग में ऐसे निकाय/संस्था को एक्सपोजर शामिल हैं, जहां
- कुल वार्षिक औसत आवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है, और
 - किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और
 - एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम समग्र रिटेल उधार ₹ 7.50 करोड़ तक है
- घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग परिचालन खंड में शामिल किया गया है।
- ङ) थोक बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर ब्याज आय का आवंटन किया जाता है। थोक बैंकिंग के ब्याज को घटाकर प्राप्त कुल ब्याज को खुदरा बैंकिंग परिचालन में शामिल किया जाता है।
- च) प्रत्यक्ष रूप से अभिनिर्धारित न किए गए व्यय को थोक बैंकिंग/खुदरा बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। खजाना परिचालनों के व्यय कोषागार परिचालनों से उपलब्ध विवरण के अनुसार हैं।
- छ) प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित खंड की संपत्ति के अनुपात में आवंटित किया गया है।

भाग ख : भौगोलिक खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

भौगोलिक खंड	2025-26			2024-25		
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	कुल	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	कुल
राजस्व	32776.32	43.63	32819.94	28423.51	लागू नहीं	28423.51
आस्तियां	424836.51	2634.52	427471.02	369353.81	लागू नहीं	369353.81

गिफ्ट आईबीयू केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ही परिचालन में रहा है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खंड की रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

6

लेखा मानक 18 - संबद्ध पक्ष प्रकटन

इस संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

- (क) बैंक की अनुषंगी कंपनी - दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- (ख) बैंक की सहायक संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- (ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक	
			वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
1.	श्री निधु सक्सेना	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.65	0.38
2.	श्री ए एस राजीव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (22.02.2024 तक)	शून्य	0.24
3.	श्री आशीष पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक (30.09.2025 तक)	0.44	0.63
4.	श्री ए. बी. विजयकुमार	कार्यपालक निदेशक (31.10.2023 तक)	शून्य	0.13
5.	श्री रोहित ऋषि	कार्यपालक निदेशक (03.02.2026 तक)	1.10	0.43
6.	श्री प्रभात किरण	कार्यपालक निदेशक (24.11.2025 से)	0.15	0.00
7.	श्री वी पी श्रीवास्तव	मुख्य वित्तीय अधिकारी (31.05.2025 तक)	0.12	0.42
8.	श्री सुनील धूत	मुख्य वित्तीय अधिकारी (31.05.2025 से)	0.28	शून्य
	कुल		2.74	2.23



- घ. प्रायोजक ट्रस्ट - ग्रामीण एवं बालक विकास मंडल
- ङ. प्रायोजक ट्रस्ट - महाबैंक कृषि अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास फाउंडेशन
- च. पेंशन के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट - बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी पेंशन निधि
- छ. ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट - बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि
- ज. भविष्य निधि के लिए कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट - बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी भविष्य निधि

- झ. अवकाश नकदीकरण हेतु कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट- बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी विशेषाधिकार अवकाश नकदीकरण निधि ट्रस्ट

संबंधित पक्षों से संव्यवहार :

लेखा मानक (एस 18) के परिच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पक्षों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, जो राज्य नियंत्रित उद्यम हैं। साथ ही लेखा मानक 18 के परिच्छेद 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध के रूप में संव्यवहार प्रकट नहीं किए गए हैं, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधी शामिल हैं।

7

लेखांकन मानक 19 - लीज

वित्तीय लीज : पट्टा जिसके अंतर्गत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ स्वयं उठाता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो, पर पूँजीकृत किया जाता है।

परिचालन लीज : बैंक के विकल्प पर परिचालन लीज रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालन लीजों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त लीज व्यय की राशि वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 300.37 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 252.04 करोड़) है।

8

लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
मूल प्रति शेयर आय	₹ 9.12	₹ 7.51
डायलुटेड प्रति शेयर आय	₹ 9.12	₹ 7.51
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) कर के पश्चात निवल लाभ (करोड़ में)	7016.86	5541.78
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	769.16	737.89
ग) प्रति शेयर मूल/डायलुटेड आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	₹ 9.12	₹ 7.51
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

9

लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण :

सहायक कंपनी अर्थात महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय परिणामों को लेखा मानक 21 के अनुपालन में क्रमशः मूल बैंक के साथ समेकित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया जाता है।

सहयोगी अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में निवेश का लेखा-जोखा लेखांकन मानक 23 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण में किया गया है। इस उद्देश्य के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया जाता है।

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के संबंध में, केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी) का महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) में विलय अधिसूचित किया। तदनुसार, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में 1 मई 2025 से विलय हो गया है। (जिसमें वीकेजीबी की 35% हिस्सेदारी है)



इसके अतिरिक्त, वीकेजीबी के एमजीबी में उपरोक्त विलय के कारण, सहयोगी कंपनी में बैंक के निवेश की वहन राशि ₹380.02 करोड़ को निम्नानुसार समायोजित किया गया है:

- बैंक ने अपनी सहयोगी कंपनी का मूल्यांकन किया और तदनुसार वर्ष के दौरान बैंक के एकल वित्तीय विवरण में ₹280.59 करोड़ की हानि दर्ज की गई।

- शेष ₹99.43 करोड़ की राशि को एस-23 सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखांकन के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों के आरक्षित और अधिशेष में समायोजित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में एमजीबी के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए गए 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु ₹3.78 करोड़ के निवल घाटे में समूह का हिस्सा भी शामिल है, जिसके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी अलेखापरीक्षित हैं। समेकित वित्तीय परिणामों पर सहयोगी कंपनी के वित्तीय परिणामों का प्रभाव नगण्य होने की उम्मीद है।

10

लेखांकन मानक 22 - आय पर करों का लेखांकन :

क) चालू कर

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने चालू कर मद में ₹855.75 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹0.41 करोड़) लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किए हैं। चालू कर की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

ख) आस्थगित कर

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार बैंक ने एस-22 के अनुपालन में आय पर करों की गणना की है। तदनुसार, आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताएं निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानि के कारण	शून्य	शून्य
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	31.72	26.71
3) एएफएस आरक्षित के कारण (एएफएस आरक्षित से निर्मित)	121.92	शून्य
4) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	752.54	740.32
उप-जोड़ (क)	906.18	767.03
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	12.90	12.90
2) एएफएस आरक्षित के कारण (एएफएस आरक्षित से निर्मित)	शून्य	117.28
उप-जोड़ (ख)	12.90	130.18
निवल आस्थगित कर आस्तियां (क-ख)	893.28	636.85

चूंकि बैंक ने निर्धारण वर्ष 2021-22 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीए के अंतर्गत अनुमत न्यून कर दर के विकल्प का चयन किया है, अतः आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं।



11

लेखांकन मानक - 24 परिचालन बंद करना:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने अपनी ऐसी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि/संचालन को बंद नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं का निर्वहन और आस्तियों की बिक्री की गई हो और किसी भी व्यावसायिक

गतिविधि को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिस पर कोई उपर्युक्त प्रभाव पड़े।

12

लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

आंतरिक रूप से निर्मित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त :

उपयोगी अवधि	- 3 वर्ष
परिशोधन दर	- 33.33%
परिशोधन पद्धति	- लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	77.46	95.84
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	107.35	44.94
वर्ष के दौरान परिशोधन	61.72	63.32
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	123.09	77.46

13

लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि :

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह इंगित करता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। वर्ष के अंत में हानि के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है, किसी आस्ति को धारित करने या उपयोग करने की वसूली योग्यता का मापन आस्ति द्वारा निर्मित/भावी निवल भांजित नकदी प्रवाह की उस आस्ति की वहन राशि से तुलना द्वारा किया जाता है। यदि ऐसी आस्ति को खराब माना जाता है, तो इस हानि

को उस राशि द्वारा मापा व अभिनिर्धारित किया जाना है जिसके द्वारा आस्ति का वहन मूल्य आस्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है। हालांकि, बैंक के प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान आस्तियों में भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिसमें लेखा मानक 28 आस्तियों की हानि लागू होता है।

14

लेखांकन मानक 29 - प्रावधान

आकस्मिक देयताएं और बैंक के विरुद्ध आकस्मिक आस्तियां दावे, जिन्हें वर्ष के अंत में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
बकाया शेष	1343.30	1356.72
धारित प्रावधान	7.01	6.79



15

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.20 प्रति इक्विटी शेयर (₹10 के प्रति शेयर अंकित मूल्य अर्थात 12%) के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है, जो शेयरधारकों के आवश्यक अनुमोदन के अधीन है।

यदि यह अंतिम लाभांश स्वीकृत हो जाता है, तो यह वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किए गए ₹1.00 प्रति इक्विटी शेयर (10%) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त होगा।

16

बैंक के पास 31 मार्च 2026 तक कोविड-19 से संबंधित आकस्मिक प्रावधान के रूप में ₹1010 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है (पिछले वर्ष 31 मार्च 2025 तक ₹1200 करोड़ रुपये का प्रावधान था), बैंक ने वर्ष के दौरान ₹190 करोड़ के प्रावधानों को प्रतिवर्तित कर दिया है।

17

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है, ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना योग्य बनाया जा सके।



31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
आय				
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज	29281,74,33		24947,58,06	
एसोसिएट्स में आय/हानि का भाग	-103,21,18		20,90,97	
अन्य आय	3541,97,90	32720,51,05	3455,02,45	28423,51,48
घटाएं: व्यय व प्रावधान				
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज	15616,14,87		13280,57,51	
परिचालन व्यय	6379,93,13		5801,49,65	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3807,00,72	25803,08,72	3799,66,64	22881,73,80
निवेश/विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित के उचित मूल्यांकन के कारण आरक्षित में वृद्धि/कमी				
व्यय से आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि		6917,42,33		5541,77,68
जोड़े : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें				
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3807,00,72		3799,66,64	
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	343,60,53		290,59,75	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि	-1,75,23		- ,37,51	
एसोसिएट्स में आय/हानि का भाग	103,21,18		-20,90,97	
बॉण्ड, पीसीपीएस व पीडीआई पर ब्याज	684,22,91		581,30,25	
निवेश/विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित के उचित मूल्यांकन के कारण आरक्षित में हुई वृद्धि/कमी	-693,64,94	4242,65,17	468,93,75	5119,21,91
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल)		11160,07,50		10660,99,59
		905,00,00		-
परिचालन से अर्जित नकद लाभ (I)		10255,07,50		10660,99,59
परिचालन देयताओं की वृद्धि/(कमी) :				
जमाराशियां	43417,93,82		36393,88,03	
बॉण्ड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां	11381,06,05		13310,66,00	
अन्य देयताएं व प्रावधान	-4774,39,05		-3302,12,21	
परिचालन देयताओं में कुल वृद्धि	50024,60,82		46402,41,82	
घटाएं : परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी)				
निवेश	19372,16,24		13751,08,09	
अग्रिम	52020,50,69		35843,91,09	
अन्य आस्तियां	223,04,50		-159,42,13	
परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि	71615,71,43		49435,57,06	
परिचालन आस्तियों से परिचालन देयताओं में निवल वृद्धि (II)		-21591,10,61		-3033,15,24
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क) = (I+II)		-11336,03,11		7627,84,35



(₹ हजार में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अचल संपत्तियों का विक्रय	16,13,31		3,55,33	
निवेश विक्रय कर पूंजी आरक्षित निधि में हस्तांतरित	2,51,60		-	
अचल संपत्तियों का क्रय	-421,59,82		-519,40,74	
एसोसिएट्स में आय/हानि का भाग	-103,21,18		20,90,97	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		-506,16,09		-494,94,44
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
i) बॉण्ड को जारी/(मोचन) करना	-		2823,00,00	
ii) वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	-1922,88,87		-991,39,23	
iii) बॉण्ड, पीसीपीएस व पीडीआई पर ब्याज	-684,22,91		-581,30,25	
iv) ईक्विटी शेयर्स जारी करना	-		3500,00,00	
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)		-2607,11,78		4750,30,52
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		-14449,30,98		11883,20,44
द्वारा प्रतिनिधित्व -				
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष				
नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष		37992,99,50		21161,34,19
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्त्य धन		4201,91,43		9150,36,30
उप योग		42194,90,93		30311,70,49
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष				
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष		26645,31,05		37992,99,50
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्त्य धन		1100,28,90		4201,91,43
उप योग		27745,59,95		42194,90,93
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह		-14449,30,98		11883,20,44

नोट : पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः एकत्रित एवं पुनः वर्गीकृत किया गया है।

प्रसेनजीत फडणवीस निदेशक	प्रवीण कुमार निदेशक	संजीव प्रकाश निदेशक	डॉ. अभिजीत फुकन निदेशक
सुशांता कुमार मोहंती कार्यपालक निदेशक	प्रभात किरण कार्यपालक निदेशक		निधु सक्सेना प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
नितेश कुमार जैन सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा	केयूर तलाटी सहायक महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा		सुनील धूत मुख्य वित्तीय अधिकारी
हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार			
कृते मेसर्स जी डी आउटे एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन-100515W सीए सी एम दीक्षित भागीदार सदस्यता क्र. : 017532 यूडीआईएन - 26017532TKMGFC4849	कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार एफआरएन-106041W/W100136 सीए वितेश डी गांधी भागीदार सदस्यता क्र. : 110248 यूडीआईएन - 26110248EOZMWS6466	कृते मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन-003510S सीए डी मनोहर भागीदार सदस्यता क्र. : 029644 यूडीआईएन - 26029644TTMBCK8027	कृते मेसर्स एस सिंघल एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन-001526C सीए मुकेश कुमार खंडेलवाल भागीदार सदस्यता क्र. : 074661 यूडीआईएन - 26074661DMPLDX2998
स्थान : पुणे 20 अप्रैल, 2026			



मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कंपनी सनदी लेखाकार डी-509, नीलकंठ बिजनेस पार्क, नथानी रोड, विद्या विहार पश्चिम, मुंबई - 400086.	मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी सनदी लेखाकार चौथी मंजिल, कैपिटल वन, अशोक वाटिका बीआरटीएस स्टॉप के सामने, अंबली बोपल रोड, अहमदाबाद 380058
मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार म. नं. 6-3-244/5 शारदादेवी स्ट्रीट प्रेमनगर, हैदराबाद - 500004	मेसर्स एस. सिंघल एंड कंपनी सनदी लेखाकार एस-4, गोर्धन एन्क्लेव, 4बी, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
भारत के राष्ट्रपति और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्यगण
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

ग. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण के मामले में, नकद प्रवाह का वास्तविक और उचित दृष्टिकोण।

अभिमत

- हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) और इसकी सहायक कंपनी (बैंक और इसकी सहायक कंपनी को सामूहिक रूप से समूह कहा गया है) तथा इसके संबद्ध संस्थान के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकद प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिन्हें इसके बाद समेकित वित्तीय विवरण कहा गया है) शामिल हैं, जिनमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित हैं -

- बैंक के लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण;
 - महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नामक अनुषंगी कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण;
 - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक नामक संबद्ध संस्थान के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी।
- हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबद्ध संस्थान के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित जानकारी समूह और उसके संबद्ध संस्थान के लिए अपेक्षित तरीके से देते हैं, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और निम्नलिखित दर्शाते हैं:
- समेकित तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार समूह और उसके संबद्ध संस्थान के कार्य व्यवहार की स्थिति का निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण;
 - उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में, समूह और उसके संबद्ध संस्थान के लाभ का वास्तविक शेष; और

अभिमत का आधार

- हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां' अनुभाग में आगे वर्णित हैं। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह और उसके संबद्ध संस्थान से स्वतंत्र हैं जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, जिनमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे अन्य पहलू पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार के साथ, हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का सार

- हम समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में नोट संख्या 16 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहाँ बैंक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक प्रावधान के रूप में 1010 करोड़ रुपये का कोविड-19 संबंधित प्रावधान रखना जारी रखता है।
- हम समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में नोट 9 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि विवरणों में संबद्ध संस्थान, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (35% धारिता) के संबंध में वित्तीय विवरण भी शामिल हैं, जिनके 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की इस रिपोर्ट की तारीख तक लेखा परीक्षा नहीं की गई है। विवरण में उस संबद्ध संस्थान के संबंध में 3.78 करोड़



रुपये की शुद्ध हानि का समूह का हिस्सा शामिल है जिसके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है। ये अपरीक्षित वित्तीय विवरण संबद्ध संस्थान के प्रबंधन द्वारा तैयार और प्रमाणित किए गए हैं और विवरण पर हमारी राय, जहाँ तक यह इस इकाई के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अपरीक्षित वित्तीय विवरणों और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं पर आधारित है जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में बताया गया है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबद्ध संस्थान के वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, संबद्ध संस्थान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में निवेश के संबंध में, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के साथ समामेलन के अनुसरण में, एकल वित्तीय विवरणों में 280.59 करोड़ रुपये की हानि दर्ज की गई है और 99.43 करोड़ रुपये की

शेष राशि को एस-23 संबद्ध संस्थानों में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की आरक्षितियों और अधिशेष में समायोजित किया गया है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

प्रमुख लेखा परीक्षा पहलू

- प्रमुख लेखा परीक्षा पहलू वे पहलू हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने हेतु इन पहलुओं को शामिल किया गया और इन मामलों पर हमारी कोई अलग राय नहीं है। हमारी रिपोर्ट में दर्शाने हेतु निम्न वर्णित पहलुओं को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा पहलू माना है।

क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए मुख्य लेखा परीक्षा पहलू :		
1.	अग्रिमों का वर्गीकरण और आरबीआई के आईआरएसीपी दिशानिर्देशों का अनुपालन: (तुलन-पत्र की अनुसूची 9 और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न और उसके भाग के रूप में अनुसूची 17 की नोट संख्या 4 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां देखें) 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, अग्रिम बैंक की कुल आस्तियों का 67.41% का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अग्रिमों में खरीदे गए और भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर प्रतिदेय ऋण और सावधि ऋण शामिल हैं। इन्हें प्रतिभूति, गारंटी और क्षेत्रों के आधार पर आगे वर्गीकृत किया गया है। बैंक वित्तीय वर्ष के लिए लागू भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों हेतु प्रावधान (आईआरएसीपी) संबंधी मास्टर परिपत्रों/निर्देशों के आधार पर अग्रिमों को निष्पादित आस्तियों या गैर-निष्पादित आस्तियों में वर्गीकृत करता है। आरबीआई द्वारा जारी निर्देश/दिशानिर्देश बैंक द्वारा स्वीकृत सभी ऋण सुविधाओं के लिए लागू हैं और आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के उद्देश्य से इनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। बैंक का आईटी वातावरण जटिल है और इसमें लेनदेन की एक बड़ी मात्रा की प्रक्रियाओं और रिकॉर्डिंग के लिए बैंक के संचालन में उपयोग किए जाने वाले कई स्वतंत्र और परस्पर निर्भर आईटी सिस्टम (कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीएस सहित) शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए ऐसी आईटी प्रणालियों पर निर्भरता और उच्च स्तर का भरोसा है।	बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में दोनों का संयोजन शामिल था - अग्रिमों के वर्गीकरण और आरबीआई के आईआरएसीपी दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों, संबंधित प्रक्रियाओं और पर्याप्त प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण। हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल थे: क) गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान, वर्गीकरण और प्रावधान के लिए आईआरएसीपी मानदंडों के अनुपालन हेतु सीबीएस और अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में उपयोग किए गए तर्क और मान्यताओं की समीक्षा करना। ख) एनपीए की प्रणाली-आधारित पहचान और वर्गीकरण में आवश्यक मैन्युअल हस्तक्षेप के संबंध में जानकारी प्राप्त की, ऐसे मैन्युअल हस्तक्षेपों के लिए उनके प्राधिकरण, समीक्षा और रिपोर्टिंग तंत्र सहित प्रतिपूरक नियंत्रणों का आंकलन किया। ग) अग्रिमों से संबंधित जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) प्राप्त किया और उसकी समीक्षा की तथा अग्रिमों के वर्गीकरण और उनके प्रावधान के संबंध में प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। घ) सीबीएस में आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान प्रक्रिया पर आईटी सामान्य नियंत्रणों के परीक्षण के लिए हमारे आंतरिक आईटी विशेषज्ञ को शामिल किया। ड) नमूना आधार पर अतिदेय, देय तारीख के बाद के दिनों की पुनर्गणना की और परीक्षण किया कि क्या खातों को तदनुसार



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.	बैंक एनपीए की पहचान, उसके वर्गीकरण और लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए अपने सीबीएस पर निर्भर करता है। इसके अलावा, बैंक ऐसे अग्रिमों हेतु ली गई जमानत के मूल्यांकन और प्रवर्तनीयता को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं, कानूनी विशेषज्ञों आदि जैसे विभिन्न विशेषज्ञों की सेवाएं भी लेता है। जटिलता के उच्च स्तर को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधान और आरबीआई के आईआरएसीपी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रबंधन के विवेक, अनुमानों और विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों कारकों के अनुप्रयोग के काफी स्तर की आवश्यकता होती है। यदि अग्रिमों के वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में 'आरबीआई आईआरएसीपी दिशानिर्देशों' का उचित पालन नहीं किया जाता है, तो महत्वपूर्ण गलत विवरण का एक बड़ा जोखिम है। तदनुसार, 'लेखा परीक्षा मानक - एसए 701 स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामलों का संचार' में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार, हमने इस पहलू को एक मुख्य लेखा परीक्षा पहलू के रूप में पहचाना है।	निष्पादित/एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई के 'सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स' (सीआरआईएलसी) को दी गई रिपोर्टिंग, एनपीए की तिथियों (एनपीए खातों के मामले में) का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया कि लागू प्रावधान आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की नीति के अनुसार किए गए हैं। च) कुल अग्रिमों, एनपीए और दबावग्रस्त पोर्टफोलियो के उतार-चढ़ाव में प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं कीं। छ) नियंत्रणों, निगरानी और पर्यवेक्षण के अस्तित्व और प्रभावशीलता, नीतियों, प्रक्रियाओं के पालन, शक्तियों के प्रत्यायोजन, नियंत्रण कार्यालयों के निर्देशों, अनुपालन और शासन तंत्र आदि का आकलन करने के लिए परीक्षण के आधार पर समवर्ती लेखा परीक्षाओं, आंतरिक निरीक्षणों, प्रबंधन लेखा परीक्षाओं, राजस्व लेखा परीक्षाओं, उत्पाद स्तर पर आईआरएसीपी तर्क की लेखा परीक्षा, नियामक लेखा परीक्षाओं आदि की रिपोर्ट प्राप्त की और उनका अध्ययन किया। ज) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, संबंधित शाखाओं में समग्र पोर्टफोलियो को कवर करते हुए परीक्षण जांच के आधार पर बड़े, दबावग्रस्त, पुनर्गठित और अन्य अग्रिमों की जांच के माध्यम से पर्याप्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं, जिसमें स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्टों की समीक्षा और अध्ययन, बड़े अग्रिमों की विशेष निगरानी के लिए एजेंसियां, ऋण/स्टॉक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी रिपोर्ट, ऋणदाताओं के स्वतंत्र इंजीनियरों आदि की रिपोर्ट शामिल थी; शाखा स्तर पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। झ) एसए - 600 - के अनुसार, दूसरे लेखा परीक्षकों के काम का उपयोग करते हुए, उन्हीं के अनुपालन को सत्यापित करने की सलाह देने के लिए वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) के साथ संवाद किया गया। आईआरएसीपी दिशानिर्देशों और नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा बैंक द्वारा पालन किए जाने वाले वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में लागू मानदंड। एसबीए द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का अवलोकन और उन पर भरोसा किया गया। ञ) अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में अग्रिमों और एनपीए के समेकन की प्रक्रिया को प्राप्त किया और समझा। शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए नमूना आधार पर समेकन प्रक्रिया की जांच की।



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1.		ट) हमारी पर्याप्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में, बैंक द्वारा तैयार किए गए प्रावधानों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, सामूहिक पोर्टफोलियो आधार पर मानक श्रेणी के तहत अग्रिमों हेतु और एनपीए के संबंध में केस-टू-केस आधार पर, रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों पोर्टफोलियो के लिए नमूना आधार पर प्रावधानों की पुनर्गणना की। ठ) लागू लेखांकन मानकों और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की।
2.	निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण: (तुलन-पत्र की अनुसूची 8 और एकल वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची 17 की नोट संख्या 3 देखें) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है, परिपक्वता के लिए रखा गया (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के साथ व्यापार के लिए रखा गया (एचएफटी)। 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार निवेश बैंक की कुल आस्तियों का 23.75% है और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निवेश पर ब्याज बैंक की कुल आय का 19.86% है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, निवेश पर आय की पहचान, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, आय की तदनुसूची गैर-पहचान और उनके विरुद्ध प्रावधान शामिल हैं। पूर्वोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित मूल्यांकन पदानुक्रम के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे फिमडा/एफबीआईएल दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, म्यूचुअल फंड के एनएवी, एआईएफ, वीसीएफ, सुरक्षा रसीदें आदि से डाटा/जानकारी का संग्रह शामिल है। निवेश मूल्यांकन में शामिल जटिलता और महत्वपूर्ण निर्णय, लेनदेन की मात्रा, निवेश पोर्टफोलियो के आकार और बढ़े हुए नियामक फोकस को ध्यान में रखते हुए, हमारी लेखा परीक्षा निवेश के मूल्यांकन, उनके वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और संबंधित प्रावधान पर केंद्रित थी। तदनुसार, इस क्षेत्र को मुख्य लेखा परीक्षा पहलू के रूप में निर्धारित किया गया है।	निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण आरबीआई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में है, जिसमें आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण, संबंधित प्रक्रिया और वर्गीकरण, मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में पर्याप्त प्रक्रियाएं शामिल हैं। निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: क) मूल्यांकन, वर्गीकरण, आय की मान्यता, गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को हमने समझा और उसकी समीक्षा की। ख) हमने वर्ष के दौरान निष्पादित निवेश समझौतों, टर्म शीट, डील टिकट और ब्रोकर अनुबंध नोटों की नमूना आधार पर समीक्षा की, ताकि निवेश के उन प्रमुख नियमों और शर्तों को समझा जा सके जो निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यांकन पर प्रभाव डालते हों। ग) निवेशों के चयनित नमूने के लिए, प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी हेतु अस्तित्व, सटीकता, पूर्णता और आरबीआई दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया। नमूनों का चयन इस तरह से किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) कवर हो जाएं। घ) नमूना आधार पर निवेश पोर्टफोलियो का सत्यापन किया और आय, बिक्री से लाभ/हानि के निर्धारण में विभिन्न पर्याप्त विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं कीं और लाभ और हानि खाते में लाभ/हानि की पहचान हेतु बैंक द्वारा कार्यान्वित नियंत्रणों का परीक्षण किया।



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
2.		ड) हमने नियंत्रणों के डिजाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया और निवेश के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी के संग्रह और एकत्रीकरण हेतु प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। इसके अतिरिक्त, हमने लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करते हुए गैर-उद्धृत निवेशों के संबंध में परीक्षण जांच के आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकन प्रक्रियाएं कीं और प्रबंधन द्वारा निर्धारित मूल्यों से परिणामों की तुलना की। च) हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का आकलन किया, जिसमें लागू दिशानिर्देशों के संदर्भ में आय के संबंधित उत्क्रमण और प्रावधानों के निर्माण शामिल हैं। एनपीआई वर्गीकरण के लिए आरबीआई मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए नमूना आधार पर, श्रेणियों में परीक्षण किए गए निवेशों का परीक्षण किया गया। इसके अलावा, प्रासंगिक आरबीआई परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार, बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रावधानों और मूल्यहास की स्वतंत्र पुनर्गणना सहित पर्याप्त प्रक्रियाएं की गईं। छ) बैंक द्वारा आयोजित आंतरिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा आदि की रिपोर्टों की समीक्षा की। ज) हमने यह सुनिश्चित किया है कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों के नोटों के माध्यम से पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं।
3.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा: बैंक का एक जटिल सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र आईटी प्रणालियाँ और अनुप्रयोग शामिल हैं, जिनका उपयोग विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन प्रक्रियाओं और रिकॉर्डिंग के लिए बैंक के दैनिक कार्यों में किया जाता है। साथ ही बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं को बैंकिंग समाधान (सीबीएस), ट्रेजरी सॉल्यूशंस, आईआरएसी और अन्य सभी संबद्ध प्रणालियों, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और हार्डवेयर नियंत्रणों पर काफी निर्भर हैं। स्वचालन के उच्च स्तर, आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता, आईटी प्रणालियों के एक साथ और महत्वपूर्ण उपयोग को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी आईटी प्रणालियाँ डाटा को अपेक्षित रूप से, पूर्णता, सटीकता और निरंतरता के साथ विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संसाधित करने में सक्षम हैं। उपयुक्त आईटी सामान्य नियंत्रण और अनुप्रयोग नियंत्रण आवश्यक हैं। इसलिए, आईटी सिस्टम नियंत्रणों को एक प्रमुख लेखापरीक्षा पहलू माना गया है, क्योंकि किसी भी नियंत्रण में चूक, सत्यापन विफलता, गलत इनपुट डाटा और डाटा के गलत निष्कर्ष के परिणामस्वरूप प्रबंधन और नियामकों को गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	हमारी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: क. हमने अपनी आंतरिक आईएस लेखा परीक्षा टीम को शामिल किया और वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से प्रासंगिक बैंक के आईटी संबंधित प्रक्रियाओं व आईटी अनुप्रयोगों को समझा। ख. इस उद्देश्य के लिए, हमने बैंक द्वारा लागू की गई विभिन्न आईटी नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यविधियों के संबंध में प्रक्रिया स्वामियों के साथ चर्चा की। इन आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जिनमें उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, बैकअप और रिकवरी प्रक्रियाएं, सिस्टम और साइबर सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रियाएं, कर्तव्यों का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर समझौते, सुरक्षा नीतियां शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और इस संबंध में प्रासंगिक नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं। ग. आईटी अनुप्रयोगों पर बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। विशेष रूप से आईटी



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
3.		सामान्य नियंत्रणों, तार्किक पहुंच, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रणों के पहलुओं का परीक्षण किया। घ. परीक्षण किया कि प्रणालियों तक पहुंच के अनुरोधों की उचित समीक्षा और उन्हें अधिकृत किया गया था; एक्सेस अधिकारों की बैंक की आवधिक समीक्षा के संबंध में नियंत्रणों का परीक्षण किया; उचित अनुमोदन और प्राधिकरणों के लिए प्रणालियों में परिवर्तनों के अनुरोधों का निरीक्षण किया। ङ. बैंक द्वारा नियुक्त आंतरिक/बाहरी आईएस लेखा परीक्षकों, सलाहकारों द्वारा की गई विभिन्न विशिष्ट लेखा परीक्षाओं की रिपोर्टों की समीक्षा की और उन पर भरोसा किया और प्रमुख आईटी नियंत्रणों, जिसमें आईआरएसी स्वचालन नियंत्रण शामिल हैं, के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की। च. उपरोक्त के अतिरिक्त, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना गया था। छ. नमूना आधार पर, प्रणालियों से प्राप्त परिणामों का अन्य सूचना स्रोतों के साथ सत्यापन किया और डाटा निकालने के लिए उपयोग किए गए तार्किक तर्क का परीक्षण किया। ज. प्रतिपूरक नियंत्रणों या सुधारात्मक नियंत्रणों के संयोजन का परीक्षण किया जैसे कि प्रणालियों और अन्य सूचना स्रोतों के बीच समाधान और/या जहाँ आवश्यक हो, वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं कीं।
4.	प्रावधान और आकस्मिक देयताएं: अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों के संबंध में कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयता का आकलन जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 17 की नोट संख्या 10 और अनुसूची 18 की नोट संख्या 16 देखें) प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक के आकलन को मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और जहां भी आवश्यक समझा जाए, कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह से समर्थन मिलता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित जुड़ी हुई अनिश्चितता के मद्देनजर उपरोक्त क्षेत्र को एक मुख्य लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसमें कानून की व्याख्या में निर्णय के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है।	प्रावधानों और आकस्मिक देयता की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं: क) हमने परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है। ख) मुकदमों/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर अधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और सूचनाओं की जांच करना और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों की जांच करना ग) उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह, जिसमें विशेषज्ञों की राय शामिल है, के संदर्भ में विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया। घ) हमने संभावित बहिर्वाह और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा



क्र.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
4.		की। इन अनिश्चित कर/गैर-कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी मिसाल और अन्य निर्णयों पर विचार किया गया। इसके अलावा हमने प्रबंधन के निर्णयों, उद्योग स्तर के विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमानों और ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों की राय पर भरोसा किया है। ड) महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरणों का सत्यापन किया। च) हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और शामिल कानून के निर्णयों/व्याख्या के विश्लेषण पर केंद्रित थी। छ) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षा/प्रधान कार्यालय में उपलब्ध सीमा तक अतिरिक्त जानकारी के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियों पर भरोसा।

समेकित वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में अनुलग्नकों के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसके इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय 'अन्य जानकारी' और बेसल खखख के तहत 'पिलर 3' प्रकटीकरणों को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस मामले में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' और 'निदेशकों की रिपोर्ट' पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को इस मामले की जानकारी देना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन हेतु जिम्मेदार का उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण और लेखांकन मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्ध संस्थानों में निवेश के लिए लेखांकन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुरूप समूह और इसके संबद्ध संस्थान की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकद प्रवाह का एक सत्य और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। समूह और इसके संबद्ध संस्थान में शामिल इकाइयों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और इसके संबद्ध संस्थान की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाने; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित थे, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं, जो सत्य और उचित दृष्टिकोण देते हैं और महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, जिनका उपयोग बैंक के निदेशकों द्वारा उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, समूह और इसके संबद्ध संस्थान में शामिल इकाइयों का संबंधित प्रबंधन, समूह और इसके संबद्ध संस्थान की लाभकारी जारी संस्थान के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, संबंधित मामलों का खुलासा करने, जैसा लागू हो, और लेखांकन के 'लाभकारी जारी संस्थान' आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

समूह और संबद्ध संस्थान में शामिल इकाइयों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और इसके संबद्ध संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

8. हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें तब महत्वपूर्ण माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनके बारे में यह उचित रूप से अपेक्षित हो कि वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

- लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:
- समेकित वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों के जोखिमों की पहचान और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण; उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और निष्पादित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान कर सकें धोखाधड़ी से होने वाले तात्त्विक गलत विवरण का पता न चलने का जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लाभकारी जारी प्रतिष्ठान आधार के प्रयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके संबद्ध संस्थान की चालू प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तात्त्विक अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करें या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपने मत को संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ समूह और उसके संबद्ध संस्थान को चालू प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करना।

समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह की संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम उन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं और जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, वे लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा कार्य के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बने रहेंगे।

साख समेकित वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों का वह परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, इस बात की संभावना बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय इससे प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में पहचाने गए गलत विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक तात्त्विकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम बैंक के शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों (दोड़ चार्ज्ड विद गवर्नेस) के साथ, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, अन्य बातों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पहचानी गई कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं।



हम शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संचार करते हैं जिनके बारे में तर्कसंगत रूप से यह माना जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहाँ लागू हो, वहाँ संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी सूचित करते हैं।

शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों में से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा पहलू हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इन पहलू का वर्णन तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियम उस पहलू के सार्वजनिक प्रकटीकरण को वर्जित न करते हों या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी पहलू को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों का सार्वजनिक हित के लाभों की तुलना में अधिक होने की तर्कसंगत रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

अन्य पहलू

9. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल हैं:

क. हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2026 तक ₹28.53 करोड़ की कुल संपत्ति, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹3.58 करोड़ का कुल राजस्व और ₹1.31 करोड़ का कर पश्चात शुद्ध लाभ, तथा ₹1.56 करोड़ का शुद्ध नकद प्रवाह दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिसकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, पूरी तरह से ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ख. हमने एक सहयोगी संस्था के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹3.78 करोड़ की शुद्ध हानि में समूह का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी अलेखापरीक्षित (अन-ऑडिटेड) हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक सहयोगी संस्था के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/

वित्तीय जानकारी समूह के लिए तात्त्विक (मटेरियल) नहीं हैं।

10. 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनमें से 2 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थे और उन्होंने 25 अप्रैल, 2025 की रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय (अन-मॉडिफाइड ओपिनियन) व्यक्त की थी।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में इन मामलों में संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

11. समेकित तुलन पत्र (बैलेंस शीट), समेकित लाभ और हानि खाता तथा समेकित नकद प्रवाह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं:

उपर्युक्त पैराग्राफ 7 से 10 में इंगित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित प्रावधानों के अधीन, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के वे लेनदेन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के भीतर रहे हैं; और

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

12. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों पर 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या डीओएस. एआरजी.क्र. 6270/08.91.001/2019-20, जिसे आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के आगामी संचार के साथ पढ़ा जाए, द्वारा अपेक्षित अनुसार हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

क) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं, उस सीमा तक जहाँ तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर ऐसी कोई टिप्पणी या विचार नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।



- ग) चूंकि बैंक और उसके सहयोगी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने से अयोग्यता के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि, सहायक कंपनी (एक कंपनी) के मामले में, निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च, 2026 तक कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
- घ) खातों के रख-रखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में ऐसी कोई अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ङ) आईसीएआई द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड के पैरा 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समूह के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की गई है।

13. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें बैंक द्वारा रखी गई हैं, जहाँ तक उन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं;
- ख) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और नकद प्रवाह का समेकित विवरण लेखा पुस्तकों और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है;
- ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखा संबंधी प्रतिवेदन हमें भेज दिए गए हैं और इस प्रतिवेदन को तैयार करने में हमने उन पर उचित रूप से विचार किया है; तथा
- घ) हमारी राय में, समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ-हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं, उस सीमा तक जहाँ वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

कृते मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कंपनी	कृते मेसर्स मनुभाई एंड शाह एलएलपी	कृते मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स	कृते मेसर्स एस. सिंघल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 100515डबल्यू	एफआरएन 106041डबल्यू/डबल्यू100136	एफआरएन 003510एस	एफआरएन 001526सी
सीए सी एम दीक्षित भागीदार	सीए वितेश डी. गांधी भागीदार	सीए डी. मनोहर भागीदार	सीए मुकेश कुमार खंडेलवाल भागीदार
सदस्यता क्र. 017532	सदस्यता क्र. 110248	सदस्यता क्र. 029644	सदस्यता क्र. 074661
यूडीआईएन : 26017532TKMGFC4849	यूडीआईएन : 26110248EOZMWS6466	यूडीआईएन : 26029644TTMBCK8027	यूडीआईएन : 26074661DMPLDX2998

स्थान : पुणे

दिनांक: 20 अप्रैल 2026



Annual Report

2025-2026



NIDHU SAXENA
MANAGING DIRECTOR & CEO

Statement of Managing Director & CEO

Dear Shareholder,

It is a moment of reflection as much as it is of reporting, as we look back on a year marked by sustainability, discipline, and institutional strengthening. The progress we present today is not merely a reflection of financial outcomes, but of the discipline, trust, and long-term orientation that continue to define our journey.

Your continued confidence has been central to this progress. It has enabled us to remain focused on what truly matters — building a resilient institution, deepening customer relationships, and delivering sustainable value across cycles. I am pleased to share with you the performance of your Bank for the Financial Year 2025–26.

Economic and Banking Overview

The global economy over the year remained broadly stable, though underlying fragilities continued to persist. Evolving geopolitical developments, shifting trade equations, and divergent monetary policy paths across major economies have continued to create pockets of uncertainty. While inflation has shown signs of moderation, it remains sensitive to supply-side disruptions and global commodity movements, warranting a cautious and calibrated policy approach.

In contrast, India's growth trajectory continues to demonstrate strength and stability. Supported by robust domestic demand, improving investment activity, and sustained policy momentum, the economy remains well-positioned among the fastest-growing major economies. The Union Budget reinforces a clear commitment to fiscal consolidation while maintaining a strong thrust on capital expenditure, infrastructure development, manufacturing, and employment generation — laying a durable foundation for long-term growth in line with the vision of 'Viksit Bharat'.

The banking sector has continued to exhibit resilience, with strengthened balance sheets, improved asset quality, and healthy credit expansion. Recent regulatory measures by the Reserve Bank of India, including tighter norms around liquidity, project finance, and risk management, underscore a forward-looking approach towards safeguarding systemic stability. These developments, while requiring calibrated adjustments, also strengthen the sector's long-term sustainability.

Growth impulses remain anchored in key sectors such as agriculture and MSMEs, which continue to play a pivotal role in driving inclusive economic development. At the same time, rapid digitalization and evolving customer expectations are reshaping the contours of banking, placing greater emphasis on agility, innovation, and trust.



Financial Performance of Your Bank

Your Bank delivered a steady and well-rounded performance during the Financial Year 2025–26, reflecting disciplined execution across key business areas. Growth was supported by a strengthened deposit franchise and a calibrated approach to credit. This performance underscores our continued focus on sustainability, resilience, and value creation.

Business

- Total Business grew by 17.47% to ₹ 6,42,531 crore as on 31.03.2026 from ₹ 5,46,979 crore as on 31.03.2025.
- Total Deposits increased by 14.14% to ₹ 3,50,564 crore as on 31.03.2026 from ₹ 3,07,143 crore as on 31.03.2025.
- CASA Deposit rose by 12.48% to ₹ 1,84,087 crore as on 31.03.2026 from ₹ 1,63,657 crore as on 31.03.2025.
- Gross Advances grew by 21.74% to ₹ 2,91,967 crore as on 31.03.2026 from ₹ 2,39,837 crore as on 31.03.2025.

Profitability

- Net Profit increased by 27.17% reaching ₹ 7,019 crore in FY 2026, compared to ₹ 5,520 crore in FY 2025.
- Operating profit grew by 16.17% to ₹ 10,826 crores in FY26 from ₹ 9,319 crore in FY25.
- Net Interest Income (NII) rose by 17.13% to ₹ 13,664 crores in FY26 up from ₹ 11,666 crore in FY 25.
- Net interest Margin (NIM) remained healthy at 3.90% in FY 26.
- Fee-based income increased by 7% to ₹ 1,862 crore in FY26 from ₹ 1,741 crore in FY25.

Efficiency Ratios

- Cost to Income Ratio stood at 37.08% in FY26, compared to 38.37% in FY 25.
- Return on Asset (ROA) improved to 1.86% in FY26 from 1.75% in FY25.
- Return on Equity (ROE) increased to 23.19% in FY 26 from 22.92% in FY25.
- The Total Business per employee improved to ₹ 41.20 crore FY26 as against ₹ 37.48 crore in FY25.

Asset Quality

- Gross NPA reduced to 1.45% as on 31.03.2026 from 1.74 % as on 31.03.2025.
- Net NPA declined to 0.13% as on 31.03.2026 compared to 0.18% as on 31.03.2025.
- Provision Coverage Ratio (PCR) improved to 98.59% as on 31.03.2026 as against 98.26% as on 31.03.2025.

Capital Adequacy

- Your Bank continues to maintain a robust capital position. Our Total Basel III Capital adequacy ratio (CRAR) is maintained at 18.36% and a Common Equity Tier 1 ratio at 14.59%.

Dividend

- I am happy to inform you that your Bank has recommended a dividend of ₹ 1.20 per every fully paid-up equity share of ₹ 10 from the Bank's net profit for the financial year ended 31st March 2026, subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting (AGM) of the Bank. This is in addition to the interim dividend of ₹ 1.00 per equity share (10%) declared on 13.01.2026 and paid during the financial year.

Digital Transformation

Your Bank has been steadily enhancing its digital infrastructure to provide seamless services and to improve the banking experience for both customers and staff. The Bank is integrating cutting-edge technology to elevate the banking experience and is forming significant partnerships with industry players to thrive in the digitalization sector, offering top-tier products and services. Some of the key initiatives implemented by the bank in the FY 2025-26 are outlined below –

- Your Bank has implemented various end to end digital journeys like PM Suryaghar, Housing Loan for EWS (PM Awas Yojana), Business Channel Interface for Direct Selling Agents, Pre-Qualified Personal Loan, E-GST for New to Bank MSMEs, Digital Mudra Term Loan, Digital journey for Self Help Groups, Digital Kisan Tatkal Loan for farmers. Bank has also integrated with RBIH's flagship program for Unified Lending Interface for providing seamless digital lending access to all. Additionally, the Bank has a healthy pipeline of new offerings which includes Digital Kisan Credit Card STP & assisted journeys, Digital Business loan for 'Existing-to-Bank' and 'New-to-Bank' customers, Digital Housing loans etc. which will further improve the Bank's digital footprint.
- As part of its digital infrastructure, your Bank has implemented DigiLEAP(Digital Liability Express Account Platform) – a tablet based liability account



opening solution as an alternate mode for account opening at branches to ensure stricter adherence to all regulatory requirements and compliances, offer a better customer experience to increase market share, and reduce manual work hour of branch staff. The application will be provided to all field functionaries to help them in opening of accounts.

- As part of compliance to regulatory directives, bank has implemented TRRACS (Trade Regulatory Reporting and Compliance System). The solution is designed to ensure seamless compliance with RBI's EDPMS and IDPMS reporting requirements. This approach minimizes manual intervention, enhances accuracy, and provides a secure, centralized mechanism for regulatory reporting.
- Your Bank has launched its new mobile banking application, "Zen Lyfe" on 24.09.2025, inaugurated by the Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman. Zen Lyfe is designed as a lifestyle banking platform that seamlessly integrates core banking services with everyday lifestyle needs on a single digital ecosystem. In addition to account management, payments, and fund transfers, the application offers curated lifestyle services such as travel, shopping, dining, and entertainment with a consistent and intuitive user experience.
- Bank has implemented Robotic Process Automation (RPA) across 120+ processes as on date. This has contributed in the elimination of operational redundancy and the establishment of a more agile operational system across various segments. Bank is currently working on implementing RPA in several additional identified processes to further enhance its operational efficiency.
- Considering the growing application of Artificial Intelligence, your Bank has successfully implemented AI-powered Predictive Analysis to forecast Non-Performing Asset (NPA) trends, debt recovery prediction and stress prediction in the retail housing loan segment. This has given a strong boost to Bank's digital services while driving innovation to credit recovery and risk-based decision making with improved efficiency and customer experience in a cost-effective manner.
- UPI channel of the Bank has undergone significant enhancements by incorporating essential services for enhancing customer convenience. Bank has also launched Central Bank Digital Currency (CBDC) which is India's Digital Rupee (e₹), issued by the Reserve Bank of India (RBI). It is the digital form of sovereign currency and is at par with physical currency offering RBI guarantee, finality of settlement and ease of use similar to cash. The e₹ is stored in a digital wallet and can be used for sending, receiving, and making payments.

- Bank has improved accessibility and modernized its banking services by upgrading all ATMs to the latest technology, which includes ATMs and recyclers equipped with features for individuals with disabilities. Self-service Passbook Kiosks and Multifunction Kiosks have been strategically placed at multiple locations. Bank has significantly expanded its ATM network by installing 280+ new ATMs and Cash Recyclers, resulting in notable enhancements in operational efficiency.
- Bank is exploring possibilities for meaningful collaborations with the industry players for leveraging best banking services. Bank has strategically on boarded more than 114 Fintechs (Financial Technology) with a suite of financial services and is working with more than 16 Fintechs for various technological initiatives.
- Various initiatives undertaken by the Bank in the field of digitalization are yielding significant outcomes, as evidenced by the successful mobilization of Digital Business exceeding ₹ 11,400 Cr as of 31.03.2026.

Customer Centricity

- Customer centricity continues to remain at the core of the Bank's strategic intent, guiding both its service philosophy and business decisions. During the year, Bank strengthened its "phygital" approach seamlessly integrating digital innovation with a robust physical presence to deliver convenience, accessibility, and consistency in customer experience.
- The introduction of global savings features through the Global Edge Account and the successful operationalization of our IFSC Banking Unit at GIFT City mark significant steps in extending international banking capabilities to our customers. Your Bank has over-achieved its internal target by securing global business of ₹ 6,142 crore within a short span of 8 months.
- At the same time, initiatives such as Video-based Customer Identification Process (V-CIP), WhatsApp banking, and intuitive digital interfaces have enhanced ease of onboarding and service delivery.
- Bank also focused on deepening engagement and inclusivity. Platforms such as Zen Lyfe and gamified learning initiatives are aimed at improving financial awareness and customer interaction.
- Dedicated efforts towards Divyangjans inclusivity ensure that banking remains accessible to all segments of society.
- During the year, the Bank added 183 branches, further strengthening its pan-India presence. Under Project 321, your Bank identified viable areas for



branch opening in collaboration with an external agency. The coverage now extending across all States and Union Territories.

- Bank's extensive network of over 9,000 Business Correspondents and Bank Mitras operating through 276 Customer Service Points continue to play a pivotal role in last-mile service delivery.
- In addition, the Bank has enhanced its capabilities through specialized and niche branches, including Agri Tech, Housing Finance, and Mid-Corporate branches, enabling focused and need-based solutions for diverse customer segments.
- Through these initiatives, your Bank remains committed to placing the customer at the center of its journey — delivering not just services, but meaningful and enduring banking relationships.

Our People

- At Bank of Maharashtra, our people are our greatest strength, driving the organization towards excellence with their dedication and innovation. We pride ourselves on fostering a diverse and inclusive workforce with women comprising 29% of the workforce, and targeted initiatives to empower underrepresented groups.
- Building on our commitment to empowering women in sports, the Bank's all-women volleyball team — comprising national and international-level players — has been actively representing India at prestigious tournaments. Their remarkable performances have not only brought laurels to the nation but have also enhanced the Bank's reputation on national and global platforms. Further, the Bank has enhanced its capabilities by recruiting 172 specialist officers and executives across different cadres, ensuring a well-equipped and highly skilled workforce with expertise in diverse domains.
- The Bank is undertaking a comprehensive revamp of its Performance Management System (PMS), introducing a suite of over 15 advanced tools aimed at enhancing transparency, efficiency, and objectivity in performance evaluation. This transformation is set to significantly strengthen the overall HR ecosystem and drive a high-performance culture across the organization. As a young and agile organization with an average employee age of 37, our commitment to professional growth is reflected in extensive training programs, leadership development initiatives, and industry collaborations, ensuring our team remains at the forefront of innovation and expertise.
- Further strengthening our people-first approach, the Bank has expanded its welfare initiatives by partnering with a third-party professional agency to

provide dedicated mental health and well-being support. These services include fully confidential counselling sessions, ensuring employees have access to a safe and supportive environment, alongside our continued focus on employee-centric benefits and engagement initiatives.

- Together, we are building a future defined by competence, passion, and shared success to deliver best in class services to our customers.

Environmental, Social & Governance (ESG) Practices:

While achieving excellence in financial performance, we are equally committed to building a sustainable and inclusive future. Our initiatives reflect a conscious effort to reduce environmental impact, expand banking access to the last mile, and support the growth and well-being of marginalized communities. Sustainability is not just a goal — it is embedded in everything we do.

Environmental initiatives:

- Under Maha Green Pehal, the Bank continues to embed sustainability in its operations through reduction in plastic usage, adoption of e-meetings, transition towards cleaner mobility, and strengthening of climate risk governance.
- The Bank has expanded its use of renewable energy through installation of solar panels across its premises, generating 16,28,400 units of electricity. Thus, contributing to improved energy efficiency and a lower carbon footprint.
- Through Mahabank Green Financing, your Bank is supporting Electric Vehicles, green housing, and rooftop solar projects under PM Surya Ghar, promoting environmentally responsible lending.
- Focused efforts towards e-waste recycling of 316 Ton in FY26, reduction in emissions, and tree plantation initiatives further reinforce your Bank's commitment to sustainable and responsible operations.
- Your Bank has also established a dedicated executive level committee (Green Cell) to embed climate risk into the Bank's risk framework, promote sustainable finance, and ensure regulatory compliance on climate related matters.
- The Bank is actively reducing paper consumption through various initiatives, including digitalization of operations and increased adoption of e-meetings.
- Your Bank has initiated ESG based assessment of borrowers as part of its credit evaluation framework.
- Your Bank has formulated a short, medium, and long term climate risk management strategy, aligned with evolving regulatory expectations.



Social Initiatives

- Your Bank endeavors constantly to devise products to meet the needs of agriculturists and marginalized segment. Bank's Agriculture credit portfolio reached to ₹ 40,212 crore as of 31.03.2026 with a growth of 13% over 31.03.2025. Our priority sector loan book stood at ₹ 1,13, 226 crores in FY 26 with a 18% growth over FY25. Moreover, lending to Self Help Groups (SHGs) enhanced by 12% to ₹ 3,512 Cr as on 31.03.2026, thus empowering women through financial independence.
- I am happy to share that adding proactively to the revolutionary JAM (Jan Dhan-Aadhar-Mobile) trinity Mission your Bank and its associate Maharashtra Gramin Bank have collectively opened 9.84 lakh Jan Dhan accounts in 2025-26. This accomplishment reflects our unwavering commitment to expanding financial inclusion and ensuring that every individual has access to essential banking services. Your Bank is putting dedicated efforts through various channels to maximize seeding of Aadhar and Mobile number of customers.
- Your Bank's efforts stand out in facilitating Jan Suraksha (JSY) Schemes –
 - Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana 15.44 lakh enrolment (including MGB) in FY 2025-26,
 - Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana 20.94 lakh enrolment (including MGB) in FY 2025-26, and
 - Atal Pension Yojana 3.37 lakh enrolment (including MGB) in FY 2025-26.
- Bank is providing banking facilities to citizens of unbanked area through Business correspondent (BC), as on 31.03.2026 total BCs are 12248 (including MGB).
- With a vision to foster inclusive growth and contribute to building a better and equitable society, your bank has contributed significantly through CSR activities to women empowerment, sports & skill development, healthcare, education, environment, wildlife conservation, sanitation, research & development projects among others.
- Guided by its vision to promote inclusive growth and contribute to a more equitable society, your Bank has undertaken a range of Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives with a focus on women empowerment, sports and skill development, healthcare, education, environment, wildlife conservation, sanitation, and research and development, among other areas.

- Under its Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, your Bank has undertaken several impactful activities aimed at promoting environmental sustainability, community welfare, healthcare support, and social development. Your Bank organized tree plantation drives and facilitated the installation of solar panel backed streetlights to support environmental conservation and improve public safety and infrastructure. In the field of education and knowledge enhancement, the Bank extended financial support to Aurovindo Trust for the expansion of library building infrastructure, thereby contributing towards better learning resources for the community. Demonstrating its commitment towards animal welfare, the Bank provided sustainable financial assistance to Hammy Needy Animals Hope Foundation for veterinary care and treatment of needy animals. Further strengthening civic infrastructure and sanitation initiatives, the Bank sponsored a waste collection vehicle for the Municipal Corporation to support effective waste management practices. Your Bank also encouraged health, fitness, and community engagement through sponsorship of the Pune Marathon.
- Additionally, to support vulnerable sections of society, the Bank donated to Balgram Orphanage for procurement of essential household items for abandoned and underprivileged children. Through these initiatives, the Bank continues to reaffirm its commitment towards inclusive growth and sustainable community development.

Corporate Governance Initiatives:

Your Bank prioritizes the adoption of fair practices in providing banking services. We have established a robust policy for the prevention of corruption and bribery with a zero-tolerance approach, ensuring transparency and integrity in all our operations.

- Training programmes on ethical and transparent governance have been conducted for top management and Key Managerial Personnel, underscoring the Bank's commitment to integrity and accountability.
- As on March 31, 2026, women employees constituted 29% of the Bank's total workforce, reflecting the Bank's continued commitment to fostering diversity, gender inclusion, and equitable opportunities within the organization.
- In adherence to the BCSBI Code of Customer Rights, your Bank has implemented a Customer Rights Policy, emphasizing fair practices in service delivery.



Our Awards and Accolades:

- Your Bank was honored with the Public Sector Excellence Award 2025 at the Dun & Bradstreet BFSI & Government Summit 2025.
- The Bank has been honored as Public Sector Bank of the Year in the institutional category at the prestigious FE Best Bank Awards.
- Your bank has been honored with the prestigious SKOCH GOLD AWARD 2025 in BFSI category for the initiative "Art Ledger-An Employee Engagement Program."
- Bank has received "Best mid-sized Bank" award at Business Today Banking and economy Summit.
- Your Bank has received 33rd Ashirwad Bhasha Setu Award 2025 for excellent official language implementation in the category of Nationalized Banks of Government of India.
- The Bank has received the national award for outstanding performance in SHG - Bank linkage (2024-25) under DAY NRLM, from Ministry of Rural Development, Government of India.
- Bank has been awarded in all five different categories at 21st Annual banking Technology Conference, Expo & Citations by IBA in the year 2024-25.
- Your Bank has been honored with the "Dhanam Best Bank of the year 2025" award at South India's premier BFSI event - Dhanam BFSI Summit & Award Nite 2025.

Way Forward

- As we move ahead in our 91st year, our journey continues to be guided by a legacy of trust and a constant endeavor to improve. The overwhelming response to the OFS in December 2025, leading to a reduction in Government stake, stands as a strong affirmation of the confidence reposed in your Bank by investors and stakeholders alike.

- Guided by our theme of "Becoming a Bank of Greater Significance," the coming year will see a sharper focus on strengthening our deposit franchise, with FY2026-27 designated as the "Year of Deposits" to further improve retail participation and liquidity resilience. We will continue to maintain a prudent balance in our credit portfolio, deepen our engagement in agriculture and MSME sectors, and enhance fee-based income streams. Our commitment to a sustainable and responsible business model remains steadfast, supported by an ongoing ESG agenda, strengthened technological capabilities, and increased adoption of AI-led solutions to deliver smarter and more intuitive banking experiences.
- We will pursue calibrated expansion based on geographic and business viability, with a clear roadmap to add 1,000 branches over five years, while further strengthening our phygital delivery model. At the same time, we remain vigilant and proactive in ensuring robust compliance, fraud prevention, and risk management frameworks.
- As we align our efforts with the broader vision of Viksit Bharat and global best practices, our endeavor remains to grow in step with our customers - building deeper relationships, offering more relevant solutions, and creating enduring value for all stakeholders.
- We place on record our sincere gratitude to our stakeholders for their continued trust and support. We move forward with conviction – focused on growth, discipline, and long-term value creation.

Yours sincerely,

Nidhu Saxena
Managing Director & CEO



Bank at a Glance



₹6,42,531Cr.
Total Business
(17.47% Y-O-Y growth)



3.06 Cr.
Customers



2,785
Branches



15,596
Employees



62.84%
RAM Advances



52.51%
CASA Ratio



3.90% Net Interest
Margin (NIM)



0.13%
Net NPA



37.08% Cost to
Income Ratio



₹7,019 Cr. Net Profit
(27.17% Growth-o-y)



1.86% Return
on Assets



18.36% CRAR



Building a People Centric Future:

Empowering Talent Enabling Excellence



Bank of Maharashtra demonstrated significant advancements in its strategic operations to achieve business excellence and foster a committed workforce. Bank has adhered to its people centric organization policy which is reflected in its mission of “Creating Competence and Passion for Business Excellence,”. Bank executed various functions and brought in progressive policies in 2025-26, that emphasized employee development, transparency, diversity, compliance, and overall organizational growth.

Workforce and Diversity

The total manpower of the bank as of March 31, 2026, was 15,596 employees, distributed across officers (10,279), clerks (3,777), and sub-staff (1,540). Gender inclusivity was a cornerstone of the HR strategy, with women comprising 29.23% of the workforce. The average employee age was 37 years, reflecting a relatively young and dynamic team.

To uphold social justice and equity, the bank actively implemented reservation policies for Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Economically Weaker Sections (EWS), Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs) and Ex-Serviceman. Special cells were established to address grievances and ensure compliance with Government directives, enhancing the representation and career progression of underrepresented groups.

The Bank has also organized various training programs for SC/ST employees and welfare associations, covering important areas like reservation policy, pre-promotion training and related topics aimed at empowering and preparing them for future responsibilities.

“Empowering Potential Through Progressive HR”

Emphasizing the importance of human capital in achieving sustainable growth and success, the Bank has implemented strategic HR measures to reinforce its administrative foundation.

Some key developments during the year include:

- Adoption of various IT-enabled platforms for maintaining employee data and records.
- Implementation of an integrated Human Resource Management System (HRMS), covering the full employee lifecycle — from entry to exit.
- Periodic review and renewal of HR policies in line with industry best practices and regulatory guidelines.
- Active promotion of dialogue with key stakeholders, including team leaders, union representatives, and other field functionaries to foster collaborative development.
- Framing policies that emphasize discipline, commitment, and devotion to duty, thereby enhancing employee productivity and organizational efficiency.
- Optimizing talent acquisition through recruitment drive.



Recruitment and Career Progression:

The Bank's meticulous workforce planning led to the recruitment of 1,275 officers and 393 clerks during the fiscal year. Notably, the bank transitioned to an in-house online recruitment system, increasing efficiency and transparency. Bank continues to make waves in sports through its all-women volleyball team, whose players are actively participating in State and National level championships and representing India with distinction, reflecting the Bank's commitment towards women empowerment and excellence in sports. Promotion policies were streamlined to motivate employees by rewarding performance and providing horizontal movement opportunities across different functions.

Learning and Development:

At Bank's of Maharashtra, Learning & Development is anchored on the philosophy of "continuous learning for continuous growth", ensuring that employees are not only equipped with technical competencies but are also empowered with the right mindset, customer orientation, and leadership capabilities. Our approach during FY 2025-26 has been to move from training delivery to capability building, focusing on:

- Future-ready skill development
- Employee well-being and engagement
- Leadership pipeline strengthening
- Digital and self-paced learning ecosystems

Strategic Focus Areas In FY 2025–26:

During FY 2025–26, the Bank strengthened its learning ecosystem with a clear focus on capability building, employee engagement, and holistic development, ensuring alignment with business priorities and emerging industry requirements.

The Bank's training infrastructure, including Staff Training Colleges (STCs), ITTI, and other centers, continued to play a crucial role in effective training delivery. A balanced approach of classroom sessions, virtual learning, and experiential workshops ensured wider reach and improved learning outcomes.

A. Functional & Technical Training

- Credit appraisal, risk management, treasury operations.
- Regulatory compliance, ITIL Training & Certification and audit readiness.
- Digital banking, Gen AI & ML Boot Camp and fintech awareness.

B. Behavioral & Soft Skills Training

- Customer service excellence.
- Communication and interpersonal effectiveness.
- Session on mindfulness towards leadership and managerial effectiveness.

C. Induction & Role-Based Training

- Structured onboarding programs for new recruits.
- Role-specific training for BDOs, branch heads, and operational staff.

D. Leadership Development Initiatives

- Leadership Development Plan (LDP) for senior and mid-level executives.
- Assessment center-based development interventions.
- Coaching and mentoring sessions through external experts.

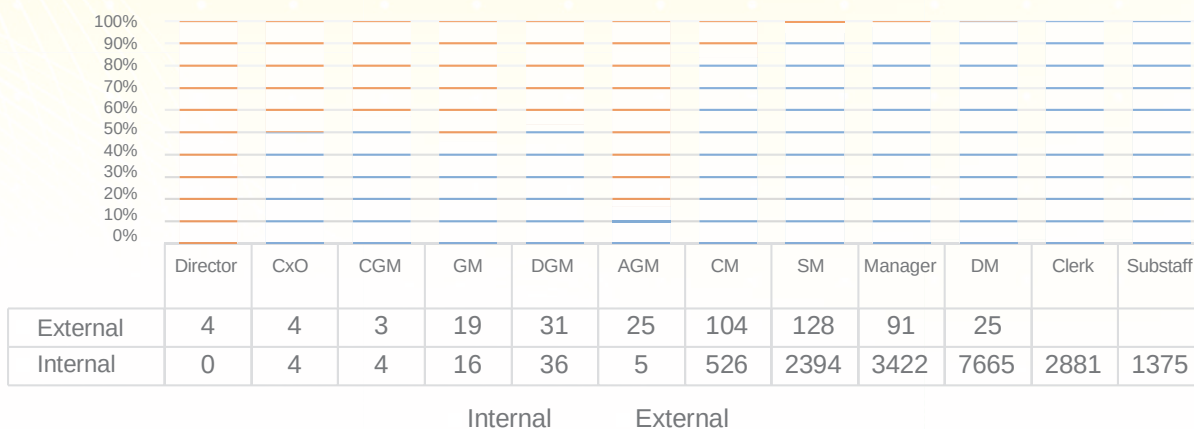
E. Specialized & Thematic Programs

- Special Training Program for Differently abled Employees (PwD)
- Training cum exposure visit of foreign delegates on Agri and MSME sector.
- Women empowerment and inclusivity initiatives

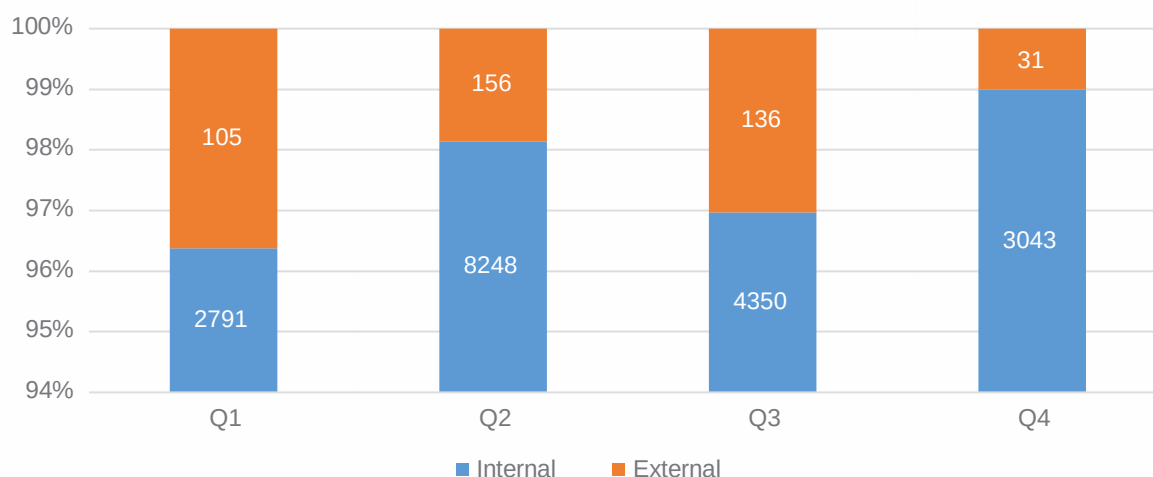


KEY PARAMETERS	Mar 25 (Actual)	Mar 26 (Actual)
Unique Learning Interventions	11,169	14,551
Total Number of Employees Trained	18,754	18,432
Overseas/ Foreign Training Programs	5	9
Classroom Training Program (Internal)	374	214
Classroom Training Program (External)	118	101
Virtual Training Program (Internal)	42	18
Virtual Training Program (External)	8	01
Use of ICT - Webinars	22	24
Use of ICT - Podcast	16	2
Cross Bank Training	7	1
Quiz on LMS and Skill Gap Analysis	36+	42

CADRE WISE EMPLOYEE TRAINING



QUARTER-WISE EMPLOYEE TRAINING





- Specialized Webex sessions on "Mental Health" and "Postpartum Blues" were conducted, benefiting approximately 1600+ employees.
- Added new courses under the revised Scheme of Reimbursement to promote a culture of continuous learning .
- Special provisions were made for female employees, including exemptions from inter-zonal transfers under specific conditions.
- The Bank also celebrated its achievements by awarding monetary tokens of appreciation to all employees and retirees.

Technology and Policy Development

- The HR department embraced IT-enabled platforms to enhance efficiency, implementing an integrated Human Resource Management System (HRMS) to streamline the employee lifecycle. Regular reviews of HR policies ensured alignment with industry best practices and regulatory guidelines. Collaborative dialogues with stakeholders fostered a culture of inclusivity and innovation.
- Technology-Driven Learning Solutions: Technology was seamlessly integrated into training methodologies through Virtual instructor-led sessions, Snippets, Podcasts, Seminars, E-Learning Modules on HRMS and quiz competitions to enhance employee engagement are some key initiative to foster technology driven learning among staff.

Bank of Maharashtra has reaffirmed its commitment to building a competent, engaged, and future-ready workforce. Through strategic initiatives in recruitment, learning and development, diversity, and employee welfare, the Bank has laid a strong foundation for sustained organizational growth and is well-positioned to meet future challenges with confidence.



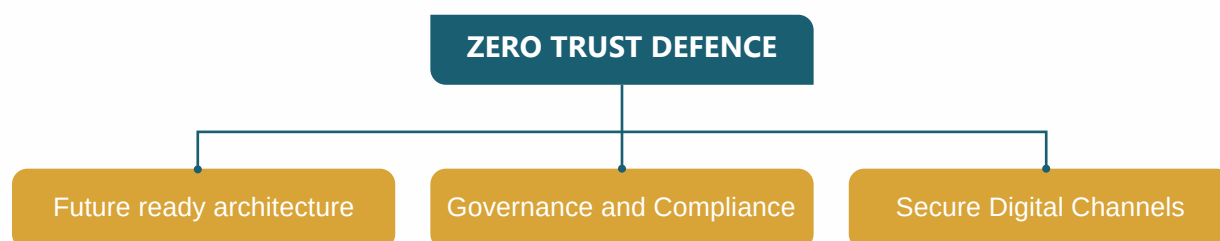
Strengthening Cyber **Resilience & Securing** the Bank's Digital Future

At Bank of Maharashtra, cyber security is a foundational pillar of our digital growth strategy. As the Bank continues to scale digitally enabled products, customer centric platforms and real time banking services, the Cyber Security function plays a critical role in safeguarding trust, ensuring service continuity, and securing the Bank's expanding digital footprint.

The Bank remains committed to building a cyber secure, resilient, and future ready Bank by strengthening its defence capabilities, enhancing monitoring infrastructure, and aligning its practices with emerging regulatory, technology and threat landscapes.

A) Strategic and Multi Layered Security Approach

The Bank has adopted a comprehensive cyber security strategy grounded in "Defence-in-Depth" and "Zero Trust Principles" spanning across three core pillars:



1. Securing Digital Channels and Customer Touchpoints :

With rapid growth in internet banking, mobile banking, UPI, API based services, and digital lending ecosystems, securing customer journeys remains paramount.

The Bank continuously enhances application security, implements real time monitoring, strengthens authentication mechanisms, and deploys advanced fraud detection systems to ensure safe and seamless digital experiences.

To augment & further strengthen the initiative, Bank has launched a drive named "KAVACH: A Cyber Resilience Initiative" and has procured and implemented various industry established security solutions with advance technologies



2. Operationalising Strong Governance Compliance:

The Bank maintains strict adherence to regulatory frameworks including RBI Cyber Security Directions, DPSC guidelines, CERT-In directives, and sectoral advisories.

Proactive security assessments, periodic cyber drills, internal red teaming exercises, vendor risk governance and continuous audit closure ensure robust compliance and operational discipline.

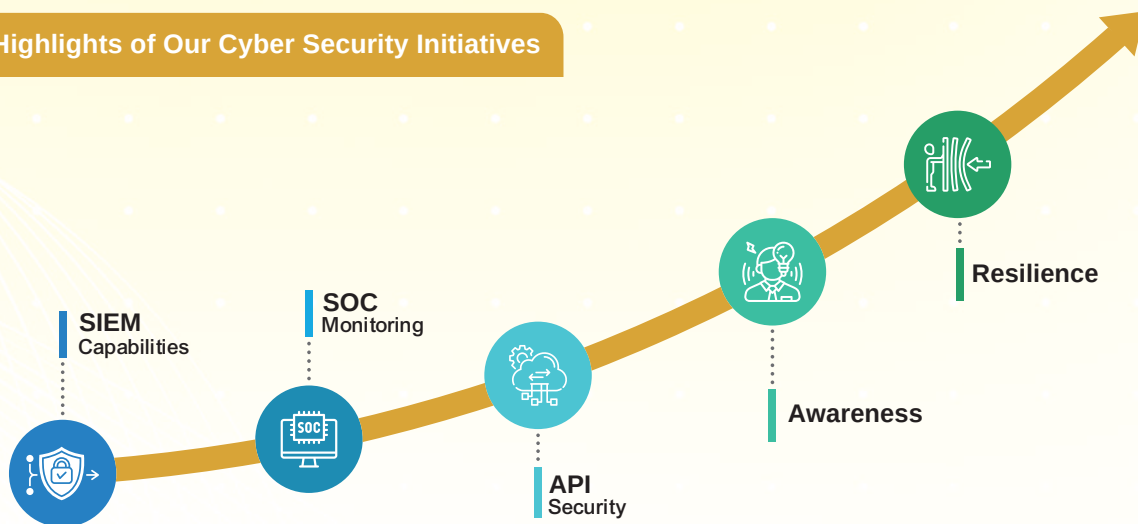
The Bank's security posture is further bolstered by its ISO 27001:2022 certification, which reflects adherence to globally recognised information security management standards, and PCI DSS 4.0 certification, which ensures the secure handling and protection of cardholder data across all payment-related systems.

3. Building a Scalable, Future Ready Cyber Security Architecture :

Investments continue in modern security platforms that enhance situational awareness and resilience across the enterprise.

The Bank is strengthening endpoint security, network segmentation, Zero Trust principles, advanced threat protection, secure cloud adoption and security automation to create a resilient and adaptable security environment.

B) Highlights of Our Cyber Security Initiatives



Enhancing Threat Detection and Response

- SIEM capabilities for real time threat monitoring
- Advanced malware protection and behavioural analytics.
- Strengthened 24x7 Security Operations Centre monitoring.
- Layered Security Solutions for Proactive detection & prevention

Reinforcing Application and API Security

- Secure coding practices as per regulatory guidelines
- Periodic application security testing , source code reviews, and red team exercises.
- API security, Bot protection, and DDoS mitigation system

Strengthening Cyber Resilience

- Resilient Infrastructure in line with stakeholder's requirement.
- Table top exercises and simulated cyber drills to assess readiness.
- Enhanced backup strategies, RTO/RPO alignment and recovery readiness.

Robust Governance & Compliance

- Periodic review of Compliance against regulatory guidelines.
- Strengthened vendor risk and third party security assessments.
- Timely reporting to management and regulators.
- Increased oversight on digital and IT projects through security by design reviews.

Promoting Cyber Awareness & Culture

- Bank wide cyber security awareness campaigns
- Targeted training for employees through Phishing Simulations and Tabletop exercises.
- Customer centric cyber safety SMS campaigns/Email Campaigns to counter emerging fraud vectors.
- Video series on Social Media handles for better awareness and understanding for customers.



C) Collaborating to Strengthen Sector Wide Security

The Bank continues to collaborate actively with sectoral institutions and national cyber agencies. Through membership in IB CART, DSCI, and participation in industry forums, the Bank contributes to sector wide intelligence sharing, coordinated cyber defence efforts, and adoption of best practices.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

1. IBCART Membership
2. DSCI Membership
3. Industry Forums Participation

1. Sector wide Intelligence sharing
2. Coordinated Cyber Defense Efforts
3. Adoption of Global Best Practices

D) Building a Future Ready Cyber Defence Posture

With these initiatives, Bank is firmly committed to delivering secure, resilient, and trustworthy digital banking services while continuously strengthening the Bank's overall cyber resilience.



Building internal Resilience and Trust of stakeholders through Progressive Compliance Framework

A strong and effective compliance framework is key element to the Bank's governance philosophy and long-term sustainability. Over the years, the Reserve Bank of India has emphasised the importance of an independent compliance function, proactive risk management, and a culture of ethical and responsible banking. In alignment with these principles, the Bank has established a well-defined Compliance Function that supports the Board and Senior Management in maintaining high standards of regulatory adherence and conduct.

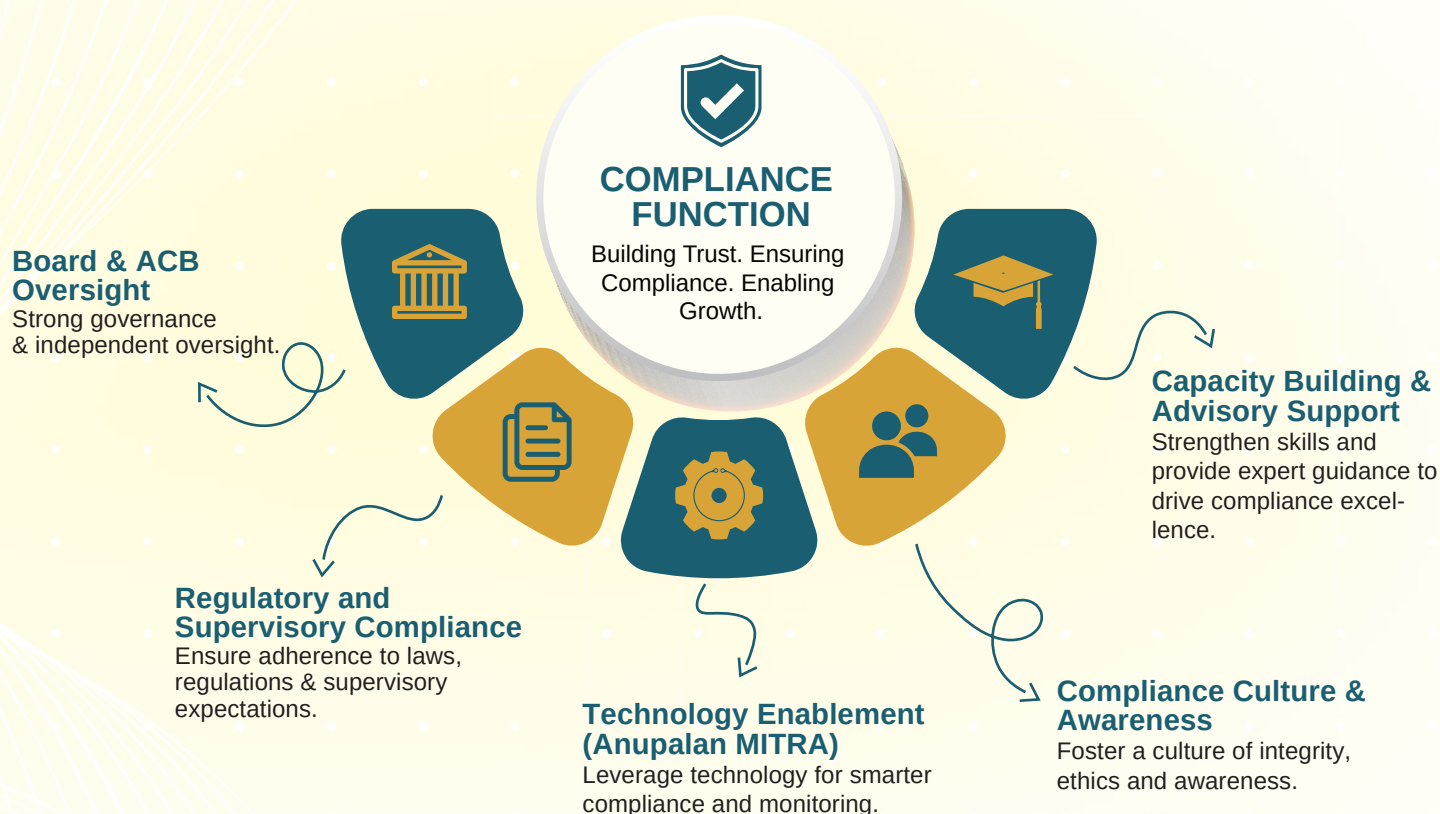
During FY 2025–26, the Bank continued to focus on strengthening internal controls, enhancing transparency, improving awareness across the organisation, and supporting business functions through timely guidance and oversight. The Bank's efforts were directed towards embedding compliance seamlessly into business processes while fostering a culture of shared responsibility across all levels of the Bank.

Key Initiatives

Independent Compliance Governance

The Bank maintains a dedicated Compliance Department at Head Office, Pune. The structure ensures that compliance considerations are addressed objectively and are integrated into strategic and operational decision-making.

The Compliance Function operates independently of business and audit functions, enabling it to provide unbiased assessments and advice. This governance structure supports transparency, accountability, and effective oversight.



Board and Senior Management Engagement

The Board and ACB (Audit Committee of Board) remain actively engaged in overseeing the Compliance function. Matters of significance, including material compliance issues, are brought to their attention in a timely manner, along with the corrective steps initiated. This enables informed oversight and reinforces the Bank's commitment to addressing issues proactively.

The Bank also maintains regular engagement with Senior Management, ensuring that emerging compliance risks and key developments receive appropriate management focus.

Supervisory and Regulatory Compliance

The Bank continued to strengthen compliance oversight through coordinated monitoring of supervisory observations and regulatory expectations. Emphasis was placed on ensuring that corrective measures are not only implemented but are sustained over time through process improvements and system enhancements.

This approach supported consistency in compliance and reinforced the Bank's preparedness in regulatory and supervisory engagements.

Technology Enablement of Compliance Function

The Bank continued to leverage technology to enhance the effectiveness of the Compliance Function. Tools such as Anupalan MITRA were used for centralised tracking of compliance activities, regulatory communications, and action-taken reports. Digital platforms also supported enterprise-wide compliance testing and management reporting.

Technology enablement improved visibility, audit trails and coordination across functions.

Building a Strong Compliance Culture

Recognising that effective compliance depends on awareness and ownership at the operational level, the Bank undertook several initiatives to strengthen compliance culture. These include:



Compliance Culture & Awareness

Four Major Actions Driving a Strong Compliance Culture

Monthly Compliance Newsletters

Regular updates to keep everyone informed about compliance matters.



Monthly Compliance Quiz

An engaging monthly quiz designed to test knowledge and strengthen compliance awareness.



RBI Guideline/notification Gists (Hindi & English)

Simplified summaries of key RBI guidelines and notifications in Hindi & English.



Shared Responsibility Culture

Promoting ownership and accountability across all levels.



Together, we build a culture of compliance, integrity and trust.

These initiatives supported better understanding among field staff, encouraged engagement, and contributed to more consistent implementation of regulatory requirements.

Capacity Building and Advisory Support

The Bank continued to function as a central reference point for regulatory interpretation and guidance for business units. Emphasis was placed on keeping compliance staff and functionaries updated on developments in banking regulations, corporate governance, risk management and supervisory practices through structured learning and sensitisation initiatives.

Compliance staff are also empowered to carry out reviews and examinations, with the flexibility to seek external expertise where appropriate, thereby enhancing robustness and objectivity, in line with the Bank's guiding principle of **"Business First, Compliance Always"**.



Embedding **Credit** Monitoring **Excellence** Across the Bank

The Bank has established a comprehensive credit monitoring ecosystem encompassing monitoring, compliance, analytics, and recovery systems. This framework provides end-to-end visibility across the credit portfolio, aimed at strengthening asset quality, enhancing risk oversight, and enabling proactive monitoring through integrated digital platforms and centralized controls across Branches, Zonal Offices, and Head Office.

Monitoring & Digital Platforms



DCRI

Compliance & Documentation



Audit Portal



Automated Loan
Noting System

Recovery & Field Monitoring



Arjun App



LTC



Auto Recovery
System



Field Plus
App

AI & Advanced Analytics



AI Predictive
Collection Models



Entity Relationship &
Transaction Matrix



Roll Forward Roll
Backward Dashboard



Real-Time Monitoring
& Alerts



Stronger Compliance
& Documentation



Smarter Recovery
& Field Efficiency



Data-Driven Insights
& Better Decisions



Monitoring & Digital Platforms

- The Bank continues to leverage advanced digital monitoring tools to enhance oversight, improve operational efficiency, and support early risk identification.
- The **DCRI platform** offers a real-time dashboard with SMS/email alerts and 24x7 monitoring capabilities. The **E-Vahan Portal** supports bank charge verification and fraud prevention.
- The **Entity Relationship & Transaction Network Dashboard** enables tracking of fund flow patterns and related-party exposures.
- The **SMA Movement Dashboard** monitors roll-forward and rollback movements in asset quality, facilitating timely interventions.

Compliance & Documentation Systems

- Technology-enabled compliance and documentation systems have been implemented to strengthen governance and monitoring standards.
- The **Audit Portal** enables real-time compliance tracking and audit monitoring, improving oversight mechanisms.
- The **Automated Loan Noting System** supports monitoring of proposals and sanction trends, ensuring consistency, control, and enhanced analytical review of credit processes.

Recovery & Field Monitoring

The Bank has reinforced its recovery framework through technology-driven field monitoring initiatives:

- The **ARJUN Application** enables geo-tagged monitoring of stressed assets, enhancing field-level visibility and accountability.
- The **Loan Tracking Cell (LTC)** functions as a centralized call centre for follow-ups and asset upgradation.
- The **Auto Recovery System** facilitates same-day recovery from linked accounts, improving collection efficiency and responsiveness.

AI & Advanced Analytics Initiatives

The Bank is actively adopting AI and advanced analytics to strengthen predictive monitoring and recovery:

- AI-driven Predictive Collection Models identify risk segments (P1, P2, P3) for proactive intervention.
- The Field Plus Mobile Application supports field agents in monitoring and recovery efforts.
- The Stress Assets Visit Portal enables tracking and monitoring of on-ground visits related to stressed assets.



At Bank of Maharashtra, we believe that banking products, services and platforms enhanced by digital technology will empower our customers by increasing the convenience of banking, generate long-term value for all stakeholders and accelerate our shared objective of establishing a 'Digital India'.

Bank's comprehensive, multi-year strategy for digital transformation includes the digitization of customer journeys and channels to enhance customer experiences, providing a range of digital-first banking products and services to meet the swiftly changing needs of customers; implementing tailored, in-house digital platforms to automate operational processes for improved productivity and developing a future-ready, strong, resilient, scalable and responsive technology, information and data infrastructure to support our growth objectives.



Digitally facilitated customer journeys and channels to provide exceptional experiences



Digital-first banking products and services designed to meet the evolving customer needs



In house Digital platforms designed to streamline operational processes



Future-ready technology, Information & Data Infrastructure



We consistently prioritize collaboration with the larger financial services ecosystem by establishing a network of partnerships that encompasses fintech companies and other organizations to enhance our digital strategy.

Throughout the year, we initiated the subsequent stage of our digital transformation and technological journey, which will enhance our endeavours to establish a future-ready Bank. Bank is dedicated to expediting digitization, perpetually innovating, and utilizing emerging technologies as it progresses.

Driving Digital Adoption and Customer-Centric Banking

Bank of Maharashtra continued to deepen digital adoption across customer segments during FY 2025-26 by expanding digital access points, simplifying onboarding journeys and strengthening omnichannel service delivery. The Bank's digital ecosystem enabled customers to access banking services seamlessly across mobile, internet, self-service, and assisted channels, resulting in sustained growth in digital transactions and customer engagement.

Digital initiatives focused on enhancing convenience, accelerating service delivery, and promoting paperless banking experiences. Through Video KYC-based onboarding, digital nominations, UPI-based payments and mobile banking services, the Bank continued to improve accessibility while supporting the broader vision of Digital India.

Our Digital Metrics*

Rs. 11,400 Cr. Total Business mobilised digitally	36% Increase in Mobile Banking transactions
46,000+ Saving Account opened through Video KYC	34% Increase in UPI transactions
7,25,000+ Nominations registered through Digital Channels	15,800+ PM Svanidhi loans disbursed digitally

*All No's are of 31.03.2026

Transforming Banking Through Technology

The Bank continued to strengthen its digital capabilities through the introduction of innovative products, automation-led process improvements and strategic technology investments. During the year, several customer journeys were digitised and streamlined through Straight Through Processing (STP), enabling faster turnaround times, reduced manual intervention and enhanced customer experience.

The Bank also leveraged emerging technologies and fintech partnerships to improve operational efficiency, support scalable growth and build a resilient technology infrastructure capable of meeting evolving customer expectations.

Delivering Top-tier Banking Solutions and Exceptional Customer Experience

- Launch of new Mobile Banking Application - Zen Lyfe
- Launch of Central Bank Digital Currency (CBDC)
- Launch of DigiLEAP (Digital Liability Express Account Platform)
- Implementation of TRRACS (Trade Regulatory Reporting And Compliance System)
- Enhanced Unified Payment Interface (UPI) offerings
- Implementation of Straight Through Processing (STP) Customer Journeys



Digital Gold Loan	DSA Journey
Pre-Approved Personal Loan	e-GST -ETB
PM Svanidhi	e-OTS
Auto Renewal of Working Capital	Vehicle Loan-ETB
Mudra CC / TL	KCC Jansamarth
Kisan Tatkal	MKCC Renewal
PM Suryaghar	VKYC-Account Opening
PM Vishwakarma	Online Account Nomination
eFD / RD through Mobile Banking & Internet Banking	

Technologically Enhancing and Digitising Operations



- Deployed 120+ Robotic Process Automation (RPA) processes to enhance productivity
- Onboarded 114 Fintech Partners to stimulate innovation



Building Future - Ready Infrastructure Upgradation & Expansion of ATM / Recycler Network

As the Bank progresses towards its vision of becoming a Bank of greater significance, continued investments in digital transformation and future-ready infrastructure will remain central to its growth strategy.

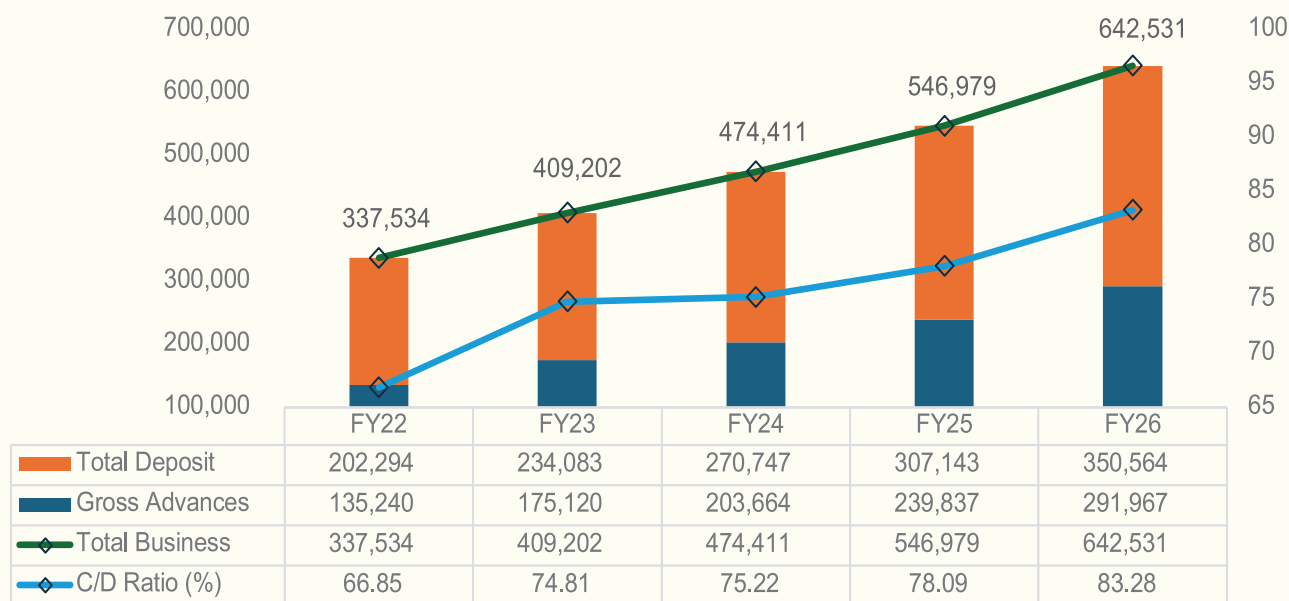
By strengthening digital capabilities, enhancing customer experience, improving operational efficiency and expanding its technology-enabled delivery channels, the Bank is building a resilient and scalable ecosystem that is well-positioned to meet evolving customer expectations and support sustainable growth in the years ahead.



Key Performance Indicators

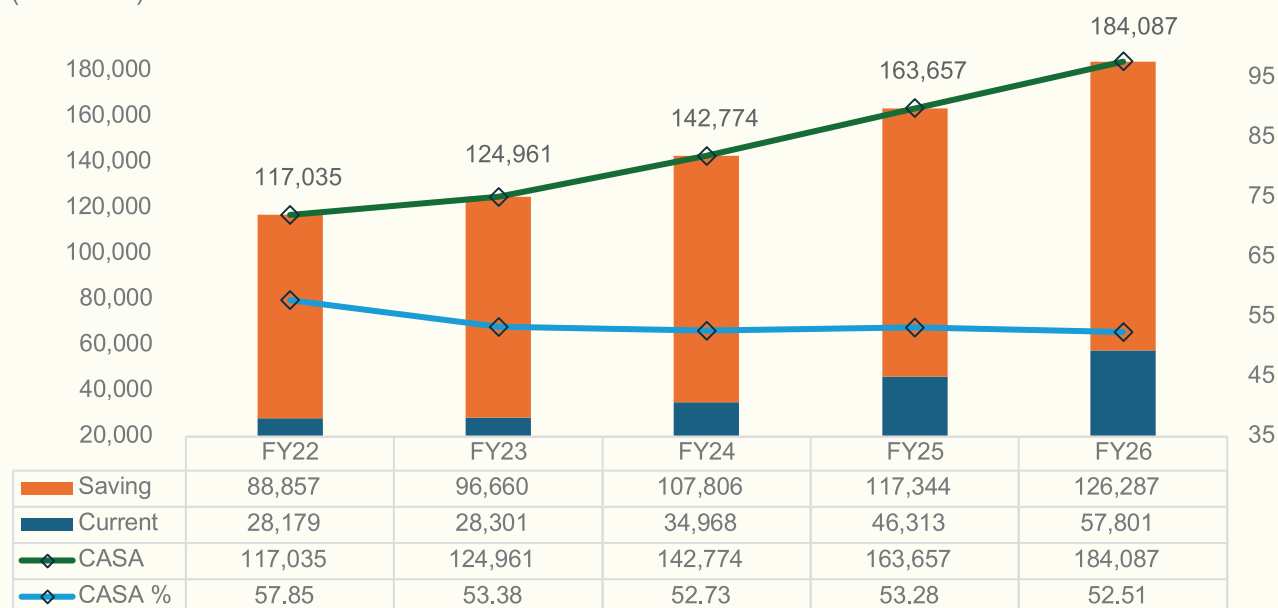
Total Business Last 5 Years

(₹ in Crore)



CASA Deposit Last 5 Years

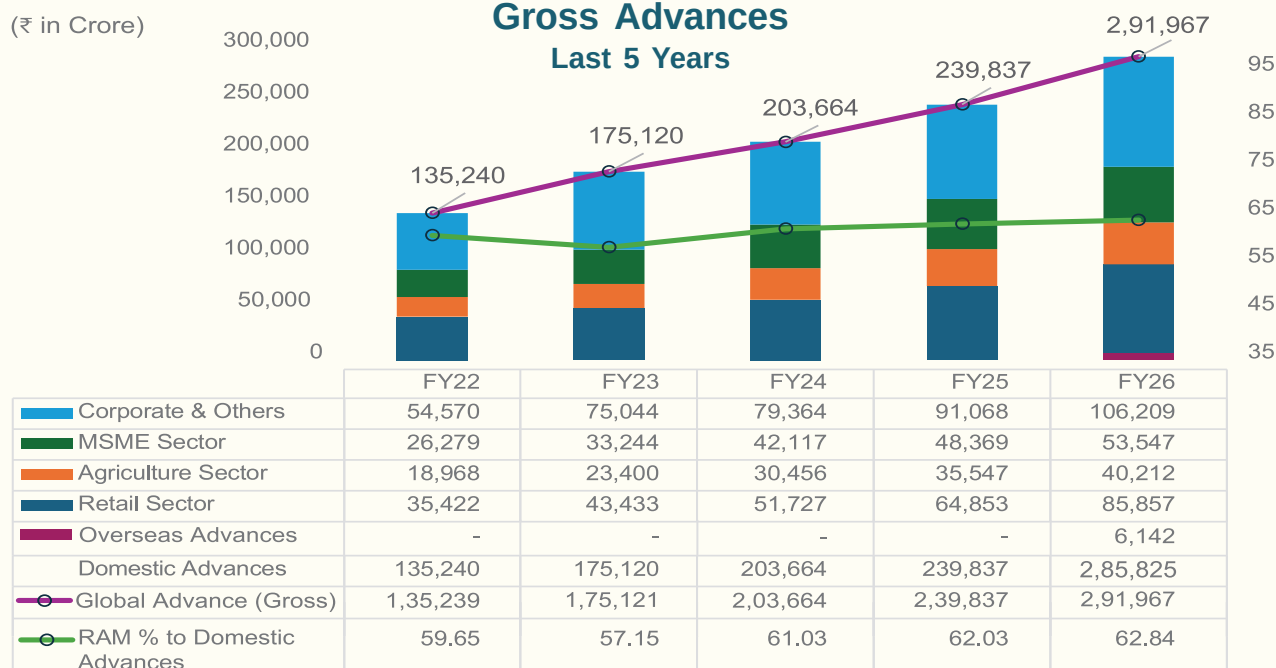
(₹ in Crore)



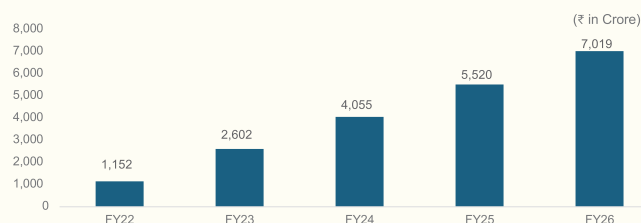


(₹ in Crore)

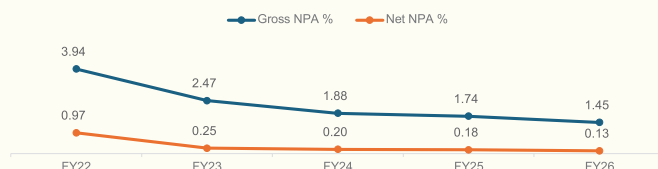
Gross Advances Last 5 Years



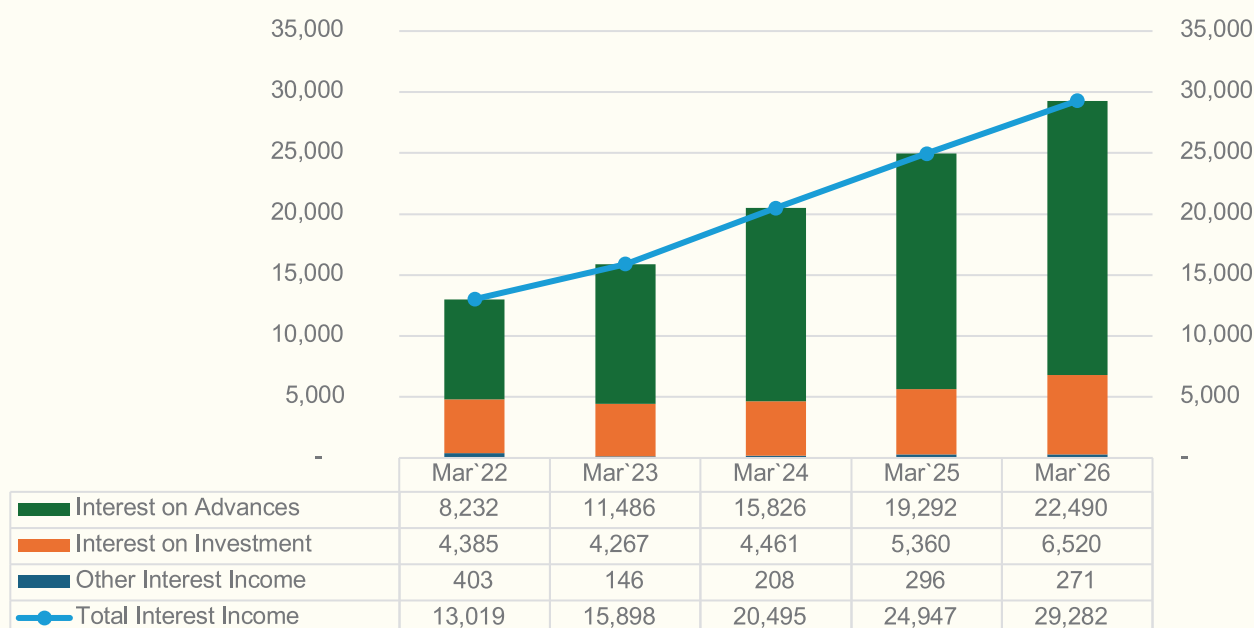
Net Profit



Gross and Net NPA (%)



Interest Income





Progress at a Glance

(Amount in ₹ crore)

Metric	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Paid up Capital	6731	6731	7081	7692	7692
Reserves	7154	8880	12593	20798	25416
Total Deposits	202294	234083	270747	307143	350564
Deposit Growth %	16.26	15.71	15.66	13.44	14.14
CASA %	57.85	53.38	52.73	53.28	52.51
Gross Advances	135240	175120	203664	239837	291967
Advances Growth %	25.62	29.49	16.3	17.76	21.74
Retail Advances	35422	43433	51727	64853	85857
Priority Sector	42640	66844	84281	94805	112895
Agriculture	18968	23400	30456	35547	40212
MSME	26279	33244	42117	48369	53547
Minority Advances	4481	5723	9187	13916	17211
SC/ST Advances	4234	5442	5942	6998	6417
Export Credit	1385	1715	2168	2374	3273
Total Income	15672	18179	23493	28402	32823
Total Expenditure	10824	12080	15487	19083	21997
Operating Profit	4848	6099	8005	9319	10826
Net Profit	1152	2602	4055	5520	7019
Branches (Nos.)	2022	2203	2489	2606	2785
ATMs (Nos.)	2128	2330	1901	2402	2685
Key Performance Ratios (%)					
Capital Adequacy Ratio Basel III %	16.48	18.14	17.38	20.53	18.36
EPS (in ₹)	1.72	3.87	5.78	7.48	9.13
Book Value (in ₹)	15.12	18.97	24.26	33.65	39.36
Business per Employee (₹ in crore)	26.53	31.53	35.14	37.48	41.20
Profit per Employee (₹ in lakhs)	9.05	20.05	30.04	37.83	45.01
ROA %	0.55	1.1	1.5	1.75	1.86
Cost to Income %	44.2	39.14	37.55	38.37	37.08
Gross NPA %	3.94	2.47	1.88	1.74	1.45
Net NPA %	0.97	0.25	0.2	0.18	0.13
PCR %	94.79	98.28	98.34	98.26	98.59
Priority Credit %	40.89	56.77	50.17	46.75	49.50



Directors' Report



DIRECTORS' REPORT

Your directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2026.

1

Management Discussion And Analysis

Economic & Banking Scenario 2025-26: Sustained Growth Amidst Challenges

1.1 Economic Growth:

- I. The Indian economy maintained a steady growth trajectory during FY 2025–26 despite a challenging global environment characterized by geopolitical tensions, supply disruptions and volatility in commodity prices.
- II. Real GDP growth for the year is estimated at around 7.6 per cent, supported by strong domestic demand, sustained public capital expenditure and improving private investment activity.
- III. Economic activity remained broad-based, with stable rural demand supported by agricultural output and continued strength in urban consumption.

1.2 Inflation and Monetary Policy Environment:

- I. Headline CPI inflation remained within the tolerance band during FY 2025–26, with core inflation around 3.7 per cent and food inflation moderating on account of favorable supply conditions, though risks persisted due to commodity prices and weather-related uncertainties.
- II. The Union Budget maintained a prudent fiscal stance, balancing consolidation with growth, with continued emphasis on capital expenditure and Kartavya priorities such as infrastructure, inclusive development, productivity, and financial sector strengthening.

1.3 Banking Scenario:

- I. Public sector banks recorded robust business expansion during FY 2025-26, with total business reaching Rs.283.3 lakh crore (12.8% year-on-year), driven by healthy growth in credit and deposit portfolios across key segments.
- II. Return ratios remained healthy, and operational efficiency improved, supported by digital adoption and better cost management across banks.

1.4 Credit Growth Dynamics:

- I. Public Sector Bank's gross advances stood at Rs.127 lakh crore registering y-o-y growth of

15.7% as on 31.03.2026, led by sustained traction in Retail, Agriculture and MSME segments.

- II. In Public sector Banks, Retail, Agriculture and MSME advances registered healthy y-o-y growth of 18.1%, 15.5% and 18.2% respectively, highlighting important role of Public sector Banks in supporting financial inclusion and growing entrepreneurship.

1.5 Deposit Mobilization Challenges:

- I. Deposit mobilization remained a key focus area during the year amid competitive conditions and evolving liquidity dynamics.
- II. Banks continued to focus on granular deposit growth and CASA mobilization, supported by customer engagement and product innovation.

1.6 Interest Rate Trends:

- I. The monetary policy stance remained stable during FY 2025–26, with the policy repo rate maintained at 5.25 per cent as on March 2026.
- II. Elevated cost of funds and competitive deposit pricing exerted pressure on Net Interest Margins (NIMs) across the banking sector.

1.7 Asset Quality Improvements:

- I. In Public sector banks, Asset quality has been improved significantly with gross non-performing assets (GNPA) declining to historic low of 1.93% as on 31.03.2026 reflecting, improved recovery mechanism, prudent underwriting standards and effective risk management practices.
- II. Net NPAs moderated to 0.39% as on 31.03.2026 supported by improved recoveries, lower slippages and strengthened credit monitoring frameworks.

1.8 Technological Transformation:

- I. **Digital banking, automation and analytics** continued to enhance operational efficiency and customer experience during FY 2025–26. The Bank is strengthening its digital infrastructure and leveraging advanced technologies and partnerships to deliver seamless, integrated banking services. Adoption of advanced technologies supported improvements in credit monitoring, fraud detection and service delivery across the banking system.
- II. **End-to-End Digital Journeys** Implemented multiple digital journeys across retail, MSME, and agriculture segments, including PM Suryaghar, EWS Housing Loans, Pre-approved Personal Loans, E-GST MSME onboarding, Digital Mudra, SHG, and Kisan Tatkal Loans.



III. Integration with RBIH's Unified Lending Interface enables seamless digital lending. Upcoming offerings such as Digital KCC, Business Loans (ETB/NTB), and Digital Housing Loans will further scale the digital footprint.

IV. Digital Infrastructure Enhancement

Deployed Digi LEAP, a tablet-based account opening solution at branches to improve compliance, enhance customer experience, and reduce manual effort. The solution is being extended to field functionaries for faster onboarding.

V. Mobile Banking Transformation

Launched "Zen Lyfe" mobile banking app. The platform integrates banking with lifestyle services, offering payments, transfers, and curated services like travel, shopping, and dining through a seamless user experience.

VI. Key Action Points - Future Goals

- Establish CoEs & Standardization:** Set up Centers of Excellence and adopt industry frameworks to drive consistency, quality, and scalable delivery.
- Agile & Responsive IT Delivery:** Embed Agile methodologies to accelerate execution and enhance business responsiveness.
- Real-time, Data-led Operations:** Enable near real-time data capabilities to support faster decisions and operational agility.
- Strengthened Governance & Resilience:** Implement ISO-led governance and robust incident management for higher reliability and continuity.
- Integrated Operating Model:** Transition to a layered IT structure (BA, CoE, QA, Testing) to drive efficiency and sustained performance improvement.

1.9 India's Economic and Banking Outlook 2025-26 & Beyond

India continues to remain one of the fastest-growing major economies, supported by strong domestic demand, sustained public investment, and improving private sector participation. Real GDP growth for FY 2025-26 is estimated at around 7.6 per cent, while global institutions such as the International Monetary Fund and World Bank project India's growth in the range of 6.5-7.0 per cent in the near term, reinforcing its position among leading economies.

The Government's continued emphasis on infrastructure development, manufacturing, digitalization, and financial inclusion, aligned with national priorities and the vision of Viksit Bharat 2047, is expected to support medium-term growth. Improving employment conditions, stable inflation and continued focus on capital expenditure are likely to sustain consumption and investment activity.

1.10 Charting Resilient Future

India's long-term growth trajectory remains well supported by favorable demographics, expanding digital infrastructure, and increasing formalization of the economy. The focus on key priorities under the Viksit Bharat vision, including Yuva, Garib, Mahilayen and Annadata is expected to strengthen inclusive growth while addressing the needs of a dynamic and evolving population.

The continued emphasis on manufacturing through Make in India, technology transfer and strengthening domestic capabilities is positioning India as a key driver of global economic activity and an emerging leader of the Global South. Parallely, sustained efforts towards improving last-mile delivery of benefits, targeted incentives and policy support are aiding formalization and enhancing economic participation.

Energy self-sufficiency, transition towards sustainable sources and strengthening of domestic production ecosystems are further supporting the shift from a developing to a near-developed economy.

The banking sector will play a critical role in this transition, with increased focus on deposit mobilization to strengthen liquidity buffers and Liquidity Coverage Ratio (LCR), while supporting credit growth. Strengthened balance sheets, improved asset quality and enhanced digital capabilities will enable banks to cater effectively to evolving customer needs and support long-term economic transformation.

2

Bank's Performance: Strong Growth Across Key Metrics (FY 2025-26)

2.1 The bank demonstrated robust financial performance in FY 2025-26, achieving notable growth across key financial parameters.

- Overall Business Growth of 17.47%:** The total business expanded to ₹6,42,531 crore as of March 31, 2026, marking a YOY increase of 17.47% from ₹5,46,979 crore as of March 31, 2025.
- Deposits Grew by 14.14%:** Total deposits reached ₹3,50,564 crore as of March 31, 2026, reflecting a YOY growth of 14.14% from ₹ 3,07,143 crore as of March 31, 2025.
- CASA Strengthens by 12.48%:** CASA deposits, a key indicator of low-cost deposits, increased to ₹ 1,84,087 crore as of March 31, 2026, reflecting a YOY growth of 12.48% from ₹ 1,63,657 crore on March 31, 2025.



IV. Loan Portfolio Increases by 21.74%: Gross advances grew to ₹ 2,91,967 crore as of March 31, 2026, demonstrating a YOY increase of 21.74% compared to ₹ 2,39,837 crore on March 31, 2025.

V. Operating Profit Soars by 16.17%: Operating profit witnessed a rise of 16.17% YOY, reaching ₹ 10,826 crore as of March 31, 2026, compared to ₹ 9,319 crore for the year ended March 31, 2025.

VI. Net Profit Up by 27.17%: Net profit achieved an impressive YOY increase of 27.17%, climbing to ₹ 7,019 crore as of March 31, 2026, from ₹ 5,520 crore for the year ended March 31, 2025.

2.2 Financial Ratios

The various financial parameters of the Bank during FY 2025-26 are as under:

Particulars	2025-26	2024-25
EPS (Rs)	9.13	7.48
Cost to Income Ratio (percent)	37.08	38.37
Return on assets (percent)	1.86	1.75
Return on equity (percent)	23.19	22.92
Book value per share (Rs)	39.36	33.65
Profit per Branch (Rs.in lakh)	252.04	211.81
Profit per employee (Rs.in lakh)	45.01	37.83
Business per Branch (Rs.in crore)	230.71	209.89
Business per employee (Rs.in crore)	41.20	37.49
Interest income as per cent to Average working funds	7.78	7.92
Non-Interest income as per cent to average working funds	0.94	1.10
Net Interest Margin (percent)	3.90	4.00
Operating Profit as per cent to average working Funds	2.88	2.96
Staff expenses as a per cent to average working funds	0.90	1.09
Dividend (per cent)	22.00	15.00
Net worth (₹ in crore)	30,272.42	25,880.52
CRAR (%)	18.36	20.53
Of which, Tier I CRAR (%)	15.41	16.86

2.3 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank increased to ₹ 32,823 crore in FY 2025-26 as compared to ₹ 28,402 crore in FY 2024-25.

The detailed income/expenditure components are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	2025-26	2024-25	Variation (%)
Interest / discount on advances / bills	22,490	19,292	16.58
Income on investments	6,520	5,360	21.63
Interest on interbank lending & other Interest	271	296	(8.13)
Total Interest Income	29,282	24,947	17.37
Non-interest income	3,541	3,454	2.51
Total Income	32,823	28,402	15.57
Interest on deposits	13,472	12,295	9.58
Interest on borrowings & other Interest	2,145	987	117
Staff expenses	3,376	3,442	(1.93)
Other Operating expenses	3,003	2,358	27.34
Total Non-Interest Expenses	6,379	5,801	9.97
Total Expenses	21,997	19,083	15.27
Operating Profit	10,826	9,319	16.17
Provisions and Contingencies	3,807	3,799	0.19
Net Profit	7,019	5,520	27.17

2.4 Compliance with Minimum Public Shareholding guidelines

- On 1st December 2025, the Government of India, as promoter, initiated and successfully completed an Offer for Sale (OFS) of 46,15,68,297 equity shares, representing 6% of the Bank's paid-up capital, in line with SEBI guidelines. The OFS involved only the sale of existing shares with no proceeds to the Bank.



The Offer for Sale (OFS) was successfully completed, resulting in compliance with SEBI's minimum public shareholding requirement of 25%.

2.5 Net Worth and Capital Adequacy Ratio

- a. Net Worth Growth:** The Bank's net worth increased to ₹ 30,272.42 crore as of March 31, 2026, from ₹ 25,880.52 crore as of March 31, 2025.
- b. Strong Capital Adequacy:** As of March 31, 2026, the capital adequacy ratio stood at 18.36%, comfortably exceeding the regulatory requirement of 11.50% (including the Capital Conservation Buffer) under Basel III norms. The Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio was robust at 14.59%.

2.6 Dividend Recommendation

Your Bank's Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 1.20 per equity share (12%) on the paid-up equity share capital of ₹ 10 per share for the financial year 2025-26. This is in addition to the

interim dividend of ₹ 1.00 per equity share (10%) declared on 13.01.2026 and paid during the financial year.

The final dividend will be paid to members whose names appear in the Register of Members and the Beneficial Ownership Position provided by NSDL/CDSL as of the close of business hours on Friday, 5th June, 2026.

This recommendation was approved at the Board meeting held on **April 20, 2026**. Further it is informed that the Record Date for determining the eligibility of members entitled to receive dividend on equity shares is Friday, 5th June, 2026. Dividend, if approved by the shareholders of the Bank, shall be paid after the AGM to those shareholders, whose names appear in the Bank's Register of Members/ Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories viz., National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as at the close of business hours on Friday, 5th June, 2026.

2.7 Sectoral Deployment of Credit

Particulars	OS as on 31.03.2026	Percentage to total OS	OS as on 31.03.2025	Percentage to total O/s
Industry of which	98665	34.52%	79224	33.03%
i. Infrastructure	41337	14.46%	37028	15.44%
ii. Chemicals & Chemical Products	3322	1.16%	2100	0.88%
iii. Petroleum (Including Natural Gas)	3208	1.12%	3998	1.67%
iv. Iron and Steel	3298	1.15%	3249	1.35%
v. NBFCs	38350	13.42%	25737	10.73%
vi. Engineering	4135	1.45%	3259	1.36%
vii. Construction	852	0.30%	1770	0.74%
viii. Other Industries	2183	0.76%	2083	0.87%
Agriculture	40213	14.07%	35547	14.82%
MSME	53547	18.73%	48369	20.17%
Housing	49479	17.31%	38346	15.99%
Education	2992	1.05%	2676	1.12%
Exports	3274	1.15%	2145	0.89%
Commercial Real estate	7775	2.72%	7367	3.07%
Gross Advances (Domestic)	285825		239837	



3

Priority Sector Lending

The Bank's Commitment to Priority Sector Lending

The Bank understands that a strong agricultural sector and a bustling small business ecosystem are the backbone of equitable and sustainable development, like two strong legs for a healthy body. That's why we take Priority Sector Lending (PSL) very seriously, exceeding the mandatory target by a good margin. In the financial year 2025-26, we achieved a PSL ratio of **49.50%** of ANBC (Adjusted Net Bank Credit), i.e. ₹ **118374.27 Cr** of advances (Including investments).

3.1. Empowering Our Kisans: Building a Stronger Foundation

Knowing the unique challenges our kisans (farmers) face, the Bank has put strategies in place to give agriculture a real boost:

- I. Lending a Helping Hand:** With a total outstanding advance of ₹ 40212.06 Cr, we sanctioned ₹ 24,401.68 Cr in fresh loans for agriculture and related activities during FY 2025-26, underscoring our unwavering commitment to our farmers.
- II. Building a Brighter Tomorrow for Our Kisans:** We at the Bank are firm believers in investing in the future of our agriculture. This is why your bank has witnessed a significant jump of 59.31% in investment credit, with fresh sanctions of ₹ 16150.96 Cr in FY 2025-26. This substantial investment empowers our kisans to invest in critical infrastructure and modern technologies. By doing so, our kisans will be well-equipped to increase their crop yields in the long run, ensuring a more prosperous future for themselves and Indian agriculture as a whole.
- III. Unlocking Liquidity:** Your Bank's Swarna Krishi Loans have been a game-changer for our kisans. By leveraging the value of their gold, we've seen a massive 50.08% jump with fresh sanctions of ₹ 12388 Cr in FY 2025-26. This innovative scheme unlocks much-needed cash flow, helping our farmers bridge financial gaps and cover everyday expenses. It's like turning their gold into golden opportunities.
- IV. Standing with Each Kisan, Customized Loan Solutions:** Bank understands that every farm is unique, just like every farmer. A "one size fits all" approach simply won't do. That's why the Bank launched a successful campaign for MKCC Review/Renewal, completing 43.28% in FY 2025-26. This initiative ensures our kisans get the support they deserve. Through this program, existing loans are reviewed and customized to fit each farmer's specific needs and circumstances. It's all about putting our kisans first and empowering them to succeed.

V. Nurturing Innovation: The Bank actively supports the growth of Agro and Food processing industries, a crucial step in adding value to our agricultural produce. Under the "Maha Krishi Samruddhi Scheme," Bank has sanctioned a significant ₹ 1440.01 Cr in FY 2025-26, empowering these industries to contribute even more to the agricultural value chain.

VI. Making Access Easier through Digital Initiative: Financial inclusion is a priority for the Bank. Bank has digitized the KCC Renewal process, making it simpler for our kisans to access credit. Bank has also onboarded KCC Jan Samarth STP Journey for processing of KCC proposal up to Rs. 2.00 Lakhs Maharashtra State and 1.60 Lakhs for Karnataka State.

VII. Weathering the Storms: The Bank understands that farming can be a challenging profession, and natural calamities like droughts, floods, and hailstorms can cause immense hardship for our kisans. That's why Bank stands shoulder-to-shoulder with them through thick and thin. Within regulatory guidelines, Bank extends timely relief measures to help our farmers get back on their feet after such disasters. Bank is committed to being a dependable partner in their journey towards a secure future.

A. MARDEF's Achievements:

- a. Mahabank Rural Self Employment Training Institutes (MRSETIs):** These institutes train individuals for self-employment, with a settlement rate of 75% & credit linkage Rate of 52 % for new business ventures initiated by trained participants. In 2025-26, 8360 individuals received training against target of 7820 and 4345 trainees secured credit linkages for their businesses.
- b. Financial Inclusion:** MRSETIs actively promote financial inclusion and literacy by raising awareness about government schemes and facilitating the opening of savings accounts and enrollment in social security programs.

B. Bank exposure to select segments:

Sr. No.	Sector	As on 31.03.2026	As on 31.03.2025	% increase (+/-)
1	Micro / SHG Finance	3516	3250	8.18%
2	Weaker Section	31474	25354	24.14%
3	SC/ST Beneficiaries	6417	6998	-8.30%
4	OBC Beneficiaries	23827	18762	29.99%
5	Minorities Communities	17211	13916	23.67%



3.2 Fueling India's Growth Engine: The Bank's Commitment to MSMEs

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a pivotal role in the Indian economy by fostering inclusive growth and generating substantial employment opportunities, both directly and indirectly. Recognizing their vital contribution, the Bank has implemented a holistic approach aimed at supporting the MSME sector and strengthening its role in the country's overall economic progress.

I. Record Growth and Exceeding Targets

The Directors take note of the Bank's continued emphasis on the MSME segment, which resulted in a **year on year growth of 10.71 per cent** in MSME advances as of **March 31, 2026**. During the year, MSME lending increased by ₹ **5,178 Cr** in absolute terms. Consequently, total outstanding MSME advances stood at ₹ **53,547 Cr** as on March 31, 2026, reflecting the Bank's sustained commitment to supporting this priority sector and its contribution to economic growth and employment generation.

Performance in FY'26

The Bank's unwavering support to the MSME sector is further reflected in its performance during **FY 2025–26**. The Bank continued to maintain a strong focus on micro enterprises within the MSE portfolio, in line with regulatory and policy objectives. As on March 31, 2026, the **share of Micro enterprises in total MSE outstanding stood at 66 per cent**, exceeding the stipulated target of **60 per cent**. This performance underscores the Bank's commitment to promoting inclusive growth by strengthening credit flow to micro enterprises.

II. MUDRA: Empowering Aspiring Entrepreneurs

The Bank actively participates in the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) scheme, providing crucial credit to small businesses and non-farm enterprises engaged in manufacturing, trade, and services. In FY'26, the Bank sanctioned a commendable ₹ **6,420.11 Cr** under PMMY, exceeding the ambitious target of ₹ **6,400 Cr**. This **100.31% achievement rate** reflects the Bank's dedication to empowering small-scale entrepreneurs.

III. Beyond Lending: A Holistic Approach

The Bank's engagement with MSMEs goes beyond credit delivery and encompasses a range of initiatives aimed at strengthening their overall growth ecosystem.

a. MSME Outreach Initiatives: As part of its ongoing engagement with the MSME segment, the Bank undertook a series of outreach initiatives during the year across multiple geographies. These initiatives enabled the Bank to interact with prospective

enterprises, gain insights into their banking needs, and extend appropriate financial solutions. The programs facilitated deeper engagement with MSMEs and reinforced the Bank's presence at the grassroots level.

b. Cluster-Based Lending: The Bank is adopting a focused cluster-led approach by designing sector- and activity-specific offerings across various regions to drive scale and volume. Dedicated financing solutions have been rolled out for the Glass & Bangles cluster in Firozabad (Uttar Pradesh) and Textile clusters in Surat, Kolhapur, Jaipur, Tirupur, Coimbatore and Malegaon.

c. Segment-Specific MSME Products: Loan products are being tailored to meet the distinct needs of different MSME segments. Eligible categories such as Doctors, CAs, CSs, Architects, Contractors, Hospitality units and Transport operators are offered competitive interest rates, longer repayment tenors, and concessions in processing fees and BG/LC charges.

d. MSME Capacity Building and Networking: The Bank actively promotes financial awareness among MSMEs through workshops, webinars and advisory initiatives. It also facilitates growth by organizing networking platforms that connect MSMEs with investors, suppliers and other key stakeholders.

e. Focus on Women and Young Entrepreneurs: Special loan schemes have been introduced for Women and Young Entrepreneurs to enable easier access to credit, supporting their economic upliftment and social empowerment.

f. Support to MSME Start ups: Special loan products have been introduced to support MSME Start ups by addressing their early stage financing needs and facilitating sustainable business growth.

g. Digital and Cash Flow-Based Lending: By Leveraging technology, the Bank is expanding its digital lending portfolio. Financing to micro units is increasingly driven by cash flow assessment using digital footprints, with reduced dependence on collateral security.

h. Co-Lending Partnerships: The Bank is enhancing its outreach through strategic collaborations with NBFCs, fintech firms and e commerce platforms under the Co Lending framework.

i. Green Financing Initiatives: To encourage sustainable practices, the Bank offers incentivized financing to MSMEs undertaking renewable energy and environmentally responsible projects. A dedicated scheme supports installation of captive solar power



systems to promote clean energy and lower operating costs. For proposal having exposure above 50 Crore, bank is offering concession in ROI based on ESG Score.

j. Credit guarantee cover and capital / interest subsidy: The Bank facilitates access to credit guarantee cover and capital/interest subsidies under various Government schemes, aiding financial inclusion and accelerating MSME onboarding.

k. Trade Receivables Discounting System (TReDS): A centralized platform has been developed to streamline and strengthen the Bank's Trade Receivables Discounting System (TReDS) operations. TReDS onboarding and bidding has been centralized to build quality portfolio.

l. Various IT initiatives for process improvement are as under:

- Automation of validation of ZED certification in CBS through ZED portal (www.zed.msme.gov.in) and passing of applicable incentives to beneficiaries.
- Automated CGTMSE fee payments.

System automatically processes guarantee fee and annual guarantee fee payments if sufficient funds are available during the debit run. It targets the following accounts based on the facility covered under CGTMSE:

IV. Digital Products Initiative

In line with the Bank's strategic focus on digital transformation and process automation, several end-to-end digital credit journeys were implemented during the year to enhance operational efficiency, improve customer experience, and support Government of India initiatives for the MSME sector. The Bank is also in the process of launching additional digital products to ensure faster, hassle free credit access for MSMEs.

Digital PM SVANidhi: The Bank has successfully implemented a fully Straight Through Processing (STP) digital journey for loans under the Pradhan Mantri SVANidhi Scheme. This initiative facilitates faster credit delivery to street vendors with minimal manual intervention, thereby improving turnaround time and ensuring seamless access to institutional credit.

Digital MUDRA: A digital STP journey has been launched for MUDRA credit facilities (Cash Credit / Term Loan) up to < 10 lakh. The facility is available on a PAN India basis for Existing-to-Bank (ETB) customers through a fully digital mode, while New-to-Bank (NTB) customers are onboarded through an assisted digital process. This initiative has significantly reduced the TAT and streamlined credit delivery under the MUDRA framework.

Auto Review / Renewal of MSME Working Capital Facilities up to ₹ 10 Lakh: The Bank has introduced automation for review and renewal of existing MSME Working Capital facilities up to ₹ 10 lakh through an STP-enabled system. The key objectives of this initiative include:

- Significant reduction in manual processing and manpower deployment at branches across the Bank.
- Enhanced customer convenience by substantially reducing, and in many cases eliminating, the need for physical branch visits.

Maha E GST Scheme: The Bank has launched a digital credit journey under the Maha e GST Scheme for sanction of Cash Credit facilities up to ₹ 25 lakh to MSME customers. The credit assessment is carried out using a data-driven model based on GST and other digital footprints available within the financial ecosystem, enabling quick and informed credit decisions.

Digital PM Vishwakarma: The Bank has also rolled out a fully STP digital journey for credit under the Pradhan Mantri Vishwakarma Scheme, thereby ensuring efficient implementation of the Government's initiative aimed at supporting traditional artisans and craftsmen through timely and hassle-free access to credit.

V. Looking Ahead: Building a Stronger MSME Ecosystem

The Bank's steadfast commitment to the MSME sector is reflected in its focused efforts to achieve and surpass targets under key Government schemes such as MUDRA, PM Vishwakarma, Stand Up India and PMEGP. In addition, the Bank is actively extending credit support to MSMEs under CGTMSE and focusing on providing support to start ups under the Credit Guarantee Scheme for Start ups (CGSS). These initiatives are expected to significantly strengthen the Bank's MSME credit portfolio while enabling a larger number of enterprises to grow, sustain, and contribute to economic development.

3.3 Fulfilling Common Man Dreams: The Bank's Commitment to Retail Lending

Retail lending continued to be an important growth driver and a stabilising component of the Bank's advance portfolio during the year under review. The Bank's retail credit strategy is anchored in **balanced growth with due emphasis on risk management and asset quality**, with a strong focus on extending **affordable and accessible credit** to a wide spectrum of customers.

Retail advances play a critical role in supporting household aspirations such as home ownership, education, mobility and other personal requirements, while contributing to portfolio granularity and long



term sustainability of earnings. The Bank offers a comprehensive suite of retail loan products catering to diverse customer needs, including housing loans, education loans, vehicle loans, gold loans and personal loans, supported by prudent underwriting standards and robust monitoring mechanisms.

During the year, the Bank pursued calibrated expansion of retail credit, with a conscious emphasis on secured lending and quality accretion, even amidst a firm interest rate environment. **Housing finance remained the anchor of the retail portfolio**, reflecting continued demand for residential housing and the Bank's long standing commitment to this segment.

I. Sectoral deployment of retail credit:

Segment	OS as on 31.03.2026	Percentage to total OS	OS as on 31.03.2025	Percentage to total OS
Housing	49479.39	57.63%	38346.44	59.13%
Education	2992.37	3.49%	2675.73	4.13%
Vehicle	6318.22	7.36%	4062.84	6.26%
Other Retail	27066.94	31.52%	19767.96	30.48%
Total Retail	85856.92	100%	64852.97	100%

Housing loans continued to dominate the retail portfolio, accounting for about **58%** of total retail advances. Growth in housing and vehicle loans supported overall expansion, while the relative moderation in the share of "Other Retail" loans reflects a conscious strategy of portfolio optimization and risk alignment.

II. Scheme wise Performance:

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar '26	NPA %
1	Maha Super Housing Loan Scheme	Housing Sector being the thrust area, Bank has various Housing Loan schemes in place to meet the needs of all economic segments. Bank offers housing loan for "purchase / construction of new / existing house / flat, repairs / renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon".	49479.39	0.15
2	Maha Super Car Loan Scheme and Mahabank vehicle Loan scheme	Bank offers Vehicle loan schemes for purchase of New / Second hand four wheelers i.e. Car, Jeep, Multi Utility vehicles (MUVs), SUV, electric vehicles etc. for personal use (i.e. not for hiring/ferrying passengers) for individuals (18 years and above) and Non-Individuals.	6318.22	0.14
3	Education Loan Scheme	Bank is implementing IBA Model Education Loan Scheme, PM Vidyalaxmi Scheme & Maha Scholar Overseas Education Loan scheme to provide hassle free Education loan to all meritorious and deserving students for pursuing higher studies /education in India and abroad.(including co lending)	2992.37	0.12
4	Loan Against Self-Occupied Property	Bank offers Loan Against Self-Occupied Property in which loan is given to the Individual borrower against the property. The end use of the loan is for meeting varied personal needs like Children's Education, marriage of children, medical treatment, travel/ tour expenses, buying vehicle or hi-tech gadgets, other domestic needs etc.	2388.87	1.08



SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar '26	NPA %
5	Mahabank Top up Loan Scheme	In order to extend additional credit support to existing housing loan borrowers as well takeover of existing housing loans from other banks with additional facility of Top-up Loan, Bank offers "Mahabank Top Up loan Scheme". Under the scheme credit is extended for variety of domestic purposes like children's education, marriage of children, medical treatment, buying a vehicle or hi-tech gadgets and other domestic needs etc.	4237.84	0.13
6	Mahabank Gold Loan Scheme(Retail)	With a view to tap the potential of gold loans as a lucrative asset and to cater to the needs of meeting General consumption as well as Agriculture use, whatsoever which include cultivation, development of agricultural land, agri allied activity & personal expenditure for varied needs like marriage, higher education, medical emergencies, business travel etc, Bank has loan product as "Mahabank Gold Loan Scheme".	10219.91	0.11
7	Mahabank Aadhar Loan Scheme	To cater to the needs of our existing pension account holders in meeting their personal emergencies or expenses, pilgrimage, medical and domestic needs etc., Bank offers "Mahabank Aadhar Loan Scheme".	799.37	0.28
8	Personal Loan	Bank offers Personal loan to cater to the needs of salaried individual, professionals & business class of customers for meeting other personal expenses, medical or domestic expenses etc.	3741.21	1.47

III. FY 2025-26 at a Glance:

Bank's commitment to empowering individuals and families is reflected in the impressive growth of Bank's retail portfolio, reaching a whopping ₹ 85856.92 Cr as of March 31, 2026. Let's explore some key initiatives that fueled this success:

During the year, the following key initiatives supported the expansion of retail advances:

- Centralised Processing of Mortgage based Loans:** Centralised Processing Cells (CPCs) were made operational across all zones for mortgage based loan products such as Housing Loans, Loan Against Property and Top Up Loans. The centralised processing mechanism facilitated uniform credit appraisal, improved turnaround times and enhanced internal controls.
- Expansion of Housing Finance Branches:** Considering the sustained demand for housing finance, the Bank established **Housing Finance Branches at 50 major centres**, including Tier II locations. These specialised branches enabled focused sourcing, faster processing of housing loan proposals and improved customer service.
- Rationalisation of Central Processing Structure:** The central processing framework was further strengthened by clearly defining mandates, whereby CPCs were aligned to

process mortgage based loan proposals from mapped branches. This initiative improved governance, standardisation and accountability in retail credit operations.

The Bank continued its efforts towards simplification and digitisation of retail lending processes with an objective to enhance customer convenience and operational efficiency.

- Competitive Pricing:** Retail loan products were offered at competitive interest rates, ensuring affordability for customers while maintaining appropriate risk adjusted returns.
- Streamlined Retail Loan Processing:** Retail loan processing was further strengthened through the effective use of loan management systems, including integration of Loan Against Property and Top Up Loans, enabling seamless processing and improved monitoring.
- Digital Loan Processing:** Digital loan processing and Straight Through Processing (STP) were implemented for select retail loan products, resulting in reduced documentation requirements and faster loan sanctioning.
- Direct Selling Agent (DSA) Portal:** A dedicated portal for Direct Selling Agents was introduced to streamline lead management and commission settlement. The initiative



contributed to improved productivity and reduced operational dependency on manual processes.

v. Digital Enablement of Retail and Government linked Schemes: Digital platforms were developed for schemes such as PM Surya Ghar, PM Vidyalakshmi Education Loan and Digital Car Loans, enabling seamless and hassle free loan application and sanctioning.

vi. Progress towards End to End Digital Journeys: The Bank continued to work towards end to end digital enablement of education loans, housing loans, personal loans and other retail products, with a focus on minimising customer touchpoints and documentation.

Supporting Environmental Sustainability

In line with the Government of India's initiatives and the Bank's commitment towards sustainable development, the Bank continued to promote environmentally responsible retail loan products.

- i. Green Vehicle Loans:** Under the "Maha Bank Green Vehicle Loan Scheme", financing support was extended for purchase of electric vehicles to encourage adoption of environmentally cleaner mobility solutions.
- ii. Green Housing Loans:** The Bank supported eco friendly housing projects through the "Maha Bank Green Housing Loan" scheme, facilitating investment in sustainable living solutions.
- iii. PM Surya Ghar – Muft Bijli Yojana:** Under the PM Surya Ghar – Muft Bijli Yojana, the Bank extended financing support for installation of rooftop solar panels, enabling households to generate renewable energy and reduce dependence on conventional power sources.

Outlook on Retail Credit – FY 2026 27

Looking ahead, the Bank will continue to pursue calibrated growth in retail credit, with emphasis on secured lending, portfolio granularity and asset quality. The retail lending strategy for FY 2026 27 will focus on strengthening digital capabilities, improving process efficiency and expanding reach through specialised branches and partnerships, while remaining aligned with the prevailing interest rate environment and regulatory guidelines. The Bank will also continue to enhance credit appraisal and monitoring mechanisms to ensure sustainability of growth and resilience of the retail loan portfolio.

4

Bridging the Gap: The Bank's Commitment to Financial Inclusion

The Bank recognizes the vital role financial inclusion plays in empowering individuals and driving national economic growth. We are firmly committed to the national agenda of ensuring that **every Indian**, regardless of location or socioeconomic background, has access to essential banking products and services.

A. Making Banking Accessible for All

During the year 2025-26, the Bank has made significant strides towards achieving this goal. We successfully opened a staggering **8.23 lakh** new Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts. This translates to providing access to basic banking facilities like savings accounts, debit cards, and overdraft protection to over a million previously unbanked individuals.

Banks Performance in Financial Inclusion are as below:

	Particulars	2024-25	2025-26
FI Plan	No of Transactions by BCA (in lakhs)	193.20	198.94
	Amt. of Transactions (in Cr)	15479.59	15099.02
PMJDY	No. of PMJDY accounts (in lakhs)	80.61	86.68
	Of which Aadhar Seeded (in Lakhs)	77.30	83.49
	% of Aadhar Seeding	95.89%	96.32%
	Of which Mobile Seeding (in Lakhs)	68.75	74.26
	% of Mobile Seeding	85.29%	85.67%
	Of which Ru-pay card issued (in Lakhs)	44.92	52.62
	% of Ru-pay card issued	55.73%	60.71%
	Balance in PMJDY A/c (in Crore)	4538.87	5819.75



	Average balance per account (actual)	5631.00	6714.00
	PMJDY-OD count (in lakhs)	0.81	0.75
	PMJDY-OD Amount (in lakhs)	876.31	1154.40
	Zero balance PMJDY A/cs (in lakhs)	4.34	5.53
Social Security Schemes	Cumulative Enrolment under PMJJBY (in lakhs)	35.98	48.37
	Cumulative Enrolment under PMSBY (in lakhs)	70.94	88.57
	Cumulative Enrolment under APY (in lakhs)	9.86	12.42
BSBD Accounts	Total BSBD Accounts (in lakhs)	94.12	99.19
	O/S Balance in BSBD A/c (in Cr)	5358.33	6735.25
	Average balance per account (actual)	5693.00	6790.00
	Commission paid towards BC Services (in Crore)	29.92	38.02

5

Asset Quality and NPA Management

Bank's unwavering focus on asset quality has yielded impressive results. Bank has achieved significant reductions in both Gross NPA (Non-Performing Assets) and Net NPA ratios:

- Gross NPA Reduction:** Declined from 1.74% as of March 31, 2025, to 1.45% as of March 31, 2026.
- Net NPA Reduction:** Declined from 0.18% as of March 31, 2025, to 0.13% as of March 31, 2026.
- Provision Coverage Ratio (PCR):** Achieved a strong 98.59% PCR as of March 31, 2026.

A. Rebuilding Trust, Recovering Value: The Bank's NPA Recovery Strategy

Bank has implemented a comprehensive strategy to manage and recover non-performing assets:

- Dedicated Recovery Teams:** Bank has established Asset Recovery Cells (ARC) at all zonal offices and 13 dedicated Asset Recovery Branches (ARB) to focus on large NPA accounts, particularly those involved in legal proceedings.
- Stressed Asset Management:** A separate department at the Head Office oversees four Stressed Asset Management (SAM) branches. These branches prioritize recovery efforts for NPA accounts with balances exceeding ₹ 5 Cr.
- AI-Powered Communication:** An AI-based Interactive Voice Assistant solution has been developed for outbound calls to customers with stressed accounts and for our contact center. This AI-powered solution communicates with customers in their preferred language, promoting better communication and understanding.
- Active Loan Tracking:** A dedicated Loan Tracking Cell conducts daily telephone follow-ups

with borrowers of stressed accounts and overdue payments. This proactive approach ensures timely recoveries and facilitates NPA upgrades.

- Wilful Defaulter Identification:** Separate cells at the Head Office identify wilful defaulters which brings pressure on the NPA Borrowers for early resolution of the account.
- Action under SARFAESI / DRT:** Robotic Process Automation helps field offices in ensuring timely actions and follow up of SARFAESI/ DRT cases. As per DFS guidelines Nodal officer is appointed at each zone for DRTs and DRATs to maintain liaisoning with Presiding Officer and Recovery Officer of DRT to expedite the Recovery process. Further, nodal officer is entrusted with responsibility to maintain liaisoning with DM/CJM for early execution of Physical Possession order.
- BAANKNET:** Bank has partnered with BAANKNET to provide seamless and transparent platform for sale of stressed Assets. Bank is putting properties under symbolic and physical possession for e-Auction on BAANKNET portal.
- My KASE Application:** Bank has introduced MyKase application for all the Law Officers and Nodal Officers for monitoring and tracking the DRT cases on daily basis. MyKase application helps to monitor and review the performance of Advocate. Advocates have also been provided access to My Kase application for real time updation of case status.
- One-Time Settlement Schemes:** Bank offers fair and transparent One-Time Settlement (OTS) schemes like "SARAL" & "NIVARAN" to facilitate debt resolution for eligible borrowers under various categories.
- e-OTS:** Bank has launched a digital OTS platform (e-OTS) for a streamlined, efficient and hassle-free settlement process for accounts with limit



sanctioned up to ₹ 10.00 lakhs and outstanding balance (Principal Outstanding) up to ₹ 10.00 lakhs.

XI. Debt Recovery Efforts: Bank actively engages in debt recovery through visits, notifications, legal proceedings, Recovery Camps, Lok Adalats (people's courts), Mahabank Adalats (Bank-specific courts), and timely actions under SARFAESI/DRT Acts. Bank is also utilizing the services of Recovery Agents and Resolution Agents to expedite recoveries.

XII. Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) Utilization: Bank has initiated proceedings under the IBC against large NPA borrowers. This includes Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) against borrowers and Personal Insolvency Resolution Process (PIRP) against guarantors, ensuring a comprehensive approach to debt recovery.

XIII. Strategic NPA Sales: Bank regularly explores selling difficult-to-recover NPAs to Asset Reconstruction Companies (ARCs) and the National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL). This strategy cleanses our balance sheet and allows us to focus on core lending activities.

Position of Non-Performing Assets is as under:

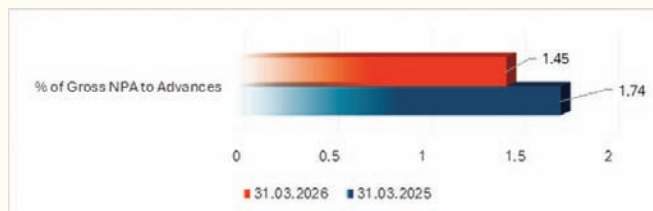


Figure 1: Comparison of % of Gross NPA for FY 2025 and FY 2026

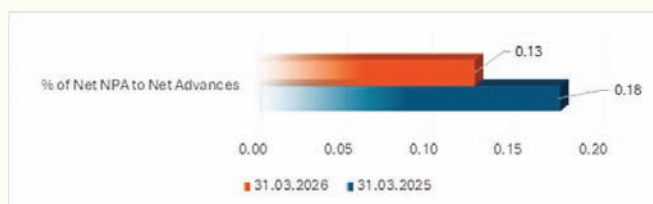


Figure 2: Comparison of % of Net NPA for FY 2025 and FY 2026

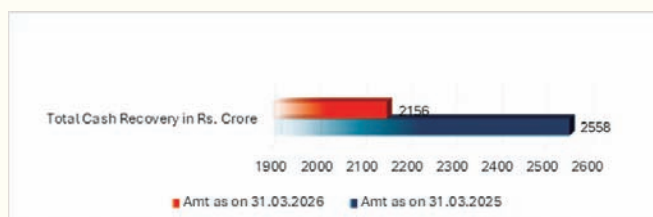


Figure 3: Comparison of Cash Recovery amount of FY 2025 and FY 2026

6

Augmenting Bank's Foreign Exchange Business

To meet the rising demand for foreign exchange services, the Bank operates a robust network of 51 strategically positioned Category B branches across India. These branches provide a wide range of foreign exchange solutions, ensuring seamless international transactions for individuals and businesses alike.

Highlights for FY 2025-26:

I. Merchant Business Expansion:

A significant increase in merchant business was recorded, generating ₹ 52,766 crore during the year. This reflects the Bank's dedication to empowering businesses engaged in global trade.

II. Profitability:

The foreign exchange division earned a profit of ₹ 126 crore, contributing to the Bank's overall financial performance.

7

Strategic Investing: Securing Financial Stability

The Bank upholds a well-diversified investment portfolio, ensuring compliance with Statutory Liquidity Ratio (SLR) regulations while strategically expanding into non-SLR securities.

7.1 Investment Portfolio Breakdown (as of March 31, 2026):

I. Gross Investments: ₹ 1,02,207 Crore

- ₹ 86,647 Crore (SLR Securities):** Investments that comply with the mandatory liquidity requirements set by the Reserve Bank of India.
- ₹ 15,560 Crore (Non-SLR Securities):** Investments made beyond the SLR requirement, offering greater flexibility and potential for higher returns.
- Surplus SLR Securities: ₹ 29,770 Crore:** This surplus demonstrates the Bank's strong liquidity position.

II. Net Investments: ₹ 1,01,480 Crore (net of provisions) as of March 31, 2026.

III. Investment Portfolio Composition:

- 56.13% Held-to-Maturity (HTM):** Investments intended to be held until maturity, providing a stable source of income.
- 43.12% Available-for-Sale (AFS) & Fair Value**



Through Profit & Loss: Investments that can be actively bought and sold to generate additional income and manage portfolio risk.

7.2 Financial Performance:

- a) Treasury Profit Growth:** Trading profit increased by 70.47% from ₹ 283.31 Crore in FY2024-25 to ₹ 483.05 Crore in FY2025-26. Net profit is reported to ₹ 202.47 Crore as Bank provided for the provision of ₹ 280.59 Crore as an exceptional item against the impairment of capital investment by the Bank in its RRB i.e. Maharashtra Gramin Bank (MGB) post implementation of amalgamation plan under "One State One RRB" of GoI, wherein Vidarbha Konkan Gramin Bank (VKGB) was amalgamated with MGB.
- b) Net Interest Income Growth:** Increased by 21.63% from ₹ 5360.43 Crore in FY 2024-25 to ₹ 6519.84 Crore in FY 2025-26, highlighting the Bank's ability to generate consistent returns from its investment portfolio.

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25	% Change
Treasury Profit	202.47*	283.31	(28.53)
Net Interest Income	6519.84	5360.43	+21.63

* Excluding one-of-item, the profit for the year will be Rs.483.05 Crore

8

Merchant Banking

During the year, Bank handled 38 issuance of Commercial Papers amounting to ₹ 34,545 crore for its clients as an Issuing and Paying Agent (IPA).

9

Borrowings

The borrowing of the Bank as on March 31, 2026 stood at Rs. 35234 crore including re-finance as under:

(Amount in ₹ Crore)

Particular	Amount as on 31.03.2026	Amount as on 31.03.2025
Total Borrowing	35234.00	23853.00
of which Borrowing RBI under LAF	0.00	0.00

Of which Borrowing Market REPO	0.00	0.00
Of which Borrowing TRePS (G-Sec)	0.00	0.00
Of which Refinance from		
NABARD	3525.00	3425.00
EXIM BANK	3400.00	0.00
NHB	0.00	0.00
SIDBI	13001.00	11928.00
Mudra	20.00	69.00
Borrowings in the form of Bonds & debentures capital instruments	8431.00	8431.00
Borrowings outside India	5671.13	-
Others	0.00	0.00

10

Depository Services

- Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999.
- The Bank has been providing Depository services such as account opening, dematerialization, pledging/unpledging of securities, rematerialisation etc.

As on 31/03/2026 -

TOTAL NO OF ACCOUNTS	ACTIVE ACCOUNTS	DORMANT/ INACTIVE
21236	17147	4089

- The Bank has tied up with Religare broking Limited as its trading partner and is in process of onboarding Aditya Birla Money Limited for online 3-in-1 account opening journey. The facility of online 3-in-1 account opening will be integrated in the mobile banking app 'Zenlyfe' and internet banking application.
- Bank has introduced ASBA through net banking and UPI through which customers can apply for various IPO's and Rights issue along with the facility to submit applications physically to the branches.



11

Bancassurance

- I. **Comprehensive Insurance Offerings:** The Bank serves as a corporate agent for an extensive selection of bancassurance products, encompassing Life, General, and Health Insurance. Through strategic partnerships with 8 insurance companies, we provide customers with a diverse range of insurance solutions tailored to their unique needs.
- II. **Enhancing Digital Experience:** Dedicated to delivering a seamless digital journey, the Bank has collaborated with a prominent Fintech company to create an intuitive digital insurance platform. This platform enables customers to effortlessly explore, compare, and purchase insurance products through the Bank's digital channels.

Performance during FY 2025-26 (Amount in Crore)

Segment	NOP	Premium	Commission
Life Insurance	29267	171.17	44.41
General Insurance	352206	62.75	8.82
Health Insurance	34567	56.51	6.86
Total	416040	290.42	60.09

12

Government Business

12.1 Convenient Doorstep Banking Services

The Bank offers Doorstep Banking Services through M/s PSB Alliance Pvt. Ltd., catering to retail customers across 1,000 cities via 1676 branches. These services encompass both financial and non-financial assistance:

- I. **Financial Services:** Cash withdrawal and fund transfer.
- II. **Non-Financial Services:**
 - a) Delivery Services: Account statements, TDS certificates/Form 16.
 - b) Pickup Services: Collection of cheques/DD, Form 15G/15H, standing instructions, cheque book requisition slips, GST challans with cheques, and nomination forms. Additionally, pensioners can submit digital life certificates from the comfort of their homes.

12.2 Efficient Tax Collection

In FY 2025-26, the Bank collected 6,57,169 challans of Direct Taxes and 6,31,969 challans of Indirect Taxes, earning a total commission of Rs 1.62 crore.

12.3 Comprehensive Pension Services

Serving senior citizens with dedication, the Bank processes and credits monthly pensions for Central Government, Defense, Railway, and Telecom pensioners through its Central Pension Processing Cell (CPPC) in Pune. This service generated a Government Business commission of Rs 7.83 crore for FY 2025-26.

12.4 Promoting Small Savings Schemes

The Bank opened numerous accounts under various small savings schemes during FY 2025-26:

- I. 1,40,847 new PPF accounts.
- II. 22,506 new Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) accounts.
- III. 11,970 new Sukanya Samriddhi Scheme accounts.

The Bank earned a commission of Rs 8.16 crore from these schemes during the year.

13

Lead Bank Scheme

13.1 Lead Bank Responsibility

Bank holds Lead Bank responsibility in seven districts: Chhatrapati Sambhaji Nagar, Jalna, Nashik, Palghar, Pune, Satara, and Thane. The Lead District Managers of these districts work collaboratively with other banks and district authorities to prepare and implement District Credit Plans (DCPs) annually. These plans ensure targeted financial support for various sectors within each district.

13.2 State-Level Coordination:

- I. **State Level Bankers' Committee (SLBC)**
Convener: As the convener of the SLBC for Maharashtra, the Bank plays a central role in coordinating financial initiatives across the state.
- II. **State Annual Credit Plan:** Bank guides, the SLBC prepares the annual credit plan in consultation with various stakeholders, including Lead District Managers, Member Banks, NABARD, and the Reserve Bank of India. The Priority Sector Plan for FY 2025-26, valued at ₹ 8,06,168 crore, ranks as one of the highest credit plans in the country, underscoring our commitment to fostering financial growth in Maharashtra.
- III. **Regular Reviews and Meetings:** The SLBC convenes quarterly meetings to monitor progress on the State Annual Credit Plan, prioritize lending to critical sectors, and oversee the implementation of government-sponsored schemes. Additionally, the SLBC facilitates



communication and collaboration between Member Banks, Central & State Government agencies, and central institutions like RBI and NABARD.

IV. Supporting Government Initiatives:

The SLBC works closely with various government departments to ensure the successful implementation of key programs through member banks. These programs aim to empower different segments of the population, including:

- Supporting Agriculture and Allied Sectors:** Initiatives such as KCC Saturation for Animal Husbandry, Dairy & Fisheries, and PM-Kisan beneficiaries.
- Support for Small Entrepreneurs:** Implementation of PMSVANidhi, Svanidhi se Samruddhi for street vendors, and PM Vishwakarma schemes for traditional artisans and craftspeople.
- Targeted Interventions:** Coordination with NITI Aayog to implement the Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) in aspirational districts and blocks.
- Mission Utkarsh Programme:** Focus on fostering financial inclusion and development in Nandurbar district, one of the 10 designated aspirational districts in the country.

13.3 Opening Doors of Formal Banking to Everyone through Financial Inclusion:

As the SLBC convener, the Bank has been instrumental in driving the Pradhan Mantri Jan Dhan

Yojana (PMJDY) in Maharashtra. As of March 31, 2026, over 3.79 crore PMJDY accounts have been opened in the state, providing essential banking services to a previously unbanked population.

14

Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions:

Amalgamation of Maharashtra Gramin Bank and Vidarbha Konkan Gramin Bank -

As per Government of India (GoI) vide Gazette Notification CG-DL-E-07042025-262329 dated 7th April 2025 has notified the implementation of amalgamation of RRBs in 11 States/UTs from 1st May 2025. Maharashtra Gramin Bank and Vidharbha Konkan Gramin Bank Sponsored by Bank of Maharashtra and Bank of India respectively in the State of Maharashtra are amalgamated into a single Regional Rural Bank, which is called as **"Maharashtra Gramin Bank"** with its head office at Chhatrapati Sambhajinagar, Sponsored by Bank of Maharashtra.

I. Performance of Regional Rural Bank (New Amalgamated entity - Maharashtra Gramin Bank) is summarized below:

I. Performance Highlights

Maharashtra Gramin Bank (MGB), a regional rural bank Sponsored by the Bank of Maharashtra, plays a pivotal role in bringing financial services to rural communities across the state of Maharashtra. Here's a look at their performance for FY 2025-26:

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Performance Parameter	Actual as on 01/05/2025	DVP/MoU Target 31/03/2026	Actual as on 31/03/2026	% Achieved	Y-o-Y Growth (%)
1	Total Business	41955.17	47500.00	46057.19	96.96	9.78
2	Total Deposits	25944.84	30000.00	28591.21	95.30	10.20
3	CASA deposits	14059.46	15600.00	16524.70	105.93	17.53
4	% of CASA Deposits	54.19	52.00	57.79	-	-
5	Total Advances	16010.33	17500.00	17465.98	99.81	9.09
6	Priority Advances	13768.88	16000.00	14095.49	88.10	2.37
7	Gross NPA (%)	7.31	9.36	10.86	-	-
8	Net NPA (%)	3.13	5.34	6.53	-	-
9	Operating Profit	290.32	-	171.89	-	-



The Bank has demonstrated stable growth post-amalgamation with strong CASA performance and near-target achievement in advances and total business. However, focus is required on improving non-interest income streams and strengthening recovery in written-off accounts. Continued emphasis on digital transformation and financial inclusion is expected to further enhance operational efficiency and outreach.

II. Branch Network Expansion:

1. As of March 31, 2026, MGB has a network of 759 branches with 13 Regional Offices covering 34 out of 36 districts in Maharashtra.
2. All branches and controlling offices are now under Core Banking Solution (CBS) for enhanced efficiency.

III. Financial Performance:

1. Total Deposits increased from ₹ 25944.84 crore (1st May-25) to ₹ 28591.21 crore (31st March-26), achieving 95.30% of the target, reflecting a YTD growth of 10.20%.
2. Advances increased to ₹17465.98 crore, achieving 99.81% of the target and showing positive YTD growth of 9.10%.
3. Advances growth is after adjusting IBPC of Rs. 950 Cr. Actual advance growth is 15.02%.
4. Overall Total Business stood at ₹ 46057.19 crore, with 96.96% target achievement and a YTD growth of 9.09%.
5. CASA deposits increased to ₹ 16,524.70 crore, with a YTD growth of 17.53%.
6. CASA constitutes 57.79% of total deposits, remaining above the target CASA ratio (achievement 111.15%).

IV. Supporting Government Initiatives:

1. MGB actively promotes government schemes like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). During FY 2025-26, they opened **1,61,821** PMJDY accounts, bringing the total to **40,61,921** accounts as of March 31, 2026.
2. The bank plays a key role in social security schemes, covering **11.60** lakh customers under PMJJBY (life insurance), **38.26** lakh under PMSBY (accident insurance), and **7.23** lakh under APY (pension scheme).
3. MGB actively supports the PMMY (Micro Units Mudra Yojana) scheme, empowering micro-entrepreneurs. Also other government sponsored credit schemes such as PMEGP, CMEGP, PMFME, PM Vishwakarma etc.

V. Technological Advancements:

In line with Government directives, the Bank of Maharashtra, as the sponsor bank, has assisted MGB in upgrading their technology infrastructure. Initiatives taken by Maharashtra Gramin Bank

during FY 2025-26 are as below –

1. Successfully completed CBS migration from Fincalc to Bancs 24 Platform for eVKGB Branches as per NABARD SOP within timeline given by the DFS.
2. The bank has successfully integrated and launched the Jan Suraksha Portal. This portal facilitates the digitization of the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), covering the entire process from enrolment to claim processing and settlement.
3. Bank has launched Loan Origination System (LOTUS) for digitized processing of loan application. It auto generate the sanction letter and appraisal note. LOTUS is now available for Car Loan, GST MSME Scheme. Housing Loan & Personal Loan.
4. Bank has launched the dedicated tool for SMA and NPA Monitoring named SMAART (Special Mention Accounts and NPA Recovery Tool), which is one stop solution for monitoring of SMA and NPA Accounts. Bank has also launched the mobile version of SMAART portal.
5. Bank has successfully implemented Bharat E-commerce Payment Gateway for seamless digital transactions.
6. Bank has introduced Video KYC facility for saving account opening and become the 1st RRB in India to avail this facility to customers.
7. Bank has introduced UPI based scanned sound box service for account holders. The sound box service allows customers to receive real-time transaction updates and notifications regarding their accounts through audio messages, making banking more accessible and user-friendly.
8. Bank has introduced the services of UPI LITE with the help of NPCI which has increased the services of small token transaction.
9. The Bank has provided UPI, Internet Banking & Mobile Banking facilities to all customers as per the RBI guidelines, ensuring secure and convenient digital banking services.
10. Bank is one of the firsts RRB to implement generation of UPI IDs based on Aadhaar instead of ATM cards
11. Bank has centralized the system generated process of unclaimed deposits for more than 10 year at Head office level and bank has also developed in-house DEAF portal for monitoring and processing of DEAF claims through system.
12. As per Reserve Bank of India guidelines, credit balance entries pending for more than 5 years have been reviewed, and as amount of Rs 7.08 crore has been transferred to a Blocked Credit Account. Necessary records are maintained, and claims will be settled as per applicable norms.

VI. Door-Step Banking:

1. MGB leverages a network of **2174** Business



Correspondents (BCs) to provide convenient doorstep banking services to customers in rural areas.

II. Performance of METCO during FY 2025-26

A. Safeguarding Your Legacy: The Maharashtra Executor & Trustee Company (METCO)

The Bank of Maharashtra's wholly owned subsidiary, METCO, has been a trusted partner for over 80 years. Established in 1946, METCO provides a comprehensive suite of services to manage /distribute your assets and ensure your wishes are carried out.

B. METCO's Core Services:

- 1. Will Management:** METCO offers expert guidance on drafting, safekeeping, and executing your will. They act as your executor, ensuring your assets are distributed according to your wishes, including property sale or transfer to the intended beneficiaries.
- 2. Trust Administration:** METCO helps you draft the trust deed, establish the trusts and manage both private and public trusts. They act as the managing trustee, handling all aspects of trust administration, including managing movable and immovable assets, ensuring compliance with regulatory bodies, and fulfilling charitable objectives.
- 3. Power of Attorney:** METCO can be appointed as the Power of Attorney holder to manage your investments and immovable properties. This includes tasks like property rentals, sale, and transfers.
- 4. Guardianship:** In court-appointed guardianship cases, METCO acts as the legal guardian, managing a minor's property.

C. METCO's Reach and Impact:

- Headquartered in Pune with four branches in Pune, Mumbai, Thane and Nagpur, METCO serves clients across Maharashtra.
- As of FY 2025-26, METCO manages over 887 public and private trusts through its four units.
- During the current FY 2025-26, they have added 69 new wills, bringing the total to 543 live wills under their custody for execution.
- METCO currently manages movable and immovable properties for 30 active POA accounts through Power of Attorney agreements.
- The company, as Managing Trustee of its 887 trusts, catalyzes its social responsibility by providing help to poor & needy people by extending financial assistance for the purpose of education, medical, cultural, religious, spiritual, art and culture, etc.

- During FY 2025-26, the Company has also donated through its trusts, Rs. 256 lakhs to 1259 needy beneficiaries.

D. Financial performance:

METCO maintains sound financial practices. For FY 2025-26, the company has recorded a Net profit of Rs. 1.32 Cr., having crossed Rs. 1 Cr. Net Profit consecutively for second year.

15

Resources: Banking Outlets, Workforce, Technology, Customer Service & Beyond

15.1 Expanding Access: Banking Outlets, ATMs and Passbook Kiosks

Our Bank is steadily expanding its national footprint, serving customers across 28 states and 8 union territories. As of March 31, 2026, our network has grown to 3,061 banking outlets, a notable rise from 2,761 outlets as of March 31, 2025. Additionally, the significant milestone for the Bank is to establish its first overseas branch at International Financial Service Center in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat. This growth underscores our dedication to delivering convenient and accessible banking services nationwide.

A. Diverse Network for Every Need:

Our robust network is designed to meet a variety of customer requirements:

- Branches (2782 nos.):** Comprehensive banking services tailored to everyday needs.
- Digital Banking Units (3 nos.):** Cutting-edge technology delivering a seamless digital banking experience.
- Customer Service Points (276 nos.):** Operated by Bank Mitras, these points offer essential banking services in easily accessible locations.
- GIFT IBU:** Catering global business of Indian companies.

B. Strategic Expansion: Bringing Banking Closer to You

During FY 2025-26, our network expansion focused on strategic initiatives:

- New Branches:** Bank has extended its branch network by opening 183 new branches, facilitating our services to more communities across diverse regions of the country. This year the bank opened a branch at Kavaratti in Lakshdweep Islands.
- Enhanced CSP Network:** Added 121 new Customer Service Points (CSPs) to ensure continued accessibility at unbanked locations.



C. Specialized Branches: Tailored Financial Solutions

Our network includes specialized branches to address specific financial needs:

- | | |
|---|-------------------------|
| i. Foreign Exchange | ii. Government Business |
| iii. Treasury and International Banking | iv. Corporate Finance |
| v. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) | vi. Hi-tech Agriculture |
| vii. Mid Corporate | viii. Housing Finance |
| ix. Startup branch | |

Banking Outlet type wise classification of branches as on 31.03.2026, vis-à-vis 31.03.2025 is as under:

Banking Outlets Details As of 31.03.2026

Type of Banking Outlets	Metro	Urban	Semi-Urban	Rural	Total
Branch	690	624	829	639	2782
Digital Banking Unit	2	1	0	0	3
Customer Service Point	0	0	0	276	276
Grand Total	692	625	829	915	3061

Banking Outlets Details As of 31.03.2025

Type of Banking Outlets	Metro	Urban	Semi-Urban	Rural	Total
Branch	643	577	770	613	2603
Digital Banking Unit	2	1	0	0	3
Customer Service Point	0	0	2	153	155
Grand Total	645	578	772	766	2761

16

**Strategic Data Management:
Building a resilient and
future ready ecosystem:**

Data management and governance is the nerve system of Banking system. Realizing this critical aspect and to make the bank resilient and future ready with a data driven scientific approach, Bank has created Strategic Data Management vertical. Following are the important aspect undertaken by the department.

A. Data Quality Initiatives

To improve data accuracy, consistency and completeness across Management Information Systems (MIS), regulatory returns, EASE metrics, Credit Information Companies (CICs), customer Personally Identifiable Information (PII) and business reporting requirements, the Bank implemented an enterprise wide **Data Quality Portal**.

- A total of **174 data gap reports** are currently monitored and displayed to field units for corrective action, including **54 reports triggered under EASE 8.0** requirements.

- 69 data quality reports** were added during FY 2025-26, including **22 new reports introduced in Q4**, reflecting continuous enhancement of data controls.
- A **Data Quality Index (DQI) Score** is auto derived and published on a daily basis for all locations, ensuring transparency and accountability.

Data improvement efforts covered the entire lifecycle, including:

- Implementation of controls at the **data capture stage**,
- Strengthening **data mapping and extraction processes**, and
- Cleaning of **legacy data inconsistencies in CBS**.

B. Data Governance Framework

During the year, the Bank further strengthened governance mechanisms around data management:

- The **Board approved Data Governance Policy, DQI Framework, DQI Scoring methodology**,



and related **Standard Operating Procedures (SOPs)** were circulated and taken up for phased implementation.

- Control validations are being embedded across source systems, in coordination with user departments, to **prevent creation of new data gaps**, in line with **EASE 8.0** directions.
- Linking of DQI scores with business metrics** was completed to reinforce ownership and accountability.

Additionally:

- SOPs for **Data Catalogue** and **Data Entitlement Rights** were issued to formalise data usage and access governance.
- Training and awareness programmes on Data Quality and Data Governance were initiated for field staff, including a **quiz based awareness programme conducted through HRMS**.

C. Central Data Repository – “MIS GANGA”

The Bank's Central Data Repository, **MIS GANGA**, was further enhanced during the year:

- Interfaces were established with **24 source systems**, with **daily data refresh**.
- The platform currently supports **21 downstream projects**, enabling consistent, controlled and automated data supply for business, regulatory and analytical needs.

D. Automation of Regulatory and MIS Reporting

As part of its workplace automation and compliance strategy:

- The Bank automated **13 additional RBI regulatory returns during FY 2025–26**, taking the total number of automated regulatory returns to **58**.
- 22 additional MIS reports** were automated during the year, bringing the total number of automated MIS reports to **158**.
- Overall, **216 automated reports** are currently in production, serving both internal management and regulatory requirements, improving efficiency, accuracy and timeliness.

E. Credit Information Company (CIC) – Data Quality Improvements

The Bank continued to strengthen the quality and reliability of data shared with Credit Information Companies:

- As on **31.03.2026**,
 - CIC Consumer data acceptance stood at 98.58%**, with a **DQI of 98.53%**.

- Commercial data acceptance improved to 96.27%** from 95.88% as on 31.03.2025, while **DQI improved significantly to 90.02%** from 78.29%.

Quality enhancements included enrichment of data fields such as:

- Officially Valid Documents (OVD) including Aadhaar,
- PAN, cheque dishonour data, related party and collateral details,
- Wilful defaulter, CKYC and legal constitution data,
- ROI, guarantor, occupation, joint borrower, company identification, co lending details, credit product classification,
- MFI (SHG), non funded facilities and UHFC enhancements.

Further improvements are in progress through controls at **data capture, mapping, extraction levels**, along with **legacy data cleansing**, to achieve higher acceptance and DQI levels.

F. CIC Policy and Process Enhancements

During the year, the Bank revised its **CIC Policy and SOPs** in line with latest RBI circulars to strengthen:

- CIC data submission processes,
- Complaint handling mechanisms, and
- Overall improvement in CIC data quality and compliance.

G. CIC Based Products, Early Warning and Fraud Prevention

The Bank leveraged CIC data for risk management, business insights and customer protection:

- Implemented **automated Risk Alerts** as an Early Warning System (EWS) to identify customers turning delinquent in other banks, classifying accounts into defined risk quadrants.
- Introduced **Market and Business Insight reports** from CIC data to support branch expansion decisions, target setting and peer comparison at pin code level.
- Enabled **Enquiry Alert (BiZ Triggers)**, wherein borrowers receive automated SMS and email communication with relevant Bank loan offerings when loan enquiries are observed in other banks.
- Implemented **Borrower Tracker (Skip Tracing)** functionality to aid recovery and collections using incremental contact information available through CICs.
- Deployed **“HUNTER”**, a fraud prevention platform, within digital lending journeys for Gold Loan, e GST, Mudra and PAPL products.



H. Customer Awareness and Outreach

To promote financial discipline and transparency:

- Automated **SMS and Email alerts** were sent to customers when overdues are reported to CICs.
- Awareness campaigns were undertaken through the Bank's Corporate Website and social media platforms, emphasising the importance of updating mobile numbers and email IDs.

I. CIC Complaint Redressal

The Bank maintained a strong grievance redressal mechanism for CIC related complaints:

- During FY 2025–26, **7,656 CIC related customer complaints** were resolved within RBI stipulated TAT of 30 days.
 - 55.85% resolved within 1 day,
 - 31.38% within 2–6 days,
 - 10.74% within 7–14 days,
 - 1.90% within 15–21 days,
 - 0.13% within 22–30 days.
- No compensation was paid in any case**, reflecting timely and effective grievance handling.
- 48 complaints** were under process as on 31.03.2026, all of which were resolved subsequently within prescribed timelines.

J. PSB Hackathon, Awards & Accolades

- Successfully organized the **FinSpark 2025 Hackathon** under the PSB Hackathon series, with winning teams presenting solutions at the Global Fintech Festival (GFF-2025).
- Achieved a hat trick in **IBA Awards** by winning Maximum numbers of **Award for Best Mid Size Bank** in multiple categories for three consecutive years across PSBs, private banks, and NBFCs.
- Conferred **IBEX Awards** in multiple categories for excellence in banking performance, IT initiatives, and customer centric services.

Conclusion

The initiatives undertaken during FY 2025–26 reflect the Bank's sustained and holistic approach towards technology led transformation, with a clear focus on customer convenience, operational resilience, data integrity, cyber security and regulatory compliance. During the year, the Bank not only strengthened its core banking and technology infrastructure but also placed significant emphasis on enterprise data quality, data governance, automation of regulatory reporting and responsible use of external data ecosystems.

Focused interventions in data quality management, centralised data repositories, MIS automation and Credit Information Company (CIC) integration have

enhanced the accuracy, transparency and reliability of data used for regulatory reporting, risk management and business decision making. Improvements in CIC data quality, grievance redressal and customer awareness further underline the Bank's commitment to fairness, customer protection and supervisory expectations.

Through sustained investments in scalable technology platforms, network modernisation, cyber security, automation, skilled manpower and robust governance frameworks, the IT Department has laid a strong and future ready foundation. These efforts position the Bank to support business growth, withstand emerging technology and cyber risks, and continue delivering secure, compliant and customer centric banking services in the years ahead.

17

Business Development:

The Bank continued to strengthen its position as a trusted partner to Government and institutional clients during FY 2025–26 by delivering integrated banking solutions across infrastructure, public finance, and urban development ecosystems. Our business development initiatives remained focused on expanding the customer base, enhancing service capabilities, and driving sustainable revenue growth. In line with evolving market dynamics, the Bank progressed in its strategic shift from traditional deposit mobilization to project-linked and transaction-oriented banking services.

The Bank further deepened its engagement with key Government entities and infrastructure bodies, while strengthening integration with digital Government platforms such as Bharatkosh (NTRP). These efforts are rooted in our commitment to innovation, customer-centricity, and adherence to environmental, social, and governance (ESG) principles, enabling us to deliver enhanced value to stakeholders and contribute to a sustainable and inclusive growth trajectory.

- Strategic Partnerships:** Collaboration remains the key to the Bank's growth strategy, with a strong emphasis on Government Business. During the year, the Bank forged and strengthened strategic partnerships with key Ministries, Government Departments and Bureaucratic & Judiciary ecosystem. These engagements have enabled deeper penetration into high-value customer segments, expanded our service footprint, and facilitated delivery of tailored banking solutions. The partnerships have yielded mutually beneficial outcomes, reinforcing the Bank's competitive positioning and establishing it as a preferred banking partner within the Government and institutional landscape.



Government Partnership and rendering value added services:

- **Infrastructure & Mega Project Ecosystem**

Bank deepened its CASA position by engaging in new large-scale infrastructure and nation-building projects, including:

- **National Highways Authority of India (NHAI)**

National Highways Authority of India is responsible for development and maintenance of national highways across the country.

- **Eastern Rajasthan Canal Project**

The Eastern Rajasthan Canal Project aims to address water scarcity in eastern Rajasthan through inter-basin water transfer. It supports drinking water supply and irrigation for sustainable regional development. The project has received a significant push with its inauguration by Hon'ble Prime Minister, underscoring its national importance.

- **Government Schemes & Escrow Management**

Bank played a pivotal role in managing funds under major Government schemes such as:

- **Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)**

Scheme provides comprehensive crop insurance coverage against natural calamities, pests and diseases. It aims to stabilize farmers' income and promote sustainable agricultural practices.

- **Weather-Based Crop Insurance Scheme**

The Weather Based Crop Insurance Scheme offers insurance protection based on adverse weather parameters such as rainfall and temperature.

It enables faster claim settlement through weather data, reducing yield assessment complexities.

- **Chief Minister Women Empowerment Programme**

The Chief Minister Empowerment Programme focuses on enhancing livelihood opportunities and financial inclusion through targeted welfare initiatives.

It aims to empower beneficiaries by promoting self-employment and socio-economic development in the region.

- **Mission-Driven & National Priority Projects**

Active engagement with below mentioned national priority programs reflects the Bank's commitment to sustainability-driven and mission-oriented initiatives.

- **National Mission for Clean Ganga (NMCG)**

National Mission for Clean Ganga is the flagship programme for rejuvenation, protection and management of the river Ganga. It focuses on pollution abatement, river surface cleaning and sustainable ecosystem restoration.

- **Rajasthan Protected Area Conservation Society**

The Rajasthan Protected Area Conservation Society works towards conservation and management of protected forest and wildlife areas in the state. It supports biodiversity preservation, eco-restoration and sustainable management of natural resources.

- **Urban Local Bodies & Development Authorities**

Banking relationships were established and strengthened with key development authorities and urban bodies, including:

- **Agra Development Authority**

The Agra Development Authority is responsible for planned urban development and infrastructure creation in Agra. It focuses on land use planning, housing development and provision of civic amenities.

- **Urban Improvement Trust (Balotara)**

The Urban Improvement Trust undertakes development of urban infrastructure and housing across designated cities. It aims at planned urban expansion, land development and improvement of civic facilities.

- **Polavaram Development Authority**

The Polavaram Development Authority oversees the execution of the Polavaram multi-purpose irrigation project. It focuses on irrigation, hydropower generation and flood control.

- **Integration with Government Platforms**

- **Integration with Bharatkosh (NTRP Portal) enabled seamless non-tax revenue collections**

Strengthened digital transaction flows and improved float management

Institutional Ecosystem Development

- Strategic empanelment with premier institutions such as NHAI, CSIR, Power Finance Corporation, and Oil Industry Development Board



- Enabled branches across zones to service these institutions, improving reach and deepening relationships
- Expansion of presence in Central Government ecosystem through the upcoming Netaji Nagar Branch, designed as a multi-ministry banking hub.

These initiatives have strengthened the Bank's institutional footprint and facilitated scalable business growth.

Central Government Salary Scheme – “CG 2025” Initiative

During FY 2025–26, in due consultation with the Department of Financial Services, Bank conceptualized and implemented the “CG 2025” initiative to deepen engagement with Central Government employees and strengthen the Bank's presence across Ministries and Departments.

Performance & Outcomes under tailored schemes

Scheme	Details	New	Conversion
CG-2025	No. of Accounts	1497	1132
	Balance (₹ Cr)	3.18	17.89
GovPride	No. of Accounts	3622	5640
	Balance (₹ Cr)	13.61	91.82

Scheme	Details	Housing Loans	Vehicle Loans	Personal Loans
Elite Plus	No. of Accounts	293	34	63
	Outstanding (₹ Cr)	287.81	5.82	8.22
Judicial Officers	No. of Accounts	339	520	121
	Outstanding (₹ Cr)	174.89	62.37	14.07

- Performance Management
- Policy Formulation and Compliance
- Employee Relations and Welfare

MANPOWER STRENGTH:

The total Manpower of the Bank as on 31st March 2026 stood at **15596**. The following are the details of category of employees.

Cadre	Officers	Clerk	Sub-staff	Total
Count	10279	3777	1540	15596

The Bank undertakes a comprehensive annual review of staffing needs across various cadres, meticulously analyzing vacancies in light of the business growth, future branch expansion and rationalization plans, and anticipated attrition due to resignations, superannuation, and voluntary retirements, ensuring a well-aligned and forward-looking human resource strategy.

GENDER DIVERSITY:

Gender sensitivity and inclusiveness along with gender friendly spaces has always been the cornerstone of Bank's HR policy. Out of the total workforce, the representation of women is **29.23%** spread across all geographies and levels of hierarchy.

The Average Age of employees in our Bank is **37 years**.

Category	Male	%	Female	%	Total
Officers	7278	70.80	3001	29.20	10279
Clerks	2396	63.44	1381	36.56	3777
Sub-staff	1364	88.57	176	11.43	1540
Total	11038	70.77	4558	29.23	15596

RESERVATION CELL:

In line with the directives of the Government of India, the Bank ensures reservation in direct recruitment for candidates belonging to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs), while promotional reservations for SC/ST employees are extended in accordance with the prescribed guidelines. To uphold the principles of equity and inclusion, Special Cells are operational at the Head Office and all Zonal Offices to oversee the effective implementation of reservation policies and to address the grievances of SC/ST/OBC employees, persons with benchmark disabilities (PwBDs), and Ex-Servicemen. Additionally, the Bank has appointed Chief Liaison Officers at the Head Office and established dedicated SC/ST/OBC/PwBD Cells in every Zonal Office to reinforce its commitment to social justice and inclusive growth.

The Human Resources Management (HRM) department at Bank of Maharashtra plays a pivotal role in fostering a competent and passionate workforce to achieve business excellence. Aligned with the Bank's HR mission of “Creating Competence and Passion for Business Excellence,” the HRM department is responsible for key functions as below:

- Talent Acquisition and Recruitment
- Employee Development and Training



CASTE/ CADRE	GEN	OBC	SC	ST	EWS	*PwBD	ESM	TOTAL
OFFICERS	4665	3014	1562	705	333	269	52	10279
CLERKS	1711	991	624	349	102	118	204	3777
SUB-STAFF	492	396	482	170	-	20	91	1540
TOTAL	6868	4401	2668	1224	435	407	347	15596

*** PwBD:**

In alignment with the Government of India's guidelines, continuous efforts have been made by the Bank to address and resolve grievances of employees belonging to reserved categories, fostering cordial relations, and assisting in their career progression.

The Bank has also organized various training programs for SC/ST employees and Welfare Associations, covering important areas such as the reservation policy, pre-promotion training, and related topics aimed at empowering and preparing them for future responsibilities.

HR ADMINISTRATION & POLICIES:

Managing human capital remains one of the most vital and dynamic functions in steering the organization towards sustained success. The efficiency and effectiveness of the Bank's operations are deeply interconnected with the performance and engagement of its employees. Recognizing this, the Bank has implemented a range of HR initiatives aimed at strengthening its administrative foundation.

Key developments during the year include:

- Active promotion of dialogue with key stakeholders, including team leaders, union representatives, and other field functionaries to foster collaborative development.
- Framing policies that emphasize discipline, commitment, and devotion to duty, thereby enhancing employee productivity and organizational efficiency.
- Recruitment process

LEARNING AND DEVELOPMENT:

At Bank of Maharashtra, Learning & Development is anchored on the philosophy of "continuous learning for continuous growth", ensuring that employees are not only equipped with technical competencies but are also empowered with the right mindset, customer orientation, and leadership capabilities. Bank's approach during FY 2025-26 has been to move from training delivery to capability building, focusing on:

- Future-ready skill development
- Employee well-being and engagement
- Leadership pipeline strengthening
- Digital and self-paced learning ecosystems

STRATEGIC FOCUS AREAS IN FY 2025-26:

During FY 2025-26, the Bank strengthened its learning ecosystem with a clear focus on capability building, employee engagement, and holistic development, ensuring alignment with business priorities and emerging industry requirements.

The Bank's training infrastructure, including Staff Training Colleges (STCs), ITTI, and other centers, continued to play a crucial role in effective training delivery. A balanced approach of classroom sessions, virtual learning, and experiential workshops ensured wider reach and improved learning outcomes.

A. Functional & Technical Training

- Credit appraisal, risk management, treasury operations.
- Regulatory compliance, ITIL Training & Certification and audit readiness.
- Digital banking, Gen AI & ML Boot Camp and fintech awareness.

B. Behavioral & Soft Skills Training

- Customer service excellence.
- Communication and interpersonal effectiveness.
- Session on mindfulness towards leadership and managerial effectiveness.

C. Induction & Role-Based Training

- Structured onboarding programs for new recruits.
- Role-specific training for BDOs, branch heads, and operational staff.

D. Leadership Development Initiatives

- Leadership Development Plan (LDP) for senior and mid-level executives.
- Assessment center-based development interventions.
- Coaching and mentoring sessions through external experts.

E. Specialized & Thematic Programs

- Special Training Program for Differently abled Employees (PwD)
- Training cum exposure visit of foreign delegates on Agri and MSME sector.
- Women empowerment and inclusivity initiatives



KEY INITIATIVES & INNOVATIONS:

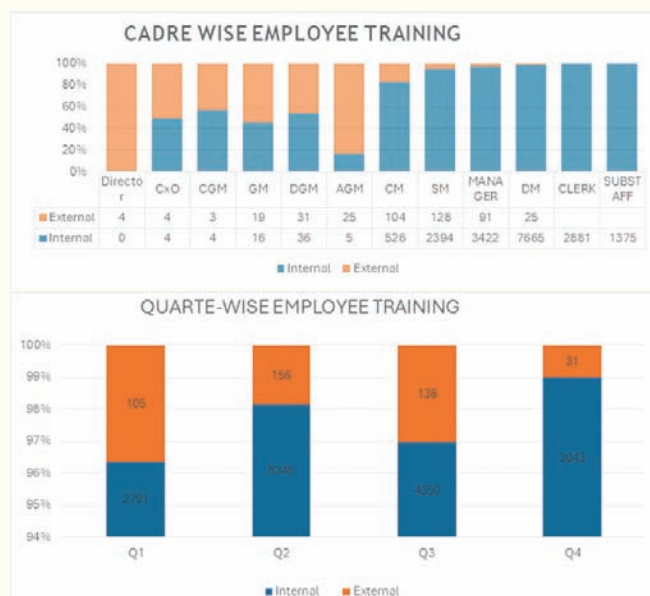
FY 2025–26 witnessed several curated and impactful initiatives:

- ♦ **Art Ledger** – Championing a culture of innovation and holistic engagement, the Bank has established a unique platform that unlocks employees' creative potential, driving fresh perspectives and inclusive participation. The initiative has earned national recognition with the Gold Award in the BFSI category at the SKOCH Group Awards, underscoring the Bank's leadership in progressive HR practices.
- ♦ **HR Genie** – Redefining HR service delivery, the Bank has institutionalized an AI-powered virtual assistant enabling instant, consistent, and intelligent employee support, significantly enhancing accessibility, decision efficiency, and digital adoption across the organization.
- ♦ **ECHO** – Embedding well-being as a strategic priority, the Bank has rolled out a comprehensive Employee Assistance Program, fostering emotional resilience, psychological safety, and a culture of care, thereby strengthening workforce sustainability and productivity.
- ♦ **Karmayogi Integration** - Embedding national learning initiatives into the Bank's training ecosystem with "Seva Bhav" as the key impact. Our bank has proudly imparted Karmayogi training to 9333 employees out of 15522 as of Feb 2026 which is approximately 60% of the total employee count.
- ♦ **Blended Learning Model** - At your Bank's STCs with the Combination of classroom, virtual, and self-paced modules for maximum reach and effectiveness we optimized utilization of all centers with improved coordination and delivery.
- ♦ Bank has also Launched a Podcast Series on the Learning Management System (LMS), focusing on regional language understanding and sign language awareness. This initiative marks an important step towards building a more inclusive, empathetic, and customer-centric workplace.

These concerted efforts have resulted in enhanced employee participation, improved competency levels, and stronger alignment with organizational objectives. The increased adoption of digital learning platforms and higher engagement levels reflect a positive shift towards a culture of continuous and self-driven learning.

KEY PARAMETERS	March 25 (Actual)	March 26 (Actual)
Unique Learning Interventions	11,169	14551
Total Number of Employees Trained	18754	18432
Overseas/ Foreign Training Programs	5	9

Classroom Training Program (Internal)	374	214
Classroom Training Program (External)	118	101
Virtual Training Program (Internal)	42	18
Virtual Training Program (External)	8	01
Use of ICT- Webinars	22	24
Use of ICT- Podcast	16	2
Cross Bank Training	7	1
Quiz on LMS and Skill Gap Analysis	36+	42



As part of our sustained commitment to building a future-ready leadership pipeline, the Bank continues to institutionalize a suite of high-impact developmental interventions. Key initiatives such as Overseas Training and Study Tours, Director Development Programmes, structured Coaching engagements, Individual Development Plans (IDP), Leadership Development Programmes, and comprehensive High Performance and High Potential assessments remain integral to our talent strategy.

These are further strengthened through robust succession planning frameworks and a well-structured Mentorship Allotment Programme, currently encompassing 5,494 mentors and 15,389 mentees across the organization. In addition, large-scale capacity building is consistently driven through bulk training programmes in collaboration with empanelled institutions. Going forward, these initiatives will not only continue as a core and constant approach but will also evolve with a sharper, future-focused orientation, leveraging data-driven insights, emerging competencies, and global best practices to ensure sustained organizational excellence.



Looking ahead, the Bank aims to further strengthen its L&D framework by leveraging data-driven insights, personalized learning pathways, and emerging technologies. Focus areas will include upskilling in digital banking, cybersecurity, customer experience, and innovation, ensuring that employees remain equipped to navigate the evolving banking landscape.

The journey of Learning & Development at Bank of Maharashtra continues to evolve driven by the belief that investing in people is the most powerful way to shape the future of the organization.

RECRUITMENT:

Bank has identified vacancy of 1850 officers in various scales & 500 Clerks, as per Manpower planning based on certain parameters like attritions, Business position, minimum staffing pattern etc. Out of which, 1275 officers (Scale I - 951, Scale II - 207, Scale III - 71, Scale IV - 24, Scale V - 15, Scale VI - 5 & Scale VII - 2) & 393 Clerks have joined.

Also, the Bank has transitioned to a fully in-house, online recruitment process, marking a significant shift from the earlier practice of relying on the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) for application management. With the development of your Bank's own recruitment portal, the Bank now independently handles the entire application process, ensuring greater efficiency, transparency, and control over talent acquisition.

Bank has reviewed the scheme of Compassionate Appointment scheme in line with Govt. of India / IBA guidelines, which is aimed at providing financial relief to the indigent family of deceased employees. Bank has offered compassionate appointments to 22 & 24 candidates in clerical cadre & Sub-staff cadre respectively.

CAREER PROGRESSION (PROMOTION 2025-26):

Promotion is one the key motivating factors for the employees as it brings higher responsibilities, monetary benefits and status. This promotion process is carried out every year based upon Board approved Promotion policy which is formulated in line with GOI & other regulatory guidelines and ensuring availability of adequate employees at each level keeping in view the business growth of the Bank along with availability of sufficient number of employees for shouldering responsibilities at higher levels. Concerted efforts have been taken by the Bank for fostering career progression of employees for rewarding them for their performance and motivation.

IMPROVISATION OF STAFF BENEFITS AND WELFARE ACTIVITIES:

Bank has acknowledged the efforts taken by employees for

the banks outstanding performance. In order to recognize the efforts of employees & to motivate them the following initiatives are taken by the Bank.

Payment of Performance Linked Incentive (PLI) as per 8th Joint note & XI-Bipartite Settlement: Based upon Banks financial results for the year 2024-25, Bank has paid 15 days Performance Linked Incentive to all the employees up to Scale III.

Payment of Rs. 3,000 /- to all employees in view of Banks outstanding performance in FY 2024-25: Taking into consideration of Bank's transformative performance in FY2 024-25 & to celebrate the occasion, bank has paid Rs. 3,000 /- to all employees & retirees towards purchase of gifts, sweets, dry fruits etc. as a token of appreciation for their service to the Bank.

Reimbursement towards expenses for Maintenance of Good Health: With a motive to promote well-being amongst the staff members and as a token of appreciation, the Bank had announced a reimbursement of Rs. 5,500/- per employee, as a special one-time gesture towards Maintenance of Good Health (Joining Yoga / Meditation / Health Club etc.)

Reimbursement towards Health Checkup of Retirees: The Bank had also made a reimbursement of Rs. 2000 towards Health Check-up of Retirees as a one-time measure.

Disclosures under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The position of complaints in respect of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 received and resolved during the year is as under:

Complaints received in FY 2025-26	Disposed off in FY 2025-26	Pending as on 31.03.2026
2	1	1

19

EASE Initiatives

- I. Enhanced Access and Service Excellence (EASE) is a flagship reform initiative launched in January 2018 by the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India. The program aims to enhance the performance of Public Sector Banks (PSBs) through improved efficiency, transparency, governance, and customer-centric service delivery.

JMGS-I TO MMGS-II	MMGS-II TO MMGS-III	MMGS-III TO SMGS-IV	SMGS-IV TO SMGS-V	SMGS-V TO TEGS-VI	TEGS-VI TO TEGS-VII	TEGS-VII TO TEGS-VIII	Clerical to JMGS-I	Sub-Staff / PTS to Clerical
194	199	65	29	10	4	3	102	32



II. The latest phase, EASE RISE 9.0, was launched on 20 February 2026 by the Secretary, DFS. It reaffirms the Government's commitment to transforming public sector banking into a more digitally empowered, modern, and customer-first ecosystem. This phase focuses on developing Globally Competitive PSBs for Viksit Bharat @2047.

III. Key Objectives of EASE RISE 9.0: Aims to transform India's Public Sector Banks (PSBs) into globally competitive, technology driven, resilient, and customer centric institutions, aligned with the national vision of Viksit Bharat @2047.

IV. EASE 9.0 moves beyond digital adoption toward AI-led transformation, sustainable growth, resilience, and institutional excellence—aligning public sector banking reforms with the vision of Viksit Bharat. The framework is structured around 16 Action Points, grouped under four strategic themes:

1. Risk & Resilience	2. Innovation
3. Socio-economic Impact (Viksit Bharat)	4. Excellence

V. Bank's Performance:

The Bank secured 3rd rank in Theme 1 (Risk & Resilience) during Q2 of FY 2025–26 under EASE 8.0.

The Bank has significantly improved its performance under EASE 8.0, recording a 154% increase from its baseline score of 26.3 to 66.9 out of 100 in Q3 of FY 2025–26.

Detailed Results is as below:

Position of the Bank in EASE 8.0	As on 31/12/2025
Total marks obtained	66.90
Position of Bank out of 12 Banks	9th

20

Technology Initiatives:

Enhancing Customer Ease, Trust, and IT Transformation | FY 2025–26

During FY 2025–26, the Bank's Information Technology Department executed a strategically aligned transformation agenda focused on enhancing customer convenience, service reliability, operational resilience, and regulatory confidence. The initiatives undertaken during the year ensured secure, highly available, and customer friendly banking services, while strengthening the Bank's readiness for future growth and compliance.

1. Customer Centric Tech-Banking Initiatives

- Strengthened omni channel customer communication through the Karix Bulk E mail platform, enabling faster and reliable delivery of statements and communications.
- Migrated key customer facing applications to the Corporate Website, including a revamped SPGRS Portal and launch of the DEAF Portal, improving transparency, grievance resolution, and depositor awareness.
- Emerged at the forefront of implementing the Digital Consent Acquisition (DCA) framework, enabling transparent, auditable, and customer controlled digital communications.
- Became the **first public sector bank** to enable API integration with the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) through a home grown solution, achieving minimal latency and significantly strengthening real time fraud response.

2. Resilient & Scalable Core Infrastructure

- Upgraded Core Banking Solution to IBM Power systems, reducing End of Day processing time from 3.5 hours to under 2 hours despite increased transaction volumes.
- Strengthened Data Centre, DR, and Near DR infrastructure under the **Nakshatra-1 & Nakshatra-2** program, establishing a software defined, cloud ready private infrastructure with high availability, fault tolerance, and centralized management.
- Enhanced server, storage, and processing capacity to support over 800 CBS transactions per second.
- Maintained a robust and resilient IT infrastructure for the Bank's flagship mobile banking application, **Zenlyfe**, ensuring seamless customer experience.
- Established a 24x7 **IT Command & Resiliency Operations Centre** for proactive monitoring of critical systems and faster service restoration.

3. Network Modernization

- Migrated over 2,700 branches and 50 zonal offices to **SD WAN**, improving availability, visibility, and issue resolution.
- Augmented network backbone through deployment of high speed links and migration from VSAT to RF and leased lines, reducing latency and improving throughput.

4. Security, Risk Management & Compliance

- Upgraded perimeter and internal security infrastructure with next generation firewalls across DC and DR.
- Enhanced Disaster Recovery capabilities through new IBM hardware and implementation of a DR Automation Tool.



- Strengthened application security through SAST and DAST testing and standardized identity controls through an Active Directory Management Tool.
- Continued operation of the TRRACS system leveraging RBI mandated IDPMS and EDPMS for compliant monitoring of cross border trade transactions, and initiated implementation of the Foreign Currency Settlement System (FCSS).
- Successfully achieved **PCI DSS certification**, reinforcing payment security and compliance with global standards.

5. Automation, DevOps & Internal IT Enablement

- Implemented the Master Craft DevOps platform to enable CI/CD automation and standardized release management.
- Rolled out Microsoft Intune for unified endpoint management, strengthening endpoint security and compliance across the enterprise.
- Implemented Google Apigee as the enterprise API Gateway to enhance security, compliance, and governance of API integrations.

6. Capability Building & Governance

- Strengthened IT leadership and execution capacity by inducting experienced senior officers and specialists across key domains such as APIs, Middleware, DevSecOps, and Cloud.
- Established two additional Project Management Offices for GIFT IBU operations and TReDS to enhance governance and delivery apart for regular CBS Project Management Office
- Institutionalized Change Advisory Board(CAB) based governance for all IT systems like CBS, LLMS, In-House Development etc. change requests, improving risk alignment and audit traceability.

7. Enterprise Data Management, Governance and Analytics

Recognising data as a critical enterprise asset for regulatory compliance, risk management, informed decision making and customer protection, the Bank undertook focused initiatives during FY 2025–26 to strengthen data quality, governance, automation and Credit Information Company (CIC) integration.

20.1 Harnessing Fintech Partnerships:

i. Accelerated Digital Transformation

The Bank has strategically empanelled 114 FinTechs (Financial Technology) companies and is working with 16+ FinTechs for development of various technological initiatives.

20.2 Expansion of digital banking services in FY 2025-26

- Enhanced Digital Platforms** : During FY 2025-26, the Bank successfully implemented an enhanced

mobile banking application, **Zen Lyfe** as part of its ongoing digital transformation initiatives. The upgraded application features a significantly improved user interface and user experience (UI/UX), offering a modern look and feel designed to enhance customer engagement and ease of use. Zen Lyfe delivers an enriched and seamless customer journey through improved navigation, faster response times, increased application stability and higher availability. In addition to the existing range of banking services, the application now offers expanded banking and lifestyle services enabling customers to manage their financial and non-financial needs through a single integrated platform.

Further strengthening the Bank's digital capabilities, a new product Global Edge Account Management was implemented within the Internet Banking application. This solution enables customers to efficiently manage their Spend, Reserve and Growth accounts digitally.

- Innovative UPI Solutions** : The bank introduced various enhancements to its UPI offerings during the year. Bank has enabled Central Bank Digital Currency (CBDC) platform for its retail customers, known as Digital Rupee (e₹), issued by RBI. The e₹ is the digital form of India's sovereign currency and has the same legal status and value as physical cash. Stored in a secure digital wallet, Digital Rupee can be used for P2P and merchant transactions, enabling seamless digital payments without reliance on traditional banking intermediaries and serves as an alternate digital payment platform for customers.

20.3 Cyber Security

During FY 2025–26, the Bank of Maharashtra reaffirmed its strong commitment to strengthening its cybersecurity posture to safeguard its systems, data, and stakeholders. This commitment was demonstrated through a range of strategic initiatives and technological enhancements designed to reinforce the Bank's resilience against an increasingly complex and evolving cyber threat landscape.

Strengthening Cybersecurity Framework: The Bank has deployed a comprehensive suite of security solutions comprising more than 25 advanced technologies. These solutions address multiple facets of cybersecurity, including authentication, threat detection, and network security, thereby ensuring a robust defense mechanism.

- Project KAVACH 2.0: A Milestone in Cyber Resilience:** Under the Cyber Resilience initiative, Project KAVACH 2.0 was implemented during 2025–26 to address evolving cyber threats.

- Endpoint Detection & Response (EDR): EDR protects endpoints against malwares and ransomwares.
- Anti-DDoS
- SAST and DAST solutions



- Attack Surface Management and Brand Monitoring
- Deception Solution (HoneyPot)

Building on this foundation, the Bank has now initiated Project KAVACH 3.0, incorporating advanced technologies to further strengthen its cybersecurity posture and resilience.

b. Commitment to Global Standards: The Bank is certified under ISO 27001:2022, demonstrating alignment with globally accepted information security standards, with implementation support from M/s Deloitte. Additionally, the Bank is PCI DSS 4.0 certified, reinforcing the security and integrity of its financial transaction processing environment.

c. Cyber Awareness Campaigns: Recognizing the importance of awareness in preventing cyber fraud, the Bank has conducted extensive campaigns targeting employees and customers:

- Phishing Simulation and Awareness Exercises: Periodic simulations and campaigns conducted to train staff and customers in identifying and mitigating phishing and social engineering attacks.
- Awareness Circulars and Multilingual Communication: Regular circulars and multilingual posters (in 15 languages) disseminated to highlight emerging cyber fraud trends, scam tactics, and preventive measures as part of the digital awareness campaign.
- Mass Media and Social Media Outreach: Cybersecurity awareness promoted through multilingual jingles broadcast on FM channels, along with cyber tips/Handouts/Flyers and best practices shared via "Sayane Cyber Tips" videos and official social media platforms.
- Proactive Alerts and Visual Messaging: Timely SMS and email alerts issued to customers and staff on cybersecurity best practices, supplemented by cyber awareness posters displayed across all DMS, ATM screens, and as desktop/laptop wallpapers.
- Interactive Training and Engagement Programs: Interactive quizzes hosted on the Bank's website for both customers and staff, along with specialized training sessions and quizzes to reinforce cyber hygiene and security awareness.

d. Cybersecurity Tabletop Exercises: A tabletop exercise was conducted by the Data Security Council of India (DSCI) for senior executives and top management, with a specific focus on ransomware and other advanced cyber attack scenarios. The exercise emphasized executive-level preparedness, decision making, and coordinated response strategies to strengthen organizational vigilance against emerging cyber threats.

e. Collaborative Efforts for Threat Intelligence: The Bank collaborates with external agencies, including CERT-IN, NCIIPC, IDRT, and DSCI, to stay informed about the latest vulnerabilities and threats. This proactive approach ensures robust preventive measures.

To create a secure ecosystem, the Bank organized webinars on cybersecurity hygiene for vendor employees. These efforts underline the importance of collective responsibility in maintaining cybersecurity.

f. Enhanced Cyber Resilience: The Bank's categorization into Category "A" and improved performance in cyber drills reflect its enhanced resilience. Additionally, higher scores on platforms like BitSight/Secure Score Card highlight the robustness of its cybersecurity measures.

These initiatives reaffirm the Bank of Maharashtra's dedication to leveraging technology to protect its stakeholders, achieve sustainable Security compliance, and ensure a secure operational environment.

21

Commitment to Excellence: Bank of Maharashtra's Customer-Centric Approach

Prioritizing Customer Satisfaction: The Bank's Commitment to Service Excellence

The Bank of Maharashtra is dedicated to delivering exceptional customer service and building strong relationships with its clients. Here's an overview of Bank's key initiatives:

A. Implementing Industry Best Practices:

- We've actively implemented recommendations from leading committees like Goiporia, Dr. S.S. Tarapore, and Damodaran to ensure that we meet the highest customer service standards.
- As a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), we've adopted the Code of Banks' Commitment to Customers and MSMEs, further emphasizing Bank's commitment to ethical and fair practices.

B. Upholding Customer Rights:

- In line with the Damodaran Committee's recommendations, we've appointed an Internal Ombudsman at the Head Office to address customer concerns promptly and fairly.
- We have documented and Board-approved policies on various aspects of customer interaction, including deposits, cheque collections, grievance redressal, compensation, deceased depositor claims, and customer rights. These policies ensure transparency and consistency in Bank's interactions.



C. Multi-Tiered Customer Service Structure:

- We've established Customer Service Committees at all branches, ensuring customer concerns are addressed locally. These committees meet monthly to review customer issues and implement improvements.
- A dedicated Standing Committee on Customer Service operates at the Head Office level, along with Zonal Level Customer Service Committees, providing oversight and guidance on customer service matters. These committees meet regularly to identify and implement ongoing improvements.
- The committee of the Board on Customer Service convenes quarterly to monitor service quality, grievance redressal processes, and overall customer satisfaction.

D. Streamlined Grievance Redressal System:

- We've implemented a comprehensive Standard Public Grievance Redressal System (SPGRS) to ensure prompt and effective resolution of customer complaints.
- The SPGRS encompasses complaints received through various channels, including social media, bank's website, branches, zonal offices, call centers, and Head Office departments. It addresses issues ranging from staff behavior and credit/debit card concerns to digital transactions and general customer service matters.
- We've integrated Bank's CMS (BO) portal, CPGRAM, and INGRAM with SPGRS using Robotic Process Automation (RPA). This automation helps us efficiently track complaints, record them in SPGRS, notify customers and relevant branches/zonal offices via email, and automatically escalate overdue grievances to higher authorities based on defined timelines.

E. Enhancing Service Quality:

- To further elevate service standards, we've included industry experts on the Customer Service Committee of Board, benefiting from their insights and experience for making suggestions for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction.
- Bank has launched QR code feedback system at branches, in all the digital channels (IB/MB/WhatsApp), QR code printed in the Cheque book issued to the customer, through call center to gather real-time customer perspectives on service quality, Ambience, Ease of Transactions, Staff Behavior. By scanning the QR code, users can quickly access feedback form to rate each attribute and share comments. The feedback helps us continuously improve Bank's service and enhance customer satisfaction.

F. Review of the Resolution:

A process of random review of closed complaints is implemented within the Customer Service Department by senior executives and TOP Management to ensure quality of resolution and to facilitate continuous improvement through the identification of areas requiring enhancement.

G. Expanding Accessibility:

- We've revamped bank's inbound call center in Pune and established a new inbound/outbound call center in Noida to enhance customer support accessibility.
- Bank's call centers cater to customers in seven regional languages (Kannada, Tamil, Telugu, Marathi, Gujarati) alongside Hindi and English, ensuring broader communication accessibility for grievance redressal.
- Feedback is collected on Call Center IVRS as well as through Manually calling

H. Cybersecurity Awareness & Education:

- We regularly conduct mass awareness campaigns to educate Bank's customers about cybercrime prevention and best practices for cyber hygiene.
- We utilize various communication channels to deliver these educational messages, including WhatsApp, email, branch digital signage displays, and monthly "Cyber Jaagrukta Diwas" (Cyber Awareness Day) events.

22

Internal Ombudsman: Commitment to Uphold customer rights:

The Bank of Maharashtra is committed to fair and transparent grievance redressal processes. In line with Reserve Bank of India (RBI) guidelines, we have established an Internal Ombudsman (IO) to act as an independent authority for reviewing customer complaints.

A. Independent Review & Recommendation:

- The IO reviews complaints that have been partially or wholly rejected by the Bank, ensuring a fair and objective second look.
- Based on this review, the IO submits periodic reports to the Customer Service Committee of the Board. These reports analyze complaint patterns and identify root causes.

B. Continuous Improvement:

- The Customer Service Committee utilizes the IO's reports and recommendations to implement necessary changes in procedures and guidelines.
- This proactive approach helps address underlying issues and prevent similar complaints in the future.



C. New Appointment:

- To ensure continuity in this critical role, the Bank has recently appointed a new Internal Ombudsman effective November 1st, 2025 following the expiration of the previous Ombudsman's term.

Customer Complaint Status:

S.N.	Particulars	2025-26	2024-25
1	Customer Complaints at the beginning of the year	140	64
2	Complaints received during the year	26805	14632
3	Complaints redressed during the year	26803	14556
4	Complaints pending at the end of the year	142	140

23

KYC-AML-CFT Compliance: Ensuring Financial Integrity

The Bank of Maharashtra is committed to upholding financial integrity and combating money laundering and terrorist financing activities. Bank's approach includes robust policies, advances technology and proactive measures to mitigate financial crime.

(I) Comprehensive KYC-AML-CFT Framework:

We have implemented a comprehensive Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) and Combating Financing of Terrorism (CFT) Policy approved by Bank's Board of Directors. This framework is the foundation of your Bank's efforts to ensure regulatory compliance and prevent financial crime.

Key Elements of KYC Compliance

Customer Awareness:

- We empower customers by providing a detailed list of eligible KYC documents on our website, ensuring transparency and ease of access.
- This initiative fosters informed customer participation in the KYC process.

Employee Training:

- Regular training sessions are conducted at your Bank's dedicated training centres to equip staff with up-to-date knowledge of KYC -AML-CFT guidelines.
- Employees are trained to identify suspicious activities and protect Bank's financial systems.

New Initiatives

- We have implemented MuleHunter.ai of RBIH in your bank since 29 December 2025 which has transformed Bank's fraud management from a manual, reactive

process into an automated and precise system. This has improved efficiency and helping identification of mule accounts proactively.

(II) Enterprise Fraud and Risk Management System (EFRMS)

Proactive Fraud Detection

- The EFRMS operates in monitoring and preventive modes across major digital channels, including Core Banking, Internet Banking, Mobile Banking, UPI, AePS, IMPS, ATM, E-commerce, POS and CMS.
- The system leverages a comprehensive set of key risk parameter as advised by RBI. These rules implemented in real time to detect anomalies and automatically block or flag suspicious transactions thereby enhancing fraud prevention.

(III) Interactive Voice Response System (IVRS)

- An automated IVRS solution is being implemented to verify genuine customer transactions in real-time.
- This system minimises disruptions for legitimate transactions while effectively curbing fraudulent attempts.

(IV) Off-Site Monitoring for mitigating operational risk in internal accounts.

- Bank's Off-site Monitoring Unit (OMU) proactively detects suspicious transactions in internal accounts.
- Internal validations are developed in the system for monitoring and better efficiency.
- Early detection allows the Bank to address irregularities swiftly, mitigate potential risks and strengthen internal controls.

(V) Cyber Complaint Redressal Mechanism

- A dedicated team addresses cyber complaints through API integration with NCRP as well as manually by implementing proactive measures such as account freezes and creating holds for disputed amounts during the critical "golden hour".
- We actively assist in grievance resolution in case of deprived customer for hold/debit freeze in his account.
- Compliance of money restoration to the extent of hold created from the suspected account against the victim's disputed transaction.

(VI) Law Enforcement Agency Compliance

- Bank has a dedicated single-point contact which handles data submissions to various law enforcement agencies, ensuing seamless and efficient investigations.
- We provide digital and physical records, such as account statements, KYC documents, IP logs and CCTV footage to agencies like Cyber Police, CBI, SFIO, ED, SEBI, PMLA and others under legal mandates.



24

Managing Risks and Advancing Sustainable Practices and ESG initiatives:

At the Bank of Maharashtra, we are committed to securing Bank's financial resilience while operating in an environmentally and socially responsible manner.

24.1 Proactive Risk Management:

At the Bank of Maharashtra, we are committed to securing Bank's financial resilience while operating in an environmentally and socially responsible manner. As proactive risk management, Integrated Risk Management (IRM) department is also analyzing 22 Pillar-II risks viz: Concentration risk, Reputation Risk, Legal Risk, IT/Cybersecurity Risk, Liquidity Risk etc. These risks are analyzed on quarterly basis, and remedial steps are initiated based on outcomes. IRM department is conducting stress testing by simulating adverse economic scenarios – such as recessions, high inflation, or market shocks – to evaluate the impact on Bank's capital adequacy and liquidity.

24.1.1 Risk Management: Strong and Resilient Risk Culture

- I. The Bank's Risk Management function is designed to identify, measure, monitor, and control risks to ensure that they remain within the defined tolerance levels. An independent Integrated Risk Management Department (IRMD) oversees these activities, operating under the guidance of the Risk Management Committee (RMC) of the Board. The department is led by the Chief Risk Officer (CRO), who reports to the Managing Director & CEO and the RMC. At the zonal level, risk management is overseen by Zonal Risk Officers.
- II. The Bank has established comprehensive risk management frameworks & policies, such as:
 - a. Enterprise-wide Risk Management Policy
 - b. Policy on Operational Risk Management and Risk Culture
 - c. Asset Liability and Market Risk Management Policy.
 - d. Interest Rate Policy on Advances.
 - e. Credit Risk Management and Collateral Management Policy.
 - f. Fraud Risk Management Policy
 - g. Climate Risk Management Policy.
 - h. Environment-Social-Governance (ESG) Policy
- III. To enhance credit risk management, the Bank has adopted the CRISIL BOM ICON Model for borrower credit risk ratings. Automated systems monitor various prudential exposures, corporate credit utilization, and risks associated with third-party vendors and outsourced services.
- IV. Bank monitors its liquidity and asset-liability

mismatch position through Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Stock Approach Ratios, Statement of Interest Rate Sensitivity (IRS), Statement of Structural Liquidity (SLS) etc. In addition to this, Bank has implemented a robust risk management framework, supported by the implementation of the Oracle Financial Services Analytical Applications (OFSA) solution for strengthening and automation of Asset Liability Management and Liquidity Risk Management.

- V. Bank's Operational Risk Management framework is based on three pillars and three lines of defense. All the existing as well as new policies / products of the bank are vetted by Integrated Risk Management (IRM) department to identify & assess the inherent/ potential risks and take suitable mitigation measures. The Risk Control and Self-Assessment (RCSA) exercise of various products, processes and systems are also conducted for identifying the inherent risk and measuring the effectiveness of controls. Further to identify & monitor operational risk, the Bank has devised well defined Key Risk Indicators (KRIs). In addition to this Bank has developed a framework to assess Money laundering & Terror Financing of products.
- VI. Bank is dedicated to safeguarding customers against fraudulent activities and strengthening the fraud risk management system through the implementation of robust fraud prevention framework includes:
 - i. **Enterprise Fraud and Risk Management System (EFRMS):** This cutting-edge system offers real-time transaction monitoring and analysis, enabling detection and prevention of suspicious activities.
 - ii. **Hunter Solution:** Powered by sophisticated machine learning algorithms, this solution identifies patterns and anomalies that may indicate fraudulent behavior, ensuring proactive threat mitigation.
 - iii. **Early Warning System (EWS) Feeds:** By utilizing industry-wide data and trend analysis, this system provides timely alerts about emerging fraud threats, equipping us to implement preventive measures effectively.
- In addition to the above framework Root Cause Analysis (RCA) of fraud events are done, and modus operandi of these events are analyzed to identify the control gaps and framing suitable strategies to avoid the recurrences of such incidents. With these advanced tools and systems, Bank is committed to protecting our Bank's customers' financial security and maintaining trust at every step.
- VII. To consider climate risk as an emerging risk Bank has taken various initiatives for Climate Risk Management such as issuance of Policy on Climate Risk Management, disclosure of GHG



(Scope 1 & 2) emissions & disaster risk mapping of Branches and assessment of Bank's business w.r.t disaster risk.

24.1.2 Environmental, Social, and Governance (ESG) Commitment:

I. MAHA GREEN PEHAL: Leading the Sustainable Banking Practices:

Under the banner of "Maha Green Pehal," the Bank reaffirms its commitment to environmentally sustainable practices. This initiative is a cornerstone of Bank's ESG Policy /strategy, encompassing diverse programs to reduce the environmental impact and foster sustainable banking.

Key Highlights of your Bank's ESG efforts:

- a. **Energy Efficiency:** Prioritizing energy-efficient equipment for computers, lighting, air conditioning, and other systems to reduce energy consumption.
- b. **Green Energy Adoption:** Installation of solar panels at owned premises to harness renewable energy.
- c. **Paper Reduction:** Embracing digital transformation (e-meeting) to minimize paper consumption. Promoting virtual meetings to reduce dependency on printed materials.
- d. **Eliminating Single-Use Plastics:** Complete ban on single-use plastics across all facilities.
- e. **Green Financing:** Introduction of innovative financial products to support eco-friendly initiatives such as:
 - Electric vehicle (EV) financing.
 - Solar energy projects.
 - Green housing initiatives.
 - Renewable energy developments.
- f. **E-Waste Management:** Adopting eco-friendly disposal methods for electronic waste.
- g. **ESG Scorecard:** Bank has initiated to access the Borrower's based on ESG parameters.
- h. **Climate Risk Management Strategy:** Bank has developed short-term/medium Term/Long Term strategy w.r.t climate risk management approach.

- II. **Green Cell Initiative:** To promote and manage environmentally sustainable practices the Bank has established a dedicated **Green Cell** (an executive-level committee). Green Cell overseeing & integrating climate-related risks into the bank's overall risk management framework, promoting sustainable finance, and ensuring compliance with regulatory guidelines related to climate risk.

Through such **initiatives**, the Bank aligns with Sustainable Development Goals (SDGs) and demonstrates its commitment to fostering a secure, sustainable, and prosperous future for Bank's stakeholders, the environment, and the communities we serve.

25

Driving Brand Excellence: Marketing and Public Relations at Bank of Maharashtra:

Marketing and Publicity play a vital role in the growth and success of the bank by enhancing its visibility, building trust, and attracting new customers. In today's competitive financial landscape, effective marketing helps banks communicate their products, services, and unique value propositions to a wider audience. Publicity, whether through traditional media or digital platforms, creates awareness about the bank's initiatives, achievements, and innovations, shaping a positive public image. It also strengthens customer engagement, promotes brand loyalty, and supports the bank's efforts in financial inclusion by educating the public about various banking solutions. We understand the strategic marketing and publicity contribute to business expansion, customer retention, and long-term sustainability.

A. Reaching Customers through Integrated Marketing:

- **Omnichannel Strategy:** We embrace a modern approach that blends traditional media (print, radio, television, and outdoor advertising) with the power of digital marketing & social media marketing to maximize reach and impact. Bank's print media campaigns raise brand awareness, while radio and television commercials cater to specific regional audiences. Local cable placements and strategic outdoor advertising further amplify Bank's message.
- **Digital Engagement:** Recognizing the growing influence of online platforms, digital marketing campaigns are run extensively across various platforms. These campaigns focus on promoting key products such as home loans, car loans, gold loans, term deposits, account opening through video KYC, and loan options for agriculture, MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises), etc. These digital initiatives not only raise product awareness but also generate leads that branches can convert into business opportunities.

B. Educating and Empowering your Bank's Customers:

- **Digital Advocacy:** Promoting your Bank's digital banking solutions and cybersecurity awareness is central to Bank's marketing efforts. We leverage social media to share important announcements, festive greetings, and informative content through engaging knowledge series.
- **Cyber Awareness series-** To generate awareness about cyber security, a audio visual series known as 'Swara se Seekho, Scam ko Pahchano' was launched during the year. The concepts of cyber security were explained in simplest manner.
- **Mr. Gyaani & Miss Sayani:** Your Bank's creative educational video series, "Mr. Gyaani ka Banking



Gyaan" (Mr. Gyaani's Banking Knowledge) and "Miss Sayani ke Sayane Cyber Tips" (Miss Sayani's Smart Cyber Tips), provides viewers with valuable insights on banking and cybersecurity best practices.

- Bank's Saturday quiz series, **Curious Minds**, is an engaging initiative designed to captivate Bank's audience with thought-provoking questions related to banking, finance, and the broader industry. It not only sparks curiosity and encourages learning but also fosters meaningful interaction with your Bank's followers. By blending fun with knowledge, Curious Minds serves as an effective platform to raise financial awareness, promote your Bank's brand, and build a more informed and connected community.

C. Staying Ahead of the Curve:

- **Social Listening & Market Research:** To continuously refine Bank's strategies, we actively utilize social media listening tools. These tools provide valuable data on audience engagement, brand sentiment, and competitor activity, allowing us to adapt and improve Bank's marketing efforts.
- Bank through its defined social media strategy and engaging content have a follower base of more than 1.15 crore across all social media platforms (Facebook, X, LinkedIn, Instagram & Youtube) taken together. Bank of Maharashtra is the first bank to cross 1 crore subscribers after State Bank of India. Bank ranks 1st in Facebook & Youtube in terms of number of followers/subscribers amongst all PSU banks excluding SBI.

D. Building Trust Through Public Connect:

- **Community Engagement:** We actively participate in sponsorships, CSR (Corporate Social Responsibility) activities, and charitable initiatives. These efforts not only demonstrate Bank's commitment to social good but also help build strong public connect and reinforce your Bank's positive brand identity. Bank has undertaken several initiatives this year, major ones being donation to orphanage, sponsorship for libraries, donating garbage vehicle to municipal corporation, donation towards sports, sponsoring marathon etc.

E. Looking Forward:

The way forward for the Bank lies in embracing digital transformation while maintaining a strong focus on personalized customer engagement. By leveraging advanced data analytics, we can better understand customer behavior, tailor marketing strategies, and launch targeted campaigns that resonate with diverse audience segments. Strengthening digital channels through social media, mobile apps, and personalized email outreach will not only enhance customer interaction but also build a robust online presence. Additionally, integrating traditional marketing with innovative digital practices will help reinforce brand

trust and drive sustainable growth, positioning the bank as a forward-thinking financial institution in an increasingly competitive market.

26

Citizen's Charter

The Bank has adopted the Citizen's Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customer. The charter is displayed at all the branches and Bank's website.

27

Corporate Social Responsibility (CSR) at Bank of Maharashtra – Building a Brighter Future:

Bank of Maharashtra is deeply committed to its Corporate Social Responsibility (CSR), consistently striving to give back to society and contribute to nation-building. The bank actively engages in initiatives that support education, healthcare, promoting sports and women empowerment, environmental sustainability, and community development. By aligning its CSR efforts with the broader goals of social welfare, it aims to uplift underprivileged sections of society and promote inclusive growth. Whether it is through financial literacy programs, rural development projects, or wildlife conservation, Bank of Maharashtra continues to uphold its responsibility as a socially conscious and compassionate institution dedicated to the well-being of the communities it serves.

A. Focus Areas:

Your Bank's CSR activities target a range of critical areas, aiming to create a measurable difference in the lives of the underprivileged:

- **Healthcare:** We support essential medical services by providing financial assistance for ambulances, dialysis machines, eye checkup camps, and awareness campaigns on various health issues.
- **Education:** We promote educational opportunities for underprivileged children by sponsoring admissions, scholarships, and infrastructure upgrades in schools.
- **Sports & Skill Development:** We empower youth through sponsorships for sports activities and skill-based training programs, enhancing their employability.
- **Women Empowerment:** We champion women's empowerment through initiatives that provide training for self-employment, support women entrepreneurs, and facilitate access to resources. Bank provided financial assistance for operational expenditure of school & Orphanage for Girls.



- **Sanitation:** We contribute to improved sanitation by sponsoring sanitary pad vending machines and beautification projects for garbage collection points.
- **Environment:** We actively support environmental sustainability through tree plantation drives and installation of solar power grid systems.

B. Key Initiatives:

- **Financial Assistance:** We've provided financial aid for various projects, including ambulances, medical equipment installations, electric carts, educational scholarships, and skill development programs.
- **Empowering Women:** We've supported women's self-employment through training programs, sponsorships for exhibitions, and events promoting entrepreneurship.
- **MSME Support:** We've facilitated the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by sponsoring exhibitions and conferences specifically designed for women entrepreneurs.

C. Looking Ahead:

Bank of Maharashtra is firmly committed to its social responsibility, recognizing its role in driving positive change beyond banking. With a strong belief in giving back to society, Bank of Maharashtra continues to integrate social responsibility into its core values, reinforcing its identity as a responsible and compassionate corporate citizen.

Latur and Solapur were awarded by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

1.2 Fostering a Culture of Hindi:

- Town Official Language Implementation Committees (TOLICs) convened by other banks awarded bank's Thane Zonal Office, Chandigarh Zonal Office, Varanasi Zonal Office, Nashik Zonal Office and Kolkata Zonal Office for the outstanding implementation of Official Language Hindi.
- Various Town Official Language Implementation Committees (TOLICs) convened by other banks awarded your bank branches of Indore Zone (Barwani), Chandigarh Zone (Panchkula), and Jaipur Zone (Jodhpur Main and Ajmer Main) for the outstanding implementation of the Official Language Hindi.
- The Bank's quarterly house magazine, 'Mahabank Pragati', and E-magazine, 'Mahabank Samvad Sarita', are being regularly published. As a new initiative, the Bank's e-magazine, 'Mahabank Samvad Sarita', is also being published regularly in Braille script for the benefit of the Bank's visually impaired employees.
- The Parliamentary Committee on Official Language inspected Bank's Head Office, Guwahati Zonal Office, Bengaluru Zonal Office, Bhopal Zonal Office, Indore Zonal Office, Thane Zonal Office, Mumbai North Zonal Office, Varanasi Zonal Office, Pune City Zonal Office, Kolkata Zonal Office, Ernakulam Zonal Office, Chennai Zonal Office, Aligarh Branch (Noida Zone) and Puducherry Branch (Chennai Zone) during the financial year. The Committee appreciated the implementation of Official Language Hindi in these offices. On this occasion, the latest issue of the Bank's e-magazine 'Mahabank Samvad Sarita', titled "Artificial Intelligence and Banking," was also released.
- Your Bank serves as the Convener Bank for the Town Official Language Implementation Committees (TOLICs) in Mumbai, Pune, Solapur, Latur, and Jalgaon. Meetings of these committees were held regularly throughout the year, and various activities of the committees were conducted in accordance with the scheduled calendar.

1.3 Promoting Hindi Accessibility:

"WhatsApp Banking" –WhatsApp Banking facility is available in a bilingual format (Hindi and English), as well as in other Indian languages such as Marathi, Tamil, Malayalam, and Telugu.

- "Hindi Karya Diwas" is being observed by all branches and offices of the Bank on the third Saturday of every month. All employees perform the maximum possible amount of their work in Hindi on this day.

28

Promoting Hindi: Official Language Implementation at Bank of Maharashtra

During the year 2025-26, the Bank achieved various remarkable achievements in the field of Official Language implementation:

1.1 Path of Excellence in Promoting the Hindi Language:

- The Bank was awarded with the "Second Prize" in "B Region" by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for its in house magazine, 'Mahabank Pragati'.
- During the year, the Bank was awarded with the titles of "Ashirwad Bhasha-Setu Puraskar" in the category of "Nationalised Bank" and the "Ashirwad Gaurav Samman" by the prestigious Mumbai-based institution, 'Ashirwad', for the progressive use of Hindi.
- During the All India Official Language Conference, Town Official Language Implementation Committees (TOLICs) convened by your Bank namely; Mumbai South, Pune City,



- II. Bank's new mobile banking application, 'Zen Lyfe' has been made available in Hindi and English along with 10 other Indian languages for the convenience of customers.
- III. The Bank's website is available in Marathi, Hindi, and English, along with 20 other Indian languages.
- IV. The facility of "Online Official Language Dictionary" has been made available on the Bank's intranet for the use of all employees.

29

Building a Secure Banking Environment: Bank of Maharashtra's Initiatives Measures

29.1 Bank of Maharashtra prioritizes safety and well-being of your Bank's customers, staff, and assets. To achieve this, a comprehensive Security Policy encompassing several key areas has been formulated:

- I. **Safeguarding Bank Assets:** This encompasses a formidable security framework designed to safeguard critical assets across Branches, Administrative Offices, Currency Chests, Data centers and other sensitive locations. Bank has institutionalized risk based access control and surveillance mechanisms to strengthen asset protection, enhance institutional resilience and mitigate operational and reputational risks in a dynamic threat environment.
- II. **Creating a Secure Banking Environment:** Bank is committed to creating a secure, inclusive, and welcoming environment across all Banking touchpoints. This enables employees, customers, and visitors to engage in banking operations with confidence and trust, while reinforcing the Bank's commitment to safety, service excellence, and stakeholder assurance.
- III. **Disaster Preparedness:** Bank recognizes the critical importance of preparedness in addressing unforeseen events. Accordingly, Security Policy incorporates comprehensive measures to mitigate risks arising from both natural and man made disasters. These measures are aimed at ensuring business continuity, safeguarding critical operations and protecting the safety and well being of employees, customers, and other stakeholders.

29.2 Proactive Security Measures:

Bank continuously assesses and strengthens its security posture through ongoing analysis of potential threats. These proactive measures include:

- I. **Threat Intelligence Gathering:** Bank actively monitors prevailing and emerging crime trends, conducts systematic analysis of bank robbery

and intrusion tactics, evaluates reported security breaches and examines fire incident patterns. This continuous threat intelligence process enables to anticipate potential risks, enhance preventive and corrective security measures and maintain readiness against evolving threats.

- II. **Training and Capacity Building:** Security Personnel and other Bank Staff are systematically equipped with the skills and knowledge required to manage security situations effectively. Regular and structured training programs ensure preparedness to respond promptly and appropriately to a wide range of operational, emergency, and threat scenarios.

III. **Outsourced Cash Van Management:** Bank has implemented a centralized outsourcing system for cash van services. This centralized framework has significantly enhanced operational efficiency by ensuring uniform deployment practices, standardized service levels and streamlined coordination with cash logistics service providers. The system has enabled optimum utilization of manpower by eliminating duplication of efforts at branch and zonal levels, thereby contributing to cost efficiency, improved governance and enhanced operational control, while allowing branches to focus on core banking functions.

IV. **Technology Driven Security Initiatives:** As part of the Bank's commitment to strengthening its security framework, an Electronic Surveillance System has been implemented across all ATMs of the Bank.

- a) This system comprises a combination of advanced sensors, cameras, sounding devices, and analytical tools to detect suspicious activities, generate real-time alerts and enable prompt follow up actions.
- b) This innovative surveillance mechanism plays a crucial role in safeguarding the Bank's ATM network and mitigating potential security risks. Bank is further in the process of enhancing this system by incorporating advanced AI driven features aimed at proactive deterrence of untoward activities.
- c) Additionally, Bank is in the process of extending these enhanced surveillance capabilities to other customer touchpoints, thereby ensuring a seamless, robust and integrated security framework across its operations.

29.3 By implementing a comprehensive Security Policy and embracing cutting-edge solutions like Branch and ATM E-surveillance, the Bank of Maharashtra fosters a secure and reliable banking experience for all.



30

Building a Strong Compliance Culture

During FY 2025–26, the Compliance Department continued to support the Bank's governance framework through a balanced, risk based and forward looking approach. By strengthening processes, leveraging technology, enhancing awareness and fostering a culture of shared responsibility, the Department contributed to reinforcing stakeholder confidence and sustainable business growth. **"Business First, Compliance Always."**

Recognizing that effective compliance depends on awareness and ownership at the operational level, the Compliance Department undertook several initiatives to strengthen compliance culture across the Bank. These included:

- Monthly Compliance Newsletters
- Monthly Compliance Quiz
- Circulation of Monthly Gists of RBI guidelines in both Hindi and English

These initiatives supported better understanding among field staff, encouraged engagement, and contributed to more consistent implementation of regulatory requirements.

NEFT, RTGS, and intra bank transactions, enabling faster identification of risky patterns, related party exposure, and potential fund diversion.

e. Roll Forward & Roll Backward SMA Movement Dashboard

The dashboard tracks asset quality migration across Standard, SMA, and NPA categories over monthly and quarterly periods, helping identify early stress and recovery trends with reduced manual effort.

f. AI Enabled Predictive Analysis for Debt Collection

An AI/ML based collection management module with coordinated field deployment and the "Field Plus" mobile app supports recovery in stressed and freshly slipped accounts. Predictive debt collection models and PSA reports classify accounts into P1, P2, and P3 risk categories, enabling targeted interventions and improving recovery efficiency.

g. AI Enabled Collections & Field Operations

An AI/ML based Collection Management Module supports coordinated deployment of Feet on Street collection agents, complemented by the "Field Plus" mobile application for recovery in stressed and freshly slipped accounts.

31

Effective and robust credit monitoring:

a. Geotagging and ARJUN Application

Stressed accounts are monitored through the Stress Assets Visit Portal and the ARJUN mobile app. Integrated geotagging ensures optimized, transparent, and accountable field visits to stressed assets.

b. Loan Tracking Cell (LTC)

The LTC functions as a centralized call centre for follow up and upgradation of stressed accounts. Around 2,500 borrowers are contacted daily. The primary centre operates from Pune, with system access across all zones. Apprentices deployed in the field also support follow up calls.

c. Delinquency & Compliance Risk Index (DCRI)

A dynamic one page DCRI dashboard is available 24x7 across devices. Daily SMS and email alerts are sent to senior officials, while monthly reviews by Top Management have strengthened compliance and supervision.

d. Entity Relationship & Transaction Network Dashboard

This advanced analytics tool provides a consolidated view of customer relationships and fund flows across

32

International Banking:

The Bank has received license from IFSCA (the GIFT city regulator) on 08th May 2025 for establishing the branch (i.e. IFSC Banking Unit) in GIFT city, Gujarat; and the operations at IBU were commenced w.e.f. 12th Sept 2025. Since IBU is considered as offshore branch, Bank is now able to offer various products / services in foreign currency which includes ECB, Trade Finance, FCTL, deposits in foreign currency etc.

Within 6 months of its operations i.e. as of 31st March 2026, IBU has achieved the total assets size of USD 645 million.

33

Performance Evaluation of The Directors and The Board:

As per DFS guidelines and with an objective to continuously improve corporate governance practices, the Bank has engaged an external agency to support the Bank in laying down parameters for performance evaluation of Directors and the Board as a whole. This has resulted in the development of comprehensive performance evaluation frameworks. These criteria are meticulously aligned with the relevant regulations and guidelines, including the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the SEBI Guidance Note on Board



Evaluation, 2017. For the year FY 2025-26, performance evaluation of the Board has been conducted, reaffirming the Board's competence. The process also showcased the strong synergy and collaboration between the Board of Directors and Top Management. Report of External Agency is being placed to Board for noting and suggestion, if any.

Performance evaluation of sub-committees of Board is being placed to the Board and the same is being evaluated by the Board on yearly basis.

Further, the performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for Performance Evaluation / Board on the basis of guidelines prescribed by Government of India. Further, Performance of non-official Directors / Shareholder Director is done by Board of Directors on annual basis as per prescribed DFS guidelines.

34

Declaration By Independent Directors During The Year:

All the Independent Directors of Bank have submitted the declaration confirming that they meet the criteria of independence as provided under Regulation 25 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

35

Board And Its Sub-Committees:

The composition of the Board and its Sub-committees as required to be constituted as per the SEBI (LODR) Regulations, Government of India / Reserve Bank India Guidelines and the meetings held therein are mentioned in the Corporate Governance Report.

36

Secretarial Audit:

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, Bank had appointed M/s Joshi & Joshi., Practicing Company Secretaries, Pune as a Secretarial Auditor to undertake Secretarial audit of Bank for a period of 5 years wef FY 2025-26 till FY 2029-30. For the FY 2025-26, the Secretarial Audit Report is annexed to this Report.

The response of the management on the observations raised by secretarial auditor are as under :

Observations of Auditor	Management's reply
There is no Independent Woman Director appointed on the Board of the Bank as required under SEBI (LODR) Regulations, 2015	In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India, except Shareholder Directors who are elected to the Board as per public shareholding of the Bank. Request for appointment of Directors on the Board of the Bank, including the appointment of Woman Director, has been taken up with DFS, MoF, Gol Further, position of Directors on the Bank's Board, highlighting the vacancies therein, is submitted to DFS, MoF, Gol on regular basis.
Number of Independent Directors were less than 50% of its total strength of Board members as required under SEBI (LODR) Regulations, 2015	In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India, except Shareholder Directors who are elected to the Board as per public shareholding of the Bank. Request for appointment of Directors on the Board of the Bank has been taken up with DFS, MoF, Gol Further, position of Directors on the Bank's Board, highlighting the vacancies therein, is submitted to DFS, MoF, Gol on regular basis.
Casual vacancy caused for Shareholder Director categorised as Independent Director w.e.f. July 07, 2025 was filled on March 27, 2026. As on March 31, 2026, Bank has appointed required no. of Shareholder Directors on the Board.	The Bank has appointed Shareholder Director during FY 2025-26 for the Casual Vacancy arose in FY 2025-26.
Audit Committee could not be constituted as per the Regulation till March 27, 2026. i.e. fourth quarter of FY 2025-26 and minimum number of meetings of committee were not held.	The Committee has been reconstituted with the appointment of new Independent Director w.e.f. March 27, 2026 and the meeting of the committee was also conducted immediately before the end of the Financial Year.



Observations of Auditor	Management's reply
Nomination & Remuneration Committee of Board does not comprise of minimum three non-executive directors and 2/3rd of Independent Directors from December, 20, 2024 till March 31, 2026 due to insufficient number of Independent Directors on the Board of the Bank.	In terms of the RBI Master Directions dated November 28, 2025 prohibits the appointment of same Chairman for more than one sub-committee of the Board. Therefore, the Bank is not in a position to Constitute the NR Committee as per SEBI (LODR) Regulations. In terms of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India, except Shareholder Directors who are elected to the Board as per public shareholding of the Bank. Request for appointment of Directors on the Board of the Bank to fill the vacant positions has been taken up with DFS, MoF, GoI. Further, position of Directors on the Bank's Board, highlighting the vacancies therein, is submitted to DFS, MoF, GoI on regular basis.
Risk Management committee could not be constituted from December 20, 2024 till March 27, 2026 due to insufficient number of Independent Directors on the Board of the Bank.	The Committee has been reconstituted with the appointment of new Independent Director w.e.f. March 27, 2026.
Stakeholders Relationship Committee was not properly constituted from February 03, 2026 upto end of financial year.	In terms of the RBI Master Directions dated 28.11.2025 prohibits the appointment of same Chairman for more than one sub-committee of the Board therefore, the Bank is not in a position to Constitute SRC as per SEBI (LODR) Regulations. In terms of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the appointment of Directors on the Board of the Bank is done by Government of India, except Shareholder Directors who are elected to the Board as per public shareholding of the Bank. Request for appointment of Directors on the Board of the Bank to fill the vacant positions has been taken up with DFS, MoF, GoI. Further, position of Directors on the Bank's Board, highlighting the vacancies therein, is submitted to DFS, MoF, GoI on regular basis.

37

Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2026:

- I. The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- II. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;
- III. The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- IV. The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- V. The directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- VI. The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.



38

Changes In The Board Of Directors:

During FY 2025-26, the following changes took place in the Board of Directors:

- Shri Mrutyunjay Mahapatra, appointed as a Shareholder Director on the Board of the Bank w.e.f. 01.07.2025.
- Shri Mrutyunjay Mahapatra, ceased to be a Shareholder Director on the Board of the Bank w.e.f. 07.07.2025.
- Shri Asheesh Pandey, ceased to be the Executive Director on the Board of the Bank w.e.f. 30.09.2025.
- Shri Prabhat Kiran was appointed as an Executive Director on the Board of the Bank w.e.f. 24.11.2025.
- Shri Rohit Rishi, ceased to be the Executive Director on the Board of the Bank w.e.f. 03.02.2026.
- Shri Prasenjeet Shrikrishna Fadnavis, appointed as a Shareholder Director w.e.f. 24.03.2026.

39

Dividend Distribution Policy:

In terms of Clause 43A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.bank.in

40

Business Responsibility and Sustainability Report:

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, business responsibility and sustainability report for the year 2025-26 has been prepared and is part of Annual Report and also is available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.bank.in.

41

Major Awards won by Bank in FY 2024-25.

- I. Bank was honored with the Public Sector Excellence Award 2025 at the Dun & Bradstreet BFSI & Government Summit 2025.

- II. The Bank has been honored as Public Sector Bank of the Year in the institutional category at the prestigious FE Best Bank Awards.
- III. Your bank has been honored with the prestigious SKOCH GOLD AWARD 2025 in BFSI category for the initiative "Art Ledger-An Employee Engagement Program."
- IV. Bank has received "Best mid-sized Bank" award at Business Today Banking and economy Summit.
- V. Your Bank has received 33rd Ashirwad Bhasha Setu award 2025 in the category of nationalized banks of Government of India.
- VI. The Bank has received the national award for outstanding performance in SHG -Bank linkage (2024-25) under DAY NRLM, from the ministry of Rural Development, Government of India.
- VII. Bank has been awarded in all five different categories at 21st Annual banking Technology Conference, Expo & Citations by IBA. This was the third consecutive time your Bank made it in the category of mid – size bank.
- VIII. Your bank has been honored with the "Dhanam Best Bank of the year 2025" award at South India's premier BFSI event -Dhanam BFSI Summit & Award Nite 2025.

42

Acknowledgement:

The Board of Directors place on record their appreciation for the contribution made by the outgoing Directors.

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association, Stock Exchanges and Depositories for their valuable advice, guidance and support; to the Customers and Stakeholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

(Nidhu Saxena)
Managing Director and CEO

Place: Pune
Date: 01.06.2026



FORM NO. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014 and as per SEBI Circular No CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2026

To,
The Members,
Bank of Maharashtra

We have conducted the Secretarial Audit of the Compliance of applicable statutory provisions and the adherence to Good Corporate Practices, by **Bank of Maharashtra** (hereinafter referred to as "**the Bank**").

The Secretarial Audit was conducted for the period from April 1, 2025 to March 31, 2026 in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the Financial Year ended on March 31, 2026, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, and returns filed, disclosure made and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended on March 31, 2026 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, to the extent applicable, during the Audit Period;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA") and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("**SEBI Act**") :-
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [**"SEBI (LODR) Regulations, 2015"**];
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; (**Not applicable during the year**);
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (**Not applicable during the year**);
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021; (**Not applicable during the year**);
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993; (**To the extent applicable**);
 - (h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (**Not applicable during the year**);



- (i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998; **(Not applicable during the year);**
- (j) The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994;
- (k) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;
- (l) other laws applicable specifically to the Bank:
 - (i) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Banking Regulation Act, 1949 ("**The Act**");
 - (ii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("**The Scheme**");
 - (iii) The Bank of Maharashtra (Shares and Meeting) Regulations, 2004;
 - (iv) The Reserve Bank of India Act, 1934;
 - (v) The Banking Regulations Act, 1949;
 - (vi) The Banker's Book Evidence Act, 1891;
 - (vii) The Banking Ombudsman Scheme, 2006;
 - (viii) The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985;
 - (ix) The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest ("SARFAESI") Act, 2002 and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
 - (x) The Prevention of Money Laundering Act, 2002 and The Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005;
 - (xi) The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. - **Not Applicable;**
- (ii) The Listing Agreements entered by the Bank with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited;

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as far as applicable, mentioned above with following observations:

- a) Number of Independent Directors were less than 50% of its total strength of Board members as required by SEBI (LODR) Regulations, 2015 and hence Composition of the Board is not as per the SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- b) There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank as required by SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- c) Causal vacancy caused for Shareholder Director categorised as Independent Director w.e.f. from July 07, 2025 was filled on March 27, 2026. As on March 31, 2026, Bank has appointed required number of Shareholder Directors on the Board as per Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- d) Due to insufficient number of Independent Directors on the Board, Audit Committee could not be properly constituted during the year till March 27, 2026. After appointment of new Independent Director, committee was constituted and meetings were held. However, as per requirements of Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, minimum number of Committee meetings could not be held during the financial year.
- e) During the year the Nomination and Remuneration Committee (NRC) was not constituted due to insufficient number of Independent Directors on the Board and hence no meeting of NRC was held during the year as per the requirements of Regulation 19 (3A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- f) During the year the Risk Management Committee could not be constituted till March 27, 2026. After appointment of new Independent Director, committee was constituted and meeting was held before end of financial year.
- g) Stakeholders Relationship Committee (SRC) was constituted up to February 03, 2026, however due to insufficient number of Independent Directors on the Board of the Bank, the Committee could not be constituted as on end of the financial year.



We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, and Independent Directors, except as mentioned above. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the applicable provisions of the Act and the Scheme.

Further, adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, whereas agenda and detailed notes on agenda were sent in advance as required under SEBI (LODR) Regulations, 2015, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through, while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that, there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable Laws, Rules, Regulations, and Guidelines. The Bank has effectively evaluated and updated to establish robust system of detection and monitoring of the frauds and has been regular in reporting the same to the Reserve Bank of India as required by the applicable laws mentioned above. The provisions of Companies Act, to the extent applicable are complied with, during the audit period.

The Compliance of the laws have been audited based on the test check basis considering the quantum and geographical locations of the branches of the Bank.

For Joshi & Joshi,
Company Secretaries,
UIN: P2009MH020200
PR. No. 7912/2026

Sd/-

Harshal R Joshi
Senior Partner
FCS: 9897 CoP: 10450
UDIN: F009897H000405974

Date: May 19, 2026
Place: Pune



Annexure - A

To,
The Members,
Bank of Maharashtra

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Book of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management Representation about the Compliance of Laws, Rules and Regulations and happening of events, etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable Laws, Rules, Regulations, Standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness, with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Joshi & Joshi,
Company Secretaries,
UIN: P2009MH020200
PR. No. 7912/2026

Sd/-

Harshal R Joshi
Senior Partner
FCS: 9897 CoP: 10450
UDIN: F009897H000405974

Date: May 19, 2026
Place: Pune



Corporate Governance Report



Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2025-26

1

Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

The equity Shares of the Bank are listed at Bombay Stock Exchange Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE). The Bank is a Corresponding New Bank under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2

Board of Directors:

2.1. The Composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India, Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. The nomination and appointment of all categories of Directors are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of

Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director.

The Bank's Board has an optimum combination of Executive and Non-Executive Directors as on 31st March, 2026. The Board of Directors as on 31st March 2026, comprised of 06 Directors, out of which 02 were Whole -Time Directors and 04 were Non-Executive Directors, which includes 02 Independent Directors. Managing Director & CEO (Chairman of the Board) and an Executive Director are the whole time directors. The Independent Directors constitute 33.33% of the total Board strength.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Banking Regulation Act, 1949 and Government of India / Reserve Bank of India Master Directions on Governance prescribes the following skills, expertise or competencies required for appointment of Directors on the Board of Bank.

(i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small-scale industry, (viii) Information Technology (ix) Payment & Settlement Systems, (x) Human Resources, (xi) Risk Management, (xii) Business Management and any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank.

The Board of Directors of Bank have professional knowledge, skill sets and experience thereby bringing about an enabling environment for value creation through sustainable business growth as mentioned in the table in point no. 2.2 below.

2.2

In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vests with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, supervision over Regulatory and Statutory compliances of the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank. The Board of Directors of Bank function in accordance with the powers delegated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.



The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2026 was as under:

Sr. No.	Name, Designation and Category of Director	Area of Expertise	No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2026	No. of membership in Sub Committees of the Bank	No. of Chairman/ membership in ACB/ SRC# of listed entities (including Bank)	Nature of appointment in the Bank / Directorship in other Companies
1	Shri Nidhu Saxena – Managing Director & CEO (Whole Time Director)	Finance, Banking, Forex and Business Administration	Nil	09	The New India Assurance Company Ltd. ACB-Member	Appointed as the Managing Director and CEO of the Bank w.e.f. 27.03.2024 by the Central Government. Directorship in other Companies: The New India Assurance Company Ltd. as Independent Director
2	Shri Prabhat Kiran – Executive Director (Whole Time Director)	Banking / Finance, Business Administration	Nil	10	NIL	Appointed as the Executive Director w.e.f. 24.11.2025 by the Central Government. Directorship in other Companies: NIL
3	Dr. Abhijit Phukon – Government Nominee Director (Non-Executive)	Administration (IES), Economist	Nil	08	NIL	Appointed as a Government Nominee Director w.e.f. 25.10.2023 by the Central Government. Directorship in other Companies as Government Nominee Director: I. EXIM Bank II. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation III. International Financial Services Centres Authority
4	Shri Sanjeev Prakash – RBI Nominee Director (Non-Executive)	Banking, Finance	Nil	05	Bank of Maharashtra ACB - Member	Appointed as RBI Nominee Director w.e.f. 14.07.2023. Directorship as RBI Nominee in other Companies: Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt Ltd (BRBNMPL)
5	Shri Praveen Kumar – Shareholder Director (Independent Non-Executive)	Insurance, Administration	200	09	Bank of Maharashtra ACB - Chairman	Elected as Shareholder Director of Bank w.e.f. 30.06.2024 Directorship in other Companies: Nil
6	Shri Prasenjeet Fadnavis – Shareholder Director (Independent Non-Executive)	Information Technology Cyber Law and Legal	600	08	Bank of Maharashtra ACB- Member	Elected as Shareholder Director of Bank w.e.f. 24.03.2026 Directorship in other Companies SPPU Edutech Foundation

ACB means Audit Committee of the Board and SRC means Stakeholder Relationship Committee



2.3 Changes in Composition of Board of Directors of Bank took place during the year 2025-26

During FY 2025-26, the following changes took place in the Board of Directors:

- Shri Mrutyunjay Mahapatra appointed as Shareholder Director on the Bank's Board w.e.f. 01.07.2025.
- Shri Mrutyunjay Mahapatra ceased to be Director w.e.f. 07.07.2025.
- Shri Asheesh Pandey ceased to be the Executive Director of the Bank w.e.f. 30.09.2025.
- Shri Prabhat Kiran appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. 24.11.2025.
- Shri Rohit Rishi ceased to be the Executive Director of the Bank w.e.f. 03.02.2026.
- Shri Prasenjeet Fadnavis appointed as Shareholder Director w.e.f. 24.03.2026.

2.4 Brief Profile of the Directors (as on 31.03.2026)

Shri Nidhu Saxena, Managing Director and CEO (MD & CEO):

Shri Nidhu Saxena, aged 58 years, joined Bank of Maharashtra as MD & CEO w.e.f. 27.03.2024. He is Master in Business Administration, Commerce graduate and holds CAIIB Certification. He started his banking career at Bank of Baroda and later moved to UCO Bank. Shri Nidhu Saxena has over 28 years of experience working in diversified areas of banking. Prior to joining Bank of Maharashtra, he was the Executive Director of Union Bank of India. During his tenure, he worked in all key banking functions and has been in several positions such as Branch Head, Zonal Head and Vertical Head. At Union Bank, he was looking after Treasury, Domestic Foreign Business, International Banking, Human Resources, Stressed Assets, Retail Assets, MSME, Retail Liabilities, CISO, Wealth Management and Audit Verticals. He has been on the Board of Union Bank of India (UK) Limited and Union Asset Management Company Limited. He has also been identified as a 'Subject Expert' for assisting Union Public Service Commission. He also has experience of 8 years in corporate sector before starting his banking career.

Shri Prabhat Kiran, Executive Director

Shri Prabhat Kiran is a seasoned banking professional with over three decades of experience in the Indian and international banking sector. He is an Economics Graduate and holds Post Graduate Diploma in Business Administration. He is a Certified Credit Professional, a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers, and additionally holds Composite Insurance Certification and a Certificate in MSME. He commenced his career as a Probationary Officer with Canara Bank and has since gained comprehensive experience across critical banking functions, including Large Corporate and MSME Credit, Risk Management, International Banking Operations, and Liability Management. Over the course of his career, he has held several senior leadership positions and headed the verticals of

Large Corporate Credit, Mid Corporate Credit, MSME credit, International Operations and Associates & Subsidiary as GM & CGM. Shri Prabhat Kiran has extensive domestic and international exposure, including an overseas position as Branch Head, Leicester (London), United Kingdom. His professional expertise spans Large Corporate Credit, MSME Lending, Risk Management, International Banking and Credit, Retail and Corporate Banking Operations, and related areas. He has undertaken several prestigious professional development programmes at national and international levels. His national training includes the Board Leadership Programme (MDI, Gurgaon), Operational Risk Management (NIBM, Pune), Certificate Programme in IT & Cyber Security for Senior Management (IDRBT), Leadership Development Programme (ASCI), Executive Development Programme (NIBM), and Leadership Development Programme (XLRI). His international training exposure includes the Board Leadership Programme at Goldsmiths University of London. He has also served as a Director on the Board of Canbank Venture Capital Fund, contributing to strategic oversight and governance.

Dr. Abhijit Phukon, Government of India Nominee Director

Dr. Abhijit Phukon, aged 51 years, was appointed as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 25.10.2023. He holds PhD in Finance, Master in Economics, and Post Graduate Diploma in HRD & Marketing. He is an officer of Indian Economic Service (IES 2004 batch), presently serving as Economic Adviser and Chief Information Security Officer (CISO) in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India. He has published a number of research papers on various issues related to economics, management and finance in internationally reputed Journals. Professionally, he brings in over twenty-three years academic, research and cross-cutting governance experience in public policy. He brings in domain knowledge and expertise in sustainable finance, CSR/SDGs/ESG, corporate governance, regulatory and compliance, energy & power sector, infrastructure & Public Private Partnership (PPP), international trade etc. Prior to DFS, he served Department of Commerce, Department of Economic Affairs, Ministry of Power, Ministry of Corporate Affairs at various capacities including as Secretary, National Financial Reporting Authority (NFRA). While being in service in the Government, he instituted large scale reforms and policy frameworks in the economic and social sectors. He is also Government Nominee Director on the Board of EXIM Bank, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) and International Financial Services Centres Authority (IFSCA), Payments Regulatory Board (PRB) of IFSCA, and Online Gaming Authority of India (OGAI).

Shri Sanjeev Prakash, RBI Nominee Director

Shri Sanjeev Prakash, aged 53 years, was appointed as RBI Nominee Director on the Board of the Bank



w.e.f 14.07.2023. He joined Reserve Bank of India in 1998. He holds a Bachelor's degree in Engineering and Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) & Financial Risk Manager (FRM) qualifications. Over the past 28 years in Reserve Bank, Shri Sanjeev Prakash has worked at various Regional Offices and the Bank's Central Office in Mumbai. His main areas of work in the Bank include supervision of banks, non-banks & financial conglomerates; Human Resources Management; Information Technology & Project implementation. Shri Sanjeev Prakash has also served as Executive Assistant to Deputy Governors. He was briefly deputed to the Financial Stability Institute at the Bank for International Settlements (BIS), Basel, Switzerland where he worked on identification of Global Systemically Important Banks. At present, Shri Sanjeev Prakash is working as Chief General Manager in the Department of Currency Management at Bank's Central Office in Mumbai. As part of policy making initiatives for efficient currency management operations, he is mainly responsible for facilitating exchange of currency and distribution of coins, disposal of soiled notes, smooth operations of currency chests and forged note vigilance. He is also serving as a Director on the Board of Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt Ltd (BRBNMPL) w.e.f October 24, 2024.

Shri Praveen Kumar, Shareholder Director

Shri Praveen Kumar aged 62, is having more than 36 years of experience in various areas such as Insurance & Banking, Marketing, Risk Management, Administration and Human Resources etc., worked in various capacities in the Branches/ Offices of Life Insurance Corporation of India, LIC Housing Finance Ltd and LIC Cards Services Ltd. Previously, he was holding the position of Chief Executive and Director of LIC Cards Services Limited. He joined as Director of Bank of Maharashtra on 30.06.2024.

Shri Prasenjeet Shrikrishna Fadnavis, Shareholder Director

Mr. Prasenjeet Shrikrishna Fadnavis aged 53 years, is a technocrat with qualifications in Computer Science and Law, and over three decades of experience across telecom, banking, cyber laws, education, and rural development. Currently, He holds the position of Executive Director - Corporate Relations at Dr. D. Y. Patil Business School, Pune. He is also associated with leading educational institutions, including Savitribai Phule Pune University and Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University. He is also a Director in SPPU Edutech Foundation and Designated Partner in Swaroop Infra and Services LLP and Ayush Global Medicare LLP.

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel of the Bank has been approved by the Board of Directors in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is available on the Bank's website <https://bankofmaharashtra.bank.in/policies>. All the Board Members of the Bank have affirmed the compliance of the code.

2.6 Confirmation by the Board with respect to Independence of Independent Directors:

Based on the disclosures received from all the Independent Directors, the Board opined that all the Independent Directors fulfilled the criteria of independence as specified in Companies Act, 2013 as well as in SEBI (LODR) Regulations, 2015 and are independent of the management.

2.7 Separate meeting of Independent Directors:

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Bank has conducted a separate meeting of Independent Directors during the financial year 2025-26 to discuss the matters as per the statutory requirements such as assessing the quality, quantity and timely flow of information between the Bank management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties. The meeting was attended by all Independent Directors of the Bank.

The Committee met 01 time during the year as under.

30.03.2026

Apart from above, in the absence of sufficient number of Independent Directors, a separate meeting of Non-Executive Directors has been conducted to discuss the aforementioned matters separately as under:

13.01.2026

2.8 Performance Evaluation of Board Members:

The performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Board in the absence of Committee of Board for performance Evaluation, on the basis of guidelines prescribed by Government of India without the presence of Whole Time Directors. Further, Performance Evaluation of Shareholder Directors is being done by Board of Directors on annual basis, without the presence of concerned Shareholder Director.

2.9 The Bank has the familiarization programme for its Directors with regard to their roles, rights and responsibilities in the Bank. The details of familiarization/ training programmes attended by the Directors of the Bank during the financial year 2025-26 are available on the Bank's website https://bankofmaharashtra.bank.in/corporate_governance

2.10 None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se.

2.11 In view of DFS guidelines, Bank has carried out Performance evaluation of its Board including its Directors through external agency also for FY 2025-26.



3

General Meeting conducted in the Financial Year:

The 22nd Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on the 30th June, 2025 at Head office of Bank through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM), where following Directors attended the meeting.

Sr.No.	Name of the Director	Designation
1	Shri Nidhu Saxena	Managing Director & CEO
2	Shri Asheesh Pandey	Executive Director
3	Shri Rohit Rishi	Executive Director
4	Shri Praveen Kumar	Shareholder Director

Bank has also conducted an Extra-ordinary General Meeting of the Shareholders on 23rd March, 2026 at Corporate Office, Pune through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM), where following Directors attended the meeting :

Sr.No.	Name of the Director	Designation
1	Shri Nidhu Saxena	Managing Director & CEO
2	Shri Prabhat Kiran	Executive Director
3	Shri Praveen Kumar	Shareholder Director

4

Changes in the Senior Management:

The following are the changes in the Senior Management/ Key Managerial Personnel in the FY 2025-26:

Sr. No.	Name	Reason of Change	Date of change
1.	Smt. Chitra Datar	Superannuation	30.04.2025
2.	Shri Vishal Sethia	Appointed as Company Secretary	12.05.2025
3.	Shri Kaushal Vijaykumar Sampat	Appointed as General Manager	12.05.2025
4	Shri Divesh Dinkar	Completion of tenure as CCO	31.05.2025
5.	Shri Sankpal Dinkar Baburao	Elevation as Chief General Manager	01.06.2025
6.	Shri Vijay Prakash Jai Prakash Srivastava	Elevation as Chief General Manager	01.06.2025

7.	Ms. Aparna Vidhyadhar Joglekar	Elevation as Chief General Manager	01.06.2025
8.	Shri Chandrashekhar Bhojraj Singh	Elevation as General Manager	01.06.2025
9.	Shri Abhijit Malin Kumar Chanda	Elevation as General Manager	01.06.2025
10.	Shri Vivek Kumar Dhawan	Elevation as General Manager	01.06.2025
11.	Shri Sunil Dhoot	Appointed as Chief Financial Officer	01.06.2025
12.	Smt Uma Vedula	Appointed as CCO	01.06.2025
13.	Shri Devesh Verma	Appointment as General Manager	04.08.2025

5

Board Meetings:

The Board of Bank meets at regular intervals to discuss and decide Bank's business policy and strategy apart from other businesses. The Board oversees implementation of business policies for achieving its objectives. The Board has constituted various committees/sub-committees to facilitate the smooth and efficient flow in decision-making process.

The meetings of the Board of Directors are generally held at the Bank's Head Office / Corporate Office at Pune. Directors are also provided with video conferencing facility so as to participate in Board / Committee meetings.

During the Financial Year 2025-26, 16 meetings of Board of Directors were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

25.04.2025	12.05.2025	06.06.2025	26.06.2025
15.07.2025	29.07.2025	03.09.2025	04.09.2025
23.09.2025	14.10.2025	05.12.2025	24.12.2025
13.01.2026	23.02.2026	09.03.2026	27.03.2026



The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure is given as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Nidhu Saxena	01.04.2025 to 31.03.2026	16	16
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	06	05
Shri Asheesh Pandey	01.04.2025 to 30.09.2025	09	09
Shri Rohit Rishi	01.04.2025 to 03.02.2026	13	13
Dr. Abhijit Phukon	01.04.2025 to 31.03.2026	16	16
Shri Sanjeev Prakash	01.04.2025 to 31.03.2026	16	16
Shri Praveen Kumar	01.04.2025 to 31.03.2026	16	16
Shri Prasenjeet Fadnavis	24.03.2026 to 31.03.2026	01	01

6

Committees of Board:

The Board of Bank has constituted various committees/ sub committees as per the guidelines of Government of India, Reserve Bank of India and SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Board has delegated powers to its sub-committees in different functional areas with a view to ensure effective decision making, monitoring and focus on critical areas. Details of the various committees of the board are as under:

6.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Functions and duties of the Management Committee are as under:

- Sanction of credit and investment proposals,
- Sanction of loan, compromise/ write off proposals,
- Approve proposals relating to acquiring of premises/quarters and other procurements,
- Any other matter referred by the Board.

The Committee met 24 times during the period under review on the following dates:

07.04.2025	25.04.2025	28.05.2025	09.06.2025
19.06.2025	24.06.2025	11.07.2025	29.07.2025
08.08.2025	22.08.2025	03.09.2025	23.09.2025
29.09.2025	14.10.2025	23.10.2025	05.12.2025
15.12.2025	23.12.2025	29.12.2025	27.01.2026
17.02.2026	09.03.2026	16.03.2026	25.03.2026

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Nidhu Saxena	01.04.2025 to 31.03.2026	24	24
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	09	09
Shri Asheesh Pandey	01.04.2025 to 30.09.2025	13	13
Shri Rohit Rishi	01.04.2025 to 03.02.2026	20	19
Shri Sanjeev Prakash	01.04.2025 to 31.03.2026	24	24
Shri Praveen Kumar	30.09.2025 to 27.03.2026	11	11

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

- Shri Nidhu Saxena Chairman
- Shri Prabhat Kiran Member
- Shri Sanjeev Prakash Member
- Shri Prasenjeet Fadnavis Member

6.2 Audit Committee of the Board:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India and Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

A. The role of the audit committee shall include the following:

- Oversight of the listed entity's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
- Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the listed entity;



- (3) Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
 - (4) Reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the board for approval, with particular reference to:
 - (a) Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the board's report
 - (b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - (c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - (d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - (e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
 - (f) Disclosure of any related party transactions;
 - (g) Modified opinion(s) in the draft audit report
 - (5) Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the board for approval;
 - (6) Reviewing, with the management, the statement of uses / application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document / prospectus / notice and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilisation of proceeds of a public issue or rights issue or preferential issue or qualified institutions placement and making appropriate recommendations to the board to take up steps in this matter;
 - (7) Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
 - (8) Approval or any subsequent modification of transactions of the listed entity with related parties;
 - (9) Scrutiny of inter-corporate loans and investments;
 - (10) Valuation of undertakings or assets of the listed entity, wherever it is necessary;
 - (11) Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
 - (12) Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;
 - (13) Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
 - (14) Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;
 - (15) Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the board;
 - (16) Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
 - (17) To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;
 - (18) To review the functioning of the whistle blower mechanism;
 - (19) Approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;
 - (20) Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the audit committee.
 - (21) Reviewing the utilization of loans and/ or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding rupees 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans / advances / investments existing as on the date of coming into force of this provision.
 - (22) Consider and comment on rationale, cost-benefits and impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., on the listed entity and its shareholders.
- B. The audit committee shall mandatorily review the following information:**
- (1) Management discussion and analysis of financial condition and results of operations;
 - (2) Management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;
 - (3) Internal audit reports relating to internal control weaknesses; and
 - (4) The appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the audit committee.



(5) Statement of deviations:

- quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1).
- annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice in terms of Regulation 32(7).

Because of insufficient number of Independent Directors on the board of the Bank, Bank could not constitute the Audit Committee in the first three quarters. Therefore, Bank has invoked Para 14A of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Act, 1970 and kept the agendas of the said committee before Board.

During the year, the ACB met 2 times and the dates of the meetings are as under:

27.03.2026	30.03.2026
------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Praveen Kumar	01.04.2025 to 31.03.2026	2	2
Shri Sanjeev Prakash	01.04.2025 to 31.03.2026	2	2
Shri Prasenjeet Fadnavis	24.03.2026 to 31.03.2026	2	2

Mr. Vishal Sethia, Company Secretary, acts as the Secretary to ACB.

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

- Shri Praveen Kumar Chairman
- Shri Sanjeev Prakash Member
- Shri Prasenjeet Fadnavis Member

Invitee:

Shri Prabhat Kiran

6.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Committee devise the policies and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank, framework for identification of internal and external risks and to monitor and oversee implementation of the risk management policy etc.,

The roles, responsibilities and terms of Risk Management Committee are as under:

- To formulate a detailed Risk Management Policy which shall include:
 - A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the listed entity, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.
 - Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks.
 - Business continuity plan.
- To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of the Company;
- To monitor and oversee implementation of the risk management policy, including evaluating the adequacy of risk management systems;
- To periodically review the risk management policy, at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;
- To keep the Board of directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken;
- The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Risk Officer (if any) shall be subject to review by the Risk Management Committee.

Because of insufficient number of Independent Directors on the Board of the Bank, Bank could not constitute the Risk Management Committee in the first three quarters. Therefore, Bank has invoked Para 14A of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Act, 1970 and kept the agendas of the said committee before Board.

The Committee met 01 time during the year as under :

30.03.2026

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	01	01
Shri Praveen Kumar	01.04.2025 to 31.03.2026	01	01
Shri Prasenjeet Fadnavis	24.03.2026 to 31.03.2026	01	01



The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| i. Shri Prasenjeet Fadnavis | Chairman |
| ii. Shri Prabhat Kiran | Member |
| iii. Shri Praveen Kumar | Member |

6.4 Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 to oversee the grievances / redressal of Shareholders/ Investors of the Bank, and other investor related matters.

The Committee met 01 time during the year as under:

23.12.2025

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	01	01
Shri Rohit Rishi	01.04.2025 to 03.02.2026	01	01
Shri Praveen Kumar	01.04.2025 to 31.03.2026	01	01

As on 31.03.2026, Committee could not be constituted due to lack of requisite numbers of Independent Directors on Board of the Bank.

The position of complaints in respect of Shareholders received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2025	0
Number of complaints received during the year	11
Number of complaints resolved during the year	11
Number of complaints pending as on 31.03.2026	0

Mr. Vishal Sethia, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the Stock exchanges and investor grievances of the Bank.

6.5 Share Transfer Committee:

Besides the Stakeholders' Relationship Committee, the Board has formed "Share Transfer Committee" to approve/ note applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares. The

Committee consist of four Directors as its members.

The meeting of the Share Transfer Committee could not be held during the year as there was no specific agenda in this regard.

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under :

- | | |
|------------------------------|----------|
| i. Shri Nidhu Saxena | Chairman |
| ii. Shri Prabhat Kiran | Member |
| iii. Shri Praveen Kumar | Member |
| iv. Shri Prasenjeet Fadnavis | Member |

6.6 Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-Up of Cases of Frauds:

This Committee has been constituted as per RBI, Government of India and SEBI guidelines. This Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as Directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The Committee met 01 time during the year as under:

09.03.2026

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	01	01
Dr Abhijit Phukon	01.04.2025 to 31.03.2026	01	01
Shri Praveen Kumar	01.04.2025 to 31.03.2026	01	01

As on 31.03.2026 committee could not be constituted due to lack of quorum.

6.7 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting Managing Director and CEO, the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Directors are also associated with this committee.

The Committee met 04 times during the year as under:

05.06.2025	23.09.2025	24.12.2025	09.03.2026
------------	------------	------------	------------



The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Nidhu Saxena	01.04.2025 to 31.03.2026	04	04
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	02	02
Shri Asheesh Pandey	01.04.2025 to 30.09.2025	02	02
Shri Rohit Rishi	01.04.2025 to 03.02.2026	03	02
Shri Sanjeev Prakash	01.04.2025 to 31.03.2026	04	04
Dr Abhijit Phukon	01.04.2025 to 31.03.2026	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

- | | |
|--------------------------|----------|
| i. Shri Nidhu Saxena | Chairman |
| ii. Shri Prabhat Kiran | Member |
| iii. Dr Abhijit Phukon | Member |
| iv. Shri Sanjeev Prakash | Member |

6.8 Customer Service Committee:

The Customer Service Committee of the Board is constituted as per RBI guidelines. The Committee review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank.

The Committee met 04 times during the year as under:

26.06.2025	22.09.2025	23.12.2025	09.03.2026
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Nidhu Saxena	01.04.2025 to 31.03.2026	04	04
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	02	02
Shri Asheesh Pandey	01.04.2025 to 30.09.2025	02	02
Shri Rohit Rishi	01.04.2025 to 03.02.2026	03	03
Shri Praveen Kumar	04.10.2025 to 31.03.2026	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

- | | |
|------------------------------|----------|
| i. Shri Nidhu Saxena | Chairman |
| ii. Shri Prabhat Kiran | Member |
| iii. Shri Praveen Kumar | Member |
| iv. Shri Prasenjeet Fadnavis | Member |

Invitee:

- Two Outside experts
- Internal Ombudsman

Bank has also invited Customers in meeting of Customer Service Committee for their feedback in meeting dated 09.03.2026.

6.9 IT Strategy Committee:

The IT Strategy Committee of the Board has been constituted as per RBI guidelines. The meeting of committee is also attended by 03 outside IT Experts. The Committee deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans, Cyber Security etc.,

The Committee met 06 times during the year as under:

05.06.2025	30.06.2025	29.07.2025	22.09.2025
05.12.2025	09.03.2026		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Nidhu Saxena	01.04.2025 to 31.03.2026	06	05
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	02	02
Shri Asheesh Pandey	01.04.2025 to 30.09.2025	04	04
Shri Rohit Rishi	01.04.2025 to 03.02.2026	05	05
Dr Abhijit Phukon	01.04.2025 to 31.03.2026	06	06
Shri Praveen Kumar	01.04.2025 to 31.03.2026	06	06

As on 31.03.2026 committee could not be constituted due to lack of quorum.

6.10 Credit Approval Committee:

The Credit Approval Committee of the Board is constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The



Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to Rs. 300.00 crore for individual, Rs. 600.00 crore for group exposure and loan compromise / write off proposals as delegated by the Board. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Chief Risk Officer
- CGM / General Manager / Vertical Head, Financial Management & Accounts
- CGM / General Manager / Vertical Head (Corporate Credit above Rs. 250 Crores)
- CGM / General Manager / Vertical Head (Corporate Credit up to Rs. 250 Crores /MSME/ Retail Credit / Agriculture)
- CGM / General Manager / Vertical Head (Recovery & Legal Services)

The Committee met 27 times during the year on the dates given below:

Sr. No.	Date	Sr. No.	Date	Sr. No.	Date
1	07.04.2025	11	11.08.2025	21	31.12.2025
2	24.04.2025	12	30.08.2025	22	23.01.2026
3	17.05.2025	13	10.09.2025	23	07.02.2026
4	31.05.2025	14	23.09.2025	24	21.02.2026
5	09.06.2025	15	18.10.2025	25	13.03.2026
6	27.06.2025	16	01.11.2025	26	18.03.2026
7	11.07.2025	17	27.11.2025	27	25.03.2026
8	22.07.2025	18	08.12.2025		
9	01.08.2025	19	17.12.2025		
10	02.08.2025	20	29.12.2025		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Nidhu Saxena	01.04.2025 to 31.03.2026	27	27
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	11	11
Shri Asheesh Pandey	01.04.2025 to 30.09.2025	14	14
Shri Rohit Rishi	01.04.2025 to 03.02.2026	22	22

The composition of Committee as on 31st March, 2026, is as under:

- Shri Nidhu Saxena - Chairman
- Shri Prabhat Kiran - Member

The meetings were also attended by the following executives:

- Chief Risk Officer
- CGM / General Manager / Vertical Head, Financial Management & Accounts
- CGM / General Manager / Vertical Head (Corporate Credit above Rs.250 Crores)
- CGM / General Manager / Vertical Head (Corporate Credit up to Rs.250 Crores /MSME/ Retail Credit / Agriculture)*
- CGM / General Manager / Vertical Head (Recovery & Legal Services)*

Note* : In case their proposal is placed before committee.

6.11 Steering Committee of Board on HR:

As per the guidelines of Government of India, the Committee is constituted to discuss various matters/ issues related to Human Resources.

The Committee met 04 times during the year as under:

05.06.2025	22.09.2025	24.12.2025	09.03.2026
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Nidhu Saxena	01.04.2025 to 31.03.2026	04	04
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	02	02
Shri Asheesh Pandey	01.04.2025 to 30.09.2025	02	02
Shri Rohit Rishi	01.04.2025 to 03.02.2026	03	03
Dr Abhijit Phukon	01.04.2025 to 31.03.2026	04	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

- Shri Nidhu Saxena - Chairman
- Shri Prabhat Kiran - Member
- Dr. Abhijit Phukon - Member

Invitee - Two outside experts



6.12 Committee of Board for monitoring NPA Recovery:

As per the guidelines of Government of India, the Committee is constituted to review and monitor NPA Recovery in the Bank provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts.

The Committee met 04 times during the year as under:

05.06.2025	22.09.2025	24.12.2025	09.03.2026
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Nidhu Saxena	01.04.2025 to 31.03.2026	04	04
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	02	02
Shri Asheesh Pandey	01.04.2025 to 30.09.2025	02	02
Shri Rohit Rishi	01.04.2025 to 03.02.2026	03	03
Dr Abhijit Phukon	01.04.2025 to 31.03.2026	04	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

- Shri Nidhu Saxena - Chairman
- Shri Prabhat Kiran - Member
- Dr Abhijit Phukon - Member

6.13 Committee to monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India:

The Committee monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India.

The Committee met 04 times during the year as under:

05.06.2025	22.09.2025	24.12.2025	09.03.2026
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Prabhat Kiran	24.11.2025 to 31.03.2026	02	02
Shri Asheesh Pandey	01.04.2025 to 30.09.2025	02	02

Shri Rohit Rishi	01.04.2025 to 03.02.2026	03	03
Dr Abhijit Phukon	01.04.2025 to 31.03.2026	04	03
Shri Praveen Kumar	30.09.2025 to 31.03.2026	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

- Shri Prabhat Kiran - Chairman
- Dr Abhijit Phukon - Member
- Shri Praveen Kumar - Member
- Shri Prasenjeet Shrikrishna Fadnavis - Member
- Invitee - CGM/GM Financial Inclusion

6.14 Committee for identification of Wilful defaulters:

This Committee is constituted as per RBI guidelines with three Directors as its members. The Committee looks after the wilful default cases and identify and declare the wilful defaulters of the Bank.

The Committee met 01 time during the year as under:

05.06.2025

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Nidhu Saxena	01.04.2025 to 31.03.2026	01	01
Dr Abhijit Phukon	01.04.2025 to 31.03.2026	01	01
Shri Praveen Kumar	04.10.2025 to 31.03.2026	00	00

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

- Shri Nidhu Saxena - Chairman
- Dr Abhijit Phukon - Member
- Shri Praveen Kumar - Member

6.15 Committee for Performance Evaluation:

This Committee has been constituted as per Ministry of Finance communication no. F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019. The Committee undertakes the process of Performance Evaluation of Managing Director & CEO, Executive Directors, etc.

The meeting of the Committee for Performance Evaluation could not be held during the year due to lack of quorum and such Agendas were placed before Board.



6.16 Committee for considering appeals and reviews:

The Committee is constituted with three Directors as its members as per the guidelines of Government of India. This Committee deals with review of vigilance, non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with Government of India guidelines.

No meeting of this Committee was held during the financial year 2025-26.

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

- i. Dr Abhijit Phukon - Chairman
- ii. Shri Praveen Kumar - Member
- iii. Shri Prasenjeet Fadnavis - Member

6.17 Nomination & Remuneration Committee:

This Committee is constituted as per RBI Master Circular dated 02.08.2019 and Government of India and SEBI guidelines. This Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as Directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The functions of Nomination and Remuneration Committee are as under:

1. Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the board of directors a policy relating to, the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees.
2. For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:
 - a. use the services of an external agencies, if required;
 - b. consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
 - c. consider the time commitments of the candidates.
3. Formulation of criteria for evaluation of performance of independent directors and the board of directors.

4. Devising a policy on diversity of board of directors.
5. Identifying persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, and recommend to the board of directors their appointment and removal.
6. Whether to extend or continue the term of appointment of the independent director, on the basis of the report of performance evaluation of independent directors.
7. Recommend to the board, all remuneration, in whatever form, payable to senior management.

The meeting of the Nomination and Remuneration Committee could not be held during the year due to lack of quorum.

As on 31.03.2026, Committee could not be constituted due to lack of quorum.

6.18 Special Committee of the Board for Compromise:

This Committee is constituted as per RBI Master Circular dated 02.08.2019 and Government of India and SEBI guidelines.

No meeting of Special Committee of the Board for Compromise was held during the year.

The composition of the Committee as on 31st March, 2026 is as under:

- i. Shri Nidhu Saxena - Chairman
- ii. Shri Prabhat Kiran - Member
- iii. Dr. Abhijit Phukon - Member
- iv. Shri Sanjeev Prakash - Member
- v. Shri. Praveen Kumar - Member
- vi. Shri Prasenjeet Fadnavis - Member

6.19. Para 14A of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970:

As per Para 14A of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, where a nationalised Bank is required by law to do any act or thing, and if the Board is satisfied that quorum for such meeting of such Committee cannot be met on account of any vacancy in such, the Board may do that act or thing. Accordingly, the agenda of such committees, which were not constituted because of lack of quorum, were placed before Board during the financial year.



7

Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Top Management Committee (TMC), Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Credit Committees and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

8

Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis. Sitting fees is paid only to Non-Executive Directors other than Nominee Directors.

The MD & CEO and Executive Directors (Whole Time Directors) are being paid remuneration by way of salary / incentive as per rules framed by the Govt. of India.

A) The details of salaries paid to MD & CEO and Executive Directors during the year 2025-26 are as under:

[Rs in Lakhs]

Name & Designation	Remuneration	Performance Linked Incentive	PL Encashment	Total
Shri Nidhu Saxena Managing Director & CEO	40.36	24.83	0.00	65.19
Shri Prabhat Kiran Executive Director	14.98	0.00	0.00	14.98
Shri Asheesh Pandey	19.55	24.42	0.00	43.97
Shri Rohit Rishi	46.32	26.69	36.57	109.58

B) Sitting fees:

In terms of Department of Financial Services (DFS) notification dated 18 January 2019, the sitting fees payable to Non Executive Directors (other than Nominee Directors) for attending meetings of the Board and its Sub Committees were as under:

- (a) Board meeting: Rs. 40,000/- per meeting
- (b) Committee meeting: Rs. 20,000/- per meeting
- (c) Chairing Board meeting: Rs. 10,000/- per meeting in addition to (a).
- (d) Chairing Committee meeting: Rs. 5,000/- per meeting in addition to (b).

In terms of DFS notification dated 28 October 2025, the Board of the Bank revised the sitting fees payable to Non Executive Directors w.e.f. date of the notification (other than Nominee Directors) as under:

- (a) Board meeting: Rs. 60,000/- per meeting
- (b) Committee meeting: Rs. 30,000/- per meeting
- (c) Chairing Board meeting: Rs. 15,000/- per meeting in addition to (a).
- (d) Chairing Committee meeting: Rs. 7,500/- per meeting in addition to (b).

Further, pursuant to the above DFS notification dated 28 October 2025, the annual cap of Rs.15.00 lakh on total sitting fees payable to a Director has been removed.

It is to note that no sitting fee is paid to Whole Time Directors and Director representing Government of India and Director representing Reserve Bank of India

The total Sitting Fees paid to the Non-Executive Directors during the year 2025-26 is as under:

Sr.No.	Name of the Director	Amount Paid (Rs.)
01	Shri Praveen Kumar	16,12,500.00
02	Shri Prasenjeet Fadnavis	1,95,000.00
	TOTAL	18,07,500.00

Further there are two external experts in Steering Committee of the Board on HR and sitting fees of Rs.80,000/- was paid to each of them for meetings attended by them on 05.06.2025, 22.09.2025, 24.12.2025 and 09.03.2026. Similarly, there are two external experts in Customer Service Committee of the Board and sitting fees of Rs. 30000/- was paid to each of them for attending meetings on 26.06.2025, 22.09.2025, 23.12.2025 and 09.03.2026.



9

General Body Meetings:

9.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three financial years are given below:

Particulars	Date & Time	Venue / Deemed Venue	Resolutions passed
Twentieth Annual General Meeting	At 11.00 a.m. on 9 th June, 2023 through VC / OAVM	Head office of Bank located at Pune	i. Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2022-23 (Ordinary Resolution) ii. Declaration of dividend on the equity share capital of the bank (Ordinary Resolution) iii. To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iv. Appointment of Shri Parshant Kumar Goyal as the Non-Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref [eF.No.6/2/2022-BO.I dated 15.12.2022 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance] w.e.f. 15th December 2022 (Special Resolution).
Twenty First Annual General Meeting	At 11.00 a.m. on 12 th June, 2024 through VC / OAVM	Head office of Bank located at Pune	i. Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2023-24 (Ordinary Resolution) ii. Declaration of dividend on the equity share capital of the bank (Ordinary Resolution) iii. To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc. (Special Resolution). iv. To seek approval of shareholders for appointment of Shri Sanjeev Prakash as RBI nominee director w.e.f. 14.07.2023 (ordinary Resolution) v. To seek approval of shareholders for appointment of Shri Abhijeet Phukon as Government Nominee director w.e.f. 25.10.2023 (ordinary Resolution) vi. To seek approval of shareholders for appointment of Shri Rohit Rishi as Executive Director w.e.f. 01.11.2023 (ordinary Resolution) vii. To seek approval of shareholders for appointment of Shri Nidhu Saxena as Managing Director & CEO w.e.f. 27.03.2024 (ordinary Resolution) viii. To conduct election of one shareholder Director of the Bank in the vacancy to be caused due to the end of the tenure of Shri Rakesh Kumar (Ordinary)
Twenty Second Annual General Meeting	At 11.00 a.m. on 30 th June, 2025 through VC / OAVM	Head office of Bank located at Pune	i. Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2024-25 (Ordinary Resolution) ii. Declaration of dividend on the equity share capital of the bank (Ordinary Resolution) iii. To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iv. To seek approval of appointment of M/s Joshi & Joshi, Practicing Company Secretary as Secretarial Auditor of the Bank for a term of 5 consecutive years from FY 2025-26 to 2029-30 (Ordinary Resolution) v. To conduct Election of One Director from Shareholders other than the Central Government. (Ordinary Resolution)



Extraordinary General Meeting	At 11.00 a.m. on 23 rd March, 2026 through VC / OAVM	Corporate office of Bank located at Pune	i. To approve the appointment of Shri Prabhat Kiran as Executive Director of the Bank (Ordinary) ii. To conduct Election of One Shareholder Director (Ordinary Resolution)
-------------------------------	---	--	--

- 9.2** The Ministry of Finance, Government of India sends their authorized representative to attend the General Meetings of the Bank from time to time.

Corporate Compliance & Listing Centre (the 'Listing Centre') and NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) for dissemination.

10

Postal Ballot:

- 10.1** During the year under review, the Bank has not conducted postal ballot process.

- 10.2** Details of Proposed Postal Ballots:

No special resolution through Postal Ballot is proposed to be conducted on or before the ensuing Annual General Meeting.

11

Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi as per the statutory requirements of SEBI (LODR) Regulations, 2015. In addition to the statutory requirement as above Bank has also published the results in Hindi Daily. The financial results are also displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.bank.in and submitted to the Stock Exchanges. Bank also organizes Press meets/ Analysts / Institutional Investor meets after announcing Bank's financial results. Press Releases and presentations made by the Bank are also displayed on the Bank's website.

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the Newspaper		Date of publication
	English Edition	Marathi Edition	
June 2025	Economic Times	Sakal	16.07.2025
September 2025	Economic Times	Sakal	15.10.2025
December 2025	Economic Times	Sakal	14.01.2026
March 2026	Financial Express	Sakal	21.04.2026

Channels of Communication with the investors:

All periodical compliance Filings like Shareholding pattern, Corporate Governance Report, Corporate announcements, media releases etc., are filed electronically on the BSE

12

General Shareholder Information:

12.1 Particulars of the Twenty Third (23rd) Annual General Meeting:

Financial Year	2025-26
Board Meeting for considering Annual Audited Accounts (Standalone & Consolidated) for Financial year ended 31 st March, 2026	20 th April 2026
Date, Time and Venue of Twenty Third AGM.	On 30 th June, 2026 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference or Other Audio Video Means

12.2 Payment of Dividend & Record date:

The Board of Directors of the Bank has recommended payment of final Dividend of Rs.1.20 per share (i.e.12%) on the paid-up share capital, for the financial year ended 31st March, 2026 on the paid-up share capital in addition to the Interim Dividend of Rs. 1.00 per share. The Bank has fixed Friday, 5th June, 2026 as the record date for payment of final dividend. The final dividend on equity shares, if declared at the Annual General Meeting, will be paid within 30 days to the Members whose names appear in the Bank's Register of Members on record date.

12.3 Financial Calendar 2026-27 (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30 th June 2026	On or Before 14 th August 2026
30 th September 2026	On or Before 14 th November 2026
31 st December 2026	On or Before 14 th February 2027
31 st March 2027 (Annual)	On or Before 29 th May 2027



12.4 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on following Stock Exchanges:

Name of Stock Exchange	Scrip code
BSE Limited (BSE): Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001	532525
National Stock Exchange of India Limited (NSE) Address: Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051	MAHABANK
International Security Identification Number (ISIN):	INE457A01014

The annual listing fees for the financial year 2026-27 has been paid to the Stock Exchanges.

12.5 Per Share Data:

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Face Value (Rs.)	10/-	10/-
EPS (Rs.)	9.13	7.48
Dividend (%) (including interim dividend)	22%	15%
Book Value (Rs.)	39.36	33.65
Dividend Payout as % of net profit	24.20%	20.90%

12.6 The Bank has issued various bonds (Tier I and II) and Infra bonds from time to time. The details of outstanding Bonds along with their credit ratings as on 31.03.2026 are given as below:

Sr. No.	Series	Type	ISIN No.	Date of Allotment / Issue	Tenure (Months)	Amount (Rs in Cr)	Coupon Rate (in %)	Rating
1	III	Basel III AT I (Series-3)	INE457A08134	26.12.2022	Perpetual	880.00	8.74	Acuite AA (S) Infomerics AA (S)
2	II	Basel III AT I (Series-2)	INE457A08118	08.09.2022	Perpetual	710.00	8.74	Acuite AA (S) Infomerics AA (S)
3	I	Basel III AT I (Series-1)	INE457A08100	24.03.2022	Perpetual	290.00	8.75	Acuite AA (S) Infomerics AA (S)
4	V	Basel III Tier II (Series-5)	INE457A08126	07.12.2022	120	348.00	8.00	Acuite AA+ (S) Infomerics AA+ (S)
5	IV	Basel III Tier II (Series-4)	INE457A08092	21.10.2021	120	1000.00	7.86	CARE AA+ (S) Brickwork AA+ (S)
6	III	Basel III Tier II (Series-3)	INE457A08084	23.03.2021	120	100.00	8.00	Acuite AA+ (S) Brickwork AA+ (S)
7	II	Basel III Tier II (Series-2)	INE457A08076	11.02.2021	120	205.00	8.00	Acuite AA+ (S) Brickwork AA+ (S)
8	I	Basel III Tier II (Series-1)	INE457A08068	14.12.2020	120	200.70	7.75	Acuite AA+ (S) Brickwork AA+ (S)
9	VIII	Basel III Tier II (Series-8)	INE457A08167	04.07.2024	120	1000.00	7.89	CARE AA+ (S) ICRA AA+ (S)
10	I	Basel III Tier II	INE457A08035	27.06.2016	123	500.00	9.20	CARE AA+ (S) ICRA AA+ (S)
11	VI	Basel III Tier II (Series -6)	INE457A08142	18.09.2023	120	515.00	7.98	Acuite AA+ (S) Infomerics AA+ (S)
12	VII	Basel III Tier II (Series- 7)	INE457A08159	14.12.2023	120	259.00	7.99	Acuite AA+ (S) CARE AA+ (S)
13	I	LT INFRA BOND (Series 1)	INE457A08175	05.08.2024	120	811.00	7.80	CARE AA+ (S) ICRA AA+ (S)
14	II	LT INFRA BOND (Series 2)	INE457A08183	18.02.2025	120	1612.00	7.70	CARE AA+ (S) ICRA AA+ (S)



12.7 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

The Bank has appointed MCS Share Transfer Agent Limited a SEBI Registered Category I / II intermediary as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints at following address:

Registrar & Transfer Agent:

MCS Share Transfer Agent Limited,
(Unit: Bank of Maharashtra)
3B3 3rd Floor Gundecha Onclave
Kherani Road Sakinaka Andheri (E), Mumbai
Tel : 022-28516021-22
Website : www.mcsregistrars.com
Email: helpdeskmm@mcsregistrars.com
mparase@mcsregistrars.com

Investor Services Department of Bank:

Vishal Sethia
Company Secretary
Bank of Maharashtra,
Investor Services Department
134/1, Mont Claire, Baner Pashan Link Road,
Pashan, Pune- 411021
Tel: 020 71658139
Email: investor_services@bankofmaharashtra.bank.in

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

Name of the Debenture Trustee	Catalyst Trusteeship Limited (Formerly known as GDA Trusteeship Limited)
Address	GDA House, S.N.o 94/95, Plot No 85, Bhusari Colony (Right) Kothrud, Pune - 411038, Maharashtra, India.
Tel	020-25280081
Fax Number	020-25280275
E-mail	dt@gdatrustee.com

Name of the debenture Trustee	Axis Trustee Services Ltd
Address	Axis House, Ground Floor, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India.
Tel	022- 62260054/50
E-mail	debenturetrustee@axistrustee.com

Name of the debenture Trustee	SBICAP Trustee Company Limited,
Address	4th Floor, Mistry Bhavan, 122, Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai - 400020.
Tel	022- 43025566
E-mail	dt@sbicaptrustee.com

Name of the debenture Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited.,
Address	Universal Insurance Building, Ground Floor, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai - 400001
Tel	022 - 40807000
E-mail	itsl@idbitrustee.com

The Bank has Investor Services Department at its Corporate Office, Pune. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Department for any of their requests / complaints:

Vishal Sethia Company Secretary Investor Services Department

Bank of Maharashtra, Investor Services Department
134/1, Mont Claire, Baner Pashan Link Road,
Pashan, Pune - 411021
Tel: 020 71658139
Email: investor_services@bankofmaharashtra.bank.in

The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

12.8 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding of Bank as on 31.03.2026 is as under:

Range	No. of Share holders	% to Total	No of Shares	% to Total
1 - 500	777196	86.22	75856873	0.9862
501 - 1000	56974	6.3205	46170981	0.6003
1001 - 2000	31255	3.4673	47658313	0.6196
2001 - 3000	11347	1.2588	29205674	0.3797
3001 - 4000	5973	0.6626	21168540	0.2752
4001 - 5000	4893	0.5428	23261692	0.3024
5001 - 10000	7654	0.8491	57998940	0.7541
10001 - 50000	5148	0.5711	103849610	1.3502
50001 - 100000	485	0.0538	34632390	0.4503
And Above	485	0.0537	7251751937	94.28
	901410	100	7691554950	100



12.9 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank as on 31.03.2026 and 31.03.2025 was as under:

Category of shareholder	As on 31.03.2026		As on 31.03.2025	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	5661059630	73.60	6122627927	79.60
Resident Individuals	450267364	5.85	542998267	7.06
Insurance Companies	569602361	7.41	665231578	8.65
Banks/Financial Institutions	6187405	0.08	81747908	1.06
Alternate Investment Funds	10117863	0.13	4334549	0.06
Non Resident Individuals	19086581	0.25	15554757	0.20
Foreign Institutional Investors	426946168	5.55	132896471	1.73
Mutual Fund / UTI	482043297	6.27	69325325	0.90
Bodies Corporate	33505490	0.43	31613395	0.41
Others	32738791	0.43	25224773	0.33
Total	7691554950	100.00	7691554950	100.00

12.10 Dematerialisation of shares and Liquidity:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's equity shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the financial year 2025-26 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders of Bank as on 31.03.2026 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shareholders	Percentage
Physical	40222	4.38	5704487	0.07
Demat:				
1. NSDL	230680	25.10	1723457350	22.41
2. CDSL*	648325	70.52	5962393113	77.52
Sub-total	879005	100.00	7685850463	100.00
Total	919227	100.00	7691554950	100.00

(* Including 5661059630 equity shares held by the Government of India which constitutes 73.60% of total shareholding)

12.11 Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.

Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish PAN details to RTA.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

Sr.No.	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website www.bankofmaharashtra.bank.in.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at below address at the earliest:

Details of the RTA:

MCS Share Transfer agent Limited,
(Unit: Bank of Maharashtra)

Address : 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,
Kherani Road, Sakinaka Andheri (E),
Mumbai - 400072

Phone : 022-28516021-22

E-mail : helpdesknum@mcsregistrars.com /
mparase@mcsregistrars.com

Website : www.mcsregistrars.com

Holding of shares in Electronic Form

In respect of shareholders who hold shares in the dematerialized form and wish to update their PAN, KYC, Bank Details and Nomination are requested to contact their respective Depository Participants.



12.12 Dematerialization of Shares – Process:

Shareholders who continue to hold shares in physical form are requested to dematerialize their shares at the earliest and avail the benefits of dealing in shares in demat form. For convenience of shareholders, the process of getting the shares dematerialized is given hereunder:

- Demat account should be opened with a Depository Participant (DP).
- Shareholders should submit the Dematerialization Request Form (DRF) along with share certificates in original, to their DP.
- DP will process the DRF and will generate a Dematerialization Request Number (DRN).
- DP will submit the DRF and original share certificates to the Registrar and Transfer Agents (RTA), which is MCS Share Transfer Agent Limited.
- RTA will process the DRF and confirm or reject the request to DP/ depositories.
- Upon confirmation of request, the shareholder will get credit of the equivalent number of shares in his demat account maintained with the DP.

However, as per SEBI Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018 and further amendment vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/49 dated November 30, 2018, requests for effecting transfer of securities (except in case of transmission or transposition of securities) shall not be processed from April 1, 2019 unless the securities are held in the dematerialised form with the depositories. Therefore, Shareholders are requested to take action to dematerialize the Equity Shares of the Bank promptly.

12.13 Benefits of Dematerialization of Shares:

- No threat of loss and wear and tear of share certificate;
- Easy and convenient way to hold securities;
- Immediate transfer of securities;
- Reduced paperwork for transfer of securities;
- Reduced transaction cost;
- Dividend directly credited to your Bank Account.

12.14 Consolidation of Folios:

In order to enable the Bank to reduce costs and duplicity of efforts for providing services to investors, members who have more than one folio in the same order of names, are requested to consolidate their holdings under one folio. Members may write to the Registrars & Transfer Agents indicating the folio numbers to be consolidated along with the original shares certificates to be consolidated.

12.15 Reconciliation of Share Capital Audit Report:

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the aggregate of the total number of shares in dematerialised form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

12.16 National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/ interest etc. where the amount due to the investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility for the direct credit of the dividend in their bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Centralized/ Core Banking Solution (CBS) branch of the Bank.

The NECS mandate form is enclosed to the AGM Notice, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding their shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participants for updating their bank account details.

12.17 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial year 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 and interim dividend for FY 2025-26 may contact the RTAs / Bank on the above address to claim their unclaimed dividends and necessary assistance for the payment thereof.

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 125 of Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed for the financial years till 2014-15 has been transferred to "Investor Education and Protection Fund".

The unclaimed dividend amount can be claimed from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF - 5 and sending the physical



copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Bank) along with the requisite documents enumerated in Form IEPF - 5 to the Bank at the Corporate Office, Pune. The IEPF Rules and the application Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for claiming back the unclaimed dividend are available on the website of the Bank at www.bankofmaharashtra.bank.in as well as the website of MCA at www.iepf.gov.in.

12.18 Transfer of shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Pursuant to the amendment dated 1st August, 2025 to the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and the amended Investor Education and Protection Fund (IEPF) (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), requiring all shares held in physical and dematerialized form, in respect of which dividend(s) has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more to be transferred to the IEPF unless there is specific order of Court or Tribunal or Statutory Authority restraining any such shares are pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1996.

Apropos, Bank has sent individual notices dated 31.03.2026 through emails and/or physical letters to the eligible shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF requesting them to their unclaimed dividend by writing to the Bank/ Registrar and Transfer Agent of the Bank viz., MCS Share Transfer Agent Limited.

The Bank has also uploaded complete details to the concerned shareholders whose shares are due for transfer to IEPF Demat Account on its website at www.bankofmaharashtra.bank.in. Bank has also published notice in the newspapers namely Financial Express (English Daily), Loksatta (Marathi Daily) and Jansatta (Hindi Daily) on 01st April, 2026. Further Bank has also filed an intimation on Stock Exchanges on the same.

In case, the dividends are not claimed by the said date, necessary steps will be initiated by the Bank to transfer shares held by Shareholders which are due for transfer to IEPF without further notice, in accordance with the Rules. No claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

We request such shareholders to submit a claim in this regard on or before the last date i.e. **30th June, 2026**.

13

Other Disclosures:

- 13.1** Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. The Bank's policy on Related Party transactions is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.bank.in/policies>. The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.
- 13.2** During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market during last three years except the penalty imposed by the Reserve Bank of India on Bank which is disclosed in of Schedule 18 of the financial statements for FY 2025-26.
- 13.3** The Management Discussion and Analysis forms part of the Directors' Report.
- 13.4 CEO and CFO Certification:**
The Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2025-26 to the Board of Directors at its meeting held on 20th April, 2026 as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.
- 13.5** Bank has in place Whistle Blower Policy based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.bank.in/policies>. It is further stated that no employee has been denied access to the appropriate authorities.
- 13.6** Bank had framed Dividend Distribution Policy and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.bank.in/policies>
- 13.7** Bank had adopted Code of Conduct for its Directors and Senior Management and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.bank.in/policies>
- 13.8** Bank had formulated Material Subsidiary Policy and same is available on Bank's website i.e. <https://bankofmaharashtra.bank.in/policies>. However, Bank does not have any material subsidiary at present.



13.9 Outstanding Global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity: Not applicable

13.10 Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:

Disclosure is provided in Schedule No. 18 - Notes to Accounts.

13.11 Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A).

Bank had utilized the funds raised during FY 2025-26 to improve the capital adequacy and fund its business growth.

13.12 The Certificate issued by Practicing Company Secretary in respect of compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 forms part of the Annual Report.

13.13 Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub-para (2) to (10) of Para C of Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: Nil

13.14 Secretarial Audit for Financial Year 2025-26:

M/s Joshi & Joshi Co. Practicing Company Secretaries, Pune, was appointed as the Secretarial Auditor to conduct Secretarial Audit of the Bank for the financial year ended March 31, 2026 as per the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The firm has carried out an independent assessment of the compliance of Banking Regulations, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SEBI Listing Regulations as a part of the audit. The Secretarial Audit Report forms part of this Annual Report as an annexure to the Board's report.

13.15 Board Evaluation 2025-26:

Department of Financial Services (DFS) vide their letter no. eF.no. 14/1/2025-BO.I dated 11th September, 2025 has advised all Public Sector Banks (PSBs) to undertake evaluation of the Bank's Board and its Directors annually by engaging credible external agencies for such evaluations. It was also advised to place the process and outcome of the evaluation before the Board and submit the same to DFS. In view of the above guidelines, Department has engaged an external agency to conduct evaluation of Bank's Board and its Directors for the FY 2025-26. Report in this regard is held on record.

13.16 A Certificate from Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or

continuing as directors by the Securities and Exchange Board of India /Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority has been obtained by the Bank. The said Certificate annexed to this report.

13.17 There was no such instance during FY 2025-26 wherein the Board has not accepted any recommendation of any of the Committees of the Board.

13.18 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

Details relating to fees paid to the Statutory Auditors during the financial year 2025-26 are disclosed in Schedule 16 of the Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements of Bank.

13.19 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

The details of number of complaints filed and disposed of during the year and pending as on 31st March, 2026 are given in the Directors' report.

13.20 Details of compliance with mandatory and non-mandatory requirements:

The Bank has duly complied with the requirements specified in Regulations 17 to 27 and Regulation 46 of the Listing Regulations to the extent applicable.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Finance, the nomination / appointment of all categories of Directors on the Board of Bank are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director.

The Bank has adopted the below specified non-mandatory requirements in terms of Regulation 27(1) of SEBI Listing Regulations:

Sr. No.	Non-mandatory Requirements	Status of compliance
A.	The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board is chaired by MD & CEO of Bank as Bank in the absence of a non-executive Chairperson.



B. Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The Quarterly/ Half yearly / Annual Financial Results of Bank are submitted to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website.
C. Modified opinion(s) in audit report The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There is no qualification in the Auditors report of the Bank.
D. Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The Board is chaired by MD & CEO of Bank as Bank in the absence of a non-executive Chairperson
E. Reporting of Internal auditor The internal auditor may report directly to the audit committee.	General Manager (Inspection & Audit) directly reports to the Audit Committee of the Board.

13.21 Green Initiatives in communication to the Shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of "Green Initiative". Falling in line with this, the Bank has sent letters/emails to the shareholders, requesting them to inform/ update their email Ids to enable the Bank to send the notices/ communications/ documents to the shareholders by electronic mode. The notices of the 23rd Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 30th June, 2026 are being sent to the shareholders only by electronic mode.

13.22 Compliance certificate from the Practicing Company Secretary regarding compliance of conditions of corporate governance as per Para E of Schedule V of SEBI (LODR), Regulations, 2015 is annexed with this Report.

Certificate / Declaration of the Managing Director and CEO

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015. The Code of Conduct is available on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March, 2026.

For Bank of Maharashtra

Date: 20.04.2026
Place: Pune

(Nidhu Saxena)
Managing Director and CEO



CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members,
Bank of Maharashtra

We have examined the Compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as the “**The Bank**”), for the Financial Year ended on March 31, 2026, as stipulated in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Management's Responsibility

The compliance of conditions of Corporate Governance, is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank to ensure the compliance of the conditions of the Corporate Governance.

Auditor's Responsibility

Our examination is limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Bank.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“**SEBI (LODR) Regulations, 2015**”) with the following observations:

- a) Number of Independent Directors were less than 50% of its total strength of Board members as required by SEBI (LODR) Regulations, 2015 and hence Composition of the Board is not as per the SEBI (LODR) Regulations, 2015;
- b) There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank as required by SEBI (LODR) Regulations, 2015;
- c) Causal vacancy caused due to resignation of Shareholder Director, categorised as Independent Director, w.e.f. from July 07, 2025 was filled on March 27, 2026. As on March 31, 2026, Bank has appointed required number of Shareholder Directors on the Board as per Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;
- d) Due to insufficient number of Independent Directors on the Board, Audit Committee could not be constituted during the year till March 27, 2026. After appointment of new Independent Director committee was constituted and meetings were held, however as per requirements of regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 minimum number of Committee meetings could not be held during the financial year.
- e) During the year the Nomination and Remuneration Committee (NRC) could not be constituted due to insufficient number of Independent Directors on the Board and hence no meeting of NRC was held during the year as per the requirements of Regulation 19 (3A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- f) During the year the Risk Management Committee could not be constituted till March 27, 2026. After appointment of new Independent Director committee was constituted and meeting was held before end of financial year.
- g) Stakeholders Relationship Committee (SRC) was constituted up to February 03, 2026. However due to insufficient number of Independent Directors on the Board of the Bank, the Committee could not be constituted as on end of the financial year.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Joshi & Joshi,
Company Secretaries,
UIN: P2009MH020200
PR. No. 7912/2026

Sd/-

Harshal R Joshi
Senior Partner
FCS: 9897 CoP: 10450
UDIN: F009897H000405908

Date: May 19, 2026
Place: Pune



CEO/CFO Certificate [Regulation 17(8)]

This is to certify that :

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31.03.2026 and that to the best of our knowledge and belief:
 - i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year ended 31.03.2026 which are fraudulent, illegal or violative of Bank's code of conduct.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit committee:
 - i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii. Instances of significant fraud of which they have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(Sunil Dhoot)
Chief Financial Officer

(Nidhu Saxena)
Managing Director & CEO

Date: 20.04.2026
Place : Pune



CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members,
Bank of Maharashtra

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures, received from the Directors of **Bank of Maharashtra** (hereinafter referred to as "**the Bank**"), produced before us, by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C clause 10(i), of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "**SEBI (LODR) Regulations, 2015**").

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications [including Directors Identification Number (hereinafter referred to as "**DIN**") status at the portal www.mca.gov.in, wherever applicable] as considered necessary and explanations furnished to us by, the Bank & its officers:

We hereby certify that none of the Directors, on the Board of the Bank, as stated below for the Financial Year ending on March 31, 2026, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies/ listed entities by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority:

Sr.No.	Name of Director	DIN*	Appointment Date
1.	Mr. Nidhu Saxena	09691292	March 27, 2024
2.	Mr. Prabhat Kiran	09853949	November 24, 2025
3.	Dr. Abhijit Phukon	Not Applicable	October 25, 2023
4.	Mr. Sanjeev Prakash	09528516	July 14, 2023
5.	Mr. Praveen Kumar	10119480	June 30, 2024
6.	Mr. Prasenjeet Fadnavis	08661603	March 24, 2026

*The Bank is not a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 / 2013 and accordingly the provisions of Companies Act, 2013 do not apply to the Bank. Thus, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN, therefore, DIN is mentioned for the Directors who possess DIN issued by the Ministry of Corporate Affairs and for the Directors who do not possess DIN, 'Not Applicable' is mentioned hereinabove.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these documents, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank, nor of the efficiency or effectiveness, with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Joshi & Joshi,
Company Secretaries,
UIN: P2009MH020200
PR. No. 7912/2026

Sd/-

Harshal R Joshi
Senior Partner
FCS: 9897, CP: 10450
UDIN: F009897H000208535

Date: April 27, 2026
Place: Pune



Financial Statement



STANDALONE BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2026

(Amount in ₹ thousand)

	Schedule	As on March 31, 2026 (Current year)	As on March 31, 2025 (Previous year)
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	7691,55,50	7691,55,50
Reserves & Surplus	2	25416,26,09	20797,70,81
Deposits	3	350564,37,39	307142,60,51
Borrowings	4	35233,57,55	23852,51,50
Other Liabilities & Provisions	5	8456,96,93	9657,77,14
TOTAL		427362,73,46	369142,15,46
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	26645,30,97	37992,99,37
Balances with Banks, Money at call & short notice	7	1100,23,61	4201,87,42
Investments	8	101480,16,72	82004,79,08
Advances	9	288104,30,21	236083,79,53
Fixed Assets	10	2961,76,73	2915,58,69
Other Assets	11	7070,95,22	5943,11,37
TOTAL		427362,73,46	369142,15,46
Contingent Liabilities	12	43562,19,24	40941,14,23
Bills for Collection		7193,48,18	6972,38,60
Significant accounting policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Financial Statements.

PRASENJEET FADNAVIS DIRECTOR	PRAVEEN KUMAR DIRECTOR	SANJEEV PRAKASH DIRECTOR	Dr. ABHIJIT PHUKON DIRECTOR
SUSHANTA KUMAR MOHANTY EXECUTIVE DIRECTOR	PRABHAT KIRAN EXECUTIVE DIRECTOR	NIDHU SAXENA MANAGING DIRECTOR & CEO	
NITESH KUMAR JAIN ASST. GENERAL MANAGER, FM&A	KEYUR TALATI ASST. GENERAL MANAGER, FM&A	SUNIL DHOOT CHIEF FINANCIAL OFFICER	
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED			
For M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants FRN – 100515W CA C M Dixit Partner Membership No. : 017532 UDIN: 26017532CZPHSA4265	For M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants FRN – 106041W/ W100136 CA Vitesh D. Gandhi Partner Membership No. : 110248 UDIN: 26110248ASJPHX4461	For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants FRN – 003510S CA D. Manohar Partner Membership No. : 029644 UDIN:26029644IVILKV8957	For M/s. S. Singhal & Co. Chartered Accountants FRN – 001526C CA Mukesh Kumar Khandelwal Partner Membership No. : 074661 UDIN:26074661FPGZFT2758
Place: Pune Date: April 20, 2026			



STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Amount in ₹ thousand)

	Schedule	Year ended on March 31, 2026 (Current year)	Year ended on March 31, 2025 (Previous year)
I. INCOME			
Interest earned	13	29281,64,24	24947,45,17
Other Income	14	3540,88,90	3454,17,31
TOTAL		32822,53,14	28401,62,48
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	15617,57,67	13281,88,09
Operating Expenses	16	6379,13,13	5800,71,49
Provisions & contingencies		3806,50,53	3799,24,31
TOTAL		25803,21,33	22881,83,89
PROFIT/LOSS			
Net Profit for the year		7019,31,81	5519,78,59
Add: Profit brought forward		6228,21,95	3502,10,97
TOTAL		13247,53,76	9021,89,56
III. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		1754,82,95	1379,94,65
Transfer to Capital Reserve		87,79,55	44,99,64
Transfer to Revenue Reserve		-	-
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to Investment Fluctuation Reserve		450,00,00	215,00,00
Transfer to Investment Reserve		-	-
Proposed dividend (Equity)		1692,14,21	1153,73,32
Balance carried over to Balance Sheet		9262,77,05	6228,21,95
TOTAL		13247,53,76	9021,89,56
Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		9.13	7.48

PRASENJEET FADNAVIS
DIRECTOR

PRAVEEN KUMAR
DIRECTOR

SANJEEV PRAKASH
DIRECTOR

Dr. ABHIJIT PHUKON
DIRECTOR

SUSHANTA KUMAR MOHANTY
EXECUTIVE DIRECTOR

PRABHAT KIRAN
EXECUTIVE DIRECTOR

NIDHU SAXENA
MANAGING DIRECTOR & CEO

NITESH KUMAR JAIN
ASST. GENERAL MANAGER, FM&A

KEYUR TALATI
ASST. GENERAL MANAGER, FM&A

SUNIL DHOOT
CHIEF FINANCIAL OFFICER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For M/s. G D Apte & Co.
Chartered Accountants

FRN – 100515W

CA C M Dixit
Partner

Membership No. : 017532
UDIN: 26017532CZPHSA4265

For M/s. Manubhai & Shah LLP
Chartered Accountants

FRN – 106041W/ W100136

CA Vitesh D. Gandhi
Partner

Membership No. : 110248
UDIN: 26110248ASJPHX4461

For M/s. Sagar & Associates
Chartered Accountants

FRN – 003510S

CA D. Manohar
Partner

Membership No. : 029644
UDIN:26029644IVILKV8957

For M/s. S. Singhal & Co.
Chartered Accountants

FRN – 001526C

CA Mukesh Kumar Khandelwal
Partner

Membership No. : 074661
UDIN:26074661FPGZFT2758

Place: Pune
Date: April 20, 2026



1

Schedule 1 - Capital

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
Authorised Capital 10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous Year 10,00,00,00,000) of Rs. 10/- each		10000,00,00		10000,00,00
Issued & Subscribed 769,15,54,950 Equity Shares (Previous Year 769,15,54,950) of Rs.10/- each				
Opening Balance	7691,55,50		7081,37,36	
Additions during the Year		7691,55,50	610,18,14	7691,55,50
Paid Up Capital				
a. Held by Central Government 566,10,59,630 (Previous Year 612,26,27,927) Equity shares of Rs.10/- each	5661,05,96		6122,62,79	
b. Held by the Public & Others 203,04,95,320 (Previous Year 156,89,27,023) Equity Shares of Rs.10/- each	2030,49,54		1568,92,71	
Less: Allotment money due	-	7691,55,50	-	7691,55,50
		7691,55,50		7691,55,50
Total		7691,55,50		7691,55,50

2

Schedule 2 - Reserves and Surplus

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. STATUTORY RESERVE				
i) Opening Balance	4819,29,77		3439,35,12	
ii) Addition during the Year	1754,82,95	6574,12,72	1379,94,65	4819,29,77
II. CAPITAL RESERVE				
i) Opening Balance	764,69,19		719,69,55	
ii) Addition during the Year	90,31,15		44,99,64	
iii) Deduction during the Year	-	855,00,34	-	764,69,19



(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
III. SHARE PREMIUM				
i) Opening Balance	3867,25,43		977,43,56	
ii) Addition during the Year	-		2889,81,87	
iii) Deduction during the Year	-	3867,25,43	-	3867,25,43
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES				
a) REVENUE RESERVE				
i) Opening Balance	2182,91,74		1970,83,80	
ii) Addition during the Year	57,68,33		212,07,94	
iii) Deduction during the Year	-	2240,60,07	-	2182,91,74
b) SPECIAL RESERVE				
i) Opening Balance	51,26,04		51,26,04	
ii) Addition during the Year	-		-	
iii) Deduction during the Year	-	51,26,04	-	51,26,04
c) REVALUATION RESERVE				
i) Opening Balance	1894,25,09		1443,34,12	
ii) Addition during the Year	-		1894,25,09	
iii) Deduction during the Year (including Depreciation on revalued properties)	75,17,31	1819,07,78	1443,34,12	1894,25,09
d) INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE ACCOUNT				
i) Opening Balance	641,10,00		426,10,00	
ii) Addition during the Year	450,00,00		215,00,00	
iii) Deduction during the Year	-	1091,10,00	-	641,10,00
e) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) Opening Balance	-		62,39,41	
ii) Addition during the Year	-		-	
iii) Deduction during the Year (transfer to Revenue Reserve)	-	-	62,39,41	-
f) AFS INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) Opening Balance	348,71,60		-	
ii) Addition during the Year	-		348,71,60	
iii) Deduction during the Year	711,23,08	(3,625,148)	-	348,71,60
g) FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE				
i) Opening Balance	-		-	
ii) Addition during the Year	17,58,14		-	
iii) Deduction during the Year	-	17,58,14	-	-
V. BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT				
i) Opening balance	6228,21,95		3502,10,97	
ii) Addition during the Year	3034,55,10		2726,10,98	
iii) Deductions during the Year	-	9262,77,05	-	6228,21,95
Total		25416,26,09		20797,70,81



3

Schedule 3 - Deposits

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
A. I. DEMAND DEPOSITS				
i) From Banks	865,83,80		248,29,05	
ii) From others	56934,73,09	57800,56,89	46064,63,26	46312,92,31
II. SAVINGS BANK DEPOSITS		126286,70,40		117344,13,89
III. TERM DEPOSITS *				
i) From Banks	1147,04,19		391,16,48	
ii) From others	165330,05,91	166477,10,10	143094,37,83	143485,54,31
Total (I, II & III)		350564,37,39		307142,60,51
B. (i) Deposits of Branches in India		350564,37,39		307142,60,51
(ii) Deposits of Branches outside India		-		-
Total		350564,37,39		307142,60,51

* Includes Lien marked deposits of ₹ 10501,73,42 in thousands (Previous Year ₹ 10112,46,83 in thousands)

4

Schedule 4 - Borrowings

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. BORROWINGS IN INDIA				
i) Reserve Bank Of India	-		-	
ii) Other Banks	1185,43,75		-	
iii) Other Institutions and Agencies	19946,30,50		15421,81,50	
iv) Other Borrowings				
a) Perpetual Debt Instruments (PDI) - Tier-I Bond	1880,00,00		1880,00,00	
b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	-		-	
c) Subordinated Debt Bonds - Tier II Bond	4127,70,00		4127,70,00	
d) Infra Bonds	2423,00,00	29562,44,25	2423,00,00	23852,51,50
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA		5671,13,30		-
Total (I & II)		35233,57,55		23852,51,50
III. SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE		-		-



5

Schedule 5 - Other Liabilities And Provisions

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Bills Payable		952,69,18		663,37,11
II. Inter-office adjustments (net)		-		-
III. Interest Accrued		314,69,40		343,05,25
IV. Others (including provisions):				
i) Provision against standard assets	2152,74,25		2835,08,65	
ii) Other liabilities (including provisions)	5036,84,10	7189,58,35	5816,26,13	8651,34,78
Total		8456,96,93		9657,77,14

6

Schedule 6 - Cash And Balances With Reserve Bank of India

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		1080,42,35		1025,29,08
II. Balances with Reserve Bank of India				
i) In Current Accounts	9345,88,62		12492,70,29	
ii) In other Accounts	16219,00,00	25564,88,62	24475,00,00	36967,70,29
Total (I & II)		26645,30,97		37992,99,37

7

Schedule 7 - Balances With Banks And Money At Call & Short Notice

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. In India				
i) Balances with Banks in				
(a) Current Accounts	4,88,55		2,55,83	
(b) Other Deposit Accounts	15,68,56	20,57,11	15,68,56	18,24,39
ii) Money at call and short notice				
(a) With Banks	-		-	
(b) With Other Institutions	-	-	4177,05,63	4177,05,63
Total (I)		20,57,11		4195,30,02
II. Outside India				
Balances with Banks in				
(i) Current Accounts	83,89,75		6,57,40	
(ii) Other Deposit Accounts	995,76,75		-	
(iii) Money at Call & Short Notice	-	1079,66,50	-	6,57,40
Total (II)		1079,66,50		6,57,40
Grand Total (I & II)		1100,23,61		4201,87,42



8

Schedule 8 - Investments

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
A. I. Investments in India in				
a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)		94728,18,56		74851,28,30
b) Other approved securities				
c) Shares		587,11,35		607,21,25
d) Debentures and Bonds		5590,39,94		5588,56,64
e) Subsidiaries and/or Joint Ventures		481,30,48		311,43,11
f) Others				
i) Units of UTI / Mutual funds / VCF's etc.	44,14,45		37,51,97	
ii) Certificate of Deposits			608,77,81	
iii) Commercial Papers	49,01,94		-	
iv) PTCs	-			
v) Others	-	93,16,39		646,29,78
Total		101480,16,72		82004,79,08
II. Investments outside India		-		-
Total		-		-
Grand Total (I & II)		101480,16,72		82004,79,08
B. a) Gross Investments in India	102757,31,88		81898,56,92	
Add/Less: Appreciation/(Depreciation) on Investment	(5,504,797)		443,19,83	
Less: Provisions on Investment	726,67,19	101480,16,72	336,97,67	82004,79,08
Net Investment		101480,16,72		82004,79,08
b) Gross Investments outside India	-	-	-	-
Total (a and b)		101480,16,72		82004,79,08

9

Schedule 9 - Advances

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
A. i) Bills purchased and discounted	4473,42,49		4110,47,48	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	53286,76,00		53744,50,78	
iii) Term Loans	230344,11,72	288104,30,21	178228,81,27	236083,79,53
Total (i + ii + iii)		288104,30,21		236083,79,53
B. i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	238359,21,56		197165,37,24	
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	547,51,02		642,46,23	
iii) Unsecured	49197,57,63	288104,30,21	38275,96,06	236083,79,53
Total (i + ii + iii)		288104,30,21		236083,79,53



(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
C. I. Advances in India				
i) Priority Sector	109349,46,00		90492,59,70	
ii) Public Sector	30401,31,10		21940,34,77	
iii) Banks	1938,22,05		499,98,05	
iv) Others	144616,25,45	286305,24,60	123150,87,01	236083,79,53
II. Advances outside India				
i) Due from banks	-		-	
ii) Due from others	1799,05,61		-	
(a) Bills purchased and discounted	-		-	
(b) Syndicated loans	805,40,33		-	
(c) Others	993,65,28		-	
		1799,05,61	-	-
Total (C.I & C.II)		288104,30,21		236083,79,53

10

Schedule 10 - Fixed Assets

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Premises *				
1. At cost as on 31st March of the preceding Year	2488,71,60		1951,22,45	
* (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier Years)				
2. Addition during the Year	45,77		57,11,80	
3. Addition on account of revaluation during the Year	-		1894,25,09	
	2489,17,37		3902,59,34	
4. Deduction during the Year #	30,21,96		1413,87,74	
	2458,95,41		2488,71,60	
5. Depreciation to date	445,93,06	2013,02,35	397,08,58	2091,63,02
II. Capital Work-in-progress		8,01,21		4,36,05
III. Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
1. At cost as on 31st March of the preceding Year	2041,43,76		1835,89,73	
2. Addition during the Year	417,48,89		467,58,89	
	2458,92,65		2303,48,62	
3. Deduction during the Year	28,65,92		262,04,86	
	2430,26,73		2041,43,76	
4. Depreciation to date	1489,53,56	940,73,17	1221,84,14	819,59,62
Total (I, II & III)		2961,76,73		2915,58,69

On account of revaluation during FY 2024-25



11

Schedule 11 - Other Assets

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Inter-office adjustments (net)		532,58,87		68,56,74
II. Interest accrued		2104,49,76		1618,48,54
III. Tax paid in advance/tax deducted at source		1771,42,19		1757,86,63
IV. Stationery and Stamps		2,56,70		2,83,04
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims		-		-
VI. Others *		2659,87,70		2495,36,42
Total (I, II, III, IV, V & VI)		7070,95,22		5943,11,37

* Note : Others assets include Net Deferred Tax asset of ₹ 893,23,91 in thousands (Previous Year Net DTA ₹ 636,79,67 in thousands)

* Note : Includes RIDF amounting to ₹ 479,30,52 thousands (Previous year ₹ 924,20,74 thousands)

12

Schedule 12 - Contingent Liabilities

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts		1343,24,82		1356,67,05
II. Liability for partly paid investments		-		-
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts *		24365,83,14		25776,35,28
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
(a) In India	13429,40,49		10865,74,83	
(b) Outside India	305,56,72	13734,97,21	379,32,81	11245,07,64
V. Acceptances, endorsements and other obligations		2935,65,34		1486,82,30
VI. Other items for which Bank is contingently liable		1182,48,73		1076,21,96
Total (I, II, III, IV, V & VI)		43562,19,24		40941,14,23

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts



13

Schedule 13 - Interest Earned

(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026 (Current year)		Year ended on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Interest / Discount on Advances / Bills		22490,31,12		19291,50,58
II. Income on Investments	6539,04,07		5372,90,17	
Less - Amortisation of Investments	19,19,74	6519,84,33	12,47,34	5360,42,83
III. Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		218,55,53		202,63,54
IV. Others		52,93,26		92,88,22
Total (I, II, III & IV)		29281,64,24		24947,45,17

14

Schedule 14 - Other Income

(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026 (Current year)		Year ended on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Commission, exchange, and brokerage		1861,92,83		1740,56,74
II. Profit on sale of investments	471,06,93		234,74,35	
Less : Loss on sale of Investments	113,69,12	357,37,81	14,72,23	220,02,12
III. Profit on revaluation of Investments	-		-	
Less : Loss on revaluation of Investments	280,58,67	(280,58,67)	-	-
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets	15,62,66		2,34,13	
Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	13,87,28	1,75,38	1,96,62	37,51
V. Profit on Exchange Transactions	125,67,64		63,29,42	
Less : Loss on Exchange Transactions	-	125,67,64	-	63,29,42
VI. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/companies and/or Joint Ventures abroad/in India		2,53,68		1,71,64
VII. Miscellaneous Income *		1472,20,23		1428,19,88
Total (I, II, III, IV, V, VI & VII)		3540,88,90		3454,17,31

* Includes Recoveries made in write-off accounts ₹ 1423,10,48 In thousands (Previous year- ₹ 1374,88,06 In thousands)



15

Schedule 15 - Interest Expended

(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026 (Current year)	Year ended on March 31, 2025 (Previous year)
I. Interest on deposits	13472,35,77	12295,05,79
II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	80,95,23	22,52,43
III. Others	2064,26,67	964,29,87
Total (I, II & III)	15617,57,67	13281,88,09

16

Schedule 16 - Operating Expenses

(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026 (Current year)	Year ended on March 31, 2025 (Previous year)
I. Payments to and provisions for employees	3375,77,23	3442,23,31
II. Rent, taxes and lighting	385,83,60	326,63,73
III. Printing and stationery	33,04,55	36,84,22
IV. Advertisement and publicity	63,16,73	48,39,45
V. Depreciation on Bank's property	343,56,48	290,57,12
VI. Directors' fees, allowances and expenses	39,64	1,23,26
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	22,71,04	19,64,09
VIII. Law Charges	82,51,44	81,35,30
IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	55,41,04	50,27,84
X. Repairs and maintenance	422,90,26	315,94,78
XI. Insurance	413,31,14	364,18,62
XII. Other expenditure	1180,49,98	823,39,77
Total (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	6379,13,13	5800,71,49



Schedule 17 – Significant Accounting Policies

(Annexed To And Forming Part of the Standalone Accounts For The Year Ended 31st March 2026)

1

Background

1.1 Bank of Maharashtra (the Bank) is governed by the Banking Regulation Act, 1949 and The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

1.2 Basis of Preparation of Financial Statements:

The financial statements are prepared under the historical cost conventions with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency, and accrual, except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The financial statements have been prepared in accordance with requirements under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949

1.3 Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the year under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.

1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

Association of India (FEDAI). Foreign currency assets and liabilities are restated at the rate published by FEDAI at the end of each quarter and resultant foreign exchange difference is recognized in Profit & Loss Account.

2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on a quarterly basis. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 - "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard at the end of the respective quarter.

The resultant exchange gain / loss is accumulated in a separate account i.e. to Foreign Currency Translation Reserve till the disposal of assets / liabilities.

2.3 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FBIL for specified maturities by discounting the same at the Modified MIFOR rate published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. [FBIL] i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

2.4 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

2.5 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

2

Foreign Exchange Transactions:

2.1 Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies :

The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers'



3

Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

3.1 Investments are classified in the following categories:

- Held to Maturity (HTM)
- Available for sale (AFS)
- Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT)

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures is held in a distinct category separate from above category.

3.2 All the investments are classified as investments in India and are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

- Government Securities
- Other approved Securities
- Shares
- Debentures and Bonds
- Subsidiaries and Joint Ventures (Including associates)
- Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

3.3 Initial Recognition:

- Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, then the acquisition cost is taken as the fair value. Any discount or premium on securities under HTM, AFS, and FVTPL is amortized over the remaining life of the instrument. Any sale from HTM (within limit of 5%) is as per Board approved policy.
- Fair value measurements are categorized into following 3 fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable.
 - "Level 1" - wherein inputs used for valuation of a financial instrument are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the bank can access at the measurement date;
 - "Level 2" – wherein inputs used for valuation of a financial instrument are inputs other than quoted prices that are observable for the

asset or liability, either directly or indirectly (such as yield curve, credit spread etc.);

- "Level 3" – wherein valuation is based on unobservable inputs.

iii. Recognition of Day 1 Gain/Loss:

- Day 1 gain / loss arising in initial recognition of Level 1 and Level 2 hierarchy, is recognized in the Profit and Loss Account, under item III- 'Profit/Loss on revaluation of investments(net)' under Schedule 14: 'Other Income.
 - Any Day 1 loss arising from Level 3 investments is recognized immediately.
 - Any Day 1 gains arising from Level 3 investments is deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain is set aside as a liability until the security is listed or derecognized.
- Bank follows 'Settlement Date' accounting for recording purchase and sale of transactions in Government Securities.
 - Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.
 - Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.
 - Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

3.4 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Classification and Subsequent measurement of Investments:

a. Held to Maturity (HTM):

- Securities under the category 'Held to Maturity' is acquired with the intention and objective of holding it to maturity i.e. the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows. The



contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payment of principal and interest on principal outstanding ("SPPI criterion") on specified date.

- ii. Securities held in HTM is carried at cost and not be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount or premium on the securities under HTM is amortized over the remaining life of the instrument.
- iii. Any profit or loss on the sale of investments in HTM is recognized in the profit and loss account under item II of Schedule 14 Other Income. The profit on sale of an investment in HTM is appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve Account. The amount so appropriated is net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.

b. Available for Sale (AFS):

- i. Securities under the category 'Available for Sale' is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities before maturity.
- ii. The securities held in AFS is fair valued at least on quarterly basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortized over the remaining life of the instrument. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e. Government Securities, other approved securities, bonds and debentures, etc) held under AFS is aggregated.
- iii. The net appreciation or depreciation is directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve.
- iv. Upon sale or maturity of any instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account. In case of equity instrument, any gain or loss on sale of such investment is transferred from AFS Reserve to the Capital Reserve.

c. Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL):

- i. Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS is classified under FVTPL with a subcategory named Held for Trading (HFT). Any instrument that is held for one or more of the following purposes is designated as a Held for Trading (HFT) instrument:
 - a. short-term resale;
 - b. profiting from short-term price movements;
 - c. locking in arbitrage profits; or
 - d. hedging risks that arise from instruments meeting (a), (b) or (c) above.

- ii. The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with the RBI guidelines. The short position is categorized under HFT and netted off from investments in government securities. The short position along with other government securities under HFT portfolio is marked to market and the resultant MTM profit or loss, is taken to the Profit and Loss Account. Profit / Loss on short sale is recognized on settlement date.
- iii. The securities held in FVTPL is fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account.
- iv. The securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL is fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL is fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- v. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortized over the remaining life of the instrument.

d. Investments in Subsidiaries, Joint Ventures & Associates (SAJV):

- i. All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost.
- ii. Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures shall be amortized over the remaining life of the instrument. The amortized amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned'.

e. Fair valuation:

- i. For the purpose of initial recognition and subsequent measurement, investments are fair valued based on RBI guidelines. Securities are valued scrip-wise.
- ii. Quoted investments are valued based on the closing quotes on the recognised stock exchanges or prices declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) / Financial Benchmark India Private Limited (FBIL), periodically.
- iii. The market / fair value of unquoted government securities which are in nature of Statutory Liquidity Ratio (SLR) securities included in the AFS and FVTPL categories is as per the rates published by FBIL and for unquoted corporate bonds, security level valuation (SLV) published by FIMMDA. The valuation of other unquoted fixed income securities, including Pass Through Certificates, wherever linked to the Yield-to-Maturity (YTM) rates, is computed with a



mark-up (reflecting associated credit risk) over the YTM rates for government securities published by FIMMDA.

- iv. Treasury bills, commercial papers and certificate of deposits, being discounted instruments, are valued at carrying cost.
- v. Unquoted equity shares are valued at the break-up value, if the latest balance sheet is available, or at Re. 1/-, as per RBI guidelines.

Investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) are categorised under FVTPL and are valued at the net asset value (NAV) declared by the VCF. If the latest NAV is not available continuously for more than 18 months, the units of VCF are valued at Re. 1/-, as per RBI guidelines.

3.6 Non Performing Investments:

Non-performing investments are identified and depreciation / provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation / provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

3.7 Derivatives:

Interest Rate Swaps:

- i. Valuation:
 - a. **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
 - b. **Trading Swaps:** Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.
- ii. Accounting of income on derivative deals:
 - a. **Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
 - b. **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.
- iii. Accounting of gain or loss on termination of swaps:
 - a. **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/liability.
 - b. **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

3.8 Investment Fluctuation Reserve:

As per RBI master direction, Investment Fluctuation Reserve (IFR) to be created until the amount of IFR is at least 2% of AFS and FVTPL (Including HFT) portfolio, on continuous basis, by transferring to the IFR of an amount not less than the lower of the following:

- a. Net profit on sale of Investments during the year or
- b. Net profit for the year less mandatory appropriations.

Bank has been permitted to draw down the balance from IFR in excess of 2% of its AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, for credit to the balance of profit/loss as disclosed in the profit and loss account at the end of any accounting year subject to the conditions stipulated in RBI guidelines.

4

Advances:

- 4.1 Advances are disclosed net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and bills rediscounted.
- 4.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on Non Performing Assets (NPAs) are made higher than the rate prescribed by RBI -

Sub-Standard - 20%

Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion

The Bank also makes additional provision on specific non performing assets
- 4.3 Provision for performing assets, is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 4.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However, if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRs/PTC)



is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

5

Fixed Assets and Depreciation:

- 5.1** Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability

- 5.2** Depreciation method is on Straight Line Method (SLM) for all Assets, based on useful life of the asset. Depreciation is provided for at the rates specified below, so as to write down value of assets to Rupee One over the useful life of the assets.

S.N.	Category of Asset	Useful List of Assets (In Years)	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	60	1.667
2	General Items including Safe	10	10
3	Electrical – Television, Mobile Phones, Home Theater, Printer, Camera	3	33.33
4	Electrical Equipment's – Others	7	14.29
5	Office Machinery	5	20
6	Motor Vehicles	8	12.5
7	Safe Deposit Vaults	10	10
8	Computers & Laptops	3	33.33
9	ATM	7	14.29
10	UPS	5	20
11	BNA	7	14.29
12	Cash Re-cycler	7	14.29

- 5.3** In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

Similarly, in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year.

- 5.4** Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets net of salvage value (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on straight line method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

- 5.5** In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis in accordance with AS 19.

6

Revenue Recognition

- 6.1** All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:

- Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms and guidelines issued by RBI, from time to time.
- Income from commission like on Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued, Annual maintenance charges for cards and Locker Rent.
- Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- Insurance claims.
- Remuneration on Debenture Trustee Business.
- Loan originations / renewal fees.
- Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.



- 6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021.

7

Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-04-2010, which is a defined contribution Pension Scheme, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a contribution from the Bank equivalent to 14% of the basic pay plus dearness allowance. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity, Pension & Privilege Leave schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are also provided based on Actuarial valuation.

8

Segment Reporting:

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

9

Impairment of Assets:

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

10

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

11

Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

12

Tax on Income:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is



recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the applicable tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonably certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year in which; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is accepted by the bank and the same is not contested before appellate authority **OR** when such demand is upheld by jurisdictional tribunal and there is no favorable judgement of other tribunal on identical issue and bank does not prefer to go before High Court **OR** when such demand is upheld by High Court.

13

Earnings per Share:

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax with the weighted average number of equity shares outstanding for the year. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflects the potential dilution that could occur in earnings per share if securities or other contracts to issue equity share are exercised or converted during the year.

14

Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include Cash and Balances with RBI, Balances with Banks and money at call and short notice.



Schedule 18: Notes To Accounts

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

(Annexed To And Forming Part of the Standalone Accounts For The Year Ended 31st March 2026)

1

Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) including CCB	30605.67	26515.34
ii)	Additional Tier 1 capital	1720.00	1720.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	32325.67	28235.34
iv)	Tier 2 capital	6199.63	6153.31
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	38525.30	34388.65
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	209744.62	167528.19
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	14.59%	15.83%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	15.41%	16.86%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.95%	3.67%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	18.36%	20.53%
xi)	Leverage Ratio	7.09%	7.35%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India (%)	#73.60%	79.60%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	—	3500.00
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: - Amount of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) - Basel III compliant Perpetual Debt Instruments (AT 1 Bond)	—	—
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which: Basel III compliant Tier II Bond	—	1000.00

On 1st December 2025, the Government of India, as promoter, initiated and successfully completed an Offer for Sale (OFS) of 46,15,68,297 equity shares, representing 6% of the Bank's paid-up capital, in line with SEBI guidelines. The OFS involved only the sale of existing shares with no proceeds to the Bank.

The Offer for Sale (OFS) was successfully completed, resulting in compliance with SEBI's minimum public shareholding requirement of 25%.

- During the year ended on March 31, 2025, Bank has raised Equity Share Capital (including Share Premium) of ₹ 3500 crores through Qualified Institutional Placements on October 05, 2024. The Bank has issued and allotted 61,01,81,311 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 47.36 per share.
- The Bank has raised following bonds during the FY 2024-25 as under:

Series	Type	ISIN No	Date of Issue	Tenure	Amount (₹ in Crore)	Coupon Rate (In %)	Call date
VII	Basel III Tier II	INE457A08167	04.07.2024	10 Years	1000.00	7.89	04.07.2029



- During the FY 2024-25, The Bank has exercised call option and made payment of following Bond:

Series	Type	ISIN No	Date of Issue	Tenure	Amount (₹ in Crore)	Coupon Rate (In %)	Call date
I	Basel III Tier II	INE457A08050	06.03.2020	10 Years	600.00	8.70	06.03.2025

- During the FY 2024-25, The Bank has also raised following Long Term Infrastructure Bonds as under:

Series	Type	ISIN No	Date of Issue	Tenure	Amount (₹ in Crore)	Coupon Rate (In %)	Call date
I	Infra Bonds	INE457A08175	05.08.2024	10 Years	811.00	7.80	N.A.
II	Infra Bonds	INE457A08183	18.02.2025	10 Years	1612.00	7.70	N.A.

b) Draw down from Reserves

In accordance with the Accounting Standard – 10 'Property, Plant & Equipment', depreciation of ₹ 45.22 Crore (₹ 29.46 Crore) for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of ₹ 45.22 Crore (₹ 29.46 Crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

As of March 31, 2024, the provision for depreciation on investment stands at ₹ 15.04 Crore, which has been transferred to the Revenue Reserve during FY. 2024-25. The balance of ₹ 62.39 Crore in Investment Reserve Account (IRA) as of March 31, 2024, transferred to the Revenue Reserve during FY. 2024-25.

2

Asset liability management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2026

(Amount in ₹ crore)

Particulars	1 day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31days to 2 months	Over 2 months up to 3 months	Over 3 months up to 6 months	Over 6 months up to 1 year	Over 1 year up to 3 years	Over 3 years up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	4256.10	6509.92	5735.72	10667.64	15835.51	13682.31	28571.36	89569.92	101965.88	41279.67	32490.34	350564.37
Gross Advances	1168.01	2035.18	2368.40	4811.50	6262.20	8561.42	18044.17	46720.43	108767.26	33201.07	60026.90	291966.53
Gross Investments	0.00	112.53	357.39	231.02	360.85	209.32	862.42	2894.03	14069.49	29484.17	53625.63	102206.84
Borrowings	0.00	512.11	0.00	932.94	474.18	948.35	675.66	12575.03	14032.70	2659.61	2423.00	35233.58
Foreign Currency Assets	380.19	3353.96	69.06	1688.98	1955.73	398.37	3603.27	2111.62	0.00	0.00	0.00	13561.17
Foreign Currency Liabilities	1271.59	3520.54	21.37	1799.99	1685.90	46.06	3086.86	2211.43	42.72	11.36	0.00	13697.82

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2025

(Amount in ₹ crore)

Particulars	1 day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31days to 2 months	Over 2 months up to 3 months	Over 3 months up to 6 months	Over 6 months up to 1 year	Over 1 year up to 3 years	Over 3 years up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	1195.05	4590.08	3562.81	6419.46	9226.00	10070.60	20031.90	77390.43	73851.90	37280.10	63524.28	307142.61
Gross Advances	636.13	1685.76	1830.31	4810.13	5493.23	8251.32	16139.64	32462.56	56433.12	39971.29	72123.05	239836.54
Gross Investments	30.00	1862.16	29.97	1122.40	2026.11	2473.29	2169.79	8794.56	15411.91	14660.90	33760.69	82341.77
Borrowings	6.33	0.00	35.93	0.00	42.25	42.25	682.99	7383.49	11462.26	1774.00	2423.00	23852.52
Foreign Currency Assets	345.02	1282.41	28.97	784.71	1333.06	277.82	3172.33	6410.93	0.00	0.00	0.00	13635.25
Foreign Currency Liabilities	933.05	1026.74	19.66	983.48	1280.18	29.75	2982.17	6502.16	54.71	3.49	0.00	13815.39

This classification of Savings Bank and Current Deposits is based on behavioral pattern approved by the Board / ALCO.



b) Liquidity coverage ratio (LCR)

Quantitative Disclosure:

(Amount in ₹ crore)

		FY 2025-26 Qtr. June 2025		FY 2025-26 Qtr. Sep 2025		FY 2025-26 Qtr. Dec 2025		FY 2025-26 Qtr. March 2026	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High quality Liquid assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		79648.14		81100.53		81888.77		83543.17
Cash outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	167208.45	15861.87	170545.59	16188.53	173345.58	16458.70	177831.41	16885.24
(i)	Stable deposits	17179.56	858.98	17320.60	866.03	17517.21	875.86	17957.93	897.90
(ii)	Less stable deposits	150028.89	15002.89	153224.99	15322.50	155828.37	15582.84	159873.48	15987.35
3	Unsecured wholesale funding, of which:	115309.08	52156.54	116400.49	52946.63	117578.99	53131.39	122749.15	55407.36
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	115309.08	52156.54	116400.49	52946.63	117578.99	53131.39	122749.15	55407.36
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	0.00	0.00	1608.20	0.00	4513.58	0.00	6405.61	0.00
5	Additional requirements, of which:	58781.28	19710.73	52803.16	13579.84	58476.10	17258.48	54455.81	14922.17
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	15689.39	15689.39	9290.12	9290.12	13494.67	13494.67	11944.70	11944.70
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity products	43091.89	4021.34	43513.04	4289.72	44981.43	3763.80	42511.12	2977.48
6	Other contractual funding obligations	2349.95	2349.95	2083.87	2083.87	3154.91	3154.91	2768.61	2768.61
7	Other contingent funding obligations	15939.28	535.65	16476.49	547.37	17498.61	576.38	18652.80	611.56
8	Total Cash Outflows		90614.73		85346.24		90579.86		90594.95
Cash inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	2657.73	0.00	296.34	0.00	334.99	0.00	25.09	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	14842.37	11038.84	10869.72	7079.27	9820.30	6352.65	9047.56	5635.69
11	Other cash inflows	16246.6	15996.12	9874.94	9609.62	14299.40	13851.18	12582.74	12280.15
12	Total Cash Inflows		27034.96		16688.89		20203.83		17915.84
13	Total HQLA		79648.14		81100.53		81888.77		83543.17
14	Total Net Cash Outflows		63579.78		68657.35		70376.03		72679.11
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		125.27%		118.12%		116.36%		114.95%



(Amount in ₹ crore)

		FY 2024-25 Qtr. June 2024		FY 2024-25 Qtr. Sep 2024		FY 2024-25 Qtr. Dec 2024		FY 2024-25 Qtr. March 2025	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High quality Liquid assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		69760.64		65231.23		66356.14		69804.18
Cash outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	166321.39	12668.69	164720.89	13221.28	157639.76	14780.44	160118.43	15041.09
(i)	Stable deposits	79268.95	3963.45	65016.28	3250.81	19670.71	983.54	19415.06	970.75
(ii)	Less stable deposits	87052.44	8705.24	99704.61	9970.46	137969.05	13796.90	140703.36	14070.34
3	Unsecured wholesale funding, of which:	90830.17	42403.05	91996.46	42904.39	98084.22	44849.65	100427.38	46241.29
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	90830.17	42403.05	91996.46	42904.39	98084.22	44849.65	100427.38	46241.29
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	351.53	0.00	1169.29	0.00	2508.22	0.00	1442.65	0.00
5	Additional requirements, of which:	71.13	71.13	364.98	364.98	38882.06	6301.11	43474.17	8196.75
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	71.13	71.13	364.98	364.98	11.40	11.40	1437.65	1437.65
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity products	0.00	0.00	0.00	0.00	38870.65	6289.70	42036.52	6759.10
6	Other contractual funding obligations	498.37	498.37	734.45	734.45	1723.59	1723.59	2081.89	2081.89
7	Other contingent funding obligations	48579.83	5807.62	50700.14	6030.16	16494.34	586.41	14864.60	488.97
8	Total Cash Outflows		61448.87		63255.25		68241.20		72049.98
Cash inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	5224.24	0.00	290.21	58.20	592.01	0.00	1575.81	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	5901.70	3514.57	6922.02	4130.42	9362.17	6186.01	10552.55	6986.83
11	Other cash inflows	611.82	402.01	495.88	275.33	1325.90	1101.68	3941.55	3706.84
12	Total Cash Inflows		3916.58		4463.95		7287.69		10693.67
13	Total HQLA		69760.74		65231.23		66356.14		69804.18
14	Total Net Cash Outflows		57532.29		58791.31		60953.51		61356.31
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		121.25%		110.95%		108.86%		113.77%



Data is presented as simple averages of daily observations over the previous quarter (i.e. the average is calculated over a period of 90 days). The simple average is calculated on daily observations over the previous quarters. The un-weighted value of inflows and outflows are calculated as the outstanding balances of various categories or types of liabilities, off balance sheet items or contractual receivables. The weighted value of HQLA are calculated as the value after haircuts are applied. The weighted value for inflows and outflows are calculated as the value after the inflow and outflow rates are applied. Total HQLA and total net cash outflows are disclosed as the adjusted value, where the adjusted value of HQLA is the value of total HQLA after the application of both haircuts and any applicable caps on Level 2B and Level 2 assets as indicated in this Framework. The adjusted value of net cash outflows is calculated after the cap on inflows is applied, if applicable.

Qualitative Disclosure:

From 01st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the RBI.

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30-calendar day liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing the amount of High-Quality Liquid Unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net cash outflows over a stressed 30 calendar day period.

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days. LCR is the ratio of HQLA to Net Cash Outflow:

$$\text{LCR} = \frac{\text{Stock of High-Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Total Net Cash outflows over next 30days}} \times 100$$

Average LCR on a **Daily Basis for the Quarter ended 31st March 2026** is **114.95%**, and **Yearly average LCR is 118.49%** above RBI prescribed minimum requirement of 100%.

i) Main drivers of LCR:

The Bank on a consolidated basis, during the three months ended 31st March 2026, had maintained average HQLA (after Factor Multiplier-percentage) of Rs. 81545.15 Cr. HQLA is largely driven by government securities held in excess of the minimum SLR, government securities within the mandatory SLR requirement to the extent permitted by the RBI under the MSF and LCR liquidity facilities. In addition, cash balances and excess CRR maintained with the RBI are key contributors to Level 1 HQLA.

Level 2 HQLAs primarily consisted of BBB- and above rated corporate bonds and commercial papers not issued by financial entities.

ii) Changes over time:

LCR has increased from 113.63% for year end March 2025 to 118.49% for year end March 2026 mainly due to more increase in HQLA as compared to increase in net cash-outflow. HQLAs have increased primarily due to higher holdings of government securities in excess of the minimum SLR requirement, as well as higher statutory reserve ratios (SLR/CRR) resulting from an increase in NDTL.

iii) Composition of HQLAs:

- HQLAs consists of following components:

(Amount in ₹ crore)

	Unweighted value	Weighted value
Level 1 assets	80975.13	80975.13
Level 2 A assets	669.72	569.26
Level 2 B assets	1.52	0.76

- Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute 0.70% of total stock of HQLA against maximum mandated level of 40%.

iv) Concentration of funding sources:

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

As on 31.03.2026, there are 2 significant counterparty deposit with sum of Rs. 19827.83 crores i.e. 4.57% of total liabilities.

There is only 1 significant borrowing as on 31.03.2026 with an amount of Rs. 13,001.67 crores i.e. 2.99% of total liabilities.

Top 20 depositors of the Bank constitute 15.23% of our total deposits and Top 10 borrowings of the bank constitute 67.71% of total borrowings.

Top 10 borrowings of the bank constitute 67.71% of total borrowings.

A significant instrument/product is defined as a single instrument/ product of group of similar instruments/ products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products- wholesale deposits, certificate of deposits, long term bonds etc. Significant instrument/product as of 31st March 2026 were bulk deposits i.e. 11.61% of total liabilities, Retail term deposits i.e. 26.51% of total liabilities, Demand deposits i.e. 42.46% of total liabilities.



v) **Derivative exposures and potential collateral calls:**

Derivative exposure is shown as Net Derivative cash inflows within 30 days. Inflows from derivative exposure arose due to maturing forwards.

vi) **Currency mismatch in the LCR;**

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency, in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement. Further bank does not have exposure to any other significant currencies*, hence LCR is prepared for INR currency.

(*A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in the currency amount to 5% or more of the bank's total liabilities).

vii) **A description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:**

The liquidity management for the bank on enterprise-wide basis is the responsibility of the Board of

Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Asset Liability & Market Risk Management policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the group operate in terms of liquidity and interest rate risk.

LCR is computed and monitored on daily basis by the Bank and the same is shared with Treasury/Midoffice for liquidity management and discussed in Investment committee.

Further LCR for the latest month along with comparison of previous months is placed before ALCO on monthly basis. Moreover, LCR position along with other liquidity parameters is placed before RMC/Board on quarterly basis.

viii) **The inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile are as under:**

Details of average Outflows arising from contingent liabilities for year-end 31.03.2026 are as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Unweighted value	Weighted value
Currently undrawn committed credit and liquidity facilities provided to	43524.37	3763.09
Retail and small business clients	29642.26	1482.11
Non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs – Credit facilities	11413.81	1141.38
Non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs – Liquidity facilities	0.00	0.00
Banks	627.51	251.00
Other financial institutions (including securities firms, insurance companies) – Credit facilities	1586.99	634.80
Other financial institutions (including securities firms, insurance companies) – Liquidity facilities	0.00	0.00
Other legal entity customers	253.79	253.79
Other contingent funding liabilities	17141.79	567.74
Guarantees, Letters of credit and Trade Finance	14467.47	434.02
Revocable credit and liquidity facilities	1319.23	65.96
Any other	1355.09	67.75



c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

Quantitative Disclosure:

(Amount in ₹ crore)

NSFR Disclosure Template as on 31.03.2026						
SN	Particulars	Unweighted Value by residual maturity				Weighted Value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 year	>= 1 year	
	ASF Item					
1	Capital (2+3)	30623.24	0.00	0.00	8520.77	39144.01
2	Regulatory Capital	30623.24	0.00	0.00	7919.63	38542.87
3	Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	601.14	601.14
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	94055.10	38268.76	42135.57	17003.17	174890.48
5	Stable deposits	12369.77	2609.88	2496.89	1226.20	17828.91
6	Less stable deposits	81685.34	35658.87	39638.68	15776.97	157061.58
7	Wholesale funding: (8+9)	90372.82	26618.37	49653.97	16758.02	53339.94
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	90372.82	26618.37	49653.97	16758.02	53339.94
10	Other liabilities: (11+12)	1000.49	25919.99	0.00	3935.65	3935.65
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	1000.49	25919.99	0.00	3935.65	3935.65
13	Total ASF (1+4+7+10)					271310.08
	RSF Item					
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					4468.28
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	85.89				42.95
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	112.44	77653.11	60211.19	163692.14	188285.86
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	16219.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	5018.45	3397.27	1647.71	4099.12
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	55679.19	56090.39	123487.85	155837.87
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	6239.68	6561.63	25057.98	22688.34
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	736.48	707.56	26248.93	17783.82
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	736.48	707.56	26248.93	17783.82
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	112.44	0.00	15.97	12307.65	10565.05
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	13236.86	25714.02	1353.38	6950.76	21703.91
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		161.04	0.00	0.00	136.89
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	13236.86	25552.97	1353.38	6950.76	21567.02
30	Off-balance sheet items		46643.89	0.00	0.00	2174.19
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					216675.18
32	Net Stable Funding Ratio (%)					125.22%



(Amount in ₹ crore)

NSFR Disclosure Template as on 31.12.2025						
SN	Particulars	Unweighted Value by residual maturity				Weighted Value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 year	>= 1 year	
	ASF Item					
1	Capital (2+3)	26315.88	0.00	0.00	8511.77	34827.65
2	Regulatory Capital	26315.88	0.00	0.00	7971.63	34287.51
3	Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	540.14	540.14
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	88370.33	37094.35	42523.20	16717.00	168751.75
5	Stable deposits	11847.85	2562.88	2502.31	1237.33	17304.72
6	Less stable deposits	76522.47	34531.48	40020.89	15479.67	151447.03
7	Wholesale funding: (8+9)	71041.63	37760.57	35524.02	14065.32	48942.04
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	71041.63	37760.57	35524.02	14065.32	48942.04
10	Other liabilities: (11+12)	1006.69	32741.05	0.00	2246.88	2246.88
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	1006.69	32741.05	0.00	2246.88	2246.88
13	Total ASF (1+4+7+10)					254768.31
	RSF Item					
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					4408.69
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	80.87				40.44
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	137.51	63718.47	54232.95	158449.45	181462.58
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	6528.46	6338.18	1683.85	5832.21
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	56092.95	47193.69	118186.55	147065.28
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	5848.37	6143.85	25183.03	22365.08
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	747.07	687.40	25340.29	17188.42
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	747.07	687.40	25340.29	17188.42
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	137.51	0.00	13.67	13238.76	11376.67
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	9318.43	30343.34	1106.65	5015.42	15324.49
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		161.04	0.00	0.00	136.89
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	9318.43	30182.29	1106.65	5015.42	15187.60
30	Off-balance sheet items		48409.33	0.00	0.00	2280.62
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					203516.81
32	Net Stable Funding Ratio (%)					125.18%



(Amount in ₹ crore)

NSFR Disclosure Template as on 30.09.2025						
SN	Particulars	Unweighted Value by residual maturity				Weighted Value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 year	>= 1 year	
	ASF Item					
1	Capital (2+3)	26372.04	0.00	0.00	7669.06	34041.10
2	Regulatory Capital	26372.04	0.00	0.00	7669.06	34041.10
3	Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	87406.19	35793.18	42711.06	15983.34	166141.95
5	Stable deposits	11686.00	2564.43	2534.29	1152.37	17097.86
6	Less stable deposits	75720.18	33228.76	40176.76	14830.97	149044.10
7	Wholesale funding: (8+9)	68598.69	33127.24	27966.40	16142.96	45196.39
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	68598.69	33127.24	27966.40	16142.96	45196.39
10	Other liabilities: (11+12)	1512.92	31850.49	0.00	532.76	532.76
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	1512.92	31850.49	0.00	532.76	532.76
13	Total ASF (1+4+7+10)					245912.20
	RSF Item					
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					4036.07
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	622.35				311.18
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	151.05	21916.92	89054.74	150464.10	170361.99
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	7604.28	5230.30	1913.55	5669.34
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	11179.16	83230.28	111751.52	137520.13
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	5909.93	5269.22	23366.89	20778.06
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	633.49	565.36	24244.39	16358.28
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	633.49	565.36	24244.39	16358.28
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	151.05	0.00	28.79	12554.64	10814.24
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	7297.80	31911.27	0.00	5055.61	12529.61
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		161.04	0.00	0.00	136.89
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	7297.80	31750.23	0.00	5055.61	12392.72
30	Off-balance sheet items		47736.26	0.00	0.00	2247.30
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					191181.71
32	Net Stable Funding Ratio (%)					128.63%



(Amount in ₹ crore)

NSFR Disclosure Template as on 30.06.2025						
SN	Particulars	Unweighted Value by residual maturity				Weighted Value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 year	>= 1 year	
	ASF Item					
1	Capital (2+3)	26702.46	0.00	0.00	7985.37	34687.83
2	Regulatory Capital	26702.46	0.00	0.00	7585.37	34287.83
3	Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	85404.78	32948.23	39984.68	18653.69	161973.96
5	Stable deposits	11578.02	2362.72	2386.35	1345.91	16856.65
6	Less stable deposits	73826.76	30585.51	37598.33	17307.78	145117.31
7	Wholesale funding: (8+9)	67358.75	31062.36	33058.66	15868.22	46919.33
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	67358.75	31062.36	33058.66	15868.22	46919.33
10	Other liabilities: (11+12)	1019.15	36095.49	0.00	0.00	0.00
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	1019.15	36095.49	0.00	0.00	0.00
13	Total ASF (1+4+7+10)					243581.12
	RSF Item					
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3929.21
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	3459.89				1729.95
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	167.24	22824.19	95044.11	137422.99	160975.42
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	8600.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	8300.88	5745.19	705.40	4823.13
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	5329.80	88704.70	101625.72	130315.48
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	3286.90	2042.90	15418.16	12686.71
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	593.52	552.99	23636.54	15937.01
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	593.52	552.99	23636.54	15937.01
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	167.25	0.00	41.22	11455.33	9899.80
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	6229.61	36251.57	0.00	4730.56	13379.81
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		161.04	0.00	0.00	136.89
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	6229.61	36090.53	0.00	4730.56	13242.92
30	Off-balance sheet items		48123.81	0.00	0.00	2281.22
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					182295.60
32	Net Stable Funding Ratio (%)					133.62%



(Amount in ₹ crore)

NSFR Disclosure Template as on 31.03.2025						
SN	Particulars	Unweighted Value by residual maturity				Weighted Value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 year	>= 1 year	
	ASF Item					
1	Capital (2+3)	26515.34	0.00	0.00	8273.31	34788.65
2	Regulatory Capital	26515.34	0.00	0.00	7873.31	34388.65
3	Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	87069.28	31208.43	37934.40	0.00	141401.37
5	Stable deposits	11601.81	2231.16	2376.42	0.00	15398.93
6	Less stable deposits	75467.46	28977.27	35557.98	0.00	126002.44
7	Wholesale funding: (8+9)	0.00	24030.69	35364.90	31615.96	61313.75
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	0.00	24030.69	35364.90	31615.96	61313.75
10	Other liabilities: (11+12)	77653.63	1879.03	25196.31	0.00	0.00
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	77653.63	1879.03	25196.31	0.00	0.00
13	Total ASF (1+4+7+10)					237503.77
	RSF Item					
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3464.17
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	24.82				12.41
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	179.59	77891.36	48450.35	121761.23	146117.44
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	28652.06	0.00	0.00	417.71
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	6380.05	5494.57	0.00	3704.29
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	42313.84	42410.69	88307.52	117423.66
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	2758.49	2253.50	15862.36	12816.53
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	545.41	541.08	22808.87	15369.01
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	545.41	541.08	22808.87	15369.01
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	179.59	0.00	4.01	10644.84	9202.77
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	1365.37	0.00	0.00	35468.00	28190.84
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	1365.37	0.00	0.00	35468.00	28190.85
30	Off-balance sheet items		46598.07	0.00	0.00	2228.61
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					180013.47
32	Net Stable Funding Ratio (%)					131.94%



(Amount in ₹ crore)

NSFR Disclosure Template as on 31.12.2024						
SN	Particulars	Unweighted Value by residual maturity				Weighted Value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 year	>= 1 year	
ASF	Item					
1	Capital (2+3)	21927.61	0.00	0.00	8641.30	30568.91
2	Regulatory Capital	21927.61	0.00	0.00	8241.30	30168.91
3	Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	90346.07	34073.61	29345.05	19792.64	141799.81
5	Stable deposits	45036.25	12353.25	10841.61	8097.15	64819.55
6	Less stable deposits	45309.82	21720.36	18503.44	11695.49	76980.26
7	Wholesale funding: (8+9)	47149.76	37261.22	25560.35	5970.16	53283.21
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	47149.76	37261.22	25560.35	5970.16	53283.21
10	Other liabilities: (11+12)	639.55	9576.79	0.00	0.00	0.00
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	639.55	9576.78	0.00	0.00	0.00
13	Total ASF (1+4+7+10)					225651.93
	RSF Item					
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3422.89
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	4.67				2.34
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	60.65	14998.09	12570.68	135886.90	117010.34
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	2600	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	2179.66	3798.08	0.00	2225.99
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	10216.63	8346.30	99888.82	88792.97
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	2758.49	2253.50	26969.98	20036.48
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	1.80	8.08	24362.95	15840.86
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	1.80	8.08	24362.95	15840.86
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	60.65	0.00	418.22	11635.13	10150.52
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	4872.82	0.00	0.00	35468.00	38350.82
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	4872.82	0.00	0.00	35468.00	38350.82
30	Off-balance sheet items		97073.53	3779.27	0.00	4207.23
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					162993.61
32	Net Stable Funding Ratio (%)					138.44%



(Amount in ₹ crore)

NSFR Disclosure Template as on 30.09.2024						
SN	Particulars	Unweighted Value by residual maturity				Weighted Value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 year	>= 1 year	
	ASF Item					
1	Capital (2+3)	18506.34	0.00	0.00	8580.37	27086.71
2	Regulatory Capital	18506.34	0.00	0.00	8180.37	26686.71
3	Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	90632.46	33178.92	27267.50	19887.29	139356.01
5	Stable deposits	45426.78	12129.07	10144.38	8193.53	64315.22
6	Less stable deposits	45205.68	21049.85	17123.12	11693.76	75040.79
7	Wholesale funding: (8+9)	44970.95	40030.44	18827.31	4753.14	50233.57
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	44970.95	40030.44	18827.31	4735.14	50233.57
10	Other liabilities: (11+12)	642.87	9854.62	0.00	0.00	0.00
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	642.87	9854.62	0.00	0.00	0.00
13	Total ASF (1+4+7+10)					216676.29
	RSF Item					
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3291.25
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00				0.00
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	65.83	13030.73	12657.14	128869.57	111387.27
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	3000.0	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	2074.19	2345.72	0.00	1483.99
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	7954.52	9812.15	94726.65	85210.74
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	1759.35	2170.21	20951.26	15583.10
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	2.02	3.94	23177.68	15068.47
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	2.02	3.94	23177.68	15068.47
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	65.83	0.00	495.33	10965.24	9624.07
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	5328.24	0.00	0.00	34697.00	38061.23
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	5328.24	0.00	0.00	34697.0	38061.23
30	Off-balance sheet items		97027.99	3779.27	0.00	4224.87
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					156964.62
32	Net Stable Funding Ratio (%)					138.04%



(Amount in ₹ crore)

NSFR Disclosure Template as on 30.06.2024						
SN	Particulars	Unweighted Value by residual maturity				Weighted Value
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1 year	>= 1 year	
	ASF Item					
1	Capital (2+3)	18219.96	0.00	0.00	7520.36	25740.32
2	Regulatory Capital	18219.96	0.00	0.00	7220.36	25440.32
3	Other capital Instrument	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	89318.23	34296.71	28020.49	15573.45	139855.49
5	Stable deposits	44609.49	12628.91	10433.53	6697.07	64288.33
6	Less stable deposits	44708.74	21667.80	17586.96	8876.38	75567.15
7	Wholesale funding: (8+9)	43466.39	34516.48	20945.36	3585.62	43255.28
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	43466.39	34516.48	20945.36	3585.62	43255.28
10	Other liabilities: (11+12)	789.79	11572.67	0.00	0.00	0.00
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	789.79	11572.67	0.00	0.00	0.00
13	Total ASF (1+4+7+10)					208851.09
	RSF Item					
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3614.20
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	16.89				8.44
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	48.37	11028.73	8063.02	126337.19	107845.16
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	109.79	0.00	0.00	10.98
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	2132.43	1127.33	0.00	883.53
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which	0.00	8784.91	6495.21	93942.13	83436.79
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	1895.57	1401.51	20270.40	14824.30
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	1.60	3.17	21420.53	13925.73
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	1.60	3.17	21420.53	13925.73
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	48.37	0.00	437.31	10974.53	9588.13
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	5142.86	0.00	0.00	32523.20	35568.07
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	5142.86	0.00	0.00	32523.20	35568.07
30	Off-balance sheet items		102062.92	4551.16	42.48	4450.29
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					151486.16
32	Net Stable Funding Ratio (%)					137.87%

* Items reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions and non-HQLA equities.



Qualitative Disclosure around NSFR:

Guidelines on NSFR has become effective from 01.10.2021. Accordingly, bank has published its first disclosure regarding NSFR for quarter ended 31.12.2021.

The objective of NSFR is to ensure that bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a bank's liquidity position due to disruptions in a bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress. The NSFR limits overreliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on- and off-balance sheet items, and promotes funding stability. amount of available stable.

The NSFR is defined as the funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of Bank is a function of the liquidity characteristics and residual

maturities of the various assets held by Bank as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. NSFR is defined as

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSFP)}} \times 100$$

Main drivers of NSFR:

The Bank as on 31st March 2026, had maintained ASF of Rs. 271310.08 Crore. ASF consists of 58.19% from stable & less stable non-maturity deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers.

RSF consists of 38.61% from "Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions" line item.

NSFR for the quarter ended 31st March 2026 is 125.22%, above RBI prescribed minimum requirement of 100%.



ii) Fair value hierarchy of investment portfolio measured at fair value on balance sheet

(Amount in ₹ crore)

Particulars	As at 31.03.2026						As at 31.03.2025						
	AFS			FVTPL			AFS			FVTPL			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total	
I. Investments in India													
(i) Government securities	36407.22	0.00	0.00	36407.22	1281.63	0.00	0.00	1281.63	23574.49	0.00	0.00	23574.49	0.00
(ii) Other approved securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Shares	0.00	0.00	271.23	271.23	112.53	0.00	203.35	315.88	0.00	0.00	240.47	240.47	178.96
(iv) Debentures and Bonds	4009.58	869.02	0.00	4878.60	294.95	86.23	0.00	381.18	3766.97	926.06	0.00	4693.04	125.46
(v) Subsidiaries, associates and jointVentures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi) Others	0.00	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	44.14	44.14	0.00	608.78	0.00	608.78	37.52
Total	40416.80	918.04	271.23	41606.07	1689.11	86.23	247.49	2022.83	27341.46	1534.84	240.47	29116.78	512.73
II. Investments outside India													
(i) Government securities (including local authorities)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(i) Subsidiaries, associates and joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Other investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total investments (I+II)	40416.80	918.04	271.23	41606.07	1689.11	86.23	247.49	2022.83	27341.46	1534.84	240.47	29116.78	512.73
													216.48
													854.68



iii) Net gain/(losses) on Level 3 financial instruments recognized in AFS-Reserve and Profit and Loss Account:

(Amount in ₹ crore)

	FY 2025-26	FY 2024-25
Recognized in AFS Reserve	-10.46	*65.46
Recognized in Profit and Loss Account	28.00	23.25

* Includes transition reserve of Rs. 45.96 crore as on 01.04.2024 during FY 2024-25.

Note: This disclosure excludes Level 3 assets where the valuation of the asset is the price declared by FBIL/FIMMDA for that asset.

iv) Details of sales made out of HTM:

(Amount in ₹ crore)

		FY 2025-26	FY 2024-25
A	Opening carrying value of securities in HTM	51721.91	47374.17
B	Carrying value of all HTM securities sold during the year	9162.29	3520.30
C	Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit	6612.97	1193.47
D	Carrying value of securities sold (D=B-C)	2549.32	2326.83
E	Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D/A)	4.93%	4.91%
F	Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain#	87.79	45.00

Arrived after considering taxes and transfer to statutory reserve.

v) Reclassification between categories of investments - Bank has not reclassified between category of investments during FY 2025-26 & FY 2024-25.

vi) Movement of Provisions for non-performing investments (NPIs) and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
i)	Movement of provisions held towards depreciation on investments (including NPI)		
a)	Opening balance	336.98	318.75
b)	Add: Provisions made during the year	147.33*	56.69
c)	Less: Write off / write back of excess provisions during the year	38.22	38.46
d)	Closing balance	446.09	336.98
ii)	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a)	Opening balance	641.10	426.10
b)	Add: Amount transferred during the year	450.00	215.00
c)	Less: Drawdown	-	-
d)	Closing balance	1091.10	641.10
iii)	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and FVTPL (Including HFT) Category.	2.48%	2.14%

* Total net provision added during the year through reinstatement of securities to their original carrying value.



vii) Non-SLR investment portfolio

a) Non-performing non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
a)	Opening balance	24.48	32.34
b)	Additions during the year since 1 st April	*157.15	90.17
c)	Reductions during the above period	0.13	98.03
d)	Closing balance	181.50	24.48
e)	Total provisions held	^180.62	23.59

* NPI provision added through reinstatement of securities to their original carrying value.

^ Amount of ₹ 0.88 Crore pertaining to Provision for FITL which is included in Sundry Liabilities

b) Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
a)	PSUs	558.35	592.01	538.32	558.14	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00
b)	FIs	4,198.02	4,237.87	4,179.89	4,221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Banks	251.31	922.30	180.46	790.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Private Corporates	689.56	423.96	686.03	418.41	0.88	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	Subsidiaries / Joint Ventures	481.30	311.43	481.30	311.43	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	Others	573.44	665.93	573.44	665.93	132.05	134.86	132.05	134.86	230.32	266.52
g)	Provision held (Includes Depreciation)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	6,751.98	7,153.51	6,639.44	6,965.72	288.69	153.82	132.05	134.86	300.32	366.52



viii) Repo transactions (in face value and market value terms)

(Amount in ₹ crore)

		Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31, 2026	
		FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i)	Securities sold under repo								
	a) Government securities								
	(i) Repo Borrowing (LAF)	2500 (0)	2500 (0)	5000 (0)	5000 (0)	96.75 (0)	96.75 (0)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
	(ii) Repo Borrowing (Term)	69 (139)	69 (137)	4176 (4948)	4176 (5000)	130.03 (338)	130.03 (342)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
	b) Corporate debt securities	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
	c) Any other securities	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
ii)	Securities purchased under reverse repo								
	a) Government securities Reverse Repo LAF	480 (662)	480 (700)	3822(1034)	3822 (1000)	44.73 (21)	44.73 (21)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
	b) Corporate debt securities	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
	c) Any other securities	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)

* Previous Year Figures are reported in bracket

Repo transactions other than LAF

(Amount in ₹ crore)

		Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31, 2026	
		FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
a)	Securities sold								
	I. Government Securities	200 (300)	200 (301)	10900 (7475)	10899 (7474)	2950 (1010)	2949 (999)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
	II. Corporate debt securities	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
	III. Any other securities	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
b)	Securities purchased								
	i. Government Securities	75 (87)	95 (88)	18240 (23940)	18240 (24093)	876 (1869)	877 (1888)	Nil (4180)	Nil (4177)
	ii. Corporate debt securities	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
	iii. Any other securities	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)

* Previous Year Figures are reported in bracket



ix) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

As on 31.03.2026

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2026
Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

As on 31.03.2025

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2025
Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

c) Movement of Technical/Prudential Write off in Investment:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Opening balance of Technical written-off as at 1st April	375.03	431.75
Add:- Technical / Prudential write –offs during the year	0.90	0.00
Subtotal (A)	375.93	431.75
Less: Recoveries made from previous technical / prudential written-off accounts during the year / accounts upgraded (B)	30.15	56.72
Closing balance as at 31st March (A-B)	345.78	375.03



j) Movement of Technical Written off (Transition Adjustment):

(Amount in ₹ crore)

	Current Year				Previous Year			
	Shares	Debentures and Bonds	Others	Total Investment	Shares	Debentures and Bonds	Others	Total Investment
Available for Sale								
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for nonperforming investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fair Value Through Profit & Loss (Non- HFT)								
Gross	98.17	114.68	132.93	345.78	98.17	126.12	150.74	375.03
Less: TWO Provision	98.17	114.68	132.93	345.78	98.17	126.12	150.74	375.03
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross TWO investment	98.17	114.68	132.93	345.78	98.17	126.12	150.74	375.03
Less- TWO Provision	98.17	114.68	132.93	345.78	98.17	126.12	150.74	375.03
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


i) Classification of advances and provisions held
(Amount in ₹ crore)

Particulars	Standard		Non-Performing						Total	
	Total Standard Advances		Sub standar		Doubtful		Loss		Total Non-Performing Advances	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Gross Standard Advances and NPAs										
Opening Balance	235652.02	199830.90	1617.19	1181.33	2395.12	2513.09	172.21	138.63	4184.52	3833.05
Add: Additions during the year #									1791.27	1687.86
Less: Reductions during the year*									1729.82	1336.39
Closing balance	287720.56	235652.02	1672.89	1617.19	2333.33	2395.12	239.75	172.21	4245.97	4184.52
* Reductions in Gross NPAs due to:										
i) Upgradation									57.35	99.59
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)									463.34	441.21
iii) Technical/ Prudential Write-offs									1165.46	731.08
iv) Write-offs other than those under (iii) above									43.67	64.52
Provisions (excluding Floating Provisions)										
Opening balance of provisions held	2732.53	2355.51	1191.13	910.46	2348.64	2313.69	171.87	137.88	3711.64	3362.03
Add: Fresh provisions made during the year##									3726.12	2417.32
Less: Excess provision reversed / Write-off loans									3667.20	2026.61
Closing balance of provisions held	2049.60	2732.53	1310.20	1191.13	2220.87	2348.64	239.49	171.87	3770.56	3711.64
									5820.16	6444.17



(Amount in ₹ crore)

Particulars	Standard		Non-Performing						Total	
	Total Standard Advances		Sub standar		Doubtful		Loss		Total Non-Performing Advances	
	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
Net NPAs										
Opening Balance			384.96	208.84	46.48	199.40	0.34	0.75	431.78	408.99
Add: Fresh additions during the year									409.13	474.57
Less: Reductions during the year									457.17	451.78
Closing Balance			271.02	384.96	112.46	46.48	0.26	0.34	383.74	431.78
Floating Provisions										
Opening Balance										
Add: Additional provisions made during the year										
Less: Amount drawn down during the year										
Closing balance of floating provisions										
Technical write-offs and the recoveries made thereon										
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts									19467.80	19555.53
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year (Including write-offs made from fresh slippages) \$									3841.82	2877.96
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year [^]									1669.63	2965.69
Closing balance									21639.98	19467.80

Excludes Technical write off made from Fresh Slippages of ₹ 2672.53 crore (₹ 2169.93 crore).

Includes transfer of provision from standard to NPA of ₹ 1100.00 Crore.

\$ Includes Technical write off made from Fresh Slippages of ₹ 2672.53 Crore (₹ 2169.93 Crore).

[^] Includes amount of Recovery in Technically Written off Account of ₹ 1336.32 Crore (₹ 1314.61 Crore) & upgradation of ₹ 191.10 Crore (₹ 125.82 Crore)



Ratios (in per cent)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Gross NPA to Gross Advances	1.45%	1.74%
Net NPA to Net Advances	0.13%	0.18%
Provision coverage ratio	91.43%	90.18%
Provision coverage ratio (including TWO)	98.59%	98.26%

ii) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount in ₹ crore)

	Sector	FY 2025-26			FY 2024-25		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	40212.06	3103.69	7.72%	35546.76	2950.17	8.30%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	17140.61	151.39	0.88%	14832.00	157.39	1.06%
c)	Services	36975.47	671.38	1.82%	33815.07	771.40	2.28%
d)	Personal loans	18565.61	25.97	0.14%	9752.41	17.27	0.18%
	Sub-total (i)	112893.75	3952.43	3.50%	93946.24	3896.23	4.15%
ii)	Non-priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
b)	Industry	39832.44	16.82	0.04%	34719.79	26.71	0.08%
c)	Services	71949.03	70.23	0.10%	55847.31	79.68	0.14%
d)	Personal loans	67291.31	206.49	0.31%	55323.20	181.90	0.33%
	Sub-total (ii)	179072.78	293.54	0.16%	145890.30	288.29	0.20%
	Total (i + ii)	291966.53	4245.97	1.45%	239836.54	4184.52	1.74%

Details of advances wherein subsector advances are more than 10% of the total advances of sector:

(Amount in ₹ crore)

Sector	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
Industry Sector						
Basic Metal & Metal Products	6787.46	51.68	0.76%	5929.84	31.29	0.53%
Infrastructure	24320.96	8.31	0.03%	21496.10	3.13	0.01%
Service Sector						
Trade	14655.11	100.29	0.68%	13740.36	286.75	2.09%
Financial Intermediation	30488.09	121.33	0.40%	21799.53	92.45	0.42%
Personal Loans						
Housing Loans	49479.39	73.14	0.15%	38346.44	75.63	0.20%
Other Retail Loans	25570.27	142.58	0.56%	18221.28	90.50	0.50%
Agriculture & Allied Activities						
Crop Loan	7249.04	1672.18	23.07%	9272.00	1360.50	14.67%
Investment Credit	6466.02	578.25	8.94%	7043.83	669.11	10.53%
Ancillary Activities	23156.88	731.02	3.16%	17553.09	799.13	4.55%



iii) Overseas assets, NPAs and revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Assets (includes outstanding Balance in NOSTRO Accounts)	2084.57	156.86
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	135.69	31.45

iv) Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI Circular No RBI/DOR/2025-26/165 DOR.STR. REC. 84/21.04.048/2025-26 dated 28.11.2025 on resolution of stressed assets - Revised framework is as follows:

(Amount in ₹ crore)

Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	Amount of loans to be classified as NPA (B)	Amount of Loans as on 31 st March 2026, out of (B) classified as NPA (C)	Addl. Provision required for loans covered under RBI circular. (D)	Provision out of (D) already made by 31 st March 2026
580.49	-	-	-	-

Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	Amount of loans to be classified as NPA (B)	Amount of Loans as on 31 st March 2025, out of (B) classified as NPA (C)	Addl. Provision required for loans covered under RBI circular. (D)	Provision out of (D) already made by 31 st March 2025
36.04	-	-	-	-

v) Divergence in asset classification and provisioning

Banks are required to disclose the divergences in asset classification and provisioning as per RBI Direction no. RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC. REC.No. 86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025 in respect of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025, wherever either or both of the following conditions are satisfied:

- (a) the additional provisioning for NPAs assessed by Reserve Bank of India as part of its supervisory process, exceeds 5 percent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and

- (b) the additional Gross NPAs identified by Reserve Bank of India as part of its supervisory process exceed 5 percent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.

Explanation - Reported incremental Gross NPAs refers to additions during the reference year to the Gross NPAs as disclosed in the Notes to the Financial Statements of the reference period."

As the divergences are within threshold limit of 5% of reported incremental Gross NPAs during the reference year, no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required. In terms of above explanation, "reported incremental Gross NPAs" has been considered as the additions to gross NPAs amounting to Rs. 1687.86 crore as disclosed in Notes to Accounts during the reference year ended on March 31, 2025.



vi) Disclosure on transfer of loan exposures

- a. The Bank has not transferred any SMA loan (Special Mention Account) in FY 2025-26 & (FY 2024-25).
b. Details of non-performing assets (NPAs) transferred in FY 2025-26 & (FY 2024-25) are as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	To ARCs	To Permitted transferees	To other transferees
No. of accounts	1 (4)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
Aggregate principal o/s loans transferred	127.66 (599.76)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	NA (NA)	NA (NA)
Net Book Value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00 (0.00)	NA (NA)	NA (NA)
Aggregate consideration	49.61 (447.97)	NA (NA)	NA (NA)
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil (Nil)	NA (NA)	NA (NA)

- c. Details of loans not in default acquired or transferred during the year ended 31st March 2026 through assignment are given below:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Aggregate amount of loans acquired	14,600.98	11,254.29
Weighted average residual maturity (in months)	32.60	32.05
Weighted average holding period by originator (in months)	9.16	7.38
Retention of beneficial economic interest by the originator	10.00%	10.00%
Tangible security coverage	12.91%	19.78%

The loans acquired are not rated as these are related to non-corporate borrowers.

- d. The Bank has not acquired any stressed loan.
e. Recovery Ratings assigned to outstanding as on 31.03.2026 by the credit rating agencies

Recovery Rating Band*	Amount
RR1	-
RR2	-
RR3	-
RR4	-
RR5	-
Rating Withdrawn	-
Unrated	-
Total	-

*Recovery rating is as assigned by various external agencies.



vii) Disclosure on Co-Lending Arrangements (CLA):

(Amount in ₹ crore)

Sr.No.	Particulars	As at March 31, 2026
1	No. of CLA Partners	9
2	Quantum of CLA	4324
3	Weighted Average ROI	9.44%
4	Fees Paid (Exclusive of GST)	7.16
5	Broad Sectors	Retail and MSME
6	Performance of Loans under CLA	Satisfactory
7	Details of Default Loss Guarantee	DLG is provided one partner, which is less than 5%

viii) Fraud accounts

Details on the number and amount of frauds as well as the provisioning thereon as per template as under.

(Amount in ₹ crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Number of Borrowal and Non Borrowal frauds reported	330	181
Number of Digital payment related frauds where credentials have been compromised by customers themselves & no loss has been caused to the Bank	64	110
Total number of fraud cases (including digital payment related cases)	394	291
Amount involved in Borrowal and Non Borrowal frauds	987.63	891.58
Amount involved in Digital payment related frauds where credentials have been compromised by customers themselves & no loss has been caused to the Bank	2.37	0.90
Total amount involved (including digital payment related frauds)	990.00	892.48
Amount of provision made for such fraud cases during year *	873.99	702.28
Amount of Un-amortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	-	-

* The Bank holds 100% provision i.e. of ₹ 873.99 Crore against the fraud cases for FY 2025-26 (₹ 702.28 Crore FY 2024-25)

During the year ended 31st March 2026, the Bank has reported 394 fraud cases involving amount of ₹ 990.00 crore including 5 cases of borrowal frauds in earlier years (FY 2018-19 – 1 case, FY 2020-21 – 3 cases, FY 2022-23 – 1 case) later deactivated as fraud by RBI in compliance with the Hon'ble Supreme Court Judgement amounting to ₹ 619.96 crores are now re-declared as fraud during FY 2025-26 after following due process.

Out of total fraud cases, 64 cases were related to digital payment fraud involving amount of ₹ 2.37 Crores, where Bank has suffered losses. Further in respect of remaining fraud cases amounting to ₹ 987.63 crores, there is recovery of ₹ 38.22 Crore and further, in 2 fraud cases involving amount of ₹ 76.20 crore, where ledger balance has been already written off in years 2022 & 2023. Thus, provision is not required in these cases. In remaining fraud cases with amount of ₹ 873.21 crore, bank is holding 100% provisions to the extent of loss i.e. ₹ 873.21 crores. There are 3 suspected fraud cases where bank has suffered loss of ₹ 0.78 Crore are also provided to the full extent. Hence, total provision done is ₹ 873.99 Crore.



ix) Disclosure related to project finance

(Amount in ₹ crore)

Sl.No.	Item Description	Number of accounts	Total outstanding
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter.	175	11581.22
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter.	59	770.03
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	46	2347.64
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)	188	10950.45*
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	27	2974.33
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	3	730.82
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	24	2243.51
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	0.00	0.00
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project.	0.00	0.00
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original / extended DCCO, as the case may be, was funded	0.00	0.00
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	0.00	0.00
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously	0.00	0.00
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	0.00	0.00
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	0.00	0.00
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	0.00	0.00

* It includes movement of ₹ 946.84 Crore during Q4-2026 in projects under implementation accounts existing at the beginning of the quarter.

The above disclosure is applicable from 01.01.2026. As such corresponding figures of previous year ended 31.03.2025 are not given



x) **Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress**

Details of resolution plan implemented under the RBI Resolution Framework for COVID-19 related stressed assets as per RBI circular dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0) at March 31, 2026 are as under.

(Amount in ₹ crore)

Type of the Borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of September 30, 2025 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2026	Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2026	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended March 31, 2026	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at March 31, 2026
Personal Loan	1129.93	21.36	16.44	78.31	1032.66
Corporate Persons*	570.10	0.00	0.00	17.78	559.03
Of which MSMEs	19.94	0.00	0.00	0.59	19.14
Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1700.03	21.36	16.44	96.08	1591.69

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

The Bank additionally holds COVID-19 related provision as contingency provision amounting to ₹ 1010 crore as on 31st March 2026 (Prev Year 1200 crore as on 31st March 2025), The bank has reversed provisions amounting to ₹ 190 crore during the year.

As on September 30, 2025:

(Amount in ₹ crore)

Type of the Borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of March 31, 2025 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended September 30, 2025	Of (A) amount written off during the half-year ended September 30, 2025	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended September 30, 2025	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at September 30, 2025
Personal Loan	1249.54	42.95	37.00	172.99	1129.93
Corporate Persons*	578.82	0.00	0.00	15.96	570.10
Of which MSMEs	20.78	0.00	0.00	1.12	19.94
Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1828.36	42.95	37.00	188.95	1700.03

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016



As on March 31, 2025:

(Amount in ₹ crore)

Type of the Borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of March 31, 2025 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2025	Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2025	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended March 31, 2025	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at March 31, 2025
Personal Loan	1335.03	42.59	36.97	156.46	1249.54
Corporate Persons*	615.72	0.00	0.00	16.15	578.82
Of which MSMEs	21.54	0.00	0.00	1.24	20.78
Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1950.75	42.59	36.97	172.61	1828.36

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

As on September 30, 2024:

(Amount in ₹ crore)

Type of the Borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of March 31, 2024 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended September 30, 2024	Of (A) amount written off during the half-year ended September 30, 2024	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended September 30, 2024	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at September 30, 2024
Personal Loan	1551.04	11.61	94.52	186.39	1335.03
Corporate Persons*	629.64	0.00	0.00	14.83	615.72
Of which MSMEs	22.48	0.00	0.00	1.15	21.54
Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2180.68	11.61	94.52	201.22	1950.75

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016



5

Exposures

a) Exposure to Real Estate Sector

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Category	31.03.2026	31.03.2025
a)	Direct exposure	70405.13	57500.06
i	Residential Mortgages –	62907.41	49121.38
	Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; Of which Individual housing loans eligible for being included under priority sector**	46335.14 16572.27	33814.29 15,307.09
ii	Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.)**	7497.72	8378.68
iii	Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – a. Residential, b. Commercial Real Estate.	Nil Nil	Nil Nil
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	3873.04	5030.95
	Total Exposure to Real Estate Sector	74278.17	62531.01

** Exposure also includes non-fund-based limits

b) Exposure to capital market

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	123.48	203.24
ii)	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	-	-
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	-	-



vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	-	-
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	75.57	78.15
	Total exposure to capital market	199.05	281.39

The details of Bank's Direct investment in equity shares on conversion of debt into equity as a part of strategic restructuring of debt which are exempt from Capital Market Exposure limits/regulatory ceilings/investment in para-banking activities and intra-group exposure, is as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026		31.03.2025	
	No. of accounts	Amount	No. of accounts	Amount
Investment in equity shares received/allotted on account of conversion of debt into equity which are exempt from Capital Market Exposure limits/regulatory ceilings/investment in para-banking activities and intra-group exposure	5	18.46	5	16.35

c) Risk category-wise country exposure

(Amount in ₹ crore)

Risk Category*	Exposure (net) as at March 31, 2026	Provision held as at March 31, 2026	Exposure (net) as at March 31, 2025	Provision held as at March 31, 2025
Insignificant	1175.10	-	863.74	-
Low	453.83	-	394.94	-
Moderately Low	15.37	-	41.28	-
Moderate	24.56	-	146.60	-
Moderately High	28.08	-	13.98	-
High	14.43	-	27.68	-
Very High	8.70	-	24.34	-
Total	1720.07	-	1512.56	-

* Till such time, as banks move over to internal rating systems, banks used the seven-category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) for the purpose of classification and making provisions for country risk exposures.



d) **Unsecured advances**

Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken and the estimated value of such intangible collateral are as under.

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total unsecured advances of the bank	50274.94	39194.95
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	4238.52	3450.27
Estimated value of such intangible securities	6220.55	4836.28

e) **Factoring exposures (Under TReDS)**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
TReDS Exposure in terms of DBR No. FSD.BC.32/24.01.007/2015-16 dated 30 th July 2015 (Para 8)	3605.09	3487.90
Total	3605.09	3487.90

f) **Intra-group exposures**

The details of the intra-group exposures of the bank are as under:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
1	Total amount of intra-group exposures	954.39	1355.21
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	954.39	1355.21
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	0.25%	0.50%
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
1	Borrowings from (if any)		
	a. Maharashtra Gramin Bank (MGB)	NIL	NIL
	b. The Maharashtra Executor & Trustee Com. Pvt Ltd (METCO)	NIL	NIL
2	Lending to (if any)		
	a. Maharashtra Gramin Bank (MGB)*		
	LOC outstanding as on date	0.00 [#]	750.66 [#]
	BPC Participation	954.39	604.55
	b. The Maharashtra Executor & Trustee Com. Pvt Ltd (METCO)	NIL	NIL



3	Investment in (if any)		
	a. Maharashtra Gramin Bank (MGB)	761.74	311.28
	i. Equity (incl Preference shares)	591.64 ^{\$}	141.17
	ii. Bonds / Debentures	170.11	170.11
	iii Any other – Investment in MGB pending allotment	-	-
	b. The Maharashtra Executor & Trustee Com. Pvt Ltd (METCO)	0.15	0.15
	i. Equity (incl Preference shares)	0.15	0.15
	ii. Bonds / Debentures	-	-
	iii. Any other (Specify)	-	-

* Not considered as exposure as per extant RBI guidelines

Outstanding as on 31.03.2026 & 31.03.2025

^{\$} As per Central Government vide Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 notified amalgamation of Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB) with Maharashtra Gramin Bank (MGB), investment amounting to Rs. 450.46 crores made in MGB towards Bank's share.

g) Unhedged foreign currency exposure

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
1	Additional provisioning/(reversal) made on account of UFCE	(5.03)	1.43
2	Incremental capital held on account of UFCE	7.56	49.47

Bank has put in place a policy for management of currency induced credit risk arising out of exposure to its constituents which inter-alia specifies the mechanism to ascertain Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and mitigate the same by pricing the exposure as well as incremental provisioning as under –

Method to ascertain the amount of Unhedged -

Bank has estimated the liability towards unhedged foreign currency exposure to their constituents in terms of RBI Circular RBI/DOR/2025-26/157/DOR/CRE.REC 76/07-02-001/2025-26 dated 28.11.2025

Foreign Currency Exposure (UFCE):

The amount of UFCE of the constituents is measured by obtaining the periodical information from the clients having exposure of ₹ 10.00 crore and above. For this purpose, items maturing or having cash flows over the period of next five years only are considered. Further, items which are effective hedges, financial hedge and / or natural hedge, of each other are set off. (Financial hedge through a derivative contract (e.g. Forward Cover) and Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the Foreign Currency Exposure. For the purpose of

computing UFCE, an exposure may be considered naturally hedged if the offsetting exposure has the maturity/cash flow within the same accounting year).

Method to estimate the extent of likely loss:

The loss to the entity in case of movement in exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the rates during the period of last ten years is taken as the movement of the rate in the adverse direction.

Method to estimate the riskiness of unhedged position and provide appropriately :

The likely loss / EBID so arrived at is taken as the base, as per which consolidated UFCE on behalf of the constituents is calculated, based on the model specified by the Bank. Such exposure is subjected to additional provisioning and also incremental capital requirement.

Further, the pricing to such constituents is accordingly re-priced based on the risk profile of the borrower by loading an appropriate premium to cover the UFCE.



h) Loans against gold and silver collateral

i) Details of loans extended against eligible gold and silver collateral -

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Loan Outstanding		Average ticket size	Average LTV ratio	Gross NPA (%)
	₹ crore	As % of Total Loans			
1. Opening balance of the FY [(a)+(b)]	15771	-	0.03	69%	0.10%
(a) Consumption loans	6963	44%	0.03	65%	0.05%
of which bullet repayment loans	5661	36%	0.02	64%	0.02%
(b) Income generating loans	8808	56%	0.03	73%	0.05%
2. New loans sanctioned and disbursed during the FY [(c)+(d)]	27711	-	0.04	52%	NA
(c) Consumption loans	20458	74%	0.04	51%	NA
of which bullet repayment loans	5249	19%	0.03	50%	NA
(d) Income generating loans	7253	26%	0.04	54%	NA
3. Renewals sanctioned and disbursed during the FY	249	-	-	39%	NA
4. Top-up loans sanctioned and disbursed during the FY	-	-	-	-	NA
5. Loans repaid during the FY [(e)+(f)]	20334	-	-	NA	NA
(e) Consumption loans	18061	89%	-	NA	NA
of which bullet repayment loans	3610	18%	-	NA	NA
(f) Income generating loans	2273	11%	-	NA	NA
6. Non-Performing Loans recovered during the FY [(g) + (h)]	487	-	-	NA	NA
(g) Consumption loans	337	69%	-	NA	NA
of which bullet repayment loans	63	13%	-	NA	NA
(h) Income generating loans	150	31%	-	NA	NA
7. Loans written off during the FY [(i) + (j)]	-	-	-	NA	NA
(i) Consumption loans	-	-	-	NA	NA
of which bullet repayment loans	-	-	-	NA	NA
(j) Income generating loans	-	-	-	NA	NA
8. Closing balance at the end of FY [(k) + (l)]	24265	-	0.04	55%	0.10%
(k) Consumption loans	10220	42%	0.04	49%	0.05%
of which bullet repayment loans	7298	30%	0.03	50%	0.03%
(l) Income generating loans	14045	58%	0.04	60%	0.05%

Note:

- The Bank shall be guided by the Reserve Bank of India (Commercial Banks- Credit Facilities) Directions, 2025 as amended from time to time.
- Information may be disclosed separately for loans against gold collateral and loan against silver collateral.
- Average LTV ration is calculated as ratio of sum of LTVs of loans at the time of sanctions to the number of such loans.
- The above Point no 7- loans written of during the FY, does not include loans which are technically/ prudentially written off.
- The above disclosure is applicable from 01.04.2026. As such corresponding figures of previous year ended 31.03.2025 are not given.



ii) Details of gold and silver collateral and auctions

Sr.No.	Particulars	Details
(a)	Unclaimed gold or silver collateral at the end of the financial year (in grams)	401
(b)	Number of loan accounts in which auctions were conducted	296
(c)	Total outstanding in loan accounts mentioned in (b) (in ₹ crore)	5.75
(d)	Gold or silver collateral acquired during the FY due to default of loans (in grams)	0
(e)	Gold or silver collateral auctioned during the FY (in grams)	8150
(f)	Recovery made through auctions during the FY (in ₹ crore)	5.75
(g)	Recovery percentage:	
(h)	as % of value of gold or silver collateral	100%
(i)	as % of outstanding loan	100%

Note:

- Weight and value of collateral to be calculated in accordance with the Reserve Bank of India (Commercial Banks- Credit Facilities) Directions, 2025.
- Unclaimed gold or silver collateral means as defined under the Reserve Bank of India (Commercial Banks- Credit Facilities) Directions, 2025.

6

Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of deposits

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total deposits of the twenty largest depositors	53404.20	45067.36
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	15.23%	14.67%

b) Concentration of advances

Advance is computed based on credit exposures. The sanctioned limits or outstanding, whichever is higher, have been considered. In case of fully drawn term loan, where there is no scope for re – drawal of any portion of the sanctioned limit, outstanding has been considered as the credit exposure.

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total advances to the twenty largest borrowers	39237.23	32853.40
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	10.89%	10.85%



c) Concentration of exposures

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	39500.87	33018.65
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/ customers	10.50%	10.36%

d) Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	385.44	432.14
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	9.08%	10.33%

7

Derivatives

a) Details of derivative portfolio

(Amount in ₹ crore)

	As of 31.03.2026			As of 31.03.2025		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 2	Level 3
Interest Rate Derivatives						
MTM-Assets	-	-	-	-	-	-
MTM-Liabilities	-	-	-	-	-	-
Net Gain/ Loss recognized in Profit & Loss Account	-	-	-	-	-	-
Exchange Rate Derivatives						
MTM-Assets	-	543.24	-	-	123.52	-
MTM-Liabilities	-	-555.87	-	-	-123.50	-
Net Gain/ Loss recognized in Profit & Loss Account	-	-12.63	-	-	0.02	-
Credit Risk Derivatives						
MTM-Assets	-	-	-	-	-	-
MTM-Liabilities	-	-	-	-	-	-
Net Gain/ Loss recognized in Profit & Loss Account	-	-	-	-	-	-
Other Derivatives (Specify)						
MTM-Assets	-	-	-	-	-	-
MTM-Liabilities	-	-	-	-	-	-
Net Gain/ Loss recognized in Profit & Loss Account	-	-	-	-	-	-



b) Forward rate agreement / Interest rate swap

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2026	31.03.2025
i) The notional principal of swap agreements	Nil	Nil
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	Nil	Nil

Bank has policy guidelines in place for IRS/ FRA's. The maximum Notional Principal Value for individual FRA / IRS /OIS / IRF/IRO shall be ₹ 200 crore and the aggregate outstanding Notional Principal Value of all FRAs / IRS /OIS / IRF shall not exceed ₹ 2000 crore. As on 31st March 2026, the Bank had no outstanding swaps.

Exchange traded interest rate derivatives

S.N.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	Nil	Nil
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March (instrument-wise)	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

Qualitative disclosures

- Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.
- Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.
- The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting & monitoring of risks is in place.
- Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Head Office. The swaps are tracked on regular basis.
- Accounting Policy for recording hedge and non-hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.6 (ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.
- The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.



Quantitative disclosures

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particular	FY 2025-26		FY 2024-25	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Derivatives Currency	Interest Rate Derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)	24365.83	NIL	25776.35	NIL
	a) For hedging	4507.71	NIL	3981.59	NIL
	b) For trading	19858.12	NIL	21794.76	NIL
(ii)	Marked to Market Positions*				
	a) Asset (+)	NIL	NIL	0.02	NIL
	b) Liability (-)	12.63	NIL	NIL	NIL
(iii)	Credit Exposure ^{\$}	786.90	NIL	639.05	NIL
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) on hedging derivatives	0.0253	NIL	0.0146	NIL
	b) on trading derivatives	0.0025	NIL	0.0033	NIL
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) on hedging	Max: 0.0414 Min: 0.0132		Max: 0.0508 Min: 0.0140	
	b) on trading	Max: 0.0419 Min: 0.0000		Max: 0.0318 Min: 0.0011	

* The net position shown either under asset or liability, as the case may be, for each type of derivatives

^{\$} Bank has adopted the current exposure method on Measurement of credit exposure of Derivative Products as per extant RBI instructions.

d) Standard provision on derivative exposure

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particular	As on 31.03.2026		As on 31.03.2025	
		Credit Exposure*	Provision as applicable to standard advances	Credit Exposure*	Provision as applicable to standard advances
1	Interest rate derivative	NIL	NIL	NIL	NIL
2	Foreign exchange derivative (+ including positive MTM)	786.90	3.14	639.05	2.56
3	Gold contract	NIL	NIL	NIL	NIL
4	Credit default swaps	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total	786.90	3.14	639.05	2.56

* Credit Exposure calculated as per RWA guidelines of Basel III

e) Credit Default Swaps (CDS)

The Bank has no Credit Default Swaps (CDS) during the year 2025-26 & 2024-25 and as on March 31, 2026 & March 31, 2025 is NIL.



8

Disclosures relating to securitization

(Amount in ₹ crore)

S. N.	Particulars	31-03-2026 (No./ Amount)	31-03-2025 (No./ Amount)
1.	No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	Nil	Nil
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPEs		
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet a) Off-balance sheet exposures First loss Others b) On-balance sheet exposures First Loss Others		
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR a) Off Balance Sheet Exposures i) Exposure to own securitizations First Loss Others ii) Exposure to third party securitizations First Loss Others b) On Balance Sheet Exposures i) Exposure to own securitizations First Loss Others ii) Exposure to third party securitizations First Loss Others		
5.	Sale consideration received for the securitized asserts and gain loss on sale on account of securitization		
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitization asset servicing etc.		
7.	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. - Amount paid - Repayment received - Outstanding amount		
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc		
9.	Amount and number of additional / top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.		
10.	Investor complaints* - Directly / Indirectly received and; - Complaints outstanding		



9

Off balance sheet SPVs sponsored

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

10

Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Opening balance of amount transferred to DEAF	1077.33	950.09
Add: Amount transferred to DEAF during the year	149.68	152.39
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	39.98	25.14
Closing balance of amount transferred to DEAF*	1187.03	1077.33

The closing balance of the amount transferred to DEA Fund as disclosed above (*excluding claim lodged for the month of March 2026 and March 2025 amounting ₹ 4.55 crore and ₹ 1.12 crore respectively). This is also included under Schedule 12 - Contingent Liabilities - Other Items for which Bank is contingently liable.

11

Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
	Complaints received by the bank from its customers		
1.	Number of complaints pending at beginning of the year	140	64
2.	Number of complaints received during the year	26805	14632
3.	Number of complaints disposed during the year	26803	14556
3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	629	278
4.	Number of complaints pending at the end of the year	142	140
	Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	1526	1081
5.1.	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	1003	604
5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by Office of Ombudsman	523	477
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	0	0
6.	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in integrated Ombudsman scheme, 2021 (previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the scheme.



b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers:

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of Complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of Complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
FY 2025-26					
1 Loans and Advances	8	7527	333.00%	27	0
2 Account opening /difficulty in operation of account	7	5061	221.50%	31	0
3 Internet/Mobile /Electronic Banking	15	3339	82.35%	20	0
4 ATM/Debit Cards	6	2302	96.08%	16	0
5 Levy of Charges without notice / excessive charges / foreclosure charges	0	205	153.00%	0	0
Others	104	8371	1.95%	48	0
Total	140	26807		142	0
FY 2024-25					
1 Internet/Mobile /Electronic Bkg.	4	1831	4%	15	0
2 Loans and Advances	3	1737	-13%	8	0
3 Account opening /difficulty in operation of account	6	1574	-21%	7	0
4 ATM/Debit Cards	5	1174	6%	6	0
5 Pension and facilities for senior citizens / differently abled	2	105	38%	0	0
Others	44	8211	-18%	104	0
Total	64	14632		140	0

12

Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

(Amount in ₹ crore)

During the Current Financial year following Penalties have been imposed:

S.N.	Particulars / nature of penalties	FY 2025-26	FY 2024-25
1	Penalty under Payment & Settlement Systems Act, 2007	0.003	0.01
2	Penalty under Banking Regulation Act, 1949	0.70	1.32
3	Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)	-	-

There is no default in reverse repo transaction from bank side during the financial year.



13

Disclosure on remuneration

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Name	Designation	Remuneration	
			FY 2025-26	FY 2024-25
1.	Shri Nidhu Saxena	MD & CEO	0.65	0.38
2.	Shri A S Rajeev	MD & CEO (till 22.02.2024)	Nil	0.24
3.	Shri Asheesh Pandey	Executive Director (till 30.09.2025)	0.44	0.63
4.	Shri A. B. Vijayakumar	Executive Director (till 31.10.2023)	Nil	0.13
5.	Shri Rohit Rishi	Executive Director (till 03.02.2026)	1.10	0.43
6.	Shri Prabhat Kiran	Executive Director (from 24.11.2025)	0.15	0.00
7.	Shri V P Srivastava	Chief Financial Officer (till 31.05.2025)	0.12	0.42
8.	Shri Sunil Dhoot	Chief Financial Officer (from 31.05.2025)	0.28	Nil
	Total		2.74	2.23

14

Other Disclosures

a) Business Ratios

(Amount in ₹ crore)

Particular	FY 2025-26	FY 2024-25
Interest Income as a percentage to Working Funds	7.78%	7.92%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.94%	1.10%
Cost of Deposits	4.52%	4.66%
Net Interest Margin	3.90%	4.00%
Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.88%	2.96%
Return on Assets	1.86%	1.75%
Business (deposits plus advances) per employee (₹ in crore) excluding interbank deposits	41.07	37.44
Profit per employee (in ₹ Crore)	0.45	0.38

b) Bancassurance business

The fee/brokerage/commission etc. income earned under Bancassurance and other third party (agency) products is ₹ 60.12 Crore (₹ 50.82 crore). The details of Bancassurance income is as under:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Nature of Income	FY 2025-26	FY 2024-25
1	For selling life insurance policies	44.41	32.52
2	For selling non-life insurance policies	15.68	18.13
3	For selling other insurance (like Agriculture & Others)	0.03	0.11
	Total	60.12	50.76



c) Marketing and distribution

Details of fees/remuneration received in respect of marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Nature of Income	FY 2025-26	FY 2024-25
1	For selling of Mutual Funds	0.07	0.06

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

The amount of PSLCs (category-wise) sold and purchased during the F.Y.2025-26 & (FY 2024-25) is as under:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Category of PSLCs	Sold/Purchased	Type	Amount	Commission Premium
1	PSLC Agriculture	Purchased	PSLC Agriculture General	5000.00 (700.00)	63.61 (4.35)

The amount of PSLCs Sold during the FY 2025-26 and FY 2024-25 is Nil.

e) Provisions and contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
1	Provision for NPA	2626.12	2417.32
2	Provisions for Standard Advances	417.08	1104.54
3	Provision for Non-Performing Investment	-	-
4	Provision for restructured Investment	-	15.10
5	Provisions for Standard Assets other than Advances	0.58	0.24
6	Provision for other Assets – Nominal	10.09	18.22
7	Provision for fraud (other than advances)	24.06	28.87
8	Provision for income tax (Incl- Reversal of DTA)	838.05	202.69
9	Provision for contingent liability	0.22	3.21
10	Other Provisions	25.43	17.41
	Sub-total (A)	3941.63	3807.59
	Less: Write back /adjustments		
1	Write back of Provisions for TIBD- provision for FITL/interest/SR TIBD	3.08	0.49
2	Write back of Provision for Restructured Investment	38.10	-
3	Write back of Provision for Non-Performing Investment	3.85	7.86
4	Write back of Provision for NPLL	90.09	-
	Sub Total (B)	132.12	8.35
	Total	3806.51	3799.24



f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

1. The Proforma Financial Statement (PFS) has been submitted to RBI on half yearly basis (from FY 2021-22) after vetting from consultant. The same has also been approved by the Board.
2. Bank has also appointed a consultant for implementation of Ind AS through OFSAA Solutions.

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
i)	Payment of DICGC Insurance Premium (Incl GST)	402.11	346.43
ii)	Arrears in payment of DICGC premium (Incl GST)*	3.33	18.19

* Additional payment as per instruction from DICGC

h) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

The additional liability on account of enhancement in family pension in line with Government guidelines, works out to ₹ 217.70 Crore as per Actuarial valuation. The Bank had already recognized the said liability and charged to the Profit & Loss Account during the FY 2021-22.

i) Letter of Comfort (LOCs) issued by Bank for the purpose of Trade Credit Facility to corporate.

During the current year, 81 Trade credits amounting to ₹ 550.07 crores were sanctioned by the Bank and No Letters of Comfort issued by the branches in favor of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st March 2026, 34 Trade Credits amounting to ₹ 123.15 crores are outstanding as against 25 Trade Credits amounting to ₹ 174.18 crores for the year ended 31st March 2025.

j) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

(Amount in ₹ crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25	Cumulative*
Total green deposits raised (A)	67.06	25.17	92.23
Use of green deposit funds**			
(1) Renewable Energy	67.06	4.52	71.58
(2) Energy Efficiency	-	-	-
(3) Clean Transportation	-	-	-
(4) Climate Change Adaptation	-	-	-
(5) Sustainable Water and Waste Management	-	-	-
(6) Pollution Prevention and Control	-	-	-
(7) Green Buildings	-	-	-
(8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	-	-	-
(9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	-	-	-
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	67.06	4.52	71.58
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	0.00	20.65	20.65
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	-	-	-

* This shall contain the cumulative amount since the RE started offering green deposits. For example, if a bank has commenced raising green deposits from June 1, 2023, then the annual financial statement for the period ended March 31, 2026, would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023, till March 31, 2026. Further, the actual amount of green deposits raised during the year and use of such funds shall be given under this disclosure.

** Under each category, REs may provide sub-categories based on the funds allocated to each sub-sector. For example, REs may provide sub-categories like solar energy, wind energy, etc. under "Renewable Energy".



15

Property, Plant & Equipment (AS 10):

- In accordance with the As-10 "Property, Plant and Equipment" depreciation of ₹ 45.22 Crore (₹ 29.46 Crore) for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of ₹ 45.22 crore (₹ 29.46 Crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.
- Certain premises of bank are stated at revalued amount. The gross amount of such revaluation included in premises at the end of the year is ₹ 1864.30 Crore (₹ 1443.33 Crores) and net of depreciation the revaluation amounts to ₹ 1819.09 Crores (₹ 1413.87 Crores).

The title deeds in respect of few revalued premises having cost of ₹ 9.19 crores (₹ 9.19 crores) are not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain long pending disputes / formalities.

- These are cases pending for leased premises where no contingent liability is recognized as the Bank is defending all these cases filed against it by landlords of Branch Premises due to expiration of lease deeds. Out of these, in case Bank accounts for its liability to amount ₹ 7.97 crores (₹ 1.05 crores) towards increment in rent due to as per original deeds as the base rent are continued to be paid to the landlord. In all other cases where landlords have claimed profits, the amount cannot be ascertained unless the court crystallises quantum of profits.
- Capital work in progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to ₹ 8.01 Crore (₹ 4.25 Crore) includes construction of building.

16

Accounting Standards:

The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

Accounting Standard 3 – Cash Flow Statement: The bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies: As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts during the year.

Accounting Standard 9 – Revenue Recognition: As per Accounting Policy No. 6.2, given in Schedule - 17 – Significant Accounting Policies, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021.

Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates: Net income on account of exchange differences credited to Profit and Loss account for the year is ₹ 125.68 crore (₹ 63.29 crore).

Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005) – "Employee Benefits"

A. Defined Contribution Plans

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	31.03.2026	31.03.2025
a.	Provident Fund	29.80	32.83
b.	Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	25.00	15.00
c.	Contribution to New Pension Scheme	158.98	136.50

B. Defined Benefit Plans:

- Pension Plan-** This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.
- Gratuity Plan-** This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.
- Leave Encashment/ Compensated Absences-** This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 255 days of accumulated leave based on final pay. This is a funded scheme.



I. Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	7992.57	7489.74	745.77	621.63	584.17	432.02
2	Interest Cost	553.45	480.78	56.85	41.14	44.89	28.77
3	Current Service Cost	252.12	262.96	61.95	49.88	143.65	118.26
4	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Benefits Paid	(759.46)	(797.27)	(46.91)	(66.03)	(27.56)	(41.20)
6	Actuarial (Gains)/Losses for the year	251.57	556.36	22.17	99.15	(43.16)	46.32
7	Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	8290.25	7992.57	839.83	745.77	701.99	584.17

II. Change in the Fair Value of Plan Assets:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Opening fair value of plan assets	7988.21	7282.80	725.73	505.01	490.80	374.07
2	Expected return on plan assets	580.74	493.77	57.11	35.30	38.63	26.15
3	Contributions made	349.72	906.61	70.00	240.00	150.00	125.00
4	Benefits paid	(759.46)	(797.27)	(46.91)	(66.03)	(27.56)	(41.20)
5	Actuarial gains/(losses)	46.70	102.30	4.33	11.45	9.28	6.78
6	Closing fair value of plan assets	8205.91	7988.21	810.26	725.73	661.15	490.80

III. Amount recognized in the Balance Sheet:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Funded Defined Benefit Obligations					
		Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Present Value of Defined Benefit Obligations	8290.25	7992.57	839.83	745.77	701.99	584.17
2	Fair Value of Plan Assets	(8205.91)	(7988.21)	(810.26)	(725.73)	(661.15)	(490.80)
3	Net liability to be recognized	84.34	4.36	29.57	20.04	40.84	93.37
4	Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Net liability recognized in the Balance Sheet	84.34	4.36	29.57	20.04	40.84	93.37



IV. Amount recognized in Profit and Loss Account:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Current Service Cost	252.12	262.96	61.95	49.88	143.65	118.26
2	Interest Cost	553.45	480.78	56.85	41.14	44.89	28.77
3	Expected Return on Plan Assets	(580.74)	(493.77)	(57.11)	(35.30)	(38.63)	(26.15)
4	Actuarial (Gains) / Losses for the year	204.87	454.06	17.84	87.70	(52.44)	39.54
5	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6	Expense to be recognized	429.70	704.03	79.53	143.42	97.47	160.42
7	Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
8	Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	429.70	704.03	79.53	143.42	97.47	160.42

V. Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Opening Net Liability	4.36	206.94	20.04	116.62	93.37	57.95
2	Expense recognized	429.70	704.03	79.53	143.42	97.47	160.42
3	Contributions/ Benefits paid	(349.72)	(906.61)	(70.00)	(240.00)	(150.00)	(125.00)
4	Closing Net Liability	84.34	4.36	29.57	20.04	40.84	93.37

VI. Actual Return on Plan Assets

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Expected return on plan assets	580.74	493.77	57.11	35.30	38.63	26.15
2	Actuarial gain (loss) on plan assets	46.70	102.30	4.33	11.45	9.28	6.78
3	Actual return on plan assets	627.44	596.07	61.44	46.75	47.91	32.93

VII. Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Discount rate	7.27%	6.78%	7.87%	6.99%	7.87%	6.99%
2	Expected return on plan assets	7.27%	6.78%	7.87%	6.99%	7.87%	6.99%
3	Expected rate of salary increases	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%



C. Other Long-Term Benefits:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2026	31.03.2025
1	Resettlement Allowance	-	-
2	Leave Fare Concession	41.40	27.77
3	Silver Jubilee Award	-	0.38
	Total	41.40	28.15

Accounting Standard 17- Segment Reporting: Bank has identified its primary reportable segments as under:

Part A: Business segments

(Amount in ₹ crore)

Business Segments Particulars	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	6979.46	5877.89	11085.68	9803.30	14552.99	12472.18	204.40	248.25	32822.53	28401.62
Result	1495.88	1356.29	3093.85	2708.00	3164.14	1597.55	103.50	60.64	7857.37	5722.48
Unallocated expenses										
Operating profit									10825.82	9319.03
Taxes including deferred taxes									838.05	202.69
Extraordinary profit/ loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net profit*									7019.32	5519.79
Segment assets	120753.58	112037.06	141849.39	126307.60	150320.71	113803.41	11774.39	14599.42	424698.07	366747.48
Unallocated assets									2664.66	2394.67
Total assets									427362.73	369142.15
Segment liabilities	118794.53	110679.11	130054.93	114554.24	134191.91	102744.02	11213.55	11521.79	394254.91	339499.15
Unallocated liabilities									0.00	1153.73
Capital & Other Reserves									33107.82	28489.26
Total liabilities									427362.73	369142.15

* Net profit is arrived after considering all provisions and contingencies.



RBI's Master Direction on Financial Statements – Presentation and Disclosures, requires to sub divide "Retail Banking" into (a) Digital Banking (as defined in RBI circular or Establishment of Digital Banking Units dated April 07, 2022) and (b) Other Retail Banking segment. Accordingly, the segmental results for retail banking segment is subdivided as below:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Segment Revenue		Segment Results		Segment Assets		Segment Liabilities	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
i	Digital Banking	1.00	0.44	(1.09)	(1.29)	15.04	9.35	19.69	12.90
ii	Other Retails Banking	14551.99	12471.74	3165.23	1598.84	150305.67	113794.06	134172.22	102731.12
Total	Retail Banking	14552.99	12472.18	3164.14	1597.55	150320.71	113803.41	134191.91	102744.02

- | | |
|--|---|
| <p>a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.</p> <p>b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.</p> <p>c) Retail Banking Segments include exposure to entity/ concern where</p> <p>i. Total average annual turnover less than ₹ 50.00 crore and</p> <p>ii. Aggregate exposure to one counter party does not exceed 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and</p> <p>iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 7.50 crore.</p> | <p>d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.</p> <p>e) The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations.</p> <p>f) Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations.</p> <p>g) Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.</p> |
|--|---|

Part B: Geographical Segment

(Amount in ₹ crore)

Geographical Segments	2025-26			2024-25		
	Domestic	International	Total	Domestic	International	Total
Revenue	32778.90	43.63	32822.53	28401.62	NA	28401.62
Assets	423799.53	3563.20	427362.73	369142.16	NA	369142.16

GIFT IBU has been operational during FY2025-26 only, hence international segment reporting is Not Applicable for FY2024-25.

Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are as under:

Name of the Related Parties and their relationship:

- Subsidiary of the Bank – The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank
- Key Management Personnel – Details given in point no. 13 above
- Sponsor Trust – Gramin Va Balak Vikas Mandal
- Sponsor Trust – Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation
- Staff welfare Trust for Pension – Bank of Maharashtra Employees' Pension Fund



- g) Staff welfare Trust for Gratuity – Bank of Maharashtra Employees' Gratuity Fund
- h) Staff welfare Trust for Provident Fund – Bank of Maharashtra Employees' Provident Fund
- i) Staff welfare Trust for Leave Encashment – Bank of Maharashtra Employees Privilege Leave Encashment Fund Trust

Transactions with Related parties:

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases: Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or lease payments at the inception of the lease, whichever is lower.

Operating Leases: Lease payment under operating leases are recognized as an expenses, as and when incurred in the statement of Profit and Loss Account over the lease term. Amount of lease payments recognized in P&L account for operating lease is ₹ 300.37 crore (for FY 2024-25 ₹ 252.04 crore).

Accounting Standard 20 - Earnings per Share

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Basic E.P.S.	₹ 9.13	₹ 7.48
Diluted E.P.S.	₹ 9.13	₹ 7.48
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax (in Crore)	7019.32	5519.79
b) Weighted Average number of Equity Shares (in Crore)	769.16	737.89
c) Basic/ Diluted Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹ 9.13	₹ 7.48
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements:

The financial results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited have been consolidated with the parent bank in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income:

a) Current tax

During the FY2025-26 Bank has debited to P&L Rs.855.29 crore (Nil for FY2024-25) on account of current Tax. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961.

b) Deferred Tax

Based on the review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:



(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	NIL	NIL
2) On account of provisions for Employees benefits	31.72	26.67
3) On account of AFS Reserve (created out of AFS Reserve)	121.92	—
4) Other Provisions where DTA is created	752.50	740.31
Sub-Total (A)	906.14	766.98
Deferred Tax Liabilities		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	12.90	12.90
2) On account of AFS Reserve (created out of AFS Reserve)	—	117.28
Sub-Total (B)	12.90	130.18
Net Deferred Tax Asset (A-B)	893.24	636.80

As the bank has opted for lower tax rate permitted under section 115 BAA of the Income Tax Act 1961 from AY 2021-22, the provisions of section 115JB of the Income Tax Act are not applicable to the bank.

Accounting Standard – 24 – Discontinuing Operations:

The Bank, during the financial year 2025-26, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

Accounting Standard 26 – Accounting for Intangible Assets:

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	- 3 years.
Amortization Rate	- 33.33 %
Amortization Method	- Straight line at cost

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Software at the beginning of the year	77.42	95.83
Software acquired during the year	107.33	44.89
Amortization during the year	61.68	63.30
Net carrying amount at the end of the year	123.07	77.42

Accounting Standard 28- Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.



Accounting Standard 29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Claim against the bank not acknowledged as debt on year end

(Amount in ₹ crore)

Category	FY 2025-26	FY 2024-25
Balance Outstanding (Claims against the Bank not acknowledged as debts)	1343.25	1356.67
Provision Held	7.01	6.79

17

In respect of Maharashtra Gramin Bank, Central Government vide Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 notified amalgamation of Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB) with Maharashtra Gramin Bank (MGB). Accordingly, Vidharbha Konkan Gramin Bank, sponsored by Bank of India is amalgamated into Maharashtra Gramin Bank Sponsored by Bank of Maharashtra with effect from May 1st 2025 (having 35% share).

Further, on account on the above amalgamation of VKGB with MGB, the carrying amount of bank investment in associate amounting to ₹ 380.02 crores has been adjusted as under:

- Bank undertook valuation of its associate and accordingly impairment loss of ₹ 280.59 crore was booked in Standalone Financial Statement of the Bank during the year.
- Balance amount of ₹ 99.43 crore has been adjusted in Reserves & Surplus of the consolidated financials as per AS-23 "Accounting for investment in Associates".

18

The Board has recommended a final dividend of ₹ 1.20 per equity share (i.e., 12% on the face value of ₹ 10 per equity share) for the financial year 2025 26, subject to requisite approval from the shareholders.

This final dividend, if approved, will be in addition to the interim dividend of ₹1.00 per equity share (10%) declared and paid during the financial year.

19

Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure.



Statement of Cash Flow (Standalone) for the year ended 31st March 2026

(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026		Year ended on March 31, 2025	
A. Cash Flow From Operating Activities:				
Income				
Interest received during the year from advances, Investments etc.	29281,64,24		24947,45,17	
Other Income	3540,88,90	32822,53,14	3454,17,31	28401,62,48
Less: Expenditure & Provisions				
Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	15617,57,67		13281,88,09	
Operating Expenses	6379,13,13		5800,71,49	
Provisions & Contingencies	3806,50,53	25803,21,33	3799,24,31	22881,83,89
Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses		7019,31,81		5519,78,59
Add : Non Cash Items & Items Considered Separately				
Provisions & Contingencies	3806,50,53		3799,24,31	
Depreciation on Fixed Assets	343,56,48		290,57,12	
Profit/Loss on sale of Fixed Assets	-1,75,38		-37,51	
Interest on Bonds, PCPS and PDI	684,22,91		581,30,25	
Increase / Decrease in reserve on account of fair valuation of Investments / Foreign currency translation reserve	-693,64,94	4138,89,60	468,93,75	5139,67,92
Less: Direct Taxes Paid (Net)		11158,21,41		10659,46,51
		905,00,00		-
Cash Profit Generated From Operations (I)		10253,21,41		10659,46,51
Increase / (Decrease) in Operating Liabilities:				
Deposits	43421,76,88		36395,43,69	
Borrowings other than Bond Borrowings	11381,06,05		13310,66,00	
Other Liabilities & Provision	-4776,57,69		-3301,74,04	
Total Increase in Operating Liabilities	50026,25,24		46404,35,65	
Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets				
Investments	19024,91,61		13730,67,10	
Advances	52020,50,69		35843,91,10	
Other Assets	222,83,84		-159,48,02	
Total Increase in Operating Assets	71268,26,14		49415,10,18	
Net Increase in Operating Liabilities Over Operating Assets (II)		-21242,00,90		-3010,74,53
Cash Flow From Operating Activities (A) = (I+II)		-10988,79,49		7648,71,98
B. Cash Flow From Investing Activities				
i) Investment in Associates	-450,46,03		-	
ii) Transferred to capital reserve by selling investments	2,51,60		-	
iii) Sale of Fixed Assets	16,13,31		3,55,33	
iv) Purchase of Fixed Assets	-421,59,82		-519,37,21	
Net Cash Flow From Investing Activities (B)		-853,40,94		-515,81,88



(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026		Year ended on March 31, 2025	
C. Cash Flow From Financing Activities:				
i) Issue/ (Redemption) of Bonds	-		2823,00,00	
ii) Dividend Paid during the year	-1922,88,87		-991,39,23	
iii) Interest on Bonds, PCPS and PDI	-684,22,91		-581,30,25	
iv) Issue of equity shares	-		3500,00,00	
Cash Flow From Financing Activities (C)		-2607,11,78		4750,30,52
Total Cash Flow During The Year (A+B+C)		-14449,32,21		11883,20,63
Represented By –				
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year				
Cash & Balance with RBI		37992,99,37		21161,33,96
Balances with Banks & Money at Call & Short notice		4201,87,42		9150,32,20
Sub Total		42194,86,79		30311,66,16
Cash and Cash equivalents at the end of the year				
Cash & Balances with RBI		26645,30,97		37992,99,37
Balance with banks & money at call & Short notice		1100,23,61		4201,87,42
Sub Total		27745,54,58		42194,86,79
Total Cash Flow During The Year		-14449,32,21		11883,20,63

Note : Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

PRASENJEET FADNAVIS DIRECTOR	PRAVEEN KUMAR DIRECTOR	SANJEEV PRAKASH DIRECTOR	Dr. ABHIJIT PHUKON DIRECTOR
SUSHANTA KUMAR MOHANTY EXECUTIVE DIRECTOR	PRABHAT KIRAN EXECUTIVE DIRECTOR	NIDHU SAXENA MANAGING DIRECTOR & CEO	
NITESH KUMAR JAIN ASST. GENERAL MANAGER, FM&A	KEYUR TALATI ASST. GENERAL MANAGER, FM&A	SUNIL DHOOT CHIEF FINANCIAL OFFICER	
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED			
For M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants FRN – 100515W CA C M Dixit Partner Membership No. : 017532 UDIN: 26017532CZPHSA4265	For M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants FRN – 106041W/ W100136 CA Vitesh D. Gandhi Partner Membership No. : 110248 UDIN: 26110248ASJPHX4461	For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants FRN – 003510S CA D. Manohar Partner Membership No. : 029644 UDIN:26029644IVILKV8957	For M/s. S. Singhal & Co. Chartered Accountants FRN – 001526C CA Mukesh Kumar Khandelwal Partner Membership No. : 074661 UDIN:26074661FPGZFT2758
Place: Pune Date: April 20, 2026			



M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants, D-509, Neelkanth Business Park, Nathani Rd, Vidhya Vihar West, Mumbai - 400086.	M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants, 4th Floor, Capital One, Opp. Ashok Vatika BRTS Stop, Ambli Bopal Road, Ahmedabad 380058
M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants, H. No. 6-3-244/5 Saradadevi Street, Premnagar, Hyderabad - 500004	M/s. S. Singhal & Co. Chartered Accountants, S-4, Gordhan Enclave, 4B, Yudhister Marg, C-Scheme, Jaipur - 302005

Independent Auditors' Report

To,
The President of India and Members of "BANK OF MAHARASHTRA"

c) the Statement of Cash Flows gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying standalone financial statements of Bank of Maharashtra, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2026, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Head Office, 20 branches and one Treasury and International Banking Division audited by us and 633 branches (including 1 International Banking Unit situated in Gujarat International Finance Tec-City) audited by Statutory Branch Auditors of the Bank.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 2132 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 21.45% of advances, 47.35% of deposits, 21.80% of interest income and 47.65% interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2026;
- the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended 31st March, 2026 and

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, directions and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

- We draw attention to Note No. 4(x) in Schedule 18 of the Standalone Financial Statements which states that the bank holds additional COVID-19 related provision amounting to Rs. 1010 Crores as contingency provision as on 31 March 2026.
- We draw attention to Note 17 in Schedule 18 of Standalone Financial Statements which states that in respect of investments in the associate Maharashtra Gramin Bank, pursuant to the amalgamation of Vidarbha Konkan Gramin Bank with Maharashtra Gramin Bank, an impairment loss of Rs. 280.59 Crore has been recognised in the Standalone Financial Statements.

Our Opinion is not modified in respect of these matters.



Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	Classification of advances and compliance with RBI IRACP guidelines: (Refer Schedule 9 to the Balance sheet and Note No. 4 of Schedule 17 – Significant Accounting Policies annexed to and forming part of the standalone financial statements for the year ended March 31, 2026) As of March 31, 2026, Advances constitute a significant portion @ 67.41% of the total assets of the Bank. Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorised on the basis of security, guarantee and sectors. The Bank classifies advances into performing advances or non-performing advances (NPA) based on the master circulars / directions issued by Reserve Bank of India (RBI) contained in “Prudential Norms for Income Recognition, Asset Classification and Provisioning for Advances” (IRACP), as applicable for the financial year. The instructions / guidelines issued by RBI are applicable for all the credit facilities sanctioned by the Bank and are to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. The IT environment of the Bank is complex and involves a number of independent and interdependent IT systems (including Core Banking Systems CBS) used in the operations of the Bank for processing and recording a large volume of transactions. As a result, there is a high degree of reliance and dependency on such IT systems for the financial reporting process of the Bank. The Bank relies on its CBS for identification of NPA, further categorisation thereof, provisioning and for compliance with the applicable regulatory guidelines. Further, the Bank also avails the services from various experts such as independent valuers, legal experts etc. to determine the valuations and enforceability of security taken against such advances. Considering the high degree of complexity, the classification of advances, provisioning and compliance with RBI IRACP guidelines requires considerable level of management judgment, estimates and application both quantitative as well as	Our audit approach towards the advances portfolio of the bank included a combination of both – testing of the design and operating effectiveness of the internal controls, related processes and substantive procedures in relation to classification of advances and compliance with RBI's IRACP guidelines. Our audit procedures included: - Reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRACP norms for identification, classification and provisioning of the non-performing advances. - Obtained information in respect of manual interventions required in system-based identification and classification of NPAs, evaluated the compensating controls for such manual interventions including authorisation, review and reporting mechanism thereof. - Obtained and reviewed the Risk Control Matrix (RCM) pertaining to the advances and tested the design and operating effectiveness of key internal financial controls with respect to classification of advances and provisioning thereof. - Involved our internal IT expert for testing IT general controls over Income Recognition, Asset Classification and Provisioning process in CBS. - Recomputed on sample basis the overdues, days past due and tested whether the accounts are classified as performing / SMA / NPA accordingly, verified the reporting to RBI's Central Repository of Information on Large Credits ('CRILC'), the dates of NPA (in case of NPA accounts) and ensured that applicable provisioning are made as per the RBI guidelines and policy of the Bank. - Performed various analytical procedures to ascertain the trends in the movement of total advances, NPA and stressed portfolio. - Obtained and perused, on test basis, the reports of the concurrent audits, internal inspections, management audits, revenue audits, audit of IRACP logic at product level, Regulatory audits, etc. in order to assess the existence and effectiveness of controls, monitoring and supervision, adherence to the policies, procedures, delegation of powers, instructions from the



Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	qualitative factors prescribed by the regulations. There is a significant risk of material misstatement if the RBI' IRACP guidelines with respect to classification of advances and provisioning are not followed properly. Accordingly, in terms of guidelines contained in Standard on Auditing – SA 701 "Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report", we have identified this aspect as a key audit matter.	controlling offices, compliance and governance mechanism etc. h) In respect of branches audited by us, carried out substantive audit procedures by way of examination of large, stressed, restructured and other advances on test check basis covering the overall portfolio at respective branches including review & perusal of reports of independent valuers, agencies for special monitoring of large advances, reports issued by credit / stock auditors, lenders independent engineers etc., tested the operating effectiveness key internal financial controls at the branch level. i) In accordance with SA – 600 – using the work of another auditors, communicated with the Statutory Branch Auditors (SBAs) for advising them to verify the compliance with the applicable norms regarding classification and provisioning as per IRACP guidelines and policies and procedures followed by the bank. Perused and relied on the reports submitted by the SBAs. j) Obtained and understood the process of consolidation of advances and NPA at zonal offices and at central office. On sample basis checked the consolidation process to ensure correctness and completeness. k) As a part of our substantive audit procedures recalculated the provisions on sample basis for retail and corporate portfolios both for advances under standard category on collective portfolio basis and case to case basis in respect of NPA for ensuring the correctness and completeness of provisions worked out by the Bank. l) Examined the adequacy and appropriateness of the related presentation & disclosures as per applicable accounting standards and regulatory guidelines.
2.	Classification and Valuation of Investments: (Refer Schedule 8 to the Balance sheet Note No. 3 of Schedule 17 of Significant Accounting policies to the Standalone Financial Statements) Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit or Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT). Investments constitute 23.75% of the Bank's total assets as at March 31, 2026 and Interest on Investments comprises 19.86% of the Bank's total income for the year ended March 31, 2026.	Our audit approach towards classification and valuation of investment portfolio is with reference to the RBI Circulars / directives which includes a combination of test of the design, implementation, and operating effectiveness of internal controls, related process and substantive procedures in relation to classification, valuation, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning / depreciation related to Investments. Our audit procedures with respect to audit of classification and valuation of investment portfolio includes: a) We understood and reviewed the methodology and internal control system adopted by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding



Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
2.	These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI), which inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, recognition of income on investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the valuation hierarchy prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA/ FBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies, NAVs of mutual funds, AIFs, VCFs, Security Receipts etc. Considering the complexity and significant judgement involved in investment valuation, the volume of transactions, the size of the investment portfolio, and the heightened regulatory focus, our audit concentrated on the valuation of investments, their classification, identification of non performing investments, and the related provisioning. Accordingly, this area has been determined to be a Key Audit Matter.	valuation, classification, income recognition, identification of Non-Performing Investments (NPIs) and provisioning / depreciation related to investments; b) We have performed a review, on a sample basis, of investment agreements, term sheets, deal tickets and broker contract notes executed during the year to obtain an understanding of the key terms and conditions of investments which had an impact on the valuation of the investment portfolio. c) For the selected sample of investments, tested the existence, accuracy, completeness and compliance with the RBI guidelines and directives for each category of the security. Samples were selected in such a way that all the categories of investments (based on nature of security) were covered. d) Verified Investment portfolio on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain / loss on sale and tested the controls implemented by the Bank in recognizing the profit / loss to profit and loss account. e) We have performed an assessment of the design and implementation of controls and evaluated the process adopted by management for collection and aggregation of information from various sources for determination of fair value of investments. In addition, we have carried out independent valuation procedures, on a test check basis, in respect of unquoted investments using valuation methodologies prescribed under the applicable RBI guidelines, and compared the results with the values determined by management. f) We have assessed the process for identification of NPIs, including the related reversal of income and creation of provisions, with reference to applicable guidelines issued by the RBI. On a sample basis, tested investments across categories to evaluate compliance with the RBI norms for NPI classification. Further, performed substantive procedures, including independent re-computation of provisions and depreciation required to be maintained, in accordance with the relevant RBI circulars and directives. g) Reviewed the reports of the internal audits, concurrent audits etc. conducted by the bank. h) We have ensured that adequate disclosures have been made by way of Notes to the financial statements as mandated by the RBI guidelines.



Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
3.	Information Technology Systems and Control Framework: The Bank is having complex Information Technology environment which comprises of various interdependent IT systems and applications used in the day-to-day operations of the Bank for processing and recording large volume of transactions across various locations. Further the Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on the Core Banking Solution (CBS), Treasury Solutions, IRAC and other allied systems, software, network and hardware controls. Considering the high-level of automation, complexity of the IT architecture, simultaneous and significant use of IT systems, appropriate IT general controls and application controls are required to ensure that such IT systems are able to process the data, as expected, completely, accurately and consistently for reliable financial reporting. Hence, IT system controls have been considered as a Key Audit Matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting to the management and regulators.	Our significant audit procedures included the following: - We involved our internal IS Audit team and obtained an understanding of the Bank's IT related control environment, IT applications relevant for the purpose of our audit of the financial statements. - For this purpose, we had discussions with the process owners with respect to various IT policies, processes and procedures put in place by the Bank. Reviewed these IT policies and procedures including user management, change management, backup and recovery procedures, system & cyber security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duties, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure that these are in line with business requirements of the Bank and comply with the relevant regulatory guidelines in this regard. - Tested the design and operating effectiveness of the Bank's IT controls over the IT applications. Tested IT general controls particularly, logical access, change management and aspects of IT operational controls. - Tested that requests for access to systems were appropriately reviewed and authorized; tested controls around Bank's periodic review of access rights; inspected requests of changes to systems for appropriate approvals and authorizations. - Reviewed and placed reliance on the reports of various specialised audits by internal / external IS Auditors, consultants appointed by the Bank and discussed with IT Department on compliance with key IT controls, including IRAC Automation Controls. - In addition to the above, we tested the design and operating effectiveness of certain automated controls that were considered as key internal controls over -financial reporting. - On sample basis, verified the results obtained from the systems with the other information sources; and tested logic used for extracting the data. - Tested combination of compensating controls or remediated controls such as reconciliations between systems and other information sources and / or performed alternative audit procedures, where necessary.



Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
4.	Provisions and Contingent Liability: Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 10 of Schedule 17 and Note No. 16 of Schedule 18) There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law.	Our audit procedures with respect to audit of provisions and contingent liability includes: - We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. - Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities / judicial forums and follow up actions thereon; - Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of experts. - We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax/non tax positions. Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions. - Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters. - Our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements / interpretation of law involved. - Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Head office.

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report Thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for preparation of the other information. The other information includes Corporate Governance Report and Directors Report with annexures (but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditors' Report thereon), which is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under the Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our Audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained during the course of audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this matter.



When we read the Corporate Governance Report and Directors' Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI to the extent applicable, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's Financial Reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always

detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of Internal Control relevant to the Audit in order to design Audit procedures that are appropriate in the circumstances. As required by RBI letter DOS.ARG No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we are also responsible for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.



- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. a) We did not audit the financial statements / information of 633 branches (including 1 International Banking Unit situated in Gujarat International Finance Tec-City) included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose Financial Statements / Financial Information reflect total advances of Rs. 102743.26 crores, total deposits of Rs. 168025.14 crores as at March 31, 2026 and total revenue of Rs. 11816.13 crores for the year ended on that date, as considered in the

Standalone Financial Statements. These branches cover 35.19% of advances, 47.93% of deposits and 44.83% of non-performing assets as at March 31, 2026 and 36.00% of revenue for the year ended March 31, 2026. The Financial Statements / Information of these branches have been audited by the Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such Branch Auditors.

- b) The standalone financial statements of the bank for the previous year ended 31st March 2025 were audited by the joint auditors, 2 of them were predecessor audit firms and expressed unmodified opinion on such financial statements vide report dated 25th April 2025.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Standalone Balance Sheet and the Standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 9 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein and as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. As required by letter no. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communications dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:



- a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under the sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the Standalone Financial Statements as at March 31, 2026.

12. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) the Standalone Balance Sheet, the Standalone Profit and Loss Account and the Standalone Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) in our opinion, the Standalone Balance Sheet, the Standalone Profit and Loss Account and the Standalone Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants	For M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants	For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants	For M/s. S. Singhal & Co. Chartered Accountants
FRN – 100515W	FRN – 106041W/ W100136	FRN – 003510S	FRN – 001526C
CA C M Dixit Partner	CA Vitesh D. Gandhi Partner	CA D. Manohar Partner	CA Mukesh Kumar Khandelwal Partner
M No 017532	M No 110248	M No 029644	M No 074661
UDIN: 26017532CZPHSA4265	UDIN: 26110248ASJPHX4461	UDIN:26029644IVILKV8957	UDIN:26074661FPGZFT2758

Place: Pune

Date: April 20, 2026



M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants, D-509, Neelkanth Business Park, Nathani Rd, Vidhya Vihar West, Mumbai - 400086.	M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants, 4th Floor, Capital One, Opp. Ashok Vatika BRTS Stop, Ambli Bopal Road, Ahmedabad 380058
M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants, H. No. 6-3-244/5 Saradadevi Street, Premnagar, Hyderabad - 500004	M/s. S. Singhal & Co. Chartered Accountants, S-4, Gordhan Enclave, 4B, Yudhister Marg, C-Scheme, Jaipur - 302005

Annexure “A” To The Independent Auditors’ Report

(Referred to in paragraph 11(e) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the “RBI”) Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the “RBI communication”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements of Bank of Maharashtra (“the Bank”) as of March 31, 2026 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements of the Bank’s branches.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls:

The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (“ICAI”). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we

comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

A Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A Bank’s internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements includes those policies and procedures that:

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the



transactions and dispositions of the assets of the Bank;

- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting with reference to

Standalone Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements and such internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2026, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 236 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants	For M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants	For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants	For M/s. S. Singhal & Co. Chartered Accountants
FRN – 100515W	FRN – 106041W/ W100136	FRN – 003510S	FRN – 001526C
CA C M Dixit Partner	CA Vitesh D. Gandhi Partner	CA D. Manohar Partner	CA Mukesh Kumar Khandelwal Partner
M No 017532	M No 110248	M No 029644	M No 074661
UDIN: 26017532CZPHSA4265	UDIN: 26110248ASJPHX4461	UDIN:26029644IVILKV8957	UDIN:26074661FPGZFT2758

Place: Pune

Date: April 20, 2026



Pillar 3 Disclosures - 31 Mar 2026

Basel III Pillar 3 disclosures as on 31 March 2026 is made available on Bank's website under "Disclosure" section. For details, please visit our official website link -

https://bankofmaharashtra.bank.in/basel_iii_disclosure



Consolidated Financial Statement



CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2026

(Amount in ₹ thousand)

	Schedule	As on March 31, 2026 (Current year)	As on March 31, 2025 (Previous year)
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	7691,55,50	7691,55,50
Reserves and Surplus	2	25533,07,89	21016,42,09
Minority Interest	2A	-	-
Deposits	3	350538,24,16	307120,30,35
Borrowings	4	35233,57,55	23852,51,50
Other Liabilities and Provisions	5	8474,93,84	9673,01,21
TOTAL		427471,38,94	369353,80,65
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	26645,31,05	37992,99,50
Balances with Banks, Money at call and short notice	7	1100,28,90	4201,91,43
Investments	8	101587,89,76	82215,73,31
Advances	9	288104,30,21	236083,79,53
Fixed Assets	10	2961,79,21	2915,62,22
Other Assets	11	7071,79,81	5943,74,66
TOTAL		427471,38,94	369353,80,65
Contingent Liabilities	12	43562,24,61	40941,19,60
Bills for Collection		7193,48,18	6972,38,60
Significant accounting policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Financial Statements.

PRASENJEET FADNAVIS DIRECTOR	PRAVEEN KUMAR DIRECTOR	SANJEEV PRAKASH DIRECTOR	Dr. ABHIJIT PHUKON DIRECTOR
SUSHANTA KUMAR MOHANTY EXECUTIVE DIRECTOR	PRABHAT KIRAN EXECUTIVE DIRECTOR	NIDHU SAXENA MANAGING DIRECTOR & CEO	
NITESH KUMAR JAIN ASST. GENERAL MANAGER, FM&A	KEYUR TALATI ASST. GENERAL MANAGER, FM&A	SUNIL DHOOT CHIEF FINANCIAL OFFICER	
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED			
For M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants FRN – 100515W CA C M Dixit Partner Membership No. : 017532 UDIN: 26017532TKMGFC4849	For M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants FRN – 106041W/ W100136 CA Vitesh D. Gandhi Partner Membership No. : 110248 UDIN: 26110248EOZMWS6466	For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants FRN – 003510S CA D. Manohar Partner Membership No. : 029644 UDIN:26029644TTMBCK8027	For M/s. S. Singhal & Co. Chartered Accountants FRN – 001526C CA Mukesh Kumar Khandelwal Partner Membership No. : 074661 UDIN: 26074661DMPLDX2998
Place: Pune Date: April 20, 2026			



CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Amount in ₹ thousand)

	Schedule	Year ended on March 31, 2026 (Current year)	Year ended on March 31, 2025 (Previous year)
I. INCOME			
Interest earned	13	29281,74,33	24947,58,06
Other Income	14	3541,97,90	3455,02,45
TOTAL		32823,72,23	28402,60,51
II. EXPENDITURE			
Interest expended	15	15616,14,87	13280,57,51
Operating Expenses	16	6379,93,13	5801,49,65
Provisions & contingencies		3807,00,72	3799,66,64
TOTAL		25803,08,72	22881,73,80
PROFIT/LOSS			
Share of earnings/ loss in Associates		(37,790)	20,90,97
Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		7016,85,61	5541,77,68
Less: Minorities' Interest		-	-
Consolidated Net profit/(loss) for the year attributable to the group		7016,85,61	5541,77,68
Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		6377,93,23	3635,32,93
Less: Loss attributable to the group (relate to VKGB)		(99,43,28)	
TOTAL		13295,35,56	9177,10,61
III. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		1754,94,62	1385,44,42
Transfer to Capital Reserve		87,79,55	44,99,64
Transfer to Revenue Reserve		-	-
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to Investment Fluctuation Reserve		450,00,00	215,00,00
Transfer to Investment Reserve		-	-
Proposed dividend (Equity)		1692,14,21	1153,73,32
Balance carried over to Consolidated Balance Sheet		9310,47,18	6377,93,23
TOTAL		13295,35,56	9177,10,61
Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		9.12	7.51

PRASENJEET FADNAVIS
DIRECTOR

PRAVEEN KUMAR
DIRECTOR

SANJEEV PRAKASH
DIRECTOR

Dr. ABHIJIT PHUKON
DIRECTOR

SUSHANTA KUMAR MOHANTY
EXECUTIVE DIRECTOR

PRABHAT KIRAN
EXECUTIVE DIRECTOR

NIDHU SAXENA
MANAGING DIRECTOR & CEO

NITESH KUMAR JAIN
ASST. GENERAL MANAGER, FM&A

KEYUR TALATI
ASST. GENERAL MANAGER, FM&A

SUNIL DHOOT
CHIEF FINANCIAL OFFICER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For M/s. G D Apte & Co.
Chartered Accountants

FRN – 100515W

CA C M Dixit
Partner

Membership No. : 017532
UDIN: 26017532TKMGFC4849

For M/s. Manubhai & Shah LLP
Chartered Accountants

FRN – 106041W/ W100136

CA Vitesh D. Gandhi
Partner

Membership No. : 110248
UDIN: 26110248EOZMWS6466

For M/s. Sagar & Associates
Chartered Accountants

FRN – 003510S

CA D. Manohar
Partner

Membership No. : 029644
UDIN:26029644TTMBCK8027

For M/s. S. Singhal & Co.
Chartered Accountants

FRN – 001526C

CA Mukesh Kumar Khandelwal
Partner

Membership No. : 074661
UDIN: 26074661DMPLDX2998

Place: Pune
Date: April 20, 2026



1

Schedule 1 - Capital

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
Authorised Capital				
10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous Year 10,00,00,00,000) of Rs. 10/- each		10000,00,00		10000,00,00
Issued & Subscribed				
769,15,54,950 Equity Shares (Previous Year 769,15,54,950) of Rs.10/- each				
Opening Balance	7691,55,50		7081,37,36	
Additions during the year	-	7691,55,50	610,18,14	7691,55,50
Paid Up Capital				
a. Held by Central Government	5661,05,96		6122,62,79	
566,10,59,630 (Previous Year 612,26,27,927) Equity shares of Rs.10/- each				
b. Held by the Public & Others	2030,49,54		1568,92,71	
156,89,27,023 (Previous Year 95,87,45,712) Equity Shares of Rs.10/- each				
Less: Allotment money due	-	7691,55,50	-	7691,55,50
Total		7691,55,50		7691,55,50

2

Schedule 2 - Reserves and Surplus

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. STATUTORY RESERVE				
i) Opening Balance	4848,70,55		3463,26,13	
ii) Addition during the year	1754,94,62	6603,65,17	1385,44,42	4848,70,55
II. CAPITAL RESERVE				
i) Opening Balance	764,69,19		719,69,55	
ii) Addition during the year	90,31,15		44,99,64	
iii) Deduction during the year	-	855,00,34	-	764,69,19
III. SHARE PREMIUM				
i) Opening Balance	3867,25,43		977,43,56	
ii) Addition during the year	-	3867,25,43	2889,81,87	3867,25,43



(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
IV. REVENUE AND OTHER RESERVES				
a) REVENUE RESERVE				
i) Opening Balance	2222,50,96		2010,43,02	
ii) Addition during the year	57,68,33		212,07,94	
iii) Deduction during the year	-	2280,19,29	-	2222,50,96
b) SPECIAL RESERVE				
i) Opening Balance	51,26,04		51,26,04	
ii) Deduction during the year	-	51,26,04	-	51,26,04
c) REVALUATION RESERVE				
i) Opening Balance	1894,25,09		1443,34,12	
ii) Addition during the year	-		1923,71,48	
iii) Deduction during the year	75,17,31	1819,07,78	1472,80,51	1894,25,09
d) INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE ACCOUNT				
i) Opening Balance	641,10,00		426,10,00	
ii) Addition during the year	450,00,00		215,00,00	
iii) Deduction during the year	-	1091,10,00	-	641,10,00
e) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) Opening Balance	-		62,39,41	
ii) Addition during the year	-		-	
iii) Deduction during the year	-	-	62,39,41	-
f) AFS INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) Opening Balance	3,487,160			
ii) Addition during the year	-		348,71,60	-
iii) Deduction during the year	7,112,308	-362,51,48	-	348,71,60
g) FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE				
i) Opening Balance	-		-	
ii) Addition during the year	17,58,14		-	
iii) Deduction during the year	-	17,58,14	-	-
V. BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT				
i) Opening balance	6377,93,23		3635,32,93	
ii) Addition during the Year	2932,53,95		2742,60,30	
iii) Deductions during the Year	-	9310,47,18	-	6377,93,23
Total (I, II, III, IV & V)		25533,07,89		21016,42,09

2A

Schedule 2A - Minority Interest

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
Minority interest at the date on which the parents subsidiary relationship came into existence	-		-	
Subsequent increase / (decrease)	-		-	
Minority interest on the date of Balance sheet	-	-	-	-
Total		-		-



3

Schedule 3 - Deposits

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
A. I. DEMAND DEPOSITS				
i) From Banks	865,83,80		248,29,05	
ii) From others	56932,49,28	57798,33,08	46062,90,43	46311,19,48
II. SAVINGS BANK DEPOSITS		126285,13,75		117343,61,42
III. TERM DEPOSITS *				
i) From Banks	1147,04,19		391,16,48	
ii) From others	165307,73,15	166454,77,34	143074,32,97	143465,49,45
Total (I, II & III)		350538,24,16		307120,30,35
B. i) Deposits of Branches in India		350538,24,16		307120,30,35
ii) Deposits of Branches outside India		-		-
Total (B.i + B.ii)		350538,24,16		307120,30,35

*Includes Lien marked deposits of ₹ 10501,73,42 in thousands (Previous Year ₹. ₹10112,46,83 in thousands)

4

Schedule 4 - Borrowings

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. BORROWINGS IN INDIA				
i) Reserve Bank Of India	-		-	
ii) Other Banks	1185,43,75		-	
iii) Other Institutions and Agencies	19946,30,50		15421,81,50	
iv) Debentures	-		-	
v) Other Borrowings				
a) Perpetual Debt Instruments (PDI) - Tier-I Bond	1880,00,00		1880,00,00	
b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	-		-	
c) Subordinated Debt Bonds- Tier II Bond	4127,70,00		4127,70,00	
d) Infra Bonds	2423,00,00	29562,44,25	2423,00,00	23852,51,50
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA		5671,13,30		-
Total (I & II)		35233,57,55		23852,51,50
III. SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE		-		-



5

Schedule 5 - Other Liabilities And Provisions

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Bills Payable		952,69,18		663,37,11
II. Inter-office adjustments (net)				
a. Parent Company		-		-
b. Subsidiary		-		-
III. Interest Accrued		314,49,74		342,88,68
IV. Others (including provisions):				
a) Provision against standard assets	2152,74,25		2835,08,65	
b) Other liabilities (including provisions)	5055,00,68	7207,74,93	5831,66,77	8666,75,42
Total (I, II, III, IV)		8474,93,84		9673,01,21

6

Schedule 6 - Cash And Balances With Reserve Bank of India

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		1080,42,43		1025,29,21
II. Balances with Reserve Bank of India				
i) In Current Accounts	9345,88,62		12492,70,29	
ii) In other Accounts	16219,00,00	25564,88,62	24475,00,00	36967,70,29
Total (I & II)		26645,31,05		37992,99,50

7

Schedule 7 - Balances With Banks And Money At Call & Short Notice

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. In India				
i) Balances with Banks in				
(a) Current Accounts	4,93,84		2,59,84	
(b) Other Deposit Accounts	15,68,56	20,62,40	15,68,56	18,28,40
ii) Money at call and short notice				
(a) With Banks	-		-	
(b) With Other Institutions	-	-	4177,05,63	4177,05,63
Total (i & ii)		20,62,40		4195,34,03
II. Outside India				
i) Balances with Banks in				
(a) Current Accounts	83,89,75		6,57,40	
(b) Other Deposit Accounts	995,76,75		-	
(c) Money at Call and Short Notice	-	1079,66,50	-	6,57,40
Total		1079,66,50		6,57,40
Grand Total (I & II)		1100,28,90		4201,91,43



8

Schedule 8 - Investments

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Investments in India in				
a) Government Securities		94729,46,69		74852,56,43
b) Other approved securities		-		-
c) Shares		587,11,35		607,21,25
d) Debentures and Bonds		5590,39,94		5588,56,64
e) Associates		587,75,39		521,09,21
f) Others				
i) Units of U T I/ Mutual funds	44,14,45		37,51,97	
ii) Certificate of Deposits	-		608,77,81	
iii) Commercial Papers	49,01,94		-	
iv) PTCs	-		-	
v) Others	-	93,16,39	-	646,29,78
Total		101587,89,76		82215,73,31
II. Investments outside India				
i) Government Securities (including local authorities)		-		-
ii) Associates		-		-
iii) Other Investments (to be specified)		-		-
Total		-		-
Grand Total (I & II)		101587,89,76		82215,73,31
III. Investments in India				
i) Gross Value of Investments	102865,04,92		82109,51,15	
ii) Add/Less: Appreciation/(Depreciation) on Investment	(550,47,97)		443,19,83	
iii) Less: Provisions on Investment	726,67,19	101587,89,76	336,97,67	82215,73,31
iv) Net Investment (i+ii-iii)		101587,89,76		82215,73,31
Details of Investments:				
I. Investment in Associates		587,75,39		521,09,21
II. Other Investments		101000,14,37		81694,64,10
Total (I & II)		101587,89,76		82215,73,31



9

Schedule 9 - Advances

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
A. i) Bills purchased and discounted	4473,42,49		4110,47,48	
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	53286,76,00		53744,50,78	
iii) Term Loans	230344,11,72	288104,30,21	178228,81,27	236083,79,53
Total (i + ii + iii)		288104,30,21		236083,79,53
B. i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	238359,21,56		197165,37,24	
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	547,51,02		642,46,23	
iii) Unsecured	49197,57,63	288104,30,21	38275,96,06	236083,79,53
Total (i + ii + iii)		288104,30,21		236083,79,53
C. I. Advances in India				
i) Priority Sector	109349,46,00		90492,59,70	
ii) Public Sector	30401,31,10		21940,34,77	
iii) Banks	1938,22,05		499,98,05	
iv) Others	144616,25,45	286305,24,60	123150,87,01	236083,79,53
II. Advances outside India				
i) Due from banks	-			
ii) Due from others	1799,05,61			
(a) Bills purchased and discounted	-			
(b) Syndicated loans	805,40,33			
(c) Others	993,65,28	1799,05,61		
Total (C.I & C.II)		288104,30,21		236083,79,53



10

Schedule 10 - Fixed Assets

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Premises *				
1. At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	2488,71,60		1951,22,45	
2. Addition during the Period	45,77		57,11,80	
3. Addition on account of revaluation during the year	-		1894,25,09	
	2489,17,37		3902,59,34	
4. Deductions during the year#	30,21,96		1413,87,74	
	2458,95,41		2488,71,60	
5. Depreciation to date	445,93,06	2013,02,35	397,08,58	2091,63,02
II. Capital Work in progress		8,01,21		4,36,05
III. Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
1. At cost as on 31st March of the preceding year	2041,46,24		1835,93,26	
2. Addition during the Period	417,48,89		467,58,89	
	2458,95,13		2303,52,15	
3. Deduction during the Period	28,65,92		262,04,86	
	2430,29,21		2041,47,29	
4. Depreciation to date	1489,53,56	940,75,65	1221,84,14	819,63,15
Total (I, II & III)		2961,79,21		2915,62,22

On account of revaluation during FY 2024-25



11

Schedule 11 - Other Assets

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Inter-office adjustments (net)				
a. Parent Company		532,58,87		68,56,74
b. Subsidiary Companies		-		-
II. Interest accrued		2104,51,53		1618,50,31
III. Tax paid in advance/tax deducted at source		1771,85,45		1758,21,37
IV. Stationery and Stamps		2,56,72		2,83,06
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims		-		-
VI. Deferred Tax Assets (net)		893,27,93		636,85,02
VII. Others (Incl RIDF)		1766,99,31		1858,78,16
Total (I, II, III, IV, V, VI & VII)		7071,79,81		5943,74,66

* Note : Includes RIDF amounting to ₹ 479,30,52 thousands (Previous year ₹ 924,20,74 thousands)

12

Schedule 12 - Contingent Liabilities

(Amount in ₹ thousand)

	As on March 31, 2026 (Current year)		As on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Claims against the Bank not acknowledged as debts		1343,30,19		1356,72,42
II. Liability for partly paid investments		-		-
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		24365,83,14		25776,35,28
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
(a) In India	13429,40,49		10865,74,83	
(b) Outside India	305,56,72	13734,97,21	379,32,81	11245,07,64
V. Acceptances, endorsements and obligations		2935,65,34		1486,82,30
VI. Other items for which Bank is contingently liable		1182,48,73		1076,21,96
Total (I, II, III, IV, V & VI)		43562,24,61		40941,19,60

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts.



13

Schedule 13 - Interest Earned

(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026 (Current year)		Year ended on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Interest/Discount on Advances/Bills		22490,31,12		19291,50,58
II. Income on Investments	6539,14,16		5373,03,06	
Less - Amortisation of Investments	19,19,74	6519,94,42	12,47,34	5360,55,72
III. Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		218,55,53		202,63,54
IV. Others (incl RIDF)		52,93,26		92,88,22
Total (I, II, III & IV)		29281,74,33		24947,58,06

14

Schedule 14 - Other Income

(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026 (Current year)		Year ended on March 31, 2025 (Previous year)	
I. Commission, exchange, and brokerage		1861,92,83		1740,56,74
II. Profit on sale of investments	471,06,93		234,74,35	
Less : Loss on sale of Investments	113,69,12	357,37,81	14,72,23	220,02,12
III. Profit on revaluation of Investments	-		-	
Less: Loss on revaluation of Investments	(2,805,867)	(2,805,867)	-	-
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets	15,62,66		2,34,13	
Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	13,87,28	1,75,38	1,96,62	37,51
V. Profit on Exchange Transactions	125,67,64		63,29,42	
Less: Loss on Exchange Transactions	-	125,67,64	-	63,29,42
VI. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/companies and/or Joint Ventures abroad/in India		2,53,68		1,71,64
VII. Miscellaneous Income*		1473,29,23		1429,05,02
Total (I, II, III, IV, V, VI & VII)		3541,97,90		3455,02,45

* Includes Recoveries made in write-off accounts ₹ 1423,10,48 In thousands (Previous year - ₹ 1374,88,06 In thousands)



15

Schedule 15 - Interest Expended

(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026 (Current year)	Year ended on March 31, 2025 (Previous year)
I. Interest on deposits	13470,92,97	12293,75,21
II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	80,95,23	22,52,43
III. Others	2064,26,67	964,29,87
Total (I, II & III)	15616,14,87	13280,57,51

16

Schedule 16 - Operating Expenses

(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026 (Current year)	Year ended on March 31, 2025 (Previous year)
I. Payments to and provisions for employees	3375,18,85	3441,77,35
II. Rent, taxes and lighting	385,71,01	326,51,12
III. Printing and stationery	33,05,82	36,85,39
IV. Advertisement and publicity	63,16,91	48,39,78
V. Depreciation on Bank's property	343,60,53	290,59,75
VI. Directors' fees, allowances and expenses	39,64	123,26
VII. Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	22,72,18	19,65,03
VIII. Law Charges	82,59,71	81,41,44
IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	55,41,48	50,28,83
X. Repairs and maintenance	422,90,86	315,95,31
XI. Insurance	413,31,14	364,18,62
XII. Other expenditure	1181,85,00	824,63,77
Total (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	6379,93,13	5801,49,65



Schedule 17 – Significant Accounting Policies

(Annexed To And Forming Part Of The Consolidated Accounts For The Year Ended 31st March 2026)

1

Basis of Preparation of Financial Statements:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency, and accrual, except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The financial statements have been prepared in accordance with requirements under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949.

1.2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.

1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.

1.6 The financial statements of the subsidiary and associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2025.

2

Principles of Consolidation:

A. Parent Entity:

The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B. Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred to as "METCO")	India	Wholly Owned Subsidiary	100%

The following associate enterprise has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%

C. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements & its impact

The Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared on the basis of :

- Audited financial statement of Bank of Maharashtra.
- Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiary with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/ transactions in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by ICAI.
- Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The excess of carrying cost of bank's investment in associate is recognized in the financial statements as goodwill.



- iv. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the financial statements as goodwill / capital reserve.
- v. The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.
- vi. The financial statements of the subsidiary have been regrouped with that of the parent bank, wherever necessary.

3

Foreign Exchange Transactions:

- 3.1** The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- 3.2** Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on a quarterly basis. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 - "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard at the end of the respective quarter.

The resultant exchange gain / loss is accumulated in a separate account i.e. to Foreign Currency Translation Reserve till the disposal of assets / liabilities.

- 3.3** Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FBIL for specified maturities by discounting the same at the Modified MIFOR rate published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. [FBIL] i.e. on PV01 basis.

The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

- 3.3** Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.
- 3.4** Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

4

Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- 4.1** Investments are classified in the following categories:
 - a. Held to Maturity (HTM)
 - b. Available for sale (AFS)
 - c. Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT)

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures is held in a distinct category separate from above category.
- 4.2** All the investments are classified as investments in India and are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:
 - a. Government Securities
 - b. Other approved Securities
 - c. Shares
 - d. Debentures and Bonds
 - e. Subsidiaries and Joint Ventures (including Associates)
 - f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

4.3 Initial Recognition:

- i. Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, then the acquisition cost is taken as the fair value. Any discount or premium on securities under HTM, AFS, and FVTPL is amortized over the remaining



life of the instrument. Any sale from HTM (within limit of 5%) is as per Board approved policy.

- ii. Fair value measurements are categorized into following 3 fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable.
 - a. "Level 1" - wherein inputs used for valuation of a financial instrument are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the bank can access at the measurement date;
 - b. "Level 2" – wherein inputs used for valuation of a financial instrument are inputs other than quoted prices that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (such as yield curve, credit spread etc.);
 - c. "Level 3" – wherein valuation is based on unobservable inputs.
- iii. Recognition of Day 1 Gain/Loss:
 - a. Day 1 gain / loss arising in initial recognition of Level 1 and Level 2 hierarchy, is recognized in the Profit and Loss Account, under item III- 'Profit/Loss on revaluation of investments(net)' under Schedule 14: 'Other Income'.
 - b. Any Day 1 loss arising from Level 3 investments is recognized immediately.
 - c. Any Day 1 gains arising from Level 3 investments is deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain is set aside as a liability until the security is listed or derecognized.
- iv. Bank follows 'Settlement Date' accounting for recording purchase and sale of transactions in Government Securities.
- v. Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.
- vi. Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.
- vii. Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

4.4 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased

under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

4.5 Classification and Valuation of investments::

a. Held to Maturity (HTM):

- i. Securities under the category 'Held to Maturity' is acquired with the intention and objective of holding it to maturity i.e. the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows. The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payment of principal and interest on principal outstanding ("SPPI criterion") on specified date.
- ii. Securities held in HTM is carried at cost and not be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount or premium on the securities under HTM is amortized over the remaining life of the instrument.
- iii. Any profit or loss on the sale of investments in HTM is recognized in the profit and loss account under item II of Schedule 14 Other Income. The profit on sale of an investment in HTM is appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve Account. The amount so appropriated is net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.

b. Available for Sale (AFS):

- i. Securities under the category 'Available for Sale' is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities before maturity.
- ii. The securities held in AFS is fair valued at least on quarterly basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortized over the remaining life of the instrument. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e. Government Securities, other approved securities, bonds and debentures, etc) held under AFS is aggregated.
- iii. The net appreciation or depreciation is directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve.
- iv. Upon sale or maturity of any instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account. In case of equity instrument, any gain or loss on sale of such investment is transferred from AFS Reserve to the Capital Reserve.



c. Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL):

- i. Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS is classified under FVTPL with a subcategory named Held for Trading (HFT). Any instrument that is held for one or more of the following purposes is designated as a Held for Trading (HFT) instrument:
 - a. short-term resale;
 - b. profiting from short-term price movements;
 - c. locking in arbitrage profits; or
 - d. hedging risks that arise from instruments meeting (a), (b) or (c) above.
- ii. The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with the RBI guidelines. The short position is categorized under HFT and netted off from investments in government securities. The short position along with other government securities under HFT portfolio is marked to market and the resultant MTM profit or loss, is taken to the Profit and Loss Account. Profit / Loss on short sale is recognized on settlement date.
- iii. The securities held in FVTPL is fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account.
- iv. The securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL is fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL is fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- v. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortized over the remaining life of the instrument.

d. Fair valuation:

- i. For the purpose of initial recognition and subsequent measurement, investments are fair valued based on RBI guidelines. Securities are valued scrip-wise.
- ii. Quoted investments are valued based on the closing quotes on the recognised stock exchanges or prices declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) / Financial Benchmark India Private Limited (FBIL), periodically.
- iii. The market / fair value of unquoted government securities which are in nature of Statutory Liquidity Ratio (SLR) securities included in the AFS and FVTPL categories is as per the rates published by FBIL and for unquoted corporate bonds, security level valuation (SLV) published by FIMMDA. The valuation of other unquoted fixed income securities, including Pass Through Certificates, wherever linked to the Yield-to-Maturity (YTM) rates, is computed with a

mark-up (reflecting associated credit risk) over the YTM rates for government securities published by FIMMDA.

- iv. Treasury bills, commercial papers and certificate of deposits, being discounted instruments, are valued at carrying cost.
- v. Unquoted equity shares are valued at the break-up value, if the latest balance sheet is available, or at Re. 1/-, as per RBI guidelines.

Investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) are categorized under FVTPL and are valued at the net asset value (NAV) declared by the VCF. If the latest NAV is not available continuously for more than 18 months, the units of VCF are valued at Re. 1/-, as per RBI guidelines.

4.6 Non Performing Investments:

Non-performing investments are identified and depreciation / provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation / provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

4.7 Derivatives:

Interest Rate Swaps:

i. Valuation:

- a. **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
- b. **Trading Swaps:** Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

ii. Accounting of income on derivative deals:

- a. **Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
- b. **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

iii. Accounting of gain or loss on termination of swaps:

- a. **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
- b. **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.



4.8 Investment Fluctuation Reserve:

As per RBI master direction, Investment Fluctuation Reserve (IFR) to be created until the amount of IFR is at least 2% of AFS and FVTPL (Including HFT) portfolio, on continuous basis, by transferring to the IFR of an amount not less than the lower of the following.

Transfer to IFR is lower of the following –

- Net profit on sale of Investments during the year or
- Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis

Bank has been permitted to draw down the balance from IFR in excess of 2% of its AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, for credit to the balance of profit/loss as disclosed in the profit and loss account at the end of any accounting year subject to the conditions stipulated in RBI guidelines.

5

Advances:

- 5.1** Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and bills rediscounted.

- 5.2** Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -

Sub-Standard - 20%

Doubtful Assets

One to three years - 50% on secured portion

The Bank also makes additional provision on specific non performing assets

- 5.3** Provision for performing assets, is shown under the head "Other liabilities and provisions".

- 5.4** In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However, if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

6

Fixed Assets and Depreciation:

- 6.1** Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

- 6.2** Depreciation method is on Straight Line Method (SLM), for all Assets based on useful life of the assets. Depreciation is provided for at the rates specified below, so as to write down value of assets to Rupee One over the useful life of the assets

S. N.	Category of Asset	Useful Life of Assets (In Years)	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	60	1.667
2	General Items including Safe	10	10
3	Electrical – Television, Mobile Phones, Home Theater, Printer, Camera	3	33.33
4	Electrical Equipment's - Others	7	14.29
5	Office Machinery	5	20
6	Motor Vehicles	8	12.5
7	Safe Deposit Vaults	10	10
8	Computers & Laptops	3	33.33
9	ATM	7	14.29
10	UPS	5	20
11	BNA	7	14.29
12	Cash Re-cycler	7	14.29



- 6.3** In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

Similarly, in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year.

- 6.4** Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets net of salvage value (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on straight line method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

- 6.5** In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis in accordance with AS 19.

6.6 In case of the subsidiary:

In the case of METCO, fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost includes all expenditure necessary to bring the asset to its working conditions for its intended use. Assets sold are reduced from the fixed assets and after taking effect of depreciation, profit / loss has been calculated. Depreciation is provided on the written down value basis applying new standards as per Companies Act 2013, on the basis of useful life of assets.

7

Revenue Recognition

- 7.1** All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

- Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.
- Income from commission like on Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued, Annual Maintenance Charges for cards and Locker Rent.

- Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- Insurance claims.
- Remuneration on Debenture Trustee Business.
- Loan originations / renewal fees.
- Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

- 7.2** Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021.

8

Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-04-2010, which is a defined contribution Pension Scheme, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a contribution from the Bank equivalent to 14% of the basic pay plus dearness allowance. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity, Pension & Privilege Leave schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/ financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are provided based on Actuarial valuation.



9

Segment Reporting:

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

10

Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

11

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29 - "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation for which a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

12

Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies / others.

13

Tax on Income:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonable certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is accepted by the bank and the same is not contested before appellate authority **OR** when such demand is upheld by jurisdictional tribunal and there is no favorable judgement of other tribunal on identical issue and bank does not prefer to go before High Court **OR** when such demand is upheld by High Court.

14

Earnings Per Share

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15

Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include Cash and Balances with RBI, Balances with Banks and money at call and short notice.



Schedule 18: Notes To Accounts

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

(Annexed To And Forming Part Of The Consolidated Accounts For The Year Ended 31st March 2026)

1

Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT)" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 dated 28 November 2025.

The Bank has made an appropriation of ₹ 450.00 crores (₹ 215.00 crores) to Investment Fluctuation Reserve (IFR) out of profit of current year

2

The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

2.1 Accounting Standard 3 – Cash Flow Statement:

The bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

2.2 Accounting Standard 4 – Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date:

There are no material events occurring after the balance sheet date.

2.3 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts during the year.

2.4 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 7.2, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021.

3

Fixed Assets

The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

i. In accordance with the As-10 "Property, Plant and Equipment" depreciation of ₹ 45.22 Crore (₹ 29.46 crore) for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of ₹ 45.22 crore (₹ 29.46 crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

ii. Certain premises of bank are stated at revalued amount. The gross amount of such revaluation included in premises at the end of the year is ₹ 1864.30 Crore (₹ 1894.25 Crores) and net of depreciation the revaluation amounts to ₹ 1819.09 Crores (₹ 1413.87 Crores).

The title deeds in respect of few revalued premises having cost of ₹ 9.19 crores (₹ 9.19 crores) are not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain long pending disputes / formalities.

iii. There are cases pending for leased premises where no contingent liability is recognized as the Bank is defending all these cases filed against it by landlords of Branch Premises due to expiration of lease deeds. Out of these, in case Bank accounts for its liability to amount ₹ 7.97 crores (₹ 1.05 crores) towards increment in rent due to as per original deeds as the base rent are continued to be paid to the landlord. In all other cases where landlords have claimed profits, the amount cannot be ascertained unless the court crystalises quantum of profits.

iv. Capital work in progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to ₹ 8.01 Crore (₹ 4.25 Crore) includes construction of building.



4

Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- "Employee Benefits" (Parent Bank)

A. Defined Contribution Plans:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
a. Provident Fund	29.80	32.85
b. Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	25.00	15.00
c. Contribution to New Pension Scheme	158.98	136.50

B. Defined Benefit Plans:

- Pension Plan** – This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.
- Gratuity Plan** – This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.
- Leave Encashment/ Compensated Absences** – This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 255 days of accumulated leave based on final pay. Bank has a funded scheme.

I. Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	7992.57	7489.74	746.12	622.07	584.35	432.26
2	Interest Cost	553.45	480.78	56.85	41.17	44.89	28.78
3	Current Service Cost	252.12	262.96	61.95	49.89	143.65	118.27
4	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Benefits Paid	(759.46)	(797.27)	(47.26)	(66.16)	(27.74)	(41.26)
6	Actuarial (Gains)/Losses for the year	251.57	556.36	22.17	99.15	(43.16)	46.30
7	Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	8290.25	7992.57	839.83	746.12	701.99	584.35

II. Change in the Fair Value of Plan Assets:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Opening fair value of plan assets	7988.21	7282.80	726.18	505.56	490.80	374.07
2	Expected return on plan assets	580.74	493.77	57.11	35.33	38.63	26.15
3	Contributions made	349.72	906.61	70.00	240.00	150.00	125.00
4	Benefits paid	(759.46)	(797.27)	(47.26)	(66.16)	(27.56)	(41.20)
5	Actuarial gains/losses	46.70	102.30	4.33	11.45	9.28	6.78
6	Closing fair value of plan assets	8205.91	7988.21	810.36	726.18	661.15	490.80



III. Amount recognized in the Balance Sheet:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Funded Defined Benefit Obligations					
		Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Present Value of Defined Benefit Obligations	8290.25	7992.57	839.83	746.12	701.99	584.35
2	Fair Value of Plan Assets	(8205.91)	(7988.21)	(810.36)	(726.18)	(661.15)	(490.80)
3	Net liability to be recognized	84.34	4.36	29.47	19.94	40.84	93.55
4	Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Net liability recognized in the Balance Sheet	84.34	4.36	29.47	19.94	40.84	93.55

IV. Amount recognized in Profit and Loss Account:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Current Service Cost	252.12	262.96	61.95	49.89	143.65	118.27
2	Interest Cost	553.45	480.78	56.85	41.17	44.89	28.78
3	Expected Return on Plan Assets	(580.74)	(493.77)	(57.11)	(35.33)	(38.63)	(26.15)
4	Actuarial (Gains)/Losses for the year	204.87	454.06	17.84	87.70	(52.44)	39.52
5	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Expense to be recognized	429.70	704.03	79.53	143.43	97.47	160.42
7	Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	429.70	704.03	79.53	143.43	97.47	160.42

V. Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Opening Net Liability	4.36	206.94	19.94	116.51	93.55	58.19
2	Expense recognized	429.70	704.03	79.53	143.43	97.47	160.42
3	Contributions/ Benefits paid	(349.72)	(906.61)	(70.00)	(240.00)	(150.00)	(125.06)
4	Closing Net Liability	84.34	4.36	29.47	19.94	41.02	93.55



VI. Actual Return on Plan Assets

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Expected return on plan assets	580.74	493.77	57.11	35.33	38.63	26.15
2	Actuarial gain (loss) on plan assets	46.70	102.30	4.33	11.45	9.28	6.78
3	Actual return on plan assets	627.44	596.07	61.44	46.78	47.91	32.93

VII. Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans		Leave Encashment	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
1	Discount rate	7.27%	6.78%	7.87%	6.99%	7.87%	6.99%
2	Expected return on plan assets	7.27%	6.78%	7.87%	6.99%	7.87%	6.99%
3	Expected rate of salary increases	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%

C. Other Long Term Benefits:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2026	31.03.2025
1	Resettlement Allowance	0.00	-
2	Leave Fare Concession	41.40	27.77
3	Silver Jubilee Award	0.00	0.38
	Total	41.40	28.15



5

Accounting Standard 17 –
Segment Reporting:

Bank has identified its primary reportable segments as under:

Part A: Business segments

(Amount in ₹ crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	6979.46	5877.89	11085.68	9803.30	14552.99	12472.18	201.81	270.14	32819.94	28423.51
Result	1495.88	1356.29	3094.47	2708.57	3164.95	1598.27	103.89	81.73	7859.19	5744.86
Unallocated expenses									-	-
Operating profit									10823.86	9320.53
Taxes including deferred taxes									838.55	203.08
Share in profit of Associates	-	-	(3.78)	20.91	-	-	-	-	(3.78)	20.91
Extraordinary profit/ loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net profit*									7016.86	5541.78
Other Information:										
Segment assets	120753.58	112037.06	141849.39	126307.60	150320.71	113803.41	11882.68	14811.07	424806.36	366959.14
Unallocated assets									2664.66	2394.67
Total assets									427471.02	369353.81
Segment liabilities	118794.53	110679.11	130054.93	114554.24	134191.91	102744.02	11205.40	11514.73	394246.77	339492.10
Unallocated liabilities									0.00	1153.73
Capital & Other Reserves									33224.26	28707.98
Total liabilities									427471.02	369353.81

* Net profit is arrived after considering all provisions and contingencies.

RBI's Master Direction on Financial Statements – Presentation and Disclosures, requires to sub divide "Retail Banking" into (a) Digital Banking (as defined in RBI circular or Establishment of Digital Banking Units dated April 07, 2022) and (b) Other Retail Banking segment. Accordingly, the segmental results for retail banking segment is subdivided as below:

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Particulars	Segment Revenue		Segment Results		Segment Assets		Segment Liabilities	
		2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
I	Digital Banking	1.00	0.44	(1.09)	(1.29)	15.04	9.35	19.69	12.90
II	Other Retails Banking	14551.99	12471.74	3164.95	1599.56	150305.67	113794.06	134172.22	102731.12
Total	Retail Banking	14552.99	12472.18	3163.86	1598.27	150320.71	113803.41	134191.91	102744.02



- a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.
- b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.
- c) Retail Banking Segments include exposure to entity/ concern where
- Total average annual turnover less than ₹ 50.00 crore and
 - Aggregate exposure to one counter party does not exceed 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 7.50 crore.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.
- e) The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations
- f) Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations
- g) Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.

Part B: Geographical Segment

(Amount in ₹ crore)

Geographical Segments	2025-26			2024-25		
	Domestic	International	Total	Domestic	International	Total
Revenue	32776.32	43.63	32819.94	28423.51	NA	28423.51
Assets	424836.51	2634.52	427471.02	369353.81	NA	369353.81

GIFT IBU has been operational during FY 2025-26 only, hence International segment reporting is not applicable for FY 2024-25.

6

Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are as under:

Name of the Related Parties and their relationship:

- Subsidiary of the Bank – The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank
- Key Management Personnel –

(Amount in ₹ crore)

S.N.	Name	Designation	Remuneration	
			FY 2025-26	FY 2024-25
1.	Shri Nidhu Saxena	MD & CEO	0.65	0.38
2.	Shri A S Rajeev	MD & CEO (till 22.02.2024)	Nil	0.24
3.	Shri Asheesh Pandey	Executive Director (till 30.09.2025)	0.44	0.63
4.	Shri A. B. Vijayakumar	Executive Director (till 31.10.2023)	Nil	0.13
5.	Shri Rohit Rishi	Executive Director (till 03.02.2026)	1.10	0.43
6.	Shri Prabhat Kiran	Executive Director (from 24.11.2025)	0.15	0.00
7.	Shri V P Srivastava	Chief Financial Officer (till 31.05.2025)	0.12	0.42
8.	Shri Sunil Dhoot	Chief Financial Officer (from 31.05.2025)	0.28	Nil
	Total		2.74	2.23



- (d) Sponsor Trust – Gramin Va Balak Vikas Mandal
- (e) Sponsor Trust – Mahabank Agricultural Research – and Rural Development Foundation
- (f) Staff welfare Trust for Pension – Bank of Maharashtra Employees' Pension Fund
- (g) Staff welfare Trust for Gratuity – Bank of Maharashtra Employees' Gratuity Fund
- (h) Staff welfare Trust for Provident Fund – Bank of Maharashtra Employees' Provident Fund
- (i) Staff welfare Trust for Leave Encashment – Bank of Maharashtra Employees Privilege Leave Encashment Fund Trust

Transactions with Related parties:

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

7

Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases: Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or lease payments at the inception of the lease, whichever is lower.

Operating Leases: Operating Leases are cancellable at the option of the Bank. The amount of lease expenses recognized in the Profit and Loss Account for such operating lease is ₹ 300.37 crore for the year 2025-26 (for FY 2024-25 ₹ 252.04 crore).

8

Accounting Standard 20 – Earnings per Share

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Basic E.P.S.	₹ 9.12	₹ 7.51
Diluted E.P.S.	₹ 9.12	₹ 7.51
Calculation of Basic / Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax (₹ in Crore)	7016.86	5541.78
b) Weighted Average number of Equity Shares (₹ in Crore)	769.16	737.89
c) Basic/ Diluted Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹ 9.12	₹ 7.51
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

9

Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements:

The financial results of the subsidiary viz. The Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited have been consolidated with the parent bank in compliance with Accounting Standard 21 respectively. The audited Financial Statements are considered for this purpose.

The accounting of investment in associate i.e. Maharashtra Gramin Bank has been made in Consolidated Financial Statement in accordance with Accounting Standard 23. The

unaudited Financial Statements are considered for this purpose

In respect of Maharashtra Gramin Bank, Central Government vide Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 notified amalgamation of Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB) with Maharashtra Gramin Bank (MGB). Accordingly, Vidharbha Konkan Gramin Bank, sponsored by Bank of India is



amalgamated into Maharashtra Gramin Bank Sponsored by Bank of Maharashtra with effect from May 1st 2025 (having 35% share).

Further, on account on the above amalgamation of VKGB with MGB, the carrying amount of bank investment in associate amounting to ₹ 380.02 crores has been adjusted as under:

- Bank undertook valuation of its associate and accordingly impairment loss of ₹ 280.59 crore was booked in Standalone Financial Statement of the Bank during the year.

- Balance amount of ₹ 99.43 crore has been adjusted in Reserves & Surplus of the consolidated financials as per AS-23 "Accounting for investment in Associates".

The Consolidated Financial Statements also include the Group's share of Net loss of ₹ 3.78 Crores for the year ended 31st March 2026 as considered in the Consolidated Financial Statements in respect of MGB, whose Financial Statements / financial information are unaudited. The impact of financial results of the associate on the consolidated financial results is expected to be not material.

10

Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income:

a) Current Tax

During the FY2025-26 Bank has debited to Profit & Loss account ₹ 855.75 crore (₹ 0.41 crore for FY2024-25) on account of current Tax. The current tax has been calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act 1961.

b) Deferred Tax

Based on the review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	NIL	NIL
2) On account of provisions for Employees benefits	31.72	26.71
3) On account of AFS Reserve (created out of AFS Reserve)	121.92	NIL
4) Other Provisions where DTA is created	752.54	740.32
Sub-Total (A)	906.18	767.03
Deferred Tax Liabilities		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	12.90	12.90
2) On account of AFS Reserve (created out of AFS Reserve)	NIL	117.28
Sub-Total (B)	12.90	130.18
Net Deferred Tax Asset (A-B)	893.28	636.85

As the bank has opted for lower tax rate permitted under section 115 BAA of the Income Tax Act 1961 from AY 2021-22, the provisions of section 115JB of the Income Tax Act are not applicable to the bank.



11

Accounting Standard - 24 — Discontinuing Operations:

The Bank, during the financial year 2025-26, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the

assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

12

Accounting Standard 26 — Accounting for Intangible Assets:

Computer Software – other than internally generated:

- Useful life - 3 years.
- Amortization Rate - 33.33 %
- Amortization Method - Straight line at cost

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2026	31.03.2025
Software at the beginning of the year	77.46	95.84
Software acquired during the year	107.35	44.94
Amortization during the year	61.72	63.32
Net carrying amount at the end of the year	123.09	77.46

13

Accounting Standard 28 – Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired,

the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 – “Impairment of Assets” applies.

14

Accounting Standard 29

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Claim against the bank not acknowledged as debt on year end.

(Amount in ₹ crore)

Category	FY 2025-26	FY 2024-25
Balance Outstanding	1343.30	1356.72
Provision Held	7.01	6.79



15

The Board has recommended a final dividend of Rs. 1.20 per equity share (i.e., 12% on the face value of Rs. 10 per equity share) for the financial year 2025-26, subject to requisite approval from the shareholders.

This final dividend, if approved, will be in addition to the interim dividend of Rs. 1.00 per equity share (10%) declared and paid during the financial year

16

The Bank additionally holds COVID-19 related provision as contingency provision amounting to ₹ 1010 crores as on 31st March 2026 (Prev Year ₹ 1200 crore as on 31st March 2025), the bank has reversed provisions amounting to ₹ 190 crore during the year.

17

Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure.



Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March 2026

(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026		Year ended on March 31, 2025	
A. Cash Flow From Operating Activities:				
Income				
Interest received during the year from advances, Investments etc.	29281,74,33		24947,58,06	
Share of earnings/ loss in Associates	-103,21,18		20,90,97	
Other Income	3541,97,90	32720,51,05	3455,02,45	28423,51,48
Less: Expenditure & Provisions				
Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	15616,14,87		13280,57,51	
Operating Expenses	6379,93,13		5801,49,65	
Provisions & Contingencies	3807,00,72	25803,08,72	3799,66,64	22881,73,80
Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses		6917,42,33		5541,77,68
Add : Non Cash Items & Items Considered Separately				
Provisions & Contingencies	3807,00,72		3799,66,64	
Depreciation on Fixed Assets	343,60,53		290,59,75	
Profit/Loss on sale of Fixed Assets	-1,75,23		-,37,51	
Share of earnings/ loss in Associates	103,21,18		-20,90,97	
Interest on Bonds, PCPS and PDI	684,22,91		581,30,25	
Increase / Decrease in reserve on account of fair valuation of Investments / Foreign currency translation reserve	-693,64,94	4242,65,17	468,93,75	5119,21,91
		11160,07,50		10660,99,59
Less: Direct Taxes Paid (Net)		905,00,00		-
Cash Profit Generated From Operations (I)		10255,07,50		10660,99,59
Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:				
Deposits	43417,93,82		36393,88,03	
Borrowings other than Bond Borrowings	11381,06,05		13310,66,00	
Other Liabilities & Provision	-4774,39,05		-3302,12,21	
Total of Increase in Operating Liabilities	50024,60,82		46402,41,82	
Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets				
Investments	19372,16,24		13751,08,09	
Advances	52020,50,69		35843,91,09	
Other Assets	223,04,50		-159,42,13	
Total of Increase in Operating Assets	71615,71,43		49435,57,06	
Net Increase in Operating Liabilities Over Operating Assets (II)		-21591,10,61		-3033,15,24
Cash Flow From Operating Activities (A) = (I+II)		-11336,03,11		7627,84,35
B. Cash Flow From Investing Activities				
Sale of Fixed Assets	16,13,31		3,55,33	
Transferred to capital reserve by selling investments	2,51,60		-	
Purchase of Fixed Assets	-421,59,82		-519,40,74	
Share of Earnings/Loss in associates	-103,21,18		20,90,97	
Net Cash Flow From Investing Activities (B)		-506,16,09		-494,94,44



(Amount in ₹ thousand)

	Year ended on March 31, 2026		Year ended on March 31, 2025	
C. Cash Flow From Financing Activities:				
i) Issue/ (Redemption) of Bonds	-		2823,00,00	
ii) Dividend Paid during the year	-1922,88,87		-991,39,23	
iii) Interest on Bonds, PCPS and PDI	-684,22,91		-581,30,25	
iv) Issue of equity shares	-		3500,00,00	
Cash Flow From Financing Activities (C)		-2607,11,78		4750,30,52
Total Cash Flow During The Year (A+B+C)		-14449,30,98		11883,20,44
Represented By –				
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year				
Cash & Balance with RBI		37992,99,50		21161,34,19
Balances with Banks & Money at Call & Short notice		4201,91,43		9150,36,30
Sub Total		42194,90,93		30311,70,49
Cash and Cash equivalents at the end of the year				
Cash & Balances with RBI		26645,31,05		37992,99,50
Balance with banks & money at call & Short notice		1100,28,90		4201,91,43
Sub Total		27745,59,95		42194,90,93
Total Cash Flow During The Year		-14449,30,98		11883,20,44

Note : Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

PRASENJEET FADNAVIS DIRECTOR	PRAVEEN KUMAR DIRECTOR	SANJEEV PRAKASH DIRECTOR	Dr. ABHIJIT PHUKON DIRECTOR
SUSHANTA KUMAR MOHANTY EXECUTIVE DIRECTOR	PRABHAT KIRAN EXECUTIVE DIRECTOR	NIDHU SAXENA MANAGING DIRECTOR & CEO	
NITESH KUMAR JAIN ASST. GENERAL MANAGER, FM&A	KEYUR TALATI ASST. GENERAL MANAGER, FM&A	SUNIL DHOOT CHIEF FINANCIAL OFFICER	
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED			
For M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants FRN – 100515W CA C M Dixit Partner Membership No. : 017532 UDIN: 26017532TKMGFC4849	For M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants FRN – 106041W/ W100136 CA Vitesh D. Gandhi Partner Membership No. : 110248 UDIN: 26110248EOZMWS6466	For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants FRN – 003510S CA D. Manohar Partner Membership No. : 029644 UDIN:26029644TTMBCK8027	For M/s. S. Singhal & Co. Chartered Accountants FRN – 001526C CA Mukesh Kumar Khandelwal Partner Membership No. : 074661 UDIN: 26074661DMPLDX2998

Place: Pune
Date: April 20, 2026



M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants, D-509, Neelkanth Business Park, Nathani Rd, Vidhya Vihar West, Mumbai - 400086.	M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants, 4th Floor, Capital One, Opp. Ashok Vatika BRTS Stop, Ambli Bopal Road, Ahmedabad 380058
M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants, H. No. 6-3-244/5 Saradadevi Street, Premnagar, Hyderabad - 500004	M/s. S. Singhal & Co. Chartered Accountants, S-4, Gordhan Enclave, 4B, Yudhister Marg, C-Scheme, Jaipur - 302005

Independent Auditors' Report

To,
The President of India and Members of "BANK OF
MAHARASHTRA"

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Maharashtra (the "Bank") and its subsidiary (the Bank and its subsidiary together referred to as the "Group") and its associate, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2026, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and Notes to the Consolidated Financial Statements including summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Consolidated Financial Statements"), in which following are incorporated –

- Audited Standalone Financial Statements of the Bank;
- Audited Financial Statements of one Subsidiary namely Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited;
- Unaudited financial statements / financial information of one Associate as furnished by its management namely Maharashtra Gramin Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on consideration of the reports of other auditor on separate financial statements of the subsidiary and the unaudited financial statements and the other financial information of associate as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') and circulars and guidelines issued by Reserve bank of India ('RBI') from time to time in the manner so required for the Group and its associate and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

- True and fair view in case of Consolidated Balance Sheet, state of affairs of the Group and its associate as at March 31, 2026

- True balance of profit of the Group and its associate, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended as on that date; and
- True and fair view of the statement of cash flows, in case of Consolidated Statement of Cash Flows for the year ended as on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associate in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

- We draw attention to Note No. 16 in Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements where Bank continues to hold COVID-19 related provision of Rs. 1010 Crore as contingency provision as on 31st March 2026.
- We draw attention to Note 9 in Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements which states that



the statements also includes the financial statements in respect of the Associate, Maharashtra Gramin Bank (Holding 35%) for which financial statements for the year ended March 31, 2026, have not been audited as on the date of this report. The statement includes the group's share of net loss of Rs. 3.78 crore for the year ended March 31, 2026 in respect of the associate whose financial statements have not been audited. These unaudited Financial Statements have been prepared and certified by the Management of the associate and our opinion on the statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this entity, is based solely on the unaudited financial statement certified by the management and the procedures performed by us are as stated in paragraph above. According to the

information and explanations given to us by the Management, the financial statements of the Associate is not material to the Group.

Further, in respect of investments in the associate Maharashtra Gramin Bank, pursuant to the amalgamation of Vidarbha Konkan Gramin Bank with Maharashtra Gramin Bank, an impairment loss of Rs. 280.59 crore has been recognized in the standalone financial statements and balance amount of Rs. 99.43 crore has been adjusted in Reserves & Surplus of the consolidated financials as per AS-23 "Accounting for investment in Associates

Our Opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the

consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
Key Audit Matters reported in the Standalone Financial Statements of the Bank:		
1.	Classification of advances and compliance with RBI IRACP guidelines: (Refer Schedule 9 to the Balance sheet and Note No. 4 of Schedule 17 – Significant Accounting Policies annexed to and forming part of the standalone financial statements for the year ended March 31, 2026) As of March 31, 2026, Advances constitute a significant portion @ 67.41% of the total assets of the Bank. Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorised on the basis of security, guarantee and sectors. The Bank classifies advances into performing advances or non-performing advances (NPA) based on the master circulars / directions issued by Reserve Bank of India (RBI) contained in "Prudential Norms for Income Recognition, Asset Classification and Provisioning for Advances" (IRACP), as applicable for the financial year. The instructions / guidelines issued by RBI are applicable for all the credit facilities sanctioned by the Bank and are to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning.	Our audit approach towards the advances portfolio of the bank included a combination of both – testing of the design and operating effectiveness of the internal controls, related processes and substantive procedures in relation to classification of advances and compliance with RBI's IRACP guidelines. Our audit procedures included: a) Reviewing the logic and assumptions used in the CBS and other related IT systems for compliance of the IRACP norms for identification, classification and provisioning of the non-performing advances. b) Obtained information in respect of manual interventions required in system-based identification and classification of NPAS, evaluated the compensating controls for such manual interventions including authorisation, review and reporting mechanism thereof. c) Obtained and reviewed the Risk Control Matrix (RCM) pertaining to the advances and tested the design and operating effectiveness of key internal financial controls with respect to classification of advances and provisioning thereof. d) Involved our internal IT expert for testing IT general controls over Income Recognition, Asset Classification and Provisioning process in CBS.



Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.	The IT environment of the Bank is complex and involves a number of independent and interdependent IT systems (including Core Banking Systems CBS) used in the operations of the Bank for processing and recording a large volume of transactions. As a result, there is a high degree of reliance and dependency on such IT systems for the financial reporting process of the Bank. The Bank relies on its CBS for identification of NPA, further categorisation thereof, provisioning and for compliance with the applicable regulatory guidelines. Further, the Bank also avails the services from various experts such as independent valuers, legal experts etc. to determine the valuations and enforceability of security taken against such advances. Considering the high degree of complexity, the classification of advances, provisioning and compliance with RBI IRACP guidelines requires considerable level of management judgment, estimates and application both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations. There is a significant risk of material misstatement if the RBI' IRACP guidelines with respect to classification of advances and provisioning are not followed properly. Accordingly, in terms of guidelines contained in Standard on Auditing – SA 701 "Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report", we have identified this aspect as a key audit matter.	e) Recomputed on sample basis the overdues, days past due and tested whether the accounts are classified as performing / SMA / NPA accordingly, verified the reporting to RBI's Central Repository of Information on Large Credits ('CRILC'), the dates of NPA (in case of NPA accounts) and ensured that applicable provisioning are made as per the RBI guidelines and policy of the Bank. f) Performed various analytical procedures to ascertain the trends in the movement of total advances, NPA and stressed portfolio. g) Obtained and perused, on test basis, the reports of the concurrent audits, internal inspections, management audits, revenue audits, audit of IRACP logic at product level, Regulatory audits, etc. in order to assess the existence and effectiveness of controls, monitoring and supervision, adherence to the policies, procedures, delegation of powers, instructions from the controlling offices, compliance and governance mechanism etc. h) In respect of branches audited by us, carried out substantive audit procedures by way of examination of large, stressed, restructured and other advances on test check basis covering the overall portfolio at respective branches including review & perusal of reports of independent valuers, agencies for special monitoring of large advances, reports issued by credit / stock auditors, lenders independent engineers etc., tested the operating effectiveness key internal financial controls at the branch level. i) In accordance with SA – 600 – using the work of another auditors, communicated with the Statutory Branch Auditors (SBAs) for advising them to verify the compliance with the applicable norms regarding classification and provisioning as per IRACP guidelines and policies and procedures followed by the bank. Perused and relied on the reports submitted by the SBAs. j) Obtained and understood the process of consolidation of advances and NPA at zonal offices and at central office. On sample basis checked the consolidation process to ensure correctness and completeness. k) As a part of our substantive audit procedures recalculated the provisions on sample basis for retail and corporate portfolios both for advances under standard category on collective portfolio basis and case to case basis in respect of NPA for ensuring the correctness and completeness of provisions worked out by the Bank.



Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
1.		l) Examined the adequacy and appropriateness of the related presentation & disclosures as per applicable accounting standards and regulatory guidelines.
2.	Classification and Valuation of Investments: (Refer Schedule 8 to Balance sheet & Note No. 3 of Schedule 17 of Significant Accounting policies to the Standalone Financial Statements) Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value through Profit or Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT). Investments constitute 23.75% of the Bank's total assets as at March 31, 2026 and Interest on Investments comprises 19.86% of the Bank's total income for the year ended March 31, 2026. These are governed by the circulars and directives of the Reserve Bank of India (RBI), which inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, recognition of income on investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the valuation hierarchy prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA/ FBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies, NAVs of mutual funds, AIFs, VCFs, Security Receipts etc. Considering the complexity and significant judgement involved in investment valuation, the volume of transactions, the size of the investment portfolio, and the heightened regulatory focus, our audit concentrated on the valuation of investments, their classification, identification of non performing investments, and the related provisioning. Accordingly, this area has been determined to be a Key Audit Matter.	Our audit approach towards classification and valuation of investment portfolio is with reference to the RBI Circulars / directives which includes a combination of test of the design, implementation, and operating effectiveness of internal controls, related process and substantive procedures in relation to classification, valuation, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning / depreciation related to Investments. Our audit procedures with respect to audit of classification and valuation of investment portfolio includes: a) We understood and reviewed the methodology and internal control system adopted by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, income recognition, identification of Non-Performing Investments (NPIs) and provisioning / depreciation related to investments; b) We have performed a review, on a sample basis, of investment agreements, term sheets, deal tickets and broker contract notes executed during the year to obtain an understanding of the key terms and conditions of investments which had an impact on the valuation of the investment portfolio. c) For the selected sample of investments, tested the existence, accuracy, completeness and compliance with the RBI guidelines and directives for each category of the security. Samples were selected in such a way that all the categories of investments (based on nature of security) were covered. d) Verified Investment portfolio on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain / loss on sale and tested the controls implemented by the Bank in recognizing the profit / loss to profit and loss account. e) We have performed an assessment of the design and implementation of controls and evaluated the process adopted by management for collection and aggregation of information from various sources for determination of fair value of investments. In addition, we have carried out independent valuation procedures, on a test check basis, in respect of unquoted investments using valuation methodologies prescribed under the applicable RBI guidelines, and compared the results with the values determined by management.



Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
2.		f) We have assessed the process for identification of NPIs, including the related reversal of income and creation of provisions, with reference to applicable guidelines issued by the RBI. On a sample basis, tested investments across categories to evaluate compliance with the RBI norms for NPI classification. Further, performed substantive procedures, including independent re-computation of provisions and depreciation required to be maintained, in accordance with the relevant RBI circulars and directives. g) Reviewed the reports of the internal audits, concurrent audits etc. conducted by the bank. h) We have ensured that adequate disclosures have been made by way of Notes to the financial statements as mandated by the RBI guidelines.
3.	Information Technology Systems and Control Framework: The Bank is having complex Information Technology environment which comprises of various interdependent IT systems and applications used in the day-to-day operations of the Bank for processing and recording large volume of transactions across various locations. Further the Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on the Core Banking Solution (CBS), Treasury Solutions, IRAC and other allied systems, software, network and hardware controls. Considering the high-level of automation, complexity of the IT architecture, simultaneous and significant use of IT systems, appropriate IT general controls and application controls are required to ensure that such IT systems are able to process the data, as expected, completely, accurately and consistently for reliable financial reporting. Hence, IT system controls have been considered as a Key Audit Matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting to the management and regulators.	Our significant audit procedures included the following: a) We involved our internal IS Audit team and obtained an understanding of the Bank's IT related control environment, IT applications relevant for the purpose of our audit of the financial statements. b) For this purpose, we had discussions with the process owners with respect to various IT policies, processes and procedures put in place by the Bank. Reviewed these IT policies and procedures including user management, change management, backup and recovery procedures, system & cyber security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duties, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure that these are in line with business requirements of the Bank and comply with the relevant regulatory guidelines in this regard. c) Tested the design and operating effectiveness of the Bank's IT controls over the IT applications. Tested IT general controls particularly, logical access, change management and aspects of IT operational controls. d) Tested that requests for access to systems were appropriately reviewed and authorized; tested controls around Bank's periodic review of access rights; inspected requests of changes to systems for appropriate approvals and authorizations. e) Reviewed and placed reliance on the reports of various specialised audits by internal / external IS Auditors, consultants appointed by the Bank and discussed with IT Department on compliance with



Sr. No.	Key Audit Matters	How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters
3.		key IT controls, including IRAC Automation Controls. f) In addition to the above, we tested the design and operating effectiveness of certain automated controls that were considered as key internal controls over-financial reporting. g) On sample basis, verified the results obtained from the systems with the other information sources; and tested logic used for extracting the data. h) Tested combination of compensating controls or remediated controls such as reconciliations between systems and other information sources and / or performed alternative audit procedures, where necessary.
4.	Provisions and Contingent Liability: Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 10 of Schedule 17 and Note No. 16 of Schedule 18) There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law.	Our audit procedures with respect to audit of provisions and contingent liability includes: a) We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. b) Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities / judicial forums and follow up actions thereon; c) Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of experts. d) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax/non tax positions. Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions. e) Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters. f) Our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements / interpretation of law involved. g) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Head office.



Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report Thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for preparation of the other information. The other information includes Corporate Governance Report and Directors Report with annexures (but does not include the Consolidated Financial Statements and our Auditors' Report thereon), which is expected to be made available to us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under the Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our Audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained during the course of audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this matter.

When we read the Corporate Governance Report and Directors' Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the Consolidated financial position, Consolidated financial performance and Consolidated cash flows of the Group and its associate in accordance with the accounting principles generally accepted in India and in accordance with the Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statements", and Accounting Standard 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time

to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associate are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associate's and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective management of the entities included in the Group and its associate are responsible for assessing the ability of the Group and its associate to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management either intend to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of the associate are responsible for overseeing the Financial Reporting process of the Group and its associate.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:



- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of Internal Control relevant to the Audit in order to design Audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group and its associate's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associate to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities of the Group and its associate to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the audit of the Financial Statements of such entity included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial

Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors are responsible for direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

We communicate with Those charged with governance of the Bank included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Those Charged With Governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with Those Charged With Governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9. The accompanying Consolidated Financial Statements include the financial statements and other financial information in respect of:
 - a. We did not audit the financial statements of one subsidiary whose financial statements reflect total assets of Rs. 28.53 Crores as at March 31, 2026, total revenues of Rs. 3.58 Crores and total net



profit after tax of Rs. 1.31 Crores for the year ended on that date, and net cash flows of Rs. 1.56 Crores as considered in the Consolidated Financial Statements, have been audited by other auditors. The independent auditor's reports on the financial statements of the subsidiary have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary, is based solely on the reports of such auditors.

- b. We did not audit the financial statements / financial information of one associate, which includes Group's share of net loss of Rs. 3.78 Crores for the year ended March 31, 2026, as considered in the Consolidated Financial Statements. These financial statements / financial information is unaudited and have been furnished to us by the management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of associate, is based solely on such unaudited financial statements / financial information. In our opinion and according to the information and explanation given to us by the management, these financial statements / financial information is not material to the Group.
10. The consolidated financial statements of the bank for the previous year ended 31st March 2025 were audited by the joint auditors, 2 of them were predecessor audit firm and expressed unmodified opinion on such financial statements vide report dated 25th April 2025

Our opinion on the Consolidated Financial Statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not modified in respect of these matters with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditors and the financial statements certified by the Management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 10 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein and as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. As required by letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

- a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- c) As the Bank and its associate are not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under the sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank. However, in case of subsidiary (a company), on the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2026, none of the directors are disqualified as on 31st March, 2026 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) As per para 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements.



13. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For M/s. G D Apte & Co. Chartered Accountants	For M/s. Manubhai & Shah LLP Chartered Accountants	For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants	For M/s. S. Singhal & Co. Chartered Accountants
FRN – 100515W	FRN – 106041W/ W100136	FRN – 003510S	FRN – 001526C
CA C M Dixit Partner	CA Vitesh D. Gandhi Partner	CA D. Manohar Partner	CA Mukesh Kumar Khandelwal Partner
M No 017532	M No 110248	M No 029644	M No 074661
UDIN: 26017532TKMGFC4849	UDIN:26110248EOZMWS6466	UDIN:26029644TTMBCK8027	UDIN:26074661DMPLDX2998

Place: Pune

Date: April 20, 2026



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

ECLGS 5.0

Credit that fuels MSME growth,
driving India forward!



Collateral-free
loans

100%
Government
guarantee



ग्लोबल एज



गोल्ड लोन



कार ऋण



आवास ऋण



एमएसएमई
ऋण



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

Becoming a Bank of Greater Significance

Rooted in Trust
Driven by Innovation
Powered by Technology

Zen
Lyfe
Making Life Simpler
Bank of Maharashtra



TRUST

Built on relationship.
strengthened over
generations.



INNOVATION

Embracing Changes.
Creating new
possibilities.



TECHNOLOGY

Enabling progress.
empowering
every ambition.

+91 70660 36640

www.bankofmaharashtra.bank.in